

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 को मा0 विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत होने में विलम्ब का कारण

उ0प्र0 पंचायतीराज (सत्रहवाँ संशोधन)नियमावली-2011 के नियम-186 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा)(छठवाँ संशोधन) नियमावली-2011 के नियम-176 में संशोधन दिनांक 30 मार्च, 2011 के अनुसार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा और उसे राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजा जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक प्रतिवेदन 2010-11 दिनांक 25-11-2014 को एवं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को प्रमुख सचिव, पंचायतीराज के माध्यम से राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा जा चुका है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 9-12-2019 एवं 27-1-2020 द्वारा 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन पंचायतीराज विभाग द्वारा सदन के पटल पर रखने की कार्यवाही न किये जाने के कारण वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से इस प्रतिवेदन को सदन में रखने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्त विभाग के स्तर पर इस प्रकरण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।


(सुरेश कुमार खन्ना)
वित्त मंत्री।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,
उत्तर प्रदेश

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2012—13

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में

वर्षिक प्रतिवेदन 2012–2013

विषय सूची

प्राक्कथन

अध्याय—1

प्रस्तावना

क्रम0	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	
2	लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	
3	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	
4	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ० प्र० के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	
5	लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	
6	लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रति विभाग का रुझान	1.6	
7	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही	1.7	

अध्याय—2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, आय/प्राप्ति के स्रोत, क्रियाकलापों के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण

1	सामान्य विवरण	2.1	
2	जिला पंचायत	2.2	
3	क्षेत्र पंचायत	2.3	
4	ग्राम पंचायत	2.4	

अध्याय-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

1	जिला पंचायत	3.1	
2	क्षेत्र पंचायत	3.2	
3	ग्राम पंचायत	3.3	

अध्याय-4

विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं उसमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियां-

1	जिला पंचायत	4.1	पृष्ठ संख्या
	लखनऊ मण्डल		30 से 51 तक
	गोरखपुर मण्डल		51 से 55 तक
	मुरादाबाद मण्डल		55 से 61 तक
	आजमगढ़ मण्डल		61 से 65 तक
	चित्रकूटधाम मण्डल		65 से 67 तक
	झाँसी मण्डल		68
	इलाहाबाद मण्डल		69 से 137 तक
	मेरठ / सहारनपुर मण्डल		137 से 144 तक
	सहारनपुर मण्डल		145 से 147 तक
	वाराणसी मण्डल		147 से 156 तक
	विन्ध्याचल मण्डल		157 से 158 तक
	बरेली मण्डल		159 से 190 तक
	आगरा मण्डल		190 से 195 तक
	कानपुर मण्डल		195 से 219 तक

2	क्षेत्र पंचायत	4.2	पृष्ठ संख्या
	लखनऊ मण्डल		220
	फैजाबाद मण्डल		220 से 226 तक
	इलाहाबाद मण्डल		226 से 247 तक
	मेरठ मण्डल		248 से 249 तक

	वाराणसी मण्डल		249 से 268 तक
	विन्ध्याचल मण्डल		268 से 271 तक
	आगारा मण्डल		272 से 276 तक

3	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठ संख्या
	लखनऊ मण्डल		276 से 362 तक
	गोरखपुर मण्डल		362 से 407 तक
	बस्ती मण्डल		407 से 445 तक
	मुरादाबाद मण्डल		446 से 500 तक
	फैजाबाद मण्डल		500 से 527 तक
	देवीपाटन मण्डल		527 से 532 तक
	चित्रकूटधाम मण्डल		532 से 534 तक
	झांसी मण्डल		534 से 535 तक
	इलाहाबाद मण्डल		536 से 673 तक
	मेरठ मण्डल		673 से 690 तक
	सहारनपुर मण्डल		690 से 724 तक
	वाराणसी मण्डल		724 से 733 तक
	विन्ध्याचल मण्डल		734 से 750 तक
	बरेली मण्डल		751 से 779 तक
	आगरा मण्डल/अलीगढ़ मण्डल		779 से 840 तक
	कानपुर मण्डल		841 से 849 तक

अध्याय—5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण

1	जिला पंचायत	5.1	
2	क्षेत्र पंचायत	5.2	
3	ग्राम पंचायत	5.3	

अध्याय—6

निष्कर्ष व सुझाव

1	निष्कर्ष	6.1	
2	सुझाव	6.2	

प्राक्कथन

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा— जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा राज्य सरकार के अधीन मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पन्न कराते हुए इन संस्थाओं की लेखा परीक्षा के आधार पर अनिस्तारित प्रस्तरों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था है।

सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वर्तमान प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2013—14 की अवधि में वित्तीय वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में आये प्रकरणों के साथ—साथ पूर्ववर्ती वर्षों के प्रकरण, जिनकी लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 में सम्पादित की गयी है, को भी सम्मिलित किया गया है।

यह वार्षिक प्रतिवेदन अध्याय में प्रस्तावना से प्रारम्भ होता है जिसमें प्रतिवेदन सम्बन्धी रूप रेखा, लेखा—परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा विभाग का प्रशासनिक ढाँचा व लेखा परीक्षा की योजना एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कार्यवाही सम्मिलित है। अध्याय 2 में लेखा परीक्षित संस्थाओं के कार्यों, आय स्रोत एवं क्रिया कलापों के विषय में सामान्य विवरण है। अध्याय 3 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की प्रगति की स्थिति, अध्याय—4 में लेखा परीक्षा के उपरान्त प्रकाश में आयी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण, अध्याय 5 में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/अधिभार प्रतिवेदन आपत्तियों का अनुपालन, समीक्षा एवं नस्ति संग्रहीत की स्थिति तथा अध्याय—6 में निष्कर्ष एवं सुझाव को आच्छादित किया गया है।

अध्याय—1

प्रस्तावना

1.1— इस प्रतिवेदन के संबंध में रूपरेखा

1. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश का यह प्रतिवेदन राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए गये अनुदान, योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में हुए व्यय, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त आय की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है।

2. इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखा परीक्षा परिणाम, कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं हेतु नीति निर्धारण व भविष्य की नीति निर्माण में सहायक होगा तथा एक जन उपयोगी शासन व्यवस्था के निर्माण में सहयोगी होगा।

3. लेखा परीक्षा के अंतर्गत संस्था की प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों की जाँच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि संस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों व योजनाओं में अनुदानित धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, दिशा निर्देशों का पालन किस प्रकार किया गया है। व्ययों, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कहीं तक हुयी है। किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता के साथ संस्था द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संचालन किया गया है।

4. इस अध्याय में लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा संगठन की संरचना, लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन का उल्लेख किया गया है,

5. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2013—14 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षित इन संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2012—13 के लेखों की लेखा परीक्षा में, संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ संस्थाओं के विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 की अवधि में संपादित की गयी, को भी लिया गया है।

1.2— लेखा परीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 के दौरान उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर कुल 72 जिला पंचायतें थीं। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन हैं। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

विकास खंड स्तर पर राज्य में कुल 819 क्षेत्र पंचायतें थीं। जो ब्लॉक प्रमुख के नियंत्रणाधीन हैं। खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य में कुल 51865 ग्राम पंचायतें थीं। जो ग्राम प्रधान के नियंत्रणाधीन हैं। ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी होता है।

इस प्रकार तत्समय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश की लेखा परीक्षा की परिधि में उपरोक्त तीनों स्तर के कुल 52756 पंचायती राज संस्थाएँ थीं।

1.3— लेखा परीक्षा का प्राधिकार

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 एवं उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम— 2 व नियम— 174 से 180 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 एवं उ०प्र० पंचायती राज नियमावली—1947 के नियम 186 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उ०प्र० में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्राधिकार निहित है।

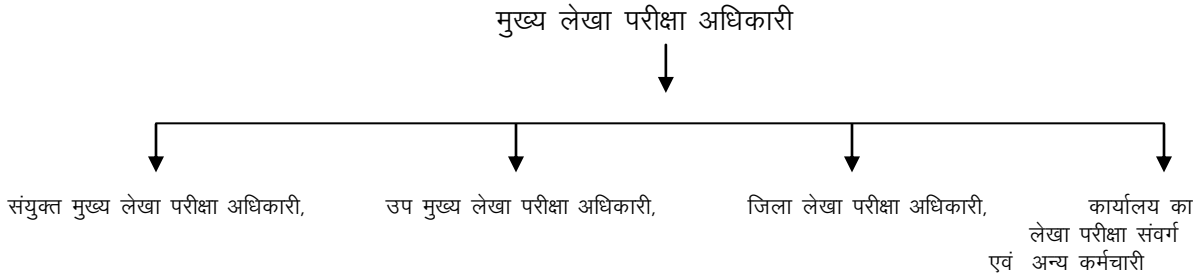
1.4— मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० के कार्यालय के संगठन की संरचना

उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित कराया जाता है।

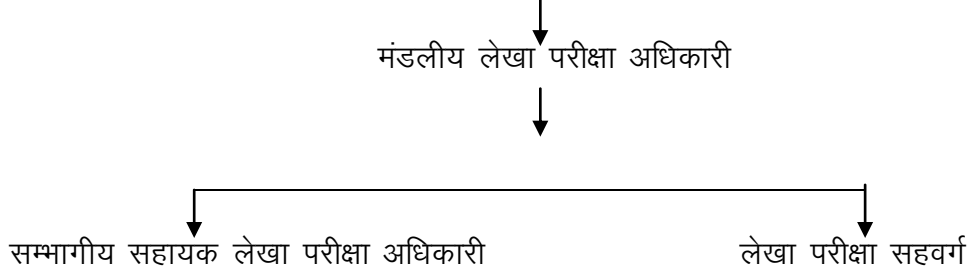
जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा कार्मिकों (यथा—लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) की नियुक्ति रहती है। जिनके द्वारा जनपद स्तर पर समस्त पंचायती राज संस्थाओं यथा— जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा सम्पादित/निष्पादित की जाती है। मंडल स्तर पर उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति रहती है। जिसके द्वारा जनपद स्तर पर होने

वाले लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण, लेखा परीक्षा कार्य का नियोजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। विभाग का ढाँचा निम्न प्रकार है—

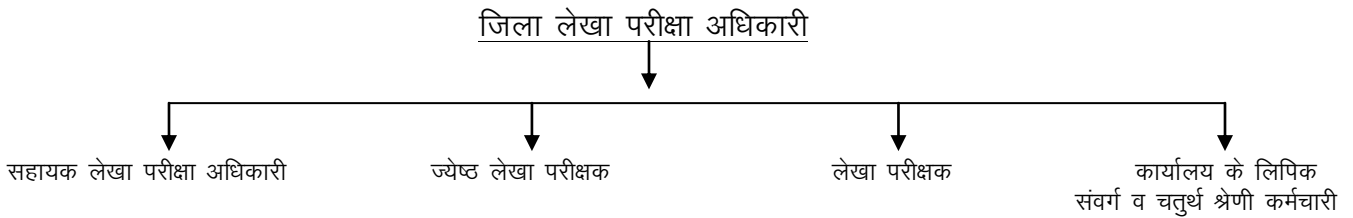
(अ) मुख्यालय स्तरीय



(ब) मंडल स्तरीय



(स) जनपद स्तरीय



1.5— लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन—

लेखा परीक्षा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनपद स्तर पर लेखा परीक्षा कार्मिकों को पूरे वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कार्य के आवंटन से होती है। तत्पश्चात सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित विभागीय नीति के तहत तदनुसार वर्ष पर्यन्त लेखा परीक्षा कार्य का संचालन किया जाता है।

प्रशासनिक विभागों के अधिनियम व नियमावली में निर्धारित सीमा, प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित परिक्षेत्र के तहत संस्था के क्रिया कलाप, उनके द्वारा किये गये व्यय, वित्तीय अधिकारों की सीमा आदि का परीक्षण कर लेखा परीक्षा परिणाम निर्धारित किये जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख व अन्य संबंधित पक्षों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित करें।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निहित मुख्य बिंदु जो अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित रहते हैं। उन्हें विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा अधिभार की कार्यवाही निर्धारित की जाती है।

1.6— निष्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति विभाग का रुझान

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को इस आशय से अग्रसारित किया जाता है कि निर्धारित अवधि (एक माह) के अंदर अनुपालन आख्या प्रशासनिक विभाग के माध्यम से लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाए। जैसा कि प्रशासनिक विभाग में संगत अधिनियमों/नियमावली में प्रख्यापित है।

प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अनुपालन आख्या मॉगे जाने का औचित्य यह है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का समुचित अनुपालन नियमानुसार हुआ है अथवा नहीं ? इसका सम्पूर्ण संज्ञान प्रशासनिक विभाग को रहे तथा संस्था की लेखा परीक्षा में इंगित कमियों का निराकरण प्रभावी रूप से करा कर योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसके साथ ही संगत अधिनियम एवं नियमावली में निहित अधिकारों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित पक्षों पर प्रशासनिक कार्यवाही, वसूली आदि करायी जा सके एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों में निहित सुधारात्मक पक्ष के साथ-साथ दण्डात्मक पक्ष का भी प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिससे संस्था में वित्तीय अनुशासन बनाये रखा जा सके एवं लोक धन पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

1.7— लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही

वर्ष 2010—11 (पूर्ववर्ती वर्षों को सम्मिलित करते हुए) एवं वर्ष 2011—12 के वार्षिक प्रतिवेदन को चर्चा हेतु सदन के पटल पर रखा जा चुका है। जिस पर विधान मण्डल की उच्च स्तरीय पंचायती राज समिति के समक्ष लेखा परीक्षा आपत्तियों, विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं अधिभार की कार्यवाही चर्चा के अन्तर्गत हैं।

अध्याय-2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों,आय/प्राप्ति के स्रोत, व क्रियाकलापो के संदर्भ में

2.1— सामान्य विवरण— वैदिक काल से ही भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं विद्यमान रही है। मगर अंग्रेजों के शासनकाल में ये संस्थाएं लुप्त हो गयीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत के विकास को प्रोत्साहित किया तथा आजादी के बाद संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 के प्राविधान से इनकी गतिविधियों को अधिक बल मिला। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्रता के पूर्व से ही कार्यरत रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिनांक 24. 04.1993 से लागू हो जाने पर राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्यों के पंचायती राज कानूनों को भी एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 23 अप्रैल 1994 तक संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित कर दिया जाये। तत्समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र परिषद समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 अस्तित्व में थे, अतः इन दोनों अधिनियमों में संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुरूप संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो संपूर्ण प्रदेश में दिनांक— 22 अप्रैल 1994 से लागू हो गया।

उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में मुख्यतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के उन्ही प्रावधानों को संशोधित किया गया, जो संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम 1992 से प्रभावित थे, किन्तु कुछ ऐसे प्रावधानों को भी संशोधित किया गया, जिसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। संशोधन के पूर्व ग्राम स्तर की संस्थाओं को गाँव

सभा तथा गॉव पंचायत कहा जाता था। जो कि अब ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत कहलायेगा। इसी प्रकार पूर्व में क्षेत्र समिति के नाम से पहचानी जाने वाली मध्य स्तर की संस्था संशोधन के पश्चात् क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर की संस्था जिला परिषद संशोधन के बाद जिला पंचायत कहलाती है तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 हो गया।

भारतीय संविधान के तिहत्तरवे संशोधन में ग्राम पंचायत को न सिर्फ संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है, अपितु विकास का केन्द्र भी बना दिया है। मनरेगा, बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त आयोग, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके द्वारा गॉव स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित कराने, छात्रवृत्ति एवं पौष्टिक भोजन द्वारा बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता विकसित करने, उनमें अच्छी समझ एवं भाईचारे के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 51865 ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में अरबों रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध करायी गई। जिसमें से कुल 33434 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2013-14 में सम्पन्न करायी गयी।

2.2— जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला पंचायत शीर्षस्थ संस्था है। प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत स्थापित है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। तत्समय उत्तर प्रदेश में कुल 72 जिला पंचायतों का गठन हुआ था। जिला पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संपादन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पाँच वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। जिला पंचायत के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती की जाती है। जिसकी सहायता के लिए वित्तीय

परामर्शदाता, कार्याधिकारी, स्टोर इंचार्ज, लेखाकार, अवर अभियन्ता/अभियंता टैक्स आफ़ीसर, लिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है।

(क) जिला पंचायत के अधिकार एवं कृत्य— त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत जनपद की शीर्ष संस्था है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली, लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित है। अधिनियम के धारा 33 के अनुसार जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य निम्नवत् होंगे।

1. जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबंध राज्य सरकार करती है या आगे करें, उससे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करना।
2. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध के प्रयोजनों के लिए सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।
3. जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।
4. तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।
5. ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास।
6. ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जाये।

जिला पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत—

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत

अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार जिला पंचायत की अनेकों मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा वसूली का अधिकार है। जिला पंचायतों को अपनी सम्पत्ति से भी किराये आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी जिला पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय—

1—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 119—145 में जिला पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. नौका हाउस पर कर
4. कॉजी हाउस पर कर
5. सिनेमा प्रदर्शनियों आदि पर कर

जिला पंचायतों में सामान्त्याः निम्न मदों से आय प्राप्त होती है।

1. सम्पत्ति व विभव कर
2. लाइसेंस शुल्क
3. मृत पशु शव निस्तारण
4. सम्पत्तियों आदि (दुकान, भवन किराया)
5. नौका घाट
6. मेला प्रदर्शनी
7. हाट बाजार एवं तहबाजारी
8. कॉजी हाउस
9. कृषि एवं पशुपालन

10. जिला निधि में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज

11. अन्य मदों से प्राप्तियाँ

(2) वाह्य स्रोतों से आय— जिला पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जिला पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1. भू-राजस्व अनुदान
2. राज्य वित्त आयोग
3. केन्द्रीय वित्त आयोग
4. डी०आर०डी०ए० से प्राप्त अनुदान
5. मनरेगा
6. सांसद निधि
7. विधायक निधि
8. आंचलिक निधि
9. एस०जी०आर०वाई०
10. अन्य विभिन्न मदों से

मनरेगा के संदर्भ में जिला पंचायत की भूमिका—

1. जिला योजना एवं श्रमिक बजट (**Labour Budget**) को अन्तिम रूप देना तथा जनपद के अंदर मनरेगा के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग (**Monitoring**) करना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।
2. जिला पंचायत खण्ड विकास वार मनरेगा के अर्न्तगत आगामी वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन 31 दिसम्बर तक करेगी।

2.3— क्षेत्र पंचायत

विकास कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा जनपद को खण्डों में विभक्त किया गया है। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की विभिन्न धाराओं के तहत एक निगमित निकाय के रूप में लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान 819 क्षेत्र पंचायत गठित थी। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। क्षेत्र पंचायत हेतु निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा। कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बैठक किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अधिनियम की धारा-99 से 101 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी। जिसे क्षेत्र पंचायत निधि कहा जायेगा। क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक एवं कृत्य— अधिनियम की धारा-84 के अनुसार प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख जब कभी भी उचित समझे क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है तथा प्रमुख निर्वाचित सदस्यों के 1/5 के लिखित अध्याचन पर अध्याचन की तारीख या प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर बैठक अवश्य बुलायेगा। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित धारा-86 मामलों पर विचार करेगी तथा योजना तैयार करेगी।

1. क्षेत्र पंचायत विकास खंड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् विकास खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
2. यह योजना खण्ड विकास अधिकारी, कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत तिथि से तैयार की जाएगी।
3. विकास खण्ड के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण आदि से संबंधित कार्यक्रम।

4. ऐसे अन्य कार्य जो नियमों में उल्लिखित हैं।

क्षेत्र पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत—

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार क्षेत्र पंचायत की कुछ मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा वसूली का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी क्षेत्र पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्रोत से आय—

1—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131—क में क्षेत्र पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. सम्पत्ति व विभव कर
4. काँजी हाउस पर कर
5. अन्य मदों से प्राप्तियाँ

(2) वाह्य स्रोतों से आय— क्षेत्र पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। क्षेत्र पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1. भू—राजस्व अनुदान
2. राज्य वित्त आयोग
3. केन्द्रीय वित्त आयोग
4. डी०आर०डी०ए० से प्राप्त अनुदान
5. मनरेगा
6. सांसद निधि

- 7.विधायक निधि
- 8.आंचलिक निधि
- 9.एस0जी0आर0वाई0
- 10.अन्य विभिन्न मदों से

क्षेत्र पंचायत के अधिकार एवं कृत्य— अधिनियम की धारा—35 एवं 79 तथा संलग्न अनुसूची—3 व 6 में क्षेत्र पंचायत के अधिकार तथा कृत्य निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की धारा—32 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय —समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

—————

2.4 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई है। एक या अधिक राजस्व गांव को मिलाकर ग्राम का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था यथासंभव एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या पर की गयी है। लेखा परीक्षा काल में 2020 में कुल 51865 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन के लिये प्रत्येक ग्राम सभा हेतु प्रधान व सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है। 2020 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए किन्तु दो लगातार बैठकों के मध्य दो मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान की प्रति दिन के कार्यों के सुचारु रूप से चलाने हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत के समस्त खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक तथा कृत्य

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रतिवर्ष ग्राम सभा की दो सामान्य बैठक होगी, (खरीफ की बैठक तथा रबी की बैठक), इसके अतिरिक्त विहित अधिकारी की लिखित मांग अथवा सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम $1/5$ की मांग पर मांग की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रधान ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक अवश्य बुलाएगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है, किन्तु ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी तथा ग्राम पंचायत की सिफारिश व सुझाव दे सकती है।

- 1— ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन को रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उन पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।
- 2— पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट।
- 3— ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि।
- 4— ग्राम के भीतर प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।
- 5— ऐसे अन्य कार्य जो नियत किये जाये।

ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:—

- क— सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक जन और अंशदान जुटाना।
- ख— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हितकारी की पहचान।
- ग— ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

ग्राम पंचायतों के अधिकार व कर्तव्य कृत्य

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाये, प्रेषित करेगी तथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों की ग्राम पंचायत को समानुदेशित कर सकती है।

1— पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।

2— पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था।

3— किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

कर तथा शुल्क का आरोपण:—

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत निम्नांकित कर लगायेगी

क— उन क्षेत्रों में जहां उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जौनसार वाबर जमींदारी— विनाश तथा भूमि—व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हो, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू—राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) का कर लगा सकती है।

ख— उक्त खण्ड क में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू—राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) कर लगा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत निम्नवत् सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है।

ग— प्रेक्षागृह, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य, जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हुआ है।

ध- ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाने जाने वाले यन्त्र चलित वाहनो से भिन्न वाहनो तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है।

ड- उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड-ग के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर लगा सकती है। जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामान प्रदर्शित करें। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

च- उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क सभा लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हो, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रण में हो।

छ- वधशालाओ और पडाव की भूमि के लिये शुल्क लगा सकती है।

ज- जल शुल्क- जहां ग्राम सभा द्वारा घर के उपयोग के लिये जल सम्भारित किया जाता है।

झ- यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती हो, तो निजी शौचालयों और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है, जो उन मकानों के जिनमें वे निजी शौचालय या नालियां संलग्न हो, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा।

ञ- सडकों की सफाई और उन पर रोशनी की व्यवस्था के लिये कर।

ट- जहां ग्राम पंचायत द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजनाओं जल सम्भरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिंचाई दर।

ठ- कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उनके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुये, हो और जिनका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक योजनाओं/ परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यों के क्रियान्वयन के लिये उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार कर लगाने व वसूलने का अधिकार है तथा राज्य सरकार /

भारत सरकार द्वारा विकास के कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा मूलतः चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं / कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1 – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005 (मनरेगा)

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गयी, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं। इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अन्धून के लिये ऐसा कार्य उपलब्ध करायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिये निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी मजदूरी का भुगतान कार्य करने के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जायेगा, अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार यदि स्कीम के अन्तर्गत नियोजन चाहने वाले आवेदक को निर्धारित समय (आवेदन के पन्द्रह दिन) के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है।

1- मनरेगा का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिये उत्सुक है, को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवन सुरक्षा (**livelihood security**) को बढ़ाना है।

2- मनरेगा का लक्ष्य:-

1- जहां अन्य रोजगार की सुविधा कम है। ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगो को रोजगार मुहैया कराकर मजबूत सामाजिक सुरक्षातन्त्र का निर्माण करना है।

2— ऐसे क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराकर, (जो गरीबी के मूल कारण हैं) जैसे बाढ़, सूखा, जंगलों का कटान, भूमि (soil Erosion) कृषि प्रधान आर्थिक संरचना के विकास के लिये सुविधा प्रदान करना।

3— अधिनियम, ग्रामीण, जीविकोपार्जन, हेतु राष्ट्रीय रिसोर्स आधार को मजबूत करता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत व टिकाऊ सम्पत्ति का निर्माण करता है, मनरेगा में गरीबी के कारणों को पूर्णरूप से बदलने की क्षमता है।

4— ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।

5— सबसे निचले स्तर पर अपने क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये स्वयं कार्य का निर्धारण करना तथा पारदर्शिता के साथ इसे पूर्ण करना।

मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

1— जल संचयन व जल प्रबन्धन।

2— वानिकी व वृक्षारोपण।

3—सिंचाई हेतु नहरें, जिसमें छोटे व अति छोटे सिंचाई की व्यवस्था सम्मिलित हो।

4— सिंचाई के साधन की व्यवस्था, वृक्षारोपण, हार्टीकल्चर।

5— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, भूमि सुधार के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार, इन्दिरा आवास योजना/गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के भूमि का भूमि विकास।

6— परम्परागत जल सुविधाओं का जीर्णोद्धार, जिसमें टैंकों की सफाई भी सम्मिलित है।

7— भूमि सुधार/विकास।

8— बाढ़ नियन्त्रण जिसमें जल भराव क्षेत्रों को संरक्षित करना भी सम्मिलित है।

9— ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, सड़क का निर्माण, आवश्यकतानुसार ग्राम क्षेत्र में नाली का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाले सड़कों पर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य नहीं कराया जाना चाहिये, मनरेगा के अन्तर्गत सीमेन्ट सड़क का निर्माण प्रतिबन्धित है तथा ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास से जोड़ती है।

10— कोई अन्य कार्य जो भारत सरकार, राज्य सरकार से विचार विमर्श कर अधिसूचित करे।

11—अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्ति का रख रखाव का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य है।

12— मनरेगा के अन्तर्गत भूमि क्रय अनुमन्य नहीं है।

2—छात्रवृत्ति योजना:—

समाज के सभी वर्गों के बच्चों की पढाई के लिये प्रेरित करने तथा उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिये अलग- अलग विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे विकलांग बच्चों के लिये विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये अल्पसंख्यक विकास विभाग आदि से धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा संबन्धित वर्ग के छात्रों को प्राप्त कराया जाता है।

3— राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान:—

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्धित विकास के लिये राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुसार ग्राम पंचायतें कर आरोपित कर सकती हैं उक्त समस्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जलाशयों/नलकूपों का निर्माण, पुराने जलाशयों का

जीर्णोद्धार, भूमि संरक्षण आदि कार्यों का निर्धारण ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। समिति द्वारा कार्य एवं क्रय की आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

4— मध्यान्ह भोजन योजना

प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा दो दिन गेहूँ से बने भोज्य पदार्थ अथवा शासन द्वारा निर्धारित भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न में भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। भोजन को तैयार करने एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्तर पर 2.69 प्रति छात्र प्रति दिवस तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.30 प्रति छात्र प्रति दिवस परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन निर्माण कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों की देख-रेख में किया जाता है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जो अपने देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उन्हें परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाता है।

योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किचन शेड हेतु ₹0 8500/प्रति विद्यालय तथा किचन उपकरण हेतु ₹0 5000/प्रति विद्यालय चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।

विद्यालयों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौंपा गया है तथा विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निम्नवत् व्यवस्था की गयी है।

1. मेनू को विद्यालयों की दीवारों पर 6' / 8' साइज में चस्पा कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुरूप है कि नहीं, यह सर्वविदित रह सके।
2. भोजन वितरण के माह से पूर्व माह में खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुँचाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

ख— संगठनात्मक ढाँचा— विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव/ग्राम्य विकास अधिकारी उत्तरदायी है। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, ग्राम्य विकास व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, बारहवे वित्त आयोग के क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव पंचायती राज, मध्यान्ह भोजन योजना के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, बेसिक शिक्षा व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

.....

अध्याय—3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

3.1—जिला पंचायतें

वर्ष 2013—14 में राज्य की कुल 72 जिला पंचायतों में से 56 जिला पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित जिला पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

3.2—क्षेत्र पंचायतें

वर्ष 2013—14 में राज्य की कुल 819 क्षेत्र पंचायतों में से 83 क्षेत्र पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। क्षेत्र पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.3—ग्राम पंचायतें

वर्ष 2012—13 में राज्य की कुल 51865 ग्राम पंचायतों में से 33434 ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (जिला पंचायती राज अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

अध्याय-4

लेखा परीक्षा में उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण

लेखा परीक्षा के उद्देश्य— निष्पादित लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या—

1. संस्था द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है।
2. किये गये व्यय में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
3. न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया गया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है।
4. संस्था द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूरा कर लिया गया है।
5. बैंक खातों का मिलान कर लिया गया है।
6. सृजित परिसम्पत्तियों का लेखांकन किया गया है।
7. निर्धारित समस्त अभिलेखों का लेखांकन, रख रखाव एवं प्रस्तुतिकरण समुचित रूप से किया गया है।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2012-13 तक के अवधि की लेखा परीक्षा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के मध्य की गयी। जिसमें राज्य के सभी जनपदों के 33573 पंचायती राज संस्थाओं के उपलब्ध अभिलेखों की जाँच की गयी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित किये गए उद्देश्यों, लेखा नियमों, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जनपद के जिला लेखा परीक्षा

अधिकारी द्वारा जनपद में तैनात लेखा परीक्षा कर्मियों के माध्यम से लेखा परीक्षा कार्य संपादित कराया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षणोपरान्त लेखा परीक्षक की टिप्पणियों लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित पक्षों को निर्गत की गयी।

जिला पंचायत— लखनऊ
मण्डल— लखनऊ

प्रस्तर—1.	प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि मेसर्स अर्चना कान्सट्रक्शन को दिनांक 18.05.2012 को चेक सं०—875197 द्वारा रू० 221250— का भुगतान 8 हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क—2 स्थापित किए जाने हेतु किया गया तथा उक्त फर्म को दिनांक 30.10.2012 को चेक सं० 880502 द्वारा रू० 2,49,788.00 10 इण्डिया मार्क—2 हैण्ड पम्प स्थापित किए जाने हेतु किया गया है। हैण्ड पम्प लगवाने सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे कृत कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस हेतु श्री सत्य प्रकाश दुबे, अवर अभियन्ता, श्री अलोक सिंह, अवर अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता श्री जमाल मिर्जा उत्तरदायी है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं पत्रावली के अभाव में उक्त धनराशि वसूली योग्य है। अतः श्री सत्य प्रकाश दुबे, अवर अभियन्ता श्री आलोक सिंह, अवर अभियन्ता तथा श्री जमाल मिर्जा मुख्य अभियन्ता उत्तर दायी व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (ग०आ०सं० 1)
प्रस्तर—2.	प्रमाणक सं०—20 चेक सं०—875155 दिनांक 20.04.2012 तथा प्रमाणक सं० 18 चेक सं० 880476 दिनांक 06.08.2012 द्वारा क्रमशः रू० 3,50,523.00 एवं रू० 87,798.00 कुल रू० 438321.00 मात्र का भुगतान मेसर्स स्टार बिल्डर्स को कार्यालय परिसर में स्थित भवनों / आवासों व कार्यालय अनुरक्षण हेतु किया गया है। पत्रावली की जाँच से स्पष्ट हुआ है कि उक्त हेतु निविदा रू० 4.00 लाख में स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार रू० 38,321.00 मात्र का अधिक भुगतान किया गया है जिसका पुनरीक्षित इस्टीमेट पत्रावली में नहीं पाया गया। अतः अधिक भुगतान रू० 38321.00 हेतु मुख्य अभियन्ता श्री जमाल मिर्जा उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अपेक्षित है।(ग०आ०सं० 2)
प्रस्तर—3.	प्रमाणक सं०—01 दिनांक 01.01.2013 द्वारा कार्यालय के विभिन्न अनुभागों, अति विशिष्ट गृह तथा आवासीय भवनों में मरम्मत पर हुआ व्यय रू० 11300.00 का भुगतान श्री सत्य प्रकाश दुबे, अवर अभियन्ता को किया गया है। जाँच में पाया गया कि किसी भी प्रमाणक पर संबन्धित अनुभाग प्रभारियों से आवश्यकता से संबन्धित माँग पत्र/ इन्डेन्ट तथा कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने का अंकन नहीं पाया गया है जिससे उक्त व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।(ग०आ०सं० 3) अतः रू० 11300.00 की वसूली श्री सत्य प्रकाश दुबे अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर—4.	संस्था की कैश—बुक तथा प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012—13 में संस्था में अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की धनराशि रू० 2532017/— के नियमानुसार विनियोजित नहीं किया गया है। अ— अतः कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा आयकर में ली गई छूट अनियमित रही। ब— नियमानुसार विनियोजन न किए जाने के कारण अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनकी जमा धनराशि पर ब्याज की हानि भी उठानी पड़ रही है। उक्त अनियमितता हेतु तात्कालिक अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री रविशंकर मिश्रा तथा तात्कालिक लेखाकार श्री अशोक कुमार त्रिपाठी

	पूर्णरूपेण उत्तरदायी है। इस ओर शासन एवं आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (ग0आ0सं0 5)
प्रस्तर-5.	कैश-बुक की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में संस्था के जिला निधि खाता सं0-13555 (इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा-नारी शिक्षा निकेतन, कैसरबाग, लखनऊ) में रू0 6,04,352.00 तथा खाता सं0- 353302010816750 (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया -शाखा क्लार्क्स अवध, लखनऊ) में रू0 11,18,757.00 मात्र ब्याज प्राप्त हुआ है। वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज रू0 17,23,109.00 को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के व्यय कर लिया गया है। ब्याज भी राजकीय अनुदान है, जिसे राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए था, किन्तु संस्था द्वारा वापस न करते हुए व्यय कर लिया गया है। इस अनियमितता हेतु तात्कालिक अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री रविशंकर मिश्रा पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.03.2013 को कैशबुक में ब्याज से आय रू0 8,22,407.00 और अंकित है किन्तु इसके सम्बन्ध में कुछ भी लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया एवं नही कैशबुक में कोई विवरण अंकित है। (ग0आ0सं0 6)
प्रस्तर-6.	प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि जिलाधिकारी/प्रशासक के कैम्प कार्यालय हेतु प्रमाणक सं0-23 चेक सं0-137511 दिनांक 02.02.2013 द्वारा मेसर्स न्यू इमाम अली एन्ड सन्स, लाटूश रोड लखनऊ को उनके बिल सं0 02/87 दिनांक 22.01.2013 के क्रम में 30 अदद कुर्सियों का मूल्य रू0 34500.00 का भुगतान किया गया है। प्रमाणक के साथ प्रशासक कार्यालय हेतु कुर्सियों के क्रय हेतु मांग पत्र संलग्न नहीं पाया गया। संस्था की मृत स्कन्ध पंजिका में उक्त 30 कुर्सियों का अंकन नहीं पाया गया। अतः क्रय की गई कुर्सियाँ पूर्णतया अनियमित रहीं। जिसकी वसूली तात्कालिक अपर मुख्य अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह, वित्तीय परामर्शदाता श्री रविशंकर मिश्रा तथा नाजिर श्री राजेन्द्र से की जानी अपेक्षित है। (ग0आ0सं0 7)
प्रस्तर-7.	प्रमाणक सं0-69 चेक सं0-137560 दिनांक 18.03.2013 द्वारा श्री अशोक सिंह अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता रू0 8171- का भुगतान किया गया है। प्रमाणक के साथ संलग्न आदेश में स्थानान्तरण जनहित में किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः श्री अशोक सिंह, अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता रू0 8171.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है। (ग0आ0सं0 8-क) ख- प्रमाणक सं0-70 दिनांक 18.03.2013 द्वारा श्री के0के0 भास्कर अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा रू0 10408- का भुगतान किया गया है। प्रमाणक के साथ संलग्न आदेश में स्थानान्तरण जनहित में किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः श्री के0के0 भास्कर, अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता रू0 10,408.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है। ((ग0आ0सं0 8-ख)
प्रस्तर-8.	वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि कैश बुक के अनुसार दिनांक 30.03.2013 को निर्गत चेक संख्या 880466 दिनांक 31.07.2012 रू0 45037.00 निरस्त कर आय में

	अंकित किया गया जबकि निर्गत चेक का माह जुलाई/अगस्त 12 के व्यय पक्ष में कोई विवरण अंकित नहीं है। अतः दिनांक 30.03.2013 को चेक निरस्त कर पकड़ी गयी आय पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं फर्जी रहा इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे है। (ग0आ0सं0 9)												
प्रस्तर-9.	दिनांक 30.03.2013 को राजवित्त की मद में रू0 90696 तथा तेरहवें वित्त की मद में रू0 43134 विवरणहीन आय अंकित की गयी है। जो फर्जी प्रतीत होती है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।(ग0आ0सं0 10)												
प्रस्तर-10.	प्रमाणको की जाँच में पाया गया कि प्रमाणक संख्या-82 दिनांक 22.03.13 चेक सं0 137565 द्वारा माह सितम्बर 12 से फरवरी 13 तक विद्युत से संबन्धित मरम्मत कार्यों के व्यय की प्रतिपूर्ति रू0 10200.00 का भुगतान श्री सत्य प्रकाश दुबे द्वारा किया गया है। प्रमाणक के साथ संलग्न व्ययों के संबन्ध में संबन्धित अनुभागों / प्रभारियों द्वारा इन्डेन्ट तथा सन्तोषजनक रूप से कार्य का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। संलग्न रसीदों में क्रम सं0-04 पर अंकित श्री रामचन्द्र की रसीद दिनांक 05.02.2012 रू0 600 मात्र बिल में अंकित है। किन्तु रसीद में श्री रामचन्द्र द्वारा दिनांक 05.10.12 अंकित किया गया है जिससे सन्देह की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः किया गया भुगतान फर्जी प्रतीत होता है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।												
प्रस्तर-11.	संस्था मे बिजली मरम्मत पर विभिन्न कर्मचारियों को हुए व्यय की प्रतिपूर्ति श्री सत्य प्रकाश दुबे, अवर अभियन्ता को निम्नानुसार भुगतान किया गया है। भुगतान की रसीदों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या-क्या कार्य तथा कहाँ-कहाँ कार्य कराया गया है। कार्य की औचित्यता भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस प्रकार का व्यय निम्नानुसार किया गया है:- <table><tr><td>क्र0सं0</td><td>प्रमा0सं0/तिथि</td><td>चेक सं0</td><td>धनराशि</td></tr><tr><td>1.</td><td>42 / 18.05.12</td><td>875200</td><td>6200.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>28 / 13.09.13</td><td>880492</td><td>7300.00</td></tr></table> उक्त व्यय आधारहीन तथा तथ्यहीन होने के कारण अपुष्ट एवं अनियमित रहा। जिसकी वसूली श्री सत्य प्रकाश दुबे अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।(ग0आ0सं0 12)	क्र0सं0	प्रमा0सं0/तिथि	चेक सं0	धनराशि	1.	42 / 18.05.12	875200	6200.00	2.	28 / 13.09.13	880492	7300.00
क्र0सं0	प्रमा0सं0/तिथि	चेक सं0	धनराशि										
1.	42 / 18.05.12	875200	6200.00										
2.	28 / 13.09.13	880492	7300.00										
प्रस्तर-12.	संस्था के हड्डी चमड़ा (पशु शव निस्तारण) रजिस्टर 2012-13 के अनुसार दिनांक 01.04.2012 को संस्था का बकाया रू0 53,77,003.00 दर्शित है, किन्तु गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार बकाया (गत वर्षों का) रू0 53,77,021.00 है। इस प्रकार रू0 18.00 मात्र का अन्तर है। सुधार अपेक्षित है। वर्ष 2012-13 की मांग रू0 25,35,953.00 मात्र है। जिसके सापेक्ष वर्ष में रू0 2382217.00 मात्र तथा गत बकाया के सापेक्ष रू0 4,52,207.00 मात्र कुल रू0 28,34,424.00 मात्र की वसूली हुई है। इस प्रकार वर्षान्त में रू0 50,78,550.00 मात्र वसूली हेतु शेष रहा है। उक्त बकाये की वसूली हेतु संस्था द्वारा ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। उक्त बकाया वर्ष 1971-72 से लेकर वर्ष												

	2011-12 तक का है। बकाये की वसूली में संस्था द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जो कि गम्भीर अनियमितता है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी एवं वी0पी0डी0 उत्तरदायी है। शासन/विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से बकाया की ब्याज सहित वसूली हेतु आकृष्ट किया जाता है।(ग0आ0सं0 13)
प्रस्तर-13.	शासनादेश सं0- 964 / 33-3-2013-100(9) / 2013 दिनांक 29 मार्च 2013 तथा शासनादेश संख्या- 218 / 26-407-2013-100(9) / 2013 दिनांक 31 मार्च 2013 द्वारा भूख मुक्ति एवं जीवनरक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा वृद्ध जनों को एक-एक कम्बल निःशुल्क वितरित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के क्रमशः अनुदान सं0- 14 व 83 में प्राविधानित धनराशि रू0 100-100 करोड़ (कुल 200 करोड़) को स्वीकृत एवं आहरित कर जिला पंचायत लखनऊ के पी0एल0ए0 खाते में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। आहरित धनराशियाँ नियमानुसार कोषागार से आहरित कर जिला पंचायत लखनऊ के पी0एल0ए0 खाते में रखने हेतु प्रेषित की गयी:- (i) क-ट्रेजरी चेक सं0- 516963 दिनांक 30.03.2013 रू0 67.00 करोड़ 67.00 ख- ट्रेजरी चेक सं0- 516964 दिनांक 30.03.2013 रू0 33.00 करोड़ 33.00 कुल 100.00 करोड़ उक्त दोनों चेकें निदेशक पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-3 / 361 / खजांची / 2012-13 दिनांक 01.04.2013 द्वारा जिला पंचायत लखनऊ को प्रेषित की गयी। (ii) क- ट्रेजरी चेक सं0- 519310 दिनांक 31.03.2013 रू0 67.00 करोड़ 67.00 ख- ट्रेजरी चेक सं0- 519311 दिनांक 31.03.2013 रू0 33.00 करोड़ 33.00 कुल योग रू0 100.00 करोड़ उक्त दोनों चेकें निदेशक पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक -3 / 166 / आंकिक / खजांची / 2012-13 लखनऊ दिनांक 02.04.2013 द्वारा जिला पंचायत लखनऊ को प्रेषित की गयी। उक्त समस्त धनराशियों का वित्तीय वर्ष 2012-13 में कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला पंचायत द्वारा सम्पूर्ण धनराशि आहरित कर निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0, लखनऊ को स्थानान्तरित कर दी गयी। इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य/आपत्ति पाई गई:- अ-उक्त धनराशियों का उपयोग किसी भी रूप में जिला पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। शासनादेश निर्गमन से स्वतः ही स्पष्ट है कि धनराशियों का उपयोग जिला पंचायत लखनऊ द्वारा नहीं किया जाना है। ऐसी स्थिति में इस धन को जिला पंचायत लखनऊ के पी0एल0ए0 खाते में रखे जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हुआ है तथा इसमें अनावश्यक रूप से जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त एवं अनावश्यक कार्य तथा अभिलेखों का रखरखाव

	करना पड़ा। ब— चूंकि धनराशि का उपयोग निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा किया जाना है। इस स्थिति में यह धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ के पी०एल०ए० खाते में जमा किया जाना अधिक उचित होता। धनराशि के आहरण एवं पुनः निदेशक पंचायती राज उ०प्र०, लखनऊ को वापस किए जाने में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि भविष्य के व्यय को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं वित्तीय अनुशासन के विपरीत है। इस हेतु निदेशक पंचायती राज उ०प्र०, लखनऊ सर्व श्री मुरलीधर दुबे एवं सौरभ बाबू पूर्णरूपेण उत्तरदायी है। (ग०आ०सं० 14)								
प्रस्तर-14.	निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु जिला पंचायत लखनऊ के पी०एल०ए० खाते में रखी धनराशि में से शासनादेश सं०-581/33-3-2012-100(112)/2004 दिनांक 21.05.2012 द्वारा अलीगंज लखनऊ में बन रहे राज्य स्तरीय पंचायत भवन व प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु रू० 1167.20 लाख (रू० 583.60×2) आहरित कर कार्यदायी संस्था कान्सट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र०, जललिगम लखनऊ को प्रथम किस्त चेक सं०- 060947 दिनांक 07.06.12 द्वारा रू० 583.60 लाख जिला पंचायत लखनऊ के पत्रांक-909/जि०पं०/2012-13 दिनांक 12.06.12 के द्वारा हस्तगत कराया गया। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु रखी धनराशि का व्यय प्रशिक्षण मद में न कर निर्माण कार्यों में व्यय करके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है तथा ससमय धनराशि का उपयोग न कर केवल व्यय दर्शाकर जिला पंचायत लखनऊ के पी०एल०ए० खाते में रखा जाना वित्तीय अनुशासन के विपरीत है। इस हेतु निदेशक पंचायती राज उ०प्र० लखनऊ सर्व श्री मुरलीधर दुबे एवं सौरभ बाबू दोषी है। (ग०आ०सं० 15)								
प्रस्तर-15.	निम्न मदों में प्राप्त धनराशियाँ जिला पंचायत लखनऊ के पी०एल०ए० खाते में विगत वर्षों से अप्रयुक्त जमा पड़ी है। जिनका न तो ससमय तथा अतिथि तक कोई उपयोग नहीं किया गया है:- <table> <tr> <td>क- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-</td><td>रू० 01.400 लाख</td></tr> <tr> <td>ख- ग्राम पंचायतों का पुरस्कार-</td><td>रू० 30.800 लाख</td></tr> <tr> <td>ग- पंचायती राज संस्थाओं की कृत्यशीलता का मूल्यांकन-</td><td>रू० 61.280 लाख</td></tr> <tr> <td>कुल योग</td><td>रू० 93.480 लाख</td></tr> </table> चूंकि विगत वर्षों में उक्त धनराशियाँ राजकीय कोषागार से आहरित कर व्यय दर्शित कर दी गयी है किन्तु लेखा परीक्षा वर्ष तक यह अनुपयोगित धनराशि जिला पंचायत लखनऊ के पी०एल०ए० खाते में जमा रही। अतः वित्तीय अनुशासन के विपरीत कार्य करने हेतु निदेशक पंचायती राज , उ०प्र० लखनऊ सर्वश्री मुरलीधर दुबे एवं सौरभ बाबू पूर्ण रूपेण दोषी रहे। (ग०आ०सं० 16)	क- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-	रू० 01.400 लाख	ख- ग्राम पंचायतों का पुरस्कार-	रू० 30.800 लाख	ग- पंचायती राज संस्थाओं की कृत्यशीलता का मूल्यांकन-	रू० 61.280 लाख	कुल योग	रू० 93.480 लाख
क- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-	रू० 01.400 लाख								
ख- ग्राम पंचायतों का पुरस्कार-	रू० 30.800 लाख								
ग- पंचायती राज संस्थाओं की कृत्यशीलता का मूल्यांकन-	रू० 61.280 लाख								
कुल योग	रू० 93.480 लाख								

जनपद का नाम – सीतापुर

जिला पंचायत – सीतापुर

प्रस्तर 1. दिनांक: 08.08.2011 को रोकड़ वही में लाइसेन्स शुल्क मद अन्तर्गत बा0सं0 29 द्वारा 1,370.00 की प्राप्ति चालान द्वारा अंकित की गयी है, परन्तु चालान पर बैंक की प्राप्ति रू0 370.00 अंकित है। अन्तर रू0 1,000.00 कम जमा दर्शित रहा, जिसको पुष्टि बैंक प्रमाण पत्र प्राप्त कर कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित जमाकर्ता कर्मचारी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 2. दिनांक 13.01.2012 को रोकड़ वही में असाधारण तथा ऋण मद अन्तर्गत रू0 36000.00 की प्राप्ति अंकित की गयी है परन्तु पुष्टि में चालान पर बैंक कैशियर द्वारा रू0 3600.00 की प्राप्ति अंकित की गयी है। अन्तर रू0 32400.00 बैंक में कम जमा दर्शित रहा, जिसकी पुष्टि बैंक प्रमाण पत्र प्राप्त कर कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित जमाकर्ता कर्मचारी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 3. दिनांक 18.02.2012 को रोकड़ वही में बा0सं0 50 द्वारा रू0 3800.00 प्राप्त दर्शित किया गया है। परन्तु पुष्टि हेतु जमा चालान पर रू0 3000.00 ही प्राप्त की पुष्टि होती है। अन्तर रू0 800.00 कम जमा दर्शित रहा, जिसकी पुष्टि बैंक प्रमाण पत्र प्राप्त कर कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित जमाकर्ता कर्मचारी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 4. माँग वसूली व बकाया पंजिका काजीहाउस (पौण्ड) वर्ष 2011–12 में अंकित विवरण के अनुसार वर्ष की मांग (बकाया छोड़कर) रू0 169830.00 की पूर्ण वसूली अंकित है अर्थात् चालू वर्ष की कोई भी धनराशि वसूली हेतु शेष नहीं है। रोकड़ बही/वर्गीकृत सार पंजिका में वर्ष 2011–12 में पौण्ड मद अन्तर्गत कुल वसूली रू0 138254.00 अंकित है, जिसमें से वर्ष 2012–13 की वसूली रू0 51,100.00 को घटाने व वर्ष 2011–12 की वसूली जो वर्ष 2012–13 में रू0 1,10,950.00 हुयी थी को जोड़ने पर रू0 1,98,104.00 वर्ष 2011–12 की शुद्ध वसूली होती है। इस प्रकार रोकड़ बही/वसूली पंजिका अनुसार रू0 1,69,830.00 ही अंकित है। इस प्रकार रोकड़ बही/वर्गीकृत सार पंजिका व मांग वसूली पंजिका के मध्य रू0 28274.00 का अन्तर रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं। वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 5. अनुदान रजिस्टर बारहवां व तेरहवां वित्त आयोग वर्ष 2011-12 दिनांक 26.04.2011 को बाउचर संख्या 43 द्वारा रू० 8,00,000.00 का अनुदान पुलिस लाइन चौराहा से श्री राम मार्वल तक डमरीकरण कार्य घटाया गया है। जबकि गार्ड फाइल में ऐसा कोई प्रमाणक संलग्न नहीं है, तथा कैशबुक में भी कोई व्यय अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त अनुदान फर्जी घटाया गया है। अतः इस प्रति वसूली की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 6. वर्ष 2011-12 के पशु बाजारों की माँग वसूली व बकाया पंजिका की जाँच करने पर प्रकाश में आया कि रू० 12,08,085.00 गत वर्षों का बकाया था, जिसमें से मात्र रू० 3000.00 की वसूली चालू वर्ष में की गयी। शेष रू० 1205085.00 की वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये हैं। आलोच्य वर्ष 2011-12 में कमल किशोर सिंह पुत्र इन्द्र विक्रम सिंह को पशु बाजार खैराबाद का ठेका रू० 570,000.00 में दिया गया था, जिसके सापेक्ष रू० 281,500.00 ही वसूल किये गये, जबकि नियमानुसार पूर्ण धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही ठेके का आदेश दिया जाना चाहिए था। अतः अन्तर रू० 288,500.00 वसूली न करने हेतु तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती/अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता जिम्मेदार रहे अतः रू० 12,05,085.00 गत वर्षों की बकाया एवं रू० 288500.00 चालू वर्ष का अर्थात् कुल रू० 14,93,585.00 की वसूली शीघ्र की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०स०	नाम	पिता का नाम	निवासी	धनराशि
1	लुकमान खॉ	अमरुद्दीन	चकजोगी, लहरपुर	3.35.000.00
2	बी० डी० खॉ	अमरुद्दीन	चकजोगी, लहरपुर	45.000.00
3	शहनशाह अली	इकबाल अली	चकजोगी, लहरपुर	100.00
4	रिजवान अहमद	फराहीन	बटसगंज, सीतापुर	4.71.00.00

5	अब्दुल मोईद	अब्दुल मोबीन	इन्दिरा नगर, लहरपुर	3,47,000.00
6	अनूप कुमार	भगौती प्रसाद	सरांय पित्थू हरगांव	6,985.00
7	कमल किशोर सिंह	इन्द्र विक्रम सिंह	हेमपुर,पो0 बेरीकला	2,88,500.00
	योग			14,93,585.00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 7. जिले के विभिन्न स्थानों पर जिला पंचायत सीतापुर के भवन एवं दुकान जो किराये पर दिये गये हैं जिन पर दिनांक 31.03.2012 को रु0 17.90 लाख किराया बकाया है जिसका पूर्ण विवरण बकाया पंजिका में देखा जा सकता है। जिसकी वसूली नहीं की जा रही है। जिससे जिला पंचायत को प्रतिवर्ष क्षति हो रही है। दुकान किराया मांग वसूली एवं बकाया रजिस्टर के अनुसार बड़े बकायेदारों का विवरण निम्न प्रकार है:—

(क)	निरीक्षण गृह हरगाँव				
क्रमांक	दुकान	नाम दुकानदार	पिछला बकाया	वर्ष की बकाया	कुल बकाया
1	3	श्री दिनेश कुमार	21609.00	4320.00	25929.00
2	1	श्री मो0 दीन	17250.00		12650.00
3	12	श्री करीम बक्श	1222.400	820.00	13044.00
4	15	श्री रघुनाथ	9120.00	1820.00	10940.00
5	13	श्री हसमत अली	12260.00		10580.00
6	16	श्री रामकिशोर	16180.00		10428.00
7	29	श्री सीताराम	10340.00		13660.00
8	35	श्री			18023.00
(ख)	बोर्डिंग हाउस हरगाँव				
1	10	श्री राजेश कुमार	10662.00	— 744.00	9918.00
(ग)	डाक बंगला हरगाँव				

1	1	प्रभारी अधिकारी टाउन एरिया हरगौव	33300.00	4500.00	37800.00
2	4	शाखा प्रबन्धक भागीरथ ग्रामीण बैंक	21244.00	3938.00	25182.00
(घ)	बोर्डिंग हाउस मिश्रिख				
1	4	श्री बृज बिहारी	9900.00	1200.00	11100.00
2	5	श्री श्याम बिहारी	9900.00	1200.00	11100.00
3	6	श्रीमती राजेश्वरी	20123.00	1200.00	21323.00
(च)	कटरा बाजार महमूदाबाद				
1	1	हृदय नारायण अवस्थी	22500.00	1500.00	24000.00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 8. दिनांक 28.04.2012 को जिला पंचायत की भार मरम्मत के भुगतान में निम्न प्रकार दर्शित है —

A- भार संख्या UP 34 R 9000- बाउचर सं. 54 चेक सं. 300100 — रू० 3787 =00

B- भार संख्या UP 34 J 5000- बाउचर सं. 55 चेक सं. 300101 — रू० 3687 =00

C- भार संख्या UP 34 R 9000- बाउचर सं. 56 चेक सं. 300101 — रू० 4555 =00

D- कार्यालय डीजल - बाउचर सं. 55 चेक सं. 300101 — रू० 2169 =00

उपरोक्त भुगतानों के निम्न कमियाँ पाई गई—

1. क्रम सं० A के भुगतान के सम्बन्ध में चेक सं० 300100 रू० 3787=00 दिनांक 28.04. 2012 प्रमाणकों के साथ संलग्न पाई गई, यह भुगतान किस प्रकार संभव हुआ स्पष्ट किया जाय।

2. क्र०सं० B के भुगतान के सम्बन्ध में बिल के साथ संलग्न कैश मेमो का क्रमांक 698,699 लगातार क्रम के संलग्न पाये गये, जबकि कैश मेमो पर अंकित तिथियाँ 12.04.2012 व 15.04.2012 अंकित पाई गई, यह कैसे संभव हुआ, स्पष्ट किया जाय।

3. क्र०सं० C के भुगतान के सम्बन्ध में संलग्न बिल के साथ के संलग्न कैश मेमो क्रमांक 252, 253, 254 लगातार क्रम में संलग्न है; जबकि तिथियाँ 4.04.2012, 09.04.2012, 14.04.2012 कैश मेमो अंकित पाई गई। यह किस प्रकार संभव हुआ, साथ ही यह भुगतान नकद किया गया है जबकि भुगतान चेक से किया जाना चाहिए।

4. क्र० B, C, D के भुगतान हेतु एक वर्ष ही चेक सं० 300101 निर्गत की गई है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 9. दिनांक— 17.11.2011 को आकस्मिक व्यय मद अन्तर्गत बाउचर संख्या 51 व 52 द्वारा क्रमशः रु० 1475.00 व रु० 4738.00 फोटो स्टेट पर व्यय का भुगतान दर्शित किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु बिल व कार्यालय द्वारा जारी पर्ची संलग्न न थीं जिससे दर्शित भुगतान की पुष्टि न हो सकी। उक्त की पूर्ति कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित होगी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 10. उ०प्र० शासन पत्र संख्या 2967(1)/23.02.2002— 15बी(4)/02 दिनांक 09.10.2002 के अनुसार जिला पंचायत को मृत पशु शव निस्तारण से हुयी आय का आधा भाग ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। परन्तु जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2011—12 में हुयी आय रु० 33.93 लाख आधा भाग रु० 16.965 लाख पंचायतों को नहीं दिया गया है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 11. मृत पशु निस्तारण के उप नियम के प्रस्तर— 3 के अनुसार मृत पशु की खाल उतारने पर रू0 5.00 वार्षिक प्रति ग्राम सभा की दर से फीस के रूप में प्राप्त करनी थी। जो प्राप्त न करने के कारण 1326 ग्राम पंचायतों पर रू0 5.00 की दर से रू0 6630.00 की क्षति जिला पंचायत को वर्ष 2011—12 में पहुँचायी गयी जिस प्रति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 12. पंचायती राज अनुभाग— 3 के शासनादेश संख्या 1050/33-3-2002-153/98 टी0सी0 दिनांक— 23.08.2002 जो अन्य पक्षों सहित उत्तर प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी को पृष्ठांकित है के बिन्दु— 2 अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अन्तरित धनराशि मात्र जिला पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु चिन्हित नहीं है। अतः जिन जिला पंचायतों में अपने संसाधन उपलब्ध हैं और उनकी आय से बचतें हो रही हैं। उन्हें प्रथम दृष्टिया वेतन एवं एरियर का भुगतान उन बचतों से करना चाहिए। जारी निर्देश का पालन न करके जिला पंचायत की अपनी राशि की बचत धनराशि उपलब्ध होते हुये राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन व एरियर का भुगतान कर शासनदेश के निर्देशों की अवहेलना तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी द्वारा की गयी है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 13. व्यय प्रमाणकों वर्ष 2011—12 की जाँच करने पर पाया गया कि प्रमाणकों पर अनुदान का नाम अंकित नहीं किया गया है कि भुगतान राज्यवित्त, बारहवाँ वित्त, तेरहवाँ वित्त, जिला निधि से किया गया है। कैशबुक के निर्धारित कालम में भी अनुदान का नाम अथवा शीर्ष खातों का नाम अंकित नहीं किया गया है। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है अब अनुदान का नाम अथवा शीर्ष खाते का नाम अंकित किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर. 14 दिनांक 20.04.2011 को बाउचर संख्या 23 द्वारा रू0 8.176.00 भुगतान मै0 कमल इलेक्ट्रिकल्स ट्रान्सपोर्ट चौराहा सीतापुर को सी0एफ0एल0 लाइट क्रय जाना बावल किया गया

है। परन्तु प्रमाणक पर टिन नम्बर, पैन नम्बर आदि विवरण अंकित नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट होता है। कि समान अधिकृत विक्रेता से क्रय नहीं किया गया है। जिससे कि गया भुगतान नियमानुसार नहीं है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर. 15 दिनांक 01.06.2011 को बाउचर संख्या 10 द्वारा रू० 11,5313.00 का भुगतान आयसर जेनेरेटर में डीजल भारवाने का दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में बिल रू० 3.573.00 का संलग्न है। अन्तर रू० 7.940.00 बिल संलग्न नहीं है। जिससे दर्शित भुगतान व क्रय जाय डीजल की मात्रा अपुष्ट रही बिल प्रस्तुत कर भुगतान व डीजल मात्रा की पुष्टि करायी जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित होगी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 16. दिनांक 30.07.2011 कोरू० 34291.00 का भुगतान श्री राम जीवन श्री स्व० दुलारे को चेक सं० 19535 दि० 31.03.2011 मु० 177634.00 का अवशेष धन चेक सं० 005491 द्वारा भुगतान दर्शित है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक न था। इससे दर्शित भुगतान अनियमित रहा। अब प्रमाणक संलग्न पुष्टि करायी जाय।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 17. दिनांक 01.06.2011 को बाउचर संख्या 01 द्वारा रू० 25000.00 का भुगतान श्री निरंकार को पशु बाजार लहरपुर की भूमि का किराया का दर्शित है। पुष्टि हेतु धन प्राप्ति रसीद संलग्न न थी तथा किराये की अवधि व किराया नामा भी संलग्न नहीं पाया गया अतः किया भुगतान अनियमित रहा उक्त कर्मियों की पूर्ति कर पुष्टि करायी जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित होगी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 18. दिनांक 07.06.2011 को बाउचर संख्या 39 द्वारा रू0 1767.00 का भुगतान श्री शिवमोहन पुत्र हरद्वारी को दिनांक 01.03.2011 से 31.03.2011 तक 31 दिन का दर रू0 57.00 प्रतिदिन से मास्टर रोल द्वारा भुगतान किया गया है। परन्तु मास्टर रोल पर 04 रविवार और 04 राजकीय अवकाश अंकित हैं इन दिवसों की मजदूरी का भुगतान किया गया है। अतः रविवार व राजकीय अवकाश के दिवसों की मजदूरी भुगतान की पुष्टि हेतु शासनादेश की प्रति संलग्न कर पुष्टि करायी जाय।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 19. दिनांक 13.07.2010 को बा0सं0 1, 2 व 3 द्वारा इलाहबाद बैंक लालबाग में निम्न चेक द्वारा चालान जमा किये गये हैं। परन्तु सामान्य रोकड़ वही पर उक्त की प्रविष्टि दिनांक 18.04.2011 को अंकित की गयी हैं अतः विलम्ब से अंकित किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0सं0	चेक संख्या / दिनांक	धनराशि	विवरण
1	0015332 / 9.07.2010	3.000.00	डी0सी0बी0 से किरया प्राप्त
2	0163453 / 08.07.2010	2.400.00	टोकन फाइन
3	0163446 / 30.06.2010	1.400.00	टोकन फाइन

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 20. दिनांक 29.04.2011 रोकड़ वही में बा0सं0 112 द्वारा रू0 150.00 लाइसेन्स शुल्क वसूल किया गया है। जिसे सी0पी0 टैक्स शीर्ष मद अन्तर्गत अंकित किया गया है। जबकि लाइसेन्स शुल्क मद अन्तर्गत अंकित किया जाना चाहिए था अब आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 21. दिनांक 29.04.2011 को बा0सं0 139 द्वारा रू0 9.700.00 जमानत हड्डी चमड़ा शीर्ष मद अर्न्तगत अंकित किया गया है। जबकि संलग्न चालान पर पेड नीलमी से प्राप्त धन अंकित है। जिसे सम्पत्ति से आय मद अर्न्तगत अंकित किया जाना चाहिए था। अब आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 22. दिनांक 29.04.2011 को बा0सं0 142 द्वारा रू0 2.330.00 सी0पी0 टैक्स से प्राप्त दर्शित है। परन्तु रोकड़ वही पर उक्त धनराशि को लाइसेन्स शुल्क मद अर्न्तगत दर्शित किया गया है। अब आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 23. रोकड़ वही में शीर्ष मदों के योग कच्ची पेंसिल द्वारा अंकित किये गये है। तथा वर्गीकृत सार पंजिका का पृष्ठ संख्या भी अंकित नहीं किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है। कि अभिलेखों को नियमानुसार तैयार नहीं किया जा रहा है। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 24. दिनांक 01.07.2011 रोकड़ वही में बा0सं0 11 द्वारा रू0 450.00 सी0पी0 टैक्स की प्राप्ति अंकित की गयी है। जबकि बैंक द्वारा चालान पर रू0 4500.00 प्राप्त अंकित किया गया है। अन्तर रू0 4050.00 के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा वसूली अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 25. दिनांक 25.07.2011 को रोकड़ वही पर प्रकीर्ण मद अर्न्तगत रू 34.291.00 की प्राप्ति अंकित कि गयी है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक गार्ड फाइल में चस्पा नहीं पाया गया। चालान की प्रति चस्पा कर प्राप्ति की पुष्टि करायी जाय।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 26. दिनांक 30.06.2011 को रोकड़ वही में ब्याज मद अंतर्गत निम्न आय दर्शित है। जिसकी पुष्टि हेतु बैंक एडवाइस अथवा बैंक पासबुक फोटो कापी संलग्न न थी। अतः प्राप्त धनराशि की पुष्टि अपेक्षित है। 16.875.00, 16.875.00, 8.166.00, 40.00 64.234.00 एवं 64.234.00 इत्यादि।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 27. दिनांक 30.06.2011 को रोकड़ वही पर मनरेगा अनुदान से आय रु 7.96.500.00 अंकित है। जिसकी पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया। शासकीय आदेश संलग्न कर पुष्टि करायी जाय।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 28. कतिपय बैंक में जमा धन के चालानों पर प्राप्त धनराशि अंकित कर बैंक कैशियर / शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर अंकित नहीं पाये गये जिससे चालानों के प्रमाणित होने की पुष्टि न हो सकी। अब हस्ताक्षर अंकित कराकर पुष्टि करायी जाय। उदा० स्वरूप निम्न चालानों को देखा जा सकता है।

क्र०सं०	दिनांक	बाउचर संख्या
1	18.10.2011	98 से 113 तक
2	17.01.2012	180 से 187 तक
3	03.02.2012	23, 30 से 33 तक 36 से 39 तक
4	03.03.2012	48 से 52 तक
5	13.01.2012	64, 81, 82 आदि

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 29. दिनांक 30.07.2011 को रोकड़ वही में मनरेगा मद अनुदान रू0 7.96.500.00 प्राप्त दर्शित किया गया है। प्राप्ति का विवरण आदेश संख्या/दिनांक, चेक संख्या /दिनांक आदि विवरण अंकित नहीं किया गया है। पूर्ण विवरण अंकित किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 30. दिनांक 25.07.2011 को रोकड़ बही पर अन्त्योद्य मद अन्तर्गत रू0 1.000.64 व दिनांक 31.10.2011 को रू0 75.500.00 (10.000+60.000+5.500) की प्राप्ति अंकित की गयी है। परन्तु वसूली की रसीद /चेक का विवरण अंकित नहीं किया गया है। जिससे प्राप्त धनराशि किससे वसूल हुई की स्थिति अज्ञात रही विवरण अंकित किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 31. दिनांक 29.03.2012 को रोकड़ बही रू 500.00 की आदमनी चेक संख्या 370776 दिनांक 14.12.2011 द्वारा होना अंकित है। चेक बैंक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न था आमदनी का शीर्ष मद भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त विवरण अंकित किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 32. दिनांक 27.01.2012 को रोकड़ बही पर प्रकीर्ण मद अन्तर्गत निम्न चेकों द्वारा आय दर्शित की गयी है। जिसकी पुष्टि हेतु चेक बैंक में जमा के प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न थे धनराशि के बैंक खातों में क्रेडिट होनी की पुष्टि न हो सकी। बैंक जमा प्रमाणक प्रस्तुत कर धन जमा होने की पुष्टि करायी जाय विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	चेक संख्या	धनराशि
1	129523	1,000.00
2	129527	500.00
3	— —	31,233.00
4	858220	2,869.00
5	858222	2,458.00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 33. वर्गीकृत सार पंजिका के अन्तर्गत लाइसेन्स शुल्क मद अन्तर्गत दिनांक 29.04.2011 को बा०स० 140 से 92 तक की आय रू० 5,280.00 अंकित की गयी है जबकि रू० 2950.00 अंकित किया जाना चाहिए था। अन्तर रू० 2330.00 को सी०पी० टैक्स मद अन्तर्गत दर्शित किया जाना चाहिए था अब आवश्यक सुधार किया जाय।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 34. दिनांक 18.04.2011 को बा०स० 20 व 21 द्वारा क्रमशः रू० 3.02.500.00 व रू० 6,60.000.00 का भुगतान मै० अक्षय ज्योति एनर्जी प्रा०लि० को राज्य वित्त मद से किया गया है। परन्तु उक्त धनराशि को अनुदान पंजिका पर अंकित नहीं किया गया है। अतः धनराशियों को अनुदान पंजिका में घटाये न जाने का कारण अंकित करते हुए वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 35. दि० 26-04-2011 को वा० स० 46 द्वारा सुरेन्द्र कुमार वर्मा को रू० 58700.00 का भुगतान करना दर्शित हैं। जिसे अनुदान पंजिका पर अंकित नहीं किया गया है अंकित न करने का कारण स्पष्ट किया जाय। उक्त से स्पष्ट है कि अनुदान पंजिका त्रुटि पूर्ण तैयार की जा रही है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 36. काजीहाउस की मॉग वसूली व बकाया पंजिका की जाँच करने पर प्रकाश में आया कि पंजिका पर सम्बन्धित कर्मचारी व कर अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं पाये गये अब अंकित किये जाने अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 37. काजीहाउस (पौण्ड) की माँग वसूली व बकाया पंजिका की जांच में पाया गया कि वर्ष की चालू मांग ₹ 1,66,530.00 व वसूली ₹ 1,66,530.00 दर्शित हैं। जबकि माँग वसूली पंजिका के योग की जाँच करने पर चालू माँग ₹ 1,69,830 व वसूली का योग ₹ 1,69,830.00 होता है। इस प्रकार चालू माँग में ₹ 3,300.00 व वसूली में ₹ 3,300.00 का अन्तर रहा है। इससे स्पष्ट है कि माँग वसूली बकाया पंजिका त्रुटिपूर्ण तैयार की गयी है जिसमें आवश्यक सुधार अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर-38. मांग वसूली व बकाया पंजिका काजीहाउस (पौण्ड) वर्ष 201-12 में अंकित विवरण के अनुसार वर्ष की मांग (बकाया छोड़कर) ₹ 1,69,830.00 की पूर्ण वसूली अंकित है। अर्थात् चालू वर्ष की कोई भी धनराशि वसूली हेतु शेष नहीं है। रोकड़ बही/वर्गीकृत सार पंजिका में वर्ष 2011-12 में पौण्ड मद अन्तर्गत कुल वसूली ₹ 1,38,254.00 अंकित है। जिसमें से वर्ष 2012-13 की वसूली ₹ 51,100.00 को घटाने व वर्ष 2011-12 की वसूली जो वर्ष 2010-11 में ₹ 1,10,950.00 हुयी थी, को जोड़ने पर ₹ 1,98,104.00 वर्ष 2011-12 की शुद्ध वसूली होती है। जबकि मांग वसूली पंजिका अनुसार ₹ 1,69,830.00 ही अंकित है। इस प्रकार रोकड़ बही/ वर्गीकृत सार पंजिका व मांग वसूली पंजिका के मध्य ₹ 28,274.00 का अन्तर रहा। जिसे खोजकर दूर किया जाना अपेक्षित है।

पौण्ड नीलामी वर्ष 2011-12 धनराशि जो वर्ष 2010-11 की रोकड़ बही में वसूली अंकित है।		पौण्ड नीलामी वर्ष 2011-13 धनराशि जो वर्ष 2011-12 की रोकड़ बही में वसूली अंकित है।	
11.03.2011	24000.00	936685	3500.00
25.03.2011	27100.00	936687	2300.00
04.03.2011	99800.00	936696	4000.00
		925440	1200.00
		925432	21000.00
			19100.00
		योग	51100.00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 39. दिनांक 26-04-2011 को बाउचर संख्या 52 रू0 3.34.800.00 का भुगतान ठेकेदार श्री अविनाश कुमार सिंह को 92000 ईट अपूर्ति (क्रय) का मनरेगा अनुदान से किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त धनराशि को मनरेगा अनुदान में घटाया नहीं गया है। अतः उक्त व्यय को किस मद में घटाया गया है। स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 40. दिनांक 28.03.2012 को रोकड़ बही पर रसीद संख्या 5254404 द्वारा रू0 1,00,000 जमानत पासबुक की प्राप्ति दर्शित है। जिसे वर्गीकृतसार पंजिका में पशुबाजार मद अर्न्तगत दर्शित किया गया है। जबकि नियमानुसार असाधारण तथा ऋण जमा राशियाँ/जमानत मद अर्न्तगत अंकित किया जाना चाहिए था अब आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 41. कैशबुक से वर्गीकृतसार पंजिका मिलान करने पर पर प्रकाश में आया कि हड्डी चमड़ा मद अर्न्तगत नीलामी व बकाया वसूली की धनराशि के अतिरिक्त जमानत की धनराशि को भी उक्त मद अर्न्तगत दर्शित किया गया है। जबकि जमानत की धनराशि को जमानत मद अथवा असाधारण तथा ऋण मद अर्न्तगत दर्शित किया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी0 के0 गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 42. दिनांक 14.12.2011 को बाउचर सं0 92, 93 व 94 द्वारा क्रमशः रू0 18000.00, 16500.00 व रू0 13500.00 का भुगतान क्रमशः 60, 57 व 55 सदस्यों को दिनांक 12.09.2011, 26.03.2011 व 14.01.2012 की बैठकों में भाग लेने का नियत यात्रा भत्ता का भुगतान चेक संख्या 370811 से रू0 48000.00 का भुगतान दर्शित है। चेक अपर मुख्य अधिकारी सीतापुर के नाम से निर्गत किया गया है, पुष्टि हेतु सदस्यों की सूची व प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में उपलब्ध न थी तथा सम्बन्धित सदस्यों के खातों में धनराशि ट्रान्सफर करने की एडवाइस भी

संलग्न न थी। जिससे दर्शित भुगतान अपुष्ट रहा। अब रसीदों को प्राप्त कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 43. दिनांक 14.06.2011 को बाउचर सं० 13 द्वारा चेक संख्या 176798 से रू० 6,15,365.00 का भुगतान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० लखनऊ को किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु बिल व धन प्राप्ति रसीद व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न न थी। अब प्राप्त कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उक्त भुगतान दर रू० 43971.61 प्रति मीट्रिक टन व वैट 13.50 प्रतिशत रू० 5936.17 कुल रू० 49,907.78 प्रति मीट्रिक टन से मैक्सफाल्ट क्रय करने हेतु किया गया है। मैक्सफाल्ट स्टोक पंजिका भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध न थी जिससे स्टोक प्राप्त की स्थिति अज्ञात रही। उक्त की पूर्ति कर भुगतान की पुष्टि अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 44. दिनांक 07.12.2011 को बाउचर सं० 03 चेक संख्या 020605 द्वारा रू० 600000.00 का भुगतान परियोजना प्रबन्ध इकाई बी०आर०जी०एफ० सीतापुर को ग्राम पंचायत सचिवालय निर्माण योजना निरस्त होने पर धन वापस करना दर्शित है। उक्त प्रकार ही दिनांक 26.12.2011 को बाउचर सं० 34 चेक संख्या 020620 द्वारा रू० 860670.00 का भुगतान किया गया है। उक्त दोनो भुगतानों की प्राप्ति रसीद संलग्न न थी। अब प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाय।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री पी० के० गुप्ता व तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा भारती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

जिला पंचायत- उन्नाव

प्रस्तर-1	स्वीकृत बजट 2012-13 में प्रावधानित आय 125-700 लाख (15 लाख जिला निधि में अर्जित ब्याज घटाकर) के सापेक्ष मात्र 107-104 लाख ही वास्तविक आय निजी स्रोतों से हुई इस प्रकार उपलब्धि मात्र 85.21 प्रतिशत रही जो कि कम है। अतः शत प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जायें। इसी प्रकार बजट के अनुसार स्वीकृत व्यय 178.15 लाख के विरुद्ध 123.06 लाख व्यय निजी स्रोतों से एवं 64.781 लाख राज्य वित्त अनुदान से अर्थात् 187.539 लाख व्यय वेतन, भत्तों, पेंशन एवं कार्यालय व्यय किया गया जो कि इस प्रकार स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गयी राशि 9-689 लाख अनियमित रही। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रस्तर-2	पुनरीक्षित बजट वर्ष 2012-13 की स्वीकृत के अनुसार प्रस्तावित आय 140.700 लाख के सापेक्ष 178.15 के व्यय अर्थात् 37.45 लाख व्यय अधिक स्वीकृत किये गये हैं जिसकी प्रतिपूर्ति शासकीय अनुदान से की जायेगी जबकि राज्य वित्त अनुदान से वास्तविक प्रतिपूर्ति 64.781 लाख की गयी। इस प्रकार 27.331 लाख की अधिक व्यय की गयी धनराशि स्वीकृति के अभाव में अनियमित रही। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रस्तर-3	दिनांक- 31.03.2013 को कमशः अन्त्योदय योजना अन्तर्गत रु0 72.056 लाख स्थानीय विकास योजना में 1.289 लाख और स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के 21.592 लाख ऋण व ब्याज सहित बकाया गत वर्षों से दर्शित है जिसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त पावना की पुष्टि में ऋण धारकों के खाते आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रस्तर-4	जिला पंचायत के कर्मचारियों/अधिकारियों पर अस्थायी अग्रिम का पावना रु0 115012.00 विगत वर्षों के यथावत दर्शित है उसका कर्मचारीवार कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसे बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव पारित कर स्वीकृत हेतु शासन/आयुक्त महोदय को भेजा गया है। इसे बट्टे खाते में डालने हेतु पारित प्रस्ताव के बकाया धनराशि की सूची प्रस्तुत नहीं की गयी। अवगत कराया गया कि बट्टे खाते की धनराशि वर्ष 1959.90 से 1975.76 की अवधि की है। इस पुराने बकाये की वसूली अथवा समायोजन न होने से जिला पंचायत को आर्थिक क्षत हो रही है। अतः वसूली अथवा समायोजन की कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रस्तर-5	आलोच्य वर्ष में राजकीय अनुदानों से सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर रु0 714.014 लाख व्यय किये गये परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में सार्वजनिक निर्माण कार्य का रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में जिला पंचायत द्वारा कराये गये कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये, अथवा अपूर्ण रह आदि की जाँच व पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके अभाव में कराये गये कार्यों में अनियमितताओं की सम्भावना बनी रही। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6	विनियोजन रजि० के अनुसार विगत वर्षों के रू० 20000.00 उ०प्र० पंचायत राज निगम में अंशों के रूप में निवेश किये गये थे जिसकी पुष्टि में अंश प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा में अवगत कराया गया कि उक्त संस्था परिसमाप्त हो चुकी है और निवेश अशोध्य हो गया है। अतः निवेश हेतु उत्तरदायी पर दायित्व निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम:-कुशीनगर

मण्डल का नाम:-गोरखपुर

प्रस्तर संख्या-1:-राज्य वित्त आयोग, बारहवा वित्त, जिला निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से संबंधित प्रस्तुत किये गये कुछ पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण के अनुसार कुछ परियोजनाओं पर भुगतान किया गया है। परन्तु वे परियोजनायें 31.03.13 तक पूर्ण नहीं कराई गई हैं जिससे वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न हो सकीं। इस प्रकार इन परियोजनाओं पर किया गया व्यय अलाभकारी तथा राजकीय धन का दुरुपयोग रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी है। विवरण निम्न है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत धन	कुल भुगतान किया धन	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि
1	जिलाधिकारी आवास के सामने गोलम्बर का सुंदरीकरण	जिला निधि	1000000	425000	23.07.2012
2	विकास भवन से कलेक्ट्रेट जाने वाले चौराहे पर गोलम्बर का सुंदरीकरण	जिला निधि	1000000	425000	23.07.2012
3	जिलाधिकारी आवास के बाहर सुरक्षा गार्ड कक्ष व शौचालय का निर्माण	जिला निधि	500000	251000	18.09.2012
4	सौरहा से घोरठ जाने वाले मार्ग पर 3मी० पुलिया	बारहवां वित्त	500000	377000	20.06.2012
5	ग्राम रामपुर जमुनिया नाले में 2मी० पुलिया	बारहवां वित्त	400000	250000	20.06.2012

6	मुख्यालय स्थित वी0आई0पी0गेस्टहाउस का निर्माण	राज्य वित्त	15000000	12000000	पत्रावली अप्राप्त
7	मठियाश्रीराम में संतोष नाथ बाबा की समाधि स्थानका सुन्दरीकरण	राज्य वित्त	800000	655000	पत्रावली अप्राप्त
8	ग्राम सभा मटिहनिया में अहिरौली दीक्षित में पिच मार्ग से अजीत नाऊ के घर तक इ0ला0कार्य	राज्य वित्त	300000	158000	पत्रावली अप्राप्त
9	बुद्धा पार्क निर्माण कलेक्ट्रेट परिसर के सामने	बी0आर0जी0 एफ0	12566000	5142000	14.06.2012
10	ग्राम सचिवालय	बी0आर0जी0 एफ0		10089968	पत्रावली अप्राप्त
योग				29772968	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्य समाप्त करने की निर्धारित तिथि के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु रू0 29772968.00 के अलाभकारी व्यय हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी है। अतः अलाभकारी व्यय की वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2:- जिला पंचायत कुशीनगर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मनरेगायोजनान्तर्गत कार्य को सम्पादित कराने हेतु विकास खंड खड्डा से निम्न विवरण के अनुसार मस्टररोल निर्गत किये गये थे , परन्तु जिला पंचायत द्वारा उन कार्यों पर मस्टररोल का प्रयोग न कर अन्य कार्यों पर उक्त मस्टररोल का उपयोग किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2010 से लेकर दिसंबर 2010 तक कराये गये कार्यों के मजदूरी का भुगतान दि नाँक 25.07.2012 व 01.08.2012 को लगभग दो वर्ष बाद किया गया है। जिससे मस्टररोल के दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में लेखा परीक्षा में अन्तरिम आपत्ति निर्गत करने के बाद भी जिला पंचायत द्वारा यह नहीं बताया गया कि किन परिस्थितियों में व किसके आदेश से मस्टररोल का प्रयोग दूसरे कार्यों में किया गया तथा मजदूरी का भुगतान दो वर्ष बाद किया गया। अतः मस्टररोल पर नियम विरुद्ध

किया गया व्यय रू0 1064300.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्र.सं.	मस्टररोल संख्या	कार्यावधि	भुगतान तिथि	धनराशि	कार्य जिसके लिए मस्टररोल निर्गत था	कार्य जिसके लिए मस्टररोल प्रयुक्त है
1	20212 से 202163	07.06.2010 से 13.06.2010 तक	25.07.2012	23500.00	नौतार जंगल में गेठियहवा तक मिट्टी कार्य	बहोरछपरा से मधूसूदन के आरा मशीन तक मिट्टी कार्य
2	202205 से 202209				रामपुरजं0 से बैरा टोला पनहवा मार्ग पर मिट्टी कार्य	घूरछपरा से बहोर छपरा तक मिट्टी कार्य
3	202343 से 202362	06.05.2010 से 10.06.2010 तक	25.07.2012	204000.00	सिसवा गोपाल से नारायणी बंधा तक मिट्टी कार्य	तुर्कहा में राजेन्द्र यादव के खेत से कब्रिस्तान होते हुए मेन रोड तक मिट्टी कार्य
4	202562 से 202569	06.05.2010 से 03.06.2010 तक	25.07.2012	145600.00	शाहपुरनौकाटो लामेनिबिहवा नौतार बंधा तक मिट्टी कार्य तथा रामपुरजं0 से भेडियहवा तक मिट्टी कार्य	बडी हथिया से छोटी हथिया के बीच मिट्टी कार्य
5	202751 से 202792	20.04.2010 से 13.06.2010 तक	25.07.2012	431200.00	धनौजी से जिन्दाछपरा तक मिट्टी कार्य	तुर्कहा से बसडीला तक मिट्टी कार्य
6	202905 से 202924	06.05.2010 से 13.06.2010 तक	25.07.2012	210000.00	बेलवनिया से नरकहवा तक मिट्टी कार्य तथा तिनबरदहा	बहोरछपरा से मधूसूदन के आरा मशीन तक मिट्टी कार्य

					बाजार से हरिजन बसती तक सम्पर्क मार्ग नाला तक मिट्टी कार्य	
योग				1064300.00		

प्रस्तर संख्या-3:- जिला पंचायत कुशीनगर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मनरेगायोजनान्तर्गत कार्य को सम्पादित कराने हेतु मस्टररोल निर्गत किये गये थे, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2010 से लेकर दिसंबर 2010 तक कराये गये कार्यों के मजदूरी का भुगतान दिनांक 25.07. 2012 व 01.08.2012 को लगभग दो वर्ष बाद किया गया है। मनरेगा की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को 15 दिन के अन्दर कर दिया जाना चाहिए। क्या कारण है कि किसी मजदूर द्वारा मांग नहीं की गई , तथा पेनाल्टी सहित भुगतान भी नहीं किया गया है। जिससे मस्टररोल के दुरुपयोग की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः मस्टररोलों पर किया गया व्यय ₹0 985445.00 दुरुपयोगित रहा, जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

क्र.सं.	मस्टररोल संख्या	कार्यावधि	भुगतान तिथि	धनराशि	कार्य जिसके लिए मस्टररोल प्रयुक्त है
1	192125 से 192166	12.11.2010 से 29.12.2010 तक	25.07.2012	430500.00	लखुआलखुई हरिजन टोला से भरवटिया तक मिट्टी कार्य
2	202643 से 202646	07.06.2010 से 13.06.2010 तक	25.07.2012	36400.00	तुर्कहां में राजेंद्र यादव के खेत से कब्रिस्तान होते हुए मेन रोड तक मिट्टी कार्य
3	202733 से 202736 202793 से 202800	2.05.2010 से 03.06.2010 तक	25.07.2012	126000.00	बहोरनछपरा से मधुसूदन के आरा मशीन तक मिट्टी कार्य

4	202562 से 202569 202729 से 202732	06.05.2010 से 19.05.2010 तक	25.07.2012	126000.00	बहोरनछपरा से मधुसूदन के आरा मशीन तक मिट्टी कार्य
5	12979 से 12983	01.06.2010 से 11.06.2010 तक	25.07.2012	85800.00	महदेवा के पुरब टोला से ट्रेन तक मिट्टी कार्य
6	12954 से 12962	12.06.2010 से 13.06.2010 तक	25.07.2012	14400.00	बरवामहदेवा में प्रा0पा0 अहिरौली तक मिट्टी कार्य
7	171295 से 171300	17.10.2010 से 05.11.2010 तक	25.07.2012	67980.00	लो0 न0 इं0 का0 गौरी इब्राहिम के हाता तक मिट्टी कार्य
8	131026 से 131033	01.06.2010 से 12.09.2010 तक	01.08.2012	98365.00	कटनवार रोड बेलवा जं0 जाने वाले रोड पर पुलिया निर्माण
योग				985445.00	

जनपद का नाम :-अमरोहा

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ –

प्रस्तर संख्या-1 :-वर्ष 2012-13 में जिला पंचायत को मृत पशु निस्तारण से रु 963203.00 आय प्राप्त हुई जिसका 50 प्रतिशत भाग रु0 481601.00 जनपद की ग्राम पंचायतों को उ0प्र0 शासनादेश सं0 2967/11/32-2002-15 दिनांक 07.10.2002 के अनुपालन में दिया जाना चाहिए था। जो नहीं दिया गया है। जिस हेतु पटल कार्मिक लिपिक श्री जगत सिंह एवं श्री सुभाषचन्द्र गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है , जिस प्रति कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0 5)

प्रस्तर संख्या-2. वर्ष अलोच्य में श्री सुभाषचन्द्र गुप्ता अपरमुख्य अधिकारी द्वारा संस्था की कार प्रयुक्त किए जाने पर शासनादेश के अनुसार 400.00 प्रति माह की दर से वर्ष में आहरित किये गये वेतन से 4800.00 की कटौती नहीं की गई। अतः अविलम्ब उनसे रु0 4800.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0 6)

प्रस्तर संख्या-3. दिनांक 08.05.12 को निम्न कालातीत यात्रा भत्ता देयो का भुगतान रु0 1135.00 बिना प्रीआडिट कार्यवाही करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जिस हेतु श्री बाबूराम सिंह लेखाकार एवं श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता अपरमुख्य अधि0 उत्तरदायी है। अतः इस धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रमाण सं0	विवरण	धनराशि
22	श्री खचेडू लाल सहयोगी वर्ष 2008	365.00
23	श्री खचेडू लाल सहयोगी वर्ष 2009	405.00
24	श्री खचेडू लाल सहयोगी वर्ष 20010	365.00
	योग	1135.00

(आ0सं0 19)

प्रस्तर संख्या-4. वर्ष 2012-13 में हड़डी एवं चमड़ा के दिये गये निम्न ठेको/रायल्टी का अनुबंध राजकीय स्टाम्प पर न कराके रु0 600.00 से राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई गई जिसकी क्षति पूर्ति सम्बन्धित रायल्टी प्राप्तकर्ताओं से करायी जाये। उनसे क्षति पूर्ति नहीं हो सकने की स्थिति में श्री जगत सिंह पटल कार्मिक से क्षति पूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

क्र0 सं0	क्षेत्र	रायल्टी प्राप्तकर्ता का विवरण	धनराशि	अनुबंध की धनराशि
1	जोया	श्री तहसीन सभापति पशुशव विच्छेदन सह0 समिति लि0 कनपुरा	56800.00	100.00
2	ककराली	श्री रसीद सभापति सभापति पशुशव विच्छेदन सह0 समिति लि0 ककराली	17500.00	100.00
3	धनौरा	श्री कल्याण सिंह सभापति पशुशव विच्छेदन सह0 समिति लि0 मुहीछीनपुर	26600.00	100.00
4	गजरौलाश्री	सगीर अहमद सभापति पशुशव विच्छेदन सह0 समिति लि0 बिहाली जागीर	38200.00	100.00

5	अमरोहा	श्री रामअसारे सभापति पशुशव विच्छेदन सह0 समिति लि0 कोठीपुरा	74200.00	100.00
6	जमना खास	श्री टिन्कू सभापति पशुशव विच्छेदन सह0 समिति लि0 जमनाखास	132200.00	
				600.00

प्रस्तर संख्या-5. वर्ष अलोच्य में निम्न तिथियों में मृत स्कन्ध क्रय किया गया है। जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी मण्डल आयुक्त मुरादाबाद से प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार मृत स्कन्ध का क्रय अनियमित रहा। जिस हेतु पटल कार्मिक लिपिक श्री जगत सिंह एवं श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता अपर मुख्याधिकारी उत्तरदायी है। जिस प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	क्रय मृत स्कन्ध का विवरण	धनराशि
10.05.12	फैक्स मशीन	7950.00
14.05.12	वाटर कूलर	35710.00
14.05.12	फाइवर कूलर	7900.10
17.05.12	वाटर फिल्टर (आर0ओ0)	7500.00
20.05.12	फाइबर कूलर	7900.00
05.09.12	आफिसर टेबिल	6243.00
03.12.12	रिवालविंग चेयर	7300.00
03.12.12	रिवालविंग चेयर	7300.00
	योग	87803.00

(आ0 सं0 21)

प्रस्तर संख्या-6. वर्ष आलोच्य में अध्यक्ष की गाडी पर अनुरक्षण व्यय रू0 259764.00 किया गया। जबकि इस मद में स्वीकृति बजट सीमा रू0 250,000.00 थी। इस प्रकार स्वीकृत बजट के विपरीत रू0 9764.00 अधिक व्यय किया गया है। जिस प्रति लेखाकार एवं अपरमुख्यअधिकारी जिम्मेदार है। कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0 सं0 23)

प्रस्तर संख्या-7. दिनांक 30.03.2013 को राज्य वित्त आयोग अनुदान की धनराशि से रू0 15,77,000.00 यू0पी0 नेडा अमरोहा को सोलर लाइट लगवाने हेतु दिया गया है। राज्य

सरकार द्वारा जारी राज्य वित्त आयोग की अनुदान व्यय किए जाने गाइड लाइन में इस प्रकार से धनराशि दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य वित्त आयोग की धनराशि का अनावश्यक रूप से दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है। जिस हेतु श्री बाबूराम सिंह लेखाकार, श्री नरेश चन्द्र सक्सेना अभियन्ता एवं श्री सुभाषचन्द्र गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है इस प्रति विभाग का ध्यान आवश्यक जांच एवं कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(आ0सं 24)

प्रस्तर संख्या-8. जिला पंचायत में कार्यरत श्री राजाराम कर निरीक्षक द्वारा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में विकास क्षेत्र गजरौला में कर वसूली कार्य किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इनकी नियुक्ति विकास क्षेत्र गजरौला में की गई है। इनको ग्रेड वेतन 2000.00 पर निम्न प्रकार मकान किराया भत्ता निम्न वर्षों से भुगतान किया गया है।

वर्ष	ग्रेड वेतन 2000.00 पर अनुमन्य मकान किराया भत्ता 400.00 प्रति माह से	ग्रेड वेतन 2000.00 पर भुगतान किया गया मकान किराया भत्ता 600.00 व प्रतिमाह से	अधिक भुगतान
2011-12	4800.00	7200.00	2400.00
2012-13	4800.00	7200.00	2400.00
	9600.00	14400.00	4800.00

उक्त विवरणानुसार रू0 4800.00 अधिक भुगतान कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए श्री चन्द्र सैन पटल कार्मिक लिपिक श्री बाबू राम लेखाकार एवं श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता अपरमुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः रू0 4800.00 की अविलम्ब वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ सं0 29)

प्रस्तर संख्या-9. जिला पंचायत में वर्ष 2012-13 में गंगा मेला तिगरी वर्ष 2012 के आयोजन में निम्नलिखित कार्य/आपूर्ति प्राकलित दर से 10 प्रतिशत अधिक पर करायें गये। प्राकलित दर से अधिक दर पर कार्य कराये जाने हेतु विभागीय नियमों एवं निदेशों का पालन नहीं किया गया है। जिस प्रति श्री नरेश चन्द्र सक्सेना अभियन्ता एवं श्री सुभाषचन्द्र गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है।

क्र० सं०	कार्य/आपूर्ति का नाम	प्राकलित धनराशि	स्वीकृति धनराशि	अधिक धनराशि
1	गंगा मेला तिगरी 2012 में फर्नीचर एवं पंडाल आदि आपूर्ति किराये पर।	30,5000.00	335500.00	30500.00
2	गंगा मेला तिगरी 2012 में टैन्टज (डेरे) दरी कनात आदि आपूर्ति किराये पर	14,08,300	15,49,130.00	140,800.00
	योग	17,13,300.00	18,13,300	171300.00

अतः उक्त विवरणानुसार रू० 171300.00 का व्यय अनियमित प्रतीत होता है। इस प्रति विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित जांच एवं कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(आ०सं० 30)

प्रस्तर संख्या-10 जिला पंचायत में वर्ष 2012-13 में गंगा मेला तिगरी वर्ष 2012 में अस्थायी टिन फैसिंग कार्य का मै० पप्पू डेकोरेटर्स को रू० 3,24,900.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान पर 1 प्रतिषत की दर से रू० 3249.00 का आयकर कर कटौती कर राजकीय कोषागार में जमा नहीं कराया गया है। इस प्रकार राजकीय राजस्व की अनावश्यक रूप से क्षति पहुँचाई गई है। जिसके लिए चन्द्र सैन लिपिक, श्री बाबूराम लेखाकार एवं श्री सुभाषचन्द्र गुप्ता अपरमुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः 3249.00 की क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

(आ०सं० 31)

जनपद का नाम – रामपुर

मण्डल का नाम – मुरादाबाद

जिला पंचायत – रामपुर

लेखा परीक्षा वर्ष – 2010-11

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 1. लेखा परीक्षा वर्ष में कृषि भूमि ठेके से आय मासिक लेखों में रू० 200200.00 दर्शित है। जबकि सम्बन्धित रजिस्टर में यह आय रू० 244200.00 दिखायी हुई है। अन्तर की राशि रू० 44000.00 कम मासिक लेखों में आय दिखाकर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली उत्तर दायी कार्मिकों से की जानी अपेक्षित है। आ०सं०-17

प्रस्तर 2. लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रु0 5296287.00 कर्मचारियों के वेतन मद में व्यय करके शासनादेश का उल्लंघन करते हुए दुरुपयोग किया गया है। जिस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री फरहत अली उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आ0सं0-16

प्रस्तर 3. लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त से रु0 79,97,632.00 वेतन व पेंशन मद में व्यय किये गये हैं। परन्तु पुष्टि में इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का कोई आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदेश के अभाव में यह राजकीय अनुदान का दुरुपयोग है। जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आ0सं0-09

जनपद का नाम – रामपुर

मण्डल का नाम – मुरादाबाद

जिला पंचायत – रामपुर

लेखा परीक्षा वर्ष –

2012-13

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर 4. विनियोग रजि0 प्रपत्र सं0 45 में पृष्ठ सं0 2 पर उत्तर प्रदेश पंचायतीराज वित्त निगम के अंशों में रु0 10000.00 विनियोजित दर्शित है। सत्यापन हेतु अंश प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अंश प्रमाण पत्र तलाश/प्राप्त कर सुरक्षित रखें जायें। अंशों में विनियोजित धनराशि की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। आ0सं0-03

प्रस्तर 5. जिला पंचायत रामपुर द्वारा वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान की राशि मध्य रु0 4075927.00 का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना वेतन व पेंशन मद में व्यय कर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। आ0सं0-04 अ

प्रस्तर 6. जिला पंचायत रामपुर द्वारा वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान की राशि मध्य रु0 454400.00 का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना जनरेटर क्रय मद में व्यय कर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। आ0सं0-04 ब

प्रस्तर 7. लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त आयोग एवं तेहरवे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में से क्रमशः रु0 1337526.00 व रु0 198885.00 कुल रु0 1526411.00 निर्माण कार्यों पर व्यय

किया गया दर्शित है। अनुदान उपभोग से सम्बन्धित वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। आ0सं0-04 स

प्रस्तर 8. जिला पंचायत रामपुर द्वारा दि० 31.03.2013 को उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार आय की विभिन्न मदों में से निम्नलिखित धनराशियाँ बकाया दर्शित है।

क्रमांक	नाम व पद	31.03.2013 को बकाया
धनराशि		
01	मृत पशु शव निस्तारण	339800.00
02	सम्पत्ति से आय भवन व दुकान किराया	615880.00
03	नौकाघाट	164400.00
04	मेला प्रदर्शनी	399178.00
05	कृषि भूमि से आय	<u>104250.00</u>
	योग	<u>1623508.00</u>

उक्त बकाया राशियों की वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की जा रही है। वसूली हेतु अबिलम्ब ठोस कार्यवाही अपेक्षित है। आ0सं0-05 अ

जनपद का नाम—आजमगढ़।

मण्डल का नाम—आजमगढ़।

जिला पंचायत, आजमगढ़।

प्रस्तर सं०-1

वर्ष 2012-13 में तहबाजारी से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि तहबाजारी के ठेकों में अनुबन्ध पत्र के साथ स्टाम्प पेपर, निर्धारित दर 8.5 प्रतिशत से संलग्न न कर कुल रु० 91236/- की राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जिस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 2)

प्रस्तर सं०-2

वर्ष 2012-13 में नियमानुसार प्रति घनमीटर रु० 9 की दर से ठीकेदारों को भुगतान की गयी बिलों में से रायल्टी न काटकर राजकीय राजस्व को रु० 260276/- से क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 3)

प्रस्तर सं०-3

वर्ष 2012-13 में नियमानुसार वैट की धनराशि रू० 28845/- व उपकर की धनराशि रू० 7755/- ठीकेदारों की बिलों से भुगतान के समय न काटकर राजकीय राजस्व को कुल रू० 36600/- से क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 4)

प्रस्तर सं०-04

वर्ष 2012-13 में नौकाघाट की बकाया धनराशि रू० 89422/- की वसूली ठीकेदारों से न कर धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा एवं श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 5)

प्रस्तर सं०-05

वर्ष 2012-13 में साईकिल स्टैंड की बकाया धनराशि रू० 42900/- की वसूली ठीकेदारों से न कर धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 6)

प्रस्तर सं०-06

वर्ष 2012-13 में मेला की बकाया धनराशि रू० 41052/- की वसूली ठीकेदारों से न कर धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 7)

प्रस्तर सं०-07

वर्ष 2012-13 में पड़ाव अड्डा की बकाया धनराशि रू० 491995/- बिना वसूली परिसम्पत्ति में पावना दर्शित न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस गम्भीर अनियमितता हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 8)

प्रस्तर सं०-08

वर्ष 2012-13 में सम्पत्ति व विभव कर की बकाया धनराशि रू० 6962500/- की वसूली न कर संस्था की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। (सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 9)

प्रस्तर सं०-09

वर्ष 2012-13 में तहबाजारी की बकाया धनराशि रू० 4000646.12/- की वसूली न कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा व श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 10)

प्रस्तर सं०-10

वर्ष 2012-13 में भवन किराया की धनराशि रू० 6388757/- की वसूली न कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 11)

प्रस्तर सं०-11

वर्ष 2012-13 में तहबाजारी ठेके की धनराशि रू० 12700/- से कम जमा कर कर धन का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं कर अधिकारी श्री एकरामुल्लाह अंसारी उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 15)

प्रस्तर सं०-12

वर्ष 2012-13 में विगत वर्षों के आडिट फीस से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न कर रू० 344518/- के धन का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 16)

प्रस्तर सं०-13

वर्ष 2012-13 में बकाया मकान किराया की धनराशि रू० 10896/- की वसूली कर्मचारियों से न कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 17)

प्रस्तर सं०-14

वर्ष 2012-13 में जनरेटर सम्बन्धी ईंधन व्यय की पुष्टि में अभिलेख प्रस्तुत न कर रू० 94687/- के धन का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं लिपिक श्री प्रदीप सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 18)

प्रस्तर सं०-15

वर्ष 2012-13 में किराये पर ली गयी गाड़ी एवं अध्यक्ष की गाड़ी में ईंधन व्यय की पुष्टि में लागबुक प्रस्तुत न कर रु० 209494/- के धन का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह व लेखाकार श्री दीपचन्द राम एवं लिपिक श्री प्रदीप सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 19)

प्रस्तर सं०-16

वर्ष 2012-13 में तहबाजारी का ठेका न स्वीकृत होने पर भी कार्य कराकर रु० 170100/- की गम्भीर अनियमितता की गयी है। इस हेतु कर अधिकारी श्री एकरामुल्लाह अंसारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 24)

प्रस्तर सं०-17

वर्ष 2012-13 में संस्था द्वारा विभिन्न मदों में निर्माण कार्यों पर अभिलेख नियमानुसार न रखकर कुल रु० 177453000 के धन की अनियमितता की गयी है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह व लेखाकार श्री दीपचन्द राम एवं अभियन्ता श्री अखिलेश्वर मल्ल उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 28)

प्रस्तर सं०-18

वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त में निविदा की अधिक धनराशि स्वीकृत कर रु० 27500 से संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह व वित्तीय परामर्शदाता श्री संतोष मौर्य एवं अभियन्ता श्री अखिलेश्वर मल्ल उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 29)

प्रस्तर सं०-19

वर्ष 2012-13 में विभिन्न प्रकार के अनुदानों की धनराशि का उपभोग वर्षान्त तक न कर रु० 334518000 की अनियमितता की गयी है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 30)

प्रस्तर सं०-19

वर्ष 2012-13 में विगत पांच वर्षों के निजी स्रोत की आय में नियमानुसार 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आय होनी चाहिये। किन्तु कुल आय में रु० 5309000 की आय कम हुयी

है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह एवं कर अधिकारी श्री एकरामुल्लाह अंसारी उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं० 31)

जनपद का नाम — बोंदा

मण्डल का नाम — चित्रकूट धाम मण्डल

जिला पंचायत का नाम — जिला पंचायत बोंदा।

प्रस्तर संख्या—1 जिला पंचायत बांदा की लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त अंतर्गत जिनका विवरण निम्नवत है केवल मिट्टी एवं सोलिंग (45—63) का ही कार्य कराया गया है। जो लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के विरुद्ध था। निर्माण कार्य के दौरान न तो इंटरकोट — टाप कोट और न ही लेपन का कार्य किया गया था जिससे कार्य शीघ्र खराब होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः निर्माण कार्य पर किया गया व्यय रुपये 20.18 लाख अलाभकारी व्यय रहा। विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच कर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

योजना का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1— राज्य वित्त आयोग	2012—13	1. ग्राम पंचायत पचुल्ला में सोलिंग एवं मिट्टी कार्य।	295824.00
		2. कमासिन में अर्जनडेरा से नंहर की ओर मिट्टी / सोलिंग कार्य	246200.00
		3. ग्राम बांसी में अलिहा रजवारा में मिट्टी / सोलिंग कार्य।	549857.00
		4. ग्राम समरखा से अछरील तक मिट्टी / सोलिंग कार्य।	324276.00
		5. ग्राम तिन्दवारा मैन रोड गुमान नाला में मिट्टी / सोलिंग कार्य।	202155.00
तेरहवां वित्त आयोग		6. ग्राम महोरधा मैन रोड से गांव तक मिट्टी / सोलिंग कार्य।	399194.00

योग — 2017506.00

प्रस्तर संख्या—2 जिला पंचायत बांदा की लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में पाया गया कि तेरहवां वित्त आयोग की संस्तुति पर जिला पंचायत बांदा की 22 ग्राम पंचायतों को हाट बाजार के निर्माण हेतु 95.96 लाख धनराशि अवमुक्त की गई थी। निर्माण लागत 437000.00 रुपये प्रति हाट में 101000.00 में प्रति चबुतरा व 336666.00 प्रति टीन सेड में व्यय करना था।

निविदा संबंधी औपचारिकता पूर्ण कर अधिकतम दो माह में धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कर उपभोग प्रमाणपत्र जिला पंचायत अनुश्रवण पोस्ट को उपलब्ध कराना था। उक्त कार्य कानपुर की कार्यदायी संस्था को दिया गया था। जांच में पाया गया कि तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी ग्यारह कार्यों जिनका विवरण निम्नवत है में ग्राम पंचायतों के हाट बाजारों पर रुपये 28.38 लाख से अधिक धनराशि व्यय के पश्चात 31.03.2013 तक अपूर्ण छोड़ दिये गये हैं। जिसपर किया गया व्यय अलाभकारी हो गया है। तथा भारत सरकार से प्राप्त राज्य सरकार की अनुदान की राशि का दुरुपयोग रहा। जिसके लिए तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	कृत कार्य	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	दिनांक	विवरण कार्यदायी संस्था	व्यय	दिनांक	अभ्युक्ति
1.	पुनाहुर	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	सागर आयरन मे. क. कानपुर	171300.00	13.01.11	अपूर्ण
2.	गुड़वारा	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	मार्क इंटरप्राईसेस कानपुर	293030.00	02.05.11	अपूर्ण
3.	पलरी	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	मार्क इंटरप्राईसेस कानपुर	292200.00	02.05.11	अपूर्ण
4.	बड़ागांव	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	मार्क इंटरप्राईसेस कानपुर	294800.00	02.05.11	अपूर्ण
5.	बघेलाबारी	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	मार्क इंटरप्राईसेस कानपुर	293700.00	02.05.11	अपूर्ण
6.	जसपुरा	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	मार्क इंटरप्राईसेस कानपुर	294290.00	02.05.11	अपूर्ण
7.	महुआ	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	सागर आयरन मे. क. कानपुर	293136.00	02.05.11	अपूर्ण
8.	भभुआ	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	मार्क इंटरप्राईसेस कानपुर	241900.00	02.05.11	अपूर्ण
9.	बरगहनी	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	सागर आयरन मे. क. कानपुर	177400.00	13.01.11	अपूर्ण
10.	मरका	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	सागर आयरन मे. क. कानपुर	293300.00	02.05.11	अपूर्ण
11.	चंदवारा	हाट बाजार निर्माण	4.37	30.08.10	मार्क इंटरप्राईसेस कानपुर	293300.00	02.05.11	अपूर्ण
					योग	2838356.00		

प्रस्तर संख्या-3 जिला पंचायत बांदा की लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में पाया गया कि जिला पंचायत बांदा द्वारा भवन / दुकान का किराया आदि का आकलन कर उसकी वसूली का दायित्व जिला पंचायत का है। परंतु सामयिक वसूली न होने के कारण लाखों रुपये की धनराशि बकाया के रूप में पड़ी है। बकाया की धनराशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जो चिंता का विषय है जिसकी वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित।

31.03.2012 को शेष — 5424477.00

वर्ष की मांग — 2569532.00

योग — 7994009.00

वसूली 2012-13— 2564913.00

31.03.13 को बकाया — 5429096.00

प्रस्तर संख्या-4 जिला पंचायत बांदा की लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में जांच में पाया गया कि जिला पंचायत बांदा द्वारा तहबाजारी कूपन क्रय हेतु कोटेशन / टेंडर न लेकर धनराशि रुपये 73120.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित।

जनपद का नाम — चित्रकूट

मण्डल का नाम — चित्रकूट धाम मण्डल

जिला पंचायत का नाम — जिला पंचायत चित्रकूट।

प्रस्तर संख्या-1 जिला पंचायत चित्रकूट की लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में जांच में पाया गया कि 31.03.2013 को हाट बाजार एवं तहबाजारी के मद में वन 149000.00 पुराना बकाया 2000-2001 से संबंधित है। जो तहबाजारी खनन ठेकेदार श्री संजीव कुमार मिश्रा पुत्र श्री शिवनरेश मिश्रा निवासी राजापुर से संबंधित है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 जिला पंचायत चित्रकूट की लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में जांच में पाया गया कि 31.03.2013 को संपत्ति से आय — दुकान किराया मद में 339525.71 जो 61 बकायादारों का शेष है की सूची अंतरिम आपत्ति निर्गत करने के बाद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिससे संस्था को आर्थिक क्षति हो रही है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम – ललितपुर

मण्डल—झोंसी

जिला पंचायत

प्रस्तर संख्या	जिला पंचायत का नाम	विकासखण्ड	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
				कुल	अपहरण
1	2	3	4	5	6
1	ललितपुर	जखौरा	संस्था में कार्यरत श्री जयन्त कुमार चौबे संविदा कर्मी रू0 7000.00 प्रतिमाह पर कार्यरत थे लेकिन माह नवम्बर 2008 से उन्हें नियमित वेतनमान पर नियुक्त कर, वेतन भुगतान किये जाने लगा था जो पूर्णतया अनियमित एवं गलत था जो बाद में शासन एवं हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किया गया जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री के0एम0तिवारी जिम्मेदार ठहराये जाते है । विभागीय जॉच उपरान्त रू0 86524.00 की वसूली की कार्यवाही श्री के0एम0तिवारी तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या 30)	86524.00	—

जनपद— इलाहाबाद

सम्भाग— इलाहाबाद

जिला पंचायत—इलाहाबाद

प्रस्तर	आपत्ति का विवरण	धनराशि
प्रस्तर 1	बाउचर संख्या 26 दिनांक-14-12-2012 द्वारा रू0 35000.00 का भुगतान अपरमहाधिवक्ता को किया गया है। तत्कालीन पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने पर अध्यक्ष महोदया ने रिट पिटीशन संख्या 57451/12 दाखिल किया जिसपर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिया गया। इसी मध्य सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों की सूची माँगी गयी जिसके लिये अपरमहाधिवक्ता से विधिक राय माँगी गयी थी। इस कार्य के लिये अपरमहाधिवक्ता ने रू0 35000.00 का विल प्रस्तुत किया। इसके भुगतान के लिये मण्डलायुक्त से स्वीकृत प्रदान करने हेतु दिनांक-18-12-2012 को पत्र भेजा गया। मण्डलायुक्त द्वारा इस पत्र को कोई उत्तर नहीं दिया गया। मण्डलायुक्त के स्वीकृत के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के अनियमित भुगतान से रू0 35000.00 की क्षति हुयी है। कार्यवाही अपेक्षित है।	35000.00
प्रस्तर 2	दिनांक 25-04-2012 को खीरी की तहबाजारी की वसूली हेतु अधिकतम बोली कर्ता श्री ओमकार नाथ वर्ष 2012-13 के लिये रू0 116000.00 का ठेका स्वीकार किया गया। ठेकेदार द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व अनुबन्ध हेतु रू0 2320.00 का स्टाम्प पेपर दाखिल नहीं किया गया। उपरोक्त शर्त न पूरी करने के उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा वसूली करना प्रारम्भ कर दिया। पत्र संख्या 988/12-10-2012। इसके लिये ठेकेदार का ठेका निरस्त कर के जमा धनराशि जब्त करने की नोटिस दी गयी। एवं श्री विपिन विहारी गुप्ता राजस्व निरीक्षक को अबैध वसूली रोकने के आदेश दिये गये थे। किन्तु ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से पूरे वर्ष वसूली की गयी व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। स्टाम्प पेपर दाखिल न करने एवं कार्यवाही न करने के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0 एन0 खरे एवं श्रीमती पुष्पा मिश्रा तथा श्री विपिन विहारी लाल गुप्त उत्तरदायी है। स्टैम्प की धनराशि अपर मुख्य अधिकारी से वसूली योग्य है।	2320.00

प्रस्तर 3	आपत्ति पत्र में उल्लिखित कुल 44 ईट भट्टे वर्ष 2012-13 में सुचारु रूप से चलते रहे हैं। ये ईट भट्टे वाणिज्य कर विभाग में बैट के रूप में समाधान शुल्क भी जमा किये हैं। किन्तु जिला पंचायत के अभिलेख पर नहीं है। उपरोक्त ईट भट्टों को अभिलेख पर न लाने के कारण रु0 440000.00 अनुज्ञा शुल्क एवं रु0 264000.00 पंचायत कर की राजस्व क्षति हुयी है। इसके लिये कर निरीक्षक ,कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र नारायण तिवारी तथा अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती पुष्पा मिश्रा जिम्मेदार है।	704000.00
प्रस्तर 4	जिला पंचायत परिसर में आवासीय भवन है। जिसे कार्यरत कर्मचारियों को आबंटित किया जाता है। ऐसे अधिकारियों /कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं लिया जाता है। एवं टोकन धनराशि वसूल की जाती है। ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिजली एवं पानी की व्यवस्था पंचायत द्वारा की जा रही है। इसके लिये अधिकारी /कर्मचारी बिजली भी स्वयं व्यवस्था करके प्रत्येक माह बिजली विभाग में बिल जमा करना चाहिए जो नहीं किया जा रहा है। पूरे आवासीय भवन का बिजली एवं पानी का बिल पंचायत विभाग द्वारा जमा किया जा रहा है। इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारियों से की जानी चाहिए। विवरण निम्न है। अधिकारियों की संख्या 2 रु0 1200.00/माह की दर से वर्ष भर का लिपिक एवं डाइबर संख्या 9 रु0 800.00/माह की दर से वर्ष भर का सहचर की संख्या 9 रु0 500.00/माह की दर से वर्ष भर का उपरोक्तानुसार रु0 169200.00 बिजली व्यय वसूल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पानी के मद में रु0 1500.00 वार्षिक की दर से कुल रु0 30000.00 वसूली योग्य है। इसकी वसूली न करने के लिये श्रीमती पुष्पा मिश्रा एवं श्री एल0 एन0 खरे अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है।	199200.00

प्रस्तर 5	वाणिज्य कर विभाग में आपत्ति में अंकित कुल 11 ईट भट्टे जो विकास खण्ड चाका ,करछना एवं कौधियारा में वर्ष 2012-13 में पंजीकृत है एवं कर जमा कर रहे हैं। जिला पंचायत इलाहाबाद से लाईसेंस नहीं लिया गया है। एवं इनका चालान भी नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त आपत्ति में अंकित 15 ईट भट्टे जिला पंचायत के अभिलेख पर है किन्तु वर्ष 2012-13 के लिये लाईसेंस शुल्क नहीं जमा किया है। उपरलिखित 15+11 कुल 26 ईट भट्टों से वर्ष 2012-13 के लिये रू0 260000.00 अनुज्ञा शुल्क एवं रू0 156000.00 कर वसूल किया जाना अपेक्षित था। वसूली न होने से जिला पंचायत को क्षति पहुचायी गयी। श्रीमती पुष्पा मिश्रा अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी कर अधिकारी एवं सम्बन्धित निरीक्षक उत्तरदायी है।	416000.00
प्रस्तर 6	जिला पंचायत इलाहाबाद में श्री नीरज रस्तोगी अभियन्ता के पद पर दिनांक 19-03-2010 से दिनांक 6-08-2012 तक कार्यरत रहे हैं। श्री रस्तोगी के इलाहाबाद कार्यकाल में इन्हे पंचायत आवास आंबटित रहा है। आवास हेतु श्री रस्तोगी को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता था। किन्तु मानक किराया नहीं लिया गया है, शासनादेश संख्या 3689/दिनांक 09-07-1996 द्वारा यह व्यवस्था है कि अधिकारी /कर्मचारी के स्थानान्तरण के बाद यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आंबटित आवास 2 माह के अन्दर रिक्त नहीं किया जाता है तो मानक किराया का चार गुना या बाजार दर का 2 गुना जो भी अधिक हो खाली किये जाने तक वसूल किया जाय। श्री रस्तोगी दिनांक 06-08-2012 तक जिला पंचायत इलाहाबाद में कार्यरत रहे हैं। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में अप्रैल 12 से जुलाई 12 तक चार माह का किराया रू0 210.00 की दर से रू0 840.00 ,माह अगस्त एवं सितम्बर 2012 तक का मानक किराया रू0 3360.00 का दो गुना रू0 6720.00 तथा माह अक्टूबर 12 से मार्च 2013 तक कुल 06 माह का किराया रू0 3360.00 का चार गुना रू0 13440.00 प्रति माह की दर से कुल रू0 80640.00 वर्ष 2012-13 के लिए देय है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में कुल रू0 88200.00 वसूली योग्य है। श्री नीरज रस्तोगी द्वारा वर्ष 2013-14 में भी आवास खाली किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके लिये रू0 13440.00/माह की दर से वर्ष 2013-14 के लिये रू0 161280.00 वसूली किया जाना चाहिए। इस किराया को वसूल न किये जाने के लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0 एन0 खरे एवं श्रीमती पुष्पा मिश्रा उत्तरदायी है।	249480.00

प्रस्तर 7	जिला पंचायत इलाहाबाद में वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग/तेरहवॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से निर्माण कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृत टेण्डर के विरुद्ध हस्तगत कार्यों के विवरण की प्रस्तुत सूची के क्रमांक 42/47/60/110/ 126/146/166 /169 / 174/179/200/211 के बारह ठेकेदारों को क्रमशः 1.99/2.91/2.67/373/3.72/2.53/3.42/3.25/2.82/3.72/3.03/2.39 एवं 3.17 को प्रथम/द्वितीय रनिंग बिल के विरुद्ध भुगतान किया गया है। कुल भुगतान रु0 3563335.00 का एम0बी0/डी0बी0 फार्म 41-ए के अनुसार गिट्टी/मोरंग की सप्लाई के लिये किया गया है। सलग्न परिशिष्ट क। वस्तुतः रनिंग बिल का भुगतान निर्माण कार्य के लिये किया जाता है। एवं इस बिल पर अवर अभियन्ता एवं अभियन्ता द्वारा कार्य कराये जाने का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अभियन्ता द्वारा निम्न प्रमाण दिया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं कार्य की जाँच की है एवं कार्य की तारीख – को पूरा किया गया तथा मंजूर किये गये नक्शे को ठेके में लिखी बातों में सिवाय उनके जो योग्य अधिकारी द्वारा मंजूरी की गयी थी बड़ा अन्तर नहीं आया। ह0 इंजीनियर/अभियन्ता उक्त के विरुद्ध जबकि कार्य निर्माण कराये जाने का था फिर भी सप्लाई के लिए प्रथम/द्वितीय रनिंग बिल का भुगतान नहीं किया जा सकता है। सप्लाई के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि गिट्टी /मोरंग किसको प्राप्त कराया गया है। जबकि इसका टेण्डर में कोई प्राविधान नहीं है। यह बारह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किये गये हैं। इसमें से अधिकांश में कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया है। इस प्रकार अनियमित भुगतान करके रु0 3563335.00 की पंचायत राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिए अवर अभियन्ता श्री अखिलेश यादव ,अपर मुख्य अधिकारी श्री एल0 एन0 खरे/श्रीमती पुष्पा मिश्रा वित्तीय परामर्श दाता श्री राजेन्द्र प्रसाद उत्तरदायी है।	3563335.00
प्रस्तर 8	जिला पंचायत इलाहाबाद के कर अनुभाग में व्यवसायियों को लाईसेंस जारी किया जाता है। इस लाईसेंस का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष निर्धारित शुल्क जमा कराकर कराये जाने की व्यवस्था है। इसमें अलग-अलग व्यवसाय के लिये लाईसेंस शुल्क निर्धारित है। जिला पंचायत में इन व्यवसायियों के लिये लाईसेंस शुल्क रजिस्टर रखने की व्यवस्था है। प्राप्त रजिस्ट्रों के परीक्षण पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि रजिस्टर में अंकित व्यवसायियों में से लगभग 70 प्रतिशत व्यवसायियों में नवीनीकरण हेतु लाईसेंस शुल्क नहीं जमा किया गया है। निम्न ब्लाको में आटा चक्की /दुकान एवं अन्य व्यवसायियों (भट्ठा पेट्रोल	

	पंप को छोड़कर) लाईसेंस शुल्क न जमा करके नवीकरण न कराने से वर्ष 2011-12 में रु0 1038450.00 एवं वर्ष 2012-13 में रु0 1273100.00 की क्षति हुयी है। जिसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वसूली करके अनुपालन प्रेषित किया जाना चाहिए। इस कृत्य के लिये श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी कर अधिकारी श्री एल0 एन0 खरे अपर मुख्य अधिकारी श्रीमती पुष्पा मिश्रा अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। विकास खण्ड का नाम निम्नवत् है। 1-कौड़िहार प्रथम एवं द्वितीय 2-जसरा 3-चाका 4-कौधियारा 5-करछना 6-शंकरगढ़ 7-हण्डिया 8-प्रतापपुर 9-कोरांव 10-चायल। कोरांव विकास खण्ड में वर्ष 2011-12 के लिये रजिस्टर में व्यवसायियों के नाम एवं शुल्क की स्थिति नहीं अंकित की गयी है।	2311550.00

जनपद— प्रतापगढ़

मण्डल— इलाहाबाद

जिला पंचायत—प्रतापगढ़

प्रस्तर	आपत्ति का विवरण	धनराशि
प्रस्तर 1	भुगतान प्रमाणक संख्या 80 माह मई 2012 जो मार्ग निर्माण से सम्बन्धित है विल की कुल धनराशि रु0 909285.41 से 0.9 प्रतिशत टेण्डर रेट की शर्त के अनुसार रु0 8183.50 की कटौती की जानी थी। किन्तु गणना की त्रुटि से केवल रु0 818.35 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 7365.50 की कटौती कम की गयी। कम कटौती की धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति से जिला पंचायत में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	7365.00
प्रस्तर 2	माह जुलाई 2012 के प्रमाणक संख्या 24 जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित है की कुल धनराशि रु0 594530.00 में से 0.1 प्रतिशत टेण्डर रेट की दर से रु0 594.53 की धनराशि कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि रु0 59.45 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 535.00 से कम कटौती की गयी। कम कटौती की धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति से जिला पंचायत में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	535.00

प्रस्तर 3	व्यय प्रमाणक संख्या 68 जून 2012 जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित है जिसकी कुल धनराशि रू0 374494.20 में 10 प्रतिशत धनराशि रू0 37449.42 की कटौती निविदा अनुबन्ध शर्तों के अनुसार किया जाना था किन्तु रू0 36285.17 की कटौती की गयी। इस प्रकार रू0 1164.25 से कटौती कम की गयी। कम कटौती की धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति से जिला पंचायत में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	1164.25
प्रस्तर 4	माह नवम्बर 2012 के व्यय प्रमाणक संख्या 35 जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित है जिसकी कुल धनराशि रू0 616920.57 है के विल से टेण्डर रेट 0.7 प्रतिशत से धनराशि रू0 4318.00 की कटौती की जानी थी के स्थान पर कटौती रू0 431.00 की की गयी है। इस प्रकार रू0 3887.00 से कटौती कम की गयी है। कम कटौती की धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति से जिला पंचायत में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	3887.00
प्रस्तर 5	भुगतान प्रमाण संख्या 37 माह दिसम्बर 2012 जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित है जिसकी कुल धनराशि रू0 336192.98 है जिस पर 0.9 प्रतिशत विलों के टेण्डर रेट से धनराशि रू0 3025.73 की कटौती की जानी चाहिए थी के स्थान पर कटौती रू0 302.57 ही की गयी। इस प्रकार रू0 2723.16 की कटौती कम की गयी। कम कटौती की धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति से जिला पंचायत में जमा कराया जाना अपेक्षित है।	2723.00

कौशाम्बी मण्डल, इलाहाबाद

जनपद— कौशाम्बी,

अधिभार/अपहरण/दुरुपयोग/गंभीर अनियमितताओं से सम्बन्धित आपत्तियों का
संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	सामान्य आपत्ति संख्या	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण योजना : जिस पर निर्धारित किया गया।	अधिभार की धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम एवं पद
प्रस्तर 1	1(i)	कनवार रेलवे क्रासिंग से फतेहपुर वार्डर तक पी सी कार्य 13वाँ वित्त आयोग 0 से 500 m तक वि०ख० कड़ा	612406.37	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री योगेन्द्र सिंह अवर अभियन्ता
प्रस्तर 2	1(ii)	कनवार रेलवे क्रासिंग से फतेहपुर वार्डर तक पी सी कार्य 13वाँ वित्त उपयोग 500 से 1000 m तक वि०ख० कड़ा	529760.37	तदैव
प्रस्तर 3	1(iii)	कनवार रेलवे क्रासिंग से फतेहपुर वार्डर तक पी सी कार्य 13वाँ वित्त आयोग 100 से 1500मी तक वि०ख० कड़ा	5,51,870.50	तदैव
प्रस्तर 4	1 (iv)	कनवार रेलवे क्रासिंग से फतेहपुर वार्डर तक पी०सी० 13 वॉ वित्त आयोग 1500 से 2000 मी तक वि०ख० कड़ा	5,52,350.50	तदैव
प्रस्तर 5	2	ग्राम मखरूपुर के उत्तर चायल रोड से मखन लाल के घर तक सी०सी० रोड निर्माण वी०आर० जी०एफ वि०ख० नेवादा	2,45,196.00	श्री अजय कुमार राय अ०यु०अधि० "अभय सिंह अभियन्ता "अरुण कुमार श्रीवास्तव अ०अभि०
प्रस्तर 6	3	पैगम्बर से भीटी लाइन से महा मार्ग तक सी०सी०रोड निर्माण वी०आर०जी०एफ० वि०ख०मूरतगंज	4,57,087.25	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद अ०अभि०
		योग	24,48,670.99	
प्रस्तर 7	4	कड़ा अचरावाँ रोड मोलवीपुर वामा लोहदातक पी०सी० कार्य बी०आर०जी०एफ०वि०ख० कड़ा	8,58,521.05	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अ०अभि०
प्रस्तर 8	5	उचरावाँ अटसराय मार्ग से भैरोपुर होते हुए टेढ़ी मोड़ का शेष भाग पर पी० कार्य (900 से 1680मी) बी०आर०जी०एफ० वि०ख० कड़ा	5,99,268.20	तदैव

प्रस्तर 9	6	जी०टी०रोड इलाहाबाद मूरतगंज स०मा० से नौवापुर गांव तक पी०सी० रोड की मरम्मत का शेष भाग रा०वि०आ० वि०ख० मूरतगंज	3,60,834.23	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद अ०अभि०
प्रस्तर 10	7	भरवारी से चाकवन मार्ग पर पी०सी० कार्य तेरहवाँ वि०आ० वि०ख० कड़ा	10,82,033.80	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अ०अभि०
प्रस्तर 11	8	ग्राम सभा विलासपुर से भोजपुर जाने वाली सम्पर्क की मरम्मत एवं पी०सी० कार्य रा०वि०आ० वि०ख० चायल	3,63,407.70	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद अ०अभि०
प्रस्तर 12	9	सिराथू सराय आकिल मार्ग से थाम्भा अलावलपुर मार्ग पर पी०सी० कार्य रा०वि० आयोग वि०ख० कौशाम्बी	10,08,408.54	—तदैव—
प्रस्तर 13	10	करारी वैरागीपुर मार्ग ससे शाहपुर गांव तक पी०सी० कार्य : द्वितीय रीच रा०वि०आ० वि०ख० सरसवां	3,23,185.15	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अ०अभि०
प्रस्तर 14	11	गढ़ी से बरूआ सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग पर पी०सी० कार्य रा०वि०आ० वि०ख० सरसवाँ	2,09,348.92	तदैव
प्रस्तर 15	12	अकबरपुर सड़क से लाल मण्डपम तक पी०सी० कार्य 13वाँ वि०आठ वि०ख० कड़ा	2,75,386.45	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद अ०अभि०
प्रस्तर 16	13	राजापुर मार्ग से उमरा होते हुए कुलौली मार्ग पर पी०सी० कार्य बी०आर०जी०एफ० वि०ख० मूरतगंज	4,90,926.38	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अ०अभि०
प्रस्तर 17	14	सैनी बस स्टैण्ड के सामने से सिराथू रोड तक सी०सी० कार्य बी०आर०जी०एफ० वि०ख० कड़ा	3,03,789.20	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री योगेन्द्र सिंह अ०अभि०
प्रस्तर 18	15	अफजलपुर वारी मजरा से गड़ेरियन के गोड़ा से खारेपुर तक अवशेष भाग पर सी०सी० कार्य बी०आर०जी०एफ० वि०ख० सिराथू	3,56,678.74	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री अवधेश राय अ०अभि०
प्रस्तर 19	16	ग्राम चौराडीह में नागा केशरवानी के घर से मोती के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य बी०आर०जी०एफ० वि०ख० चायल	1,54,462.50	श्री अजय कुमार राय अ०मु०अधि० श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद अ०अभि०
प्रस्तर 20	17	ग्राम चिल्ला सहबाजी में लक्ष्मण प्रसाद के घर से छोटे के घर तक	1,47,069.40	तदैव

		सी0सी0 निर्माण कार्य बी0आर0जी0एफ0 वि0ख0 चायल		
प्रस्तर 21	18	ग्राम बिरौली में जमीलपुर प्राथमिक विद्यालय के पास पक्की रोड से मिठलाई पासी के घर तक सी0सी0 कार्य बी0आर0जी0एफ0 वि0ख0मूरतगंज	1,30,910.76	श्री अजय कुमार राय अ0मु0अधि0 श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री हरिहर सिंह अ0अभि0
प्रस्तर 22	19	ग्राम चरवा से चरवा के अन्दर मेन रोड से संजीव कुमार S/o ज्योतिप्रसाद के घर से पश्चिम ओकपुरी हरिजन बस्ती में भगवत पासी के घर तक सी0सी0 निर्माण बी0आर0जी0एफ0 वि0ख0 चायल	3,26,939.70	श्री अजय कुमार राय अ0मु0अधि0 श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद अ0अभि0
प्रस्तर 23	20	ग्राम परसरा में भरवारी-करारी पक्की सड़क से रामचरन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण बी0आर0जी0एफ0 वि0ख0 मूरजगंज	89,099.78	श्री अजय कुमार राय अ0मु0अधि0 श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री हरिहर सिंह अ0अभि0
प्रस्तर 24	21	ग्राम समसपुर में मनौरी भरवारी मेन रोड से दक्षिण कोरियों की बस्ती तक सी0सी0 रोड निर्माण बी0आर0जी0एफ0 वि0ख0 मूरजगंज	1,44,664.70	तदैव
प्रस्तर 25	22	तिल्हापुर बेनीराम कटरा सम्पर्क मार्ग से कोटिया के पुरवा ग्राम तक सी0सी0 रोड अवशेष निर्माण कार्य रा0वि0आ0 वि0ख0 नेवादा	1,12,216.75	श्री अजय कुमार राय अ0मु0अधि0 श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद अ0अभि0
प्रस्तर 26	23	ग्राम गुबारा तैयबपुर से करारी भरवानी मार्ग से मोतीलाल धोबी केक घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य बी0आर0जी0एफ0 वि0ख0 मंझनपुर	1,51,459.70	तदैव
प्रस्तर 27	24	ग्राम पवरा में पक्की सड़क से पंछी पासी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य बी0आर0जी0एफ0 वि0ख0 मंझनपुर	95,419.75	तदैव
प्रस्तर 28	25	ग्राम खोआ में शिवमोहन के घर से श्यामलाल पासी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण बी0आर0जी0एफ0 वि0ख0 नेवादा	1,20,626.75	श्री अजय कुमार राय अ0मु0अधि0 श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अ0अभि0

प्रस्तर 29	26	ग्राम निजामपुर पुरैनी से पक्की सड़क तक पी0सी0 कार्य बी0आर0जी0एफ0 वि0ख0 चायल	2,43,478.75	श्री अजय कुमार राय अ0मु0अधि0 श्री अभय सिंह अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद अ0अभि0
		अधिभार की धनराशि का कुल योग—	1,08,96,807.54	
		(एक करोड़ आठ लाख छानबे इजार आठ सौ सात रुपये पैसे चौवन मात्र)		

प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा द्वारा संस्था के जिन कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं लेखा परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत् है।

(1) वि0ख0— कड़ा— कनवार रेलवे क्रासिंग से फतेहपुर वार्डर तक पी.सी.कार्य—
दूरी 3 किमी, योजना— 13वां. वित्त आयोग कुल
Chainage = 0-500 Metre

ठेकेदार का नाम — श्री दयाशंकर त्रिपाठी
अवर अभियन्ता — श्री योगेन्द्र सिंह
अभि0 — श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी — श्री अजय कुमार राय
अध्यक्ष — श्री राजेश कुमार कुशवाहा

अपहरित धनराशि— रुपया 6,12,406.37

प्रस्तर 1	आपत्ति						धनराशि
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की माप	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि
	1.	Scraping	600m ²	400m ²	200m ³	8.00	1600.00
				(कनवार रेलवे क्रासिंग से मछली पालन तालाब तक 200m)			
	2.	Supply of 45-63 mm gauge S/Ballest	30m ³	-	30m ³	1004.00	30.120.00
	3.	Supply of 22.4 53mm gauge 51 S/Ballest	174/168m ³	33.60m ³	134.40m ³	1038.50	139574.00
				(20% Pitch work करवाया गया है)			
	4.	Red Morum	34.80m ³	6.96M ³	27.84m ³	867.00	2411.27
	5.	Consolidation of 45.63 mm S/Ballest	30m ³	-	30m ³	108.00	3240.00

	6.	Consolidation of 22.4-53 mm S/Baltest	174/168m3	33.60m3	134.40m3	108.00	14515.00	
	7.	Water Allowance	84m3	-	84m3	20.00	1680.00	
	8.	Supply of 19mm S/G	28.50m3		28.50m3	1955.00	55717.50	
	9.	Supply of maxfault	2.64MT		2.64 MT	38000.00	100320.00	
	10.	Precoting	28.50m3		28.50m3	220.00	6270.00	
	11.	Shifting of No(8)	28.50m3		28.50m3	58.00	16553.00	
	12.	Painting Kits	0.500km		0.500km	3000.00	1500.00	
	13.	Labour Charge	1500m2		1500m2	12.50	18750.00	
	14.	20mm Thick PC work	1500m2		1050m2	132.50	139125.00	
	(10mm Thick में सील कोट मिलाकर 300 मी0 लम्बाई में कार्य करवाया गया)							
	15.	Brick edging	0.500km		0.500km	336000	16800.00	
	16.	Sign Board	1 No.		1 No	10000	10000.00	
				(एक छोटा साइन बोर्ड था जिसे कार्य के बाद उठा ले गये)				
	17.	E/W Patri	350/262.50m3		262.50m3	48.00	12600.00	
	18.	Seal Coat	1500m2		900m2	38.70	34830.00	
		(केवल 300m लम्बाई में करवाया गया)				महायोग	612406.37	

प्रस्तर- 2

ठेकेदार का नाम

अवर अभियन्ता

अभि0

अपर मुख्य अधिकारी

अध्यक्ष

अपहरत धनराशि-

- श्री सुशील चन्द्र मिश्रा

- श्री योगेन्द्र सिंह

- श्री अभय सिंह

- श्री अजय कुमार राय

- श्री राजेश कुमार कुशवाहा

रु0 5,29,760.37

प्रस्तर 2	आपत्ति							धनराशि
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	5,29760.37
	1.	Scraping	600m2	600m2	-	-	-	
	2.	Supply of 45.63 mm gauge S/B	30m3	-	30m3	1004.00	30,120.00	
	3.	Supply of 22.4 53mm gauge 51 S/B	174/168	33.60m3	134.40m3	1038.50	139574.40	
				(Only 20% Pitch work done)				
	4.	Red Morum	34:80m3	6.96M ³	27.84m3	867.00	2411.27	
	5.	Consolidation of 45-60 mm S/B	30m3	-	30m3	108.00	3240.00	
	6.	Consolidation of 22.4-53 mm S/B	174/168m3	33.60m3	134.40m3	108.00	14515.20	
	7.	Water Allowance	84m3	-	84m3	20.00	1680.00	
	8.	Supply of 19mm S/G	28.50m3		28.50m3	1955.00	55217.50	
	9.	Supply of maxfault	2.64MT		2.64 MT	38000.00	100320.00	
	10.	Precoting	28.50m3		28.50m3	220.00	6270.00	
	11.	Shifting of No(8)	28.50m3		28.50m3	58.00	1653.00	
	12.	Painting Kits	0.500km		0.500km	3000.00	1500.00	
	13.	Labour Charge	1500M ²		1500M ³	12.50	18750.00	
	14.	20mm Thick PC work	1500M ²		1050M ²	66.25	99375.00	
	(10mm Thick में सील कोट के साथ मिलाकर)							

	15.	Seal Coat	1500m ²	1500m ²				
	16.	Brick edging	0.500KM		0.500km	336000	16800.00	
	17.	E/W Patri	336M ³		336M ³	48.00	16128.00	
					Total अपहरित धनराशि	महायोग	5,29760.37	

प्रस्तर- 3

III. Changing - 1000- 1500 M-

टेकेदार का नाम	— श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी
अवर अभियन्ता	— श्री योगेन्द्र सिंह
अभि०	— श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी	— श्री अजय कुमार राय
अध्यक्ष	— श्री राजेश कुमार कुशवाहा
अपहरित धनराशि	— रू० 5,51,870.50

प्रस्तर 3	आपत्ति						धनराशि
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि
							5,51,870.50
	1.	Scraping	600m ²	600m ²	-	-	-
	2.	Supply of 45.63 mm gauge S/B	30m ³	-	30m ³	1004.00	30,120.00
	3.	Supply of 22.4 53mm gauge 51 S/B	180M ³	27M ³	153M ³	1038.50	158890.50
			(Only 15% Pitch work done)				
	4.	Morum 20%	36M ³	5.4M ³	30.3M ³	867.00	26530.50
	5.	Consolidation of 45-60 mm S/B	30m ³	-	30m ³	108.00	3240.00
	6.	Consolidation of 22.4-53 mm S/B	180m ³	27M ³	153M ³	108.00	16524.00
	7.	Water Allowance	90	-	90	20.00	1800.00
	8.	Supply of 19mm S/G	28.50m ³	-	28.50m ³	1955.00	55217.50
	9.	Max fault	2.64MT	-	2.64 MT	38000.00	100320.00
	10.	Precoting	28.50m ³	-	28.50m ³	220.00	6270.00

	11.	Shifting of 19 MM	28.50m ³	-	28.50m ³	58.00	1653.00	
	12.	Painting Kits	0.50km	-	0.50km	3000.00	1500.00	
	13.	Labour Charge	1500M ²	-	1500M ³	12.50	18750.00	
	14.	20mm Thick PC work	1500M ²	-	1500M ²	66.25	99375.00	
	(0mm Thick सील में करवाया गया है, सील कोट के साथ)							
	15.	Seal Coat	1500m ²	1500m ²	-	-	-	
	16.	Brick edging	0.500KM	-	0.500km	336000	16800.00	
	17.	E/W Patri	310M ³	-	310M ³	48.00	14880.00	
				-				
				Total अपहरित धनराशि		महायोग	5,51,870.50	

प्रस्तर— 4

IV. Changing - 1000- 1500 M-

ठेकेदार का नाम	— श्री हरिओम
अवर अभियन्ता	— श्री योगेन्द्र सिंह
अभि०	— श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी	— श्री अजय कुमार राय
अध्यक्ष	— श्री राजेश कुमार कुशवाहा
अपहरित धनराशि	— 5,52,350.50

प्रस्तर 4	आपत्ति						धनराशि
क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	5,52,350.50
1.	Scraping	600m ²	600m ²	-	-	-	
2.	Supply of 45.63 mm gauge S/B	30m ³	-	30m ³	1004.00	30,120.00	
3.	Supply of 22.4 53mm gauge 51 S/B	180M ³	27M ³	153M ³	1038.50	158,890.50	
			(Only 15% Pitch work done)				
4.	Morum 20%	36M ³	5.4M ³	30.3M ³	867.00	26530.50	
5.	Consolidation of 45-60 mm S/B	30m ³	-	30m ³	108.00	3240.00	
6.	Consolidation of 22.4-53 mm S/B	180m ³	27M ³	153M ³	180.00	16524.00	
7.	Water Allowance	90	-	90	20.00	1800.00	
8.	Supply of 19mm S/G	28.50m ³	-	28.50m ³	1955.00	55217.50	
9.	Max fault	2.64MT	-	2.64 MT	38000.00	100320.00	
10.	Precoting	28.50m ³	-	28.50m ³	220.00	6270.00	
11.	Shifting of 19 MM	28.50m ³	-	28.50m ³	58.00	1653.00	
12.	Painting Kits	0.50km	-	0.50KM	3000.00	1500.00	

13.	Labour Charge	1500M ²	-	1500M ³	12.50	18750.00	
14.	20mm Thick PC work	1500M ²	-	1500M ²	66.25	99375.00	
(10mm Thick में सील कोट के साथ मिलाकर)							
15.	Seal Coat	1500m ²	1500m ²	-	-	-	
16.	Brick edging	0.500KM	-	0.500km	336000	16800.00	
17.	E/W Patri	320M ³	-	320M ³	48.00	15360.00	
			-				
				Total अपहरित धनराशि	महायोग	5,52,350.50	

प्रस्तर- 5

(2) वि०ख०- नेवादा-ग्राम मखऊपुर के उत्तर चायल रोड से मखन लाल के घर तक सी०सी० रोड निर्माण-दूरी-280 मी०, योजना-BRGF

ठेकेदार का नाम – श्री मोहन लाल; नाम अपर मुख्य-श्री अजय कुमार राय
 अवर अभियन्ता – श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव
 अभि० – श्री अभय सिंह
 अपर मुख्य अधिकारी – श्री अजय कुमार राय
 अध्यक्ष – श्री राजेश कुमार कुशवाहा
 कुल अपहरित धनराशि – रू० 2,45,196.00

प्रस्तर 5	आपति						धनराशि
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि
	1.	CC Work 1:6:12 with Cement, F/S and Brick Ballast	Road Edging	70M ³ 16.80M ³ 86.60M ³	86.80M ³	1890.00	1,64052.00
		ठेकेदार द्वारा पहले मखन लाल के घर की तरफ कुछ खड़जा उखाड़ कर, उसे तोड़कर बिछाना शुरू किया गया, किन्तु गाँव वालों द्वारा खड़जा उखाड़ने से मना करने पर उक्त कार्य (CC1:6:12) का नहीं करवाया गया, किन्तु अवर अभियन्ता द्वारा M.B. में मिथ्या इन्द्राज अंकित कर ठेकेदार को उक्त कार्य का भी भुगतान दिलाया गया।					
	2.	CC Work 1:2:4 with comet, c/s and s/G	70M ³	70M ³	-	-	-
	3.	Brick work with 1:4 (Edging)	38.64M ³	12.88M ³	25.76M ³	2750.00	70,840.00

		-M.B. में उक्त edging कार्य $1 \times 2 \times 280 \times 0.23 \times 0.30 = 38.64 \text{ M}^3$ दर्शाया गया है, जब edging कार्य नीचे खडंजा के ऊपर मात्र $1 \times 2 \times 280 \times 0.23 \times 0.10 = 25.76 \text{ M}^3$ में ही करवाया गया है, किन्तु अ०अभि० द्वारा एम०बी० में मिथ्या इन्द्राज अंकित कर ठेकेदार को बिना किये कार्य का भी भुगतान दिलाया गया।						
	4.	stuck poinging	12.80M ³	-	128.80 M ²	80.00	10,304.00	
			कुल अपहरित धनराशि				2,45,196.00	

प्रस्तर- 6

(2) वि०ख०- मूरतगंज- पैगम्बरपुर से भीटी लाइन से भट्ठा मार्ग तक सी०सी० रोड निर्माण।
लम्बाई- 120 मी० – योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम – श्री मोहन लाल; नाम अपर मुख्य-श्री अजय कुमार राय
अवर अभियन्ता – श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद
अभि० – श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी – श्री अजय कुमार राय
अध्यक्ष – श्री राजेश कुमार कुशवाहा
कुल अपहरित धनराशि – रू० 4,57,087.25

प्रस्तर 6	आपत्ति						धनराशि	
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा / दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	4,57,087.25
	1.	CC Work 1:6:12 with Cement, F/S and Brick Ballast	Road Edging	97M ³ 10.75M ³ 107.50M ³ MB में = 106.95m ³	106.95M ³	1890.00	202135.50	
	नोट— उक्त स्थल पर पहले खडंजा लगा था, ठेकेदार द्वारा खडंजा उखाड़कर उसे तुड़वाकर बिना सीमेण्ट एवं बालू का मिश्रण करवाये सूखा लगभग 5से0मी0 Thickness में बिछाया गया है। बिना ग्राम पंचायत के अनुमति के ग्राम पंचायत का खडंजा उखाड़कर तथा उसे तुड़वाकर गैर कानूनी कार्य किया गया है अतएव ठेकेदार के ऊपर वैधानिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।							
	2.	B/w with 1:4	45.15 M ³	0.58M ³	44.57M ³	2750.00	1,22,567.50	
	नोट— पैगम्बर पुर से भीटी लाइन रोड की तरफ शुरुआत में 25 मी0 लम्बाई में 1x2x25x0.23x0.10 = 0.58 M ³ Brick edging का कार्य करवाया गया है। अन्य किसी स्थान पर कोई Brick work नहीं हुआ है।							
	3.	Brick work 1:2:4 with cement, c/s and 20 MM S/G	77.36M ³	51.60M ³	25.76M ³	4400.00	113344.00	
	सीमेन्ट बोरी स्टैक का अपहरण = 19040.25							

	नोट:- उक्त कार्य (MB 77.36) M ³ दर्शाया गया है, जबकि कार्य मात्र 215x3x0.078 = 51.60 M ³ ही किया गया है। उक्त कार्य में सीमेण्ट बहुत कम प्रयुक्त की गयी है। सीमेण्ट एवं S/G का अनुपात 1:4 के स्थान पर लगी 1:8 प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 5.60M ³ कृत कार्य में 143.85 बोरी सीमेण्ट प्रयुक्त होनी थी, जबकि मात्र 72 बोरी सीमेण्ट ही प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार कम प्रयुक्त सीमेण्ट 71.85 बोरी @265.00 रु0, 19,040.25 सीमेण्ट स्टॉक का और अपहरण किया गया है।	
	कुल अपहरण	4,57,087.25

प्रस्तर- 7

(4) वि०ख०- कड़ा उचरावां रोड मोलवीपुर वाया लोहदा तक-पी०सी०कार्य
लम्बाई -950 मी०, योजना का नाम-BRGF

ठेकेदार का नाम	— श्री विजय सिंह
अवर अभियन्ता	— श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव
अभि०	— श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी	— श्री अजय कुमार राय
अध्यक्ष	— श्री राजेश कुमार कृशवाहा

कुल अपहरित धनराशि

:- ₹ 858521.05

प्रस्तर 7	आपति							धनराशि	
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	858521.05	
	1.	E/W	704.38	704.38	704.38				
	2.	Supply of 45.90 mm S/B	90. M ³	68.30M ³	21.70M ³	1000.00	21700.00		
	3.	Supply of 13-2 mm S/G	18M ³	13.65M ³	4.35M ³	1704.65	7415.00		
	4.	Consolidation of 45-90 mm S/B	90M ³	68.30M ³	21.70M ³	105.00	2278.50		
	5.	Waterf Allow	45	34.15	10.85	26.00	282.10		
	Note- 45-90 mm S/B का कार्य 0.090 Thickness में करवाया गया है।								
	6.	Supply of 45-63 mm S/B	276M ³	—	276M ³	1034.90	2,85,632.40		
	7.	Supply of 11.2 mm S/G	59.80 M ³	—	59.80M ³	1670.30	99,883.94		
	8.	Consolidation of 45-63 mm S/B	276M ³	—	276M ³	118.00	32,568.00		
	9.	Water	138		138	26.00	3588.00		
	10.	Supply of 22.4-53 mm S/B	276M ³	213.75M ³	62.25M ³	1115.00	69,408.75		
	11.	Supply of 11.2 mm S/G	48 M ³	10.82M ³	37.20M ³	1670.30	62,135.16		
	12.	Consolidation of 22.4563 mm S/B	276 M ³	213.75M ³	62.25M ³	118.00	7345.50		
	13.	Water	138M ³	107M ³	31M ³	26.00	806.00		
		Note- 22.4-53 mm S/B का कार्य 0.075 thickness में ही करवायी गयी है अर्थात् 950x3x0.75। इसी से क्रमांक (11), (12) व (13) पर दर्शित मात्रा भी प्रभावित हुई है।							

	14.	Brick edging	475	475	-	-	-	
	15.	20 MM Thick P.C. Work	2820M ²	2850M ²	2850M ²	93.15	265477.50	
		Note- उक्त कार्य Seal Coat के साथ मिलाकर 0.10 M Thickness में किया गया है।						
	16.	Seal Coat	2850M ²	2850M ²	-	-	-	
		कुल अपहरित धनराशि-						858521.05

प्रस्तर- 8

(5) वि०ख०- कड़ा उचरावां अटसरांय मार्ग से भैरोपुर होते हुए टेढ़ीमोड़ का शेष भाग पर पी०सी० कार्य (900-1680एम०)

लम्बाई -780 मी०, योजना का नाम-BRGF

ठेकेदार का नाम - श्री विजय सिंह

अवर अभियन्ता - श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि

:— रु० 599268.20

प्रस्तर 8	आपति							धनराशि	
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	599268.20	
	1.	Scraping of old Painting surface	1170M ²	1170M ²	—	—	—		
	2.	Supply of 22.4-53 mm S/B	226 M ³	—	226 M ³	115.00	251990.00		
	3.	Supply of 11.2 mm S/G	44M ³	—	44 M ³	1670.00	73493.20		
	4.	Consolidation of 22.4-53 mm S/B	226M ³	—	226 M ³	118.00	26,668.00		
	5.	Watar Allowance	113 M ³	—	113M ³	26.00`	2938.00		
	6.	Brick edging	0.78 KM	—	0.78KM	33600.00	26208.00		
	7.	20 MM Thick PC work	2340 M ²	2340M ²	2340M ²	93.15	2,17,971.00		
		Note:- उक्त कार्य 20 MM Thick के स्थान पर 10 MM Thick में करवाया गया है। इसी के साथ Mixed कर दिया गया है। इसलिए उक्त की दर रू0 186.30/ M ² को आधा रू0 93.15/ M ³ की दर से वसूली लिखी गयी है।							
	8.	P/L Seal Coat	2340M ²	2340M ²		-	-		
		कुल अपहरित धनराशि—						599268.20	

प्रस्तर- 9

(6) वि०ख०- मूरतगंज-जी०टी०रोड इलाहाबाद, मूरतगंज स०मा० से नौवापुर गांव तक पी०सी० रोड की मरम्मत का अवशेष भाग-

लम्बाई -350 मी०, योजना का नाम- राज्य वित्त आयोग

ठेकेदार का नाम - श्री महेश चन्द्र

अवर अभियन्ता - श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि

:- ₹ 3,60,834.23

प्रस्तर 9	आपत्ति						धनराशि
क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	360834.23
1.	Scraping of old Painting surface	367.50 M ²	367.50M ²	—	—	—	
2.	Supply of 22.4-53 mm S/B	126 M ³	12.60 M ³	113.40 M ³	958M ³	108,637.00	
3.	Supply of Red Morum	25.20M ³	2.52 M ³	22.68 M ³	826.00	18733.80	
4.	Consolidation of 22.4-53 mm SSB	126M ³	12.60 M ³	113.40 M ³	118.00	13381.20	
	Note- क, 2, 3, एवं 4 से केवल 10% Piteh work हुआ है।						
5.	Brick edging	0.350 KM	—	0.350 KM	33600.00	11760.00	
6.	Supply of 19 MM S/G	19.95 M ³	—	19.95 M ³	1877.30	37452.15	
7.	Supply of Maxfault	1.85 MT	—	1.85MT	42540.00	78699.00	
	Note:-Maxfault जिला पंचायत से इश्यू किया गया है। जो उक्त रोड में प्रयुक्त नहीं हुआ है।						
8.	Supply of Painting Kit	0.350KM		0.350KM	3000.00	1050.00	
9.	Precoting of 19MM S/G	19.95M ³		19.95M ³	58.00	1157.10	
10.	Recortage of 19 MM S/G	19.95M ³		19.95M ³	58.00	1157.10	
11.	Labour Charge of P.Coating	1050M ²		1050M ²	12.50	13125.00	
12.	P/L of 20 MM Thick PC	1050M ²	1050M ²	1050M ²	69.00	72450.00	
13.	P/L of Seal Coat	1050M ²	1050M ²	—	—	—	
	Note: PC work 20mm thick के स्थान पर 10mm thick में seal coat के साथ मिलाकर कार्य किया गया।						
	कुल अपहरित धनराशि-						360834.23

प्रस्तर-10

(7) वि०ख०- कड़ा- भरवारी से चाकवन मार्ग पर पेंटिंग कार्य-
लम्बाई -1 KM, योजना का नाम- तेरहवां वित्त आयोग

ठेकेदार का नाम - श्री राम पाल

अवर अभियन्ता - श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि

:- ₹ 10,82,033.80

प्रस्तर 10	आपत्ति							धनराशि
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	1082033.80
	1.	Scraping of old Painting surface	1320 M ²	1320 M ²	—	—	—	
	2.	Supply of 22.4-53 mm S/B	363 M ³	54.45 M ³	308.55 M ³	976M ³	301144.80	
	3.	Supply of Red Morum	72.60M ³	10.89 M ³	61.71 M ³	844.00	52114.10	
	4.	Consolidation of 22.4-53 mm SSB	363M ³	54.45.60 M ³	308.55 M ³	118.00	36408.90	
	5.	Water Allow	181.50	27.23 M ³	154.27 M ³	20.00	3085.40	
	Note- 22.4-53 MM S.S.B. से केवल 15% Pitch Work हुआ है।							
	6.	Supply of 19 MM Dala Grit	62.70 M ³	—	62.70 M ³	1983.00	118691.10	
	7.	Supply of 19 Max fault	5.808 MT		5.808 MT	38000	220,704.00	
	8.	Precoting of Dala grit	62.70 M ³	—	62.70 M ³	220.00	13794.00	
	9.	Shifting of dala girt	62.70 M ³	—	62.70 M ³	58.00	3636.60	
	10.	Supply of Painting Kit	1 KM		1 KM	3000.00	3000.00	
	11.	Labour of Ist Coat Painting	3300M ²		3300M ²	12.50	41250.00	
	12.	P/L of 20 MM Thick PC	3300M ²	3300M ²	3300M ²	65.25	2,15,325.00	
	13.	P/L of Seal Coat	3300M ²	3300M ²	—	—	—	
	Note-20 MM Tic PC work 10 mm Thickness में Seal Coat के मिश्रण के साथ हुआ है।							
	14.	Brick edging	1 KM		1 KM	33600.00	33600.00	
	15.	Sign Board	1 No.		1 No.	10,000.00	10,000.00	
	16.	E/W in Patri	610 M ³		6140 M3	48.00	29280.00	
		कुल अपहरित धनराशि—						1082033.80

प्रस्तर 11	आपति							धनराशि	
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्र/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	363407.70	
	1.	Scraping of 45-63 MM S.S.B.	105 M ³		105 M ³	898.00	94290.00		
	2.	Supply of 22.4-53 mm S.S.B.	105 M ³	73.50 M ³	31.50 M ³	923.5M ³	29373.75		
		[22.4-53 MM SSB का कार्य 0.07 M Thickness में बिछायी गयी है]							
	3.	Consolidation of 45-63 mm SSB	105 M ³	-	105 M ³	118.00	12390.30		
	4.	Supply of Red Morum	21M ³	14.70 M ³	6.3 M ³	801.00	5046.30		
	5.	Water Allow					-		
	6.	Consolidation of 22.4-53 mm SSB	105M ³	73.5 M ³	31.50 M ³	118.00	3717.00		
	7.	Brick edging	0.350KM	—	0.35KM	33600.00	11760.00		
	8.	Supply of 19 MM Stone/Grit	19.95 MT	—	19.95 M ³	1855.00	37007.25		
	9.	Max Fault	1.85 MT	—	1.85 MT	42540.00	78699.00		
		[Max fault जिला पंचायत से लिया गया है, किन्तु प्रयोग नहीं किया गया]							
	10.	Supply of Painting kit	0.350 KM	3000	-	-	-		
	11.	Precoting of S/G	19.95 M ³	-	19.95M ³	220.00	4389.00		
	12.	Recortage	19.95M ³	-	19.95M ³	58.00	1157.10		
	13.	Labour of Precoting	1050M ²	-	1050M ²	12.50	13125.00		
	14.	P/L of 20 MM Thick PC	1050M ²	1050M ³	1050M ³	69.00	72,450.00		
		[20 MM Thick के स्थान पर लगभग 10MM Thickness में Seal Coat के साथ कार्य करवाया गया है]							
	15.	Seal Coat	1050M ²	1050M ²	-	-	-		
		वसूली योग्य धनराशि—						363407.70	

प्रस्तर-13

(7) वि०ख०- सरसवां-करारी वैरागीपुर मुख्य मार्ग से शाहपुर गांव तक पी.सी.कार्य द्वितीय रीच।
लम्बाई -380 मी०, योजना का नाम- राज्य वित्त आयोग

ठेकेदार का नाम - श्री विजय सिंह
अवर अभियन्ता - श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव
अभि० - श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय
अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि

:— ₹ 323185.15

प्रस्तर 13	आपति							धनराशि
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्र/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	323185.15
	1.	Scraping of old Painted Surface	456 M ²	456 M ²	-	-	-	
	2.	Supply of 22.4-53 mm S.S.B.	130 M ³	19.50 M ³	110.50 M ³	1101.00	121650.50	
	3.	Supply of Monum	26.20M ³	-	26.20M ³	969.40	25398.28	
	4.	Consolidation of 22.4-53 MM S.S.B.	130 M ³	19.50 M ³	110.50 M ³	118.00	13039.00	
Note:- 22.453 MM SSB का कार्य प्रारम्भ में 10 मी० ल० एवं 1 मी० चौड़ाई में किया गया है, इसके अलावा केवल Pitching Work हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 15% S.S.B.] का प्रयोग किया गया है—								
	5.	Supply of 19 MM S/G	21.60 M ³	-	21.60M ³	2017.70	43582.32	
	6.	Supply of Max Fault	2.0064 MT	-	2.0064 MT	42540.00	85352.25	
		Max fault जिला पंचायत द्वारा सप्लाई की गयी है।						
	7.	Precoting of S/G	21.60 M ³	-	21.60 M ³	220.00	4752.80	
	8.	Shifting of S/G	21.60 M ³	-	21.60 M ³	58.00	1252.80	
	9.	Painting Kits	0.38 KM	.	0.30 KM	3600.00	1140.00	
	10.	Labour	1140 M ²	.	1140 M ²	12.50	14250.00	
	11.	P/L 20 MM Thick / C.	1140 M ²	1140 M ²	1140 M ²	-	-	
	12.	P/L of Seal Coat	1140M ²	1140M ²	-	-	-	
	13.	Brick edging	0.38 km	-	0.38 km	33600.00	12768.00	
		वसूली योग्य धनराशि—					323185.15	

प्रस्तर-14

(11) वि०ख०- चायल- ग्राम सभा विलासपुर से भोजपुर जाने वाली स०मा० की मरम्मत एवं पी०सी० कार्य-
लम्बाई -250 मी०, योजना का नाम- राज्य वित्त आयोग

ठेकेदार का नाम - श्री विजय सिंह

अवर अभियन्ता - श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि

:— रु० 209348.92

प्रस्तर 14	आपत्ति							धनराशि
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	209348.92
	1.	Supply of 22.453 MM S.S.B.	90 M ³	18 M ³	72 M ³	1069.70	77018.40	
	2.	Supply of Red Morum	18 M ³	-	18 M ³	938.20	16,887.6034	
	3.	Consolidation of 22.4-53 MM S.S.B.	90M ³	18M ³	72M ³	118.00	8496.00	
Note:- 22.4-53 MM SSB की केवल 20% मात्रा से Pitching कार्य हुआ है—								
	4.	Supply of 19 MM Stone Grit	14.25 M ³	-	14.25 M ³	1986.50	28307.62	
	5.	Supply of Max Fault	1.32 MT	-	1.32 MT	42540.00	56152.80	
Note:- Max fault जिला पंचायत द्वारा सप्लाई की गयी। जिसका प्रयोग नहीं हुआ है।								
	6.	Precoting of S/G	14.25M ³	-	14.25M ³	220.00	3135.00	
	7.	Shifting of S/G	14.25M ³	-	14.25M ³	58.00	826.50	
	8.	Painting Kits	0.25 KM	.0.25 KM		3000.00	750.00	
	9.	Labour of 1st coat	750M ²	-	750M ²	12.50	9375.00	
	10.	P/L 20 MM Thick /P C. work	750M ²	750M ²	-	-	-	
	11.	P/L of Seal Coat	750M ²	750M ²	-	-	-	
	12.	Brick edging	0.25 Km	-	0.25 km	33600.00	8400.00	
		वसूली योग्य धनराशि—						209348.92

प्रस्तर-15

(12) वि०ख०— कड़ा—अकबरपुर सड़क से लाल मण्डप घाट तक पेंटिंग कार्य
लम्बाई —400 मी०, — योजना का नाम— तेरहवां वित्त आयोग

ठेकेदार का नाम — श्री महेश चन्द्र
अवर अभियन्ता — श्री सुभाष चन्द्र प्रताप
अभि० — श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी — श्री अजय कुमार राय
अध्यक्ष — श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि :- ₹0 275386.45

प्रस्तर 15	आपत्ति							धनराशि
	क्र	कार्य विवरण	प्राक्कलित मात्रा/दर्शित कार्य की मात्रा	कार्य की मात्रा जो करवाया गया	कार्य की मात्रा जो नहीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया	दर	वसूली योग्य धनराशि	275,386.45
	1.	Supply of 45-63 MM S.S.B.	120 M ³	-	120 M ³	966.80	116016.00	
	2.	Consolidation of 45.63 MM S.S.B.	120 M ³	-	120 M ³	118.00	14160.00	
	3.	Supply of 33.4-53 MM SSB	95.90 M ³	95.90 M ³	-	-	-	
	4.	Supply of Red Morum	19.75 M ³	19.75 M ³	-	-	-	
	5.	Consolidation of 22.4-53 MM SSB	95.90 M ³	95.90 M ³	-	-	-	
	6.	Water Allowance	47.90 M ³	47.90 M ³	-	-	-	
	7.	Shifting of 19 MM S/G	22.75 M ³	-	22.75	1917.80	43.629.95	
	8.	Supply of Max Fault	2.112 M ³	-	2.112 MT	38000.00	80256.00	
	9.	Precoting	22.75 M ³	-	22.75 M ³	220.00	5005.00	
	10.	Shifting of S/G Labour	22.75 M ³	-	22.75 M ³	58.00	1319.00	
	11.	Labour	1200 MT	.	1200 m ²	12.50	15000.00	
	12.	P/L 20 mm Thickness	1200 M ²	1200 M ²	-	-	-	
	13.	P/L Seal Coat	1200 M ²	1200 M ²	-	-	-	
	14.	Patri E/W	469.87	469.87	-	-	-	
	15.	Brick work edging	0.400 KM	0.400 KM	-	-	-	
		वसूली योग्य धनराशि—						275,386.45

प्रस्तर-18

(15) वि०ख०- सिराथू- अफजलपुर बारी मजरा से गड़ेरियन के गोड़ा से खादेपुर तक अवशेष भाग पर सी०सी० कार्य।

लम्बाई -400 मी०, योजना का नाम- राज्य वित्त आयोग

ठेकेदार का नाम - श्री भागीरथी कं० प्रो० रमेश चन्द्र यादव

अवर अभियन्ता - श्री सुभाष चन्द्र प्रताप

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि - 356678.74

प्रस्तर 18	आपत्ति							धनराशि
	क्र	कार्य विवरण	एम0बी0 में प्रदर्शित कृत कार्य	कार्य जो करवाया गया	कार्य जो नीं करवाया गया किन्तु भुगतान किया गया।	दर	वसूली योग्य धनराशि	356678.74
	1.	Supply of 22.40 53mm SSB.	139.67m ³	20.95m ³	118.72m ³	1115.00	132,372.80	
	2.	Supply of 11.2 MM S/G	22.80m ²	-	22.80m ³	1670.00	38076.00	
	3.	Consolidation of 22.4-53 MM SSB.	139.67m ³	20.95m ³	118.72m ³	118.00	14008.96	
	4.	Water Allow	58.20m ³	10.47 ³	47.73m ³	26.00	1240.98	
[Note 15% Pitching कार्य हुआ है।								
	5.	Brick edging	320M ²	-	320M ³	185.00	59200.00	
	6.	P/L of 20 MM Thick P.L. work	1200M ² /2	1200m ³ /2	1200M ³	186.30	111780.00	
	7.	P/L Seal wat	1200M ²	1200M ³	-	-	-	
[PC Work 0.10M Thickness में करवाया गया है, जिसमें seal coat mixed कर दिया गया है।]								

प्रस्तर-19

(16) वि०ख०- चायल- ग्राम चौराडीह में नागा केशरवानी के घर से मोती के घर तक सी०सी०रोड निर्माण
लम्बाई -170 मी०, योजना का नाम- सी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्री विजय सिंह

अवर अभियन्ता - श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि - 154462.50

प्रस्तर-19	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	154462.50
		Foundation	19.80M ³	51.00	1009.80	1009.80	
	Note:- Edging कार्य हेतु M.B. में 19.80m ³ foundation E/W दर्शाकर ठेकेदार को भुगतान किया गया है, जबकि उक्त कार्य करवाया ही नहीं गया है। सत्यापन में बिना foundation work के पुराने खड़न्जे के ऊपर ही edging कार्य करवाया गया है।						
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road + Edging	5.30M ³	1890.00	100170.00	MB के अनुसार भुगतान, जो निम्नांकित आपत्तियों के अधीन वास्तविक भुगतान योग्य धनराशि से अधिक है
		-do-	Nali	-	-	-	
		(i) As per M.B. work done.		53.00M ³			
		(ii) As per physical Audit work done.		32.51M ³			
		(iii) Excess work shown in MB		20.49M ³			
		(iv) Rate per cubic metre.		1890.00			
		(v) Recoverable amt.		38726.10		38726.10	

Item of work	Qty M ³ Work done as per Audit	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
		सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		

	CC 1:6:12	32.51M ³	73.15	15.27	32.51M ³	
	दर	-	265.00	500.00	117.00	
	अपहरित धनराशि	-	19384.75	7635.00	3803.67	
Recoverable Total Amt:- Rs. 19384.75+7635.00+3803.67 = 30823.40						

	3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =	Work done as per MB	As per physical Audit work done	As per Audit used old kharanja bricks	Rate of bricks	To be paid Amt.	
	Nali	15.18M ³	15.18M ³	6982 Bricks	3600.00 (1000)	25135.20	
	4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/G	Work done as per MB	As per physical Audit work done	As per Audit used old kharanja bricks	Rate of bricks	To be paid Amt.	
	(i) Work done as per M.B.			43.10M ³			
	(ii) Work done as per physical audit 170x2.55x0.075			32.51M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.			10.59M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.			4400.00			
	(v) Recoverable Amt.			46696.00			
	5. Plaster/Stuck Painting.						
	Note: Stuck pointing का कार्य नहीं किया गया है।						
	Stuck pointing मद में भुगतान की धनराशि जो Recoverable है— 75.90x80= 60					6072.00	
	6. E/W Patri xxx						
	7. Material shifting :- (i) फर्जी भुगतान किया गया है जो Recoverable है					1100.00	
	8. साइनबोर्ड नहीं लगवाया गया है। मकान की दीवाल में ग्राम प्रधान द्वारा ग्रेनाइट पत्थर पर योजना का नाम अपर मु0अ0 का नाम ग्राम प्रधान का नाम लिखा गया है, अतएव उक्त पर व्यय दर्शित धनराशि Recoverable है					5000.00	
	कुल वसूली Amt:- 1009.80+38726.10+30823.40+25135.20 + 46596.00 + 6072.00 + 1100.00 + 5000.00						
	वसूली योग्य धनराशि—					154462.50	

प्रस्तर-20

(17) वि०ख०- चायल- ग्राम चिल्ला सहबाजी में लक्ष्मण प्रसाद के घर से छोटे लाल के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।

लम्बाई -150 मी०,

योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्री प्रदीप कुमार

अवर अभियन्ता - श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि - रु० 147069.4

प्रस्तर-20	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	147069.4
		Foundation	18.00M ³	51.00	918.00	918.00	
	Note:- Edging कार्य हेतु M.B. में 18.80m ³ दर्शाकर रु० 918.00 ठेकेदार को भुगतान किया गया है, जबकि पुराने खड़न्जे के ऊपर Edging कार्य करवाया गया है। E/W Foundation हुआ ही नहीं।						
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road + Edging	53.0m ³	1890.00	79380.00	MB के अनुसार भुगतान, जो निम्नांकित आपत्तियों के अधीन वास्तविक भुगतान से अधिक है।
		-do-	Nali	-	-	-	-
		(i) As per M.B. work done.		42.00M ³			
		(ii) As per physical Audit work done.		24.75M ³			
		(iii) Excess work shown in MB		17.25M ³			
		(iv) Rate per cubic metre.		1890.00			
		(v) Recoverable amt.		32602.50		32602.50	

Item of work	Qty M ³	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
		सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		
पुराना खड़न्जा उखाड़ना B/Ballast बनाया गया है।					
CC 1:6:12	24.75M ³	55.68 Bags	11.63M ³	24.75M ³	

	दर	480.00	265.00	500.00	मिश्रण मजदूरी को B/B तोड़ने की मजदूरी माना गया है।	
	अपहरित धनराशि	11880.00	14755.00	5815.00		
Recoverable Total Amt:- Rs. 11880.00 + 14755.20 + 5815.00 = Rs. 32450.20						

	3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =	Work done as per MB	As per physical Audit work done	As per Audit used old kharanja bricks	Rate of bricks	To be paid Amt.	
	Nali	20.70M ³	20.70M ³	9522 Bricks	3600.00 (1000)	34279.20	
	4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/G	Work done as per MB	As per physical Audit work done	As per Audit used old kharanja bricks	Rate of bricks	To be paid Amt.	
		20.70M ³	20.70M ³	9522 Bricks	3600.00/ (1000)	34279.20	
	(i) Work done as per M.B.			33.00M ³			
	(ii) Work done as per physical audit 150x2.20x0.075			24.75M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.			8.25M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.			4400.00			
	(v) Recoverable Amt.			36300.00			
	5. Plaster/Stuck Painting.						
	Note: Stuck pointing का कार्य नहीं किया गया है।						
	Stuck pointing मद में भुगतान की धनराशि जो Recoverable है- 69x80= 5520.00					5520.00	
	6. E/W Patri						
	7. Sign Board:-						
	(i) साइनबोर्ड नहीं लगवाया गया है। उक्त मद में जो Recoverable Amt. है 1No. x 5000.00					5000.00	
	कुल वसूली Amt:- 918.00+32602.50+32450.20+34279.20+36300.00+5520.00+5000.00					1,47,069.40	
	वसूली योग्य धनराशि-					147069.4	

प्रस्तर-21

(18) वि०ख०- मूरतगंज- ग्राम विरौली में जलीलपुर प्राथमिक विद्यालय के पास पक्की रोड से मिठलाई पासी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण।

लम्बाई -128 मी०, योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्री राम पाल

अवर अभियन्ता - श्री हरिहर सिंह

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि - 130910.76

प्रस्तर-21	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	130910.76
		Foundation	21.76M ³	51.00	1109.76	1109.76	
	Note: MB में E/W Edging Foundation work 21.76M ³ दर्शाकर Rs. 1109.76 उक्त ठेकेदार को भुगतान किया गया है। जबकि पुराने खड़न्जे के ऊपर Edging कार्य करवाया गया है। E/W foundation का कार्य हुआ ही नहीं।						
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road + Edging	47.92M ³	1890.00	90568.80	जबकि निम्न विवरणानुसार मात्र 26.40M ³ ही उक्त कार्य हुआ है।
		-do-	Nali	-	-	-	-
		(i) As per M.B. work done.		47.92M ³			
		(ii) As per physical Audit work done. 128x2.5x0.075+10%		26.4M ³			
		(iii) Excess work shown in MB		21.52M ³			
		(iv) Rate per cubic metre.		1890.00			
		(v) Recoverable amt.		40672.80		40,672.80	

Item of work	Qty M ³	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
पुराना खड़न्जा उखाड़ना		सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		
B/Ballast बनाया गया है।					

	CC 1:6:12	26.40M ³	59.40	12.40	26.40	
	दर		365.00	500.00	117.00	
	अपहरित धनराशि		15741.00	6200.00	3088.80	
Recoverable Total Amt:- Rs. 15741.00+6200.00+3088.80					= Rs. 25029.80	

	3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =					
	(i) Work done as per M.B.		17.66M ³			
	(ii) Work done as per physical audit 150x2.20x0.075		11.18M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.		6.48M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.		2750.00			
	(v) Recoverable Amt.		17820.00			
	5. Plaster/Stuck Painting.					
	4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/G					
	(i) Work done as per M.B.		31.97M ³			
	(ii) Work done as per physical audit 150x2.20x0.075		24.00M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.		7.97M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.		4400.00			
	(v) Recoverable Amt.		35068.00			
	5. Plaster/Stuck Painting of edging work नहीं कराया गया है।					

	अतएव Stuck pointing मद में भुगतान की धनराशि जो Recoverable है- 58.88x80=	4710.40	
	6. Shifting charge - Shifting charge देय नहीं था किन्तु As per MB ठेकेदार को भुगतान किया अतएव shifting charge of recoverable धनराशि - 1 Job x 1500.00	1500.00	
	7. Sign Board:-		
	(i) साइनबोर्ड नहीं लगवाया गया है। उक्त मद में जो Recoverable Amt. है 1No. x 5000.00	5000.00	
	कुल वसूली Amt:- 1109.76+40672.80+25029.80+17820.00 + 35068.00+4710.40+1500.00+5000	130910.76	
	वसूली योग्य धनराशि-	130910.76	

प्रस्तर-22

(19) वि०ख०- चायल- ग्राम चरवा में भगवत पासी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण, चरवा के अन्दर मेन रोड से संजीव कुमार पुत्र ज्याति प्रसाद के घर से पश्चिम थोक पुरी हरिजन बस्ती

लम्बाई -310 मी०

योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्री प्रदीप कुमार

अवर अभियन्ता - श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि - 326939.70

प्रस्तर-22	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	326939.70
		Foundation	37.20M ³	51.00	1897.00	1897.20	
	Note: MB में E/W Edging Foundation work 37.20M ³ दर्शाकर Rs. 1897.20 उक्त ठेकेदार को भुगतान किया गया है। जबकि पुराने खड़न्जे के ऊपर Edging कार्य करवाया गया है। foundation खुदाई हेतु E/W का कार्य हुआ ही नहीं।						
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road +	18.60M ³	1890.00		
			Edging	112.50M ³	1890.00	35154.00	जबकि As per physical Audit Edging कार्य हेतु CC 1:6:12 का र्का नहीं किया गया है क्योंकि सीधे खड़न्जा के ऊपर Edging कार्य हुआ है।
		-do-	Nali	131	1890.00	2477790.00	-
	Note: C.C. work 1:6:12 से Edging कर्य 189600 ³ दर्शाकर ठेकेदार को रूपे 35154.00 का भुगतान किया गया है। जबकि उक्त कार्य नहीं कराया गया है। अतएव Recoverable Amt.						35154.00

Item of work	Qty M ³	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
		सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		
CC 1:6:12	112.50M ³	253 Bags	52.85M ³	112.50	

	दर	-	265.00	500.00	117.00	
	अपहरित धनराशि	-	67045.00	26425.00	13162.50	
Recoverable Total Amt:- Rs. 67045.00 + 26425.00 + 13162.50 =						= Rs. 106632.50

	3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =					
	(i) Work done as per M.B. 1x2x310x0.23x0.30=		42.78			
	(ii) Work done as per physical audit 1x2x310x0.23x0.30=		27.10			
	(iii) Excess work shown in M.B.		15.61			
	(iv) Rate per cubic metre.		2750.00			
	(v) Recoverable Amt.		43120.00			
	5. Plaster/Stuck Painting.					
	4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/G					
	(i) Work done as per M.B.					
	(ii) Work done as per physical audit 115x3x0.075=		84.38M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B. 195x4x0.075		28.12M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.		4400.00			
	(v) Recoverable Amt.		123728.00			
	5. Plaster/Stuck Painting का कार्य नहीं हुआ है अतएव Recoverable Amt. - 142.60x80=		1140.00			
	6. Sign Board- Sign board नहीं लगाया गया है जबकि उक्त मद का भुगतान किया गया है। अतएव Recoverable Amt. (1No. x 5000.00)		5000.00			
	7. Total Recoverable Amt. 1897.20+35154.00+106632.50+ 43120.00 + 43120.00 + 123728.00+11408.00+5000.00=		326939.70		326939.70	

प्रस्तर-23

(20) वि०ख०- चायल- ग्राम परसरा में भरवारी करारी पक्की सड़क से रामचरन के घर तक सी.सी. रोड

लम्बाई -96 मी०

योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्री विजय सिंह

अवर अभियन्ता - श्री हरिहर सिंह

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि - 89099.78

प्रस्तर-23	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	
		Foundation	9.54M ³	51.00	486.54	486.54	89099.78
	Note: MB में E/W Edging Foundation work दर्शाकर 486.54 का ठेकेदार को किया गया है। जबकि पुराने खड़न्जे के ऊपर Edging कार्य करवाया गया है। foundation खुदाई हेतु E/W का कार्य हुआ ही नहीं।						
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road + Edging	34.13M ³	1890.00	64505.70	जबकि As per physical Audit Edging कार्य हेतु CC 11:6:12 का र्का नहीं किया गया है क्योंकि सीधे खड़न्जा के ऊपर Edging कार्य हुआ है।
			Nali				

	(i) As per MB work done shown.	34.13M ³			
	(ii) Work done as per physical audit 1x1x96x2.35x0.75+10% undulation	18.62M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.	15.51M ³			

	(iv) Rate per cubic metre.	1890.00			
	(v) Recoverable Amt.	29313.90		29313.90	

	Item of work	Qty M ³ work done as per physical Audit	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
			सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		
	CC 1:6:12	18.62M ³	4190 Bags	8.75M ³	18.62M ³	
	दर	-	265.00	500.00	117.00	
	अपहरित धनराशि	-	11103.50	4375.00	2178.54	
Recoverable Total Amt:- Rs. 11103.50+4375.00+2178.54					= Rs. 17657.04	

	3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =					
	(i) Work done as per M.B. 1x2x96x0.23x0.30=			13.24M ³		
	(ii) Work done as per physical audit 1x2x96x0.23x0.19=			8.39M ³		
	(iii) Excess work shown in M.B.			4.85M ³		
	(iv) Rate per cubic metre.			2750.00		
	(v) Recoverable Amt.			13337.50		
	4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/G					
	(i) Work done as per M.B. 96x2.35x0.10			22.55M ³		
	(ii) Work done as per physical audit 96x2.35x0.075			16.92M ³		
	(iii) Excess work shown in M.B.			5.63M ³		
	(iv) Rate per cubic metre.			4400.00		
	(v) Recoverable Amt.			24772.00		
	5. Plaster/Stuck Painting का कार्य नहीं हुआ है अतएव Recoverable Amt. - 44.16x80.3532.80= 3532.60			3532.60		
	Total Recoverable Amt. 486.54+29313.90+17657.04+13337.50+24772.00+3532.80=			89099.78		

प्रस्तर-24

(21) वि०ख०- चायल- ग्राम समसपुर से मनौरी भरवारी मेन रोड से दक्षिण कोरियो की बस्ती तक सी.सी. रोड

लम्बाई -193 मी०

योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्री प्रदीप कुमार

अवर अभियन्ता - श्री हरिहर सिंह

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि - 144664.70

प्रस्तर-24	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	144664.70
		Foundation	2085M ³	51.00	1063.35	1063.35	
	Note: MB में E/W Edging Foundation work दर्शाकर 20.85M ³ का ठेकेदार को रू० 1063.35 भुगतान किया गया है। जबकि उक्त कार्य हुआ ही नहीं।						
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road + Edging	864.00M ³	1890.00	163296.00	जबकि भौतिक आडिट में उक्त कार्य मात्र 45.65M ³ ही पाया गया विवरण निम्न है।
		-do-	Nali	-	-	-	

	(i) As per M.B. work done shown	86.40M ³			
	(ii) As per physical audit work found 72x4.23x0.06+121x3.20 x 0.06 + 10%	45.65M ³			

	(iii) Excess work shown in M.B.	30.75M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.	1890.00			
	(v) Recoverable Amt.	58117.50		58117.50	

Item of work	Qty M ³ work done as per physical Audit	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
		सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		
CC 1:6:12	45.65M ³	102.70 Bags	21.45M ³	46.65M ³	
दर	-	265.00	500.00	117.00	
अपहरित धनराशि	-	21215.50	10725.00	5456.85	
Recoverable Total Amt:- Rs. 27215.50+10725.00+5456.85 = Rs. 43397.35					

3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =						
(i) Work done as per M.B.			29.30M ³			
(ii) Work done as per physical audit 1x2x193x0.23x0.19=			16.87M ³			
(iii) Excess work shown in M.B.			12.43M ³			
(iv) Rate per cubic metre.			2750.00			
(v) Recoverable Amt.			34182.50			
4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/G		x	x			
5. Plaster/Stuck Painting का कार्य नहीं हुआ है अतएव Recoverable Amt. - 98.80x80 = 7904.00			7904.00			
Total Recoverable Amt. 1063.35+58117.50+43397.35+34182.50 + 7904.00 = 144664.70			144664.70			
			144664.70			

प्रस्तर-25

(22) वि०ख०- नेवादा- ग्राम सभा तिल्हापुर वेनीराम कटरा सम्पर्क मार्ग से कोटिया के पुरवा ग्राम तक सी. सी. रोड के अवशेष भाग।

लम्बाई -175 मी०,

योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - मे० अमर सिंह कं०

अवर अभियन्ता - श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि

:- ₹ 112216.75

प्रस्तर-25	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	112216.75
		Foundation	270M ³	56.50	15255.00	15255.00	
Note: Road पर E/W सांसद निधि से करवाया गया है, MB में मिश्रित अंकन कर उक्त मद का भुगतान ठेकेदार को किया गया है।							
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road + Edging	52.50M ³	1717.00	90142.00	जबकि भौतिक सत्यापन में कार्य मात्र 39.37M ³ ही पाया गया विवरण निम्नवत है।
		-do-	Nali	-	-	-	

	(i) As per M.B. work done shown	52.50M ³			
	(ii) As per physical audit work found 175x3x0.075=	39.37M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.	13.13M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.	1717.00			
	(v) Recoverable Amt.	22544.20		22544.20	

	Item of work	Qty M ³ work done as per physical Audit	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
			सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		
	CC 1:6:12	39.37M ³	88.58 bags	18.50M ³	39.37M ³	
	दर	-	265.00	500.00	117.00	
	अपहरित धनराशि	-	23473.70	9250.00	4606.30	
Recoverable Total Amt:- Rs. 23473.70+9250.00+4606.30=						= Rs. 37330.00

	3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =						
	(i) Work done as per M.B.			24.15M ³			
	(ii) Work done as per physical audit 2z175x0.23x0.19			15.30M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.			8.85M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.			2763.00			
	(v) Recoverable Amt.			24452.55			
	4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/G		x	x			
	5. Stuck Painting का कार्य नहीं कराया गया है। अतएव Recoverable Amt. - 80.50x70 =			5635.00			
	6. Shifting material:- Shifting charge का काल्पनिक भुगतान किया गया है। Material की stacking के लिए प्रमाण स्थान 30 मी0 के उपलब्ध था। 1 job x 10000			10000.00			
	अतएव Recoverable Amt.= 15255.00+22544.20+ 37330.00 + 24452.55+5635.00+10000.00			112216.75			

प्रस्तर-26

(23) वि०ख०- मंझनपुर- ग्राम गुवारा तैयबपुर से करारी भरवारी कार्य से मोतीलाल धोबी के घर तक सी. सी. रोड के निर्माण कार्य।

लम्बाई -360 मी०, योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्री धनराज

अवर अभियन्ता - श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि - रू० 151459.70

प्रस्तर-26	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	151459.70
		Foundation	32.70M ³	51.00	1667.70	1667.70	
	Note: MB में E/W foundation for edging work 32.70M ³ दर्शाकर ठेकेदार को भुगतान किया गया है जबकि उक्त कार्य करवाया ही नहीं गया।						
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road +	M.B.	Rate	Paid	Recoverable Amt.
			Edging	520.00M ³	1890.00	98280.00	
		-do-	Nali	17.0M ³	1890.00	32130.00	32130.00
	Note: Edging कार्य हेतु C.C. work 1:6:12 का कार्य नहीं करवाया गया है क्योंकि खड़न्जा के ऊपर ही Edging करवायी गयी है। अतएव Edging c.c. work में भुगतान दर्शित धनराशि वसूली योग्य है।						

	Item of work	Qty M ³ work done as per physical M.B.	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
			सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		
	CC 1:6:12	52.00M ³	117 bags	24.44M ³	52.0M ³	
	दर	-	265.00	500.00	117.00	
	अपहरित धनराशि	-	31005.00	12220.00	6084.00	
Total Amt:- Rs. 31005.00 + 12220.00 + 6084=			49309.00		= Rs. 49309.00	

	3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =						
	(i) Work done as per M.B.			49.68M ³			
	(ii) Work done as per physical audit 1x2x360x0.23x0.19=			31.46M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.			18.22M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.			2750.00			
	(v) Recoverable Amt.			50105.00			
	4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/G		x	x			
	5. Stuck Pointing का कार्य नहीं कराया गया है। अतएव उक्त मद में व्यय दर्शित धनराशि Recoverable Amt. 165.60x80=13248.00			13248.00			
	6. Sign Board:- Singn board नहीं लगाया गया है अतएव उक्त मद में व्यय दर्शित धनराशि Recoverable Amt. 1No.x5000.00 = Rs.5000.00			5000.00			
	कुल वसूली योग्य धनराशि— 1667.70+32130.00+ 49309.00 +50105.00+13248.00 +5000.00			1,51,459.70			
				1,51,459.70			

प्रस्तर-27

वि०ख०- मंझनपुर- ग्राम पवरा में पक्की सड़क से पंछी पासी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण
लम्बाई -110 मी०, योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्री मंगल सिंह
अवर अभियन्ता - श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद
अभि० - श्री अभय सिंह
अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय
अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा
कुल अपहरित धनराशि - रू० 95419.75

प्रस्तर-27	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	95419.75
		Foundation	16.50M ³	51.00	841.50	841.50	
	Note: MB में E/W o/s for edging 16.50M ³ दर्शाकर ठेकेदार को भुगतान किया गया है, जबकि उक्त कार्य करवाया ही नहीं गया।						
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road + Edging	M.B. 32.98M ³	Rate 189.00	Paid 62332.20	Recoverable Amt. जबकि भौतिक सत्यापन में उक्त कार्य मात्र 20.41M ³ ही पाया गया, विवरण निम्न है
		-do-	Nali	-	-	-	
	Note: Edging कार्य हेतु C.C. work 1:6:12 का कार्य नहीं करवाया गया है क्योंकि खड़न्जा के ऊपर ही Edging करवायी गयी है। अतएव Edging c.c. work में भुगतान दर्शित धनराशि वसूली योग्य है।						

	(i) As per M.B. work done	32.98M ³			
	(ii) As per physical audit work found 110x2.25x0.075+10% undulation	20.41M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.	12.57M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.	1890.00			
	(v) Recoverable Amt.	23757.30		27757.30	

	Item of work	Qty M ³ work done as per physical Audit	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
			सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		
	CC 1:6:12	20.41M ³	45.90 bags	9.60M ³	20.41M ³	
	दर	-	265.00	500.00	117.00	
	अपहरित धनराशि	-	12163.50	4800.00	2387.95	
Total Amt:- 12163.50 +4800.00 + 2387.95= Recoverable Amt.			19351.45		19351.00	

	3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =					
	(i) Work done as per M.B.		15.18M ³			
	(ii) Work done as per physical audit 1x2x360x0.23x0.19=		9.61M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.		5.57M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.		2750.00			
	(v) Recoverable Amt.		15317.50			
	4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/Gx xx	x	x			
	(i) Work shown in M.B.		24.72M ³			
	(ii) Work found in physical Audit= 110x2.25x0.075		18.50M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.		6.16M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.		4400.00			
	(v) Recoverable Amt.		27104.00		27104.00	

	5. Stuck Pointing of edging work नहीं कराया गया है। ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि Recoverable Amt. 50.60x80.00	4048.00		
	6. Sign Board:- Singn board नहीं लगाया गया है अतएव उक्त मद में ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि Recoverable Amt. 1No.x5000	5000.00		
	कुल वसूली योग्य धनराशि— 841.50 + 23757.30+19351.45+ 15317.50 + 27104.00 + 4048.00 + 5000.00	95419.75		
		95419.75		

प्रस्तर-28

(25) वि०ख०- नेवादा ग्राम खोवा में शिव मोहन के घर से श्यामलाल पासी के घर तक सी०सी०रोड का निर्माण

लम्बाई -205 मी०,

योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्री महेश चन्द्र

अवर अभियन्ता - श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि - रू० 120626.40

प्रस्तर-28	S.No.	Name of work	As per MB work done Qty	Rate	Paid Amt.	Remarks	Amt.
	1.	E/W Road	-	-	-	-	120626.40
		Foundation	24.60M ³	51.00	1254.60	1254.60	
	Note: MB में E/W for edging work 24.60M ³ दर्शाकर रू० 1254.60 उक्त ठेकेदार को भुगतान किया गया है, जबकि उक्त कार्य करवाया ही नहीं गया।						
	2.	CC work 1:6:12 with cement, F/S and B/B	Road + Edging	M.B. 45.31M ³	Rate 1890.00	Paid 95639.90	Recoverable Amt. जबकि भौतिक सत्यापन में उक्त कार्य मात्र 20.41M ³ ही पाया गया, विवरण निम्न है
		-do-	Nali				

	(i) As per M.B. work done	45.31M ³			
	(ii) As per physical audit 20.5x2.20x0.075	33.83M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.	11.48M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.	1890.00			
	(v) Recoverable Amt.	21697.90			

	Item of work	Qty M ³ work done as per physical Audit	उक्त कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त नहीं की गई		मिश्रण का कार्य जो नहीं करवाया गया उसकी वसूली योग्य मजदूरी	
			सीमेंट (बोरी)	Sand M ³		
	CC 1:6:12	33.83M ³	76.10 Bags	15.90M ³	33.83M ³	
	दर	-	265.00	500.00	117.00	
	अपहरित धनराशि	-	20166.50	7950.00	3958.10	
Total Amt:- Rs. 21166.50 + 7950.00 + 3958.00 Recoverable Amt. 32074.60						

	3.M-150 Class B/W (1:4) Edging =	x	x	x	x		
	4. CC work 1:2:4 with cement, C/S, S/G		x	x			
	(i) Work shown in M.B.			45.31M ³			
	(ii) Work found in physical Audit= 110x2.25x0.075			33.83M ³			
	(iii) Excess work shown in M.B.			11.48M ³			
	(iv) Rate per cubic metre.			4400.00			
	(v) Recoverable Amt.			50512.00			

	5. Stuck Pointing of edging work नहीं कराया गया है। जबकि एमबी0 में काल्पनिक आंकड़ा दर्ज कर ठेकेदार को भुगतान किया गया है। अतएव उक्त भुगतान –धनराशि Recoverable Amt. 188.60x80=	15088.00		
	कुल वसूली योग्य धनराशि– 1254.60+21697.20+32074.60 + 50512.00 + 15088.00 = 120626.40	120626.40		

प्रस्तर-29

(7) वि०ख०- चायल- ग्राम सभा निजामपुर पुरैनी से ग्राम मीरपुर पक्की सड़क तक पी०सी० कार्य।

लम्बाई -350 मी०,

-योजना का नाम- बी०आर०जी०एफ०

ठेकेदार का नाम - श्रीमती श्याम कली

अवर अभियन्ता - श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद

अभि० - श्री अभय सिंह

अपर मुख्य अधिकारी - श्री अजय कुमार राय

अध्यक्ष - श्री राजेश कुमार कुशवाहा

कुल अपहरित धनराशि :- रू० 243478.75

प्रस्तर 29	S.No.	Item of work	Chainage	As per M.B. work		Paid Amt.	As per M.B. may be compacted thickness (mtre)	In physical Audit measurement completed thickness (Metre)	Excess paid Amt. received as per
				Qty (m ³)	Rate				
	1.	Supply of 45-90 mm S.S.B.	-	-	-	-	-	-	-
		Supply of 13.2 mm S.G.	-	-	-	-	-	-	-
		Consolidation of 45-90 mm S.S.B.	-	-	-	-	-	-	-
		Water Allowance	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Supply of 45-63 mm S.S.B.	0.350m	101.85	858.10	84397.48	0.097	-	-
		Supply of 11.2mm S.G.	"	22.05	1536.15	33872.10			
		Consolidation of 45-63 mm S.G.	"	101.85	118.00	12018.30			
		Water Allowance	"	50.92	26.00	1323.92			
	3.	Supply of 22.4-53 mm S.S.B.	"	101.85	938.15	95550.57	0.097		

		Supply of morum or 11.2mm S.G.	"	19.95	1536.15	36666.19			
		Consolidation of 22.4-53mm S.S.B.	"	101.85	118.00	12018.30			
		Water Allowance	"	50.92	26.00	1323.92			
	4.	Supply of 19mm S/Grit							
	5.	Supply of maxfault							
	6.	Precoating of Grit							
	7.	Supply of painting kit							
	8.	Shifting of grit							
	9.	Labour of 1st coat painting							
	10.	P/L of 20mm thick P.C. work	0.350m	1050m ²	181.75	190207.50	0.02		
	11.	P/L of seal coat	"	1050m ²	67.90	71295.00	0.006		
	12.	Brick edging							
	13.	Total				535653.28	0.22m	0.12m	243478.75
	14.	Patri E/W							

टिप्पणी— Total completed thickness M.B. के अनुसार 0.22M होनी चाहिए थी, किन्तु भौतिक सत्यापन में उक्त पी0सी0 रोड की Total Thickness (45-63mm 5.58 से seal coat तक) मात्र 0.12 मी0 ही पायी गयी।

अतए Recoverable

जनपद— कौशम्बी

सम्भाग — इलाहाबाद

	आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण				अपहरण	दुर्वि०	अनिमितता																																																		
प्रस्तर— 1	जिला पंचायत कौशाम्बी द्वारा निम्नलिखित पशुवाड़ा को अधिकतम बोली के आधार पर नीलामी कर ठेका दिया गया है, किन्तु नीलामी राशि का 2 प्रतिशत स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध नहीं किया गया है जो अत्यन्त गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। जैसे— <table><tr><th>क्र म</th><th>पशुवाड़ा का नाम</th><th>नीलामी प्राप्तकर्ता का नाम</th><th>नीलामी की धनराशि</th><th>स्टाम्प शुल्क धनराशि</th></tr><tr><td>1</td><td>उमरछा</td><td>श्री नाथूराम त्रिपाठी पुत्र श्री बुधईराम, उमरछा</td><td>1600.00</td><td>32.00</td></tr><tr><td>2</td><td>गौसपुर</td><td>श्री राकेश चन्द्र पुत्र श्री रामप्रसाद, गौसपुर</td><td>1000.00</td><td>20.00</td></tr><tr><td>3</td><td>बिदांव</td><td>श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री तेजबली सिंह, बिदांव</td><td>900.00</td><td>18.00</td></tr><tr><td>4</td><td>शाहपुर</td><td>श्री रघुवंश सिंह पुत्र श्री शिवभूलन सिंह, शाहपुर</td><td>2900.00</td><td>58.00</td></tr><tr><td>5</td><td>मवई</td><td>श्री विनोद कुमार पुत्र श्री संतोष नारायण, मवई</td><td>1300.00</td><td>26.00</td></tr><tr><td>6</td><td>बड़हरी</td><td>श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री शिव सम्पत सिंह, बड़हरी</td><td>1200.00</td><td>24.00</td></tr><tr><td>7</td><td>उलाचीपुर</td><td>श्री शम्साद पुत्र श्री मोहम्मद इब्न बरीपुर मूरतगंज</td><td>2650.00</td><td>57.00</td></tr><tr><td>8</td><td>महमूदपुर</td><td>श्री शम्साद पुत्र श्री मोहम्मद इब्न बरीपुर मूरतगंज</td><td>3500.00</td><td>70.00</td></tr><tr><td>9</td><td>शीतलपुर</td><td>श्री बचान पुत्र श्री शंकर</td><td>1500.00</td><td>30.00</td></tr></table>				क्र म	पशुवाड़ा का नाम	नीलामी प्राप्तकर्ता का नाम	नीलामी की धनराशि	स्टाम्प शुल्क धनराशि	1	उमरछा	श्री नाथूराम त्रिपाठी पुत्र श्री बुधईराम, उमरछा	1600.00	32.00	2	गौसपुर	श्री राकेश चन्द्र पुत्र श्री रामप्रसाद, गौसपुर	1000.00	20.00	3	बिदांव	श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री तेजबली सिंह, बिदांव	900.00	18.00	4	शाहपुर	श्री रघुवंश सिंह पुत्र श्री शिवभूलन सिंह, शाहपुर	2900.00	58.00	5	मवई	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री संतोष नारायण, मवई	1300.00	26.00	6	बड़हरी	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री शिव सम्पत सिंह, बड़हरी	1200.00	24.00	7	उलाचीपुर	श्री शम्साद पुत्र श्री मोहम्मद इब्न बरीपुर मूरतगंज	2650.00	57.00	8	महमूदपुर	श्री शम्साद पुत्र श्री मोहम्मद इब्न बरीपुर मूरतगंज	3500.00	70.00	9	शीतलपुर	श्री बचान पुत्र श्री शंकर	1500.00	30.00	393.00	—	—
क्र म	पशुवाड़ा का नाम	नीलामी प्राप्तकर्ता का नाम	नीलामी की धनराशि	स्टाम्प शुल्क धनराशि																																																					
1	उमरछा	श्री नाथूराम त्रिपाठी पुत्र श्री बुधईराम, उमरछा	1600.00	32.00																																																					
2	गौसपुर	श्री राकेश चन्द्र पुत्र श्री रामप्रसाद, गौसपुर	1000.00	20.00																																																					
3	बिदांव	श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री तेजबली सिंह, बिदांव	900.00	18.00																																																					
4	शाहपुर	श्री रघुवंश सिंह पुत्र श्री शिवभूलन सिंह, शाहपुर	2900.00	58.00																																																					
5	मवई	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री संतोष नारायण, मवई	1300.00	26.00																																																					
6	बड़हरी	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री शिव सम्पत सिंह, बड़हरी	1200.00	24.00																																																					
7	उलाचीपुर	श्री शम्साद पुत्र श्री मोहम्मद इब्न बरीपुर मूरतगंज	2650.00	57.00																																																					
8	महमूदपुर	श्री शम्साद पुत्र श्री मोहम्मद इब्न बरीपुर मूरतगंज	3500.00	70.00																																																					
9	शीतलपुर	श्री बचान पुत्र श्री शंकर	1500.00	30.00																																																					

		अन्दावा	लाल शीतलपुर अन्दावा					
	10	मोहम्मद पइन्सा	श्री अस्फाक हुसैन पुत्र श्री इस्तियाक हुसैन, अफजल पुर बारी	1400.00	28.00			
	11	भखन्दा	श्री मुर्तुजा पुत्र श्री मो0 मुस्ताक, भखन्दा	1500.00	30.00			
	योग—				393.00			
	उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि रू0 393.00 स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार राजस्व हानि के लिये सम्बन्धित पटल सहायक एवं श्री अजय कुमार राय अपर मुख्य अधिकारी, जिम्मेदार है। उपरोक्त धनराशि को सम्बन्धित पक्षों से जमा कराया जाय अन्यथा की स्थिति में इस धनराशि को श्री अजय कुमार राय अपर मुख्य अधिकारी, एवं पटल सहायक द्वारा नियमानुसार शीघ्र ही राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।							
प्रस्तर— 2	आलोच्य वर्ष में जिला द्वारा पंचायत हड्डी/चमड़े के ठेके की नीलामी अधिकतम बोली के आधार पर की गयी है परन्तु ठेकेदारों से सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा नहीं करायी गयी है जो गम्भीर आपत्तिजनक है। जैसे—					113550.00		
	क्र म	कार्यक्षेत्र का नाम	ठेकेदार का नाम/पता	नीलामी की धनराशि	जमा धनराशि	शेष धनराशि		
	1	वि0ख0 कौशाम्बी	श्री वकील अहमद पुत्र श्री कल्लन, करारी	74000.00	40000.00	34000.00		
	2	वि0ख0 कड़ा की 5 न्यायपंचायत	श्री अब्दुल रफीक, सभापति समिति कड़ा	25000.00	15000.00	10000.00		
	3	वि0ख0 कड़ा की 3 न्यायपंचायत	श्री मन्नान सभापति समिति निजाम कपूरा कड़ा	24000.00	14000.00	10000.00		

	4	वि०खं० मंझनपुर	श्री अब्दुल सलाम सभापति समिति करारी	44550.00	35000. 00	9550.00			
	5	वि०खं० सरसवां	श्री मो० हारून पुत्र श्री इब्राहीम, नि० महांवा	190000. 00	150000 .00	40000. 00			
	6	वि०खं० सिराथू	श्री मो० नवाब, सभापति समिति हटवा ।	105000. 00	95000. 00	10000. 00			
		योग—				113550. 00			
	उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हड़डी/ चमड़े की नीलामी राशि रु०—113550.00 बकाया धनराशि है जो ठेकेदारों से वसूल नहीं की गयी है, जबकि नियमानुसार समस्त नीलामी राशि जमा कराकर ही अधिकार पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। इस बकाया राशि के लिये सम्बन्धित पटल सहायक तथा श्री अजय कुमार राय, अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। इस बकाया धनराशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित पटल सहायक तथा श्री अजय कुमार राय से नियमानुसार बसूल किया जाना अपेक्षित हैं।								
प्रस्तर— 3	आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार श्री शिवमूर्ति द्विवेदी एडवोकेट को लीगल एडवाइज फीस का भुगतान किया गया है।						1000.00		
	क्र म	दिनांक	बिल नं०	विवरण	दर्शित व्यय	ले०प० के अनुसार व्यय	अन्तर		
	1	11.06. 12	3	टाईपिंग खर्च 8×50=400.00 काउन्सिलिंग फीस फार ड्राफटिंग 8×550=4400.00 अपरलेखन करके रु०	4800	4400	400		

				500 से 550 तथा रू0 4000.00 को 4400.00 किया गया है, शब्दों में four thousand four hundred अंकित है						
	2	11.06.12	13	Legal notic to the Bharwari ALLETE concerning to Virendra kumar and 5 persons . टाइपिंग कार्य— $7 \times 50 = 3500.00$ counseling fees for drafting $7 \times 550 = 3850.00$ अपरलेखन करके रू0 500 को रू 550.00 और रू0 3500.00 को 3850.00 किया गया है, तथा total 3850.00 को काटकर 4200.00 किया गया है, जबकि शब्दों में Three thousands eight hundred fifty अंकित है।	4200	3850	350			

	3	11.06.12	14	Legal notic to the Bharwari ALLETE concerning to 5 persons . टाइपिंग कार्य— 5X50=2500.00 counseling fees for drafting 5X550=2750.00 अपरलेखन करके रू0 500 को रू 550.00 और रू0 2500.00 को 2750.00 किया गया है, और total 2750.00 को काटकर 3000.00 किया गया है, जबकि शब्दों में Two thousands seven hundred fifty अंकित है।	3000	2750	250			
							1000			
	इस प्रकार रू0 1000.00 का अनावश्यक रूप से अधिक भुगतान दर्शाकर अपहरण श्री राकेश राय, सम्बन्धित सहायक, श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा लेखाकार, श्री अजय कुमार राय, अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा कर लिया गया है, जिसकी वसूली नियमानुसार किया जाना अपेक्षित हैं।									
प्रस्तर— 4	जय अमरनाथ ब्रिक फील्ड प्रो0 विनोद कुमार पुत्र श्री विश्वम्भर नाथ जायसवाल स्थान बारा तवारीफ से लाइसेन्स शुल्क रू0 10010.00 रसीद संख्या— 325713 दिनांक— 29.09.2012 के द्वारा वसूल किया गया, किन्तु							6000.00		

	सी0पी0 कर रू0 6000.00 की वसूली नहीं की गयी जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। इसके लिये सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक एवं श्री अजय कुमार राय, अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः रू0 6000.00 की वसूली सम्बन्धित पक्ष से नियमानुसार दण्ड सहित की जाये। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक एवं श्री अजय कुमार राय, अपर मुख्य अधिकारी से वसूली की जानी अपेक्षित है।																																												
प्रस्तर-5	(क) आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत कार्य का नाम सिराथू मानिकपुर रोड से रसूलपुर गांव तक मरम्मत व पी0सी कार्य लम्बाई- 570 किमी0 अनुमानित लागत 293000.00 का ठेका श्री मंगल सिंह ठेकेदार को दिया गया, इस समय अवंग अभियन्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव थे। इस कार्य में प्रयुक्त ग्रेनाइट, मिट्टी व स्टोक डस्ट के राजकीय राजस्व की जमा पंजी एम0एम0आर0-11 जो पत्रावली में संलग्न है। इन रवन्नों की सामग्री कार्यस्थल की बजाय अन्यत्र जगहों की है। जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य स्थल पर गिट्टी/ बोल्टर आयी ही नहीं अथवा फर्जी एम0एम011 लगाकर गिट्टी 513 $\times 75=3825.00$ व डाला गिट्ट 723 $\times 75=3400$ कुल रू0 9225=00 राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। विवरण निम्नवत् है- <table><tr><th>क्र म</th><th>रवान स्थल</th><th>गन्तव्य स्थान</th><th>गिट्टी घन मी0</th><th>दिनांक</th><th>एमएम 11 की संख्या</th><th>प्रति</th></tr><tr><td>1</td><td>भरथुला</td><td>इलाहाबाद</td><td>6 घन मी0</td><td>11.11. 2012</td><td>297479</td><td>प्रथम प्रति</td></tr><tr><td>2</td><td>भरथुला</td><td>इलाहाबाद</td><td>6 घन मी0</td><td>14.11. 2012</td><td>372051</td><td>द्वितीय प्रति</td></tr><tr><td>3</td><td>कल्याणपुर</td><td>इलाहाबाद</td><td>6 घन मी0</td><td>24.11. 2012</td><td>626799</td><td>द्वितीय प्रति</td></tr><tr><td>4</td><td>कल्याणपुर</td><td>प्रतापगढ़</td><td>6 घन मी0</td><td>14.11. 2012</td><td>221344</td><td>प्रथम प्रति</td></tr><tr><td>5</td><td>कल्याणपुर</td><td>कौशाम्बी</td><td>6 घन मी0</td><td>17.11. 2012</td><td>AAB 18906</td><td>द्वितीय प्रति</td></tr></table>	क्र म	रवान स्थल	गन्तव्य स्थान	गिट्टी घन मी0	दिनांक	एमएम 11 की संख्या	प्रति	1	भरथुला	इलाहाबाद	6 घन मी0	11.11. 2012	297479	प्रथम प्रति	2	भरथुला	इलाहाबाद	6 घन मी0	14.11. 2012	372051	द्वितीय प्रति	3	कल्याणपुर	इलाहाबाद	6 घन मी0	24.11. 2012	626799	द्वितीय प्रति	4	कल्याणपुर	प्रतापगढ़	6 घन मी0	14.11. 2012	221344	प्रथम प्रति	5	कल्याणपुर	कौशाम्बी	6 घन मी0	17.11. 2012	AAB 18906	द्वितीय प्रति	9238.55	
क्र म	रवान स्थल	गन्तव्य स्थान	गिट्टी घन मी0	दिनांक	एमएम 11 की संख्या	प्रति																																							
1	भरथुला	इलाहाबाद	6 घन मी0	11.11. 2012	297479	प्रथम प्रति																																							
2	भरथुला	इलाहाबाद	6 घन मी0	14.11. 2012	372051	द्वितीय प्रति																																							
3	कल्याणपुर	इलाहाबाद	6 घन मी0	24.11. 2012	626799	द्वितीय प्रति																																							
4	कल्याणपुर	प्रतापगढ़	6 घन मी0	14.11. 2012	221344	प्रथम प्रति																																							
5	कल्याणपुर	कौशाम्बी	6 घन मी0	17.11. 2012	AAB 18906	द्वितीय प्रति																																							

	NO.		मात्रा	स्थान		
	1	AAB2972 63	द्वितीय प्रति	3 घन मी०	चित्रकूट	20.11. 2012
	2	AAB2972 64	प्रथम प्रति	3 घन मी०	चित्रकूट	20.11. 2012
	3	AAB2972 68	द्वितीय प्रति	3 घन मी०	चित्रकूट	20.11. 2012
	4	AAB2972 67	प्रथम प्रति	3 घन मी०	चित्रकूट	20.11. 2012
	एम०एम०११ की प्रथम प्रति की जांचकर्ता चेक पोस्ट के लिये होती है तथा द्वितीय प्रति परिवहन/भण्डार उपभोक्ता की होती है। एम०एम०११ की प्रथम प्रति तथा गन्तव्य स्थान कार्य स्थल का न होना भी गिट्टी/ बोल्टर की आपूर्ति संदेहास्पद प्रतीत होता है। (ख) — शंकरगढ़ से रसूलपुर तक रु० 780.80 कार्टेज का भुगतान किया गया है जबकि शेड्यूल ऑफ रेट के अनुसार 100 मिमी तक रु० 677.25 तथा उसके बाद 3.75 प्रति किमी० होता है इस प्रकार प्रथम 100 किमी० रु० 677.25 तथा 24 किमी० का रु० 90.00 कुल रु० 767.25 होता है, जबकि 780.80 का भुगतान किया गया। अतः रुपया 780.80 — 767.25 = रु० 13.55 से अधिक कार्टेज का भुगतान किया गया। अतः 9225.00 तथा 13.55 कुल रु० 9238.55 का भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है जिसकी वसूली जांचोपरान्त नियमानुसार श्री मंगल सिंह ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में श्री अभय सिंह अभियन्ता तथा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अवर अभियन्ता से नियमानुसार वसूल किया जाना अपेक्षित हैं।					
प्रस्तर— 6	आलोच्य वर्ष में ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 8 पर श्री अनिल कुमार चौरसिया पुत्र श्री अनूप कुमार चौरसिया, 27 A सिराथू मंझनपुर रोड वार्ड संख्या 8 सिराथू ठेकेदार अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण कौशाम्बी में सी० श्रेणी के ठेकेदार है। परन्तु लाईसेन्स शुल्क डी० श्रेणी का रु० 1120.00 लिया गया है, जबकि सी० श्रेणी का रु० 2100.00 होता है। इस प्रकार रु० 2100.00—1120.00 = रु० 980.00 लाईसेन्स शुल्क कम लिया गया है, जिसकी वसूली श्री चौरसिया ठेकेदार से की जाये अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार सम्बन्धित पटल सहायक श्री अभय सिंह अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है।					980.00

जनपद— फतेहपुर

मण्डल— इलाहाबाद ।

प्रस्तर—1.	आपत्तियों का विवरण	धनराशि	
		कुल	अपहरण
	1. आलोच्य वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित कतिपय निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्टीमेट के अनुसार निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं किया गया है। पत्रावली में संलग्न विचलन चार्टों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि स्टीमेट में नाली निर्माण, आर0सी0सी0 निर्माण/क्रासिंग एवं पटरी पर मिट्टी कार्य की नाप जोख हमेशा अधिक दिखाया जाता है, किन्तु ये कार्य अनुमानित कार्य से काफी कम किये जाते हैं या किये ही नहीं जाते हैं। इस प्रकार न किये गये/कम किये गये कार्यों का समायोजन बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के मनमाने तरीके से सी0सी0 वर्क 1:6:12 एवं सी0सी0 वर्क 1:1:5:3 के साथ दिखा दिया जाता है। अधिकांश निर्माण कार्यों में विचलन 10 प्रतिशत से भी अधिक है, जबकि मूल स्टीमेट के 10 प्रतिशत या 500/- जो भी कम हो कि स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। अतएव निम्न विवरणानुसार बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के स्टीमेटेड धनराशि से अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली A.M.A., A.E. व J.E's से किया जाना अपेक्षित है। निम्नांकित निर्माण कार्यों में अनुमानित मात्रा से अधिक प्रयुक्त मात्रा दर्शाकर अतिरिक्त अधिक धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया है।		

(i) क्षेत्र 0 पं 0 बहुआ में गाजीपुर औगासी रोड से पुरानी बाजार तक सी 0 सी 0 रोड नाली निर्माण कार्य— ल 0 101 मी 0 J.E. श्री योगेन्द्र सिंह ठेकेदार— मे 0 सेंगर का 0 कम्पनी अनु 0 लागत 6.00 लाख अन्तिम भुगतान—26.02.2013 (तेरहवा वित्त आ 0)

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	अतिरिक्त भुगतानित धनराशि
E/w Patri	4.80 m ³	71.70	344.16
1:6:12 में 40mm S/B	5.11 m ³	3379	17266.69
1:1-5:3 में 20mm S/G	4.49 m ³	6014	<u>27604.26</u> <u>45215.11</u> अ 0 आ 0 सं 0—1 2(i)

45215-11

(ii) क्षेत्र 0 धाता के ग्राम अहमद- कुसुम्मा में डामर रोड से फेरम सिंह के दरवाजे तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य- ल0 118मी

J.E. श्री योगेन्द्र सिंह ठेकेदार- मे0 डी0के0 का0 एण्ड सप्लायर्स अनु0 लगत-6.00 लाख (13वॉ वित्त आयोग)

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	अतिरिक्त भुगतानित धनराशि
E/w Patri	3.12 m ³	71.70	223.70
1:6:12 में 40mm S/B	5.56 m ³	3379	18787.24
1:1-5:3 में 20mm S/G	5.37 m ³	6014	<u>32295.18</u>
			<u>51306.12</u>
			अ0आ0सं0-12 (ii)

51306-12

(iii) क्षेत्रों में सड़क के ग्राम सभा मलिका में डामर रोड से गांव के अन्दर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य— लं0 118मी0 ।

J.E. श्री योगेन्द्र सिंह ठेकेदार— श्री मे0 सेंगर का0 कम्पनी। अनु0 लागत रू0 6.00 लाख अन्तिम भुगतान 26.02.13 (13वाँ वित्त आयोग)

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	अतिरिक्त भुगतानित धनराशि
E/w Patri	3.25 m ³	71.70	223.70
1:6:12 में 40mm S/B	5.70 m ³	3379	19260.30
1:1-5:3 में 20mm S/G	5.57 m ³	6014	<u>33497.98</u> <u>52991.30</u> अ0आ0सं0— 12(iii)

52991-30

(iv) क्षेत्र खजुहाँ में ग्राम खाण्डेदेवर में राम शंकर कोरी के दरवाजे से राजू कहार के दरवाजे तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण— ल0 101 मी0

J.E. श्री योगेन्द्र सिंह ठेकेदार— श्री सुन्दर सिंह अनु0 लागत 6.00 लाख (13वाँ वित्त आयोग)

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	अतिरिक्त भुगतानित धनराशि
E/w Patri	5.82 m ³	71.70	417.29
1:6:12 में 40mm S/B	6.04 m ³	3379	20409.16
1:1-5:3 में 20mm S/G	5.74 m ³	6014	<u>34520.36</u> <u>7941.96</u> <u>63288.77</u> अ0आ0सं0—12(i v)
Brick work in 1:4	2.60 m ³	3054.60	

63288-77

(v) क्षेत्र 0 पं 0 भितौरा के ग्राम कसेरुआ सम्पर्क मार्ग से श्री पराग साहू इण्टर कालेज होते हुए जमालपुर तक सम्पर्क मार्ग मिलाकर भितौरा सम्पर्क मार्ग तक सी 0 सी 0 रोड व पुलिया निर्माण सं 0 129 मी 0,

J.E. श्री योगेन्द्र सिंह ठेकेदार— श्री जहीर अहमद अनु 0 लागत— 6.00 लाख (13वें वित्त आयोग)

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	अतिरिक्त भुगतानित धनराशि
E/w Patri	21m ³	84.80	1780.80
1:6:12 में 40mm S/B	5.06 m ³	3379	17097.74
Brick work in 1:4	6.48 m ³	3054.60	<u>19793.80</u> <u>43300.80</u> <u>81973.10</u> अ 0 आ 0 सं 0—12(v)
1:1-5:3 में 20mm S/G	7.70 m ³	6014	

81973.10

(vi) क्षेत्रों में भिटौरा के ग्राम सभा रेहरा में जगतपाल लोधी के घर से राम आधार लोधी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य ल0 209मी0

J.E. श्री लालमन वर्मा, ठेकेदार— श्री प्रेम चन्द्र अनु0 लागत—9.00 लाख (13वें वित्त आयोग)

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	अतिरिक्त भुगतानित धनराशि
E/w Patri	8.3m ³	71.70	575.75
Brick work in 1:4	6.93 m ³	3054.60	21168.38
1:6:12 में 40mm S/B	14.48 m ³	2556.20	37013.78
i.e. 1:1-5:3 में 20mm S/G	9.78 m ³	6014	58816.92
			<u>117574.83</u>
			अ0आ0सं0—
			12(vi)

117574.83

(vii) क्षेत्र 0 पं 0 हथगांव के ग्राम सलेमपुर में सी 0 सी 0 रोड निर्माण कार्य लं 0 167मी 0

86639.39

J.E. श्री लालमन वर्मा, ठेकेदार— श्री जहीर अहमद अनु 0 लागत— 7.00 लाख (13वें वित्त आयोग)

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	अतिरिक्त भुगतानित धनराशि
E/w Patri	5.18 m ³	71.70	371.19
1:6:12 में 40mm S/B	6.43 m ³	3379	21726.97
Brick work in 1:4	3.39 m ³	3058.60	10355.09
1:1-5:3 में 20mm S/G	9.01 m ³	6014	54186.14
			<u>86639.39</u>
			अ 0 आ 0 सं 0— 12(vii)

(viii) निम्न विवरणानुसार आपूर्तित Brick Ballast, Ston Ballat, Morum, C/s, F/S, Ston Grit में Staking charge जोड़कर ठेकेदार को भुगतान किया गया है, किन्तु M-13 में Staking की माप दर्ज न किये जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण साइट पर उपरोक्त निर्माण सामग्रियों की Staking ही नहीं करायी गयी। अतएव निम्न विवरणानुसार रु 0 21662.15 की वसूली सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं से किया जाना अपेक्षित है।

21662.15

क्र०	नाम कार्य	20mm S/G	40mm S/B	Morum	Total
1.	क्षेत्र० बहुआ में गाजीपुर औगासी रोड से पुरानी बाजार से सी०सी० रोड व नाली	38.29m ³	45.46 m ³	-	84.75 m ³
2.	क्षेत्र० पं० धाता के ग्राम अहमद कुसुम्मा में डामर रोड से फेरम सिंह के दरवाजे तक सी०सी० रोड एवं नाली	44.74 m ³	48.38 m ³	-	93.12 m ³
3.	क्षेत्र० हंसवा के ग्राम सभा मलिहों में डामर रोड से गांव के अन्दर तक सी०सी० रोड	44.74 m ³	48.38 m ³	-	93.12 m ³
4.	क्षेत्र० खजुहों के ग्राम खण्डेदेवर में राम शंकर कोरी के दरवाजे से राजू कहार के दरवाजे तक सी०सी० रोड।	38.29 m ³	46.46 m ³	-	84.75 m ³
5.	क्षेत्र० भिटौरा के ग्राम कसेरुआ सम्पर्क मार्ग से श्री पराग साहू इण्टर कालेज होते हुए सी०सी० रोड	46.32 m ³	46.44 m ³	-	92.76 m ³
6.	क्षेत्र० भिटौरा के ग्राम सभा रेहरा में जगत पाल लोधी के घर से राम अधार लोधी के घर तक सी०सी० रोड	81.49 m ³	82.55 m ³	-	164.04 m ³

7.	क्षेत्र 0 हथगांव के ग्राम सलेमपुर में सी0सी0 रोड निर्माण	63.32 m ³	58.45 m ³	-	121.77 m ³
					734.21m ³
					i.e. 21662.15 अ0आ0सं0 13

उपरोक्तानुसार कुल वसूली योग्य धनराशि रु 520650.77 की जांचोपरान्त A.M.A. A.E. व अवर अभियन्ताओं से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2.	आलोच्य वर्ष 2012-13 के वेतन देयक रजिस्टर की जांच में पाया गया कि अपर मुख्य अधिकारी (श्रीमती पुष्पा मिश्रा एवं श्री एल0एन0 खरे) के वेतन से मासिक मकान किराया भत्ता एवं अन्य कटौतियाँ नहीं किया गया है, जबकि उक्त अधिकारियों के लिए जिला पंचायत परिषद के अन्तर्गत मकान आवंटित है। नियमानुसार वेतन देयक रजिस्टर से मकान किराया भत व अन्य कटौतियाँ किया जाना चाहिए। विवरण निम्न है:-	9282.00	

क्र0सं0	नाम	अवधि	अनुमन्य किराया	अन्य कटौती	योग
1.	श्रीमती पुष्पा मिश्रा 'A.M.A.'	01.04.12 से 01.07.12 तक 4 माह	1890x4	10% (मू0वे0+ग्रेड पे)	7560-00
2.	श्री एल0एन0 खरे 'A.M.A.'	01.08.12 से 31.08.12 तक 1 माह	1x1722.00		1722.00
				Total	9282.00

अतः उपरोक्त अधिकारियों से वसूल किया जाना अपेक्षित है। 'अ0आ0सं0 01'

		(i) अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई गाड़ियों पर शासनादेश सं0 710(2) दस-सं0वि0 सितम्बर-2-97 तद्दिनांक 29 मई 1999 के अनुसार प्रति गाड़ी के अनुसार प्रतिमाह 400.00 की कटौती किया जाना चाहिए, परन्तु कैशियर द्वारा कटौती नहीं किया गया है। विवरण निम्न है :-	4800.00	
क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	अवधि	अनुमन्य दर	कुल कटौती जो होनी चाहिए
1.	श्रीमती पुष्पा मिश्रा 'A.M.A.'	4 / 12 से 7 / 12 तक	4x400	1600.00
2.	श्री एल0एन0 खरे 'A.M.A.'	8 / 12 से 03 / 13 तक	8x400	3200.00
			Total	4800.00

अस्तु कटौती की धनराशि को राजकीय कोष के शीर्ष मय में जमा किया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम—गाजियाबाद।

मण्डल का नाम—मेरठ।

जिला पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या—01 जिला पंचायत गाजियाबाद वर्ष—2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विविध व्यय रु0 36,74,090.98 व्यय से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02 जिला पंचायत गाजियाबाद वर्ष-2012-13 में यूनियन बैंक खाता संख्या- 3855 से दिनांक 18.04.2012 को रु 3300.00 व्यय के विरुद्ध व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-03 जिला पंचायत गाजियाबाद वर्ष-2012-13 में कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर रु0 38,99,000.00 का व्यय सरकार से प्राप्त विभिन्न निर्माण अनुदानों से करके गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-04 जिला पंचायत गाजियाबाद वर्ष-2012-13 में गाड़ियों के पेट्रोल एवं अनुरक्षण पर रु0 598,363.00 व्यय के विरुद्ध लगबुक मरम्मत रजिस्टर एवं प्रमाणक अप्रस्तुत रहें। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05 जिला पंचायत गाजियाबाद वर्ष-2012-13 में चार कर्मचारियों द्वारा जिला पंचायत का सरकारी आवास जनपद से स्थानान्तरण होने के पश्चात भी आवास न खाली करने के कारण (श्री भगवत प्रसाद शर्मा से रु0 2,33,945.00, श्री देवी सहाय से रु0 75,705.00 श्री दिनेश पाण्डे रु0 46,655.00 एवं री हर्ष वर्धन सिंह से रु0 61,564.00) कुल रु0 4,17,829.00 की वसूली संबंधित चारो कर्मचारियों से की जानी है।

प्रस्तर संख्या-06 जिला पंचायत गाजियाबाद वर्ष-2012-13 में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा संस्था का वाहन प्रयोग कर 400.00 रु0 प्रति माह जमा न कर वर्ष दौरान रु0 4,800.00 संस्था को क्षति पहुंचाई गयी। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से वसूली अपेक्षित है।

जनपद का नाम- मेरठ

मण्डल का नाम- मेरठ।

जिला पंचायत- मेरठ। (2010-11)

प्रस्तर सं०	आपत्तियों का सारांश
1	वर्ष 2010-11 में निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों पर रु0 48009000.00 व्यय किये गये, परन्तु सम्बन्धित कार्य की माप पुस्तिकायें, प्राकलन टेन्डर, आदि से सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं०-02)
2	नौचन्दी मेला में रु0 195283.00 का व्यय किया गया, परन्तु पुष्टि में सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं०-3,13)
3	मरम्मत/ निर्माण कार्यों पर रु0 143689.00 का व्यय किया गया, परन्तु पुष्टि में सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं०-04)
4	वाद फीस का भुगतान रु0 48000.00 किया गया, परन्तु संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में

	उपलब्ध नहीं कराये गये। गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-11 व 12)
5	एम्बैस्डर कार रु0 640702.00 की क्रय की गई, परन्तु लेखा परीक्षा में पत्रावली/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-16)
6	वर्ष 2010-11 में श्री परमानन्द चौकीदार को अनियमित मकान किराया भत्ता रु0 11160.00 भुगतान किया गया है, जबकि जिला पंचायत कार्यालय में आवास उपलब्ध है।दुर्विनियोग/दुरुपयोग। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आ0 सं0-19)
7	रु0 487150.00 का आवास भवनों पर व्यय किया गया, परन्तु क्रय स्टॉक की प्रविष्टि स्टॉक बुक में नहीं की गई साथ ही सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-20)
8	संस्था के सम्पत्ति कर, विभव व अन्य करों कुल रु031798979.00 की वसूली न करके फील्ड स्टाफ द्वारा अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरतना। गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-26)
9	नीलामी ठेको हेतु निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध न किये जाने के कारण स्टाम्प ड्यूटी के रूप में सरकारी राजस्व रु0 536776.00 की क्षति पहुँचाई गयी। गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-28)

जनपद का नाम :- मुजफ्फरनगर

मण्डल का नाम:-सहारनपुर/मेरठ

जिला पंचायत :- मुजफ्फरनगर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (31-03-2014)

क्रं 0 सं 0	जिला पंचायत	आपत्ति का विवरण	धनराशि कुल गंभीर अनियमितता (आंकड़े लाख रुपये में)	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	मुजफ्फरनगर	जिला पंचायत द्वारा नकद रोकड़ शेष का बीमा ना होते हुए भी दिनांक 31-03-13 को रुपये 3.21 लाख की नकद रोकड़ शेष रखी गई तथा	3.21	श्री अरुण कुमार सिंह (अपर मुख्य अधिकारी)

		वसूलियों की धनराशि अविलम्ब से कार्यालय/बैंक में जमा नहीं की गई जो अनियमित हैं। आ0सं0-01		
2	मुजफ्फरनगर	दिनांक 31.03.13 को रुपये 670.25 लाख अप्रयुक्त अनुदान दर्शाया गया है जिसको निर्धारित सीमा के अंतर्गत प्रयुक्त नहीं किया गया। आ0सं0-02	670.25	श्री अरुण कुमार सिंह (अपर मुख्य अधिकारी)
3	मुजफ्फरनगर	दिनांक 31.03.13 को 38.95 लाख मृत पशु शव निस्तारण के ठेकेदारों से विगत वर्षों में इस वर्ष सहित पुराना चाला आ रहा हैं। जिसकी वसूली हेतु ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। आ0सं0-03	38.95	श्री अरुण कुमार सिंह (अपर मुख्य अधिकारी)
4	मुजफ्फरनगर	सम्पत्ति एवं वैभव कर की वर्ष की कुल मांग (बकाया + वर्ष की मांग) 718.27 लाख की सापेक्ष वर्ष 2012-13 में केवल 44.09 लाख की वसूली हुई जो कुल मांग का 6.13 प्रतिशत है बकाया 674.18 लाख की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं। आ0सं0-04	674.18	श्री अरुण कुमार सिंह (अपर मुख्य अधिकारी)
5	मुजफ्फरनगर	दिनांक 31.03.13 को भारतिय तेल निगम से तारकोल का 1992-93 से 0.14 लाख पावना चला आ रहा है। जिसकी वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। आ0सं0-05	0.14	श्री अरुण कुमार सिंह (अपर मुख्य अधिकारी)
6	मुजफ्फरनगर	पशु शव निस्तारण के ठेकों से जिला पंचायत को प्राप्त आय के ग्राम पंचायतों को वितरण योग्य 50 प्रतिशत भाग की मद में दिनांक 31.03.13 को रुपये 200.13 के विरुद्ध रुपये 100.06 लाख की देनदारी शेष हैं। ग्राम पंचायत को देय धनराशि का भुगताना किया जाना अपेक्षित रहा। आ0सं0-06	100.06	श्री अरुण कुमार सिंह (अपर मुख्य अधिकारी)
7	मुजफ्फरनगर	जिला पंचायत कर्मचारियों पर आवासीय तथा वाहन ऋण 0.21 लाख वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। आ0सं0-07	0.21	श्री अरुण कुमार सिंह (अपर मुख्य अधिकारी)
8	मुजफ्फरनगर	मेला शुक्रताल में प्राप्त आय 3.53 लाख हुई है,	17.35	श्री अरुण कुमार सिंह

		जो गत वर्ष की थोड़ी अधिक है। इसकी आय की वृद्धि हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वर्ष में रु0 17.35 लाख मेला व्यय की पुष्टि में पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। आ0सं0-08		(अपर मुख्य अधिकारी)
9	मुजफ्फरनगर	लाईसेंस निर्गमन पंजिका व लाईसेंस शुल्क वसूली हेतु फार्म-5 से स्पष्ट है कि समस्त लाईसेंसी व्यापारियों को लाईसेंस जारी नहीं किये गये हैं। जिसके कारण लाईसेंस की राशि रु0 2.91 लाख वसूल न करके आर्थिक क्षति हुई है। आ0सं0 09	2.91	श्री अरुण कुमार सिंह (अपर मुख्य अधिकारी) श्री सुभाष चन्द्र (कर निरीक्षक)
10	मुजफ्फरनगर	जिला पंचायत रु0 6019.68 लाख की चल व अचल सम्पत्तियों का मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप पर धनराशि सहित विवरणी तैयार न कर प्रमाणीकरण नहीं कराया गया है। आ0सं0-10	6019.68	श्री अरुण कुमार सिंह (अपर मुख्य अधिकारी) श्री बृजेश मावी (अभियन्ता)

जिला पंचायत/मुजफ्फरनगर की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाई गई गंभीर आपत्तियाँ :-

- दिनांक 31.03.13 को संस्था की राकड़ बही अनुसार रु 320973.00 नकद रोकड़ दर्शाया गया है। संस्था में नकद रोकड़ शेष रखने की कोई व्यवस्था एवं प्राविधान नहीं है। सम्पूर्ण लेन-देन बैंक एवं कोषागार खातों से होता है। जिला पंचायत की तिजोरी का बीमा न होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय में नकद धन रखा जाना अनियमित रहा है। इस प्रति संस्था प्रबन्धन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिसके लिए श्री अरुण कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है।
- दिनांक 31.03.13 को रु0 670.25 लाख अप्रयुक्त अनुदान शेष दर्शाया गया है। इस राशि में रु0 279.03 लाख तेरहवां वित्त आयोग का तथा रु0 391.22 लाख राज्य वित्त आयोग का सम्मिलित है। उक्त से स्पष्ट है कि जिन राजाज्ञाओं के अधीन उपरोक्त अनुदान प्राप्त हुए हैं। उनमें उल्लेखित अनुदान उपयोग की निर्धारित सीमा का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है जो गंभीर आपत्ति का विषय है। इस प्रति संस्था प्रबन्ध का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिसके लिए श्री अरुण कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है।

3. दिनांक 31.03.13 को ₹ 38.95 लाख मृत पशु शव से प्राप्त करना दर्शाया गया है। दिनांक 31.03.13 को 33 व्यक्तियों/ समितियों से रुपये 1008432.00 बकाया के रूप में पावना दर्शाया गया है जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अपनाने के लिए गत् लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में भी आपत्ति एवं सुझाव दिये जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रबन्धन का ध्यान विशेष रूप आकृष्ट किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 में दिनांक 18.01.2016 को रुपये 1047964.00 की सम्बन्धित समितियों/व्यक्तियों की आर0सी0 काटी गया है।
4. सम्पत्ति एवं वैभव कर का वर्ष के आरम्भ में ₹ 647.77 लाख प्राप्त करना अवशेष था। आलोच्य वर्ष में रुपये 70.50 लाख की मांग लगायी गयी जा कि विगत वर्ष की अपेक्षा रुपये 35.72 लाख से अधिक हैं। आलोच्य वर्ष में मात्र 44.09 लाख की वसूली उपरान्त वर्षान्त में ₹ 674.18 लाख का पावना दर्शाया गया है। इतनी भारी मात्रा में बकाया राशि हाने से स्पष्ट है कि संस्था कर्मचारी द्वारा वसूली कार्य में शिथिलता अपनायी जा रही है। साथ ही बार-बार आपत्ति किये जाने के उपरान्त भी संस्था प्रबन्धन इस प्रति पूर्ण रूपेण उदासीन प्रतीत हो रहा है। बकाया राशि की वसूली हेतु संस्था का ध्यान एवं विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।
5. दिनांक 31.03.13 को अस्थाई पंजिका प्रपत्र संख्या 35 की जांच में प्रकाश में आया है कि 14381.31 पावना शेष दर्शित हैं। यह वर्ष 1992-93 से भारतीय तेल निगम की बाबत तारकोल का पावना चला आ रहा है। इस पावने के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लेखा परीक्षा अनुसार उक्त पावना अशोध्य प्रतीत हो रहा है। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।
6. दिनांक 31.03.13 को तैयार किये गये नक्शे पूंजी एवं जिम्मेदारी में ₹ 200.13 लाख मृतक पशु शव निस्तारण ठेकों की कुल वसूल धनराशि का $1/2$ भाग ग्राम पंचायतों को वापस किया जाना दर्शाया गया है। उपरोक्त राशि में प्रत्येक वृद्धि हो रही है, किन्तु इसका कोई भी विवरण तैयार नहीं रखा गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस का कितना-कितना धन देय है। संस्था द्वारा समस्त धन को अपने कारोबार में प्रयुक्त किया जा रहा है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। समस्त विवरण तैयार करते हुए धन का वितरण सुनिश्चित करने हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।
7. दिनांक 31.03.13 को नक्शा पूंजी एवं जिम्मेदारी में ₹ 21675.00 विगत वर्षों की भांति ही जिला पंचायत कर्मचारियों पर आवासीय/वाहन ऋण का अवशेष दर्शाया गया है। यह धनराशि जिला पंचायत मु0नगर के रिटायर्ड अभियन्ता श्री आर0पी0 त्यागी से पावना चला आ रहा है। इस राशि की वसूली के प्रयास

शून्य रहे हैं। प्रभावी कार्यवाही कर प्राप्य राशि की वसूली हेतु संस्था प्रबन्धन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

8. आलोच्य वर्ष 2012-13 में मेला प्रदर्शनी से आय मात्र रु0 3.53 लाख शुक्रताल में लगने वाले प्रतिवर्ष दो मेलों में छोड़े गये ठेकों से हुई हैं। जो कि गत वर्ष की अपेक्षा थोड़ी अधिक हैं। आलोच्य वर्ष में रुपये 17.35 लाख मेला व्यय दर्शाया गया है। बार-बार मांगने पर भी मेला पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेला व्यय के नाम पर मनमाने ढंग से खर्च किया जा रहा है। इस ओर संस्था प्रबन्धन का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अतः 17.35 लाख रु0 के व्यय की अनियमितता के लिए श्री अरुण कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है।
9. लाईसेंस निर्गमन पंजिका व लाईसेंस शुल्क वसूली हेतु फार्म-5 रसीदों के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि समस्त व्यवसायों को लाईसेंस प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं। वर्ष 2012-13 में जनपद में कार्यरत शराब की दुकानों से कर तो वसूल किया गया है जबकि इनसे लाईसेंस की राशि रु0 2.91 लाख की वसूल न कर आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए सम्बन्धित कर निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस ओर संस्था प्रबन्धन विशेष रूप आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।
10. दिनांक 31.03.13 को रु0 6019.68 लाख अचल सम्पत्तियों का मूल्य दर्शाया गया है किन्तु इसे संस्था द्वारा तैयार किये गये नक्शा पूंजी एवं जिम्मेदारी में नहीं दर्शाया गया है। जिसके अभाव में संस्था की वास्तविक पूंजी का आंकलन अस्पष्ट एवं अशुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त इस सम्पत्ति का सम्यापन एवं प्रमाणीकरण संस्था के तकनीकी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या 478/33-2-2009-117 जी0/04 दिनांक 16.02.2009 के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। ना ही इसका लेखा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पचायतें द्वारा निर्धारित प्रारूप पर धनराशि सहित विवरण तैयार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु संस्था प्रबन्धन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिसके लिए श्री अरुण कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री बृजेश मावी अभियन्ता उत्तरदायी है।

जनपद का नाम :- सहारनपुर

मण्डल का नाम:- सहारनपुर/मेरठ

जनपद का नाम :- सहारनपुर

मण्डल का नाम:- सहारनपुर

1. अस्थाई अग्रिम रजिस्टर पंजिका के अनुसार विगत वर्षों से सम्बन्धित दिनांक 18.09.2000 को रुपये 45000.00 उपवन संरक्षक शिवालिक वन प्रभाग देहरादून से मेंला शाकुम्बरी देवी में मरम्मत कार्य हेतु दिया गया था। जिसका वसूली बार-बार आपत्ति किए जाने के बावजूद भी नहीं किया गया है। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस प्रति समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।
2. अस्थाई अग्रिम पंजिका के अनुसार इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० मथुरा को दिनांक 21.10.2000 में रुपये 20049.30 एवं उक्त को ही दिनांक 17.07.2001 में रुपये 72292.00 मैक्स फाल्ट क्य हेतु अग्रिम का समायोजन/वसूली अवशेष चली आ रही हैं। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। वसूली हेतु प्रभावी ठोस कार्यवाही संस्था हितों में अपेक्षित हैं।
3. जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा निर्गत लाईसेन्स शुल्क मद में आय की वर्ष 2012-13 की मांग रू० 80.00 लाख दर्शायी गई हैं। उक्त की जाँच एवं पुष्टि हेतु सर्वे रिपोर्ट अप्राप्त रही। लाईसेन्स रजिस्ट्रों में अधिकांश कालम पूर्ण नहीं किए गये हैं। और इनकी लेखा बन्दी भी नहीं की गई है। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उचित कार्यवाही अपेक्षित हैं।
4. आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग अनुदान रू० 66846362.00 तथा तेरहवा वित्त अनुदान से रू० 14845271.00 के विभिन्न निर्माण कार्य दर्शाये गये हैं। निर्माण कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सुलभ नहीं कराये गये हैं। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उचित कार्यवाही अपेक्षित हैं।
5. वर्ष आलोच्य 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रुपये 52948783.00 एवं तेरहवा वित्त आयोग से सम्बन्धित रुपये 53608115.00 इस प्रकार कुल रुपये 106556898.00 राशि का अनुदान वर्षान्त में 31.03.2013 को अवशेष अप्रयुक्त रहा। समय पर अनुदान का उपयोग न किए जाने का कारण अस्पष्ट रहा। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित हैं।

जनपद का नाम :- सहारनपुर

मण्डल का नाम:- सहारनपुर

जिला पंचायत :- सहारनपुर

क्र०सं०	नाम संस्था	ले०प० वर्ष	जिला	आपत्ति का विवरण	धनराशि		उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
					अपहरण	दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमिता	
						3	
1.	जिला पंचायत सहारनपुर	2012-13	सहारनपुर	1. अस्थाई अग्रिम रजिस्टर पंजिका के अनुसार विगत वर्षों से सम्बन्धित दिनांक 18.09.2000 को रुपये 45000.00 उपवन संरक्षक शिवालिक वन प्रभाग देहरादून से मेंला शाकुम्बरी देवी में मरम्मत कार्य हेतु दिया गया था। जिसका वसूली बार-बार आपत्ति किए जाने के बावजूद भी नहीं किया गया है। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस प्रति समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।		45000.00	श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी
				2. अस्थाई अग्रिम पंजिका के अनुसार इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० मथुरा को दिनांक 21.10.2000 में रुपये 20049.30 एवं उक्त को ही दिनांक 17.07.2001 में रुपये 72292.00 मैक्स फाल्ट कय हेतु अग्रिम का समायोजन/वसूली अवशेष चली आ रही हैं। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य		92341.30	श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी

				अधिकारी उत्तरदायी हैं। वसूली हेतु प्रभावी ठोस कार्यवाही संस्था हितों में अपेक्षित हैं।			
				3. जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा निर्गत लाईसेन्स शुल्क मद में आय की वर्ष 2012-13 की मांग रू0 80.00 लाख दर्शायी गई हैं। उक्त की जाँच एवं पुष्टि हेतु सर्वे रिपोर्ट अप्राप्त रही। लाईसेन्स रजिस्ट्रों में अधिकांश कालम पूर्ण नहीं किए गये हैं। और इनकी लेखा बन्दी भी नहीं की गई है। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उचित कार्यवाही अपेक्षित हैं।		8000000.00	श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी
				4. आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग अनुदान रू0 66846362.00 तथा तेरहवा वित्त अनुदान से रू0 14845271.00 के विभिन्न निर्माण कार्य दर्शाये गये हैं।		81691633.00	श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी

				निर्माण कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सुलभ नहीं कराये गये हैं। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उचित कार्यवाही अपेक्षित हैं।			
				5. वर्ष आलोच्य 2012-13 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान रुपये 52948783.00 एवं तेरहवा वित्त आयोग से सम्बन्धित रुपये 53608115.00 इस प्रकार कुल रुपये 106556898.00 राशि का अनुदान वर्षान्त में 31.03.2013 को अवशेष अप्रयुक्त रहा। समय पर अनुदान का उपयोग न किए जाने का कारण अस्पष्ट रहा। उक्त के प्रति श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। उचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित हैं।		106556898.00	श्री मुकेश जैन अपर मुख्य अधिकारी

जनपद- वाराणसीमण्डल- वाराणसी

जिला पंचायत	जिला पंचायत वाराणसी	धनराशि
प्रस्तर संख्या-1	संस्था के दुकानों के किराये की नियमित वसूली न कर वर्ष प्रति वर्ष बकाया किराया दर्शित करते हुए संस्था की आर्थिक क्षति	3.27 लाख
प्रस्तर संख्या-2	नौकाघाट नीलामी की धनराशि तत्समय वसूल न कर वर्ष प्रतिवर्ष पावना दर्शित कर गम्भीर अनियमितता	3.88 लाख

प्रस्तर संख्या-3 (9) (12) (13) (14) (17)	कर निर्धारण रजिस्टर का पृष्ठवार संकलन का योगफल वास्तविक से कम अथवा न दर्शित कर आर्थिक क्षति	1.84 लाख
प्रस्तर संख्या-4	ईट भट्टों का विभव कर वसूल न कर संस्था की आर्थिक क्षति	9.66 लाख
प्रस्तर संख्या-5	निजी स्रोत से आय से सम्बन्धित मूल भूत अभिलेख प्रस्तुत न कर पुष्टि न कराया जाना तथा लेखा परीक्षा की गणना के अनुसार	16.05 लाख
प्रस्तर संख्या-6	निर्माण सामग्रियों के क्रय/भुगतानों के सापेक्ष दर्शित कटौती (आय कर, व्यापार कर एवं रायल्टी) को नियम शीर्षों में दर्शित जमा की यथोचित पुष्टि न कराकर गम्भीर अनियमितता	65.95 लाख
प्रस्तर संख्या-7	वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यों पर दर्शित सम्पूर्ण व्यय की धनराशि की पुष्टि वर्णित 6 तथ्यात्मक कारणों से न हो पाने की स्थिति में धन का दुरुपयोग	991.85 लाख
प्रस्तर संख्या-8	जनरेटर क्रय व निवार घाट पुल पर देख-रेख मद में श्रमिकों के भुगतान की पुष्टि में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता	0.95 लाख
प्रस्तर संख्या-9	राजकीय अनुदानों की धनराशियां वर्ष प्रतिवर्ष रोक रखकर अर्जित ब्याज की धनराशियों का स्पष्ट विवरण न रखकर धन का दुरुपयोग	25.73 लाख

समस्त प्रस्तरों पर सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं।

जनपद- चन्दौली

मण्डल- वाराणसी

जिला पंचायत	जिला पंचायत चन्दौली	धनराशि
प्रस्तर संख्या-1	संस्था एवं बैंक के बीच विद्यमान अन्तर की धनराशि से सम्बन्धित समाधान विवरण पत्र तैयार न कर समाधान न कराया जाना।	176.80 लाख
प्रस्तर संख्या-2	निजी स्रोत की आय से सम्बन्धित विभिन्न मदों के मूलभूत अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर बकाया की स्थिति अस्पष्ट रखकर व्यापक अनियमितता लेखा परीक्षकीय आंकलन के अनुसार के आय की क्षति	15.67 लाख
प्रस्तर संख्या-3	निर्माण सामग्रियों के क्रय/भुगतानों के सापेक्ष काटी गयी आयकर, व्यापार कर एवं रायल्टी की धनराशियों की जमा की पुष्टि न कराकर गम्भीर अनियमितता	112.74 लाख

प्रस्तर संख्या-4	वर्षान्त 31.03.13 को संस्था के अभिलेखों के अनुसार दर्शित अवशेष एवं बैंक खातों में जमा दर्शित धनराशि के बीच विद्यमान अन्तर की स्थिति स्पष्ट न कर गम्भीर अनियमितता।	711.00 लाख
प्रस्तर संख्या-5	जनपद में बालू एवं बालू खनन की स्थिति विद्यमान रहते हुए भी बालू खनन मद से कोई आय न दर्शित कर/बालू खनन नीलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेख जांच में न प्रस्तुत कर गम्भीर अनियमितता	—
प्रस्तर संख्या-6	शासकीय अनुदान की धनराशियां वर्षान्त में रोककर रख कर उस पर अर्जित ब्याज को अभिलेखों में न दर्शित कर व्यापक दुरुपयोग की सम्भावना	220.39 लाख
प्रस्तर संख्या-7	वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यों पर दर्शित व्यय की पुष्टि वर्णित 5 तथ्यात्मक कारणों से न हो पाने की स्थिति में धनराशि का दुरुपयोग	1366.92 लाख

जनपद का नाम-जौनपुरमण्डल का नाम- वाराणसी

जिला पंचायत	जिला पंचायत जौनपुर	धनराशि
प्रस्तर संख्या-1	निजी श्रोतों से आय के मदों से सम्बन्धित मूलभूत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण पुष्टि नहीं हुई।	27-91 लाख
प्रस्तर संख्या-2	आयकर व्यापार कर तथा रायल्टी मद के कटौती धनराशि की यथोचित पुष्टि नहीं करायी गयी।	85-28 लाख
प्रस्तर संख्या-3	अनुदान पंजिका में वर्षान्त दर्शित अवशेष धन व बैंक खातों में दर्शित वर्षान्त अवशेष धनराशियों की मदों की स्थिति स्पष्ट नहीं रही, न ही वापस की गयी।	3005-00 लाख
प्रस्तर संख्या-4	प्रतिवर्ष बैंको में प्रादभूत ब्याज की धनराशियों का स्पष्ट विवरण न रखकर धन का दुरुपयोग	66-64 लाख
प्रस्तर संख्या-5	निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशियों की पुष्टि वर्णित 6 तथ्यात्मक कारणों से नहीं हो पायी। अतः कार्य न कराकर धन का दुरुपयोग किया गया।	974-12 लाख

उक्त सभी प्रस्तरों में सम्बन्धित से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाए।

जनपद का नाम—गाजीपुर

सम्भाग— वाराणसी

प्रस्तर संख्या1—

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2012-13 की विभिन्न शीर्षों की पंजिकाओं में दर्शित प्रविष्टियों के आधार पर आकलित मांग एवं गत वर्षों के अवशेष के सापेक्ष प्राप्तियों संतोष जनक नहीं है। विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	शीर्ष	वर्ष की मांग	विगत वर्षों का अवशेष	वसूली वर्ष के सापेक्ष	वसूली गत वर्ष के सापेक्ष	अवशेष वर्ष के सापेक्ष	सम्पूर्ण अवशेष
1	विभव व सम्पत्ति पर कर	5885840	19637322	404700	1251203	5481140	23867259
2	नौकाघाट	2514257	386348.72	2514257	191200	—	195148.72
3	तहबाजारी	1078050	51829755	1078050	—	—	518297.55
4	निजी सम्पत्ति	275035	877858	60170	189578	214865	903145
	योग	9753182	21419826.27	4057177	1631981	5696005	25483850. 27

समुचित प्रबन्ध के अभाव में प्राप्तियों के संग्रह से आय में कमी पायी गयी। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तर दायित्व है। अतः प्रभावी वसूली की वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति सं०-5)

प्रस्तर संख्या 2—

(क) जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा 7 सार्वजनिक नौकाघाट की नीलामी का ठेका से सम्बन्धित पत्रावली के जांच में पाया गया कि रु० 1,15,120.00 का स्टाम्प शुल्क कम आकलित करते हुए राजकीय राजस्व की हानि पहुँचायी गयी है, विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	नाम घाट	ठेकेदार	धनराशि ठेका	स्टैम्प शुल्क आहरित	स्टैम्प शुल्क निर्धारित	अन्तर
1	खजुरी	व्यक्ति	201500	—	20150	20150
2	गुरैनी	समिति	30515	1526	1526	—
3	गौसपुर	व्यक्ति	7400	740	740	—
4	चकेरी	व्यक्ति	8800	880	880	—
5	चोचकपुर	समिति	366651	18333	18333	—
6	वीरपुर	समिति	1825000	—	91250	91250
7	सिसौड़ा	समिति	74391	—	3720	3720
	योग		2514257	21479	136599	115120

(ख) जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2012-13 की तहबजारी की निलामी से सम्बन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि स्टाम्प शुल्क ₹ 86,244.00 की वसूली न करके मात्र ₹ 7,250 का स्टाम्प पेपर संलग्न किया गया, इस कारण ₹ 78,994.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

नौकाघाट एवं तहबाजारी के ठेके में निर्धारित स्टाम्प शुल्क वसूली न करके ₹ 1,15,120 एवं ₹ 78,994.00 की हानि हेतु अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति सं०-6)

प्रस्तर संख्या 3—

जिला पंचायत के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध आय-व्यय अवशेष पंजिकाओं में दिनांक 31-03-2013 में को अन्तिम शेष रोकड़ की धनराशि तथा विभिन्न बैंको में संचालित 9 बचत खातों में अवशेष धनराशि का अन्तर ₹ 1,72,25,931.98 पाया गया है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। विवरण निम्नवत है—

अनुदान/ अन्य पंजी के अनुसार			बैंक पास बुक/ स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउण्ट्स के अनुसार			
क्र० सं०	विवरण	धनराशि	क्र० सं०	बैंक शाखा का नाम	खाता संख्या	धनराशि
1	जमानत	14687684.00	1	इलाहाबाद बैंक गाजीपुर	20267935623	51638.00

2	मनरेगा	639934.00				
3	13वाँ वित्त	54881277.00	2	काशी गोमती सं0 ग्रा0 बैंक, गाजीपुर	3959	1481211.60
4	राज्य वित्त	112817791.00	3	पंजाब नेशनल बैंक गाजीपुर	06620001002600017	35957.00
	योग अन्तर	183026686.00 17225931.98	4	बैंक ऑफ इण्डिया गाजीपुर	691710110000017, 69171010007034	25460754.00 2503224.00
बैंक	अवशेष	200252617.98	5	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विस्तार पल्ल	392702011001799 392702010315556 392702010322309	107878967.02 706815.00 5188.00
			6	विकास भवन गाजीपुर	392702010327210	61574066.00
			7	राजकीय कोषागार गाजीपुर	—	554797.36
				योग	—	200252617.98

उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा विभिन्न बैंको में संचालित खातों का इस तरह से चिन्हांकन नहीं किया है कि किस खाते में किस योजना का धन जमा है, इस कारण लेखा परीक्षा में यह पुष्ट नहीं किया जा सका कि वास्तव में लेखा परीक्षा वर्ष में योजनावार कितना धन व्यय किया गया तथा कितना धन अवशेष रहा। लेखा परीक्षा का मत है कि संस्था द्वारा जानबूझकर प्रत्येक योजना का अलग-अलग खाता नहीं खोला गया है तथा वर्षान्त में शासकीय धन को वापस नहीं किया गया है। निजी और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को छिपाने के उद्देश्य से सम्भवतः जानबूझकर इस तरह से खातों का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर संख्या-4

जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था के प्रबन्धकीय बाजारों की तहबाजारी वसूली हेतु वर्ष का ठेका रू0 1078050.00 में दिया गया है नियमानुसार गत तीन

वर्षों के औसत से 15 प्रतिशत बढ़ाकर प्रत्येक ठेका दिए जाने का विधान है। ऐसा न करके रुपये 1457977.00 की क्षति पहुँचाई गई है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्श अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की प्रभावी वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

(आपत्ति संख्या-8)

प्रस्तर संख्या-5

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2012-13 में वित्त का धन निर्धारित उद्देश्य शुद्ध देय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाएं में न करके मार्ग/भवन निर्माण, मरम्मत कार्यों एवं आवासीय साज-सज्जा में रु० 4,35,48,252.00 में किया गया है। इस कारण 50 प्रतिशत भाग रु० 2,17,74,126.00 के उपभोग शुल्क के रूप में पुनर्वापसी से प्राप्त होने वाली आय को नष्ट किया गया है जिसके लिए अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है तथा धनराशि की प्रभावी वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

(आपत्ति संख्या-9)

प्रस्तर संख्या-6

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर रु० 12,35,24,616.00 व्यय किया गया, जबकि शासकीय अनुदान रु० 14,62,63,116.00 उपभोग किया जाना था, व्यय किये गये धनराशि राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत दिशा निर्देश लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण अवमुक्त धनराशियों के उपभोग की वस्तु स्थिति अपुष्ट रही।

जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में उपर्युक्त दर्शित निर्माण कार्यों पर निम्न गम्भीर तथ्य प्रकाश में आये, जिसका समाधान अपेक्षित है—

- (क) निर्माण कार्यों की स्वीकृति/जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित सूची एवं संस्था को निर्माण कार्य कराने हेतु आवंटित कार्यों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- (ख) पत्रावली में एक ही तरह के तीन-तीन टेण्डर फार्म लगाकर कागजी कोरम पूर्ण किया गया है।
- (ग) निर्माण कार्य कहा हुआ है, उसका स्पष्ट विवरण तथा लोकेशन अंकित नहीं किया गया है।

- (घ) संस्था स्तर पर सृजित परिसम्पत्तियों की पंजी तैयार नहीं किये गये हैं इस कारण कौन-कौन से कार्य पूर्ण अथवा अपूर्ण है तथा किस वर्ष में कराये गये हैं और उनका स्वामित्व औपचारिक रूप से जिला पंचायत में सन्निहित कर दी गई है अथवा नहीं अस्पष्ट है।
- (ङ) किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न नहीं इस कारण कार्य पूर्ण है, अथवा अपूर्ण, अज्ञात रहा।
- (च) निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के परिणाम स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति, सामग्री परिवहन से सम्बन्धित वैध रवन्ना (एम0एम0 11), सी0टी0आर0 की प्रति आदि अभिलेख पत्रावलियों में नहीं पाया गया, इस कारण खनिज सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रहा एवं दर्शित निर्माण कार्य भी संदिग्ध रहा।
- (छ) जिला पंचायत द्वारा जिस ग्राम पंचायत में कार्य कराया गया उस ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, श्रमिक मांग पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है, मास्टररोल कहीं से प्राप्त किया गया, उल्लेख नहीं है।

इस प्रकार दर्शित किये व्यय की धनराशि रु0 115297642.00 (राजकीय राजस्व को छोड़कर) बिना कार्य कराये ही योजनाबद्ध ढंग से दुरुउपयोग कर लिया गया है, जिसके लिए ठेकेदार, लेखाकार, वित्तीय परामर्श दाता, अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर संख्या-7

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा राजकीय राजस्व यथा आयकर, व्यापार कर एवं रायल्टी की कटौती एवं जमा तथा शेष सम्बन्धी कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र कुछ चालानों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी, राजकीय राजस्व जमा धनराशि के पुष्टि में जमा रिटर्न/ सत्यापन प्रमाण पत्र / बैंक खातों से जमा धनराशि आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, पुष्टि हेतु बैंक पासबुक / स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउण्ट/ कोषागार स्टेटेमेन्ट प्रस्तुत किये जाए। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने हेतु लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। राजकीय राजस्व की कटौतिया निम्नवत है।

आयकर	व्यापार कर	रायल्टी	योग
28,45,541.00	49,27,932.00	4,53,501.00	
82,26,974.00			

(आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर संख्या-8

जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा लेखा परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य कार्यालय व्यय / विविध व्यय / शेष से सम्बन्धित अभिलेख यथा प्रमाणक, लाकबुक, ब्रेक डाउन पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण रु0 7,69,127.16 की पुष्टि नहीं की जा सकी, पुष्टि करायी जानी चाहिए अथवा वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। विवरण निम्नवत है—

विवरण पृष्ठ सं0-7 पर अंकित है।

विवरण	धनराशि
अध्यक्ष / प्रमुख का भत्ता	86,745.00
स्टेशनरी	78,351.00
कार तेल	38,499.00
कांटी जेन्सी	50,086.00
यांत्रिक	23,425.00
विधि व्यय	57,625.00
प्रकीर्ण	4,34,396.00
योग	7,69,127.16

(आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर संख्या-9

जिला पंचायत गाजीपुर का वर्ष 2012-13 में राजकीय अनुदान की प्राप्ति, उपभोग एवं अंतिम अवशेष की स्थिति निम्नवत है—

प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्ष के अन्त अं
शेष			
10,09,24,394.00	21,30,37,790.00	14,62,63,116.00	16,76,99,068.00

वर्ष 11-12 के अंत में रु0 10,09,24,394.00 अवशेष अनुदान थे जिसे नियमानुसार न तो सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया और न ही योजनावार चिन्हांकन ही किया गया है। यह धनराशि किन-किन बैंक खातों में संरक्षित है, यह भी अस्पष्ट है, बैंक द्वारा 3.5 प्रतिशत व्याज दिया जाता है। जिसे संस्था द्वारा छुपा लिया गया है, यह प्रक्रिया कई वर्षों से अपनाया जा रहा है, (वर्ष 12-13) में लगभग रु0 35.32 लाख व्याज

की धनराशि योजनाबद्ध रीति से छुपाकर संस्था को हानि पहुँचायी गयी है, विगत सात वर्षों का विवरण निम्नवत प्रस्तुत है।

क्रम	वर्ष	प्रा० शेष	आकलित	दर्शित	छिपाया
गया					
			व्याज	व्याज	
व्याज					
1	2006—07	2,88,79,899	10,10,796	—	
	10,10,796				
2	2007—08	2,81,14,773	9,84,017	—	
	9,84,017				
3	2008—09	7,08,01,642	24,78,057	—	
	24,78,057				
4	2009—10	2,62,26,803	9,17,938	—	
	9,17,938				
5	2010—11	94,45,987	3,30,610	—	
	3,30,610				
6	2011—12	6,94,92,240	24,32,228	—	
	24,32,228				
7	2012—13	10,09,24,394	35,32,354	—	
	35,32,354				
	योग		1,16,86,000	—	

स्पष्ट है कि वर्ष 2006—07 से 2012—13 के मध्य संस्था द्वारा अनियमित ढंग से शासकीय अनुदान रोककर अनियमित रूप से रु०1,16,86,000.00 न्यूनतम व्याज अर्जित किया गया है एवं योजनाबद्ध रीति से आय से छुपाकर दुरुपयोग किया गया है। यही प्रक्रिया 2006—07 के पूर्व के वर्षों से भी अपनाई गयी है। राजकीय अनुदान से सम्बन्धित योजनावार बैंक खाता न खोले जाने के कारण अनुदान पंजी में दर्शित आय— व्यय की वास्तविकता को लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

(आपत्ति संख्या—14)

जनपद का नाम – मीरजापुर

मण्डल का नाम – विन्ध्याचल

प्रस्तर संख्या –1	निर्माण कार्यो पर दर्शित व्यय पी0सी0आर0 परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं सामाग्री क्रय की पुष्टि न होने के कारण संदिग्ध । उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन श्री आर0एन0 सिंह, सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्री विन्ध्याचल कुशवाहा , अपर मुख्य अधिकारी श्री अमरनाथ राय वित्तीय परामर्शदाता व श्री दुष्यन्त सिंह लेखाकार	43428629.00
प्रस्तर संख्या –2	राजकीय राजस्व आय कर व्यापार कर तथा रायल्टी कटौती की धनराशि की जमा की पुष्टि में कोषागार का स्टेटमेन्ट एवं दाखिल रिटर्न से न कराने पर जमा की पुष्टि संदिग्ध। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन श्री आर0एन0 सिंह, सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्री विन्ध्याचल कुशवाहा , अपर मुख्य अधिकारी श्री अमरनाथ राय वित्तीय परामर्शदाता व श्री दुष्यन्त सिंह लेखाकार	3821907.00
प्रस्तर संख्या-3	कैश बुक के अनुसार दिनांक 31.3.13 को शेष धनराशि की बैंक पासबुक से पुष्टि न हो पाना। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन श्री आर0एन0 सिंह, सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्री विन्ध्याचल कुशवाहा , अपर मुख्य अधिकारी श्री अमरनाथ राय वित्तीय परामर्शदाता व श्री दुष्यन्त सिंह लेखाकार	27200652.00
प्रस्तर संख्या –4	निजी श्रोत से दर्शित आय पर नियमानुसार प्रति वर्ष बढ़ोत्तरी न होने से हुई क्षति। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन श्री आर0एन0 सिंह, सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं श्री विन्ध्याचल कुशवाहा , अपर मुख्य अधिकारी	10033000.00
प्रस्तर संख्या –5	शासन से प्रेस क्लब निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि का उपभोग न कर एवं सम्बन्धित पक्ष को वापस न कर राजकीय धन का दुरुपयोग। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी	500000.00
प्रस्तर संख्या –6	सम्पत्ति एवं विभव कर की बकाया धनराशि की वसूली न करके संस्था के धन का दुरुपयोग। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व उगाही कर्मचारीगण।	4924990.00
प्रस्तर संख्या –7	नौका घाट नीलामी की धनराशि न वसूल कर संस्था के धन का दुरुपयोग। उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व उगाही कर्मचारीगण।	462375.00
	योग	90371553.00

उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम – भदोही

मण्डल का नाम – विन्ध्याचल

जिला पंचायत का नाम – भदोही

प्रस्तर सं० 1 :-

गत प्रतिवेदन के अनुसार सम्पति एवं विभवकर का बकाया 31-03-2012 को रूपया 242.77 लाख दर्शित था जिसको रूपया 62.40 लाख कर दिया गया इस प्रकार बकाया धनराशि रूपया 180.37 लाख कम दर्शित है। ?

जिम्मेदार व्यक्ति – (1) श्री रमेश कुमार यादव प्रभारी कर अधिकारी

(2) अपर मुख्य अधिकारी

प्रस्तर सं० 2 :-

सम्पति एवं विभव कर मद में वर्ष 2011-12 में माँग रूपया 41.01 लाख दर्शायी गयी थी जबकि वर्ष 2012 ' 13 में मात्र रूपया 26.00 लाख माँग दर्शायी गयी इस प्रकार रूपया 15.01 लाख कम लगायी गयी।

उत्तरदायी – (1) रमेश कुमार यादव प्रभारीकर अधिकारी

प्रस्तर सं० 3 :-

संस्था स्तर पर राजस्व कटौती आयकर रूपया 715902 रायल्टी रूपया 926255 व्यापार कर रूपया 2446389 कुल रूपया 2888546.00 कि जमा की पुष्टि संबन्धित पक्ष से प्राप्त पुष्टि प्रमाण पत्र से नहीं कराया गया।

जिम्मेदार व्यक्ति – (1) अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तिय परामर्शदाता ।

प्रस्तर सं० 4 :-

वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यों में दर्शित व्यय की धनराशि रूपया 287.54 लाख के सापेक्ष निर्माण सामाग्रियों के क्रय कि पुष्टि न होने की स्थिति में दर्शित निर्माण कार्यों की स्थिति संदिग्ध है। सामग्री आमद का स्टाप रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे सामग्री प्राप्त की पुष्टि न कि जा सकी।

जिम्मेदार व्यक्ति – (1) अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तिय परामर्शदाता ।

जनपद का नाम- बरेली

मण्डल का नाम- बरेली

में उदघाटित अपहरण/अनियमितताओं की आपत्तियों का विवरण

जनपद-बरेली

जिला पंचायत-बरेली

(प्रस्तर-01)

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
1	61	जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अतः राज्यादेशों के अनुसार अपर मुख्य अधिकारी आवास भत्ता पाने के हकदार नहीं है। लेखा परीक्षा अवधि में श्री मनीष कुमार अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त आवास का उपयोग भी किया गया है। जैसा कि अपर मुख्य अधिकारी के आवास पर उपलब्ध लैन्ड लाइन टेलीफोन संख्या 2552054 की पत्रावली से भी प्रमाणित भी होता है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 45(ख)के अनुसार श्री मनीष कुमार को आवास किराये के रूप में मासिक परिलब्धियों का 10 प्रतिशत अथवा आवास का मानक किराये का धन जिला पंचायत को भुगतान करना था, जो भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार श्री मनीष कुमार द्वारा राज्यादेशों के विपरीत मकान किराया स्वयं आहरित कर तथा मकान किराया जमा न कर जिला पंचायत के धन का निम्न अनुसार अपराधिक न्यास भंग किया गया है:- 1. माह सितम्बर'11 के वेतन से स्वयं आहरित मकान भत्ता- 630.00 2. माह अक्टूबर'11 से फरवरी'12 के वेतन से स्वयं आहरित मकान भत्ता- 18900.00 3. माह सितम्बर'11 में 26.9.11 से 29.2.12 तक जमा न किया गया किराया दर <u>29270.00 / 10 = 2927.00 गुणा</u> 5 माह 5 दिन- 15123.00 योग- 34653.00 उक्त धनराशि की वसूली हेतु श्री मनीष कुमार के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि श्री मनीष कुमार द्वारा वर्ष 13-14 में भी इसी प्रकार धन आहरित किया गया है। प्रकरण की जाँच करने के साथ उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री मनीष कुमार की सत्यनिष्ठा की भी जाँच अपेक्षित है।	34653.00	34653.00

—:2:—

**वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षित जिला पंचायत में उदघाटित
अपहरण/अनियमितताओं की आपत्तियों का विवरण**

जनपद—बरेली

जिला पंचायत—बरेली

(प्रस्तर-01)

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
2	36	जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध है। जिसका उनके द्वारा उपयोग भी किया जा रहा है। श्री मनीष कुमार ए०एम०ए०द्वारा निम्न अनुसार राज्यादेशों व वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर मकान किराया भत्ता स्वयं आहरित कर तथा मकान किराया जमा न कर जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई। 1.माह मार्च'13 से अक्टूबर'13 तक आहरित मकान किराया भत्ता—3780 गुणा 8= 30240.00 2.माह मार्च'13 से अक्टूबर'13 तक जमा न किया गया किराया 29270./10=2927 गुणा 8= 23416.00 3.माह नवम्बर'13 से फरवरी'14 तक कम जमा किया गया किराया—2927—616=2311 गुणा 4=9244.00 योग— 62900.00 धनराशि की वसूली हेतु श्री मनीष कुमार के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अपेक्षित है।	62900.00	62900.00

-:3:-

**वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षित जिला पंचायत में उदघाटित
अपहरण/अनियमितताओं की आपत्तियों का विवरण**

जनपद-बरेली

जिला पंचायत-बरेली

(प्रस्तर-01)

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
3	33	जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं की आवासीय सुविधा हेतु सुसज्जित भवन उपलब्ध है। अतः राज्यादेश सं० जी० ०१.१७९५/१०-८१ वित्त(सा० अनु-१) दि० १५.१२.८१ के प्रस्तर ४(२) तथा शासनादेश जी-१-९५३/१०-२००८ दिनांक ८.१२.०८ के प्रस्तर छह के अनुसार उक्त श्रेणी के कर्मचारी मकान किराया भत्ता पाने के अधिकारी नहीं है। तथा इनके वेतन से वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-२ भाग २ से ४ के मूल नियम ४५(ए) ४ के अनुसार मकान किराये के रूप में मासिक परिलब्धियों का १० प्रतिशत अथवा आवास का मानक किराया जो भी कम हो काटा जाना था। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत के आवासीय भवनों का मानक किराया निर्धारित न होने के कारण अवर अभियन्ताओं के वेतन से १० प्रतिशत मासिक कटौती की जाती है। वेतन रजिस्टर के अवलोकन से लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी को वेतन के साथ आवास भत्ता भुगतान कर तथा मकान किराये की निर्धारित कटौती न कर जिला पंचायत की सम्पत्तियों का अपराधिक न्यास भंग कर, दुरुपयोग कर/गबन किया/कराया गया/विवरण निम्न प्रकार है-	295897.00	295897.00

क्रम सं०	नाम कर्मचारी / अधिकारी(सर्व श्री)	मूल वेतन +ग्रेड पे	अवधि	मकान किराया भत्ता जो देय नहीं था लेकिन दिया गया	मकान किराये की कटौती जो होनी थी	कटौती जो की गई	धनराशि जो कम काटी गई	कुल अधिक भुगतान
2	जावेद खॉं (अभियन्ता)	32040.00	1.3.11 से 31.5.11 तक	3780./3माह =11340.00	32040.00 3माह/10 =9612.00	00	9612.00	20952.00
3	सी०पी०सिंह राघव (ए०एम०ए०)	34850.00	मार्च'11 से अगस्त'11 तक	00	3485./6माह =20910.00	496. 6माह= 3576.	17334.00	17334.00
4	विनोद कुमार सिंह (अभियन्ता)	25080.00	अगस्त'12 से जून'13 तक	3150./11माह =34650.00	2508.00/11 माह=27588.	00	27588.00	62238.00
		25840.00	जुलाई'13से फरवरी'14 तक	3150./8 माह =25200.00	2584./8माह =20672.00	00	20672.00	45872.00
	योग-							108110.
5	संजय सिन्हा (अवर अभियन्ता)	26870.00	अगस्त'12	2540.00	2167.00	00	2167.00	4707.00
		26870.00	सितम्बर'12 से जून'13 तक	3150./10माह =31500.00	2687./10 माह=26870.	00	26870.00	58370.00
		28180.00	जुलाई'13 से फरवरी'14 तक	3150./8माह =25200.00	2818./08 माह=22544..	00	22544.00	47744.00
	योग-							110821.
	कुल योग-			146180.00			149807.	295987.

इस प्रति प्रथम दृष्टया अपर मुख्य अधिकारी श्री सी०पी०सिंह राघव एवं श्री मनीष कुमार तत्कालीन स्थापना लिपिक श्री राजीव रस्तोगी लेखाकार श्री विजय

कुमार सक्सेना, एवं श्री सत्य प्रकाश निगम उत्तरदायी हैं। जिनके द्वारा राज्यादेशों के विपरीत वेतन बिल बना कर/स्वीकृत कर रु० 295987.00 की हानि

जिला पंचायत को पहुँचा कर जिला पंचायत के कोष का गबन/दुरुपयोग होने दिया गया। संस्था के वित्त नियंत्रक द्वारा भी इस प्रति नियंत्रण नहीं रखा गया।

—:5:—

उपरोक्त कार्मिकों से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उ०प्र० जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली'1965 के अन्तर्गत

अधिभार की कार्यवाही करते हुए रु० 295987.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
4	34	श्री मनीष कुमार ए०एम०ए० के वेतन से मकान किराया भत्ता वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2,भाग-2 से 4 के मूल नियम 45(ए) 4 के अनुसार मूल वेतन रु०29270.00 का 10 प्रतिशत अर्थात् 2927.00 प्रति माह की दर से काटा जाना था। किन्तु मात्र 266.00 प्रति माह की दर से काटा गया है। इस प्रकार दिनांक 1.3.12 से 20.6.12 तक रु० 9757.00 अधिक भुगतान कर श्री मनीष कुमार द्वारा स्वयं को लाभान्वित किया गया। अतः धनराशि की वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में वित्तीय हस्त पुस्तिका के सन्दर्भित नियमों के अन्तर्गत ही अवर अभियन्ताओं के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती की गई है।	9757.00	9757.00
5	35	वेतन पंजिका के अनुसार श्री मनीष कुमार ए०एम०ए० को निम्न अनुसार दोहरा भुगतान मकान किराये भत्ते का किया गया है। 1.दिनांक 4.3.13 से 31.3.13 तक के वेतन के साथ भुगतान पूरे माह का—3780.00 2.दिनांक 1.3.13 से 3.3.13 तक के वेतन के साथ भुगतान 3 दिन का— 366.00 इस प्रकार श्री मनीष कुमार द्वारा रु० 366.00 यात्रा भत्ता अधिक आहरित कर जिला पंचायत को क्षति पहुँचाई गई। वसूली अपेक्षित है।	366.00	366.00
6	62	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर(सेस)अधिनियम की धारा-3(1) के भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एम 61011/9/95 दिनांक 12.10.96 तथा उ०प्र०शासकीय अधिसूचना दिनांक 20.4.9 के अनुसार प्राधिकृत निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर ठेकेदारों से काट कर निर्धारित मद में जमा किया जाना था। प्रमुख सचिव उ०प्र०शासन श्री वृन्दा स्वरूप द्वारा शासनादेश संख्या 29860/36.2.11.251(एस.एम.)/95 टी०सी० दिनांक 8.2.11 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "यह भी सुनिश्चित करें कि आपके नियंत्रणाधीन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से सेस की धनराशि की कटौती कर ली गई है,उसे बोर्ड के खाते में जमा करा दिया गया है। उपरोक्त संदर्भित अधिसूचनाओं एवं राज्यादेशों का जान बूझ कर उल्लंघन कर निम्न विवरणानुसार ठेके -दारों के देयकों से न तो सेस की कटौती कर धन निर्धारित कोष में जमा किया गया है,और न ही ठेकेदारों से सीधे जमा करवाया गया है।	113345.00	113345.00

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
6	62	1.माह मई'2011 में प्रमाणक संख्या -19,20,21,25, से 32, 34 से 38,43 से 45,एवं 69 से 75-75261.00		
		2.माह जून'2011 में प्रमाणक संख्या- 11,15 से 18 एवं 48-18258.00		
		3.माह अक्टूबर'2011 में प्रमाणक संख्या- 11,60,61,86 से 92-19020.00		
		4.माह नवम्बर'2011 में प्रमाणक संख्या-28-806.00		
		योग-		
		113345.00		
		इससे राजकोष को रु0113345.00 की क्षति तथा ठेकेदारों को इस धनराशि से लाभ पहुँचाया गया। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा श्रमबन्धू की मीटिंग में जारी निर्देशों तथा उप श्रमायुक्त बरेली के पत्रांक 2830.56 भवन 2011 दिनांक 11.4.12 तथा पत्रांक 11649.84 दिनांक 30.12.11 का भी परिपालन नहीं किया गया। अतः रु0 113345.00 राज कोष में जमा न कराने हेतु उत्तरदायी श्री सी०पी०सिंह राघव ए० एम०ए०,श्री मनीष कुमार ए०एम०ए०,श्री जावेद खॉं एवं श्री अखलेश्वर मल्ल अभियन्ता के विरुद्ध समुचित /अधिभार की कार्यवाही करते हुए धनराशि निर्धारित मद में जमा कराया जाना(दण्ड सहित)अपेक्षित है।		

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
7	42	जिला पंचायत द्वारा अपने निर्माण कार्यों की लागत के प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर बनाये जाते हैं। कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता बरेली वृत्त,लो०नि०वि० बरेली ने अपने पत्रांक 6471(1)/23एम०ए०-3/11 दिनांक 4.7.11 द्वारा दिनांक 1.7.11 से निर्धारित दरों के सम्बन्ध में अंकित किया है कि Rates of items No 2.6.7.9 to 16 are inclusive of contractor profit,octroi,vat,royalty and all other taxes.The rates of item no. 1 and 2 also includes cartage up to 8 km.loading.unloading & stacking at site. उपरोक्त से स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट्स में उ०प्र०राजकीय अधिसूचना दिनांक 20.04.09 द्वारा निर्धारित भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर(सेस)भी सम्मिलित था। लेखा परीक्षा में माह फरवरी'12 एवं मार्च'12 में भुगतान किये गये निर्माण कार्यों के देयकों के अवलोकन पर पाया गया कि प्राक्कलन बनाते समय ही शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरों के अतिरिक्त सेस धनराशि अलग से जोड़ कर 1.00 प्रतिशत सेस का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।	293572. 91	293572. 91

क्रम सं०	प्रमाणक संख्या	कार्य का विवरण	भुगतान सेस की धनराशि
		माह-फरवरी'12	
1	19	सुन्दर पुर में मेन रोड से सी०सी० व नाली निर्माण-	3925.98
2	21	जिला पंचायत कार्यालय में जीर्णोद्धार	2923.98
3	36	कजला पंचायत कार्यालय में जीर्णोद्धार	2293.00
4	37	ग्राम भरतौल में मिट्टी खड्जा	5082.39
5	40	करगैना मजरा में नाली सी०सी०रोड	2632.45
6	41	जयनगर में नाली व सी०सी०रोड	2842.25
7	42	ग्राम पदारथपुर में नाला निर्माण	1761.12
8	43	ग्राम प्रहलादपुर में मिट्टी खड्जा कार्य	2983.95
9	44	ग्राम डप्टा श्यामपुर में मिट्टी खड्जा कार्य	2696.82
10	45	ग्राम रम्पुरा अलीगंज में मिट्टी खड्जा कार्य	4763.21
11	51	ग्राम मेहतरपुर मार्ग से आलमपुर लेपन कार्य	2933.00
12	58	ग्राम लक्ष्मीपुर से मंदिर तक सी०सी०रोड व नाली निर्माण	298.84
13	59	ग्राम पालपुर कमालपुर में सी०सी०रोड व नाला निर्माण	7830.31
14	60	जिला पंचायत कार्यालय भवनों की मरम्मत	2050.80
15	64	ग्राम डेलपुर में नाली व सी०सी० रोड	2223.46
16	66	ग्राम भेजपुर में सी०सी०रोड निर्माण	9643.63
17	67	ग्राम कठर्रा में नाली व सी०सी०रोड निर्माण	
18	68	ग्राम भिण्डौरा में नाली व सी०सी० रोड निर्माण	4082.00
19	70	ग्राम प्रहलादपुर में अमरोली तक मिट्टी खड्जा	3510.31
2	71	ग्राम करगैना में मेनरोड से नाली व सी०सी०रोड निर्माण	1781.55
21	77	ग्राम पनुआ में नाली व सी०सी०रोड निर्माण	5316.00
22	79	ग्राम उँचागाँव में नाली व सी०सी० रोड निर्माण	5342.00
23	80	ग्राम नवीनगर में नाली व खड्जा कार्य	1672.90
24	81	ग्राम गुलड़िया धीमर में नाली व खड्जा कार्य	2952.00
25	82	ग्राम कांधरपुर में लेपन कार्य	4429.00
26	83	ग्राम परसौना में नहर से नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य	809.40
27	84	ग्राम वल्लिया में सी०सी० रोड निर्माण कार्य	1975.93
28	86	ग्राम प्रहलादपुर में अमरोली तक मिट्टी खड्जा	3420.96
29	100		3307.13
		माह-फरवरी'12 का योग-	95484.37

क्रम सं०	प्रमाणक संख्या	कार्य का विवरण	भुगतान सेस की धनराशि
		माह-मार्च'12	
30	1	सिंघाई मुरावान में मुख्य मार्ग से रज्जन के मकान तक लेपन कार्य	4052.14
31	2	पहुँचा बुजुर्ग में ज्वाला प्रसाद के मकान तक सी०सी०रोड व नाली निर्माण	4385.16
32	3	ग्राम सेहा में किशोरी की टाल से सी०सी०रोड-	9719.74
33	4	अम्बरपुर में मेन रोड से नाली व सी०सी० रोड-	7587.54
34	5	जमालपुर में सी०सी० व नाली निर्माण	7676.36
35	6	लश्करीगंज में नाली व सी०सी० रोड	2739.00
36	8	अतर क्षेत्र में सी०सी रोड	8833.30
37	9	मोहनपुर में प्रा०पा०से ठिरिया नाली तक सी०सी०रोड व नाली	8909.00
38	10	पालपुर कमालपुर में सी०सी०रोड व नाली निर्माण	8920.36
39	11	नकटपुर में सी०सी०रोड निर्माण कार्य	3845.19
40	29	रहपुरा गनीमत में सी०सी० व नाली निर्माण	4333.08
41	30	ग्राम नगला में प्रधान जी के घर से सी०सी०रोड व नाली निर्माण	3958.38
42	33	इस्माईलपुर में श्री भगवानदास के घर तक नाली व सी०सी०रोड	5232.00
43	34	करगैना मजरा गौटिया में नाली व सी०सी० रोड	5907.00
44	35	ग्राम समाधिपुर प्रा०पा० रहमत खाँ के मकान की ओर	4436.21
45	39	बुखारा शिव मन्दिर से आगे तक नाली व सी०सी०रोड	4289.00
46	40	करनपुर में दक्षिण पक्की सड़क से रम्पुरा नहर तक मि०खडंजा पुलिया निर्माण	3975.38
47	41	मझगवाँ ग्राम अतर क्षेत्र में सी०सी०रोड नाली निर्माण	963.86
48	42	ग्राम लंगुरा में सी०सी०रोड/नाली निर्माण	4418.88
49	99	गुलडिया धीमर में नाली व सी०सी० रोड	1804.25
50	100	अभियन्ता आवासों का शेष भाग	8850.19
51	101	करनपुर में आर०सी०सी०पुलिया आदि	1171.00
52	102	करगैना वाली नाली व सी०सी० रोड	3316.00
53	103	अखा में नाली व सी०सी०रोड	1348.92
54	104	भिन्डौलिया में सी०सी०रोड व नाली निर्माण	5677.18
55	105	रामपुर बुजुर्ग में सी०सी० रोड व नाली निर्माण	6933.00
56	106	करगैना में बदायूँ रोड से नाली व सी०सी० निर्माण	348.94

क्रम सं०	प्रमाणक संख्या	कार्य का विवरण	भुगतान सेस की धनराशि
		माह—मार्च'12	
57	107	रम्पुरा भिन्डौरा चौराहा से लेपन कार्य	1791.55
58	108	ग्राम वल्लिया में लेपन कार्य	3280.29
59	109	कटका रमन में लेपन कार्य	3685.19
60	110	कैट सादीपुर में मिट्टी खड़जा / पुलिया निर्माण	3685.19
61	112	अतरक्षेड़ी अवशेष सी०सी० कार्य	3756.00
62	114	करगैना में नाली व सी०सी०	1356.03
63	116	नगरिया कला तालाब की सुरक्षा दीवार	1356.03
64	117	भिन्डौरा में सी०सी०रोड	1754.93
65	118	अग्रास में सी०सी०रोड	6464.00
66	120	केसरपुर में नाली व सी०सी०रोड	5292.62
67	121	तख्तपुर में सी०सी०रोड	5108.13
68	124	सिंघाई मुंरावान में मुख्य मार्ग से लेपन कार्य	2628.00
69	125	भगनापुर से गुंगा मार्ग की ओर लेपन कार्य	7546.47
70	126	जिला पंचायत कार्यालय / भवन / गोदामों के शेष भाग की मरम्मत व रंगाई पुताई	2048.44
71	127	ग्राम आलमपुर में लेपन कार्य	3153.00
72	128	ग्राम मोहनपुर में लेपन कार्य	6460.56
73	129	ग्राम उँचागाँव में नाली व सी०सी०रोड	752.86
74	130	करगैना वाला जी पुरम नाली व सी०सी० रोड	1085.44
75	131	ग्राम उमरिया में सी०सी०कार्य	1764.59
76	132	ग्राम कांधरपुर में नाली व सी०सी०निर्माण	1237.12
77	162	ग्राम सिमराबोरीपुर में नाली व सी०सी० निर्माण	3068.00
78	163	ताहरपुर में सी०सी० निर्माण	2223.26
		माह मार्च'2012 का योग—	198088.54
		+माह फरवरी'12 का योग—	95484.37
		माह फरवरी'12 एवं मार्च'12 में भुगतान किया गया सेस—	293572.91

लेखा परीक्षा में इस प्रति निम्न आपत्तियाँ पाई गई:-

1. इस संबंध में अभियन्ता जिला पंचायत से पत्र लिख कर दिनांक 16.8.13 को स्पष्टीकरण माँगा गया था, जो कि जान बूझ कर नहीं दिया गया।

2. लेखा परीक्षा में उपलब्ध अधिसूचनाओं, राज्यादेशों एवं पत्रावली पर उपलब्ध विधिक सलाह के अनुसार भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर(सेस)

ठेकेदारों पर आरोपित किया गया था। अतः जिला पंचायत द्वारा भुगतान का कोई औचित्य प्रमाणित नहीं होता।

3. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट्स में सन्दर्भित कर सम्मिलित था। जैसा कि पत्रांक 6471(1)23 एम0ए0 3/11 दिनांक 4.7.11 से स्पष्ट

है कि इस प्रकार सेस का दोहरा भुगतान जिला पंचायत द्वारा किया गया।

इस प्रकार जिला पंचायत कोष से ₹ 293572.91 का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री मनीष कुमार अभियन्ता,

श्री अखलेश्वर मल्ल, लेखाकार श्री सत्यप्रकाश निगम उत्तरदायी हैं।

उल्लेखनीय है कि अवर अभियन्ता श्री मासूम रजा, श्री प्रेम प्रकाश, श्री राजीव सक्सेना, श्री नगीना राम एवं श्री जयराम प्रसाद द्वारा बिना किसी आदेश

/निर्देश के प्राक्कलन एवं भुगतान बिलों में सेस की धनराशि सम्मिलित कर अधिक भुगतान कराने में सहयोग प्रदान किया गया।

अतः अधिक भुगतान की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत(बजट तथा लेखा नियमावली) के नियम

संख्या 179 व 180 के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि संस्था के वित्त नियंत्रक भी इस प्रति समुचित नियंत्रण रखने में असफल रहे।

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण					धनराशि	
							कुल	अपहरण
8	53	प्रमाणक संख्या 100 माह मार्च '12 द्वारा रुपये 891800.00 का भुगतान अवर अभियन्ता आवासों अवशेष भाग पत्रावली का किया गया है। बिल में निम्न अनुसार भुगतान मृत स्कन्ध से संबंधित है।					95500.00	95500.00
		क्रमांक	मृत स्कन्ध	संख्या	मूल्य			
		1	गीजर	04	40000.00			
		2	स्टील आलमारी	01	12000.00			
		3	सीलिंग फैन	12	21600.00			
		4	छोटे शीशे	02	3500.00			
		5	बड़ा शीशा	01	3680.00			
		6	वाटर टैंक	01	14720.00			
			योग—		95500.00			

मृत स्कन्ध का लेखा संबंधित पंजिका में अंकित नहीं पाया गया। इस प्रकार ₹ 95500.00 मूल्य के स्टॉक का गबन संभावित है। जाँचोपरान्त इस प्रति

अधिभार/वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

-:11:-

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
9	54	प्रमाणक संख्या 126 माह मार्च '12 द्वारा कार्यालय में निर्माण कार्य का भुगतान रु०206800.00 का किया गया है। जिसमें निम्न अनुसार भुगतान मृत स्कन्ध से संबंधित है। 1.गीजर-7000.00,+ 2.सीलिंग फैन-2200.00,+ 3.एग्जॉस्ट फैन-1100.00=10300.00 मृत स्कन्ध का लेखा संबंधित पंजिका में अंकित नहीं पाया गया। इस प्रकार रु० 10300.00 मूल्य के स्टॉक का गबन संभावित है। जाँचोपरान्त इस प्रति अधिभार/वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।	10300.00	10300.00
10	58	जिला पंचायत कार्यालय व आवास का जीर्णोद्धार के देयक रु० 294292.00का भुगतान प्रमाणक संख्या 21 माह फरवरी '12 द्वारा किया गया। बिल में निम्न भुगतान मृत स्कन्ध 1 प्रयोग योग्य स्कन्ध से संबंधित है। 1.कम संख्या 20 पर ए०सी० एवं स्टैबलाइजर—42000.00 2.कम संख्या 24 पर सेन्टर टेबल—9000.00 3.कम संख्या 26 पर सीलिंग फैन—4000.00 4.कम संख्या 23 पर कारपेट—8000.00 5.कम संख्या 07 पर परदों की रॉड—14000.00 6.कम संख्या 08 पर परदा—12060.00 योग—89060.00 इस प्रकार रु०89060.00 मूल्य के स्टॉक का लेखा संस्था की स्कन्ध पंजिका में नहीं पाया गया। इस प्रकार रु० 89060.00 के मूल्य के स्टॉक का गबन सम्भावित है। जाँचोपरान्त इस प्रति अधिभार/वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।	89060.00	89060.00
11	09	दिनांक 2.12.11 को निम्न अनुसार व्यय जिला निधि से किया जाना दर्शित है। 1.प्रमाणक संख्या 62 मैथूरो टैक इलेक्ट्रानिक्स को माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बरेली के कक्ष में बैटरी व इन्वर्टर की स्थापना—28050.00 2.प्रमाणक संख्या 63 अध्यक्ष जिला पंचायत बरेली के सभा कक्ष हेतु 25 आर्नर हथेदार कुर्सियाँ—62050.00 उक्त भुगतान से संबंधित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रति निम्न आपत्तियाँ पाई गई। 1.जिला निधि के स्वीकृत पुनरीक्षित बजट में उक्त भुगतानों की कोई स्वीकृति नहीं ली गई। भुगतान हेतु बजट में धनराशि उपलब्ध नहीं थी। 2.भुगतान से खरीदे गये बैटरी,इन्वर्टर व कुर्सियों को संस्था के मृत स्कन्ध पंजिका में अंकित नहीं किया गया। संस्था में बिजली एवं जेनरेटर की सुविधा उपलब्ध थी। अतः इन्वर्टर एवं बैटरी खरीद का औचित्य प्रमाणित नहीं होता है। आवश्यक स्पष्टीकरण एवं सुधार अपेक्षित है।	90100.00	90100.00

-:12:-

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
12	16	लेखा परीक्षा अवधि में निम्न विवरणानुसार भुगतान परियोजना अधिकारी यू०पी०नेडा बरेली को 205 सोलर लाईट स्थापना हेतु अग्रिम धनराशि लागत का 80 प्रतिशत धन भुगतान किया गया। 1.चैक संख्या-007538 दिनांक 23.12.11-820560.00 2.चैक संख्या-007539.दिनांक 23.12.11-861588.00 योग- 1682148.00 इस प्रति निम्न आपत्तियाँ पाई गई- 1.भुगतान से पूर्व या भुगतान के पश्चात इस कार्य हेतु कोई बजट/संशोधित बजट स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः भुगतान अनुमान्य नहीं था। 2.सन्दर्भित कार्य दिनांक 31.3.12 तक पूर्ण नहीं हुए थे,भुगतान अग्रिम मद में किया गया था। नियमानुसार 31.3.12 तक कार्य पूर्ण न होने पर धन वापस लिया जाना था,जो नहीं लिया गया। भुगतान को अग्रिम मद में न दर्शा कर व्यय में दर्शाया गया है। 3.खरीद सोलर लाईट को स्कन्ध रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया है,ना ही सोलर लाईट गाँव सभा के प्रधान या अन्य सक्षम अधिकारी की अभिरक्षा में दी गई है। इस प्रकार जिला पंचायत की सम्पत्ति का जान बूझ कर दुरुपयोग होने दिया जा रहा है। 4.सोलर लाईट का रखरखाव जिला पंचायत को ही करना है,तथा आवश्यकतानुसार बैटरी भी बदलवानी है, लेकिन स्कन्ध पंजिका में अंकन न होने के कारण रख रखाव भी नहीं हो रहा है। सुधार अपेक्षित है।	1682148.00	1682148.00

—:13:—

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
13	56	शिवपुरी बाजार रोड से पुलिया तक नाला निर्माण की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि पत्रावली से अन्तिम भुगतान प्रमाणक संख्या 91 माह अक्टूबर'11 द्वारा स्वीकृत किया गया। पत्रावली के अनुसार ठेकेदार श्री गणेश यादव एवं जिला पंचायत के मध्य दिनांक 15.11.08 को श्री जावेद खाँ एवं श्री सी०पी० सिंह राघव द्वारा) अनुबन्ध हुआ था। अनुबन्ध के अनुसार निम्न अनुसार जमानत राशि ठेकेदार द्वारा जमा की गई थी। 1. ए०डी०आर०न० 126786 रु०200000.00 दिनांक— 5.11.08 में से 75000.00 2. ए०एस०सी०न० 809765 से 809768 दिनांक—21.1.08 5000 गुणा 4 20000.00 3. ए०एस०सी०न० 404291 दिनांक—1.11.04—5000.00 4. ए०एस०सी०न० 809697— दिनांक—6.12.07—5000.00 5. ए०एस०सी०न० 289511— दिनांक—2.1.08—1000.00 6. ए०एस०सी०न० 289512— दिनांक—2.1.08—1000.00 7. ए०एस०सी०न० 289513— दिनांक—2.1.08—1000.00 8. ए०एस०सी०न० 031804— दिनांक—1.11.04—1000.00 9. ए०एस०सी०न० 735144— दिनांक—1.11.04—500.00 योग— 118500.00 10. प्रमाणक संख्या 91 अक्टूबर'11 से कटौती द्वारा 1500.00 कुल योग— 120000.00 नियमानुसार कार्य पूर्ण होने के छह माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा बन्धक मुक्त कर जमानत राशि वापस की जानी थी। पत्रावली पर न तो जमानत राशि अवमुक्त होने की आख्या अंकित है और न ही जमानत राशि की प्रतिभूतियाँ (ए०एस०सी० एवं ए०डी०) उपलब्ध है। पत्रावली से परिलक्षित होता है कि श्री कृष्णा नन्द पांडे मान चित्रकार जो पत्रावली का रख रखाव करते हैं द्वारा ठेकेदार के साथ षडयंत्र रच कर पत्रावली में से जमानत के रूप में बन्धक रखी गई प्रतिभूतियाँ (बैंक सावधि निक्षेप/राष्ट्रीय बचत पत्र) को गायब कर दिया गया। इस प्रति विस्तृत जाँच के उपरान्त श्री कृष्णा नन्द पांडे एवं संबंधित के विपरीत अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में अपर मुख्य अधिकारी श्री मनीष कुमार की भूमिका भी संदिग्ध है।	118500.00	118500.00

-:14:-

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
14	57	संग्रामपुर सड़क मार्ग निर्माण की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि 4.9.10/13.6.11 को किया गया था। पत्रावली के अनुसार ठेकेदार श्री गणेश यादव एवं श्री जावेद खाँ एवं सी०पी० सिंह राघव के मध्य दिनांक 15.11.08 को अनुबन्ध हुआ था। अनुबन्ध के अनुसार निम्न प्रकार से जमानत राशि ठेकेदार द्वारा की जानी दर्शित है। 1. सावधि निक्षेप संख्या-371020 दिनांक-3.10.08-68000.00 2. एन०एस०सी० निक्षेप संख्या 216351 एवं 216352 दिनांक-2.1.08-10000.00 3. एन०एस०सी० निक्षेप संख्या-289504 एवं 289510 1000 गुणा 7 दिनांक-2.1.08-7000.00 योग- 95000.00 नियमानुसार कार्य पूर्ण होने के छह माह बाद कार्य सन्तोष जनक होने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा बन्धक मुक्त कर जमानत राशि अवमुक्त की जानी थी। पत्रावली पर न तो जमानत राशि अवमुक्त होने की आख्या अंकित है, और न ही बन्धक प्रतिभूतियाँ (एन०एस०सी० व सावधि निक्षेप) उपलब्ध है। पत्रावली से परिलक्षित हो रहा है कि श्री कृष्णानन्द पांडे मान चित्रकार जो पत्रावली का रखरखाव करते हैं द्वारा ठेकेदार के साथ षडयंत्र रच कर पत्रावली में से जमानत के रूप में बन्धक रखी गई प्रति- भूतियाँ (बैंक सावधि निक्षेप/राष्ट्रीय बचत पत्र) को गायब कर दिया गया। प्रकरण में अपर मुख्य अधिकारी श्री मनीष कुमार की भी भूमिका संदिग्ध है। इस प्रति विस्तृत जाँच के उपरान्त श्री कृष्णानन्द पांडे एवं सम्बन्धित के विपरीत अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट कर पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है।	95000.00	95000.00
15	12	अपर मुख्य अधिकारी राजकीय अधिकारी के लिये निर्धारित सेवा शर्तों के अन्तर्गत आते हैं। राज्यादेशों के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी जिसे वाहन की सुविधा मिली हुई हो के वेतन से रु०400.00 की कटौती वाहन हेतु की जाती है। किन्तु संस्था के अपर मुख्य अधिकारी श्री सी०पी० सिंह राघव के वेतन से संदर्भित कटौती नहीं की गई है। अतः श्री राघव के कार्यकाल 1.4.11 से 13.9.11 तक की अवधि हेतु रु०2173.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। यह वसूली राज्यादेश के अनुसार श्री राघव के सम्पूर्ण कार्यकाल दिनांक 26.7.08 से 13.9.11 तक की अवधि हेतु गणना कर की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि श्री मनीष कुमार के अपर मुख्य अधिकारी के वेतन से संदर्भित वसूली की गई है।	2173.00	2173.00

-:15:-

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
16	23	दिनांक 2.6.11 को भव्य फिलिंग स्टेशन बरेली को निम्न अनुसार भुगतान किया जाना दर्शित है— 1.प्रमाणक संख्या 20 जेनरेटर हेतु डीजल क्रय— 3947.00 बिल संख्या—2272 / 17.5.11 2.प्रमाणक संख्या 21 वाहन संख्या यू0पी025 ए सी 944 हेतु डीजल क्रय— 3752.00, बिल संख्या—2277 / 19.5.11 भव्य फिलिंग स्टेशन के सन्दर्भित बिल एवं सम्बन्धित लॉग बुकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रति जारी अन्तरिम आपत्ति संख्या—21 का परिपालन नहीं किया गया। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः 7699.00 की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।	7699.00	7699.00
17	25	दिनांक 21.4.11 को प्रमाणक संख्या 88 द्वारा दिनांक 26.2.11 की मीटिंग की व्यवस्था हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 3840.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। 1.50 लीटर दूध— 1400.00 2.10 किलो पनीर—1600.00 3.06 किलो खोया— 840.00 योग— 3840.00 उक्त का उपयोग किसके द्वारा किस प्रकार किया गया, स्पष्ट नहीं किया जा सका। उक्त के प्रयोग हेतु हलवाई, ईंधन आदि का व्यय नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रति श्री मासूम रजा खाँ अभियन्ता उत्तरदायी हैं। इस प्रति अन्तरिम आपत्ति संख्या 41 का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया। फर्जी व्यय की वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।	3840.00	3840.00
18	76	आयकर अधिनियम की धारा 269 टी के अनुसार रू0 10000.00 या अधिक की जमानत धन राशियाँ मात्र एकाउन्ट पेई चेक या ड्राफ्ट के द्वारा ही भुगतान की जानी थी। किन्तु अपर मुख्य अधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा निम्नलिखित	150985.00	150985.00

धनराशियाँ बैंक से आहरित कर नकद भुगतान कराई गई।						
दिनांक	प्रमाणक संख्या	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि	विवरण		
28.3.12	111	ताज ब्रिक इन्डस्ट्रीज	59600.00	चेक सं0078548 ए एम ए के नाम जारी है।		
3.2.12	52	भारत ब्रिक फील्ड	12500.00	इन संस्थाओं की ओर से धन प्राप्त करने को		
"	53	इन्डियन ब्रिक फील्ड	12000.00	कोई अधिकृत नहीं था। भुगतान संस्था के		
"	584	इन्डियन ब्रिक फील्ड	7000.00	बैंक खाते में होना था।		
"	55	सितारा ब्रिक फील्ड	11900.00	-----तदैव-----		
8.2.12	56	अंसारी ब्रिक स्टोर	11900.00			
12.3.12	चेक सं0 078520	बालाजी ब्रिक फील्ड, केसरपुर	36085.00	चेक ए एम ए के नाम जारी करने का कोई औचित्य प्रमाणित नहीं होता।		

—:16:—

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	अपहरण
18	76	समस्त धनराशियाँ बैंक से अपर मुख्य अधिकारी द्वारा आहरित की गई है। सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा नकद धन प्राप्त करने हेतु किसी को अधिकृत नहीं किया गया था। भुगतान प्राप्तकर्ता संदिग्ध है। इस प्रति सम्बन्धित संस्थाओं के अभिलेखों से धन प्राप्ति की पुष्टि कराई जाय। अन्यथा इस प्रति जाँचोपरान्त अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध फर्जी भुगतान हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। भुगतान संदिग्ध है।	150985.00	150985.00
19	72	संस्था के बैंक खाते के अनुसार दिनांक 22.2.12 को चेक संख्या 078456 का रू० 63750.00 भुगतान हुआ है। उक्त चेक का भुगतान का कोई लेखा संस्था की लेखा पुस्तकों में नहीं पाया गया। आवश्यक जाँच के उपरान्त धनराशि की क्षति पूर्ति/लेखा सुधार अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि बैंक खातों का समाधान विवरण पत्र वर्ष— 2009-10 से नहीं बनाया गया है। जिससे अन्तर छिपाया जा सके।	63750.00	63750.00
		कुल योग—	3219545.91	3219545.91

(प्रस्तर -02)

दुरुपयोग संबंधी कोई आपत्ति नहीं है।

-:17:-

(प्रस्तर-03)

गंभीर अनियमितता

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण		धनराशि		
				कुल	गम्भीर अनियमितता	
20	70	पत्रावली बुखारा में मन्दिर से तोता राम ड्राईवर के घर तक सी०सी०व नाली निर्माण विकास खण्ड क्यारा के अवलोकन पर पाया गया कि प्राक्कलन में अंकित कार्य एवं माप पुस्तिका में अंकित कार्यों में पर्याप्त अन्तर है। कार्य में परिवर्तन की कोई स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई। विवरण निम्न अनुसार है।		179192.00	179192.00	
		A	Laying c-c-10 cm.thick slab in 1;2:4 with cement c.sand & 40 mm gais stone			प्राक्कलन के अनुसार 92.50 एम3 कार्य होना था,देयक के अनुसार 126.12 एम3 कार्य हुआ। 33.62 एम 3 गुणा 3900.00 =131118.00 का अधिक भुगतान किया गया।
		B	R.C.C on road in 1;6;12 with cement,fine sand &40 mm gaing			प्राक्कलन के अनुसार 92.50 एम3 कार्य होना था। देयक के अनुसार 120.45 एम3 कार्य हुआ 27.95 एम डे गुणा 1720.00=48074.00 का अधिक भुगतान किया गया।
		इस प्रकार बिल में रु०179192.00 का भुगतान ऐसे कार्य हेतु किया गया जिसके लिये न तो प्राक्कलन बनाया गया था न ही ठेका स्वीकृत हुआ था,न ही कार्य कराने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गई थी। इस प्रकार रु० 179192.00 का भुगतान अस्वीकृत कार्यों हेतु किया गया। अतः इस प्रति श्री राजीव सक्सेना अवर अभियन्ता से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उ०प्र०जिला पंचायत बजट व लेखा नियमावली के नियम संख्या 179 व 180 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि प्राक्कलन में शिफ्टिंग ऑफ स्टोन बैलास्ट ऑफ साइट का व्यय रु० 15000.00 दर्शाया गया है। जो पी०डब्ल्यू डी द्वारा निर्धारित शिड्यूल ऑफ रेट्स के अनुरूप नहीं है। इस प्रति तत्कालीन अभियन्ता अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक भी उत्तरदायी है।				

-:18:-

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण		धनराशि		
				कुल	गम्भीर अनियमितता	
21	71	पत्रावली चनेटा में सी०सी०निर्माण व नाली निर्माण के अवलोकन पर पाया गया कि प्राक्कलन में अंकित कार्य एवं माप पुस्तिका में अंकित कार्यों में पर्याप्त अन्तर है। कार्य में परिवर्तन की कोई स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई। विवरण निम्न अनुसार है।		123888.50	123888.50	
		A	R.C.C on road in 1;6;12 with 40 mm gaing ballast			प्राक्कलन के अनुसार 40.62 एम3 कार्य स्वीकृत था। भुगतान 59.75 एम 3 का किया गया। 19.13 एम 3 गुणा 1850.= रु035390.50 का अधिक भुगतान किया गया।
		B	Laying c-c-10 cm.thick slab in 1;2:4 with cement c.sand & 40 mm gais stone			प्राक्कलन के अनुसार 40.62 एम3 कार्य स्वीकृत था। भुगतान 59.75 एम 3 का किया गया। 19.13 एम 3 गुणा 4600.= 87998.00 का अधिक भुगतान किया गया।
		इस प्रकार बिल में रु0 35390.50+87998.00=123388.50 का भुगतान ऐसे कार्य हेतु किया गया जिसके लिये न प्राक्कलन बनाया गया था,न ही ठेके स्वीकृत हुआ था,न ही अतिरिक्त कार्य कराने हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ही ली गई। इस प्रकार रु0 123388.50 का भुगतान अस्वीकृत कार्यों हेतु किया गया। अतः इस प्रति श्री नगीना राम अवर अभियन्ता से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करते धन की वसूली हेतु नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रति तत्कालीन अभियन्ता अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक भी उत्तरदायी है।				

—:19:—

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	गम्भीर अनियमितता
22	40	लेखा परीक्षा अवधि में जिला पंचायत को राज्य वित्त आयोग से अनुदान मद का रू० 76391000.00 प्राप्त हुआ। राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त धनराशि में से 25 प्रतिशत धन अर्थात् रू० 19097750.00 अधिकतम कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर व्यय किया जा सकता था। जिला पंचायत के पुनरीक्षित बजट जो दिनांक 21.4.12 को स्वीकृत किया गया था, के अनुसार इस धनराशि में से निम्न अनुसार व्यय स्वीकृत किये गये। 1.अधिकारी कर्मचारी का वेतन— 5870137.00 2.रोड गैंग का वेतन— 952570.00 3.अतिबचत(पेंशन व सेवा निवृत्त लाभ)—8730602.00 योग— 15553309.00 उक्त के विपरीत वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि में से रू० 20257537.00 कर्मचारियों के वेतन,भत्तों एवं पेंशन पर व्यय किये गये। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग के निर्देशों का उल्लंघन कर रू० 1159787.00 अधिक व्यय कर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया। इस प्रति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री मनीष कुमार एवं कार्यवाहक लेखाकार श्री सत्य प्रकाश निगम उत्तरदायी हैं। उल्लेखनीय है कि अधिक अनुदान के उपयोग की स्वीकृति भी बजट के माध्यम से नहीं ली गई। अनुदान के दुरुपयोग के सम्बन्ध में उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।	1159787.00	1159787.00

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	गम्भीर अनियमितता
23	02	दिनांक 15.10.2011 को प्रमाणक संख्या 47 द्वारा रू० 257075.00 का भुगतान किया गया,किन्तु कैश बुक में प्र० संख्या 92 पर भुगतान रू० 401969.00 का अंकित किया गया। इस प्रकार रू० 144894.00 का अधिक भुगतान दर्शा कर रोकड़ शेष कम किया गया। जिसे छिपाने हेतु बाद में कैश बुक में रोकड़ शेष में अनधिकृत परिवर्तन किये गये। इस प्रति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।	144894.00	144894.00

—:20:—

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	गम्भीर अनियमितता
24	03	जिला पंचायत की रोकड़ बही में निम्न अनुसार रोकड़ शेष में परिवर्तन कर शेष प्रभावित किया गया। 1.दिनांक 31.12.11 का अन्तिम शेष 96272519.00 को 1.1.12 को 96154248.47 दर्शाया गया। 2.दिनांक 31.1.12 का अन्तिम शेष 87491078.47 को 1.2.12 को 87486774.47 दर्शाया गया। 3.दिनांक 29.2.12 का अन्तिम शेष 87334003.47 को 1.3.12 को 71127994.47 दर्शाया गया। 4.दिनांक 29.2.12 का अन्तिम शेष 52237465.47 को 1.4.12 को 71127994.47 दर्शाया गया। योग— 323335066.60 322919315.88 इस प्रकार बिना कोई भुगतान किये अवशेष रोकड़ रु० 415750.53 से कम कर दिया गया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि गत वर्षों में हुई अनियमितताओं/धन के दुरुपयोग को छिपाने के उद्देश्य से रोकड़ शेष में परिवर्तन किया गया। इस प्रति तत्कालीन लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है।	415750.53	415750.53

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	गम्भीर अनियमितता
25	38	दिनांक 13.6.11 को प्रमाणक संख्या 69 द्वारा रु० 97696.00 का भुगतान चेक संख्या 776461 द्वारा श्री गणेश यादव को दर्शा कर कैश बुक का शेष घटाया गया है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि सन्दर्भित भुगतान चेक सं. 776429 द्वारा वर्ष 2010—11 में किया जा चुका था। इस प्रकार दो बार भुगतान दर्शा कर जिला पंचायत की रोकड़ रु० 97696.00 से कम की गई	97696.00	97696.00
26	43	दिनांक 31.03.11 को संस्था की कैश बुक एवं बैंक के अवशेषों में रु० 855939.84 का अनिस्तारित अन्तर था। जिसका विवरण तलाश कर समाधान किया जाना था। लेखा परीक्षा अवधि में अन्तरों का वास्तविक सुधार न कर जान बुझ कर दोष पूर्ण लेखे कर अन्तर को काल्पनिक रूप से समाप्त कर दिया गया। लेखों में कूटकरण हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री मनीष कुमार एवं लेखाकार श्री सत्य प्रकाश निगम उत्तरदायी हैं।	855939.84	855939.84

—:21:—

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	गम्भीर अनियमितता
27	31	लेखा परीक्षा अवधि में दैनिक वेतन भोगी(गैंगमैन)कर्मचारियों के वेतन रु० 711864.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों एवं सूचनाओं के अनुसार इन कर्मचारियों से निर्माण कार्य या अन्य कार्य नहीं लिया गया। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा इन कर्मचारियों का वेतन भी बैंक से नकद आहरित कर नकद भुगतान किया गया। यद्यपि अन्य समस्त कर्मचारियों को वेतन बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा किये गये भुगतान रु०711864.00 का औचित्य जिला पंचायत के हित में प्रमाणित नहीं होना,नकद भुगतान की स्थिति को और भी संदिग्ध बनाता है। इस प्रति तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सी०पी०सिंह राघव,श्री मनीष कुमार अभियन्ता,श्री जावेद खाँ एवं अखलेश्वर मल्ल उत्तरदायी हैं। अतः जाँचोपरान्त रु० 711864.00 की क्षतिपूर्ति हेतु अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है	711864.00	711864.00

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	गम्भीर अनियमितता
28	41	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आय व्यय विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2011-12 में रु० 1741944.00 की आय सम्पत्तियों की किराये से हुई। लेखा परीक्षा में उपलब्ध किराये की माँग वसूली पंजिका के अनुसार मात्र रु० 534925.00 की वसूली ही अंकित है। इस प्रकार वसूल धन में से रु० 1207019.00 का लेखा माँग वसूली पंजिका में नहीं किया गया। इस प्रति पंजिका प्रभारी श्री अभय जौहरी,लेखाकार श्री सत्य प्रकाश निगम उत्तरदायी हैं।	1207019.00	1207019.00
29	55	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आय व्यय विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2011-12 में रु० 8897790.00 वैभव एवं सम्पत्ति कर की वसूली की गई। वैभव एवं सम्पत्ति कर की माँग वसूली पंजिका के कम्प्यूटर में अंकित विवरण पत्र के अनुसार मात्र रु० 7152132. की वसूली ही अंकित है। इस प्रकार जन साधारण से वसूल की गई रु० 1742658. का लेखा जिला पंचायत की लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया। इस प्रति इस कार्य के प्रभारी श्री मनोज कुमार प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री सत्य प्रकाश निगम लेखा प्रभारी उत्तरदायी हैं। अपर मुख्य अधिकारी द्वारा इस प्रति उदासीनता रखी गई।समस्त धन वसूल का लेखा माँग,वसूली पंजिका में करते हुए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।	1742658.00	1742658.00

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण					धनराशि		
							कुल	गम्भीर अनियमितता	
30	82	लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न मदों पर स्वीकृत बजट से अधिक धन का व्यय किया गया।					2566000.00	2566000.00	
			क्र म	मद	स्वीकृत बजट	व्यय धनराशि			अधिक व्यय
			1	पेंशन व आनुतोषिक	70.00 लाख रु०	94.59 लाख रु०			24.59 लाख रु०
			2	गाड़ी रखरखाव व डीजल	3.40 लाख रु०	3.68 लाख रु०			0.28 लाख रु०
			3	बिजली	3.32 लाख रु०	3.93+0.18 लाख रु०			0.79 लाख रु०
				योग—	76.72 लाख रु०	102.38 लाख रु०			25.66 लाख रु०
		इस प्रकार रु० 25.66 लाख का अनाधिकृत व्यय अपर मुख्य अधिकारी श्री मनीष कुमार एवं लेखाकार श्री सत्य प्रकाश निगम द्वारा किया गया है। व्यय की स्वीकृति संशोधित बजट में भी नहीं ली गई। इस प्रति जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।							

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण				धनराशि	
						कुल	गम्भीर अनियमितता
31	7	सेन्ट्रल बैंक के खाता विवरण पत्र के अनुसार निम्न अनुसार धनराशि का भुगतान जिला पंचायत निधि से आहरित कर जिला पंचायत का रोकड़ शेष कम किया गया है। 1.चेक संख्या—2218— 29249.00 दिनांक 3.8.11 को 2.चेक संख्या—4983— 18186.00 दिनांक 29.11.11 को 3.विवरण रहित आहरण— 4918.00 दिनांक 31.10.11 को योग— 52353.00 उक्त भुगतान के लेखे जिला पंचायत की कैश बुक में अंकित नहीं पाये गये। इस प्रकार जिला पंचायत निधियों का दुरुपयोग परिलक्षित हो रहा है। जिसे छिपाने के लिये कैश बुक में कूट करण कर बैंक शेष को मिला दिया गया है।				52353.00	52353.00

—:22:—

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	गम्भीर अनियमितता
32	22	लेखा परीक्षा अवधि में जिला पंचायत की गाड़ियों एवं जेनरेटर के संचालन हेतु रु० 259867.00 मूल्य का डीजल खरीद किया जाना दर्शित है। तथा रु० 107794.00 वाहन अनुरक्षण पर व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में सन्दर्भित व्यय की पुष्टि हेतु सम्बन्धित वाहनों व जेनरेटर की लॉग बुकें माँगी गई। इस प्रति अन्तरिम आपत्ति संख्या 24,25,32,3,39,61 एवं 65 आदि जारी की गई। किन्तु जान बूझ कर सन्दर्भित लॉग बुकें उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा किये गये व्यय 367661.00 के औचित्य की जाँच नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रथम दृष्टया स्टोर कीपर/जीप ड्राईवर उत्तरदायी हैं। समुचित नियंत्रण न रखने के प्रति अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक जाँच के उपरान्त समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।	367661.00	367661.00

33	75	संस्था के चेक इश्यू पंजिका के अनुसार दिनांक 1.3.12 को चेक संख्या 78482 रु० 375044.00 का श्री चन्द्रपाल के नाम जारी किया गया। जिसका भुगतान बैंक खाता विवरण पत्र के अनुसार दिनांक 1.3.12 को बैंक से हुआ। पुनः इस धनराशि का	375044.00	375044.00

		दूसरा चेक संख्या 078516 जारी किया गया। जिसका भुगतान बैंक से दिनांक 5.3.12 को हुआ। एक ही धनराशि के दो चेक जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि धन की वसूली का लेखा कैश बुक में नहीं किया गया है। और न ही दोहरे भुगतान का लेखा कैश बुक में किया गया। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी श्री मनीष कुमार एवं लेखाकार श्री सत्य प्रकाश निगम उत्तरदायी हैं।		
34	10	दिनांक 23.1.12 को निम्न अनुसार व्यय निर्माण जिला निधि मद से किया जाना दर्शित है। 1. श्री राहत हुसैन ठेकेदार को जमानत वापसी (गत वर्ष की) - 12500.00 2. श्री राहत हुसैन ठेकेदार को जमानत वापसी (गत वर्ष की) - 20000.00 इस प्रति निम्न आपत्तियाँ पाई गई। 1. जमा जमानत की पुष्टि हेतु जमानत पंजिका नहीं बनाई गई। अतः यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जमानत कब जमा हुई एवं इससे पूर्व वापस नहीं हुई थी। 2. जमानत वापसी को सार पंजिका में जमानत के स्थान पर निर्माण जिला निधि में दर्शाया जाने का क्या औचित्य रहा। वर्ष भर में वापस समस्त जमानत एक साथ क्यों नहीं दर्शाई गई।	32500.00	32500.00

—:24:—

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	गम्भीर अनियमितता
35	63	लेखा परीक्षा अवधि में निम्न अनुसार जमानत की धनराशि ठेकेदारों को वापस किया जाना दर्शित है। जो पूर्व वर्षों में संस्था में जमा होना बताया गया। 1.19.12.11 श्री अमीन खाँ— 40000.00 2.19.12.11 ऐ०के०ट्रेडर्स— 35000.00 3.19.12.11 श्री लालकरन ठेकेदार— 40000.00 4.17.2.12 श्री राजेश गंगवार— 29750.00 5.17.2.12 गोल्डन इन्टर प्राइजेज— 4500.00 6.22.2.12 ऐ०के०ट्रेडर्स— —50000.00 7.23.1.12 जमानत वापसी राहत हुसैन—12500.00 8.23.1.12 जमानत वापसी राहत हुसैन—20000.00 योग— 231750.00 उक्त जमानत जमा होने की पुष्टि में जमा जमानत की पंजिका नहीं बनाई गई है। अतः न तो यह पुष्ट हो सका कि जमानत कब जमा हुई थी, और न ही जाँच की जा सकी कि इससे पूर्व जमानत वापस तो नहीं हुई थी। सम्पूर्ण प्रक्रिया लेखांकन सिद्धान्तों के विपरीत है, इस प्रति तत्कालीन लेखाकार श्री विजय कुमार सक्सेना एवं श्री सत्य प्रकाश निगम उत्तरदायी हैं। अतः या तो जमानत पंजिका बना कर सही-सही भुगतान होने की पुष्टि कराई जाये अन्यथा जाँचोपरान्त श्री सक्सेना एवं श्री निगम के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	231750.00	231750.00

36	32	लेखा परीक्षा अवधि के बिजली बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि समय से भुगतान न करने के कारण विलम्ब शुल्क तथा अन्य मदों में निम्न अनुसार विद्युत मूल्य के अतिरिक्त भुगतान किया गया।				16770.80	16770.80
		क्रम सं०	बिल की अवधि	धनराशि	विलम्ब शुल्क जो दिया गया	अतिरिक्त भुगतान जो किया गया।	
		1	5.2.11 से 25.3.11	21298.00	302.00	-----	
		2	25.3.11 से 25.4.11	20338.00	37.00	-----	
		3	25.5.11 से 30.6.11	22200.00	370.50	-----	
		4	30.6.11 से 25.7.11	27013.00	45.00	-----	
		5	25.7.11 से 25.8.11	25245.00	359.70	-----	
		6	25.8.11 से 25.9.11	25046.00	300.00	-----	
		7	25.9.11 से 25.10.11	18186.00	384.00	-----	

—:25:—

क्र० सं०	सा० आपत्ति संख्या	आपत्ति का विवरण					धनराशि	
							कुल	गम्भीर अनियमितता
36	32	क्रम सं०	बिल की अवधि	धनराशि	विलम्ब शुल्क जो दिया गया	अतिरिक्त भुगतान जो किया गया।	16770.80	16770.80
		8	25.10.11 से 25.11.11	25051.00	27.00			
		9	25.4.11 से 25.5.11	31120.00	262.00			
		10	25.11.11 से 25.12.11	26449.00	313.00			
		11	25.12.11 से 25.1.12	40325.00	22.00			
		12	25.1.12 से 25.2.12	35923.00	504.00	7200.00		
		13	25.2.12 से 31.3.12	27363.00	44.00	6600.00		
			योग—		2970.80	13800.00		
		इस प्रकार 2970.80+13800.00 योग 16770.80 अधिक भुगतान कर संस्था को क्षति पहुँचाई गई।आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए इस प्रति तत्कालीन लेखाकार के विरुद्ध अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।						
		कुल योग—						
कुल योग—(अपहरण)—					3219545.91	3219545.91		
सर्वयोग—					13500013.58	13500013.58		

जनपद का नाम—पीलीभीत

मण्डल का नाम—बरेली

जिला पंचायत—पीलीभीत (उ०प्र०)

प्रस्तर संख्या—01:— कार्यालय व्यय पर रू० 103933.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में संस्था स्तर पर पंजिका तैयार कर नहीं रखी गयी। जिससे पद स्पष्ट न हो सका कि व्यय किन-किन मदों पर किया गया है। पंजिका प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(लेखा परीक्षा वर्ष 2004—05, सा०आ०सं०—13)

प्रस्तर संख्या—02:— जिला पंचायत की "CASH-IN-SAFE" का बीमा न कराया जाना एक वेहद गम्भीर आपत्तिजनक स्थिति है।

(लेखा परीक्षा वर्ष 2004—05, सा०आ०सं०—15)

प्रस्तर संख्या—03:— दिनांक 31.03.2004 को अनुदान पंजिका में स्वजल धारा के अन्तर्गत रू० 884000.00 अवशेष दर्शित किया गया। दिनांक 31.3.2005 में इस धनराशि को NIL दर्शाया गया है। उक्त धनराशि

भारत सरकार नई दिल्ली से बैंक ड्राफ्ट सं०-256984 दिनांक 01.10.2003 को प्राप्त हुई थी। उक्त धनराशि भूलवश BOB शाखा कचहरी पीलीभीत के खाता संख्या-828 में जमा कर दी गयी। जिसे काफी समय बाद पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक पीलीभीत के खाता संख्या-12157 में जो कि वास्तव में इस मद का खाता था; जमा की गयी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2004-05 में जिला क्रियान्वयन एजेन्सी पीलीभीत को वापस कर दी गयी किन्तु पत्रावली में उक्त धनराशि वापस करने का कोई निर्देश/आदेश पत्र संलग्न नहीं पाया गया। इस प्रकार कार्य प्रणाली गम्भीर आपत्तिजनक एवं दोषपूर्ण पायी गयी। जिसे स्पष्ट किया जाना आपेक्षित रहा।

(लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05, सा०आ०सं०-37)

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09

प्रस्तर संख्या-04:- जिला पंचायत पीलीभीत द्वारा वर्ष 2008-09 में कराये गये निर्माण कार्यो में ग्राम सैदपुर में जिला पंचायत पीलीभीत द्वारा वर्ष 2008-09 में कराये गये निर्माण कार्यो में ग्राम सैदपुर में टनकपुर रोड से नीलकण्ठ दुलीराम के घर होते हुये मन्दिर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य अंकन रु० 4.99 लाख में कराया जाना दर्शाया गया है उससे सम्बन्धित पत्रावली आगणन लेखा परीक्षा में अवलोकित किये जाने पर निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी:-

- (i) 100 मी० नाली का सेक्शन नहीं बनाया गया है।
- (ii) 100 मी० नाली व 470 मी० सी०सी० रोड का स्टीमेट पृथक-पृथक नहीं बनाया गया है।
- (iii) 250 मी० सी०सी० रोड 3 मी० चौड़ा के वाद 200 मी० चौड़ा में बढ़ाई गई है।
- (iv) $2 \times 1 \times 385 \times 0.23 \times 0.2 = 35.42 \times 1950 = \text{रु० } 69069/-$ ईट की दीवार सी०सी० रोड में बनाये जाने का क्या औचित्य है तथा आगणनकर्ता द्वारा 205 मी० पर अपर लेखन कर उसे 385 मी० किया गया प्रतीत होता है स्थिति संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जांच अधिकारी द्वारा उसे काटा गया है।
- (v) उक्तानुसार क्रमांक 5 पर $2 \times 1 \times 385 \times .43 = 331 @ 65/-$ रु० 21521/- का प्लास्टर किया जाना दर्शाया गया है। यह स्थिति अस्पष्ट रही।
- (vi) क्रमांक 6 पर 4 स्लेव 3 मी० दर्शित है सी०सी० रोड पर 3-3 मी० को 4 स्लेव बनाये जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा।
- (vii) क्रमांक 8 पर रु० 3000/- किस मद का स्टीमेट में जोड़ा गया है तथा कार्टेज का रु० 13000/- किस प्रतिशत अथवा दर से बिल में जोड़ा गया है स्पष्ट अधिक नहीं है तथा उस राशि पर 15000/- को अपर लेखन कर रुपये 13000/- किया गया स्पष्ट प्रतीत होता है।
- (viii) पत्रावली में संलग्न जांच अधिकारी की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि सड़क 460 मी० है जबकि भुगतान 470 मी० का किया गया है अतः 10 मी० का अधिक भुगतान किया गया है जो कि लगभग रु० 21255/- लागत मूल्य की होती है।

उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी आपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-2)

प्रस्तर संख्या-05:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से रुद्रपुर तक 1 कि०मी० खडंजा कार्य बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत) के विषयक लेखा परीक्षा में पत्रावली अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने पर निम्न प्रकार स्थिति आपत्तिजनक पायी गयी:-

- (i) शासनादेश सं०-625/33 सेल 2009 विशेष सचिव उ०प्र० शासन से दिनांक 12 फरवरी 2009 को जारी किया गया है, जबकि पत्रावली में संलग्न **Estimate** एवं **Measurement** भी दिनांक 12.02.2009 को ही तैयार किया जाना दर्शाया गया है तथा **Section** तैयार नहीं किया गया जबकि शासनादेश में स्पष्ट अंकित है कि कार्यों का वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करके कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।
- (ii) शासनादेश में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कराये जाने वाले कार्यों को अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निविदाएं आमंत्रित करायी जाये। इस प्रकार शासनादेश दिनांक 12.02.09 के एक सप्ताह के अन्दर दि० 19.02.09 तक समस्त औपचारिकताएं पूरी कर निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए थी जबकि निविदाएं दिनांक 21.02.09 को आमंत्रित की गयीं।
- (iii) संलग्न **Measurement** में गहराई सभी जगह की एक समय ली गयी है जबकि चौड़ाई औसत निकाल कर दर्शायी गयी है तो गहराई का आगणन भी औसत में दर्शाया जाना चाहिए था।
- (iv) खडंजा निर्माण में क्या खुदाई की आवश्यकता पड़ी है उसे $2 \times 20 \times 50 = 2000$ यह कौन सी लम्बाई सम्मिलित की गयी है, स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
- (v) खडंजे की चौड़ाई औसत अलग-अलग क्या है, क्या खडंजा समान चौड़ाई में नहीं डाला जाना था?
- (vi) क्रमांक 2 पर अंकित गणना $18 \times 1 \times 50 = 900$ मी० होता है जबकि क्रमांक 1 पर अंकित खडंजा $20 \times 1 \times 50 = 1000$ मी० अंकित है। भिन्नता की स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

उक्त शासनादेश में स्पष्ट अंकित है कि निर्माण कार्य हेतु दी गयी राशि का 2 माह के अन्दर उपभोग कर लिया जाये, क्या ऐसा किया गया स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

शासनादेश के पैरा 7 में अंकित है कि तकनीकी अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। किन्तु पत्रावली में निरीक्षण सम्बन्धी कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं पायी गयी।

(सा०आ०सं०-4)

प्रस्तर संख्या-06:-

- (i) माह जुलाई 2008 के व्यय प्रमाणक सं०-6 द्वारा दिनांक 30.06.08 को रु 710990/- के बिल का भुगतान भी दीनदयाल ठेकेदार को किया जाना दर्शाया गया है जिसकी लेखा परीक्षा में जाँच करने पर पाया गया कि बिल के क्रमांक 2 पर $45-44 \times 88.50 = 40141.99$ धनराशि प्राप्त की है जबकि उक्त संख्या की गणना लेखा परीक्षानुसार रुपये 4021.44 होती है। अतः ठेकेदार द्वारा रुपये 36120.55 से बिल अधिक प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।
- (ii) बिल में निर्माण कार्य का नाम विकास खण्ड अमरिया लिखा है जो अस्पष्ट एवं अपूर्ण है।
- (iii) यह तृतीय बिल है उससे पूर्व रुपये 589000/- का भुगतान किया जा चुका है। निर्माण कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जिससे वास्तविक स्थिति अज्ञात रही। पत्रावली प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

- (iv) V.No. 39 बिल में ठेकेदार द्वारा 1st class ईट की दर 1785/— व सीमेंट की दर 178.50 दर्शायी है उसी प्रकार V.No. 41 की मुजीब अहमद ठेकेदार द्वारा ईट रुपये 1785/— दर से कम दर्शायी गयी है जबकि उक्त प्रस्तुत बिल में ईट रुपये 2100/— व सीमेंट रुपये 260/— दर्शित है। रेटों की भिन्नता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

(सा0आ0सं0-5)

प्रस्तर सं0-07:— वर्ष 2008-09 की समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र-3 के अनुसार सम्पत्ति तथा विभव कर मद के अर्न्तगत गत वर्ष की बकाया धनराशि रु0 277550/— वर्ष की मांग रु0 2748340.00 वर्ष की कुल वसूली रु0 570330/— तथा वर्षान्त अवशेष रु0 24,55,560.00 अंकित है। प्रपत्र में बकायेदारों की संख्या अंकित नहीं की गयी है। उक्त विवरण की पुष्टि में मांग व वसूली रजिस्टर अधूरे पाये गये। जिससे उक्त धनराशियां अपुष्ट रहीं। मांग वसूली रजिस्टर तैयार कर 31.03.09 की बकाया तथा मांग व वसूली की धनराशियों की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

प्रस्तर सं0-08:— दि0 31.03.09 को जिला पंचायत के हस्तगत कार्यों का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे वर्षान्त में हस्तगत कार्यों के सम्बन्ध में सूचना अज्ञात रही। वर्षान्त में समस्त हस्तगत कार्यों की सूची बनाकर लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-26)

प्रस्तर सं0-09:— वर्ष 2008-09 की समीक्षा पुस्तिका के प्रपत्र-8 के अनुसार अचल सम्पत्ति के विवरण में कृषि योग्य भूमि 83.92 हे0 अंकित है जिसका 2008 में 95 प्रतिशत का सत्यापन राजस्व अभिलेखों से किया अंकित है। शेष भूमि कहाँ है तथा किसके कब्जे में है, सत्यापन कर उसको कब्जे में लिया जाये विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

उक्त भूमि का बाजार मूल्य 2008 में किये गये भौतिक सत्यापन के अनुसार रु0 32,84,550/— दर्शित है जो इस समय के बाजार मूल्य से बहुत कम है। उक्त भूमि का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-27)

संस्था का नाम – जिला पंचायत फिरोजाबाद

प्रस्तर-1— ईट भट्टों से राजस्व की वसूली न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के ईट भट्टों से राजस्व की वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रु0 3.10 लाख की हानि हुई। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 3.10 लाख

प्रस्तर-2— शीत गृहों से लाइसेंस शुल्क की वसूली न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा शीतगृहों से राजस्व की ससमय वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रु0 0.66 लाख की हानि हुई। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रु0 0.66 लाख

प्रस्तर-3— तहबजारी ठेकों को निर्धारित से कम दर पर देना — संस्था को रू0 98450.00 कर हानि निर्धारित से कम दर पर ठेके उठाये जाने के कारण हुई है। जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रू0 0.98 लाख

प्रस्तर-4— लायसेंस शुल्क न वसूल किये जाने के कारण हानि — संस्था को शुल्क न वसूल किये जाने के कारण रू0 0.84 लाख की हानि हुई है। जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि

रू0 0.84 लाख

प्रस्तर-5— नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना— राज्य वित्त से रू0 20793774.00 की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। किया गया व्यय अपुष्ट रहा। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-6— वर्ष 2009-10 से बकाये की वसूली न कराये जाने के सम्बन्ध में — रू0 96000.00 के बकाये की वसूली का कोई प्रयास नहीं किया गया है। संस्था को रू0 0.96 लाख की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है। उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

संस्था का नाम — जिला पंचायत जनपद एटा मंडल आगरा

प्रस्तर 01— बकाया अग्रिम की वसूली/समायोजन न किया जाना : संस्था द्वारा कर्मचारियों/ठेकेदारों, पार्टियों आदि का अग्रिम स्वीकृत किया जाता है। जिसका समायोजन/वसूली वर्षान्त तक न होने के कारण अत्यधिक धनराशि अनावश्यक रूप से निष्प्रयोज्य पड़ी रहती है। जिससे लम्बे अन्तराल के उपरान्त अग्रिम धनराशि की वसूली न होने पर संस्था को आर्थिक क्षति होती है। विभिन्न जिला पंचायतों पर समायोजन/वसूली हेतु बकाया अग्रिम का विवरण निम्नवत है।

क्र	जिला पंचायत	असमायोजित/वसूली हेतु धनराशि(रू0 में)	रिफरेंस नं0
1	एटा	67691.33	आपत्ति सं0 12

प्रस्तर 02— निजी श्रोत के मदों में अवधारित करों की वसूली न कर संस्था को क्षति पहुँचाना : मेला प्रदर्शनी, लाइसेंस शुल्क, पशुशव निस्तारण ठेका, दुकान/डाक बंगला/भवन किराया, सी0पी0 टैक्स हाटबाजार एवं अस्थि चर्म ठेका के मदों में जिला पंचायतों द्वारा कर किराया आदि का अवधारण किया जाता है। तथा इसकी वसूली का दायित्व भी जिला पंचायतों का है, परन्तु सामयिक वसूली न होने के कारण विभिन्न मदों में लाखों रुपये की धनराशि बकाये के रूप में पड़ी रहती है। जिससे संस्था का निजी श्रोत से प्राप्त होने वाली धनराशि की आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। दिनांक 31.03.13 को विभिन्न जिला पंचायतों में निम्न विवरणानुसार रू0 2.83 लाख की धनराशि वसूली हेतु बकाया थी। जिसकी वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र	जिला पंचायत का नाम	दुकान/ बंगला/ भवन किराया	योग
1	एटा	282714	282714

प्रस्तर 03— वर्ष 2012-13 में जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य पाया गया कि आयकर व व्यापार कर की कटौती न कर या कम कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा न कराकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके लिए सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। वर्ष 2012-13 में निम्न विवरणानुसार रु0 2690 लाख की आपत्ति पायी गयी। जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रु0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	2690	30,31,32,33,34,37,38,40,41

संस्था का नाम – जिला पंचायत जनपद मैनपुरी मंडल आगरा

प्रस्तर 01 – निजी श्रोत के मदों में अवधारित करों की वसूली न कर संस्था को क्षति पहुंचाना :-

विभव एवं सम्पत्ति कर, काजी हाउस, तहबाजारी, कृषि एवं तरुपालन नौकाघाट एवं पड़ाव अड्डा के मदों में जिला पंचायतों द्वारा किराया आदि का अवधारण किया जाता है तथा इसकी वसूली का दायित्व भी जिला पंचायत का है, परन्तु सामयिक वसूली न होने के कारण विभिन्न मदों में लाखों रुपये की धनराशि बकाये के रूप में पड़ी रहती है जिससे संस्था की निजी श्रोत से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय में कमी होती है। अवधारित कर की वसूली में प्रभावी कार्यवाही का अभाव पाया गया। वसूली के अभाव में जिला पंचायत को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। दिनांक 31.03.2012 को विभिन्न योजनाओं की रु 1727629.00 की धनराशि जिला पंचायत मैनपुरी में वसूली हेतु बकाया थी। उक्त धनराशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	जिला पंचायत	विभव एवं सम्पत्ति कर	काँजी हाउस	तह बाजारी	कृषि एवं तरुपालन	नौका घाट	पड़ाव अड्डा	योग
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	मैनपुरी	—	—	1698222.00	8943.00	20464.00	—	1727629.00
		—	—	1698222.00	8943.00	20464.00	—	1727629.00

प्रस्तर 02 – निजी श्रोत के मदों में अवधारित करों की वसूली न कर संस्था को क्षति पहुंचाना :-

मेला/प्रदर्शनी, पशु शव निस्तारण ठेका, दुकान/बंगला/भवन किराया, सी0पी0 टैक्स/अस्थि चर्म ठेका, हाट बाजार /बालू अड्डा, लाइसेन्स शुल्क के मदों में जिला पंचायतों द्वारा किराया आदि का अवधारण किया जाता है तथा इसकी वसूली का दायित्व भी जिला पंचायत का है, परन्तु सामयिक वसूली न होने के कारण विभिन्न मदों में लाखों रुपये की धनराशि बकाये के रूप में पड़ी रहती है जिससे संस्था की निजी श्रोत से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय में कमी होती है। अवधारित कर की वसूली में प्रभावी कार्यवाही का अभाव पाया गया। वसूली के अभाव में जिला पंचायत को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। दिनांक 31.03.

2012 को विभिन्न योजनाओं की रु 3038430.00 की धनराशि जिला पंचायत मैनपुरी में वसूली हेतु बकाया थी। उक्त धनराशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	जिला पंचायत	मेला / प्रदर्शनी	पशु शव निस्तारण ठेका	दुकान/बंगला/भवन किराया	योग
01	02	03	04	05	09
01	मैनपुरी	—	1000614.00	2037816.00	3838430.00
		—	1000614.00	2037816.00	3838430.00

प्रस्तर 03 — वर्ष 2011-12 में जिला पंचायत द्वारा विभिन्न बैंक खातों में जमा दर्शित राशि एवं बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु का अन्तर पाया गया परन्तु आपत्ति उठाए जाने के उपरान्त उसका निराकरण संस्था द्वारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप बैंकों में जमा अन्तर धनराशि से संस्था को क्षति उठानी पड रही है। जिसका दायित्व निर्धारण करते हुए वसूली करायी जानी अपेक्षित हो विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम जिला पंचायत	अन्तर की धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
01	मैनपुरी	6167.54	07	अन्तर विगत कई वर्षों से है जिसका मिलान नहीं किया गया।

प्रस्तर 04 — वर्ष 2011-12 में जिला पंचायत द्वारा विभिन्न प्रमाणकों द्वारा क्रय किये गये डीजल, स्टेशनरी एवं अन्य उपयोग हेतु क्रय सामग्री को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किये जाने से तथा भ्रमण आदि के लिए क्रय डीजल का उपयोग बिना ब्रेक डाउन रजिस्टर/लागबुक के किया गया। बिना समुचित लेखांकन के दर्शित व्यय वसूली योग्य है।

क्र० सं०	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रु में	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
01	मैनपुरी	0.38	03	—

प्रस्तर 05— वर्ष 2011-12 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायतों में कार्यरत कार्मिकों के पेन्शन, वेतन आदि पर जो व्यय किया जा रहा है। उसके सापेक्ष संस्था की निजी आय कम है। जिस कारण संस्था के द्वारा अपने खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु अपने निजी स्रोतों की आय में वृद्धि करना चाहिए था, परन्तु संस्था द्वारा ऐसा नहीं करते हुए इस घाटे की प्रतिपूर्ति शासन से प्राप्त विभिन्न वित्तीय अनुदानों से किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। विवरण निम्न है:-

क्र० सं०	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रु में	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
01	मैनपुरी	73.40	06	वेतन एवं पेंशन का भुगतान राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से किया गया।

प्रस्तर 06— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक मैनपुरी में दिनांक 10.04.07 को सावधि प्रमाणपत्र संख्या 3645 द्वारा तीस मास के लिये रु 1221701.00 का विनियोजन 8.25 प्रतिशत की सूद दर पर किया गया था। संस्था द्वारा विनियोजित उक्त धनराशि पर 10.10.09 को रु 1498397.00 प्राप्य था। जिला पंचायत द्वारा उक्त एफ0डी0आर0 का समय से भुगतान प्राप्त न कर 07.07.11

को लगभग 21 माह बाद भी मात्र रु 1498397.00 का नकद भुगतान प्राप्त किया गया जिससे संस्था को समय से 8.25 प्रतिशत की ही सूद दर पर नवीनीकरण करने से भी रु 230186.00 की हानि हुयी। जिसका दयित्व संस्था के तत्कालीन रोकणिया एवं अपर मुख्य अधिकारियों पर दण्डात्मक दर पर सूद का आकलन कर वसूली की जावे।

क्र० सं०	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रु में	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
01	मैनपुरी	2.30	02	एफ०डी०आर० का समय से भुगतान प्राप्त न करने से हुयी हानि

प्रस्तर 06— जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग/ तेरहवा वित्त आयोग/मनरेगा से प्राप्त अनुदान से निम्नानुसार उनके सम्मुख अंकित ठेकेदारों से कराये गये। कतिपय निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के पश्चात पूर्ण कराये गये हैं। लेखा परीक्षा दौरान निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा कार्य में बिलम्ब हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि का भी नियमानुसार आवेदन नहीं किया गया। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने से राजकीय हितों के साथ-साथ राजकीय गजट उ०प्र० में प्रकाशित शासनादेश संख्या 612-बी/33-02-10-आर /63 यू० पी० ए०-37- 1961 नियम 1984 दिनांक 01.03.1985 के अधीन प्रकाशित उ०प्र० क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण नियमावली 1984 में निर्धारित ठेका शर्तों का उल्लंघन किया गया। लेखा परीक्षा दौरान निम्न पत्रावलियों से अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेकेदारों के बिलों से नाम मात्रिक रु 3500.00 की ही कटौती की गयी जबकि निर्माण नियमावली के नियम संख्या 23 प्रपत्र संख्या नि०का० 03 ठेका की शर्तें खण्ड 2 ग बिलम्ब के लिये प्रतिकर के अनुसार ठेकेदारों से उक्त पत्रावलियों से ही रु 407800.00 का बिलम्ब प्रतिकर की कटौती की जानी थी। इस प्रकार अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रतिकर के रूप में “अल्प धनराशि का विनिश्चय” कर संस्था को मात्र 06 निर्माण पत्रावलियों से ही रु 404300.00 की हानि हुयी।

क्र०सं०	जिला पंचायत	धन० लाख रु में	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
01	मैनपुरी	4.04	23	निर्धारित अवधि के पश्चात कार्य पूर्ण करने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रतिकर के रूप में “अल्प धनराशि का विनिश्चय ” कर संस्था को मात्र 06 निर्माण कार्यों से ही रु 404300.00 की हानि पहुचायी गयी।

प्रस्तर 07— उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के सेक्शन 33(02) के अधीन जिला पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अर्न्तगत जिला पंचायत जिला सड़को पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धारा द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारों का अतिक्रमण कर रु 97.28 लाख का कार्य कराया जाना दर्शित है। प्रकरण की समीक्षा दौरान ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धन कमेटी द्वारा इस हेतु पारित प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिससे स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के सेक्शन 34(01) के अधीन जिला पंचायत को अधिकृत किया गया हो। अतः उक्त समस्त निर्माण कार्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के अर्न्तगत आता है। उ०प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179(02) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि अधिभार की कार्यवाही के अर्न्तगत आती है जिसकी वसूली अधिभार के

प्रावधानों के अनुसार बैठक में उपस्थित एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्यों से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	जिला पंचायत	धन० लाख रु में	आप० संख्या	अभ्युक्ति
01	मैनपुरी	97.28	28	नियमों का उल्लंघन कर ग्राम पंचायत के अधिकारों का अतिक्रमण कर कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित

जनपद का नाम – कानपुर नगर

मण्डल – कानपुर

प्रस्तर संख्या – 1

वर्ष 12-13 में तहबाजारी के उठाये गये निम्न ठेकों से अनुबन्ध की कार्यवाही न कराकर रु० 39,840/- राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिस हेतु सम्बन्धित पटल प्रभारी/टैक्स अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही। उक्त दोनों से 50-50 प्रतिशत धनराशि जमा करायी जानी अपेक्षित रही।

क्रम सं०	स्थान/ठेके का नाम	ठेके की धनराशि	राजस्व क्षति	उत्तरदायी का नाम
1	चौबेपुर	192000	15360	पटल सहायक एवं अपर मुख्य अधिकारी
2	नर्वल	8000	640	पटल सहायक एवं अपर मुख्य अधिकारी
3	आनूपुर मोड़	298000	23840	पटल सहायक एवं अपर मुख्य अधिकारी
	योग		38940	पटल सहायक एवं अपर मुख्य अधिकारी

प्रस्तर संख्या –2 (i)

तहबाजारी रमईपुर (बिधनू) की पत्रावली वर्ष 12-13 की जाँच में पाया गया कि दिनांक 23.05.2012 को हुयी नीलामी में सबसे अधिक बोली श्री हनीफ पुत्र मो० यूसूफ निवासी रमईपुर की रु० 14,500/- की प्राप्त हुयी। श्री हनीफ द्वारा रसीद सं० 065687, दिनांक 30.05.2012 से रु० 10,000/- जमा कर दिया गया परन्तु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पुनः प्रयास हेतु लिखा गया किन्तु कोई प्रयास नहीं किये गये। जैसा कि पत्रावली से स्पष्ट है कि न ता कोई विज्ञापन निकाला और न ही प्रार्थना पत्र आदि। लिपिक द्वारा पुनः 20.08.2012 को स्वीकृत हेतु लिखा गया परन्तु ए०एम०ए० द्वारा “वार्ता करे” लिखकर इति

श्री कर ली गयी। इस प्रकार रू0 14,500/— की आर्थिक क्षति पहुचायी गयी, जिसके लिये ए0एम0ए0 उत्तरदायी है। उक्त धनराशि तत्कालीन ए0एम0ए0 से वसूली अपेक्षित रही।

मू0आ0सं0 2 (i)

प्रस्तर संख्या – 2 (ii)

तहबाजारी नौरंगा का ठेका श्री राम नारायन पुत्र श्री प्रभु दयाल को रू0 8,813/— में वर्ष 2012-13 हेतु दिया गया किन्तु पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। तहबाजारी अन्य स्थानों के ठेके के सम्बन्ध में कि ठेके उठाये गये कि नहीं उठाये गये, से लेखा परीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया तथा जाँच हेतु पत्रावली भी उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि किन कारणों से ठेके नहीं उठाये गये। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारी/संचालक बोर्ड का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या – (3)

वर्ष 2012 – 13 में कृषि भूमि का ठेका निम्न दो स्थानों को दिया गया उनमें से एक ठेके के अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी जिसके लिये पटल सहायक श्री शिवपाल धूरिया एवं ए0एम0ए0 से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

मू0आ0सं0 2 (ii)

क्रम0	विवरण	ठेके की धनराशि	राजस्व क्षति
01	जू0हा0 बरईगढ़ (भीतर गाँव)	50,200	
02	प्रा0पा0 बम्हौरी (घाटमपुर)	3,650	292
			292

मू0आ0सं0 (3)

प्रस्तर संख्या – 4

वर्ष 12-13 में मत्स्य आखेट के अर्न्तगत 06 नदियों की नीलामी द्वारा ठेका अधिकतम बोली के आधार पर उठाया गया अनुबन्ध मानक से कम के स्टैम्प पर करके निम्न प्रकार राजस्व की क्षति पहुचायी गयी, जिसके कारण पटल प्रभारी श्री श्याम कुमार शुक्ला ए0 ए0एम0ए0 के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0—84920.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि श्री श्याम कुमार शुक्ला से एवं 50 प्रतिशत धनराशि तत्कालीन ए0एम0ए0 से वसूली जानी अपेक्षित रही।

क्रम0	नदियों के नाम	ठेके की धनराशि	अनु0 हेतु स्टैम्प की धनराशि	अनु0 जो किया गया कि धनराशि	कम स्टैम्प / राजस्व क्षति
01	यमुना नदी	13,40,000	1,07,200	27,000	80200
02	पाण्डु नदी	53,000	4,240	1,060	3,200
03	ईशान नदी	5,000	400	100	300
04	नोन नदी	52,000	4,160	4,160	
05	रिन्द नदी	7,000	560	140	420
06	नून नदी	13,500	1,080	280	800
योग					84,920

मू0आ0सं0 (4)

प्रस्तर — 5

(A) वर्ष 12—13 के काजी हाउस के दो ठेके उठाये गये जब कि कुल 16 स्थानों में से 14 स्थानों का ठेका नीलाम नहीं हो पाया जिसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया। वर्ष के दौरान उठाये गये ठेके बीबीपुर रू0 3,150/— की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गयी। अस्तु इसके सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी।

(B) कांजी हाउस में निम्न धन प्राप्ति रसीदों के न उपलब्ध होने से धन प्राप्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी।

रसीद संख्या — 338906 / 31—3—12, रू0 5,000/—

रसीद संख्या — 238927 / 26—6—12, रू0 3,150/—

मू0आ0सं0 (5)

प्रस्तर संख्या — 6

दिनांक: 9.08.2012 को बाउचर संख्या 31 से **Avenue Travel** लखनऊ को बिल संख्या 5502/ 3-4-12 का रू0 20,790/- का भुगतान किया गया। यह भुगतान अनुश्रवण कोष्ठक के पत्रांक: 3338/5-4-12 के क्रम में अनुश्रवण में लगे वाहन का किया गया। सम्बन्धित बिल संस्था से सम्बन्धित न हो कर पंचायती राज विभाग लखनऊ से सम्बन्धित है। भुगतान सम्बन्धी आदेश के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

मू0आ0सं0 (6)
प्रस्तर संख्या — 7

शासनादेश संख्या 1653/33-3-2000-73/2000, दिनांक 16.03.2000 के अनुसार (जिसकी प्रति समस्त जि0प0 अनुश्रवण प्रकोष्ठ उ0प्र0 को की गयी है) कानपुर व चित्रकूट धाम मण्डलों के सभी जनपदों के लिये आज, जागरण, अमर उजाला, स्वतन्त्र भारत ही विज्ञापन हेतु स्वीकृत/मान्य है। संस्था द्वारा उक्त शासनादेश के विपरीत अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापन दे कर जहाँ शासनादेश का उल्लंघन किया गया है वही जिला पंचायत को आर्थिक क्षति की उठानी पड़ी। अमान्य समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापन का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं0	मद	प्रमाणक सं0 /दि0	धनराशि	अमान्य समाचार पत्रों का नाम	भुगतान का प्रयोजन
01	प्रकीर्ण	29/14-05-12	2827	दैनिक हिन्दुस्तान	मत्स्य आखेट की नीलामी की विज्ञप्ति
02	प्रकीर्ण	25/05-11-12	5000	सहारा इण्डिया मास कम्प्यू0	भट्टा की उप विधि में संशोधन की विज्ञप्ति
03	रा0वि0	14/05-02-13	29970	हिन्दुस्तान मीडिया लि0	निर्माण सम्बन्धी टेण्डर
04	रा0वि0	15/05-02-13	26815	सहारा इण्डिया मास कम्प्यू0	निर्माण सम्बन्धी टेण्डर
05	रा0वि0	16/05-02-13	2579	सहारा इण्डिया	निर्माण सम्बन्धी टेण्डर

मास कम्प्यू					
06	रा0वि0	17 / 05-02-13	9292	हिन्दुस्तान मीडिया लि0	तहबाजारी उप विधि में संशोधन
07	रा0वि0	18 / 05-02-13	1912	सहारा इण्डिया मास कम्प्यू	तहबाजारी नीलामी
08	रा0वि0	19 / 05-02-13	1147	राष्ट्रीय सहारा	अज्ञात
09	प्रकीर्ण	19 / 23-03-13	1338	राष्ट्रीय सहारा	वहन सम्बन्धी कोटेशन
10	प्रकीर्ण	32 / 30-03-13	1721	राष्ट्रीय सहारा	मत्स्य आखेट की नीलामी की विज्ञप्ति
योग			82601		

इस प्रकार रू0 82,601 / - के अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही आपेक्षित है।

मू0आ0सं0 (7)

प्रस्तर सख्या - 8

(अ) संस्था में विगत कई वर्षों से बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में विगम वर्षों से लेखा परीक्षा में आपत्ति की जा रही है तथा वर्ष में कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से कहने के उपरान्त भी तैयार नहीं किया गया। दिनांक 31.03.2013 को कैश बुक के अनुसार अवशेष धनराशि रू0 12,04,14,338.38 पैसे दर्शित है, जिसकी कोई समरी/विवरण अंकित नहीं किया गया, न ही विवरण उपलब्ध कराया गया। जबकि दिनांक 31.03.2013 को बैंक के स्टेटमेन्ट के अनुसार अवशेष धनराशि निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार धनराशि	दिनांक 31.03.2013 को कैशबुक के अनुसार	अन्तर
01	पी0एन0बी0	0101082237	3619241.00	विवरण अप्राप्त	
02	इलाहाबाद	20225308045	18152420.25	विवरण अप्राप्त	

03	ठलाहाबाद	50048068723	45375921.00	विवरण अप्राप्त
04	मर्केन्टाइल	02229	30000000	विवरण अप्राप्त
05	एच0डी0	02981450000869	20050410.94	विवरण अप्राप्त
	एफ0सी0			
	योग		117198063.20	120414338.78
				3216275.58

बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार न होने से किसी भी गम्भीर अनियमितता के होने की सम्भावना विद्यमान है। ट्रेजरी में भी धन जमा होना बताया गया, परन्तु इसका लेखा कहीं भी नहीं रखा गया और न ही ट्रेजरी में 31 मार्च के शेष का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जो अपेक्षित रहा।

(ब) इलाहाबाद बैंक (जिला निधि) खाता संख्या 20225308045 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार निम्न चेकें निर्गत कर अन्य बैंको में खाता खोला गया। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक (रोकड़ बही) में नहीं की गयी :-

1— चेक संख्या 473574/9.3.13 रु0 20000000/- (दो करोड़) निर्गत कर एच0डी0एफ0सी0 बैंक गोविन्द नगर में नया खाता सं0 02981450000869 खोला गया।

2— चेक संख्या 473575/9.3.13 रु0 30000000/- (तीन करोड़) निर्गत कर यूनाईटेड मर्केन्टाइल को0आप0 बैंक लि0, शारदानगर, कानपुर में नया खाता संख्या 01400 एस0बी0 00002229 खोला गया।

जबकि नियमानुसार राष्ट्रीय बैंको में खाता खोला जाना चाहिये। उक्त बैंकों में खाता खोले जाने के सम्बन्ध में संचालक मण्डल प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति सम्बन्धी कोई पत्र/साक्ष्य लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है साथ ही बुक में इनकी प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 (8)

प्रस्तर संख्या — 9

वित्तीय वर्ष 2102-13 में प्रयोग किये वाहनों के किरायें, डीजल एवं अनुरक्षण पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

(1)अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किये गये वाहन सं0-यूपी78बी जी 0171 (एम्बेस्डर) संस्था का निजी वाहन

क्रम सं0	डीजल पर व्यय			मरम्मत पर व्यय		
	दिनांक	धनराशि	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि	बउचर सं0

01	14.05.12	13736.00	996 / 997	05.02.13	6972.00	13 बीमा
02	25.05.12	11446.00	1051 / 1.5.12	23.03.13	16450.00	22 मरम्मत 1867 /
03	06.09.12	33266.00	सचान फिलिंग स्टे0	23.03.13	14350.00	16.08.2012 (टायर-04)
04	16.10.12	10302.00	सचान फिलिंग स्टे0			
05	28.02.13	32652.00	सचान फिलिंग स्टे0			
	योग	101402.00				

(2) अपर मुख्य अधिकारी (ए0एम0ए0) द्वारा प्रयुक्त वाहन किराये :-

क्रम सं0	वाहन सं0	दिनांक	धनराशि	बिल सं0	दिनांक	धनराशि	अभ्युक्ति
01	UP-82H 4100	14.05.12	11992.00	975 / 01.04.12 व 1011 / 12.04.12	14.05.12	21000.00	मह 03 / 12 व 01.04.12 से 12. 04.12
02	UP-77H 3766	05.02.13	7204.00	मह 05 / 12	05.02.13	9500.00	मह 05 / 12 के 19 दिन का किराया
03	UP-77N 5049	23.03.12	83182.00	विवरण अंकित नहीं है।	23.03.13	87280.00	दोनो वाहनों का किराया (किस अवधि का है, चेक सं0 स्पष्ट नहीं है।
04	UP-77E 0245	23.03.13	तदैव	तदैव	—	—	—
			102378.00				

उपोक्तानुसार वाहनों में प्रयुक्त डीजल वाहन की मरम्मत व किराये के भुगतान के सम्बन्ध में जो अभिलेख उपलब्ध कराये गये, के आधार पर निम्न कमियाँ एवं दुरुपयोग स्पष्ट होता है:-

1- किराये पर वाहन लिये जाने सम्बन्धी बजट में प्राविधान किया गया था अथवा नहीं, यदि किया गया था तो कितनी धनराशि का।

2- लेखा परीक्षा में मूवमेन्ट पंजिका व निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया फलतः वाहन का प्रयोग जिस उद्देश्य से किया गया, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3- उ0प्र0 (जिला पंचायत) यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान नियमावली 1963 का अनुपालन नहीं किया गया जिसके अनुसार शर्तों के अधीन कार व जीप पर व्यय किया जाना अपेक्षित था। जैसे प्रस्तर-1 में एक माह में अधिकतम् 1600 किमी० से अधिक की यात्रा पर प्रतिबन्ध है। प्रस्तर-3(ज) अध्यक्ष द्वारा कार का उपयोग जिले के बाहर की यात्राओं के लिये विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सूचना जिला मजिस्ट्रेट को यात्रा करने से पूर्व दी जायेगी और उसका उपयोग निजी काम के लिये नहीं किया जायेगा।

4- किरायें पर लिये गये वाहन की जाँच में पाया गया कि बिना माइलेज चेक किये किरायें एवं डीजल का भुगतान किया गया तथा राजकीय एवं रविवारीय अवकाशों में वाहन का प्रयोग किया गया जो अनियमित रहा एवं डीजल आदि पर हुए व्यय से संस्था को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। जिसकी पुष्टि में मूवमेन्ट पंजिका एवं निरीक्षण पंजिका एवं अवकाशों पर यात्रा किये जाने सम्बन्धी आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। राजकीय एवं रविवारीय अवकाशों में संस्था के वाहन से की गयी यात्राओं का विवरण नम्न प्रकार है :-

वाहन संख्या – UP-82H 4100

क्रम सं०	दिनांक	यात्रा कहाँ से कहाँ तक	किमी०	यात्रा का उद्देश्य	अवकाश	यात्राकर्ता का नाम
01	01.04.12	कार्या० ये लोकल	29	पंचायती कार्यो से	रविवार	ए०एम०ए०
02	08.04.12	कार्या० ये लोकल	45	पंचायती कार्यो से	रविवार	ए०एम०ए०

वाहन संख्या – UP-77H 3766

क्रम सं०	दिनांक	यात्रा कहाँ से कहाँ तक	किमी०	यात्रा का उद्देश्य	अवकाश	यात्राकर्ता का नाम
01	12.05.12	कार्या० ये लोकल	36	पंचायती कार्यो से	द्वितीय शनिवार	ए०एम०ए०
02	20.05.12	कार्या० ये लोकल	42	पंचायती कार्यो से	रविवार	ए०एम०ए०

वाहन संख्या – UP-77N 5049

क्रम सं०	दिनांक	यात्रा कहाँ से कहाँ तक	किमी०	यात्रा का उद्देश्य	अवकाश	यात्राकर्ता का नाम
01	26.08.12	कार्या० से चौबेपुर, शिवराजपुर, वापस	120	पंचायती कार्यो का निरीक्षण	रविवार	अभियन्ता
02	09.09.12	कार्या० से महाराजपुर, नजफगढ़, सरसौल, सिकठिया	171	पंचायती कार्यो का निरीक्षण	रविवार	ओ०पी०सिंह, कर निरीक्षक
03	16.09.12	कार्या० से लोकल	48	पंचायती कार्यो से	रविवार	ओ०पी०सिंह, कर निरीक्षक
04	23.09.12	कार्या० से लोकल	53	पंचायती कार्यो से	रविवार	ओ०पी०सिंह, कर निरीक्षक
05	30.09.12	कार्या० से घाटमपुर, नौरंगा, परास, वापस	175	पंचायती कार्यो एवं टैक्स लाइसेन्स का निरीक्षण	रविवार	ओ०पी०सिंह, कर निरीक्षक
06	13.10.12	कार्या० से छेदी	40	सर्विसिंग हेतु मालिक	द्वितीय	ए०एम०ए०

		सिंह का पुरवा		ले गये	शनिवार	
07	14.10.12	कार्या0 से लोकल	62	पंचायती कार्यो से	रविवार	ओ0पी0सिंह, कर निरीक्षक
		कार्या0 से भौती,				
		सोनो, चकरपुर,				
08	21.10.12	सुजानपुर, संभलपुर,	199	पंचायती कार्यो से	रविवार	अभियन्ता
		सरैया, बिल्हौर, वापस				

वाहन संख्या – UP-77E 0245

क्रम सं0	दिनांक	यात्रा कहाँ से कहाँ तक	किमी0	यात्रा का उद्देश्य	अवकाश	यात्राकर्ता का नाम
01	04.11.12	कार्या0 से घाटमपुर, आनूपुर, लहरीमऊ, वापस	168	पंचायती कार्यो, टैक्स लाईसेन्स का निरीक्षण	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
02	10.11.12	कार्या0 से रमईपुर, निविथा खेड़ा, परास, भीतर गाँव, भदेउना, साढ़, हुसेना, वापस	196	पंचायती कार्यो को निरीक्षण	द्वितीय शनिवार	अभियन्ता
03	11.11.2	कार्या0 से लखनऊ, वापस	230	मा0 पंचायती राज मंत्री के बुलाने पर	रविवार	ए0एम0ए0
04	18.11.12	कार्या0 से लोकल	48	पंचायती कार्यो से	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
05	25.11.12	कार्या0 से सरसौल, फुफवार, टीकरमऊ, वापस	160	पंचायती कार्यो से	रविवार	अभियन्ता

06	02.12.12	कार्या0 से लोकल	45	पंचायती कार्यो से	रविवार	ए0एम0ए0
07	08.12.12	कार्या0 से लोकल	48	पंचायती कार्यो से	राजकीय	ए0एम0ए0
08	09.12.12	कार्या0 से लोकल	44	पंचायती कार्यो से	रविवार	ए0एम0ए0
09	16.12.12	कार्या0 से मझावन, साढ़, भीतरगॉव, गाजीपुर, नौरंगा, घाटमपुर, वापस	199	पंचायती कार्यो, टैक्स लाइसेन्स का निरीक्षण	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
10	23.2.12	कार्या0 से लोकल	43	पंचायती कार्यो से	रविवार	ए0एम0ए0
11	25.12.12	कार्या0 से घाटमपुर, कुआँखेड़ा, कुरिया, नौरंगा, वापस	194	पंचायती कार्यो से, टैक्स लाइसेन्स	राजकीय	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
12	30.12.12	कार्या0 से खोदान, भौसाना, घसीमऊ, ककवन, बिल्हौर, वापस	219	पंचायती कार्यो का निरीक्षण	रविवार	अभियन्ता
13	06.01.13	कार्या0 से लोकल	54	पंचायती कार्यो से	रविवार	ए0एम0ए0
14	12.01.13	कार्या0 से लोकल	50	पंचायती कार्यो से	रविवार	ए0एम0ए0
15	20.01.13	कार्या0 से बिधनू, घाटमपुर, सजेती, वेहरा, पसेवा, वापस	167	पंचायती कार्यो, टैक्स लाइसेन्स निरीक्षण व वसूली	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
16	27.01.13	कार्या0 से लोकल	53	पंचायती कार्यो से शपथ ग्रहण समारोह में	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
17	09.02.13	कार्या0 से लोकल	53	पंचायती कार्यो से	रविवार	ए0एम0ए0
18	17.02.13	कार्या0 से साढ़, भीतरगॉव, गाजीपुर,	198	पंचायती कार्यो, टैक्स लाईसेन्स का निरीक्षण	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक

		नौरंगा, घाटमपुर, सजेती, बौहारा, वापस		व वसूली		
19	24.02.13	कार्या0 से शिवराजपुर, खेरेश्वर, बिल्हौर, आंकिन, अरौल, वापस	199	पंचायती कार्यो, टैक्स लाईसेन्स का निरीक्षण व वसूली	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
20	03.03.13	कार्या0 से लोकल	38	पंचायती कार्यो से	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
21	09.03.13	कार्या0 से महाराजपुर, रहनस, नजफगढ़, सिकठियां, वापस	193	पंचायती कार्यो का निरीक्षण	राजकीय	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
22	10.03.13	कार्या0 से लोकल	48	पंचायती कार्यो से	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
23	17.03.13	कार्या0 से बिल्हौर, मकनपुर, अरौल, ककवन, वापस	199	पंचायती कार्यो से	रविवार	अभियन्ता
24	24.03.13	कार्या0 से कल्यानपुर, टिकरा, झरवरा, कालपी, बहेड़ा	182	पंचायती कार्यो का निरीक्षण	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक
25	31.03.13	कार्या0 से लोकल	58	पंचायती कार्यो से	रविवार	ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक

5— उपरोक्त विवरण में दर्शित श्री ओ0पी0 सिंह, कर निरीक्षक द्वारा अवकाशों पर तथा कार्य दिवसों पर संस्था के राजकीय वाहन का प्रयोग किया जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। अस्तु उनके द्वारा सरकारी वाहन का प्रयोग अनियमित एवं अवैधानिक रहा।

उपरोक्तानुसार मूवमेन्ट पंजिका एवं निरीक्षण पंजिका/रिपोर्ट एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना राजकीय एवं रविवारीय अवकाशों में संस्था के राजकीय वाहन का दुरुपयोग कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता व कर निरीक्षक जिम्मेदार हैं। उक्त

समस्त धनराशि रू0-203780/- में से श्री ओ0पी0 सिंह,करनिरीक्षक , तत्कालीन अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी द्वारा की गयी यात्राओं में व्यय धनराशि की वसूली अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति संख्या-9)

प्रस्तर संख्या – 10

लेखा परीक्षा में कई बार मौखिक एवं लिखित मांग करने के उपरान्त भी मृत पशु शव निस्तारण से सम्बन्धित मांग-वसूली रजिस्टर पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेख तथा कार्यवाही रजिस्टर, बजट, कार्य योजना, चेक निर्गत रजिस्टर, निर्माण सम्बन्धी अभिलेख, सम्पत्ति किराया आदि जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अभिलेखों की जाँच न कराये जाने से किसी भी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं राजकीय अनुदानों के दुरुपयोग की सम्भावना बनी रहती है। अतः प्रबन्ध तन्त्र एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इस कार्य के प्रति श्री हरि शंकर कनौजिया प्रथम श्रेणी लिपिक मृत पशु शव निस्तारण से सम्बन्धित मांग व वसूली रजिस्टर न उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री हरि शंकर एवं श्री महेश प्रसाद तिवारी प्रथम श्रेणी लिपिक, निर्माण कार्य अभिलेख न उपलब्ध कराये जाने हेतु और श्री प्रदीप कुमार तिवारी लेखाकार सम्पत्ति किराया सम्बन्धी फाइल उपलब्ध न कराये जाने हेतु जिम्मेदार रहे।

(मूल आपत्ति संख्या-9)

प्रस्तर संख्या – 11

निर्माण कार्य में सरसौल ब्लॉक के पनौरी में रघुनाथ सिंह के मकान से मण्डिलवा रोड तक 200 मी0 सी0सी0 रोड एवं नाली के निर्माण का टेण्डर प्राक्कलन रू0 5,52,000/- का स्वीकृत हुआ। ग्राम पनौरी निवासी जिला पंचायत सदस्या श्रीमती रूबी सिंह द्वारा दिनांक 26.02.2013 को जनहित में उक्त प्रस्तावित रोड 200 मी0 से 25 मी0 और बढ़वाने का प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसके आधार पर संशोधित कार्य 222 मी0 तथा प्राक्कलन धनराशि रू0 6,05,000/- की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गयी है। पत्रावली की जाँच में प्या गया कि टेण्डर विज्ञप्ति पत्रांक 160(1-9/)/निर्माण/2011-12 दिनांक 20.07.2011 के क्रमांक 53 पर ग्राम पनौरी में रघुनाथ सिंह राठौर के दरवाजे से मण्डिलवा रोड 200 मी0 सी0सी0 व नाली का निर्माण तथा आर्डर शीट के पृष्ठ संख्या-1 टेण्डर आमंत्रित, पृष्ठ संख्या-3 में श्री शैलेश सिंह यादव का टेण्डर स्वीकृत पत्र में 200 मी0 सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण का उल्लेख है किन्तु कार्य आदेश पत्रांक 242, दिनांक 31.08.2011 में 200 मी0 + संशोधित 22 मी0 = कुल 22 मी0 सी0सी0 रोड निर्गत हुआ और उतना ही निर्माण हुआ परन्तु नाली का निर्माण नहीं हुआ, जबकि भुगतान संशोधित प्राक्कलन धनराशि रू0 6,05,000/- का निम्न प्रकार कर दिया गया :-

1- रनिंग बिल बाउचर सं0 - 20/10.09.2012

अंकन - 2,19,000/-

2- फाइनल बिल बाउचर सं० - 17/22.03.2013 अंकन - 3,85,578/-

इस प्रकार नाली का निर्माण नहीं हुआ तथा भुगतान सम्पूर्ण करार का करके संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी। नाली के निर्माण की अनुमानित धनराशि रु० 61,000/- की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में तत्कालीन अवर अभियन्ता से रु०-20333/-, अभियन्ता से रु०-20333/-, एवं अपर मुख्य अधिकारी से रु०-20334/-की वसूली अपेक्षित है। संशोधित कार्य कराकर रु० 424/- रेवेन्यू स्टैम्प की भी क्षति हुयी। जिसकी वसूली तत्कालीन पटल प्रभारी से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० - 12)

प्रस्तर संख्या - 12

वर्ष 2012-13 में सी०पी० टैक्स एवं लाइसेन्स शुल्क निर्धारण नहीं हुआ, जिसके कारण समस्त विकास खण्डों के सी०पी० टैक्स एवं लाइसेन्स शुल्क के डिमाण्ड एवं वसूली रजिस्टर अपूर्ण है। बकाया एवं डिमाण्ड न पूर्ण होने के कारण वसूली प्रभावित रही। अस्तु डिमाण्ड एवं वसूली रजिस्टर पूर्ण किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त रजिस्टर तैयार न किये जाने के प्रति श्री ओ०पी० सिंह कर निरीक्षण एवं श्री के०जी० गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार रहें।

(मूल आपत्ति संख्या-13)

प्रस्तर संख्या - 13

(i) रसीद संख्या 073901 से 074000 तक की रसीदें श्री ओ०पी० सिंह, कर निरीक्षक द्वारा दिनांक 2.09.2012 से 04.10.2012 के मध्य निर्गत कर रु० 2,72,260/- की वसूली निम्नानुसार की गयी है :-

(1) सी०पी० टैक्स	रु० 2,19,000/-
(2) लाइसेन्स शुल्क (चिमनी भट्टा)	रु० 52,260/-
(3) लाइसेन्स शुल्क (फैक्ट्री)	रु० 1,000/-

योग = 2,72,260/-

उक्त धनराशि जिला पंचायत, कानपुर नगर की इलाहाबाद बैंक खाता सं०-20225308045 में दिनांक 22.03.2013 को जमा की गयी है। उक्त धनराशि अत्यधिक विलम्ब से जमा की गयी जबकि रसीदों की वसूली दिनांक 04.10.2012 को हो गयी थी। अतः दिनांक 05.10.2012 से 21.03.2013 तक 05 माह 16 दिन तक रु० 2,72,260/- राजकीय धन अनाधिकृत रूप से रोके रखा गया। इसके उत्तरदायी कर निरीक्षक श्री ओ०पी० सिंह के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ii) रसीद सं० 063447 से 063455 कुल 09 रसीदों से रू० 83,870 की वसूली दिनांक 01.06.2012 से 29.06.2012 तक के मध्य की गयी, जिसे दिनांक 31.08.2012 को बाउचर सं० 29 द्वारा (कुल जमा रू० 2,11,870/- में सम्मिलित) संस्था में जमा की गयी है। दो माह तक राजकीय धन अपने पास श्री ओ०पी० सिंह, कर निरीक्षक द्वारा रोक कर रखी गयी। इसके उत्तरदायी कर निरीक्षक श्री ओ०पी० सिंह के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० – 14)

प्रस्तर संख्या – 14

(i) वर्ष 2012-13 के जनरेटर लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि लॉग बुक दिन प्रतिदिन नह भरी जाती है, जिसके कारण जनरेटर चलने में समय/अवधि की गणना में त्रुटि, डीजल के सापेक्ष जनरेटर चलने की अवधि का औसत में अप्रत्याशित अन्तर, कर्मचारी एवं अधिकारी (जनरेटर इन्चार्ज) के कई प्रविष्टियों में हस्ताक्षर न होने से स्पष्ट हुआ। जनरेटर सार्वजनिक एवं रविवारीय अवकाशों में चलाये जाने की प्रविष्टियों की गयी है, जिससे संस्था को डीजल का अपव्यय करके क्षति पहुंचायी गयी है, विवरण निम्न प्रकार है :-

दिनांक	अवकाश का प्रकार	जनरेटर चलने का समय	अवधि
14.04.2012	राजकीय – द्वितीय अवकाश	12:00 am से 04:10 pm	04:10
15.04.2012	रविवार	12:00 am से 04:10 pm	04:10
22.04.2012	रविवार	12:00 am से 04:00 pm	04:00
29.04.2012	रविवार	01:20 pm से 04:10 pm	02:50
06.05.2012	रविवार	10:00 am से 02:00 pm	04:00
12.05.2012	राजकीय – द्वितीय अवकाश	12:10 pm से 04:00 pm	03:50
09.06.2012	राजकीय – द्वितीय अवकाश	01:00 pm से 04:00	03:00

		pm	
08.09.2012	राजकीय – द्वितीय अवकाश	01:10 pm से 04:00 pm	05:50
17.09.2012	विश्वकर्मा पूजा	10:20 am से 02:00 pm	03:40
02.10.2012	गांधी जयन्ती	12:05 pm से 04:00 pm	03:55
09.10.2012	कांशीराम निर्वाण दिवस	01:10 pm से 04:00 pm	03:50
13.10.2012	राजकीय – द्वितीय अवकाश	01:05 pm से 03:00 pm	01:55
16.10.2012	अग्रसेन जयन्ती	12:40 pm से 03:00 pm	02:20
21.10.2012	रविवार	01:10 pm से 04:10 pm	03:00
23.10.2012	दशहरा	12:10 pm से 04:05 pm	03:55
30.10.2012	बाल्मीक जयन्ती	12:10 pm से 04:05 pm	03:55
04.11.2012	रविवार	01:10 pm से 04:00 pm	02:50
13.1.2012	दीपावली	11:40 am से 04:00 pm	04:20
14.11.2012	गोवर्धन पूजा	12:10 pm से 04:10 pm	04:00
24.11.2012	गरु तेग बहादुर जयन्ती	11:30 am से 04:00 pm	04:30

28.01.2012	गुरु नानक जयन्ती	11:40 am से 04:00 pm	04:20
06.12.2012	भीवराव अम्बेडकर जयन्ती	01:00 pm से 03:10 pm	02:10
08.12.2012	राजकीय – द्वितीय अवकाश	12:10 pm से 04:10 pm	04:00
16.12.2012	रविवार	12:10 pm से 04:10 pm	04:00
23.12.2012	रविवार	12:10 pm से 04:10 pm	04:00
25.12.2012	क्रिसमस डे	12:05 pm से 04:00 pm	03:55
30.12.2012	रविवार	12:30 pm से 04:00 pm	03:30
06.01.2013	रविवार	11:30 am से 04:00 pm	04:30
12.01.2013	राजकीय – द्वितीय अवकाश	10:00 am से 02:00 pm	04:00

दिनांक 1.01.2013 के बाद लागबुक नही भरी गयी है।

(ii) डीजल क्रय, जनरेटर चलने की अवधि एवं औसत का विवरण :-

जनरेटर चलने की अवधि			
क्रम सं०	दिनांक	मात्रा	(अवकाश सहित) लागबुक के अनुसार
1	10.08.2012	100 ली०	39 घण्टे 10 मिनट

2	30.08.2012	100 ली0	65 घण्टे 40 मिनट
3	24.09.2012	100 ली0	111 घण्टे 25 मिनट
4	08.11.2012	100 ली0	66 घण्टे 15 मिनट
5	11.12.2012	100 ली0	76 घण्टे 00 मिनट

उपरोक्तानुसार जनरेटर लागबुक में निम्न गम्भीर आपत्तियां स्पष्ट है :-

- (1) उक्त सार्वजनिक एवं रविवारीय अवकाशों में कार्यालय खोले जाने के सक्षम अधिकारी के आदेश नहीं है।
- (2) उपस्थित पंजिका में उक्त तिथि में किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है।
- (3) 100 ली0 डीजल में जनरेटर 39 घण्टे या 111 घण्टे चलता है। डीजल की खपत क्या है, स्पष्ट नहीं है।
- (4) लाग बुक में जनरेटर संचालन की गोकुल अवधि दर्शायी है, वह 90 प्रतिशत अशुद्ध है।
- (5) दिनांक 12.01.2013 के आद लाग बुक नहीं भरी गयी है।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि मनमाने एवं अनियमित ढंग से रखरखाव से संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। इस हेतु प्रयुक्त 500 लीटर डीजन रुपये 47.15 की दर से कुल धनराशि रु0 23575/- अपर मुख्य अधिकारी श्री के0जी0 गुप्ता से जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

(मूल आपत्ति सं0 – 15)

प्रस्तर संख्या – 15

वित्तीय वर्ष 2012-13 में संस्था के वार्षिक आय-व्यय में अन्तर कोषबही (कैश बुक) एवं मासिक लेखा माह मार्च-13 का कारण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं0	मद	कैश बुक के अनुसार	मासिक लेखा के अनुसार	अन्तर का मद व कारण
1	आय पक्ष	8,83,51,670.00	8,83,51,720.00	रु0 50 का अन्तर विक्रय फार्म मद में माह दिसम्बर 2012 के मासिक लेखा से अधिक दिखाने से।

			रु0 3,15,607.00 का अन्तर पेंशन तथा
2	व्यय	2,44,35,176.00	2,41,19,569.00 आनुतोषिक मद में माह अक्टूबर 2012 के
	पक्ष		प्रोग्रेसिव योग में कम दिखाने से।

इस प्रकार आय पक्ष में विक्रय फार्म मद में रु0 50 तथा व्यय पक्ष में पेंशन एवं आनुतोषिक मद की अन्तर रु9 315607.00 हेतु श्री प्रदीप तिवारी आंकिक उत्तरदायी रहे।

(मूल आपत्ति सं0 – 16)

प्रस्तर संख्या – 16

श्रीमती अन्जू सिंह अभियन्ता के पद पर संस्था में दिनांक 06.08.2012 से कार्यरत है। माह अगस्त 2012 से अध्यावधि तक श्रीमती सिंह संस्था परिसर में स्थित गेस्ट हाउस में सपरिवार निवास कर रही है किन्तु इनके वेतन से मकान किराया भत्त रु0 3,150.00 प्रति माह एवं मानक किराया जो संस्था द्वारा निर्धारित हो, की कटौती नहीं हो रही है। शासनादेशों के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी/सेवक को आवास सुविधा प्राप्त होने पर मकान किराया भत्ता देय नहीं होता है तथा श्रेणीवार आवास में निर्धारित स्टैण्डर्ड रेंट की कटौती की जाती है। जबकि संस्था के अन्य कर्मचारी जो संस्था परिसर में संस्था के आवास रहते हैं उन्हें उपरोक्तानुसार मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है तथा स्टैण्डर्ड रेंट की वसूली की जा रही है। श्रीमती मन्जू सिंह के मामले में उन्हें मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है एवं स्टैण्डर्ड रेंट की कटौती नहीं हो रही है। इस तरह की सुविधा/छूट के सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे ऐसा किये जाने के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

अस्तु श्रीमती अन्जू सिंह, अभियन्ता से माह अगस्त 2012 से मार्च 2014 तक कुल 20 माह का रु0 3,150.00/माह से रु0 63,000.00 एवं स्टैण्डर्ड रेंट जो निर्धारित हो, उसकी गणना करके वसूली की जानी अपेक्षित है तथा आगामी माहों में उनके वेतन से कटौती की जानी अपेक्षित है। इस कार्य में शिथिलता प्रदर्शित करने वाले अधिकारी /पटल प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति संख्या – 17)

जनपद—कानपुर देहात**सम्भाग—कानपुर**

जिला पंचायत से सम्बंधित आपत्तियों:-

प्रस्तर-1 :-वर्ष 2012-13 में रु-127277-00 अध्यक्ष की गाड़ी में डीजल डलवाया गया है । परन्तु लॉग बुक प्रस्तुत न करने से उपयोग अनियमित एवं अपुष्ट रहा। इस हेतु उत्तर दायी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर-2:-वर्ष 2012-13 में रु-56680/ का भुगतान जनरेटर में डीजल का किया गया है । डीजल का उपयोग किस तिथि को कितना किया गया है इसका विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से उपयोग अप्रमाणित रहा। जिसकी वसूली श्री गिरजा शंकर यादव प्रशासनिक अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर-3:-श्री वी०के० सिंह कार्य अधिकारी का अगस्त 2002 का वेतन अतिथि तक आहरित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वेतन वृद्धि स्वीकृत अनियमित मानकर श्री वी०के० सिंह का वेतन वृद्धि का भुगतान रु-184960-00 वसूली योग्य है। उक्त रु-184960-00 की वसूली श्री वी०के० सिंह से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम—कन्नौज**मण्डल का नाम—कानपुर**

जिला पंचायत कन्नौज में दि०31-03-2012 के निम्नांकित मदों में धनराशि बकाया रहीं।

प्रस्तर-1:

क्र ० सं ०	संस्था	वर्ष	तहबाजारी	नौकाघाट	मत्स्य आ० टेका	पशु शव निस्तारण	शेष धनराशि लाख रु० में	आपत्ति सं.
1	जिला पंचायत कन्नौज	2011-12	2.2	3.99	1.52	2.64	10.35	—
		आपत्ति सं०	8	7	9	5	—	—

इससे प्रतीत होता है, कि कर्मचारियों द्वारा करों की वसूली में विशेष रुचि नहीं ली गई है। जिससे कि बकाया करों के प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

प्रस्तर-2 विकास खण्डों के पटल सहायकों के पास मौजूद सम्पत्ति एवं विभव कर की मांग एवं वसूली रजिस्टर के योग करने पर पिछला बकाया रु० 8079946.00 वर्ष की मांग रु 2707550.00 वसूली रु० 939250.00 होने के पश्चात होने के पश्चात 31.3.12 को रु० 9848246.00 बकाया था। कर पत्रावली के अनुसार वर्ष 201-12 व 2012-13 की मांग एक साथ दिनांक- 17.3.2012 में लगायी गयी है। जिसमें वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की प्रस्तावित कर की धनराशि अलग-अलग अंकित नहीं की गयी है। अतः कर की मांग समय से न लगाये जाने हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह एवं कर अधिकारी

श्री अरुण कुमार वर्मा उत्तर दायी है। पुष्टि में प्रस्तावित कर मांग की सूची संलग्न है।

प्रस्तर-3: वर्ष 2011-12 की लाग बुक वर्तमान में भी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2011-12 में कुल पेट्रोल, डीजन व अनुरक्षण व्यय रू0 247063.00 किया गया। वर्ष 201-12 में श्री शिशुपाल सिंह अपर मुख्य अधिकारी दिनांक- 31.3.12 को द्व एवं श्री बेचेलाल वर्मा नाजिर थे जिनके चार्ज में लागबुक थी। अतः दोनो श्री शिशुपाल सिंह अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री बेचेलाल वर्मा नाजिर तत्कालीन उत्तरदायी है।

प्रस्तर-4 31.3.12 को कुल रू0 240.83 लाख अनुदान अप्रयुक्त पडा था। दिनांक- 31.3.12 को श्री शिशुपाल सिंह अपर मुख्य अधिकारी के पद पर तैनात थे। अतः वे इसके लिए उत्तर दायी है।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत कन्नौज में वर्ष 2011-12 में श्री एस0एन0 तिवारी दिनांक- 21.06.2011 तक इसके पश्चात श्री शिशुपाल सिंह अपर मुख्य अधिकारी रहे।

जनपद का नाम **इटावा :** **मण्डल का नाम :**
कानपुर

1. नाम जिला पंचायत : औरैया
2. लेखा परीक्षा वर्ष : 20123-

प्रस्तर 1 -

जिला पंचायत की निम्न दुकानों पर दिनांक के विवरण निम्न को 2013/03/31
- रहा शेष करना वसूल किराया अनुसार

बाज़ार का नाम	दुकान संख्या	दुकान मालिक का नाम	बकाया अवधि	दर प्रति माह	अवशेष किराया
अयाना रोड मुरादगंज	02	श्री प्रदीप कुमार पुत्र नारायण दत्त	दिसम्बर से 2012 2013 मार्च	-/182	728.00
	09	श्री राम बिहारी श्री पंचम लाल	दिसम्बर से 2012 2013 मार्च	-/121	484.00
	14	श्री नरेश कुयमर / लाल रघुनन्दन श्री	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/121	363.00
	15	श्री सुनील कुमार / प्रकाश वेद श्री	दिसम्बर से 2012 2013 मार्च	-/121	484.00
	16	श्री राधेश्याम / श्री राम नाथ	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/121	363.00

आयुर्वेद, चिकित्सालय के सामने, मुरादगंज	02	श्री सत्यवीर सिंह शिवराम श्री /	अप्रैल से 2012 2013 मार्च	-/242	00।2904
	03	श्री सुशील कुमार सिंह हाकिम श्री /	दिसंबर से 2012 मार्च 2013	-/121	484.00
	04	श्री सुनील कुमार / सिंह हाकिम श्री	दिसंबर से 2012 2013 मार्च	-/121	484.00
इटावा – कानपुर रोड , मुरादगंज	01	श्री राजेश कुमार / रामबाबू श्री पोरवाल	फरवरी से 2012 2013 मार्च	-/182	2548.00
	02	श्री राजेश कुमार / रामबाबू श्री पोरवाल	फरवरी से 2012 2013 मार्च	-/182	2548.00
	04	श्री रमेश चन्द्र / प्रसाद सूरज श्री	दिसंबर से 2011 2013 मार्च	-/165	2640.00
	05	श्री सतीश चन्द्र / गुरुदयाल श्री	फरवरी से 2013 2013 मार्च	-/165	330.00
	06	श्री राम शंकर / नाथूराम श्री	दिसंबर से 2012 मार्च 2013	-/165	660.00
	09	श्री जगदीश चन्द्र / राम श्री	जून मार्च से 2011 2013	-/165	3630.00
जिला पंचायत मार्केट, फफूंद रोड, मुरादगंज	01	श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल श्री / गोपीनाथ	फरवरी से 2013 2013 मार्च	-/200	400.00
	02	श्री ब्रजेन्द्र सिंह / श्रीतिलक सिंह	सितंबर से 2012 2013 मार्च	-/200	1400.00
	03	श्री शोभाराम / श्रीराम श्री	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/200	600.00
	04	श्री सुनील कुमार / कुमार अशोक श्री	दिसंबर से 2012 2013 मार्च	-/200	800.00

	07	श्री निर्भय सिंह / सिंह अकबर श्री	मार्च 2013	-/200	200.00
	08	श्री राम मिलन / प्रसाद बलदेव श्री	मार्च 2013	-/200	200.00
	09	श्री राम मिलन / प्रसाद बलदेव श्री	मार्च 2013	-/200	200.00
	10	श्री मुन्ना खाँ श्री / खाँ उसमान	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/200	600.00
	11	श्री प्रमोद कुमार / पंचीलाल श्री	फरवरी से 2013 2013 मार्च	-/200	400.00
	12	श्री रमेश चन्द्र / जगदीश श्री नारायण	अक्तूबर से 2012 2013 मार्च	-/200	1200.00
	13	श्री प्रवीण कुमार / जगदीश श्री नारायण	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/200	600.00
	14	श्री लक्ष्मी नारायण श्री / नारायण शिव	मार्च 2013	-/200	200.00
	15	श्री आनंद कुमार / कुमार लक्ष्मी श्री	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/200	600.00
	16	श्री अबरार / श्री नन्हें खाँ	अक्तूबर से 2012 2013 मार्च	-/200	1200.00
	17	श्री राजा सिंह / सिंह रघुनाथ श्री	अप्रैल से 2012 2013 मार्च	-/200	2400.00
	18	श्री राजीव कुमार जगत श्री / नारायण	अप्रैल से 2012 2013 मार्च	-/200	2400.00
जिला	01	श्री जयवीर सिंह /	अक्तूबर से 2012	-/300	1800.00

पंचायत इंटर कालेज के सामने, मुरादगंज		श्री ओम प्रकाश	2013 मार्च		
	05	श्री अशोक कुमार सुखवासी श्री / लाल	मार्च 2013	-/300	300.00
	06	श्री राशिद श्री / रियाजुद्दीन	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/300	900.00
	07	श्री सत्यप्रकाश / चन्द्र सुरेश श्री	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/300	900.00
	08	श्री उमेश कुमार / लाल मुन्नी श्री	दिसंबर से 2012 2013 मार्च	-/300	1200.00
	09	श्री ब्रजेश बाबू / श्री रामबाबू	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/300	900.00
	10	श्री शन्नी उल्ला / खां सलीम श्री	अक्तूबर से 2012 2013 मार्च	-/300	1800.00
	11	श्री आसिफ श्री / खां सलीम	अक्तूबर से 2012 2013 मार्च	-/300	1800.00
	12	श्री मु / शकील 0 खां बकरीद श्री	अगस्त से 2012 मार्च 2013	-/300	2400.00
	13	श्री मुबीनुद्दीन / दिया अल्ला श्री	नवंबर से 2012 2013 मार्च	-/300	1500.00
	14	श्री राजेंद्र कुमार / राधेलाल श्री	मार्च 2013	-/300	300.00
जिला पंचायत मार्केट, बिधूना	11	श्री अतुल कुमार / श्री श्री प्रकाश	जनवरी से 2013 2013 मार्च	-/333	999.00
	38	श्री होम सिंह श्री / राम शोभा	अप्रैल से 2011 2013 मार्च	-/182	4368.00
	47	श्री राम प्रकाश / लाल छोटे श्री	नवंबर से 2012 2013 मार्च	-/182	910.00
	48	श्री रवी कुमार /	जनवरी से 2013	-/440	1320.00

		चन्द्र रमेश श्री	2013 मार्च		
	49	श्री राजेश कुमार / चन्द्र नरेश श्री	फरवरी से 2013 2013 मार्च	-/440	880.00
	54	श्री ऋषि कुमार / लाल पुत्तू श्री	दिसंबर से 2012 2013 मार्च	-/133	532.00
योग का बकाया को 2013/03/31					54859.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की दुकानों से किराए की नियमित वसूली नहीं की जाती है। यह स्थिति जिला पंचायत के आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं है। उक्त बकाया किराए की तत्परता पूर्वक वसूली कर जिला पंचायत की दुकानों से नियमित किराए की वसूली की जानी अपेक्षित है।

– संख्या 0आ 0मू)

(4

प्रस्तर 2 –

जिला पंचायत औरैया की तहबाजारी नीलामी पत्रावलियों की जांच में यह पाया गया कि निम्न तहबाजारी ठेकों की नीलामी की पूरी राशि वसूल न कर निम्न विवरण के अनुसार धनराशियों ठेकेदारों से वसूल नहीं की गयी है।

क्रमांक	तहबाजारी क्षेत्र का नाम व वर्ष	ठेकेदार का नाम व पता	वसूल न की गयी धनराशि (0रु)
1	पूर्वादानशाह (सहार) 12-2011	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल निवासी - सहार, जनपद औरैया	225000.00
2	ककोर 13-2012	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री मुनीम सिंह, नौली, औरैया	15100.00
3	कंचौसी मोड -2012 13	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, यमुना रोड, औरैया	100000.00
कुल योग			340100.00

उक्त तहबाजारी की वसूली न किये जाने से जिला पंचायत को रु० की 340100.00 वसूली तहबाजारी उक्त । है रही हो क्षति आर्थिकहेतु ठोस कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । (6- संख्या आ० मू०)

प्रस्तर 3 –

उ०प्र० सरकार नोटिफिकेशन सं०) 251-2009-2-36/1411एम० एम० (95/लखनऊ दिनांक) कर्मकार सन्निर्माण अन्य एवं भवन कि जो 20.11.2009 तथ 1966 अधिनियम (विनियमती सेवाशर्त एवं नियोजन ा तद्विषयक उ०प्र०भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (विनियमन सेवाशर्त एवं नियोजन) द्वारा संग्रह उपकर एवं अधिकारी निर्धारण उपकर प्रयोजनार्थ के 2009 नियमावली % 1 का लागत की कार्य सन्निर्माण अन्य एवं भवनकी दर से रम उपकर वसूल कर धनराशि उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण किया जमा में बोर्ड कल्याण कर्मकार” %1 इस ”। है जानाश्रम उपकर की धनराशि को ठेकेदारों के बिलों से आयकर भांति एवं उसी भावना से काटा जाना है ।

जिला पंचायत औरैया मे वर्ष के विवरण निम्न मे 13-2012 और 12-20011 है गया किया व्यय पर कार्यों निर्माण अनुसार, किन्तु उक्त नोटिफिकेशन के निर्देशों का पालन न कर %1श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी है-

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष मे 12-2011 व्यय	वर्ष मे 13-2012 व्यय
1	राज्य वित्त आयोग से प्राप्त	20427969.00	13402416.00
2	प्राप्त से आयोग वित्त वां12	1554618.00	Nil
3	प्राप्त से आयोग वित्त वां13	17016467.00	6525875.00
	योग	38999054.00	19928291.00

इस प्रकार वर्ष रु० क्रमशः व्यय पर कार्यों निर्माण मे 13-2012 व 12-2011 %1 का 58927345.00 रु० व्यय कुल 19928291.00 रु० व 38999054.00 श्रम उपकर रु० है। गयी की नहीं से बिलों के ठेकेदारों कटौती की 589273.00

इ एवं है हुई हानी की उपकर श्रम 589273.00 रु० फलस्वरूपसी राशि से ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया है।

अतः वर्ष उपकर श्रम उक्त से ठेकेदारों कार्य निर्माण के 13-2012 व 12-2011 को “बोर्ड कल्याण कर्मकार सन्निर्माण अन्य एवं भवन प्र० उ०” धनराशि कराकर जमा प हो न वसूल से ठेकेदारो धनराशि है अपेक्षित जानी की प्रेषिताने की दशा मे उक्त धनराशि का दायित्व तत्कालीन लेखाकार श्री शिवभरत मिश्रा एवं तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा और तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता श्री प्रेमचंद एवं श्री हरीशचंद यादव पर समान दायित्व निर्धारित कर उनसे वसूली की जानी अपेक्षित है।

- संख्या आ० मू०)
(29

जनपद—उन्नाव

मण्डल—लखनऊ

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

क्षेत्र पंचायत— असोहा

प्रस्तर संख्या—1 लेखा परीक्षा के दौरान अलोच्य वर्ष क्रमशः 2010—11 में रु० 116.27 लाख, वर्ष 2011—12 में रु० 156.97 लाख और वर्ष 2012—13 में रु० 16.08 लाख के निर्माण कार्य राज्य वित्त 12वॉ/13वॉ वित्त, विधायक निधि, बी०आर०जी०एफ० एवं मनेरगा (क्षेत्र पंचायत) से कराये गये। परन्तु कराये गये कार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा

में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे पूर्ण एवं अपूर्ण (हस्तगत) कार्यों तथा उन कार्यों पर हुए व्यय की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्यों को अपूर्ण मानेत हुए उन पर दर्शाये गये व्यय की वसूली तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों, जे0ई0, लेखाकार और कार्य प्रभारियों से की जायें।

जनपद—फैजाबाद

मण्डल—फैजाबाद

अपहरण/अनियमितता में सन्निहित कुल धनराशि—22349992

क्र0	क्षेत्र पंचायत/ ब्लाक	आपत्ति का विवरण व आपत्ति संख्या	धनराशि
1	2	5	6
1.	तारुन/तारुन	1. वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तिथियों में अन्तर कार्ययोजना क्रमांक चालान बिल स्टॉक पंजिका के अभाव में पुष्टि न होना सोलर लाइट पर व्यय। (आ0सं02.)	849000.00
		2. निःशुल्क बोरिंग पर व्यय परियोजना की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों का न होना। (आ0सं03.)	579600.00
		3. अम्बेडकर विषेष रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना। (आ0सं0.4.)	80000.00
		4. पंचायत चुनाव से व्यय से सम्बन्धित समायोजन लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। (आ0सं0...5)	16084.00
		5. खड़ण्जा मरम्मत पर एक ही तिथि में दो मास्टर रोल लगाकर भुगतान किया जाना। (आ0सं0....7.)	18360.00
		6. नाली व खड़ण्जा मरम्मत पर फर्जी बिल दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0....8)	237122.00
		7. विकास खण्ड परिसर में इण्टरलॉकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना। (आ0सं0..9.)	423786.00
		8. भटपुरवा में नाली निर्माण कार्य पर प्राकलन से अधिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0..11)	159188.00
		9. बेनी गद्दौपुर में नाली निर्माण कार्य पर सादे मास्टर रोल पर भुगतान कर धन का अपहरण। (आ0सं0.12)	94671.00
		योग	2457811.00
2.	क्षेत्र	1. जमानत की राशि 9/10 व्यय प्रमाणक विहीन एवं	115800.00

	पंचायत बीकापुर / बीकापुर	3/11 जमानत की राशि से सम्बन्धित प्रमाणक नहीं प्रस्तुत कर। (आ0सं0..2)	91254.00
		2. 4/11 जमानत की राशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा (आ0सं0.2.)	18977.00
		3. 6/11 जमानत की राशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा (आ0सं0.2.)	51956.00
		4. 7/11 जमानत की राशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा (आ0सं0.2..)	166489.00
		5. 1/12 जमानत की राशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा (आ0सं0..2)	53028.00
		6. 1/11 आदर्श जलाशय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा (आ0सं0..3)	242.00
		7. 6/10 युवक मंगल दल प्रोत्साहन की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा(आ0सं0.4.)	18000.00
		8. 5/11 युवक मंगल दल प्रोत्साहन की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा(आ0सं0.4)	20000.00
		9. 1/12 बाल विकास आ0 व्यय प्रमाणक विहीन व्यय (आ0सं0....5)	38203.00
		10. एस0जी0एस0आई0 योजना के अन्तर्गत पत्रावलियाँ प्रस्तुत न कर धन का अपहरण। (आ0सं0...26)	5402227.00
		11. मनरेगा से सम्बन्धित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0.27)	835753.00
		योग	6982729.00
3.	क्षेत्र पंचायत मसौधा / मसौधा	1. स्टेशनरी, डीजल, मशीन मरम्मत, बैट्री, फोटो स्टेट मशीन मरम्मत, कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर आदि पर किये गये व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली न प्रस्तुत कर धन का अपहरण करना। (आ0सं0.20.)	1535775.00
		2. कार्य योजना एवं कार्यालयादेश के विपरीत स्टीमेट बनाकर भुगतान करना। (आ0सं0.21)	262011.00
		3. कार्य योजना निर्धारित निर्माण कार्य हेतु राजकीय मानक एवं नियमों के विरुद्ध कार्य कराना तथा भुगतान करना। (आ0सं0...22)	333215.00
		4. अनाधिकृत दुकानों से सामान क्रय कर सादे पैड पर बाउचर लेना। (आ0सं0..23)	10861.00
		5. एक ही कार्य के लिये अलग-अलग एम0बी0 का इस्तेमाल कर	35535.50

		अनाधिकृत रूप से धन का अपहरण करना। (आ0सं0..24.)	
		6. कार्य योजना के विपरीत मिट्टी पटाया जाना। (आ0सं0..25.)	16771.00
		7. फर्जी कोटेशन लेना एवं आडिट में एम0बी0 प्रस्तुत न कर धन का अपहरण करना। (आ0सं0...26)	348419.00
		8. कार्य की एम0बी0 आडिट में प्रस्तुत न करना एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण करना। (आ0सं0...28)	186925.00
		9. कार्य की एम0बी0 आडिट में प्रस्तुत न करना एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण करना। (आ0सं0...30.)	385574.00
		10. स्टीमेट से अधिक सामान क्रय करना एवं क्रय ईट का प्रयोग न कर तथा कार्य की एम0बी0 प्रस्तुत न कर धन का अपहरण करना। (आ0सं0...32)	52727.00
		11. स्टीमेट से अधिक क्रय करना एवं मिट्टी पटाई का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण करना। (आ0सं0...33)	178675.00
		12. स्टीमेट से अधिक सामान क्रय कर धन का अपहरण। (आ0सं0....35.)	14329.00
		13. कार्य से सम्बन्धित एम0बी0 अप्राप्त एवं व्यय प्रमाणक पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण करना। (आ0सं0.....36)	64225.00
		14. स्टीमेट से अधिक ईट क्रय कर धन का अपहरण। (आ0सं0.....38)	8440.00
		15. स्टीमेट से अधिक भुगतान कर धन का अपहरण करना। (आ0सं0..39.)	293700.00
		16. स्टीमेट से अधिक सामान क्रय करना कार्य की एम0बी0 प्रस्तुत न करना मास्टर रोल पर मजदूरों के फर्जी हस्ताक्षर। (आ0सं0.40.)	536875.00
		17. मिट्टी/रायल्टी राजकीय कोष में जमा न करना। (आ0सं0...41.)	21815.00
		18. टी0डी0एस0 ई-मेल चार्ज का भुगतान परन्तु सम्बन्धित फर्म से भुगतान रसीद प्राप्त न करना। (आ0सं0....43)	34500.00
		योग	4320372.50
4.	क्षेत्र पंचायत मिल्कीपुर / मिल्कीपुर	1. नियम विरुद्ध धनराशि प्रदान करके उक्त धनराशि का अपहरण करना (आ0सं0..1.)	1400000.00

		2. फर्जी एम0आर0 एवं अनियमित बिलों से भुगतान करके धन का अपहरण। (आ0सं0....02)	565536.0
		3. सामग्री नकद क्रय दिखाकर धन का अपहरण। (आ0सं0....03)	68294.00
		4. फर्जी एम0आर0 के द्वारा भुगतान करके धन का अपहरण। (आ0सं0....04)	10800.00
		5. फर्जी एम0आर0 के द्वारा भुगतान करके धन का अपहरण। (आ0सं0....05.)	127922.00
		6. फर्जी व्यय प्रमाणक से भुगतान दिखाकर धन का अपहरण। (आ0सं0....06)	74283.00
		7. नियम विरुद्ध अग्रिम धनराशि प्रदान करना एवं फर्जी एम0आर0 से भुगतान दिखाकर धन का अपहरण। (आ0सं0....08)	148942.00
		8. अनियमित अग्रिम प्रदान करना एवं फर्जी एम0आर0 से भुगतान दिखाकर धन का अपहरण। (आ0सं0....09)	58732.00
		योग	2454509.00
5.	क्षेत्र पंचायत पूरा बाजार/ पूरा बाजार	1. बिना कार्य आदेश के मिट्टी कार्य का अनियमित भुगतान। (आ0सं0...20)	123480.00
		2. स्टीमेट से अधिक अनियमित का भुगतान करना। (आ0सं0...21.)	38407.00
		3. प्राकलन से अधिक एम0बी0 एवं भुगतान ईट क्रय पर अनियमित भुगतान। (आ0सं0...22)	12836.00
		4. कार्य पत्रावली प्रस्तुत न करना। (आ0सं0...23)	15250.00
		5. अनुदान वितरण की पत्रावली न प्रस्तुत करना। (आ0सं0...24)	4740117.00
		6. क्रय की गयी सीमेन्ट एवं अन्य सामग्री का प्रयोग एक साल बाद अनियमित ढंग से दर्शितकर धनराशि का दुरुपयोग। (आ0सं0...25)	571665.00
		7. अनियमित मदान्तरण व्यय करना। (आ0सं0...26)	65119.00
		8. राज्य वित्त से नियम विरुद्ध जनरेटर क्रय करना। (आ0सं0....27)	51000.00
		9. व्यय पत्रावली प्रस्तुत न करना। (आ0सं0....28)	282500.00
		10. मादान्तरण अनियमित व्यय दर्शितकरना (आ0सं0....29.)	45000.00
		11. युवक मंगल दल की अनियमित ढंग से बिना प्रमाण के व्यय	34000.00

		दर्शितकर धन का अपहरण। (आ0सं0.....31)	
		12. विभिन्न मदों में प्राप्त ब्याज धनराशि स्टेशनरी, प्रिन्टिंग एवं डीजल आदि पर अनियमित व्यय दर्शितकरना। (आ0सं0.....32)	155097.00
		योग	6134571.00

उपरोक्त प्रकरणों में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम:- बाराबंकी

मण्डल का नाम:- फैजाबाद

प्रस्तर-(3) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में सम्मिलित जनपद बाराबंकी की 02 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बिना टेण्डर/कोटेशन, सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण/अनियमितताएँ की गयी हैं। विवरण प्रत्येक क्षेत्र पंचायत वार निम्न तालिका में दर्शित है।

अपहरण/अनियमितता में सन्निहित कुल धनराशि-6568184

क्रम सं०	क्षेत्र पंचायत	आपत्ति का विवरण/आपत्ति संख्या	सन्निहित धनराशि
1	2	3	4
1	देवा	1-बिना टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया के एवं कार्यप्रभारी द्वारा मनमाने ढंग से नियमों की अवहेलना कर धन का व्यय जो निजी स्वार्थ की पूर्ति/अनियमितता को परिलक्षित करता है तथा उक्त कार्य का कोई भी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उक्त कार्य शासन की अपेक्षानुसार सम्पादित नहीं किये गये जो व्यय धनराशि का अनियमित होना है। (आ0सं0-4)	1935370
		2-बिना टेण्डर/कोटेशन के मनरेगा खाते से कराये गये कार्य की जांच हेतु प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों के अनुसार धनराशि का दुरुपयोग किया गया है(आ0सं0-5)	3980049
		3- मनरेगा खाते के प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत व्यय प्रमाणक/संगत अभिलेखों के अभाव में कार्य का प्रयोजन तथा वास्तविक व्यय की धनराशि की पुष्टि न हो पाना।	462112
		योग	6377521
2	मसौली	1-फर्जी कैषमेमों संलग्न कर धन का अपहरण (आ0सं0-11)	112182
		2-मस्टररोल/प्रमाणकों पर एक ही हस्तलिपि तथा अप्रमाणित अंगूठा निषान जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इस प्रकार फर्जी व्यय कर धन का अपहरण (आ0सं0-8)	78481
		3-टेण्डर प्रक्रिया वर्ष आलोच्य में अपनायी ही नहीं गयी जो घोर आपत्ति का विषय है। (आ0सं0-7)	—

		योग	190663

उपरोक्त प्रकरणों में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम:- अम्बेडकर नगर

मण्डल का नाम:- फैजाबाद

प्रस्तर-() वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में सम्मिलित जनपद अम्बेडकर नगर की 02 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कल्पित भुगतान कर, प्रमाणक विहीन व्यय कर, सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण/अनियमितताएँ की गयी हैं। विवरण प्रत्येक क्षेत्र पंचायत वार निम्न तालिका में दर्शित है।

अपहरण/अनियमितता में सन्निहित कुल धनराशि-..3331865.00.

क्रम सं०	नाम क्षेत्र पंचायत	आपत्तिकासंक्षिप्तविवरण	सन्निहित धनराशि
1	जलालपुर / अम्बेडकर नगर	1 ग्राण्ट रजि० पर फर्जी रूप में धनराशि अंकित कर अपहरण करना। (आ०सं०-..2....) 2-ग्राण्ट रजि० के अनुसार बैंक पास बुक के अनुसार कम धनराशि दर्शाकर अपहरण करना।(आ०सं०-..3...) 3-98 ग्राम पंचायतों में कर सामग्री से आयकर कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचाना। (आ०सं०-..4..) 4-निशुल्क बोरिंग पर दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ०सं०-....5..) (आ०सं०..2... से ..5.... तक का योग)	548289.00 47445.00 600263.00 1412475.00 2608472.00
2	टाण्डा / अम्बेडकर नगर	1 केन्द्रीय राजस्व का प्राविधान न कर हानि/क्षति पहुँचाना विषयक गंभीर अनियमितता। (आ०सं०-...12...) 2 नि:शुल्क बोरिंग मनरेगा में व्यय दर्शा कर साक्ष्य प्रमाणन न प्रस्तुत कर धन का दुरुपयोग। (आ०सं०-..14.) 3-प्रशासनिक मद मनरेगा से डीजल की पर्ची कर्मचारियों के नामे दिखा कर धन का अपहरण साक्ष्य/प्रमाणन/अप्रप्त। (आ०सं०-..15.) (आ०सं० .12....से...15.... तक का योग) उपरोक्त प्रकरणों में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	310963.00 349520.00 62910.00 723393.00

जनपद — प्रतापगढ़

सम्भाग—इलाहाबाद

1. क्षेत्र पंचायत का नाम : मांघाता

प्रस्तर	सामान्य आ0सं0	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
प्रस्तर—1	20	लॉगबुक पर यात्रा की दूरी कम दिखाया गया है।	603.75	श्री राम बहादुर ड्राइवर
प्रस्तर—2.	21	भुगतान से सम्बन्धित विल वाउचर मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया	8700.00	श्रीमती सावित्री देवी ख0वि0अ0
प्रस्तर—3.	22	लॉग बुक में यात्रा की दूरी अधिक दिखाया गया है।	1138.00	श्री राम बहादुर ड्राइवर
प्रस्तर—4.	23	लॉग बुक में यात्रा कम दिखाया गया है।	1312.50	श्री राम बहादुर ड्राइवर
प्रस्तर—5.	24	लॉग बुक में यात्रा की दूरी अधिक दिखाया गया है।	875.00	श्री राम बहादुर ड्राइवर
प्रस्तर—6.	25	लॉग बुक में यात्रा की दूरी कम दिखाया गया है।	2520.00	श्री राम बहादुर ड्राइवर
प्रस्तर—7.	26	लॉग बुक में यात्रा की दूरी अधिक दिखाया गया है।	875.00	श्री राम बहादुर ड्राइवर
प्रस्तर—8.	28	ईट खरीद पर टैक्स छूट के लिये (3डी)फार्म जमा नहीं किया गया	892.00	मेसर्स खान ईट उद्योग प्रतापगढ़
प्रस्तर—9.	30	ईट विक्री पर टैक्स की छूट के लिये (3डी) फार्म/कर कटौती से संबंधित फार्म जमा नहीं किया गया।	2742.00	मेसर्स संगम ईट उद्योग प्रतापगढ़
प्रस्तर—10.	31.	" " "	1151.00	मेसर्स अंकित ईट उद्योग प्रतापगढ़
प्रस्तर—11.	32	" " "	2072.00	" " "
प्रस्तर—12.	33	" " "	2831.00	मेसर्स आर.डी.इण्टर प्राइजेज प्रतापगढ़
प्रस्तर—13.	34	" " "	1460.00	मेसर्स सिंह ईट उद्योग प्रतापगढ़
प्रस्तर—14.	35	" " "	1409.00	मेसर्स शिव दर्शन ब्रिक्स फिल्ड प्रतापगढ़
प्रस्तर—15.	36	" " "	4467.00	" " "
प्रस्तर—16.	37	" " "	3505.00	मेसर्स मेहराब ईट उद्योग प्रतापगढ़

प्रस्तर-17.	38	“ “ “	2773.00	“ “ “
प्रस्तर-18.	39	“ “ “	2921.00	मेसर्स तिरंगा ब्रिक्स फील्ड प्रतापगढ़
प्रस्तर-19.	40	वाहन मरम्मत व्यय के लिये विल	3000.00	श्रीमती सावित्री देवी ख0वि0अ0
प्रस्तर-20.	42	भुगतान से संबंधित विल वाउचर/मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया	100000.00	श्री उदय प्रताप सिंह (सचिव)
प्रस्तर-21.	43	भुगतान से संबंधित विल वाउचर/ मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया।	100000.00	श्री उदय प्रताप सिंह (सचिव)
प्रस्तर-22.	45	भुगतान से संबंधित विल वाउचर/ मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया	100000.00	श्री ओम प्रकाश सरोज ग्रा0वि0अ0
प्रस्तर-23.	46	भुगतान से संबंधित विल वाउचर/मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया।	100000.00	श्री अशोक कुमार शर्मा(सचिव)
प्रस्तर-24.	47	भुगतान से संबंधित विल वाउचर/ मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया।	100000.00	ग्राम प्रधान/सचिव ओम प्रकाश शर्मा
प्रस्तर-25.	48	यात्रा से संबंधित लॉग बुक प्रस्तुत नहीं की गयी।	154401.00	श्रीमती सावित्री देवी ख0वि0अधि0 मानधाता
प्रस्तर-26.	49	भुगतान से संबंधित विल वाउचर/ मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया	100000.00	श्री ओम प्रकाश सरोज
प्रस्तर-27.	50	भुगतान से संबंधित विल वाउचर/ मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।	100000.00	ग्राम प्रधान कोहड़ा एवं तत्कालिक सचिव
		कुल योग	899648.25	
आठ लाख निन्नावे हजार छः सौ अडतालिस रू० पचीस पैसे मात्र।				

उपरोक्त प्रकरणों में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद – कौशाम्बी

मण्डल-इलाहाबाद

क्षेत्र पंचायत- मंझनपुर

जनपद- कौशाम्बी

सम्भाग- इलाहाबाद।

	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता
प्रस्तर -1	ग्रान्ट रजि० 3 में नि० वर्ग आवास वसूली	200000.00		

	मद में 31.08.2001 को अवशेष रू0— 208527.00 दर्शित रहा किन्तु 01 सितम्बर 2001 को प्रा0 अवशेष रू0 8527.00 दर्शित है इस प्रकार बिना व्यय के रू0 200000.00 से अवशेष कम दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।			
प्रस्तर—2	ग्रान्ट रजि0 3 में जे0आर0वाई0 क्षे0पं0 के 31.03.2000 का अवशेष 89872.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा अनुसार 314620.00 होना चाहिए। इस प्रकार 224748.00 से अवशेष को बिना व्यय के कम दर्शित कर तत्कालीन लेखाकार द्वारा अपहरण किया गया है। जिससे य0 224748.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।	224748.00		
प्रस्तर—3	ग्रान्ट रजि0 3 के सांसद निधि में 01 जनवरी 2001 को प्रा0 अवशेष रू0 586517. 00 दर्शित है। माह में आय रू0 125000.00 कुल योग हुआ रू0 711517.00 माह में कोई व्यय दर्शित नहीं है, फिर भी माह के अन्त का अवशेष रू0 75100.00 से कम दर्शित कर तत्कालीन लेखाकार द्वारा अपहरण किया गया। अवशेष की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा की दशा में रू0 75100.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।	75100.00		
प्रस्तर—4	ग्रान्ट रजि0 3 में स0 ग्रा0 रो0 योजना धारा प्रथम में फरवरी 05 में प्रा0 शेष रू0 1557512.00 दर्शित रहा माह में प्राप्त हुआ रू0 1209290.00 तथा माह का व्यय शून्य रहा, माह के अन्त में अवशेष रू0 2737313. 00 दर्शित है, जबकि लेखा परीक्षा अनुसार रू0 2766802.00 होना चाहिए। इस प्रकार अवशेष रू0 29489 से कम दर्शित कर अपहरण किया गया है। अवषेष की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की दशा में रू0 29489.00 की वसूली लेखाकार श्री	29489.00		

	कन्हैया लाल राव से किया जाना अपेक्षित है।			
प्रस्तर-5	पी0एल0ए0 मद में 01.04.2008 को रू0 105000.00 अवशेष अंकित रहा किन्तु वर्ष दौरान आय व्यय न होने पर भी 31.03.2009 को पी0एल0ए0 मद का अवशेष रू0 105000.00 दर्शित नहीं किया गया जिससे वर्ष का अवशेष रू0 105000.00 से कम हो गया। इस प्रकार 105000.00 बिना व्यय के कम दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है अवशेष की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा की दशा में रू0 105000.00 लेखाकार श्री काजी आफताब से वसूल किया जाना अपेक्षित है।	105000.00		
प्रस्तर-6	30 जून 2010 को एस0जी0एस0 वार्ड0 अनुदान का शेष रू0 952901.00 ग्रांट रजि0 3 में दर्शित रहा, जबकि 01 जुलाई 2010 को प्रा0 शेष रू0 952901.00 के बजाय रू0 942901.00 अंकित किया गया है। इस प्रकार 01 जुलाई का प्रा0 शेष रू0 10000.00 से कम अंकित कर के अपहरण किया गया है। अवशेष की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा की दशा में रू0 10000.00 लेखाकार श्री काजी आफताब से वसूल किया जाना अपेक्षित है।	10000.00		
प्रस्तर-7	ग्रांट रजि0 3 की जांच में पाया गया कि 31 दिसम्बर 2009 को नरेगा क्षेत्र पंचयात मद में रू0 243658.00 शेष रहा किन्तु 01 जनवरी 2010 को प्रा0 शेष रू0 28110.00 अंकित किया गया है। इस प्रकार अवशेष रू0 215548.00 से कम अंकित कर अपहरण किया गया है। अवशेष की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा की दशा में रू0 215548.00 लेखाकार श्री काजी आफताब से वसूल किया जाना अपेक्षित है।	215548.00		
प्रस्तर-8	परियोजना का नाम— बारहवां वित्त वर्ष 2009-10 कार्य का नाम — टेवा में बस स्टाप से	152027.00		

	संस्कृत विद्यालय तक नाली एवं खड़ण्जा निर्माण। उपरोक्त कार्य की फाइल की जांच में पाया गया कि 38ग4.30 मीटर का सोलीग तथा 215 मी० नाली का निर्माण किया गया। इस्टीमेट के अनुसार उक्त कार्य में 169 बोरी सीमेन्ट 15.43 घन मी० पतली बालू 8.40 घन मी० मोटी बालू 40 घन मी० ईट गिट्टी 20 घन मी पत्थर गिट्टी तथा 1.31 कुन्तल सरिया की आवश्यकता थी किन्तु उक्त कार्य हेतु ईट 28000 नग 90 बैग सीमेन्ट तथा 14.30 घन मीटर पतली बालू का प्रयोग किया गया जिससे स्पष्ट है कि बिना बेस बनाये ही नाली निर्माण किया। जिससे उक्त कार्य का होना संदिग्ध प्रतीत होता है। एम०बी० नं० 1६4 में दर्शित कनजम्शन आफ मेटेरियल में 92 बैग सीमेन्ट दर्शित है जबकि सीमेन्ट 90 बैग खरीदी गयी थी शेष 02 बैग सीमेन्ट कहां से लायी गयी। इसी प्रकार कनजम्शन आफ ब्रिक्स की संख्या 17440 दर्शित है जबकि ईट खरीड की गयी 28000। इस प्रकार शेष बची ईट कहां प्रयोग की गयी। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में शेष ईट की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त कार्य का कराया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः उक्त कार्य पर व्यय की गयी धनराशि रु० 152027.00 की वसूली भी श्री विद्याधर त्रिपाठी से किया जाना अपेक्षित है।			
प्रस्तर-9	परियोजना का नाम- तेरहवां वित्त वर्ष 2012-13 कार्य का नाम - ओसा में पक्की सड़क से शशीकला जु० हा० स्कूल तक नाली निर्माण उपरोक्त फाइल की जांच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं- 01- कार्यादेश देने से पहले ठेकेदार से निविदा धनराशि का 10 प्रतिशत रु०			54000.00

	54000.00 जमानत राशि जमा कराया जाना चाहिए जो नहीं जमा करायी गयी। इसकी पुष्टि फाइल में लगे नोटसीट से होती है जिसमें जमानत राशि अंकित नहीं है। 02— फाइल में ठेकेदार का हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट है कि ठेका नियमों का पालन नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक है। 03— निविदा के विज्ञप्ति तथा निविदा खोलने की तिथि के मध्य कम से कम 30 दिन का समय होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को निविदा डालने का अवसर मिल सके यहीं कारण है कि मात्र 02 निविदायें ही आयीं। 04— विज्ञप्ति की तिथि 11.01.2013 निविदा खोलने की तिथि 24.01.2013 05— ठेकेदार से भुगतान का एक प्रतिशत लेबर सेन्स जमा कराया जाना चाहिए जो नहीं कराया गया है। 06— टेडर की शर्तों के अनुसार कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक आयकर विभाग व व्यापार कर विभाग द्वारा निविदा दाता के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, किन्तु उपरोक्त फाइल में आयकर व व्यापार कर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। उक्त आपत्तियों के मौजूद रहते यह स्पष्ट है कि गलत तरीके से ठेका देकर एवं जमानत धनराशि रु0 54000.00 को जमा न कराकर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिये श्री काजी आफताब लेखाकार एवं श्री के0एस0 पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है।			

प्रस्तर-10	योजना- राज्य वित्त वर्ष - 2005-06 कार्य का नाम - शाहपुर टिकरी से खनदेवरा पक्की सड़क से निमतापुर तक मार्ग पर सोलिम कार्य प्रभारी- श्री आर0एस0सिंह कार्य के स्टीमेंट में मिट्टी कार्य 1206 घन मी0 गुणा 1850 घन मी0 कुल रू0 22311.00 दर्शित है जबकि एम0 बी0 बुक नं0 3 के पृष्ठ पर मिट्टी कार्य 1483 घन मी0 गुणा 1850 कुल 27475.00 दर्शित है इस प्रकार स्टीमेंट से अधिक कार्य कर के रू0 4836.00 का अधिक भुगतान किया गया है। स्टीमेंट में रोड पटरी पर मिट्टी कार्य कुल 538.12 घन मी0 गुणा 18.50 कुल 9953.00 दर्शित है जबकि एम0 बी0 बुक के अनुसार पटरी पर मिट्टी कार्य पर व्यय रू0- 13051.00 अर्थात् रू0 3098.00 का अधिक भुगतान हुआ। यम बी बुक में म0 रो0 न0 2056ध2057ध2059 के माध्यम से 1051 मानव दिवस का भुगतान रू0 63310.00 किया गया जबकि म0रो0 फाइल में देखने को नहीं मिला। यम बी के अभाव में कार्य की पुष्टि न होने से साकेत ब्रिक फील्ड महमूदपुर उखैया करारी कौशाम्बी के कैसमेमो के माध्यम से 145000 ईट मू0 261000.00 का भुगतान भी फर्जी प्रतीत होता है। इस प्रकार रू0 261000.00 एवं 63310.00 कुल- 324310.00 जांचोपरान्त पुष्टि न होने पर श्री आर0एस0सिंह जे0ई0एस0 से बसूल किया जाना अपेक्षित है	4836.00 3096.00 324310.00		
प्रस्तर-11	योजना का नाम- बारहवां वित्त आयोग। वर्ष 2009-2010 कार्य का नाम- टेवा में पुलिस चौकी से मन्दिर तक नाली व खडण्जा 1- म0रो0न0 1. से जिस कमांक पर नहीं है	10000.00		

	दिनांक 28.11.2009 से दिनांक 07.12.2009 तक 10 मजदूर 10 दिन रू0 100.00 प्रतिदिन की दर से कार्य किये गये दर्शित है, किन्तु मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों के हस्ताक्षर म0 रो0 पर नहीं है। म0 रो0 नं0 2 से 03 मिस्त्री 10 दिन 150 दिन के हिसाब से कार्य दर्शित है जिसका भुगतान रू0 4500.00 हुआ है। म0रो0 नं0 1 व म0 रो0 नं0 2 का कुल भुगतान रू0 14500.00 चेक नं0 324735 दिनांक— 09.12.2009 को भी विद्याधर त्रिपाठी को दिया गया है। इस प्रकार म0रो0 1 से रू0 10000.00 का भुगतान श्रमिकों करने का प्रमाणिक नहीं होता है। जिससे स्पष्ट होता है कि श्री विद्याधर त्रिपाठी द्वारा मजदूरों का भुगतान नहीं करके रू0 10000.00 का अपहरण किया गया। रू0 10000.00 श्री विद्याधर त्रिपाठी से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा। ब—म0रो0 पर का जस्टीफिकेशन तथा यम0बी0 बुक न अंकित नहीं होने से कार्य होना संदिग्ध प्रतीत होता है।							
प्रस्तर—12	योजना का नाम— सुनिश्चित रोजगार योजना कार्य का नाम— इस्माइलपुर से उखैयाखास सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी एवं पुलिया निर्माण <table><tr><td>सामग्री की</td><td>भुगतान की</td><td>चेक नं0 दिनांक</td><td>चेक प्राप्तकर्ता</td></tr></table>	सामग्री की	भुगतान की	चेक नं0 दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता			60610.00
सामग्री की	भुगतान की	चेक नं0 दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता					

आपूर्ति करने वाली एजेन्सी	धनराशि		का नाम			
साकेत ब्रिक फील्ड	18243.0	0769828 / 30.10.00	आर0एस0 सिंह			
मे0मक्खन लाल	27967.00	0769828 / 30.10.00	आर0एस0 सिंह			
इण्डियन ह्यूम पाइप	14400.00	0769828 / 20.10.00	आर0एस0 सिंह			
योग— 60610.00 सामग्री का भुगतान सामग्री की आपूर्ति करने वाली संस्था को न करके कार्य प्रभारी श्री आर0एस0 सिंह0 को दी गयी। और सम्बन्धित एजेन्सी के भुगतान प्राप्त करने की पुष्टि में प्राप्ति रसीद भी नहीं लगी है। और सम्बन्धित भुगतान से आयकर 2.24 प्रतिशत तथा व्यापार कर 4 प्रतिशत भी नहीं काटा गया है जिससे यह भुगतान अनियमित हैं। म0 रो0 न0 14755 / 15030 / 15028 / 15020 / 15060 के माध्यम से 616 मानव दिवस का भुगतान रू0 35728.00 किन्तु म0रो0 पर कार्य का जस्टीफिकेशन नहीं होने से कार्य की पुष्टि नहीं होती है। जिसकी वसूली श्री आर0एस0 सिंह0 कार्य प्रभारी एवं जे0ई0 आर0ई0एस0 से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। म0रो0 नं0 15477 तथा 15146 से 200 मानव दिवस का भुगतान रू0 12482.00 नोट सीट पर अंकित है किन्तु पुष्टि में म0रा0 संलग्न नहीं है। जिससे उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। उक्त भुगतान की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न						
				35728.00		

	होने की दशा में रू0 12482.00 श्री आर0एस0सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।			
प्रस्तर-13	योजना का नाम- सुनिश्चित रोजगार योजना कार्य का नाम- तैयबपुर मगौरा में करारी कौशाम्बी मार्ग से हनुमान मन्दिर होते हुये हुबलाल के ट्यूबेल तक सम्पर्क मार्ग। फाइल में संलग्न नोट सीट के अनुसार म0रो0नं0 15321/15319 तथा म0रो0 नं0 15313 के माध्यम से 371 मानव दिवस का भुगतान रू0 11130.00 खद्यान के रूप में तथा रू0 10388.00 नगद भुगतान किया गया दर्शित है किन्तु फाइल में सम्बन्धित म0रो0 नहीं है जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है पुष्टि नहीं होने की दशा में रू0 21518.00 श्री आर0एस0 सिंह0,जे0ई0 आर0ई0एस0 से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। म0रो0 नं0 14914 से 14919 तक व म0 रो0 14926 के माध्यम से 696 मानव दिवस का भुगतान रू0 20880.00 का भुगतान खाद्यान के रूप में तथा रू0 19488.00 नकद कुल रू0 40368.00 का भुगतान दर्शित है किन्तु म0रो0 पर मजदूरों का अंगूठा निसानी प्रमाणित नहीं है तथा एम0बी0 करने वाले अधिकारी द्वारा कार्य का जस्टीफिकेशन भी अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कल्पित व्यय दर्शाकर रू0 40368.00 का अपहरण कार्य प्रभारी/ जे0ई0आर0ई0एस0 श्री आर0एस0सिंह से किया गया जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित श्री आर0एस0 सिंह से किया जाना अपेक्षित है।	21518.00		
		40368.00		

सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेन्सी	भुगतान की धनराशि	चेक नं० दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता का नाम			
श्री गणेश ट्रेडर्स	42596.0	07698 49 / 2 0.01.03	आर०एस० सिंह			
साकेत ब्रिक फील्ड	28415.00	07698 49 / 2 0.01.03	आर०एस० सिंह			
इण्डियन ह्यूम पाइप	19200.00	07698 49 / 2 0.01.03	आर०एस० सिंह			
योग— 90211.00						
उक्त अनियमित व्यय की वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा।						
उपरोक्त फाइल में लगे नोट सीट से मालुम हुआ कि मं०रो० नं० 15096 से मं०रो०नं० 15099 कुल 04 मं०रो० के माध्यम से मजदूरी भुगतान रू० 12348.00 तथा रू० 10710.00 खाद्यान के रूप में हुआ जिसका मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत हुआ। मं०रो० के अभाव में रू० 12348.00 नकद मजदूरी रू० 2480.00 साइनबोर्ड रू० 14828.00 चेक सं० 770456 दिनांक 17.02.2003 को रामसमुझ सिंह के नाम जारी हुआ फर्जी प्रतीत होता है। इस प्रकार 10710.00 एवं 14828.00 कुल रू० 25538.00 का भुगतान अनियमित है। साइनबोर्ड का रू० 2480.00 चेक की धनराशि में सम्मिलित है। जबकि नियमानुसार कार्य प्रारम्भ के समय				2538.00		90211.00

	कार्य से सम्बन्धित जानकारी अंकित करके साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए। एवं कार्य प्रारम्भ के पहले कार्य प्रारम्भ का समय कार्य के मध्य एवं कार्य की समाप्ति पर फोटो ग्राफी कराकर फाइल में संलग्न किया जाना चाहिए किन्तु फाइल में कोई फोटोग्राफ संलग्न नहीं है जिससे साइनबोर्ड लगाये जाने की भी पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार साइन बोर्ड का भुगतान भी फर्जी प्रतीत होता है ।			
प्रस्तर-14	योजना का नाम- सांसद निधि कार्य का नाम- मंझनपुर करारी रोड पर वसूल टेण्ड करारी में स्ट्रीट लाइट का निर्माण उमेश ट्रेडर्स कोटेशन की दर सबसे कम होने पर किया गया। उमेश ट्रेडर्स द्वारा रू0 130420.00 का बिल दिनांक 25.08.2001 को प्रस्तुत किया गया। जबकि उपरोक्त बिल का भुगतान चेक के माध्यम से चेक न0 001603 दिनांक 19.10.2001 भी आर0एस0सिंह को किया गया जो कि शासकीय नियमों के विपरीत है। शासकीय नियमों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने वाले संस्था के नाम से चेक निर्गत होना चाहिए इस प्रकार सामग्री आपूर्ति का भुगतान सम्बन्धी एंजेन्सी को न करके कार्य प्रभारी श्री आर0एस0सिंह को करके वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये खण्डविकास अधिकारी तथा अवर अभियन्ता ग्रामीण मुख्य रूप से जिम्मेदार है।			130420.00
प्रस्तर-15	योजना का नाम- सांसद निधि कार्य का नाम- मंझनपुर करारी रोड पर वसूल टेण्ट करारी में स्ट्रीट लाइट का निर्माण शासकीय नियमों के अनुसार सामग्री			36950.00

	की आपूर्ति करने वाली एजेंन्सी को भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए किन्तु प्रस्तुत फाइल में सामग्री का भुगतान एंजेन्सी को न करके कार्य प्रभारी श्री आर0एस0सिंह को किया गया है जो कि वित्तीय नियमों के विपरीत हैं। <table><tr><th>सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेन्सी</th><th>भुगतान की धनराशि</th><th>चेक नं0 दिनांक</th><th>चेक प्राप्तकर्ता का नाम</th></tr><tr><td>साकेत ब्रिक फील्ड</td><td>32260.00</td><td></td><td>आर0एस0 सिंह</td></tr><tr><td>रेयाज ट्रेडर्स</td><td>4690.00</td><td></td><td>आर0एस0 सिंह</td></tr></table> योग— 36950.00 उक्त अनियमित भुगतान 36950.00 की वसूली आर0एस0 सिंह0 से किया जाना अपेक्षित हैं।	सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेन्सी	भुगतान की धनराशि	चेक नं0 दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता का नाम	साकेत ब्रिक फील्ड	32260.00		आर0एस0 सिंह	रेयाज ट्रेडर्स	4690.00		आर0एस0 सिंह			
सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेन्सी	भुगतान की धनराशि	चेक नं0 दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता का नाम													
साकेत ब्रिक फील्ड	32260.00		आर0एस0 सिंह													
रेयाज ट्रेडर्स	4690.00		आर0एस0 सिंह													
प्रस्तर—16	योजना का नाम— एस0आर0वाई0 कार्य का नाम — शाहपुर टिकरी से खनदेवरा मार्ग पर मिट्टी 1 किमी0 सोलिंग कार्य व 4 नग पुलिया निर्माण उपरोक्त कार्य की फाइल की जांच में पाया गया कि सामग्री का भुगतान उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी को न करने कार्य प्रभारी के नाम चेक जारी हुआ है जो कि शासकीय नियमों के विपरीत है शासकीय नियमों का पालन न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। <table><tr><th>सामग्री की आपूर्ति करने वाली</th><th>भुगतान की धनराशि</th><th>चेक नं0 दिनांक</th><th>चेक प्राप्तकर्ता का नाम</th></tr></table>	सामग्री की आपूर्ति करने वाली	भुगतान की धनराशि	चेक नं0 दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता का नाम			394801.00								
सामग्री की आपूर्ति करने वाली	भुगतान की धनराशि	चेक नं0 दिनांक	चेक प्राप्तकर्ता का नाम													

	एजेन्सी						
	इण्डियन हयूम पाइप	51185. 00	05797 8 / 22. 11.01	आर0एस0 सिंह			
	साकेत ब्रिक फील्ड	157400 .00	05797 87 / 3 1.09.02	आर0एस0 सिंह			
	साकेत ब्रिक फील्ड	159658 .00	57978 8 / 19. 03.02	आर0एस0 सिंह			
	कुम्भकर ण एण्ड कम्पनी	26558. 00	57979 1 / 20. 03.02	आर0एस0 सिंह			
	योग- 394801.00 उक्त विवरणानुसार अनियमित भुगतान की धनराशि रू0 394801.00 वसूली श्री राम समुझ सिंह जे0ई0 आर0ई0एस0/कार्य प्रभारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0 के0 लाल से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा।						
प्रस्तर-17	योजना का नाम- नरेगा कार्य का नाम- कोटारी पश्चिम रामा सिंह ठाकुर के इंजन से नहर तक मार्ग पर मिट्टी कार्य 2 आर0सी0सी0 पुलिया 2. सिंचाई पुलिया अंवर अभियन्ता- श्री आर0एस0 सिंह खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमती विनीता श्रीवास्तव म0रो0 140120,140121,140122,140123,140124,140147,140148,140149 तथा 140214 पर मजदूरों के अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किस मजदूर का अंगूठा निशानी कौन सा है सभी अंगूठा निशानी एक सा प्रतीत होता है ऐसा लगता है कि म0रो0 तैयार करने वाले ने ही अंगूठा				80678.00		

	लगाया है। जिससे रू0 80678.00 की भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है उक्त म0 रो0 पर लगे अंगूठा निशानी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है। अंगूठा निशानी प्रमाणित न होने की दशा में रू0 80678.00 श्री आर0एस0सिंह अवर अभियन्ता से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। नरेगा नियमों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पहले कार्य का विवरण अंकित साइन बोर्ड उक्त स्थल पर लगाना चाहिए। किन्तु फाइल की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य का आदेश खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 26.10.2006 का किया गया किन्तु साइन बोर्ड का 2500.00 बिल 01.10.2006 प्रस्तुत किया गया। कार्यादेश के पहले साइनबोर्ड का बिल प्रस्तुत करना संदिग्ध प्रतीत होता है। साथ ही नरेगा के नियमों के अनुसार कार्य प्रारम्भ के पहले का कार्य का विवरण अंकित करते हेए कार्य स्थल पर साइन बोर्ड लगाया जाय किन्तु फाइल में संलग्न फोटोग्राफ में साइन बोर्ड दर्शित नहीं है जिससे रू0 2500.00 साइनबोर्ड भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। जांचोपरान्त पुष्टि होने पर रू0 2500.00 श्री आर0एस0 सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त कार्य के स्टीमेट में सटरिंग हेतु कुल रू0 500.00 निर्धारित किया गया है इस प्रकार 2 अर0सी0सी0 पुलिया हेतु 1000.00 सटरिंग हेतु भुगतान किया जाना चाहिए जबकि सटरिंग हेतु 1800.00 भुगतान किया गया। इस प्रकार सटरिंग पर स्टीमेट से 800.00 अधिक भुगतान किया गया है अधिक रू0 800.00 कार्य प्रभारी श्री आर0 एस0 सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है। उक्त कार्य के आर0सी0सी0पुलिया का श्रमांश रू0 4700.00 प्रति पुलिया दर्शित है	2500.00		

	इस प्रकार 2 पुलिया का श्रमांश रू0 9400.00 ले0प0 अनुसार होता है। जबकि आर0सी0सी0 पुलिया के म0रा0 नं0 132542 तथा 132569 से 240 मानव दिवस दिखाकर रू0 15760.00 का भुगतान दर्शित है जो कि स्टीमेट रू0 9400.00 से रू0 6360.00 अधिक है। जिससे उक्त कार्य की माप संदिग्ध प्रतीत होती है जिससे स्पष्ट होता है कि 6360.00 का भुगतान कल्पित है। जिसकी वसूली श्री काजी आपफताब लेखाकार एवं जे0ई0 आर0ई0एस0/कार्य प्रभारी से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त में सामग्री का भुगतान रू0 56195.00 दर्शित है जबकि स्टीमेट में सामग्री पर खर्च रू0 71000.00 किन्तु इसमें 2 पुलिया की सामग्री 24000.00 है किन्तु सिंचाई पुलिया बनने का कोई प्रमाण फाइल प्रपत्र में नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि स्टीमेट से रू0 9195.00 सामग्री पर अधिक व्यय किया गया है जो नरेगा नियमों का उल्लंघन है। जांचोपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है।	800.00		
		6360.00		9195.00
प्रस्तर-18	योजना का नाम- नरेगा कार्य का नाम- मंझनपुर ओसा रोड यम0पी0एस0 भट्टा से ओसा ग्राम तक मिट्टी कार्य 1750 घन मी0 एच0पी0 पुलिया 600.00 उउउद उपरोक्त कार्य की फाइल में संलग्न म0रो0 नं0 148381 तथा 148389 के मध्य में 217 मानव दिवस का भुगतान रू0 12586.00 दर्शित है जबकि म0रा0 पर श्रमिकों के उपस्थिति प्रमाणित करने हेतु अंगूठा निशानी हस्ताक्षर अंकित नहीं है जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है भुगतान चेक नं0 2601 दिनांक 26.06.2007 के द्वारा अवर अभियन्ता श्री आर0एस0 सिंह को किया गया है भुगतान	12586.00		

	की पुष्टि संबन्धित श्रमिकों से करायी जाय अन्यथा की दशा में रू0 12586.00 श्री आर0एस0सिंह से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।																																						
प्रस्तर—19	शासकीय नियमों के अनुसार रू0 5000.00 के अधिक के भुगतान पर आयकर व व्यापार कर जमा कराया जाना अनिवार्य है किन्तु उक्त कार्य में इसका पालन नहीं किया गया है निम्नलिखित आंकलित आयकर व व्यापार कर जमा कराया जाना अपेक्षित है— <table border="1"> <thead> <tr> <th>एजेन्सी का नाम</th><th>धन राशि</th><th>आय कर</th><th>व्यापार कर</th><th>योग</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आदित्य इ0 प्राइजेज</td><td>87500.</td><td>1960</td><td>3500</td><td>5460</td></tr> <tr> <td>साई कृपा एसो0</td><td>48333</td><td>1082</td><td>1933</td><td>3015</td></tr> <tr> <td>साई कृपा एसो0</td><td>374055</td><td>8378</td><td>8378</td><td>23340</td></tr> <tr> <td>साई कृपा एसो0</td><td>267704</td><td>5996</td><td>10708</td><td>16704</td></tr> <tr> <td>साई कृपा एसो0</td><td>473600</td><td>10608</td><td>18944</td><td>29552</td></tr> <tr> <td>साई कृपा एसो0</td><td>206220</td><td>4619</td><td>82249</td><td>12868</td></tr> </tbody> </table> योग— 90939.00 उक्त नियमानुसार रू0 90939.00 आयकर व व्यापार कर जमा न कराकर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री काजी आफताब लेखाकार जिम्मेदार है।	एजेन्सी का नाम	धन राशि	आय कर	व्यापार कर	योग	आदित्य इ0 प्राइजेज	87500.	1960	3500	5460	साई कृपा एसो0	48333	1082	1933	3015	साई कृपा एसो0	374055	8378	8378	23340	साई कृपा एसो0	267704	5996	10708	16704	साई कृपा एसो0	473600	10608	18944	29552	साई कृपा एसो0	206220	4619	82249	12868			90939.00
एजेन्सी का नाम	धन राशि	आय कर	व्यापार कर	योग																																			
आदित्य इ0 प्राइजेज	87500.	1960	3500	5460																																			
साई कृपा एसो0	48333	1082	1933	3015																																			
साई कृपा एसो0	374055	8378	8378	23340																																			
साई कृपा एसो0	267704	5996	10708	16704																																			
साई कृपा एसो0	473600	10608	18944	29552																																			
साई कृपा एसो0	206220	4619	82249	12868																																			

प्रस्तर-20	योजना का नाम— नरेगा कार्य का नाम— ग्राम सभा टेवा में तालाब खुदाई 100 गुणा 60 मी० कार्य में प्रयुक्त म०रा० नं० 7273 पर अंकित 10 मजदूर के 15 दिन का पारिश्रमिक 8700.00 अंकित है किन्तु मस्टर रोल पर मात्र 09 अंगूठा निशानी अंकित है। सभी अंगूठा निशानी पर न तो मजदूरों का क्रमांक अंकित है और न ही अंगूठा निशानी प्रमाणित है सभी अंगूठा निशानी एक जैसे प्रतीत होते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मस्टर रोल तैयार करने वाले ही व्यक्ति ने सभी अंगूठा निशानी अंकित किये। उक्त एम० आर० द्वारा भुगतान रू० 8700.00 प्रमाणित नहीं किया जा सका। अस्तु अंगूठा निशानी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की दशा में रू० 8700.00 कार्य प्रभारी श्री राम समुझ सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।	8700.00		
प्रस्तर-21	योजना का नाम — नरेगा कार्य का नाम— भदरपुर से दवरा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण 1200 घन मी० व 4 आर सी०सी० पुलिया उपरोक्त फाइल में पुलिया निर्माण के मस्टर रोल के भुगतान सम्बन्धी नोट सीट पर पुलिया निर्माण की यम०बी० बुक नं० 1/139 पर अंकित किया जान दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत यम०बी० बुक नं० 1/139 सादी पायी गयी जिससे पुलिया निर्माण की पुष्टि न हो सकी । यम० बी० बुक प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाय अन्यथा की दशा में रू० 139023.00 कार्य प्रभारी श्री धर्मराज यादव से तातारीख ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।	139023.00		
प्रस्तर-22	योजना का नाम— नरेगा कार्य का नाम— ग्राम सभा मंडूकी से टेनशह	7563.50		

	आलमाबाद सम्पर्क मार्ग उपरोक्त पुलिया निर्माण के यम0बी0 बुक में स्टीमेट के विपरीत अधिक मिट्टी का एम0बी0 की गयी हैं प्रति पुलिया में पद बनजजपदह वत मउइंदइसउमदजे वतकपदंतल वेपस पदबसनकपदह तंतउउपदह कतमेपदह मेजपउंजम में 7.88 घन मी0 मिट्टी पर 56.50 मू0 444.94 के बजाय माप पुस्तिका में 141.75 घन मी0 गुणा 56.50 कुल— 8008.00 दर्शित है अर्थात् 133.87 घन मी0 मिट्टी कार्य अधिक दिखाकर रू0 7563.5 मापाकन अधिकारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। स्टीमेट के अनुसार प्रति पुलिया रू0 35400.00की लगनी थी 8 पुलिया हेतु रू0 274393.00 की सामग्री कय की गयी। किन्तु फाइल में लगे यम0 आर0 तथा यम0बी0 बुक के अनुसार 5 पुलिया का निर्माण हुआ। इस प्रकार कुल 35400 की दर से 5 पुलिया का रू0 177000.00 की सामग्री उपयोग की गयी। किन्तु शेष सामग्री मू0 97363.00 कहाँ प्रयोग की गयी। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि न हो सकी। उक्त सामग्री की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। यम0बी0 बुक में बवदेनउचजपवद वं उंजमतपंस दर्शित न होने के कारण भी पुष्टि करायी जाय अन्यथा की दशा में रू0 97393.00 कार्य प्रभारी श्री कमलेश कुमार तथा अवर अभियन्ता श्री मुरारी लाल वर्मा से तातारीख ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।			
प्रस्तर-23	योजना का नाम— मनरेगा कार्य का नाम — पुलिस लाइन में खेल का मैदान कम्प्यूटर कक्ष के सामने एवं राशन की दुकान के सामने मिट्टी भराई। उक्त कार्य हेतु स्टीमेट में बाहर से			162900.00

मिट्टी मांगने हेतु 900.00 प्रति ट्रैक्टर की दर से मिट्टी मांगने की संस्तुति है। स्टोर परचेज नियम के अनुसार रू० 1 लाख से अधिक की सामग्री परचेज ठेके के माध्यम से की जानी चाहिए। किन्तु स्टोर परचेज नियम के विरुद्ध विभिन्न ट्रैक्टर मालिकों को लगभग 20 दिनों की मिट्टी गिराने का भुगतान नकद किया गया। जबकि सामग्री का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ—

क्रम	मालिक का नाम	धनराशि
01	श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ल	18000.00
02	श्री गुलाब चन्द्र	15300.00
03	श्री रमाकान्त	18000.00
04	श्री अखिलेश कुमार मिश्र	18000.00
05	श्री संतोष कुमार	18000.00
06	श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ल	10800.00
07	भानु प्रताप मिश्र	16200.00
08	श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ल	16200.00
09	श्री गुलाब चन्द्र	16200.00
10	श्री विनोद कुमार	16200.00
	योग—	162900.00

उपरोक्त भुगतान हेतु चेक नं० 516412 दिनांक—17.01.12 से रू० 87300.00 तथा चेक संख्या— 00065 दिनांक—31.03.12 धनराशि रू० 75600.00 श्री कमलेश कुमार के नाम से निर्गत हुयी जिसका भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को नकद किया गया। इस प्रकार शासकीय नियमों के विरुद्ध नकद भुगतान करना आपत्तिजनक है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर—24	योजना का नाम— राज्य वित्त आयोग कार्य का नाम— शाहपुर टिकरी खन्देवरा	324310.00		

	पक्की सड़क से निमतापुर तक मार्ग पर खडण्जा कार्य लम्बाई 820 मी० <table><tr><td>क्रम</td><td>म०रो० न०</td><td>मानव दिवस</td><td>धनराशि</td></tr><tr><td>01</td><td>2056</td><td>170</td><td>9860</td></tr><tr><td>02</td><td>2057</td><td>227</td><td>14258</td></tr><tr><td>03</td><td>2058</td><td>270</td><td>16920</td></tr><tr><td>04</td><td>2059</td><td>384</td><td>22272</td></tr><tr><td></td><td></td><td>योग—</td><td>63310.00</td></tr></table> दिनांक 31.05.2006 को रू० 261000.00की ईट कय साकेत ब्रिक फील्ड महमूदपुर उखैया करारी कौशाम्बी से चेक नं० 268829/21.06.06 से किया गया परन्तु वाउचर में पूर्ण सं० अंकित नहीं थी। उक्त फाइल के अवलोकन में पाया गया कि उक्त वर्णित म० रो० फाइल में नहीं पाये गये जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य न कराकर कल्पित व्यय दर्शाया गया है। म०रा० न होने से ईंटो के उपयोग की पुष्टि न हो सकी। इस प्रकार कुल रू०324310.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली लेखाकार श्री काजी आफताब एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री करुणाकर पाण्डेय से किया जाना तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।	क्रम	म०रो० न०	मानव दिवस	धनराशि	01	2056	170	9860	02	2057	227	14258	03	2058	270	16920	04	2059	384	22272			योग—	63310.00			
क्रम	म०रो० न०	मानव दिवस	धनराशि																									
01	2056	170	9860																									
02	2057	227	14258																									
03	2058	270	16920																									
04	2059	384	22272																									
		योग—	63310.00																									
प्रस्तर—25	दिनांक 26.05.99 को इस लाख कूप योजनान्तर्गत रू० 50000.00 श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ग्राम इब्राहिमपुर को तालाब खुदाई हेतु चेक सं० 0434427/26.05.99 में दिया गया। परन्तु इससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अभिलेखों के अभाव में व्यय कल्पित प्रतीत होता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि कराना अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित	50000.00																										

	है।			
प्रस्तर-26	दिनांक 29.09.2000 को मातृत्व योजनान्तर्गत रु0 52500.00 100 लाभार्थियों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वितरित किया गया है परन्तु लाभार्थियों की सूची एवं उनसे धन प्राप्त की रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः सूची एवं धन प्राप्त रसीद के अभाव में व्यय कल्पित प्रतीत होता है जिसकी वसूली संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्यराम यादव से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।	52500.00		
प्रस्तर-27	दिनांक- 17.10.2000 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रु0 200000.00 मातृत्व लाभ योजना कैम्प के लिये आहरित कर व्यय किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अभिलेखों के अभाव में व्यय कल्पित प्रतीत होता है। अतः रु0 200000.00 की वसूली श्री सत्यराम यादव खण्ड विकास अधिकारी से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।	200000.00		
प्रस्तर-28	दिनांक- 28.03.2000 को अर्जित ब्याज खाते से रु0 31000.00 आहरित कर दिनांक- 29.03.2000 में मातृत्व लाभ योजना के कैम्प में वितरित किया गया। परन्तु लाभार्थियों की सूची एवं उनसे धन प्राप्त रसीद लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। अतः सूची एवं धन प्राप्त रसीद के अभाव में व्यय कल्पित प्रतीत होता है। अतः संबन्धित लेखाकार एवं श्री सत्यराम यादव खण्ड विकास अधिकारी से 31000.00 तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।	31000.00		

जनपद का नाम— मेरठ

मण्डल का नाम— मेरठ ।

क्षेत्र पंचायत— माछरा ।

प्रस्तर सं०	आपत्तियों का सारांश
1	वर्ष 2009-10, 2010-11 व 2011-12 में कुल धनराशि रु० 8077508.00 का समय से उपयोग नहीं किया गया, जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री लालमन सिंह, श्री राम किशोर राना, श्री जयपाल सिंह, श्री मुरारी लाल उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०-1 का अंश)
2	बिना आदेश प्रपत्र के मनमाने ढंग से मद परिवर्तन कर कुल धनराशि रु० 98490/- का व्यय किया गया, जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। अतः लेखाकार श्री राकेश, खण्ड विकास अधिकारी श्री राम किशोर राना, श्री जायपाल सिंह, श्री मुरारीलाल उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०-8)
3	लघु सिंचाई मानदेय व त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन पर बिना प्रमाणक धनराशि रु० 37278/- का व्यय किया गया, जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। अतः लेखाकार श्री राकेश कुमार और खण्ड विकास अधिकारी श्री राम किशोर राना उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०-14)
4	श्री सुनील प्रसाद को चैक सं.-591 से बिना किसी प्रमाणक के रु० 53450.00 का भुगतान किया गया। जो अपहरण रहा। अतः जे०ई० श्री बी०पी० शर्मा और खण्ड विकास अधिकारी श्री राम किशोर राना उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०-15)
5	श्रीमती शारदा देवी पूर्व ब्लाक प्रमुख को बिना प्रमाणक के दि. 01.04.2010 से 04.03. 2011 के बीच विभिन्न तिथियों में अंकन रु० 36000.00 का भुगतान किया गया, जबकि माह-अक्टूबर, 2010 में क्षे.पं. चुनाव में श्री ब्रजवीर सिंह, ब्लाक प्रमुख निर्वाचित किये गये। इस प्रकार का किया गया भुगतान अपहरण रहा। अतः लेखाकार श्री राकेश कुमार और खण्ड विकास अधिकारी श्री राम किशोर राना उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०-16)
6	वर्ष 2009-10 में राज्य वित्त से रु० 525216.00 व 12 वॉ वित्त से रु० 1993726.00 कुल रु० 2518942.00 का व्यय किया गया, जबकि व्यय प्रमाणक केवल माछरा में पुरानी सी.सी.रोड से श्री सुरेन्द्र त्यागी के मकान तक सी.सी.रोड व रु टाईप नाली निर्माण के कुल रु० 686176.00 के ही व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। शेष धनराशि रु० 1832766.00 के कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः धनराशि रु० 1832766.00 का अपहरण किया गया। अतः लेखाकार श्री राकेश कुमार राना, खण्ड विकास अधिकारी श्री राम किशोर राना, लालमन सिंह, जे०ई० श्री बी०पी० शर्मा उत्तरदायी है। (मूल आ० सं०-22 का अंश)
7	वर्ष 2010-11 व 2011-12 में राज्य वित्त व 12 वॉ वित्त से क्रमशः 2443305.00 व रु० 1740477.00 का व्यय किया गया, जबकि वर्ष 2010-11 में अंकन रु० 218086.00 के

	व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। शेष धनराशि रु0 2225219.00 व रु0 17440447.00 के कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया गया। अतः लेखाकार श्री राकेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री राम किशोर राना, श्री जयपाल सिंह श्री मुरारी लाल, जे0ई0 बी0पी0 शमा उत्तरदायी है। (मूल आ0 सं0- 22 का अंश)
8	बिना कारण इस्टीमेट बढ़ाने से अंकन रु0 74383.00 की हानि हुई, जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। अतः जे0ई0 श्री बी0पी0 शर्मा उत्तरदायी है। (मूल आ0 सं0-24)

जनपद— वाराणसीमण्डल— वाराणसीक्षेत्र पंचायत काशी विद्यापीठ वर्ष 12-13

क्षेत्र पंचायत	जिला पंचायत वाराणसी	धनराशि
प्रस्तर संख्या— 7	सांसद निधि मद से वर्ष 12-13 में कराये गये निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियों में मात्र बिल/बाउचर्स संलग्न कर औपचारिकता की पूर्ति तथा मस्टर रोल पर जे0ई0 का सत्यापन अंकित न कराकर गम्भीर अनियमितता	11.80 लाख
8	राज्य वित्त/तृतीय वित्त से सम्बन्धित धनराशि का बिना कोटेशन/निविदा के आमंत्रित किए सामग्री कय की गयी जो अनियमित है। उपरोक्त प्रकरणों में सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।	8.91 लाख
प्रस्तर संख्या—9	वर्ष 12-13 में मनरेगा योजना के अधीन कोई धनराशि निर्माण/मरम्मत मद में व्यय दर्शित न होते हुए भी प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित कर गम्भीर अनियमितता।/ उपरोक्त प्रकरणों में सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।	8.66 लाख
प्रस्तर संख्या—10	वर्षान्त 31.03.13 अनुदान की धनराशि रोक रखकर विकास कार्यों को बाधित करना/समय से सम्बन्धित पक्ष को वापस न करना/ उपरोक्त प्रकरणों में सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।	4.74 लाख

जनपद का नाम— जौनपुर**मण्डल का नाम— वाराणसी****क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ—**

प्रस्तर—1	करंजाकला ईटक्रय में क्रम नियमों का पालन न करके अनियमित ढंग से भुगतान किया गया—2,57,375.00
	बक्शा कार्य की फोटो ग्राफी न कराकर लौहबोर्ड न लगवाकर व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित भुगतान किया गया—1,74,660.00
प्रस्तर—2	करंजाकला सामग्री में क्रय नियमों का पालन नहीं करके अनियमित ढंग से भुगतान किया गया—1,98,350.00
	बक्शा कार्य की फोटोग्राफी न कराकर लौहबोर्ड न लगवाकर क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित ढंग से भुगतान किया गया 54,000.00
प्रस्तर—3	करंजाकला ईट क्रम में क्रय नियमों का पालन नहीं करके अनियमित ढंग से भुगतान किया गया 2,52,000.00
	बक्शा कार्य की माप संदिग्ध होना फोटोग्राफी न कराना, लौह बोर्ड न लगवाना, क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित ढंग से भुगतान 2,27,040.00
प्रस्तर—4	करंजाकला ईट क्रय में क्रय नियमों का पालन न करके अनियमित ढंग से भुगतान किया गया 64,800.00
	बक्शा फोटोग्राफी न कराकर लौह बोर्ड स्थापित न कराकर अनियमित ढंग से भुगतान किया गया। 66,000.00
प्रस्तर—5	करंजाकला ईट क्रय में क्रय नियमों का पालन न करके अनियमित ढंग से भुगतान किया गया। 1,75,200.00
	बक्शा कार्य का माप संदिग्ध होना, फोटोग्राफी न कराना, लौह स्तम्भ न लगाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित ढंग से भुगतान 2,10,972.00
प्रस्तर—6	करंजाकला ईट क्रय में क्रय नियमों का पालन न करके अनियमित ढंग से भुगतान किया गया। 1,20,000.00
	बक्शा कार्य की फोटोग्राफी न कराकर लौहबोर्ड न लगवाकर व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित ढंग से भुगतान किया गया 78,320.00
प्रस्तर—7	बदलापुर अनुदान पंजिका भाग—3 के अनुसार भाग—2 में व्यय रूपया कम अंकित करके अपहरण । 70,328.

	00
	करंजाकला ईट क्रम में क्रय नियमों का पालन न करके अनियमित ढंग से भुगतान किया गया। 2,42,000.00
	बक्शा फोटोग्राफी न कराकर लौह बोर्ड स्थापित न कराकर अनियमित ढंग से भुगतान किया गया। 1,09,900.00
प्रस्तर-8	बदलापुर अनुदान पंजिका भाग-3 के अनुसार भाग-2 में व्यय रूपया कम अंकित करके अपहरण। 1384441.00
	करंजाकला ईट क्रम में क्रय नियमों का पालन न करके अनियमित भुगतान 102000.00
	बक्शा कार्य का माप संदिग्ध होना, फोटोग्राफी न कराना, लौह बोर्ड स्थापित न कर अनियमित रूप से भुगतान 1,80,300.00
प्रस्तर-9	बदलापुर राज्य वित्त में वर्ष 12-13 में अनुदान रजिस्टर भाग-3 में भाग-2 की अपेक्षा व्यय कम अंकित करके अनियमितता बरती गयी 3,04,578.00
	करंजाकला ईट क्रम में क्रय नियमों का पालन न करके अनियमित भुगतान किया गया। 1,78,380.00
	बक्शा कार्य का माप संदिग्ध होना, लौह बोर्ड स्थापित न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया। 66,300.00
प्रस्तर-10	करंजाकला सामग्री क्रय में क्रय नियमों का पालन न करके अनियमित ढंग से भुगतान 1,19,603.00
	बक्शा कार्य की फोटोग्राफी न कराकर, लौह बोर्ड न लगवाकर, क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित ढंग से भुगतान 4,54,630.00
प्रस्तर-11	बदलापुर व्यय प्रमाणक जॉचमें प्रस्तुत न कर मनरेगा मद (क्षेत्र पंचायत अंश) में धन का अपहरण 2,52,91,335.00
	करंजाकला ईट क्रय में क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित ढंग से भुगतान 81,650.00

	बक्शा कार्य का माप संदिग्ध होना, लौह बोर्ड स्थापित न कर अनियमित भुगतान 3,53,465.00
प्रस्तर-12	बदलापुर राज्य वित्त का वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक का प्राकलन माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक आदि जाँच हेतु प्रस्तुत न कर अपहरण 81,53,212.00
	करंजाकला ईट क्रय में क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित ढंग से भुगतान 1,42,000.00
	बक्शा कार्य की फोटोग्राफी न कराकर, लौह बोर्ड न लगवाकर, क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित भुगतान 1,87,446.00
प्रस्तर-13	करंजाकला ईट क्रय में क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित ढंग से भुगतान 1,46,000.00
	बक्शा कार्य की फोटोग्राफी न कराकर, लौह बोर्ड न लगवाकर, क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित भुगतान 51,565.00
प्रस्तर-14	बदलापुर आलोच्य वर्षों का सामग्रियों का स्टॉक बुक न बनाकर आडिट में जाँच न कराकर स्टॉक अपहरण की संभावना 14,08,540.00
	करंजाकला ह्यूम पाइप क्रय में क्रय नियमों का पालन नहीं करके अनियमित ढंग से भुगतान किया गया है 1,20,785.00
	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया 39,15,10.00
प्रस्तर-15	बदलापुर वर्ष 2007-08 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण हेतु रु0 40,000.00 व्यय प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत न कर अपहरण 40,000.00
	करंजाकला ईट क्रय में क्रय नियमों का पालन न करके अनियमित ढंग से भुगतान किया गया है। 10,44,00.00
	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न करना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। 19,94,87.00
प्रस्तर-16	बदलापुर वर्ष 2007.08 में जमानत वापसी हेतु रु0 24,500.00 का व्यय प्रमाणक की जाँच न कराकर धन का अपहरण 24,500.00

	करंजाकला बिल से व्यापार कर एवं आयकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचायी गयी 3,578.00
	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया। 254005.00
प्रस्तर-17	करंजाकला बिल से व्यापार कर व आयकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचाई गयी। 5450.00
	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया। 3,56,040.00
प्रस्तर-18	बदलापुर वर्षों 2010-11 एवं 2011-12 में क्रिटिकल गैप्स योजना का व्यय रु0 733840.00 का माप पुस्तिका की जाँच न कराकर अपहरण 733840.00
	करंजाकला बिल से रायल्टी व्यापार कर व आयकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। 111490.00
	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया 3,61,390.00
प्रस्तर-19	बदलापुर वर्षों 201-12 में आशा कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु रु0 52,700.00 व्यय प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत न कर अपहरण 52,700.00
	करंजाकला रायल्टी, आयकर, वैट व शेष की कटौती की धनराशि की संम्बन्धित संस्था में न जमा कर अनियमितता की गयी 69170.00
	बक्शा कार्य स्थल पर लौहबोर्ड स्थापित न कर व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित भुगतान किया गया है। 242244.00
प्रस्तर 20	बदलापुर वर्ष 2008.09 में पंचायत निर्वाचन सूची पुनरीक्षण हेतु रु0 9900.00 का व्यय प्रमाणक जाँच हेतु प्रस्तुत न करके अपहरण 9900.00
	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। 330900.00

प्रस्तर-21	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न करना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया। 269844.00
प्रस्तर-22	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न करना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया। 559330.00
प्रस्तर-23	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न करना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया। 163115.00
प्रस्तर-24	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न करना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया। 981400.00
प्रस्तर-25	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। 567925.00
प्रस्तर-26	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। 263055.00
प्रस्तर-27	करंजाकला वर्षान्त अप्रयुक्त अनुदान को शासन को वापस न कर गंभीर अनिमितता की गयी है। 7898097.37
	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। 269870.00
प्रस्तर-28	बदलापुर वर्षो 2012-13 का बैंक पास बुक जाँच हेतु प्रस्तुत न किये जाने से वर्ष का आप व्यय एवं वर्षान्त धनराशि की पुष्टि न होना 9112474.00
	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। 480025.00
प्रस्तर 29	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना, लौहबोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया 526795.00
प्रस्तर 30	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना, लौह बोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया। 304485.00

प्रस्तर-31	बक्शा कार्य का फोटोग्राफी न कराना, लौहबोर्ड न लगवाना व क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया। 729338.00
प्रस्तर-32	बक्शा क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। 419075.00
प्रस्तर-33	बक्शा क्रय नियमों का पालन न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। 572680.00
प्रस्तर-34	बक्शा वर्षान्त अप्रयुक्त अनुदान को शासन को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। 11331098.16

उक्त समस्त प्रस्तरों में सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही की जायें।

जनपद का नाम—गाजीपुर

सम्भाग— वाराणसी

नाम क्षेत्र पंचायत— मुहम्मदाबाद

वर्ष 09—10 से 10—11

प्रस्तर-1—

राज्य वित्त के अन्तर्गत बालापुर सोसायटी के ग्राउन्ड की बाउन्ड्री निर्माण— प्राक्कलन 6.22 लाख 1 वर्ष 09—10 में 26600 रु० मजदूरी पर व्यय, मस्टररोल पर एक ही अंगुठे के निशान, मापन पुस्तिका, ब्लाक द्वारा निर्गत नहीं। वर्ष के दौरान रु० 89700 का भुगतान सामग्री पर किया गया किन्तु सामग्री क्रय का योग करने पर 92202 होता है। इसके पूर्व इसी कार्य पर चेक सं० 127143/20-03-09 द्वारा 502169 का भुगतान किया गया। कुल भुगतान 618469 रु०।

उपर्युक्त बालापुर सोसायटी के लेखा परीक्षा के दौरान बालापुर सोसायटी के ग्राउन्ड की बाउन्ड्री का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। सोसायटी के सचिव की राम नारायण पाण्डे एवं उपस्थित कास्तकारों द्वारा बताया गया कि समिति की बाउन्ड्री का निर्माण नहीं कराया गया। बालापुर सोसायटी की ग्राउन्ड अत्यन्त छोटी है। जिससे प्राथमिक हेल्थ सेंटर की दिवार संलग्न है। वस्तुतः बालापुर सोसायटी के ग्राउन्ड की काल्पनिक बाउन्ड्री निर्माण दर्शाकर रु० 618469/— का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ०सं०-02)

प्रस्तर-2

ग्रा०पं० सलेमपुर में मंहगी के घर से बीज गोदाम होते हुए नगीनाराम के घर तक डीपड्रेन का निर्माण प्राक्कलन 3.06 ला भुगतान चेक सं०- 127146/— 01-05-09, 90193/—

चेक सं०- 127144/— 20-04-09

304651/—

कुल भुगतान—

394844/—

इस प्रकार प्राक्कलन धनराशि 3.06 लाख के विरुद्ध 3,94844 रुपये का व्यय कर 88844 रु० नियम विरुद्ध अनियमित व्यर्थ किया गया। ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त कार्यों में मस्टररोलों पर श्रमिकों के अंगुठे के निशान एक ही तरह के हैं जो देखते ही प्रतीत होते हैं। कार्य की गुणवत्ता की पॉच किए बिना मात्र मापन कर्ता के काल्पनिक / आधारहीन मापन पर पूर्व भुगतान कर दिया गया। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ०सं०-03)

प्रस्तर-3

चेक सं०-187596/5-2-10 को राज्यवित्त के अन्तर्गत प्रचार प्रसार हेतु सीटी टाइम्स रामेश्वर नगर रु० 8500/- का भुगतान किया गया है। विज्ञापन से सम्बन्धित कटिंग एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ०सं०-04)

प्रस्तर-4

चेक सं० 233491/16-12-09 चेक सं० 302665/- 30-12-09 खण्ड विकास अधिकारी को निर्गत धनराशि क्रमशः 5086 एवं 13416 कुल 18502 रुपये प्रमाणक अप्राप्त रहा। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ०सं०-06)

प्रस्तर-5

आर्थिक गतिविधि केन्द्र का निर्माण स्वर्णजयन्ती, स्वरोजगार योजनान्तर्गत आर्थिक गतिविधि केन्द्र के निर्माण हेतु ग्राम परानपुर में 60ग30 फीट का वर्ष रोड की स्थापना हेतु दिनांक- 30-06-2008 को कोटेशन आमंत्रित भुगतान अमन ट्रेडिंग कम्पनी, चेक सं०-233490/27-10-09 रु० 297822 भुगतान धनराशि को देखते हुए निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए न की कोटेशन दिनांक- 30-06-08 को कोटेशन आमंत्रित किया गया जबकि प्रथम किश्त का भुगतान लगभग 18 माह बाद दिनांक-27-10-09 को किया गया जबकि धनराशि दिनांक-25-08-08 को विकास खण्ड को प्राप्त हुई। मापन पुस्तिका में मापन का पूर्व विवरण अंकित नहीं। प्रमाणक अप्राप्त। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ०सं०-07)

प्रस्तर-6

चेकों से आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। कुल धनराशि रु० 257588.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ०सं०-08)

प्रस्तर-7

वर्ष पर्यन्त एक ही विक्रेता से बिना निविदा आमांत्रित किए सीमेन्ट, बालू मिट्टी सरिया एवं पालिथिन क्रय कर रु० 2426076 का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ०सं०-10)

प्रस्तर-8

बिना विवरण के ग्रांट पंजी द्वितीय से चेक आहरित कर एवं पत्रावली प्रस्तुत न कर रु0 2238052 का दुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।
(आ0सं0-11)

प्रस्तर-9

मिट्टी ढुलाई पर रायल्टी न काटकर रु0 2838.00 का सरकारी राजस्व की क्षति। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-12)

प्रस्तर-10

निविदा न आमंत्रित कर रु0 23,22,347 का दुपयोग। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-13)

प्रस्तर-11

आयकर की कटौती न कर रु0 52485 का सरकारी राजस्व की क्षति। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-14)

प्रस्तर-12

डेड स्टॉक का क्रय विवरण चेक सं0-483386 दिनांक- 24-03-11 जिसमें रु0 15000 का विवरण अप्राप्त कुल 49550 रुपये का क्रय प्रमाणक एवं स्टॉक पंजी अप्रस्तुत रहा। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-15)

प्रस्तर-13

किराये के वाहन पर बिना प्रमाणक के, परिपत्र के 15000/- व्यय दर्शाकर अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-16)

प्रस्तर-14

नियम विरुद्ध व्याज मद से विकास कार्यों पर व्यय दर्शाकर रु0 286820/- का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-17)

प्रस्तर-15

प्राक्कलन एम0बी0, फोटोग्राफी आदि प्रस्तुत न कर एवं मस्टररोल पर एक ही अंगुठे के निशान अंकित कर रू0 1822600 का अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-19)

प्रस्तर-16

फोटोग्राफी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत न कर मस्टररोल पर एक ही अंगुठे के निशान अंकित कर रू0 11,20,000/- अपहरण रही। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-20)

प्रस्तुर-17

वर्षान्त में अवशेष धनराशि नियम विरुद्ध अपने पास रोककर अनुदानदाता को वापस न कर रू0 1437030.05 की अनियमितता की गई। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

(आ0सं0-21)

क्षेत्र पंचायत मरदह वर्ष 2012-13

प्रस्तर-1

प्री-इक (क्तम.मगपे) मिट्टी कार्य को मापन पुस्तिका में अनदेखाकर 64403.00 रुपये अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-2

प्रस्तर-2

(क्तम.मगपे) मिट्टी कार्य को मापन पुस्तिका में अनदेखा कर 62150.00 रुपये का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-3

प्रस्तर-3

काल्पनिक मिट्टी कार्य दर्शाकर 8313.00 रुपये का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-4

प्रस्तर-4

काल्पनिक मिट्टी कार्य दर्शाकर रू0 91612.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-5

प्रस्तर-5

(क्तम.मगपे) मिट्टी को अनदेखा रू0 11369.00 भुगतान। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-6

प्रस्तर-6

काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 99934.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-7

प्रस्तर-7

प्रमाणक प्रस्तुतन कर रू0 10080.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-8

प्रस्तर-8

रायल्टी न काटकर एवं काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 29242.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-9

प्रस्तर-9

रायल्टी न काटकर एवं काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू0 20185.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-10

प्रस्तर-10

निविदा एवं अन्य औपचारिकता पूरा न कर रू0 658000.00 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-11

प्रस्तर-11

निविदा की भाग न कर रू0 2716108.00 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-12

प्रस्तर-12

वर्षान्त में अवशेष धनराशि अनुदानदाता को वापस न कर रू0 8876881.00 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-13

क्षेत्र पंचायत बाराचवर वर्ष 2003-04 से 2004 से 2005

प्रस्तर-1

व्यय प्रमाणक मस्टररोल न प्रस्तुत कर रू0 1313824.00 रुपये का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-7

प्रस्तर-2

कार्य प्रभारी बदलकर रू0 31513.00 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-8

प्रस्तर-3

व्यय पत्रावली प्रस्तुत न कर रु0 90073.00 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-11

प्रस्तर-4

व्यय पत्रावली प्रस्तुत न कर 109626.00 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-12

क्षेत्र पंचायत भदौरा वर्ष 2003-04प्रस्तर-1

वर्षान्त अवशेष धनराशि को नियमानुसार शासन को नहीं भेजा जाना रु0 3138989.65 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-2

प्रस्तर-2

व्याज से प्राप्त धनराशि का अनियमित रूप से रु0 37567.00 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-3

प्रस्तर-3

दुग्ध संग्रह केन्द्र सम्बन्धी बाउचर रु0 91498.00 प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-4

प्रस्तर-4

आडिट वर्ष में व्यय की गई धनराशि रु0 6520361.00 की पत्रावली उपलब्ध न होना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-9

प्रस्तर-5

विभिन्न योजनाओं में व्यय की गई रु0 139404.00 रुपये धनराशि का प्रमाणक उपलब्ध न होना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-11

क्षेत्र पंचायत देवकली वर्ष 2004-05 से 2005-06प्रस्तर-1

व्यय पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत कर रु0 5843983.00 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-7 व 10

प्रस्तर-2

अनुदान अवशेष को वापस न कर रु0 9521707.20 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-22

प्रस्तर-3

अनुदान व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना रु0 5399990.90 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-4

प्रस्तर-4

आयकर जमा की पुष्टि में रसीद/दखील रिटर्न प्रस्तुत न कर रु0 105842.00 जमा की पुष्टि न कराया जाना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-3

प्रस्तर-5

खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना रु0 242900.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-2

प्रस्तर-6

ईट क्रय के कोटेशन में प्रमाणक स्टाक पंजी प्रस्तुत न किया जाना रु0 110000.00 का अहपरण किया जाना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-6

क्षेत्र पंचायत मनिहारी वर्ष 2003-04प्रस्तर-1

बिना मस्टररोल पंजी एवं खाद्यान्न रजिस्टर के भुगतान दर्शित कर निम्नलिखित के अनुसार अपहरण रु0 468592/-

क्र0सं0	धनराशि	आपत्ति सं0
1	117416.00	5
2	31990.00	6
3	92989.00	7
4	65229.00	8
5	86078.00	9
6	74890.00	10
योग-		468592.00

उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

बिना प्रमाणक भुगतान दर्शित कर रु0 8097.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-11

प्रस्तर-3

वर्षान्त में अवशेष अनुदान शासन को वापस न कर रु0 1598130.80 की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-3

प्रस्तर-4

आयकर कटौती की राशि निर्धारित शीर्ष में जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर रु0 103212.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-17

प्रस्तर-5

विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलिआं व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करके रु0 5807026/- की अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-18

क्षेत्र पंचायत जखनियों वर्ष 2010-11

प्रस्तर-1

क्षेत्र पंचायत की रंगाई पुताई पर सामाग्री के क्रय में कोटेशन का प्रयोग न कर मात्र एक कोटेशन से रु0 70070.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-7

प्रस्तर-2

पिच मार्ग से सीता राम के घर तक मिट्टी व खड़न्जा कार्य पर ग्रांट रजिस्टर पर दर्शित व्यय एवं एम0बी0 बुक के मध्य रु0 258714.00 का अन्तर। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-8

प्रस्तर-3

एक ही व्यक्ति को मापन कर्ता बनारकर बिना मापन किये अग्रिम भुगतान कर 189025.00 की गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-9

प्रस्तर-4

एक ही कोटेशन के आधार पर सी0सी0 रोड तक खड़न्जा नाली पर ईट क्रय कर रू0 299914.00 की गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-10

प्रस्तर-5

विकास खण्ड में समीक्षा केन्द्र में मिट्टी भराई पर रू0 95100.00 का भुगतान किन्तु कार्य प्रारम्भ से पूर्व किसी को कार्य प्रभारी नहीं बनाया गया है भुगतान स्तर पर सहायक पटल द्वारा दयाशंकर राम कार्य प्रभारी का नाम लिखकर भुगतान किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-11

प्रस्तर-6

विकास खण्ड कार्यालय में विद्युत एवं चैनल गेट निर्माण में बिनाकार्य किये बिना एम0बी0 के रू0 40,000.00 का भुगतान। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-13

प्रस्तर-7

आयकर कटौती की धनराशि रू0 23965.00 निर्धारित शीर्ष में जमा न कर अनियमितता की गई। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-14

प्रस्तर-8

वर्षान्त में अवशेष धनराशि रू0 452883.00 की धनराशि अनुदान खाता को वापस न कर गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-05

क्षेत्र पंचायत कासिमाबाद वर्ष 2002-03 से 2003-04 तकप्रस्तर-1

विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित अर्जित व्याज को सम्बन्धित योजनाओं में खर्च न कर विभिन्न अधिकारियों को भुगतान कर व्याज की धनराशि रू0 381630.00 का व्यापक दुरुपयोग। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-1

प्रस्तर-2

कार्य पर मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में मस्टररोल प्रमाणको का न होना तथा ईट क्रय से सम्बन्धित सत्यापित स्टाक पंजी परिसम्पत्ति पंजी एम0बी0 इत्यादि प्रस्तुत न कर रू0 993730.00 की गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-2

प्रस्तर-3

कार्य कराने हेतु कार्यालय आदेश एवं स्टीमेट के न होना, बिना तकनीकी अधिकारी की जांच आख्या एवं लेखा लिपिक की टिप्पणी के ही भुगतान व्यय से सम्बन्धित प्रमाणकों का न होना, शौचालय से सम्बन्धित पत्रावली का उपलब्ध न कर 448390.00 रु० की गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ०सं०-3

प्रस्तर-4

आयकर जमा धनराशि की पुष्टि में जमा का चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर 25,473.00 रु० का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ०सं०-4

प्रस्तर-5

व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक परिसम्पत्ति पंजी, अवशेष हस्तगत परियोजनाओं की सूची का लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कर 154,50,134.00 की गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ०सं०-5

प्रस्तर-6

वर्षान्त में अवशेष धनराशि 470,69,33.00 अनुदान दाता को वापस न कर गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ०सं०-6

क्षेत्र पंचायत बिरनों वर्ष 2004-05प्रस्तर-1

बिना विवरण ग्रांट रजिस्टर द्वितीय से स०ग्रा०यो० की धनराशि 1906163.00 का व्यय दर्शित कर एवं पत्रावली प्रस्तुत न कर अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ०सं०-1

प्रस्तर-2

विगत वर्षों की बिना विवरण के दर्शित धनराशि रु० 915399.18 की वसूली न कर दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ०सं०-2

क्षेत्र पंचायत रेवतीपुर वर्ष 2004-05प्रस्तर-1

लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्राप्त रहना धनराशि रुपये 27,11289 की गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ०सं०-2

प्रस्तर-2

आयकर की धनराशि 34620/- जमा न कर गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-5

प्रस्तर-3

अनुदान की धनराशि रू0 914589/- का उपयोग न कर गम्भीर अनियमितता की गई। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-8

प्रस्तर-4

बिना निविदा के निम्न विवरणानुसार ईट क्रय कर नियम की अवहेलना कर धनराशि का गम्भीर अनियमितता किया गया।

क्र0सं0	धनराशि	आप0सं0
1	226999	16 (ख)
2	97110	16(घ)
3	48792	18
	372901	

उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

निम्न विवरणानुसार व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धनराशि रू0 864049 का अपहरण किया गया।

क्र0सं0	धनराशि	आप0सं0
1	53940	20
2	154825	21
3	79170	23(4)
4	192201	23 (4)
5	107630	23(5)
6	59150	23(6)
7	37206	23(7)
8	38506	23(5)
9	97231	23(5)
10	44190	23(8)

योग- 864049

उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत सैदपुर वर्ष 2011-12

प्रस्तर-1

निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करके धनराशि रु0 4,42,16728 की गम्भीर अनियमितता की गई।

क्र0सं0	विवरण	धनराशि	आ0सं0
1	मनरेगा मद से व्यय सम्बन्धित अभिलेख	36,748766	9
2	राज्य वित्त योजना मद से व्यय	42,85,990	10
		521205	
3	मानदेय भुगतान सम्बन्धी अभिलेख	180000	12
4	विभिन्न मदों से व्यय सम्बन्धी अभिलेख	2480,767	14
		44216728.00	

उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

सामग्री क्रय पर व्यापार कर आय कर की कटौती न कर राजस्व की क्षति रु0

171440.00

+96006.00

267446.00

उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-11

प्रस्तर-3

व्याज मद से अनियमित भुगतान रु0 17869 की गम्भीर अनियमितता।

उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-13

क्षेत्र पंचायत सदर वर्ष 2001-02 से 2004-05

प्रस्तर-1

लेखा परीक्षा अवधि 2001-02 से 04-05 के मध्य आपत्ति पत्र में अंकित विवरण के अनुसार कुल 23505100.23 विभिन्न परियोजनाओं में व्यय दर्शित किन्तु लेखा परीक्षा में योजना से सम्बन्धित पत्रावलियों प्रस्तुत नहीं रही। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-2

प्रस्तर-2

वर्ष 2004-05 में अवशेष धनराशि 1168189.02 को अनुदानदाता को वापस न कर गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-3

प्रस्तर-3

वर्ष 2001-02 से 04-05 की लेखा परीक्षामें व्याज से प्राप्त 5,50,767 विभिन्न विकास योजनाओं में अनियमित व्यय की गई या अनियमित रूप से बैंक खातों में जमा कर आगामी वर्षों में अनियमितता उपभोग किया जा रहा है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-4

क्षेत्र पंचायत करण्डा वर्ष 2004-05 से 2005-06प्रस्तर-1

वर्ष 2004-05 में व्याज की धनराशि 48430.00 का अनियमितता व्यय। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-8

प्रस्तर-2

निम्नलिखित के अनुसार 2004-05 में लेखा परीक्षा में विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित मूल प्रमाणक/ अभिलेख अनुपलब्ध रहा।

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1	राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों पर व्यय	577542.00 316000.00 573155.00
2	वर्ष 2004-05 में स्वर्ण रोजगार जयन्ती के अन्तर्गत कृत कार्यों पर व्यय	26000.00
3	वर्ष 2004-05 में मानदेय मद के अन्तर्गत व्यय	11000.00
	योग	1503697.00

उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-8

प्रस्तर-3

वर्ष 2005-06 में लेखा परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि में अभिलेख अनुपलब्ध रहा।

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1	रा0ग्रा0रो0यो0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों पर व्यय	2011803.00 12500.00 589282.00 295791.00 275000.00

उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-8

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कृत कार्य पर व्यय धनराशि	12000.00 260000.00
2	इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पत्रावली अनुपलब्ध	312400.00
	योग	3768776.00
	उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।	

जनपद का नाम – मीरजापुर

मण्डल का नाम – विन्ध्याचल

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:- क्षेत्र पंचायत कोन

प्रस्तर संख्या-1	श्रमसेवकों का मानदेय बिना प्रमाणक के भुगतान करना। उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी	22000.00
प्रस्तर संख्या -2	प्रशानिक मद में अनियमित रूप से बिना प्रमाणक भुगतान। उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	1008225.00
प्रस्तर संख्या -3	उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	---
प्रस्तर संख्या -4	रा० वि० आयोग में बिना प्रमाण अनियमित रूप से व्यय। उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	2236718.00
प्रस्तर संख्या-5	मनरेगा मद की धन० विना प्रमाण के भुगतान कर अनियमिता। उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	3222756.00
प्रस्तर संख्या -6	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से विना प्रमाण कर व्यय कर अनियमिता। उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	287400.00
प्रस्तर संख्या -7	वरहवा/तेरहवा वित्त आयोग में विना प्रमाण कर व्यय कर अनियमिता। उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	365243.00
प्रस्तर संख्या -8	निशुल्क बोरीगं मद में विना प्रमाण कर व्यय कर अनियमिता	35280.00
प्रस्तर संख्या -9	उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	---
प्रस्तर संख्या -10	उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	---

प्रस्तर संख्या -11	सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना मद की विना प्रमाण कर व्यय कर अनयिमिता। उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	41583.00
प्रस्तर संख्या -12	उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	---
प्रस्तर संख्या -13	टेन्डर द्वारा प्राप्त अर्नेस्ट मनी का विना प्रमाण कर व्यय कर अनयिमिता। उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	15200.00
	योग	7234405.00

उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-1	उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी	
प्रस्तर संख्या -2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,	उत्तरदायी व्यक्ति श्री शम्भू नाथ यादव ब्लाक प्रमुख व श्री नागेन्द्र नरायन मिश्र खण्ड विकास अधिकारी	

जनपद का नाम-भदोही

मण्डल का नाम-विन्ध्याचल

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं० 1:-

- 1- क्षेत्र पंचायत औराई वर्ष 2012-13 में व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, बिल बाउचर, स्टॉक रजिस्टर निर्माण कार्य पंजी के अभाव में व्यय रूपया 10056734.00 अपुष्ट रहा। (आ०सं०-20)
- 2- विभिन्न योजनाओं में अर्जित ब्याज व्यय वापसी न करके रूपया 1248921.00 रोके रखना। (आ०सं०-22)
- 3- अनुदान का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करके बिना उपयुक्त कारण के अनुदान रूपया 9242919.00 रोक कर विकास कार्य बाधित करना। (आ०सं०-23)
- 4- वर्ष 2012-13 में निर्गत चेकों जिनकी धनराशि रू० 770996 है का भुगतान वर्षान्त में नहीं हो सका से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण पत्र व बैंक पासबुक से पुष्ट न होना।
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम- श्री रवि शंकर राम- खण्ड विकास अधिकारी
श्री राजपति- ज्येष्ठ लेखाकार

(आ०सं०-24)

प्रस्तर सं० 2:-

- 1- क्षेत्र पंचायत डीघ वर्ष 2012-13 विभिन्न योजनाओं पर प्राप्त ब्याज की धनराशि रू० 1312157.60 शासन को वापस न करके अनावश्यक रूप से रोके रखना। (आ०सं०-15)
- 2- आयकर कटौती की धनराशि रू० 16047.00 जिसे निर्धारित समायान्तर्गत लेखा शीर्ष 0021 में जमा न करना। (आ०सं०-16)
- 3- वर्ष 2012-13 में निर्गत चेकों की धनराशि रू० 19334.00 का भुगतान वर्षान्त में नहीं हो सका से सम्बन्धित बैंक समाधान पत्र विवरण पत्र व बैंक पासबुक से पुष्ट न होना।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम- श्री शेष नाथ चौहान- खण्ड विकास अधिकारी

श्री रविन्द्र यादव- ज्येष्ठ लेखाकार

(आ०सं०-17)

(2)

- 4- दिनांक 31-03-2013 को अवशेष धनराशि रू० 13486650.34 का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करना। (आ०सं०-18)

प्रस्तर सं० 3:-

- 1- क्षेत्र पंचायत अभोली वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यो पर दर्शित व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियां बिल बाउचर स्टाक रजिस्टर कार्य पंजी परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में व्यय रू० 5521229.00 अपुष्ट रहा। (आ०सं०-19)
- 2- अनुदान का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करके बिना युक्तियुक्त कारण के अनुदान रू० 2420194.00 रोके रखना। (आ०सं०-20)
- 3- विभिन्न योजनाओं में अर्जित ब्याज रू० 564054.00 राजकीय कोषागार में जमा न करना। (आ०सं०-21)
- 4- वर्ष 2012-13 में निर्गत चेकों जिसकी धनराशि रू० 18343.00 से सम्बन्धित भुगतान वर्षान्त तक नहीं हो सका से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण पत्र व बैंक पासबुक से पुष्टि न करना। (आ०सं०-22)
- 5- वर्ष 2012-13 में मनरेगा प्रासंगिक एवं रिवाल्विंग मद में दर्शित व्यय की धनराशि रू० 898062.00 से सम्बन्धित अभिलेख बिल बाउचर प्रस्तुत कर पुष्टि न कराया जाना।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम- श्रीमती मीरा रानी गुप्ता- खण्ड विकास अधिकारी

श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव- ज्येष्ठ लेखाकार

(आ०सं०-23)

प्रस्तर सं० 4:-

- 1- क्षेत्र पंचायत ज्ञानपुर वर्ष 2012-13 में अर्जित ब्याज की धनराशि रू० 346292.00 राजकीय कोषागार में जमा न कर अनधिकृत रूप से प्रयोग कर राजकीय धन का दुरुपयोग। (आ०सं०-9)

(3)

- 2— आयकर वर्ष में न काटकर तथागत वर्ष की गयी कटौती की धनराशि रु0 23021.00 धन रोककर शासकीय धनराशि की क्षति दुरुपयोग। (आ0सं0-10)
 - 3— राज्य वित्त, तेरहवां वित्त योजना से वर्ष में किए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियां न प्रस्तुत करने के कारण व्यय धनराशि रु0 119400.00 एवं सम्पत्तियों का सृजन अपुष्टित रहा। (आ0सं0-11)
 - 4— वर्षान्त शासकीय धनराशि रु0 8264143.00 रोक रखकर विकास कार्यों को बाधित करने के साथ शासकीय धन का दुरुपयोग।
- उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री गिरीजा शंकर— खण्ड विकास अधिकारी
श्री कपूर चन्द्र— ज्येष्ठ लेखाकार

(आ0सं0-12)

प्रस्तर सं0 5:—

- 1— क्षेत्र पंचायत भदोही वर्षान्त शासकीय धनराशि रु0 10587054.00 रोक रखकर विकास कार्यों को बाधित करने के साथ शासकीय धन का दुरुपयोग (आ0सं0-13)
- 2— वर्ष 2012-13 में अर्जित ब्याज रूपया 710304.00 राजकीय कोषागार में जमा न कर अनधिकृत रूप से प्रयुक्त कर रोक रखकर राजकीय धन का दुरुपयोग। (आ0सं0-12)
- 3— आयकर वर्ष में न काटकर रूपया 41144.00 एवं गत वर्ष की गयी कटौती की धनराशि रु0 11545.00 धन रोककर कुल रूपया 52689.00 शासकीय धनराशि की क्षति दुरुपयोग। (आ0सं0-15)
- 4— आलोच्य वर्ष व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ बिल बाउचर स्टॉक रजिस्टर निर्माण कार्य पंजी के अभाव में व्यय रूपया 1836767.00 अपुष्ट रहा। (आ0सं0-16)

(4)

- 5— विगत वर्षों से रायल्टी मद में काटी गयी धनराशि रु0 32238.00 को नियत शीर्ष में जमा न कर वर्ष प्रतिवर्ष देय दर्शित करते हुए राजकीय धन का दुरुपयोग। (आ0सं0-17)
- 6— दिनांक 01-04-2012 को प्रारम्भिक शेष रूपया 8449525.00 पर यदि बचत खाते के ब्याज का आंकलन करें तो ब्याज अर्जित रु0 337981.00 होना चाहिए। इस प्रकार (337981.00 - 63145.00) रु0 274836.00 से अर्जित ब्याज का लेखा संस्था अभिलेखों में न कर छिपाया गया है।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री सुनील कुमार— खण्ड विकास अधिकारी
श्री रमेश कुमार — ज्येष्ठ लेखाकार

(आ0सं0-18)

जनपद मैनपुरी

मंडल आगरा

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत सुल्तानगंज

प्रस्तर 01— भुगतान क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न कर धन/सामग्री का अपहरण किया गया:— वित्तीय वर्ष 2011.12 में विभिन्न क्षेत्र पंचायत द्वारा क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुसारण किये बिना अनियमित क्रय का रु 66946.00 की धनराशि का दुरुपयोग किया गया। उ0प्र0 सरकार के शा0सं0 ए-01-864-दस-08-15(01)/86 दि0 23.09.08 के अनुसार रु 20000.00 से अधिक मूल्य की निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व कम से कम तीन फर्मों से क्वेटेशन एवं रु 100000.00 से अधिक मूल्य का निर्माण सामग्री क्रय करने के पूर्व सील बन्द टेण्डर प्राप्त किये जाने अपेक्षित हैं परन्तु अनेक क्षेत्र पंचायतों द्वारा उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया। क्षेत्र पंचायत द्वारा क्रय की गयी सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में आर0ई0एस0/पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार रु 1281447.00 के अनियमित भुगतान की पुष्टि हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है।

प्रस्तर 02— वर्ष लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री भुगतान की धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी जो अपेक्षित थी। सम्बन्धित पक्ष से वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	सन्दर्भित आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	आगरा	मैनपुरी	सुल्तानगंज	66946.00	15	—

प्रस्तर 03— क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग नहीं करने से उक्त का लाभ जन सामान्य को नहीं हो सका। क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान को बैंक खाता में जमा करा दिया गया है। अनुदान के अप्रयुक्त होने की स्थिति में अनुपयुक्त अनुदान वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :—

क्रम संख्या	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	सन्दर्भित आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	आगरा	मैनपुरी	सुल्तानगंज	3961726.00	05	—

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत जागीर

प्रस्तर 01— क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग नहीं करने से उक्त का लाभ जन सामान्य को नहीं हो सका । क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान को बैंक खाता में जमा करा दिया गया है। अनुदान के अप्रयुक्त होने की स्थिति में अनुपयुक्त अनुदान वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :-

क्रम संख्या	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	सन्दर्भित आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	आगरा	मैनपुरी	जगीर	1303196.78	15	—

जनपद का नाम – कानपुर नगर

मण्डल – कानपुर

क्षेत्र पंचायत – पतारा

वर्ष – 2012-13

प्रस्तर संख्या – 1

दिनांक 04.03.2013 को मे0समी इण्टर प्राइजेज पतारा से रू0 4,522.00 तथा दिनांक 07.03.2013 को रू0 4,331.00 कुल 9,786.00 आयकर काटा गया जिसे दिनांक 07.05.2013 तक राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति श्री उग्रसेन सिंह यादव ठक एवं श्री मेहरबान सिंह यादव लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(मू0आ0सं0-8)

प्रस्तर संख्या – 2

दिनांक 07.12.2012 को ग्रांट रजि0-2 पृष्ठ संख्या 88 में 8/10 से 7/12 तक तेहरवें बिल कृत कार्य/क्रय सामान से रू0 55,833.00 तथा विधायक निधि में 1/10 से 6/12 के दौरान रू0 44,754.00 काटे गये। आयकर को जमा नहीं किया गया। इस प्रकार कुल रू0 100587.00 राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति श्री उग्रसेन सिंह यादव ठक एवं श्री मेहरबान सिंह यादव लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(मू0आ0सं0-9)

प्रस्तर संख्या – 3

दिनांक 04.03.2013 के ग्रांट रजि0 के पृष्ठ 89 में शशि इण्टर प्राइजेज पतारा से रू0 9,260.00 तथा दिनांक 07.03.2013 को रू0 17,245.00 व्यापार कर काटा गया है। इस प्रकार कुल रू0 26,505.00 व्यापार कर सम्बन्धित पत्र को जमा नहीं किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति

श्री उग्रसेन सिंह यादव ठक्क एवं श्री मेहरबान सिंह यादव लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(मू०आ०सं०-10)

प्रस्तर संख्या – 4

राज्य वित्त आयोग से निम्न व्यय किये गये हैं :-

(1)	14.04.2012 को क्षेत्र पंचायत ठक्क सदस्यों को मानदेय	रु० 13,400.00
(2)	11.04.2012 को क्षेत्र पंचायत ठक्क सदस्यों को मानदेय	रु० 9,800.00
(3)	02.06.2012 को क्षेत्र पंचायत ठक्क सदस्यों को मानदेय	रु० 3,900.00
(4)	07.08.2012 को पखों पर व्यय	रु० 4,050.00
(5)	29.01.2012 का मानदेय 6/12 से 8/12	रु० 9,000.00

40,150.00

इस प्रकार उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणपत्र जॉच में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तरदायी श्री मेहरबान सिंह यादव, लेखाकार व रमाकान्त दीक्षित, लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित की जाती है।

(मू०आ०सं०-12)

प्रस्तर संख्या – 5

ग्रान्ट रजि०-2 में राज्य वित्त आयोग से ग्राम गौरा में पक्की रोड से सड़क तक सी०सी० होकर ब्लॉक इण्टर लॉकिंग (अवशेष कार्य) मस्टर रोल क्र० 30800 एवं 31828 से कुल रु० 22,360.00 का भुगतान किया गया परन्तु मस्टर रोल से यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य किस तिथि तक कराया गया। इस अनियमितता के लिये श्री मनोज कुमार गौतम जू०ई० एवं श्री रमाकान्त दीक्षित, लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(मू०आ०सं०-13)

प्रस्तर संख्या – 6

तेहरवे वित्त आयोग से वर्ष 11-12 में ग्राम दुर्गा देवी पूर्वा से खंरजा नहर तक पक्का नाला (अवशेष भाग में) ज्ञात नहीं होता है कि कार्य किस तिथि से किस तिथि तक किया गया। इस अनियमितता के लिये श्री मनोज कुमार गौतम जू०ई० एवं श्री रमाकान्त दीक्षित, लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(मू०आ०सं०-14)

प्रस्तर संख्या – 7

राज्य वित्त आयोग से राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल कानपुर को बिल क्रमांक 2/62 दिनांक 05.06.2012 से एक पीस डीजल ऑयल इंजन 7HP फील्ड मार्शल ब्रांड जनरेटर रु०

41,800+5,650 रु 47,450.00 का क्रय किया गया, का भुगतान किया गया। उक्त क्रय का क्या उक्त मद से भुगतान किया जा सकता है एवं इस हेतु विभागीय स्वीकृति भी नहीं प्राप्त की गयी। अतः रु 47,450.00 का दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग धनराशि की वसूली श्री रमाकान्त दीक्षित, लेखाकार से की जाये।

(मू0आ0सं0-15)

प्रस्तर संख्या – 8

विधायक निधि से कराये गये कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाये गये। अतः भुगतान अनियमित रहा।

तिथि	फर्म	कार्य का नाम	धनराशि
19.08.2012	चौधरी इण्टर लॉकिंग, घाटमपुर	रंजीतपुर मेनरोड से प्राथमिक पाठशाला तक इण्टरलॉकिंग कार्य	150961 रु 00 ज्वै 3459
19.06.2012	नेशनल ट्रेडर्स, घाटमपुर	रंजीतपुर मेनरोड से प्राथमिक पाठशाला तक इण्टरलॉकिंग कार्य	13838 ज्वै 317
19.06.2012	न्यू लकी ब्रिक फील्ड, घाटमपुर	रंजीतपुर मेनरोड से प्राथमिक पाठशाला तक इण्टरलॉकिंग कार्य	25605 ज्वै 5587
19.06.2012	चन्द्रकान्त मिश्रा	रंजीतपुर मेनरोड से प्राथमिक पाठशाला तक इण्टरलॉकिंग कार्य	27480
			222247

श्री मनोज कुमार जे0ई0 व श्री रमाकान्त दीक्षित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(मू0आ0सं0-16)

प्रस्तर – 9

मनरेगा के कॉटीजेन्सी के अन्तर्गत चेक नं0 4543 दिनांक 17.04.2012 जी0स0यू0आ0डी0 6495 मरम्मत एवं पेट्रोल व्यय का भुगतान किया गया, जिसमें निम्न विवरण अनुसार सम्बन्धित व्यय लेखा लॉग बुक में (प्रमाण में दर्शित पृष्ठ) नहीं पाया गया। अस्तु भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

दिनांक	बिल	विवरण	धनराशि
16.03.2012	निल	जीप मरम्मत	160
07.03.2012	निल	जीप मरम्मत	55
22.03.2012	9696	पेट्रोल क्रय 20 ली0	974
27.03.2012	9726	पेट्रोल क्रय 81.71 ली0	3724
			4913

इस अनियमितता हेतु श्री रमाकान्त दीक्षित, लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(मू0आ0सं0-17)

प्रस्तर संख्या – 10

दिनांक 28.07.2012 के मानदेय अवधि 5/12 से 6/12 के भुगतान हेतु रू0 16,000.00 की चेक निर्गत की गयी किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस अनियमितता के लिये श्री रामकान्त दीक्षित, लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(मू0आ0सं0-19)

क्षेत्र पंचायत – शिवराजपुर**वर्ष 2010 – 11 से 12 –13****प्रस्तर संख्या – 11**

लेखा परीक्षा जांच में मनरेगा से सम्बन्धित निम्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने से किये गये व्यय के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी –

क्रम सं0	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	चेक सं0/दिनांक	धनराशि
1	श्री अजय श्रीवास्तव क0स0	011271 / 08.04.2011	10,000.00
2	श्री नरेन्द्र सिंह चाल	11272 / 15.04.2011	4,500.00
3	श्री नीरज श्रीवास्तव	11273226.04.2011	3,000.00
4	श्री अजय श्रीवास्तव	11274 / 26.04.2011	5,000.00
5	श्री अजय श्रीवास्तव	11275 / 26.04.2011	2,500.00
6	श्री अजय श्रीवास्तव	12277 / 07.05.2011	9,825.00
7	शाखा प्रबन्धक	12279 / 07.05.2011	9,200.00
8	शाखा प्रबन्धक	12280 / 10.05.2011	9,500.00
9	श्री नीरज श्रीवास्तव	13531 / 26.05.2011	2,500.00
			2,24,325.00

अस्तु कुल रू0 2,24,325.00 हेतु छत्त श्री बी0पी0 अग्निहोत्री एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री गणेश प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-19)

प्रस्तर संख्या – 12

मनरेगा कॉटीजेन्सी वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत दिनांक 07.09.2012 चेक सं0 020663, दिनांक 07.09.2012 से रू0 2,347.00 का भुगतान किया गया व्यय विवरण निम्नवत् है :-

1. राज कार्पोरेशन चौक, कानपुर बिल नं0 1932, दिनांक 28.08.2012 से सप्रेड का.....
क्रय रू0 1,417.00

2. कुमार इलेक्ट्रिक एवं रिवाइजिंग सेंटर, जी0टी0रोड, कानपुर बिल सं0 11, दिनांक 08.01.2012 रू0 930.00

कुल रू0 2,347.00

मांगपत्र स्पष्ट न होने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस अनियमितता हेतु छत्त श्री बी0पी0 अग्निहोत्री एवं ठप्कण श्री अशोक कुमार गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-03)

जनपद का नाम- लखनऊ

मण्डल लखनऊ

क्र० सं०	प्रस्तर सं०	नाम ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	अधिभार में सन्निहित कुल धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	अभ्युक्ति
1.	1.	कोडरा रायपुर मोहन लालगंज लखनऊ (वर्ष 2011-12 व 2012-13)	मोहन लालगंज	ट्राली बनवाई गयी, किन्तु ट्राली की प्रविष्टि डेड स्टॉक रजिस्टर में नहीं है क्योंकि डेड स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। सम्बन्धित कैश मेमो सं० 99/दिनांक 08.04.11 से रू० 1400.00 पर टिन सं० अंकित नहीं है। (आपत्ति सं० 01)	700.00 700.00	श्री रामनाथ, ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सागर, सचिव	
	2.			बाउण्ड्री वाल बनवाई पर व्यय का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सम्पत्ति पंजिका अनुपलब्ध। (आपत्ति सं० 02)	4095.00 4095.00	श्री रामनाथ, ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सागर, सचिव	
	3.			बिल सं० 308 दिनांक 21.04.11 द्वारा रू० 8600.00 की निर्माण सामग्री क्रय की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में नहीं की गयी व सामग्री को उपभोग की बाबत उपभोग प्रमाण पत्र व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा। बिल पर टिन सं० भी अंकित नहीं है। अतः व्यय अपुष्ट रहा। (आपत्ति सं० 03)	4300.00 4300.00	श्री रामनाथ, ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सागर, सचिव	
	4.			निर्माण सामग्री, ईट, पुताई सामग्री, ह्यूम पाइप क्रय रू० 77300.00 की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में नहीं की गयी व सामग्री को उपभोग की बाबत उपभोग प्रमाण पत्र व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। सम्बन्धित व्यय प्रमाणक पर आय कर व	38650.00 38650.00	श्री रामनाथ, ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सागर, सचिव	

				वाणिज्य कर पंजीयन अंकित नहीं है। अतः व्यय अपुष्ट रहा। (आपत्ति सं० 04)			
	5.			निर्माण सामग्री क्रय रु० 100800.00 की प्रविष्टि स्टाक पंजिका में नहीं की गयी व सामग्री के उपभोग की बाबत उपभोग प्रमाण पत्र व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। सम्बन्धित व्यय प्रमाणक पर आय कर व वाणिज्य कर पंजीयन अंकित नहीं है। अतः व्यय अपुष्ट रहा। (आपत्ति सं० 06)	50400.00 50400.00	श्री रामनाथ, ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सागर, सचिव	
	6.			निर्माण सामग्री ईट, पुताई सामग्री, ह्यूम पाइप क्रय कुल धनराशि रु० 187231.00 की प्रविष्टि स्टाक पंजिका में नहीं की गयी व सामग्री के उपभोग की बाबत उपभोग प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य पंजिका व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। सम्बन्धित व्यय प्रमाणक पर आय कर व वाणिज्य कर पंजीयन अंकित नहीं है। अतः व्यय अपुष्ट रहा। (आपत्ति सं० 07)	93615.50 93615.50	श्री रामनाथ, ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सागर, सचिव	
	7.			माप पुस्तिका में माप का अंकन किये बिना भुगतान कुल धनराशि रु० 698993.00 (आपत्ति सं० 10)	349496.50 349496.50	श्री रामनाथ, ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सागर, सचिव	
2.	1.	डेवरिया भरोसा मोहनलाल गंज लखनऊ (वर्ष	मोहनलालगंज	ग्राम निधि I से वर्ष 2010-11 में हुये कुल व्यय रु० 343878.00 के समस्त व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। (आपत्ति सं० 01)	171939.00 171939.00	श्री प्रेम कुमार यादव, प्रधान श्री विनय कुमार	

		2009-10 से 2012-13)				सागर, सचिव	
	2.			ग्राम निधि I से वर्ष 2011-12 में हुये कुल व्यय रु0 516250.00 के समस्त व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। (आपत्ति सं0 02)	258125.00 258125.00	श्री सुभाष चन्द्रग्राम, प्रधान श्री विनय कुमार सागर, सचिव	
	3.			ग्राम निधि I से वर्ष 2012-13 में हुये कुल व्यय रु0 318220.00 के समस्त व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। (आपत्ति सं0 08)	159110.00 159110.00	श्री सुभाष चन्द्र, ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सागर, सचिव	
3.	1.	विरूरा सरोजनीन गर लखनऊ(व र्ष 2010-11 व 2012-13)	सरोजनीनगर	दिनांक 14.03.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरित कर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही।	2710.50 2710.50	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	
	2.			दिनांक 18.04.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं0 13)	1584.00 1584.00	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	

3.			दिनांक 01.05.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं० 14)	2312.50 2312.50	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	
4.			दिनांक 19.06.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं० 15)	1931.50 1931.50	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	
5.			दिनांक 17.07.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं० 16)	1758.50 1758.50	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	
6.			दिनांक 28.07.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं० 17)	596.50 596.50	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	

7.			दिनांक 03.08.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं० 18)	390.50 390.50	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	
8.			दिनांक 24.08.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं० 19)	1583.50 1583.50	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	
9.			दिनांक 06.11.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं० 20)	132.50 132.50	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	
10.			दिनांक 19.11.12 को अनावश्यक रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं० 21)	56.00 56.00	श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	
11.			दिनांक 20.11.12 को अनावश्यक	56.50	श्रीमती	

				रूप से बैंक से धन आहरितकर दिनांक 12.02.13 को बैंक में पुनः जमा कर अस्थायी रूप से धन अपहृत कर उक्त अवधि के ब्याज की वसूली व आवश्यक जांचोपरान्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही। (आपत्ति सं० 22)	56.50	शान्ति रावत, ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	

जनपद— हरदोई

मण्डल—लखनऊ

क्र० सं०	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	धन०	आ० सं०	आपत्ति का विवरण
1	शाहपुर सैदान	पिहानी	15000	8	कैशबुक में प्रमाणक संख्या 08 से रू० 2000.00, 11 से रू० 5000.00, 17 से रू० 2000.00, 18 से रू० 2000.00, 21 से रू० 2000.00 एवं 35 से रू० 2000.00 का व्यय विज्ञापन हेतु दर्शाया गया है। इस प्रकार रू० 15000.00 का व्यय राजकीय धनराशि का दुरुपयोग है। जिस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। जिसके लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मेवाराम एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती अलका देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे वसूली सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
2	जाजूपारा	पिहानी	117125	24	छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू० 117125.00 वापस नहीं की गयी है जिसे वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मसूद खाँ व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हनीफ खाँ समान रूप से उत्तरदायी हैं।
3	पण्डरवा किला	पिहानी	190048	25	छात्रवृत्ति की अवशेष धनराशि रू० 190048.00 वापस नहीं किया गया है जिसे वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मसूद जफर खाँ व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रफन खाँ समान रूप से उत्तरदायी हैं।

4	इटारा	पिहानी	20000	6	प्रमाणक संख्या 6 से 12.04.2012 को रू0 20000.00 पंचायत घर की रंगाई पोताई पर व्यय दर्शित है परन्तु प्रमाणक से पुष्टि नहीं करायी गयी, जो अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मेवाराम व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मरियमजहाँ समान रूप से उत्तदायी हैं।
5	इटारा	पिहानी	15000	7	प्रमाणक संख्या 53 से 05.03.2013 को रू0 15000.00 मिट्टी 30 ट्राली हेतु व्यय दर्शित है, परन्तु प्रमाणक से पुष्टि नहीं करायी गयी, जो अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मेवाराम व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शंकरबक्श सिंह समान रूप से उत्तदायी हैं।
6	कोटरा	पिहानी	15000	9	प्रमाणक संख्या 8 से रू0 3000.00, 12 से 5000.00, 30 से रू0 5000.00 एवं 31 से रू0 2000.00 कुल रू0 15000.00 विज्ञापन व्यय अनावश्यक रूप से दर्शाया गया है जो राजकीय धन का दुरुपयोग है। उपरोक्त के प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री जागेश्वर व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामशरण समान रूप से उत्तदायी हैं। जिनसे वसूली सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
7	नस्योली डामर	शाहाबाद	13500	6	प्रमाणक संख्या 09 से 08.10.2012 को रू0 13500.00 प्रधान मानदेय हेतु व्यय दर्शित है, परन्तु अवधि नहीं दर्शित है एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त की पुष्टि कराना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री जागेश्वर व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामशरण समान रूप से उत्तदायी हैं।
8	पन्यौरा बल्लिया	शाहाबाद	9000	6	प्रमाणक संख्या 31 से 20.03.2013 को मानदेय प्रधान रू0 9000.00 दर्शित है, परन्तु अवधि नहीं दर्शित है एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त की वास्तविक स्थिति की पुष्टि कराना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री बिजेन्द्र पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आत्माराम समान रूप से उत्तदायी हैं।
9	हिरौली कुतुबनगर	शाहाबाद	10000	8	चेक संख्या 516806 से 14.05.2012 को रू0 10000.00 बैंक स्टेटमेंट में जै दुर्गा ट्रेडर्स द्वारा आहरण दर्शित है, परन्तु कैशबुक में प्रमाणक संख्या 07 से रू0 10000.00 दिनांक 14.05.2012 को मस्टररोल से भुगतान दर्शाया गया है। उपरोक्त के प्रति जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री सर्वेश कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री खान सिंह समान रूप से उत्तदायी हैं। जिनसे वसूली सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

10	बैजूपुर	शाहाबाद	2200	9	प्रमाणक संख्या 25 से 18.03.2013 को रू0 2200.00 विज्ञापन व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक से दर्शित व्यय की पुष्टि कराना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री कन्हैयालाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकरन समान रूप से उत्तदायी हैं।
11	उधरनपुर	शाहाबाद	9940	6	प्रमाणक संख्या 24 से 24.12.2012 को एम0आर0 भुगतान रू0 9940.0 में 62× 120 लेबर व 10× 250 राज दर्शित है परन्तु मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके पूर्व लेबर भुगतान जून 12 से 125.00 की दर से दर्शित है। प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना एवं दर के सम्बन्ध में विभागीय जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री सर्वेश कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री त्रिपुरेश मिश्रा समान रूप से उत्तदायी हैं।
12	नस्यौली गोपाल	शाहाबाद	9000	7	कैशबुक में प्रमाणक संख्या 13 से 20.06.2012 को रू0 9000.00 तालाब भराई हेतु व्यय दर्शित है, परन्तु प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक से दर्शित व्यय की पुष्टि कराना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश यादव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार सिंह समान रूप से उत्तदायी हैं।
13	नस्यौली गोपाल	शाहाबाद	6000	10	प्रमाणक संख्या 26 से 14.03.2013 को रू0 6000.00 पेटिंग हेतु व्यय दर्शित है, परन्तु प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक से दर्शित व्यय की पुष्टि कराना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश यादव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार सिंह समान रूप से उत्तदायी हैं।
14	वासितनगर	शाहाबाद	60700 एवं 70300	8	बैंक खाता संख्या 19835 में चेक संख्या 94230 से 17.10.2012 को रू0 60700.00, 94231 से 17.10.2012 को रू0 70300.00 Tr. CD-10 में दर्शित है, परन्तु प्रमाणक संख्या 6 से रू0 60500.00 लेबर + राज नकद तथा 7 से रू0 70500.00 सीमेन्ट,मौरंग, बालू आदि क्रय दर्शित है, जो सन्देहजनक है। स्थानान्तरित धनराशि के काल्पनिक व्यय समायोजन के प्रति विभागीय जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमाकान्त यादव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव सिंह समान रूप से उत्तदायी हैं।
15	गढ़पुर	शाहाबाद	16000	7	प्रमाणक संख्या 11 से 13.06.2012 को रू0 16000.00 C.A को भुगतान दर्शित है, परन्तु प्रमाणक नहीं है एवं औचित्य स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त के प्रति जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये

					31/12/2012 170.00 स्टेशनरी खरीद उक्त खर्चों की जांच एवं पुष्टि A.D.O. (P) से कराकर परिपालन में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री लक्ष्मीनारायण व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सिराज हुसैन समान रूप से उत्तदायी हैं। जिनसे वसूली सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
20	सोम	सण्डीला	4000	6	दिनांक 01.06.2012 को 2000.00 का एवं 25.03.2013 को ₹0 2000.00 का स्टेशनरी खरीद कोषवही में दर्शित है। पुष्टि में क्रय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। बिना प्रमाणक के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणक से व्यय की जांच व पुष्टि A.D.O. (P) से कराकर परिपालन में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री सुन्दरलाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामासरे समान रूप से उत्तदायी हैं।
21	उमरताली	सण्डीला	2500	6	दिनांक 09.05.2012 को ₹0 2500.00 को व्यय तालाब में पानी भरवाई पर दर्शित है। प्रमाणक अप्राप्त रहा। बिना प्रमाणक के भुगतान दर्शाया जाना धन का दुरुपयोग/अपहरण है। व्यय की जांच करके आवश्यक विभागीय कार्यवाही/वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री के0बी0सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री क्षत्रपाल समान रूप से उत्तदायी हैं। जिनसे वसूली सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
22	परिहावां शेखपुर	सण्डीला	5000	17	दिनांक 19.09.2012 को ₹0 5000.00 का ह्यूम पाइप खरीद कोषवही में दर्शित। खाते से ₹0 5000.00 का भुगतान श्री रामसिंह द्वारा प्राप्त किया गया है। राम सिंह के बारे में अवगत नहीं कराया गया, प्रमाणक भी अप्राप्त रहा। अतः व्यय अपुष्ट रहा। दर्शित खर्चा संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः व्यय की विभागीय जांचकरके आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री सुन्दरलाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री समान रूप से उत्तदायी हैं।
23	परिहावां शेखपुर	सण्डीला	135	19	गत कोषवही में दिनांक 31/03/2012 को ₹0 135.00 पास प्रधान रोकड़ शेष दर्शाया गया था जबकि वर्ष 2012-13 में प्रा0रोकड़ शेष शून्य दर्शाया गया है। इस प्रकार ₹0 135.00 का स्पष्ट रूप से

					अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री से की जानी अपेक्षित है।
24	सिकरोहरी	सण्डीला	25000	6	कोषवही में दिनांक 28.08.2012 को रू0 18000.00 का व्यय ट्राली द्वारा प्रा0पा0 में मिट्टी पटाई एवं दिनांक 29.08.2012 को रू0 7000.00 का व्यय मिट्टी लेबलिंग पर दर्शाया गया है। पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहे। धन का <u>अपहरण/दुरुपयोग</u> सम्भावित है। व्यय की जांच करके, विभागीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही/वसूली की जानी अपेक्षित है। बिना प्रमाणक के खर्चा दर्शाया जाना गम्भीर आपत्ति का विषय है। ले0प0 के मत में व्यय अपुष्ट है एवं संदिग्ध है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रामकुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सियाराम समान रूप से उत्तदायी हैं। जिनसे वसूली सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
25	मण्डौली	सण्डीला	13970	6	ले0प0 वर्ष में 08.05.2012 को रू0 13970.00 का व्यय तालाब में पानी भरवाई पर पूर्व ग्रा0वि0अधि0 श्री रामकुमार द्वारा दर्शाया गया है। पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा। बिना प्रमाणक के भुगतान दर्शाया जाना गम्भीर आपत्ति का विषय है। धन का दुरुपयोग संभावित है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रामकुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आसिया कुतबुन समान रूप से उत्तदायी हैं। जिनसे वसूली सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
26	लूमामऊ	सण्डीला	6300	6	दिनांक 08.12.2012 को दर्शित ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलाई पर व्यय रू0 6300.00 की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। बिना प्रमाणक के भुगतान दर्शाया जाना आपत्ति का विषय है। धन का <u>अपहरण/दुरुपयोग</u> संभावित है। अतः व्यय की जांच की जानी एवं आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रतीपाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती परमेश्वरी समान रूप से उत्तदायी हैं। जिनसे वसूली सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
27	हरदलमऊ	सण्डीला	600	6	माह 08/2012 में कोषवही के व्यय पक्ष का योग रू0 600 से अधिक दर्शाया गया है। इस कारण मासांतमें पास प्रधान रू0 600 से कम दर्शित रहा। कोषवही में रू0 25.00 नकद रोकड़ शेष दर्शाया गया है जबकि ले0प0 अनुसार शेष 625.00 होता है। अतः रू0 600 की वसूली प्रधान श्री शमी से की जानी अपेक्षित है। (रू0 84392.00 नकद आहरण के सापेक्ष

					83767.00 का वास्तविक व्यय है, जबकि योग 84367.00 (नकद व्यय का) दर्शाया जा रहा है।
28	मलैया	सण्डीला	75	6	दिनांक 30.11.2012 को कोषवही में रोकडशेष रु0 200.00 के स्थान पर 125.00 दर्शाया गया है जो रु0 75.00 से कम है। अन्तर वर्षान्त तक बना रहा अतः रु0 75.00 की वसूली प्रधान नन्हका से अपेक्षित है।
29	उधरनपुर	बावन	56644	26	पूर्व में शासनादेश द्वारा ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण ग्राम निधि-3 को संशोधन करते हुये शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा ग्राम शिक्षा निधि के अन्तर्गत कर दिया गया है। उक्त के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी हरदोई द्वारा पत्रांक 1374 दिनांक 16.08.2012 द्वारा ग्राम निधि-3 खाते की अवशेष धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को उपलब्ध करायी जानी थी लेकिन ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-3 खाते में रु0 56644.00 अध्यावधि अवशेष दर्शित है। यह आपत्ति का विषय है। उक्त धनराशि को अविलम्ब जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को वापस की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मोहित पाठक व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गंगाराम समान रूप से उत्तदायी हैं।
30	अनंग बेहटा	बावन	282285	26	पूर्व में शासनादेश द्वारा ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण ग्राम निधि-3 को संशोधन करते हुये शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा ग्राम शिक्षा निधि के अन्तर्गत कर दिया गया है। उक्त के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी हरदोई द्वारा पत्रांक 1374 दिनांक 16.08.2012 द्वारा ग्राम निधि-3 खाते की अवशेष धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को उपलब्ध करायी जानी थी लेकिन ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-3 खाते में रु0 282285.00 अध्यावधि अवशेष दर्शित है। यह आपत्ति का विषय है। उक्त धनराशि को अविलम्ब जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को वापस की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजीव श्रीवास्तव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरीशचन्द्र समान रूप से उत्तदायी हैं।
31	बरवन	बावन	85695	24	पूर्व में शासनादेश द्वारा ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण ग्राम निधि-3 को संशोधन करते हुये शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा ग्राम शिक्षा निधि के अन्तर्गत कर दिया गया है। उक्त के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी हरदोई द्वारा पत्रांक 1374 दिनांक 16.08.2012 द्वारा ग्राम निधि-3 खाते की अवशेष धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को उपलब्ध करायी जानी थी लेकिन ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-3 खाते में रु0 85695.00 अध्यावधि अवशेष दर्शित है। यह आपत्ति का विषय है। उक्त धनराशि को अविलम्ब जिला समाज कल्याण

					अधिकारी हरदोई को वापस की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पुतान सिंह समान रूप से उत्तदायी हैं।												
32	मोना	सुरसा	320000	3	वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी सामग्री की आपूर्ति जिसका मूल्य रु0 20000.00 से एक लाख तक हो कोटेशन प्राप्त करके तथा एक लाख से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित की जानी चाहिये थी किन्तु ग्राम सभा द्वारा कोटेशन/निविदाये प्राप्त न करके सीधे सामग्री क्रय की गयी है तथा न ही क्रय किये गये सामग्री का कोई राजकीय दर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससेन्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी जो आपत्तिकारक है। उदाहरणार्थ— <table> <tr> <th>दिनांक</th> <th>विवरण</th> <th>धनराशि</th> </tr> <tr> <td>30.05.2012</td> <td>ईटा क्रय सारिका ब्रिक फील्ड</td> <td>1,00,000.00</td> </tr> <tr> <td>29.12.2012</td> <td>ईटा क्रय सारिका ब्रिक फील्ड</td> <td>1,20,000.00</td> </tr> <tr> <td>07.12.2013</td> <td>ईटा क्रय सारिका ब्रिक फील्ड</td> <td>1,00,000.00</td> </tr> </table> उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री बेचेलाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी समान रूप से उत्तदायी हैं।	दिनांक	विवरण	धनराशि	30.05.2012	ईटा क्रय सारिका ब्रिक फील्ड	1,00,000.00	29.12.2012	ईटा क्रय सारिका ब्रिक फील्ड	1,20,000.00	07.12.2013	ईटा क्रय सारिका ब्रिक फील्ड	1,00,000.00
दिनांक	विवरण	धनराशि															
30.05.2012	ईटा क्रय सारिका ब्रिक फील्ड	1,00,000.00															
29.12.2012	ईटा क्रय सारिका ब्रिक फील्ड	1,20,000.00															
07.12.2013	ईटा क्रय सारिका ब्रिक फील्ड	1,00,000.00															
33	पहुतेरा	सुरसा	393000	3	वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी सामग्री की आपूर्ति जिसका मूल्य रु020000.00 से एक लाख हो कोटेशन प्राप्त करके तथा एक लाख से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित की जानी चाहिये थी किन्तु ग्राम सभा द्वारा को टेशन/निविदाये प्राप्त करके सीधे सामग्री क्रय की गयी है तथा न ही क्रय किये गये सामग्री का कोई राजकीय दर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी जो आपत्तिकारक है। उदाहरणार्थ—												

					दिनांक	विवरण	धनराशि
					19.06.2012	सोडियम लाइट क्रय	1,11,000.00
					08.09.2012	ईटा क्रय खडंजा हेतु	1,96,000.00
					06.01.2013	ईटा क्रय खडंजा हेतु	86,000.00
					उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री गणेश दत्त तिवारी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री खुशीराम समान रूप से उत्तदायी हैं।		
34	मेहुना महेशपुर	सुरसा	117026	25	पूर्व में शासनादेश द्वारा ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण ग्राम निधि-3 को संशोधन करते हुये शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा ग्राम शिक्षा निधि के अन्तर्गत कर दिया गया है। उक्त के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी हरदोई द्वारा पत्रांक 1374 दिनांक 16.08.2012 द्वारा ग्राम निधि-3 खाते की अवशेष धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को उपलब्ध करायी जानी थी लेकिन ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-3 खाते में रु0 1,17,026.00 अध्यावधि अवशेष दर्शित है। यह आपत्ति का विषय है। उक्त धनराशि को अविलम्ब जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को वापस की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री ओमप्रकाश यादव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगपाल सिंह समान रूप से उत्तदायी हैं।		
35	अछरामऊ	सुरसा	52251	21	पूर्व में शासनादेश द्वारा ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण ग्राम निधि-3 को संशोधन करते हुये शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा ग्राम शिक्षा निधि के अन्तर्गत कर दिया गया है। उक्त के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी हरदोई द्वारा पत्रांक 1374 दिनांक 16.08.2012 द्वारा ग्राम निधि-3 खाते की अवशेष धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को उपलब्ध करायी जानी थी लेकिन ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-3 खाते में दिनांक 31.03.2013 को रु0 52251.00 अवशेष दर्शित है। आपत्ति का विषय है। उक्त धनराशि को अविलम्ब जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को वापस की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अमित पाण्डेय व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार समान रूप से उत्तदायी हैं।		
36	सरेहरी	बेहन्दर	48600	25	29.08.2011 में रु0 50000.00 नकद निकाले गये कच्चे कार्य के भुगतान हेतु परन्तु मस्टररोल कार्य का 16000 का व 14000 व 18600 का संलग्न किया गया है। उक्त मस्टररोल निर्माण समिति से प्रमाणित नहीं कराये गये है। जो अपेक्षित है तथा कराये गये कार्यों को MB प्रस्तुत की जायें।		

					उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री के०के०गौतम व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी समान रूप से उत्तदायी हैं।
37	कुडौनी	बेहन्दर	8000	19ए	दिनांक 17.10.2011 को रु० 8000.00 मिट्टी भराई का भुगतान किया गया है। परन्तु बाउचरदेखने को नहीं मिला पुष्टि अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री धनीराम व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामजानकी समान रूप से उत्तदायी हैं।
38	बेहसार	बेहन्दर	14640	27	दिनांक 25.03.2011 को रु० 14640.00 मजदूरी भुगतान किया गया। मस्टररोल लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला। व्यय अप्रमाणित रहा। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अवधेश व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता वर्मा समान रूप से उत्तदायी हैं।
39	बेहसार	बेहन्दर	31000	26	12.09.2012 को 20000.00 व रु० 11000.00 नकद निकाला गया। उक्त व्यय के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिले। व्यय प्रमाणक प्राप्त किये जाये। वसूली की कार्यवाही की जाये। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अवधेश व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता वर्मा समान रूप से उत्तदायी हैं।
40	शाहपुर वासुदेव	माधौगंज	11250	9	प्रमाणक संख्या 32 से 08.03.2013 को रु० 11250.00 प्रधान मानदेय 15x750 दिसम्बर से फरवरी 2012-13 दर्शित है परन्तु प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक से दर्शित व्यय की पुष्टि कराना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रवीन कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती समान रूप से उत्तदायी हैं।
41	शाहपुर वासुदेव	माधौगंज	68470	25	छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि 68470.00 वापस नहीं की गयी है। जिसे वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रवीन कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती समान रूप से उत्तदायी हैं।
42	अटवाअली मर्दानपुर	माधौगंज	11250	7	प्रमाणक संख्या 64 से 14.01.2013 को रु० 11250.00 प्रधान मानदेय अक्टूबर 2011 से दिसम्बर 2012 तक दर्शित है परन्तु प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रवीन कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मनोरमा देवी समान रूप से उत्तदायी हैं।

43	क्योटी ख्वाजगीपुर	माधौगंज	7500	8	प्र0सं0 2 से 14.05.2012 को रू0 7500.00 मानदेय प्रधान जुलाई 11 से अप्रैल 12 तक दर्शित है, गत कोषवही से पुष्टि नहीं करायी गयी एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जो अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री ज्ञानचन्द्र कनौजिया व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला वर्मा समान रूप से उत्तदायी हैं।
44	क्योटी ख्वाजगीपुर	माधौगंज	47550	22	छात्रवृत्ति की अवशेष धनराशि रू0 47550.00 वापस नहीं की गयी है, जिसे वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री ज्ञानचन्द्र कनौजिया व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला वर्मा समान रूप से उत्तदायी हैं।
45	रुकनापुर	माधौगंज	12750	8	प्रमाणक संख्या 4 से 30.04.2012 को रू0 12750.00 मानदेय प्रधान दर्शित है (दिसम्बर 10 से अप्रैल 2012 तक) परन्तु गत कैशबुक से पुष्टि नहीं करायी गयी, पुराने वर्षों का एक साथ भुगतान कैसे किया गया ? दर स्पष्ट नहीं है, उपरोक्त के प्रति जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री ज्ञानचन्द्र कनौजिया व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमल किशोर समान रूप से उत्तदायी हैं।
46	घटकना	साण्डी	1000	19	कोषवही में दिनांक 31.07.2012 को रू0 7300.00 का सीमेन्ट, मौरंग, बालू खरीद दर्शाया गया है। पुष्टि में प्राप्त प्रमाणक संख्या 9 अम्बे ट्रेडर्स, नवाबगंज साण्डी का है जिसके अनुसार कुल रू0 6300 की सामग्री क्रय की गयी किन्तु प्रमाणक पर योग रू0 1000.00 से बढ़कर 7300 अंकित करके राजकीय धन का अपहरण किया गया है। विवरण इस प्रकार है— सीमेन्ट 10 बोरी @ 320 = 3200.00 मौरंग 1/2 ट्राली = 2300.00 बालू 1/2 ट्राली = 800.00 योग = 6300.00 अतः जांचोपरान्त रू0 1000.00 की वसूली प्रधान श्रीमती उपमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील सिंह से अपेक्षित है।

47	बरण्डारी	साण्डी	1500	6	दिनांक 30.12.2012 को प्रमाणक संख्या 24 द्वारा रू0 1500.00 का व्यय स्टेशनरी आदि पर दर्शाया गया है किन्तु प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः व्यय अपुष्ट रहा। प्रमाणक से व्यय की पुष्टि करायी जाय। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री ब्रजपाल यादव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामरहीस यादव समान रूप से उत्तदायी हैं।
48	कटरी छोछपुर	साण्डी	4562	22	ले0प0 वर्ष में रू0 4562.00 का व्यय विज्ञापन पर दर्शाया गया है जो आपत्ति का विषय है। विकासकार्य हेतु प्राप्त धन का अनावश्यक मदों में व्यय उचित नहीं है। विवरण इस प्रकार है— 10.10.2012 रू0 1000.00, 21.11.2012 रू0 1562.00, 17.12.2013 रू0 1000.00, 26.02.2013 रू0 1000.00 उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री आलोक त्रिपाठी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उदयवीर समान रूप से उत्तदायी हैं।
49	कोईलरा	बिलग्राम	100.00	6	माह जुलाई 2012 में रू0 97400.00 बैंक AC 1 st मद से आहरित किया गया जिसके सापेक्ष रू0 97300.00 का व्यय कोषबही में दर्शाया गया है। (उक्त रू0 49400.00, सीमेन्ट, मौरंग — 13000.00, कार्टेज 34900.00) किन्तु व्यय पक्ष का योग रू0 100.00 से बढ़ाकर 97400.00 अंकित किया गया है जो वास्तविक व्यय से रू0 100.00 अधिक है। इस प्रकार रू0 100.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री जै सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक से अपेक्षित है।
50	रहुला	बिलग्राम	825.00	6	दिनांक 09.08.2012 में AC 1 st 00419 से रू0 15000.00 आहरित किया गया जिसके सापेक्ष व्यय पक्ष में रू0 14175.100 मजदूरी व्यय शौचालय मरम्मत पर दर्शाया गया है। अवशेष रू0 825.00 न ही हस्तगत दर्शाया गया है। न ही किसी कार्य पर व्यय किया गया है। इस प्रकार रू0 825.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती गुडडी एवं ग्रा0प0अधि0 श्री अनिल वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

51	पारा	टोडरपुर	108500	17	लेखा परीक्षा में पाया गया ग्राम निधि । से होने वाले व्ययों के प्रमाणकों पर अत्यधिक इंक व क्षतिग्रस्त किये गये है। विवरण निम्नवत है:- <table><tr><td>1.</td><td>27.04.12</td><td>रु0 25000.00</td><td>हैण्डपम्प अनुरक्षण</td></tr><tr><td>2.</td><td>27.04.12</td><td>रु0 25000.00</td><td>हैण्डपम्प अनुरक्षण</td></tr><tr><td>3.</td><td>05.06.12</td><td>रु0 6000.00</td><td>पानी भराई</td></tr><tr><td>24.</td><td>30.01.12</td><td>रु0 30000.00</td><td>व्यय फर्नीचर</td></tr><tr><td>28.</td><td>23.03.12</td><td>रु0 22500.00</td><td>व्यय प्रमाणक फर्नीचर</td></tr></table> इस प्रकार लेखा परीक्षा को दिगभ्रमित करने का प्रयास किया गया जिसकी जिसकी विभागीय जांच की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री संजय कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टी देवी समान रूप से उत्तदायी हैं।	1.	27.04.12	रु0 25000.00	हैण्डपम्प अनुरक्षण	2.	27.04.12	रु0 25000.00	हैण्डपम्प अनुरक्षण	3.	05.06.12	रु0 6000.00	पानी भराई	24.	30.01.12	रु0 30000.00	व्यय फर्नीचर	28.	23.03.12	रु0 22500.00	व्यय प्रमाणक फर्नीचर
1.	27.04.12	रु0 25000.00	हैण्डपम्प अनुरक्षण																						
2.	27.04.12	रु0 25000.00	हैण्डपम्प अनुरक्षण																						
3.	05.06.12	रु0 6000.00	पानी भराई																						
24.	30.01.12	रु0 30000.00	व्यय फर्नीचर																						
28.	23.03.12	रु0 22500.00	व्यय प्रमाणक फर्नीचर																						
52	भोगीपुर ग्रन्ट	टोडरपुर	10000	19	बाउचर सं0 13 दि0 17.06.12 रु0 10000.00 का कैमरा खरीद व्यय खारिज किया गया। कैमरा खरीद व्यय की स्वीकृत एवं मांग पत्र स्वीकृत पत्र संलग्न नहीं किये गये। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री विनोद कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दरवारी लाल समान रूप से उत्तदायी हैं।																				
53	नगरिया	टोडरपुर	17000	20	बाउचर सं0 13 दि0 21.05.2012 रु0 10000.00, बाउचर नं0 17 दिनांक 05.06.12 रु0 7000.00 कुल रु0 17000.00 तालाब में पानी भराई व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक पर मेम्बर के हस्ताक्षर नहीं है। व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री नितांत रस्तोगी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इसरार समान रूप से उत्तदायी हैं।																				
54	कूची खेड़ा	टोडरपुर	58000	19	प्रमाणक सं0 06 व 07 क्रमशः दिनांक 18.05.12, 02.06.12 रु0 30000.00, रु0 28000.00, कुल रु0 58000.00 तालाब में पानी भराई खारिज किया गया है। व्यय प्रमाणक के साथ तालाब के स्थान एवं मेम्बर के हस्ताक्षर नहीं है। व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री नितांत रस्तोगी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश पाल समान रूप से उत्तदायी हैं।																				
55	नेवादा	टोडरपुर	7000	11	बाउचर सं0 07 दि0 01.06.12 द्वारा यूनिक डिजिटल स्टूडियो से रु0 7000.00 का कैमरा खरीदा गया है जिसका स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं																				

	चठिया				किया गया। स्टॉक/डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत करके पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरीश्री अनिल चौरसिया व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशारानी समान रूप से उत्तदायी हैं।
56	नेवादा चठिया	टोडरपुर	1000	12	बाउचर सं० 11 दि० 23.07.12 द्वारा मासिक पत्रिका कय की जाती रही है। रु० 1000.00 खारिज किया गया है। नियमानुसार मासिक पत्रिका नहीं ली जा सकती। अनावश्यक व्यय के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिल चौरसिया व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशारानी समान रूप से उत्तदायी हैं।
57	नेवादा चठिया	टोडरपुर	45000	13	बाउचर सं० 05 दिनांक 24.05.12 द्वारा हैण्डपाइप मरम्मत रु० 45000.00 रिपेयरिंग सामान सहित खारिज किया गया है। जिसका प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिल चौरसिया व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशारानी समान रूप से उत्तदायी हैं।
58	भड़वल सलेमपुर	मल्लावां	128894	21	ग्राम पंचायत के दो छात्रवृत्ति खाते संख्या – 11570 व 11571 AGB भगवन्त नगर में चल रहे थे। बैंक स्टेटमेंट दिनांक 31.03.2012 तक के ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये जिसमें उपरोक्त खातों में क्रमशः रु० 85775.00 व रु० 43119.00 जमा दर्शित थे। उपरोक्त खातों में जमा समस्त धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री लक्ष्मी नारायण व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवराज समान रूप से उत्तदायी हैं।
59	गोसवा नेवादा	मल्लावां	260193	22	ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाते के वर्ष 2012-13 के अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिससे छात्रवृत्ति की वर्ष 2012-13 की समीक्षा लेखा परीक्षा में न की जा सकी। लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति खाता सं० 15079 जो AGB भगवन्त नगर शाखा से संचालित था की पासबुक बैंक स्टेटमेंट दिनांक 31.03.2012 तक का ही उपलब्ध था। दिनांक 31.03.2012 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार खाते में रु० 260193.00 अवशेष दर्शित था। ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाते में अवशेष समस्त धनराशि को जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साधना सिंह समानरूप से उत्तदायी हैं।

60	औहदपुर तिगावां	हरपालपुर	81780	25	आलोच्य वर्षों में ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाते का लेखा जोखा व बैंक स्टेटमेंट मात्र 31.03.2012 तक की अवधि का ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार दिनांक 31.03.2012 को पास प्रधान छात्रवृत्ति की नकद धनराशि रु0 3900.00 अवशेष थी और छात्रवृत्ति खाता संख्या 4619 में 31.03.2012 को अवशेष रु0 77880.00 दर्शित था। इस प्रकार छात्रवृत्ति खाते में कुल दर्शित धनराशि रु0 81780.00 के सम्बन्ध में 31.03.2012 के बाद की स्थिति अज्ञात रही। उक्त धनराशि को अतिशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त में से नकद धनराशि रु0 3900.00 की वसूली का उत्तरदायित्व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लौंगश्री पर निर्धारित किया जाता है। बैंक खाते में 31.03.2012 को अवशेष रु0 77880.00 हेतु तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश दीक्षित एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लौंगश्री समान रूप से उत्तरदायी है।
61	घोड़ीथर मुबारकपुर	हरपालपुर	126635	25	ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खातों की जांच में स्थिति प्रकाश में आयी कि डी0सी0बी0 हरपालपुर के खाता संख्या 269 में ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाते में रु0 109430.00 दिनांक 31.03.2011 को यथावत् दर्शित है तथा छात्रवृत्ति खाता संख्या 087 में 31.03.2012 को रु0 17205.00 जमा दर्शित था उसके पश्चात् के अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें। उपरोक्त खातों में जमा धनराशियों को जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को अतिशीघ्र वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश दीक्षित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुन्ना समान रूप से उत्तरदायी हैं।
62	ककरौआ	हरपालपुर	207851	25	ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाता संख्या 7764 में आलोच्य वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर रु0 207851.00 अवशेष दिनांक 01.03.2012 को दर्शित था। इसके उपरान्त 01.04.2012 से छात्रवृत्ति खाते से सम्बन्धित सूचनायें व अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण स्थिति अस्पष्ट रही। छात्रवृत्ति खातों में अवशेष समस्त धनराशि को जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को अतिशीघ्र वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश दीक्षित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।
63	बम्हरोली चटकापुर	हरपालपुर	104498	25	आलोच्य वर्षों में छात्रवृत्ति खाता संख्या 21570593355 का स्टेटमेंट व लेखा जोखा दिनांक 31.03.2012 तक का ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 31.03.2012 को छात्रवृत्ति खातों में रु0 104498.00 जमा दर्शित था। अतः छात्रवृत्ति खाते की समस्त जमा धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को अतिशीघ्र वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश दीक्षित व

					तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतीश चन्द्र समान रूप से उत्तदायी हैं।
64	खसौरा	हरपालपुर	668595	25	आलोच्य वर्षों में ग्राम सभा के छात्रवृत्ति खाता संख्या 5008 (AGB) का स्टेटमेंट व लेखा जोखा दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि का ही लेखा परीक्षा में प्राप्त रहा। जिसमें वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति खाते की जांच व समीक्षा में अभिलेख अप्राप्त रहा। जिससे वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति खाते की जांच व समीक्षा न की जा सकी। दिनांक 31.03.2012 को छात्रवृत्ति खातें नकद शेष रु0 200.00 व बैंक खाते में रु0 668395.00 जमा दर्शित था। छात्रवृत्ति का वितरण अब इस खाते से नहीं होता है अतः छात्रवृत्ति खाते में जमा समस्त धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को अतिशीघ्र वापस की जानी अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार छात्रवृत्ति खाते में नकद शेष रु0 200.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र से की जानी अपेक्षित है। छात्रवृत्ति के बैंक खाते में शेष धनराशि रु0 668395.00 हेतु तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश दीक्षित व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र समान रूप से उत्तरदायी हैं।
65	अर्जुनपुर	हरपालपुर	130975	25	ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाता संख्या 5002 में 31.03.2013 को रु0 130975.00 अवशेष था। जिसे अतिशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री करन समान रूप से उत्तदायी हैं।
66	सरेसर	हरपालपुर	94890	25	ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति के दो खाते पहला जिला सहकारी बैंक में खाता संख्या 208 खाते जिसमें वर्ष 2010-11 के बाद कोई लेन देन नहीं हुआ है और दिनांक 31.03.2011 से उक्त खाते में रु0 72060.00 अवशेष यथावत् दर्शाया जा रहा है। दूसरा छात्रवृत्ति खाता संख्या ए0जी0बी0 में खाता संख्या 0222102100000100 है जिसमें 31.03.2013 को अवशेष धनराशि रु0 22830.00 दर्शित है। उपरोक्त छात्रवृत्ति खातों की अवशेष धनराशि को जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को अतिशीघ्र वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सोनेलाल समान रूप से उत्तदायी हैं।
67	धर्मपुर	हरपालपुर	211100	27	ग्राम सभा के छात्रवृत्ति खाता संख्या 5063 में वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्त में जमा धनराशि रु0 206994.00 दर्शित है। माह अगस्त 2013 में बैंक द्वारा छात्रवृत्ति खातों में रु0 4016.00 ब्याज देने के बाद जमा

					धनराशि रू0 211100.00 दर्शित थी, जिसे अतिशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री हिम्मल लाल वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी समान रूप से उत्तदायी हैं।
68	चौऊपुर	हरपालपुर	67759	26	ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाता संख्या 5057 में वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर रू0 67759.00 अवशेष दर्शित था, जिसे अतिशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री हिम्मत लाल वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टा देवी समान रूप से उत्तदायी हैं।
69	सिरसा	हरपालपुर	97732	20	ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाते की जांच में प्रकाश में आया कि खाते का बैंक स्टेटमेंट दिनांक 19 अक्टूबर 2012 तक की अवधि का ही उपलब्ध था जिसके अनुसार दिनांक 31.03.2012 को खाते में अवशेष धनराशि रू0 39325.00 थीं। वर्ष 2013-13 में खाते में दिनांक 23.04.2012 को कुल रू0 57000.00 छात्रवृत्ति का प्राप्त हुआ। खाते पर बैंक द्वारा 11.08.2012 को रू0 1407.00 ब्याज प्रदान किया गया। इस प्रकार छात्रवृत्ति खाते में दिनांक 11.08.2012 को रू0 97732.00 जमा दर्शित था। जिसे अतिशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ब्रजकान्त समान रूप से उत्तदायी हैं।
70	दहेलिया	हरपालपुर	138290	26	ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाता संख्या 742910200004900 जो बैंक ऑफ इण्डिया हरपालपुर में है दिनांक 18.05.2012 के पश्चात् से कोई लेन-देन नहीं हुआ है और लेखा की तिथि तक उक्त खाते में रू0 138290.00 अवशेष था जिसे अतिशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को वापस किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री नेकराम यादव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बालस्टर रूप से उत्तदायी हैं।
71	महुआ डाण्डा	भरावन	308987	10	ग्राम पंचायत की वर्ष 2012-13 की ले0प0 में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये दो वर्षों में श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात (व्ययों में) विद्यमान नहीं पाया गया है—

					<table><tr><th>कार्य का नाम</th><th>तकनीकी स्वीकृति (रु० में)</th><th>वास्तविक व्यय (ले०पा० अनु०)</th></tr><tr><td>गुड्डू के दरवाजे से रामचन्द्र के दरवाजे तक खडंजा / नाली (एम०बी०८८९६५)</td><td>श्रमांश=३१९९५.१२ सामग्री अंश=१९१९१४.०० कुल= २२३९१०.००</td><td>श्रमांश=३१८७५.०० सामग्री अंश=१९२२८५.०० कुल= २२४१६०.००</td></tr><tr><td>मूरत के घर से शिवनाथ के घर तक मि० / खंडजा मार्ग (एम०बी०अप्राप्त)</td><td>श्रमांश=१२९००.०० सामग्री अंश=९३७००.०० कुल= १०६६००.००</td><td>श्रमांश=११८८०.०० सामग्री अंश=७२९४७.०० कुल= ८४८२७.००</td></tr></table>	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति (रु० में)	वास्तविक व्यय (ले०पा० अनु०)	गुड्डू के दरवाजे से रामचन्द्र के दरवाजे तक खडंजा / नाली (एम०बी०८८९६५)	श्रमांश=३१९९५.१२ सामग्री अंश=१९१९१४.०० कुल= २२३९१०.००	श्रमांश=३१८७५.०० सामग्री अंश=१९२२८५.०० कुल= २२४१६०.००	मूरत के घर से शिवनाथ के घर तक मि० / खंडजा मार्ग (एम०बी०अप्राप्त)	श्रमांश=१२९००.०० सामग्री अंश=९३७००.०० कुल= १०६६००.००	श्रमांश=११८८०.०० सामग्री अंश=७२९४७.०० कुल= ८४८२७.००
कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति (रु० में)	वास्तविक व्यय (ले०पा० अनु०)												
गुड्डू के दरवाजे से रामचन्द्र के दरवाजे तक खडंजा / नाली (एम०बी०८८९६५)	श्रमांश=३१९९५.१२ सामग्री अंश=१९१९१४.०० कुल= २२३९१०.००	श्रमांश=३१८७५.०० सामग्री अंश=१९२२८५.०० कुल= २२४१६०.००												
मूरत के घर से शिवनाथ के घर तक मि० / खंडजा मार्ग (एम०बी०अप्राप्त)	श्रमांश=१२९००.०० सामग्री अंश=९३७००.०० कुल= १०६६००.००	श्रमांश=११८८०.०० सामग्री अंश=७२९४७.०० कुल= ८४८२७.००												
ले०पा० में उपरोक्त प्रकरणों की जांच में स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति में ही मनरेगा गाइडलाइन्सअनुपालन नहीं किया गया जिस कारण वास्तविक व्ययों में भी सामग्री अंश व श्रमांश में ४०:६० का अनुपात विद्यमान नहीं रहा है। इस प्रति ले०पा० के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री शिवप्रकाश मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री यशवीर समान रूप से उत्तदायी हैं।														
72	बहुती	भरावन	276385	9	ग्राम पंचायत की वर्ष 2012–13 की ले०पा० में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों :- राममूर्ति के घर से भगवान दास के घर तक नाली खडंजा निर्माण कार्य व सिरसा की दुकान से प्रा०पा० बधिया तक खडंजा कार्य में श्रमांश व सामग्री अंश में ६०:४० का अनुपात (व्ययों में) विद्यमान नहीं पाया गया है:- <table><tr><th>कार्य का नाम</th><th>तकनीकी स्वीकृति (रु० में)</th><th>वास्तविक व्यय (ले०पा० अनु०)</th></tr><tr><td>राममूर्ति के घर से भगवान दास के घर तक नाली / खंडजा नि० (एम०बी०८८९५५)</td><td>श्रमांश=२२३५०.०० सामग्री अंश=१५२६२०.०० कुल= १७४९७०.००</td><td>श्रमांश=२७७८०.०० सामग्री अंश=११६२८०.०० कुल= १४४०६०.००</td></tr></table>	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति (रु० में)	वास्तविक व्यय (ले०पा० अनु०)	राममूर्ति के घर से भगवान दास के घर तक नाली / खंडजा नि० (एम०बी०८८९५५)	श्रमांश=२२३५०.०० सामग्री अंश=१५२६२०.०० कुल= १७४९७०.००	श्रमांश=२७७८०.०० सामग्री अंश=११६२८०.०० कुल= १४४०६०.००			
कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति (रु० में)	वास्तविक व्यय (ले०पा० अनु०)												
राममूर्ति के घर से भगवान दास के घर तक नाली / खंडजा नि० (एम०बी०८८९५५)	श्रमांश=२२३५०.०० सामग्री अंश=१५२६२०.०० कुल= १७४९७०.००	श्रमांश=२७७८०.०० सामग्री अंश=११६२८०.०० कुल= १४४०६०.००												

					सिरसा की दुकान से प्रा०पा० बंधिया तक खंडजा कार्य	श्रमांश=22300.00 सामग्री अंश=131900.00 कुल= 154200.00	श्रमांश=18375.00 सामग्री अंश=113950.00 कुल= 132325.00
					ले०प० में उपरोक्त प्रकरणों की जांच में स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति में ही मनरेगा गाइडलाइन्स अनुपालन नहीं किया गया जिस कारण वास्तविक व्ययों में भी सामग्री अंश व श्रमांश में 40:60 का अनुपात विद्यमान नहीं रहा है। इस प्रति ले०प० के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री शिवप्रकाश मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लता द्विवेदी रूप से उत्तदायी हैं।		
73	छातिया रामपुर	भरावन	64300	10	ग्राम पंचायत की वर्ष 2012-13 की ले०प० में कराये गये कार्य सुन्दर के घर से तालाब तक खंडजा नाली निर्माण कार्य की जांच में पाया गया कि एम०बी०एस० 8861 अनुसार लेबर कास्ट (रु० 18115.00) व मैटरियल कास्ट रु० 158052.00 तकनीकी रूप से स्वीकृति की गयी है जिसमें लेबर कास्ट व मैटरियल कास्ट में 60:40 का अनुपात विद्यमान नहीं है। इसी के सापेक्ष उक्त कार्य पर वास्तविक रूप से मैटरियल पर व्यय रु. 49840.00 व लेबर पर व्यय रु० 14,460.00 हो चुका हैं। ले०प० में प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट अप्राप्त रही है। चूंकि तकनीकी स्वीकृति ही त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त कार्य पर भी लेबर कास्ट व मैटरियल रास्ट में 60:40 का अनुपात होना सम्भव नहीं है। यह आपत्ति का विषय का है इस प्रति स्पष्टीकरण ले०प० के प्रस्तुत करना अपेक्षित है। साथ ही उक्त कार्य भी कार्य प्रगति प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट भी ले०प० में प्रस्तुत कर लेबर कास्ट व मैटरियल कास्ट की वास्तविक हियती स्पष्ट करना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अयोध्या प्रसाद व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी रूप से उत्तदायी हैं।		
74	ऐरा काकेमऊ	भरावन	268945	8	ग्राम पंचायत की वर्ष 2012-13 की ले०प० में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजनानर्गत कराये गये एक कार्य- पक्की सडक से राजेन्द्र के घर तक नाली एवं खंडजा कार्य में श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात (व्ययों में) विद्यमान नहीं पाया गया है-		

					कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति (रु० में)	वास्तविक व्यय (ले०प० अनु०)
					पक्की सड़क से राजेन्द्र के घर तक नाली एवं खंडजा कार्य (एम०बी० अप्राप्त)	श्रमांश=34900.00 सामग्री अंश=277500.00 कुल= 312400.00	श्रमांश=30750.00 सामग्री अंश=238195.00 कुल= 268945.00
					लेखा परीक्षा में उपरोक्त प्रकरण की जांच से स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति में ही मनरेगा गाइडलाइन्स का अनुपालन नहीं किया गया जिस कारण वास्तविक व्ययों में भी सामग्री अंश व श्रमांश में 40:60 का अनुपात विद्यमान नहीं रहा है। इस प्रति ले०प० में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मोतीलाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर रूप से उत्तदायी हैं।		
75	बम्हनौआ पेंग	भरावन	266350	10	ग्राम पंचायत की वर्ष 2012-13 की मनरेगा योजना की ले०प० में पाया गया कि कराये गये कार्य- विशुनकुमार के घर से जगन्नाथ के खेत तक खंडजा कार्य (कोड 3130020006/आर०सी०/958486255822414701) की एम०बी० (माप पुस्तिका) जांच में अप्राप्त रही एवं विस्तृत तकनीकी सहायक रिपोर्ट अनुसार श्रमांश= रु० 37691.00 व सामग्री अंश= रु० 232540.00 कुल रु० 270200.00 की तकनीकी स्वीकृति कार्य हेतु प्रदान की गयी। जिससे श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात नहीं व्याप्त हैं। अतः तकनीकी स्वीकृति स्वयं ही त्रुटिपूर्ण है। इसके सापेक्ष कार्य पर कुल व्यय= रु० 266350.00 हुआ। जिसमें सामग्री अंश =रु० 321100.00 व श्रमांश (रु० 35250.00) है। स्पष्ट है कि इसमें भी सामग्री अंश व श्रमांश में 60:40 का अनुपात नहीं है। यह गम्भीर आपत्ति का विषय है। इस प्रति सहायक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रवि कुमार तिवारी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री छंगा लाल रूप से उत्तदायी हैं।		
76	अतरौली	भरावन	268306	7	ग्राम पंचायत की वर्ष 2012-13 की ले०प० में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये दो कार्य :- कोथावां रोड से सेतु बंधु के घर के पास तक खंडजा निर्माण व बुद्ध के घर से रामपाल के घर तक खंडजा कार्य में श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात (व्ययों में) विद्यमान नहीं पाया गया है-		

					कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति (रु० में)	वास्तविक व्यय (ले०प० अनु०)
					कोथावां रोड से सेतु बंधु के घर के पास तक खडंजा निर्माण	श्रमांश=21600.00 सामग्री अंश=162400.00 कुल= 184000.00	श्रमांश=22645.00 (मस्टररोल 98038 से 98040—रु० 21875.00) सामग्री अंश=140036.00 कुल= 162681.00
					बुद्ध के घर से रामपाल के घर तक खडंजा कार्य	श्रमांश=18000.00 सामग्री अंश=109500.00 कुल= 127500.00	श्रमांश=9625.00 सामग्री अंश=96000.00 कुल= 105625.00
					ले०प० में उपरोक्त प्रकरणों की जांच में स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति में ही मनरेगा गाइडलाइन्स अनुपालन नहीं किया गया जिस शरण वास्तविक व्ययों में भी सामग्री अंश व श्रमांश में 40:60 का अनुपात विद्यमान नहीं रहा है। इस प्रति ले०प० के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायतसेक्रेटरी श्री मोती लाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामनाथ रूप से उत्तदायी हैं।		
77	मुसलमानाबाद	कछौना	84433	9	ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में मनरेगा योजनान्तर्गत कराया गया कार्य :- आशाराम के मकान से सण्डीला गौसगंज मार्ग/पी०डब्ल्यू०डी० रोड तक खडंजा कार्य निर्माण कार्य में तकनीकी सहायक द्वारा मनरेगा गाइडलाइन्स का अनुपालन नहीं किया गया हैं तथा मैटेरियल कास्ट व लेबर कास्ट में 40:60 का अनुपात तकनीकी स्वीकृति में नहीं रखा गया है। संबंधित तकनीकी स्वीकृति में मैटेरियल कास्ट (रु 69069.00) व लेबर कास्ट (13600.00 रु०) कुल रु० 82600.00 एम०बी. संख्या 4730 अनुसार स्वीकृति हुआ। इसी के सापेक्ष कराए गए कार्य पर लेबर कास्ट (रु० 15355.00) व मैटेरियल कास्ट (रु० 69078.00) का व्यय वास्तविक रूप से हुआ। स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति में त्रुटि होने के कारण कराए गए उक्त कार्य में श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात विद्यमान नहीं रहा। यह आपत्ति का विषय है। इस प्रति ले०प० में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री आदर्श कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमाकान्त दीक्षित रूप से उत्तदायी हैं।		

78	गाजू	कछौना	281321	9	ग्राम पंचायत की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजनान्तर्गत कराए गए निम्न दो कार्यों के श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात (व्ययों में) विद्यमान नहीं पाया गया है :-		
					कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति (रु० में)	वास्तविक व्यय (ले.प. अनुसार)
					गोठवा नहर की पुलिया से निरंजन के घर तक खंडजा नि० कार्य रोड :- 3130033010 / आर०सी० / 7290	श्रमांश = 24120.00 सामग्रीअंश= 134040.00 कुल = 158160.00	श्रमांश = 24625.00 सामग्रीअंश=135676.00 कुल = 160301.00
					राम सिंह के घर से सुंदरलाल के घर तक खंडजा व नाली कार्यरोड:- 3130033010 / आर०सी० / 958486255822398686	श्रमांश = 27985.00 सामग्रीअंश =138000.00 कुल = 165985.00	श्रमांश = 27510.00 सामग्रीअंश=93510.00 कुल = 121020.00
					ले०प० में उपरोक्त प्रकरणों की जांच से स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति में ही मनरेगा गाइडलाइन्स का अनुपालन नहीं किया गया जिस कारण वास्तविक व्ययों में भी श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात विद्यमान नहीं रहा है। इस प्रति ले.प. में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अरुण वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमादेवी सामान रूप से उत्तदायी हैं।		
79	कुकुही	कछौना	199677	9	ग्राम पंचायत की वर्ष 2012-13 की ले०प० में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजनान्तर्गत कराए गए निम्न दो कार्यों के श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात (व्ययों में) विद्यमान नहीं पाया गया है :-		
					कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति (रु० में)	वास्तविक व्यय (ले.प. अनुसार)
					पंडित के घर से रेलवे सीमा होते हुए छोटेलाल	श्रमांश = 25000	श्रमांश = 2275

					के घर तक खंडजा (एम.बी.अप्राप्त)	सामग्री अंश = 127400 कुल = 152400	सामग्रीअंश=122295 कुल = 145045
					सुनील कुमार के घर से समशुददीन के घर तक मिटटी कार्य (दोनों तरफ)(U-टाइप नाली)(एम.बी.अप्राप्त)	श्रमांश = 56600 सामग्री अंश = 147400 कुल = 204000	श्रमांश = 16875 सामग्रीअंश= 37757 कुल = 54632
					ले0प0 में उपरोक्त प्रकरणों की जांच से स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति में ही मनरेगा गाइडलाइन्स का अनुपालन नहीं किया गया जिस कारण वास्तविक व्ययों में भी श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात विद्यमान नहीं रहा है। इस प्रति ले0प0 में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मन्नी लाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना सामान रूप से उत्तदायी हैं।		
80	उत्तरधैया	कछौना	163893	8	ग्राम पंचायत की वर्ष 2012-13 की ले0प. में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजनान्तर्गत कराए गए निम्न दो कार्यों में श्रमांश व सामग्री अंश में 60:40 का अनुपात (व्ययों में) विद्यमान नहीं पाया गया है:-		
					कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति (रु0 में)	वास्तविक व्यय (ले.प. अनुसार)
					गोहरैया खाडाखेडातिराहा से उत्तरधैया तिराहा तक खंडजा निर्माण (एम.बी. अप्राप्त)	श्रमांश = 60800 सामग्रीअंश= 162200 कुल = 223000	श्रमांश = 19875 सामग्रीअंश = 25669 कुल = 45544
					गोहरैया मेन खंडजा से मनोहर के घर होते हुए देवी प्रसाद के घर तक संपर्क मार्ग (एम.बी.अप्राप्त)	श्रमांश = 23625 सामग्रीअंश=133200 कुल = 156825	श्रमांश = 14000 सामग्रीअंश= 104349 कुल = 118349

					ले0प0 में उपरोक्त प्रकरणों की जांच से स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति के ही मनरेगा गाइडलाइन्स का अनुपालन नहीं किया गया जिस कारण वास्तविक व्ययों में भी श्रमांश व सामाग्री अंश में 60:40 का अनुपालन विद्यमान नहीं रहा है इस प्रति ले.प. में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मन्नी लाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता सामान रूप से उत्तरदायी हैं।

जनपद— सीतापुर

प्रस्तर 1. ग्राम पंचायत जरिगवां, विकास खण्ड — गोन्दलामऊ (आ0स0— 03)

मनरेगा की जाँच में पाया गया कि मनरेगा के विभिन्न वर्षों से कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिकायें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण संबन्धित कार्यों में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी वर्षवार व्यय का विवरण निम्न है।

वर्ष		धनराशि
2008—09	—	1064729=00
2009—10	—	2509148=00
2010—11	—	936925=00
2011—12	—	590432=00
2012—13	—	494613=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान सरोज सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 2. ग्राम पंचायत जरिगवां, विकास खण्ड—गोन्दलामऊ (आ0स0— 05)

आपत्ति सं0 5 ग्राम निधि व 13वें वित्त खातें से संबन्धित व्यय की गयी धनराशि का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र माप पुस्तिका व स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी। पुष्टि कराये जाये अन्यथा की स्थिति में वसूली अपेक्षित है। वर्षवार विवरण निम्न है—

वर्ष	धनराशि	
	ग्राम निधि	13वाँ वित्त
08—09	1,20,000=00	
09—10	182,608=00	
10—11	342,264=00	
11—12	317,000=00	176,468=00
12—13	—	602,120=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान सरोज सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 3. ग्राम पंचायत कोरौना विकास खण्ड – गोन्दलामऊ (आ0 सं0 17)

वर्ष आलोच्य में ₹0 3870,0328=00 शौचालय कार्य हेतु ग्राम पंचायत को धन प्राप्त हुआ जिसमें ₹0 1226,000=00 का आहरण कर शौचालय का निर्माण कार्य दर्शाया गया परन्तु कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया और न ही सक्षम अधिकारियों से संबन्धित शौचालयों का सत्यापन कराया गया वास्तव में शौचालय बनाया ही नहीं गया और आहरित धनराशि ₹0 12,26,000=00 का गबन फर्जी व्यय प्रमाणकों के आधार पर ग्राम प्रधान श्रीमती राम देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल द्वारा किया गया है। वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 4. ग्राम पंचायत कोरौना, विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0 सं0— 18)

दिनांक 31.03.2013 को शौचालय खाते की अवशेष धनराशि 26,44,328=00 दर्शित है जिसका न तो उपयोग किया गया और न ही सरकार को वापस किया गया स्थिति अत्यन्त गम्भीर है जाँच अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम पाल वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 5. ग्राम पंचायत बक्छेरवा विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0 सं0— 17)

मनरेगा खाते से निम्न तिथियों में धनराशि का आहरण किया जाना दर्शित है आहरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध पाये गये। इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणकों आहरित धनराशि का गबन श्री अभय कुमार दीपक व ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती द्वारा किया गया है, वसूली की जानी अपेक्षित है।

दिनांक		धनराशि
18.04.11	—	1,14,960=00
23.04.11	—	51,720=00
31.05.11	—	10,000=00
“	—	10,000=00
“	—	10,000=00
08.05.11	—	1,15,560=00
08.06.11	—	90,360=00
22.06.11	—	6,000=00
19.08.11	—	29,520=00

योग— 4,38,120=00

प्रस्तर 6. ग्राम पंचायत बक्छेरवा विकास खण्ड गोन्दलामऊ (आ0 सं0— 18)

वर्ष 2012—13 में ग्राम निधि I खाते में रू0 60,500=00 आहरित किया गया जिसे कैशबुक में न दर्शाकर धनराशि का गबन किया गया।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अभय प्रताप व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली समान रूप से उत्तरदायी हैं। वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 7. ग्राम पंचायत सहोली विकास खण्ड गोन्दलामऊ (आ0 सं0—17)

13वाँ वित्त खाते की जाँच में पाया गया कि दिनांक— 08.03.13 को रू0 29,810=00 का भुगतान श्रमिकों को मास्टर रोल के माध्यम से नगद किया जाना दर्शित है। मास्टर रोल पर श्रमिकों के नाम अंकित नहीं है स्पष्ट है कि फर्जी मास्टर रोल के आधार पर रू0 29,810=00 का गबन ग्राम पंचायत अधिकारी अभय प्रताप दीपक व ग्राम प्रधान श्री कृष्णा रावत द्वारा किया गया वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 8. ग्राम पंचायत सहोली विकास खण्ड गोन्दलामऊ (आ0सं0— 18)

निम्न दिनाँकों में फर्जी ईट व्यय दर्शाकर रू0 60,000=00 का गबन उपरोक्त ग्राम पं0अ0 व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया क्योंकि उक्त ईट का उपभोग कैशबुक के अनुसार कही नहीं किया गया। वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

15.03.13 — 34,800=00

23.03.13 — 25,200=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अजय कुमार दीपक व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा रावत समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 9. ग्राम पंचायत सहोली विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0सं0 19)

निम्न दिनाँकों में फर्जी स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइट व्यय दर्शाकर रू0 90,500=00 का उपरोक्त ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा शासकीय अनुदान का गबन किया गया। वसूली की जानी अपेक्षित है।

14.01.13 मणि श्री इन्टर प्राइजेज — 32,500=00 प्रमाणक नहीं है।

09.10.12 अनुभव स्ट्रीट लाइट — 26000=00 स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई गई।

25.11.11 सोलर लाइट — 32000=00 नहीं लगवाई।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अजय कुमार दीपक व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा रावत समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 10. ग्राम पंचायत समसापुर विकास खण्ड—गोन्दलामऊ (आ0सं0—18)

दिनांक— 07.01.13 में रू0 50,000=00 का आहरण श्री बाबू राम ग्रा0वि0अ0 द्वारा मनरेगा खाते से किया गया है। उक्त आहरण की प्रविष्टि आय पक्ष में की गयी है लेकिन व्यय पक्ष में अंकित नहीं की गयी। और 31.01.13 को अवशेष रोकड़ शून्य दर्शाकर श्री बाबूराम द्वारा रू0 50,000=00 का गबन किया गया है। वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 11. ग्राम पंचायत समसापुर विकास खण्ड —गोन्दलामऊ (आ0सं— 19)

ग्राम निधि I खाते से निम्न तिथियों में ग्राम सभा के पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभय कुमार दीपक द्वारा आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि को कैशबुक में अंकन न करके रू0 251,000=00 गबन किया गया है। इस सम्बन्ध में वसूली की जाना अपेक्षित है, विवरण निम्न है।

दिनांक		धनराशि
02.04.08	—	55000=00
11.06.08	—	71000=00
“	—	6000=00
14.08.08	—	9000=00
16.12.08	—	75000=00
26.02.08	—	33000=00
31.03.09	—	2000=00
		251000=00

प्रस्तर 12. ग्राम पंचायत शिवपुरी विकास खण्ड गोन्दलामऊ (आ0सं0— 17)

मनरेगा खाते में निम्न दिनांकों में खेत का समतलीकरण कराने हेतु श्रमिकों को भुगतान दिया जाना दर्शित है समतलीकरण से संबन्धित मांग पत्र व कार्य पूर्ति होने की लाभार्थी द्वारा दिया गया सहमति पत्र व कार्यपुष्टि नहीं पायी गयी जिससे सम्बन्धित कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है इस सम्बन्ध में विभागीय जांच आवश्यक है। विवरण निम्न है।

01.02.11 रामनाथ के खेत का समतलीकरण — 11,000=00

19.12.10 कल्लू पुत्र कुचई के खेत का समतलीकरण — 109,000=00

13.01.12 विभा पत्नी सदन के खेत का समतलीकरण — 89280=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल व तत्कालीन ग्राम प्रधान समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 13. ग्राम पंचायत शिवपुरी (आ0सं0- 18)

निम्न दिनांकों में ईट क्रय दर्शित है ईट का उपयोग कहाँ किया गया है, लेखा परीक्षा में स्पष्ट न हो सका स्थिति संदिग्ध है, जाँच अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
07.02.12	— 153440=00
23.03.12	— 158,427=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल व तत्कालीन ग्राम प्रधान समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 14. ग्राम पंचायत आमाघाट विकास खण्ड गोन्दलामऊ (आ0सं0- 2)

वर्ष 2012-13 में कूड़ादान किट बनवाने हेतु निम्न दिनांकों में सामग्री व्यय की गयी है जिसका विवरण निम्न है—

दिनांक	धनराशि	विवरण
29.04.12	45000=00	ईट व्यय
09.05.12	30000=00	बालू + सीमेन्ट व्यय
09.09.12	120,000=00	ईट व्यय
22.05.12	57000=00	बालू + सीमेन्ट व्यय
28.05.12	40,000=00	बालू + सीमेन्ट व्यय
30.01.13	70,000=00	बालू + सीमेन्ट व्यय

उक्त ग्राम पंचायत में निम्न आपत्ति पायी गयी ।

1. क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका नहीं बनायी गयी।
2. ईट व सीमेन्ट क्रय हेतु कोटेशन/निविदायें नहीं की गयी।
3. ईट से सम्बन्धित चालान बिल नहीं लिया गया।
4. कूड़ादान किट से सम्बन्धित एम0बी0 व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रामपाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 15. ग्राम पंचायत चाँदपुर विकास खण्ड — गोन्दलामऊ (आ0सं0-2(ii))

मनरेगा खाते में निम्न दिनांकों में धनराशि का आहरण किया गया है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
14.05.11	72,609=00	राज ट्रेडर्स से सीमेन्ट व बालू व्यय
18.05.11	82,290=00	अमन बिक्र फील्ड से ईट व्यय
23.06.11	130,084=00	बाला जी ट्रेडर्स से सीमेन्ट बालू व्यय
04.03.13	83080=00	अमन बिक्र फील्ड से ईट व्यय
05.03.13	30,907=00	सिंह ट्रेडर्स
06.10.12.	46556=00	सिंह ट्रेडर्स
10.10.12	50,618=00	अमन बिक्र फील्ड से ईट व्यय

उक्त क्रय सामग्री से सम्बन्धित निम्न कमियाँ पायी गयी।

1. स्टॉक पंजिका नहीं बनाई गई।
2. कोटेशन/निविदायेँ नहीं ली गयी।
3. चालान बिल प्राप्त नहीं किया गया।
4. एम0बी0 नहीं बनवाई गयी।

इस प्रकार खरीद संदिग्ध है, विभागीय जाँच अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामनाथ समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 16. ग्राम पंचायत चाँदपुर विकास खण्ड गोन्दलामऊ (आ0सं0-2(V))

13वें वित्त खाते से निम्न दिनांकों में व्यय निम्न विवरणानुसार किया जाना अपेक्षित है।

23.04.12	37560=00	हयूम पाइप क्रय
18.05.12	40280=00	अमन बिक्र फील्ड
30.05.12	13480=00	नल मरम्मत
10.12.12	29000=00	सीमेन्ट क्रय

उक्त क्रयों से संबन्धित प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें व्यय की पुष्टि न हो सकी। प्रमाणक का न होना सम्बन्धित व्यय का फर्जी होना सिद्ध है। अतः उक्त गबन की गयी धनराशि का वसूली की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 17. ग्राम पंचायत ककरघटा विकास खण्ड – गोन्दलामऊ (आ0सं0- 2(iii))

निम्न तिथियों में ईट क्रय किया जाना दर्शित है। ईट क्रय से सम्बन्धित निम्न कमियाँ पायी गयी।

1. चलान बिल प्रस्तुत नहीं किया गया ।
2. कोटेशन/निविदायें नहीं लिये गये।
3. ईट क्रय सम्बन्धित स्टाक पंजिका नहीं बनायी गयी है।

10.05.09	—	60,000=00
15.12.09	—	75,000=00
20.03.10	—	12,0000=00
10.12.10	—	56,000=00
20.12.10	—	1,36000=00
03.03.11	—	46,000=00
20.05.11	—	79,988=00
10.09.11	—	1,15000=00
30.01.12.	—	88,000=00
10.10.12	—	46,000=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल व तत्कालीन ग्राम प्रधान समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 18. ग्राम पंचायत बानपुर विकास खण्ड – गोन्दलामऊ (आ0सं0— 6)

निम्न तिथियों में ग्राम निधि (13वें वित खाता) खाते से ईट क्रय का विवरण निम्न रहा।

1. 15.06.12	—	64000=00
2. 19.07.12	—	80000=00
3. 11.01.13	—	120,000=00

ईट क्रय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ पायी गयी।

1. कोटेशन/निविदायें अप्राप्त रहीं।
2. चालान बिल अनुपलब्ध रहा।
3. स्टाक पंजिका नहीं बनायी गयी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रामचन्द्र व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 19. ग्राम पंचायत कुर्सी विकास खण्ड – गोन्दलामऊ आ0सं0— 7

निम्न तिथियों में ग्राम निधि खाते व 13 वाँ वित खाते से मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में मास्टर रोल के माध्यम से श्रमिकों को भुगतान किया जाना दर्शित है।

दिनांक	धनराशि	विवरण
06.06.11	1,44000=00	मार्ग निर्माण करना परन्तु मार्ग का विवरण कैशबुक व मास्टर रोल पर अंकित नहीं है।
23.06.11	48000=00	खड़न्जा निर्माण विवरण अंकित नहीं है।
28.01.12	36000=00	मार्ग निर्माण विवरण अंकित नहीं है।
25.05.12	156000=00	नाला खुदाई विवरण अंकित नहीं है।

मास्टर रोल व कैशबुक पर उक्त कार्य करवाई व चिन्हित स्थान का दर्शाया जाना चाहिए। सुधार अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 20. ग्राम पंचायत कुर्सी विकास खण्ड गोन्दलामऊ आ0सं0— 8

वर्ष आलोच्य में विभिन्न तिथियों में नल बनवाई हेतु कार्य किया गया है, भुगतान अधिकतर चेक द्वारा न करके नगद किया गया है, भुगतान चेक द्वारा किया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नलिखित है—

02.10.12	6558=00	नल बनवाई
04.11.12	8331=00	नल बनवाई

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 21.ग्राम पंचायत भरौना विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0सं0— 2(iv))

ग्राम निधि व 13वें वित्त से सम्बन्धित कृत कार्यों की न तो एम0बी0 बनायी गयी है और नही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बनाया गया स्थिति संदिग्ध है जांच अपेक्षित है। धनराशि का विवरण इस प्रकार है —

वर्ष	ग्राम निधि I को धनराशि	13वाँ वित्त की धनराशि
2011—12	187630=00	964732=00
2012—13	—	518919=00

उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामदयाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 22. ग्राम पंचायत नगवा जयरामपुर विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0सं0— 2(ii))

विभिन्न वर्षों में मनरेगा खातों में व्यय किया गया है। व्यय के सापेक्ष कृत कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे मनरेगा व्यय की पुष्टि न की जा सकी विवरण निम्न है।

वर्ष	धनराशि
2010-11	915475=00
2011-12	4,42823=00
2012-13	4,22,393=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रामपाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामपाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 23. ग्राम पंचायत नगवा जयरामपुर विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0सं0— 2(iii))

ग्राम निधि I खाते से व 13वें वित्त खाते से निम्न व्यय किया गया है। व्ययों के सापेक्ष माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे दर्शित कृत कार्यों की पुष्टि न हो सकी।

वर्ष	ग्राम निधि I को धनराशि	13वाँ वित्त की धनराशि
2010-11	407600=00	
2011-12	19480=00	4130600=00
2012-13	—	873502=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रामपाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामपाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 24. ग्राम पंचायत हिन्डौरा विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0सं0— 2(ii))

वर्ष 2010 में मनरेगा खाते से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे सम्बन्धित धनराशियों के व्यय एवं धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो सकी। विवरण निम्न है—

वर्ष	धनराशि
2011-12	— 11,08410=00
2012-13	— 5,06,038=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामादेवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 25. ग्राम पंचायत इस्माइल गंज विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0सं0— 2(i))

वर्ष 2011-12 व 2012-13 से सम्बन्धित छात्रवृत्ति के अभिलेख जैसे कैशबुक छात्रवृत्ति विवरण पंजिका व उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पत्रावली के साथ

संलग्न छात्रवृत्ति के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 435000.00 आहरण किया गया है उक्त धनराशि के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख न बनाना गम्भीर आपत्ति का विषय है, विभागीय जांच अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 26. ग्राम पंचायत इस्माइल गंज विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0सं0— 2(iii))
निम्न दिनांकों में मनरेगा खाते से ईट क्रय किये जाने का विवरण निम्न है।

दिनांक		धनराशि
09.04.12	—	76,000=00
24.04.12	—	57,000=00

उक्त ईट क्रय से सम्बन्धित चालान बिल, कोटेशन/निविदायें स्टाक पंजिका नहीं पायी गयी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 27. ग्राम पंचायत तेरवा विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0सं0— 2(i))

निम्न तिथियों में छात्रवृत्ति का आहरण किया गया है परन्तु विवरण नहीं दर्शाया है और न ही उपभोग प्रमाण पत्र लिया गया है सम्बन्धित धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत राज अधिकारी से जाँचोपरान्त अपेक्षित है।

दिनांक		आहरित धनराशि
16.11.11	—	29400=00
24.11.11	—	8160=00
10.04.12	—	120,000=00
09.08.12	—	90,000=00
16.10.12	—	150,000=00
		397560=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गौरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 28. ग्राम पंचायत तेरवा विकास खण्ड गोन्दलामऊ (आ0सं0— 2(ii))

वर्ष आलोच्य में मनरेगा के अर्न्तगत व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों की एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि व्यय की गयी धनराशि एम0बी0 में दर्शित धनराशि के बराबर है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में विभागीय जांच अपेक्षित है।

वर्ष		धनराशि
2011-12	—	11,38835=00
2012-13	—	5,39,773=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गौरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 29. ग्राम पंचायत तेरवा विकास खण्ड गोन्दलामऊ (आ0सं0- 2(iii))

वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि I खाता व 13वें वित्त खाते से सम्बन्धित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व एम0बी0 नहीं बनायी गयी है, जिससे सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी।

वर्ष	ग्राम निधि I को धनराशि	13वाँ वित्त की धनराशि
2011-12	348850=00	433332=00
2012-13	—	386902=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गौरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 30. ग्राम पंचायत बालपुर विकास खण्ड- गोन्दलामऊ (आ0सं0- 2(v))

वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक मनरेगा के अर्न्तगत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि कार्य माप पुस्तिका के अनुसार कराया गया है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

2011-12	—	816597=00
2012-13	—	679108=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लाजवती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड-पहला

प्रस्तर 31. ग्राम पंचायत सरैया बल्देव सिंह विकास खण्ड — पहला (आ0सं0- 14)

ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कैशबुक व मिडडे मील योजना से सम्बन्धित कैशबुक को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः तत्सम्बन्धी टिप्पणी न की जा सकी, ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कैशबुक पासबुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते में रु0 54229=00 तथा मिड डे — मील खाते में रु0 अज्ञात अवशेष रहा। जिसका नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री ऋषि राज सिंह व श्री श्याम किशोर शुक्ला व तत्कालीन ग्राम प्रधान सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 32. ग्राम पंचायत बनेहरा बीरबल विकास खण्ड पहला (आ0सं0— 14)

ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कैशबुक व मिड डे—मील योजना से सम्बन्धित कैशबुक को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः तत्सम्बन्धी टिप्पणी न की जा सकी, ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कैशबुक, पासबुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते में ₹0 25962=00 तथा मिड डे—मील खाते में शून्य अवशेष रहा जिसका नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री ऋषि राज सिंह व श्री श्याम किशोर शुक्ला व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 33. ग्राम पंचायत भुड़कुड़ा विकास खण्ड पहला (आ0सं0— 14)

ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कैशबुक व मिड डे—मील योजना से सम्बन्धित कैशबुक को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः तत्सम्बन्धी टिप्पणी न की जा सकी। ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कैशबुक, पासबुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते में ₹0 748=00 तथा मिड डे—मील खाते में ₹0 233983=00 अवशेष रहा जिसका नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम किशोर वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नाजबानो व श्री पन्नालाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 34. ग्राम पंचायत भुड़कुड़ा विकास खण्ड— पहला (आ0सं0— 17)

दिनांक 12.09.09 में चार्टर्ड एकाउन्टेड को ₹0 12000=00 का भुगतान दर्शित है। जबकि उनके द्वारा तैयार अभिलेख अप्राप्त रहे। अतः उक्त भुगतान की पुष्टि न हो सकी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम किशोर वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नाजबानो व श्री पन्नालाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 35. ग्राम पंचायत बलसिंहपुर विकास खण्ड— पहला (आ0सं0— 14)

ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कैशबुक व मिड डे—मील योजना से सम्बन्धित कैशबुक को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तत्सम्बन्धी टिप्पणी न की जा सकी ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कैशबुक/पासबुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते में ₹0 26675=00 तथा मिड डे—मील खाते में ₹0 43488=00 अवशेष रहा जिसका नियमानुसार विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मलिक मसूद अख्तर व अनिरुद्ध कुमार वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 36. ग्राम पंचायत बलसिंहपुर विकास खण्ड – पहला (आ0सं0– 17)

दिनांक 23.03.11 में चेक संख्या– 110410 से ₹0 32437=00 की ह्यूम पाइप खरीद हेतु शिव इन्टरप्राइजेज को जारी की गई कैशबुक में दर्शित है। जबकि बैंक द्वारा दिनांक 31.03.11 को ₹0 4350=00 से डेबिट किया गया। अतः ₹0 28087=00 से अधिक डेबिट भी गई जबकि ह्यूम पाइप खरीद 32437=00 की हुई अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाए तथा जिम्मेवार से उक्त वसूली अपेक्षित रही।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मलिक मसूद अख्तर व अनिरुद्ध कुमार वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 37. ग्राम पंचायत मंझिया विकास खण्ड पहला (आ0सं0– 14)

ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कैशबुक व मिड डे-मील योजना से सम्बन्धित कैशबुक को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तत्सम्बन्धी टिप्पणी न की जा सकी। ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कैशबुक/पासबुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते में ₹0 51384=00 तथा मिड डे-मील खाते में ₹0 70050=00 अवशेष रहा। जिसको नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम प्रसाद, श्री सुधीर वाजपेयी व श्री राम आधार वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गजराज प्रसाद समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 38. ग्राम पंचायत मंझिया विकास खण्ड पहला (आ0सं0– 18)

दिनांक– 12.03.10 को स्ट्रीट लाइट ₹0 49500=00 ₹0 49500=00 लगवाई ₹0 3500=00 इसी प्रकार 23.03.10 को स्ट्रीट लाइट ₹0 49500=00 की क्रय की गई किसी के बाउचर लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुए उक्त खरीद में न्यूनतम दर हेतु कोटेशन नहीं किया गया। लगवाने की स्वीकृति विद्युत विभाग से नहीं ली गई।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम प्रसाद, श्री सुधीर वाजपेयी व श्री राम आधार वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गजराज प्रसाद समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 39. ग्राम पंचायत मंझिया विकास खण्ड– पहला (आ0सं0– 20)

दिनांक– 27.12.10 में मिट्टी पटाई पर ₹0 1200=00 का व्यय दर्शित है। जिसका बाउचर अप्राप्त रहा। अतः उक्त की पुष्टि न हो सकी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम प्रसाद, श्री सुधीर वाजपेयी व श्री राम आधार वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गजराज प्रसाद समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 40. ग्राम पंचायत मंझिया विकास खण्ड पहला (आ0सं0- 21)

निम्नलिखित खरीद शौचालय निर्माण हेतु की गयी जबकि भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था। शौचालय पूर्ण होने की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः शौचालय निर्माण की पुष्टि न हो सकी विवरण निम्नवत् है—

दिनांक	मद	धनराशि
20.01.10	271 लेट्रीन सामग्री	228504=00 नकद रू0 वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी
26.12.09	दो ट्रक बालू	20,000=00 मिश्रा ट्रेडर्स नकद भुगतान
29.12.09	150 पल्ले	60,000=00 महेश टिम्बर बिसवां नकद भुगतान
29.12.09	121 पल्ले	48400=00 सुरेश चन्द्र वर्मा बिसवां बिल लगा लेकिन भुगतान नकद किया गया।
24.12.09	एक लाख ईट	395000=00 साई बाबा ईट उद्योग
24.12.09	500 बोरी सीमेन्ट	11,0000=00 मिश्रा ट्रेडर्स

दिनांक-24.12.09 में चेक 665310=00 हस्तान्तरित हुयी लेकिन इसको कैशबुक में हस्तगत नकद धनराशि दिखाई गयी स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम प्रसाद, श्री सुधीर वाजपेयी व श्री राम आधार वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गजराज प्रसाद समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 41. ग्राम पंचायत मंझिया विकास खण्ड पहला (आ0सं0- 22)

दिनांक- 16.03.10 में ईटा क्रय रू0 172,000=00 बाउचर अप्राप्त रहा। अतः व्यय रहा। निम्नलिखित बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे अतः इसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	दिनांक	मद	धनराशि
1	16.02.10	सीमेन्ट	68860 = 00
2	16.02.10	बालू	6140=00
3	20.02.10	मजदूरी भुगतान	35500=00
4	20.02.10	बालू	8000=00
5	20.02.10	ईटा	97200=00
6	20.02.10	हैण्डपम्प मरम्मत	2800=00
7	08.02.10	हैण्डपम्प मरम्मत	3710=00
8	22.02.10	बालू	9711=00
9	22.02.10	मिट्टी ढुलाई	6789=00

10	3 से 06.02.10 तक मजूदरी भुगतान — 10,0000=00 (25000+25000+50000)		
11	28.02.10	मजदूरी ह्यूम पाइप	20,000=00
12	07.03.10	मजदूरी खड़न्जा	12,000=00
13	12.03.10	मिट्टी पटार्ई	28,000=00
14	16.03.10	मध्यान्ह भोजन पर व्यय	7602=00
15	18.03.10	हैंडपम्प मरम्मत	2000=00
16	22.03.10	शौचालय पुतार्ई	7050=00
17	25.03.10	मजदूरी भुगतान	15000=00
18	26.03.10	शौचालय रंगार्ई पुतार्ई	9000=00
19	27.03.10	हैण्डपम्प मरम्मत	5000=00
20	29.03.10	स्टेशनरी	1600=00
योग — 445962.00 + 172000 = 617962=00			

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम प्रसाद, श्री सुधीर वाजपेयी व श्री राम आधार वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गजराज प्रसाद समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 42. ग्राम पंचायत अफसरियां हुसैनपुर विकास खण्ड पहला (आ0सं0— 14)

ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कैशबुक को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तत्सम्बन्धी टिप्पणी न की जा सकी ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कैशबुक/पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते में रु0 45125=00 तथा मिड डे—मील खाते में रु0 2916=00 अवशेष रहा। जिसका नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकुमार व श्री सुरेश कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 43. ग्राम पंचायत शमशाबाद विकास खण्ड पहला (आ0सं0— 14)

ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कैशबुक व मिडडे मिल से सम्बन्धित कैशबुक की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तत्सम्बन्धी टिप्पणी न की जा सकी। ग्राम पंचायत में प्रस्तुत ग्राम निधि कैशबुक/पासबुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते में अवशेष धनराशि रु0 21031=00 तथा मिड डे—मील खाते में अवशेष रु0 771=00 सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम किशोर वर्मा, व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व श्रीमती प्रभा समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 44. ग्राम पंचायत शमशाबाद विकास खण्ड पहला (आ0सं0— 18)

दिनांक— 23.04.09 में सोलर लाइट रु0 27500=00 की क्रय की गई उक्त खरीद नेडा से क्यों नहीं की गई, स्पष्ट किया जाए तथा उक्त खरीद में न्यूनतम दर हेतु कोटेशन नहीं लिए गये आपत्ति पूर्ण रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम किशोर वर्मा, व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व श्रीमती प्रभा समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 45. ग्राम पंचायत धैला विकास खण्ड— पहला (आ0सं0— 14)

ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कैशबुक व मिड डे—मील से सम्बन्धित कैशबुक को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः तत्सम्बन्धी टिप्पणी न की जा सकी। ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कैशबुक/पासबुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते में रु0 3118=00 मिड डे—मील खातों में रु0 1638.50 अवशेष रहा। जिसका नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार, व श्री राम किशोर वर्मा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी व श्री रामसनेही समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 46. ग्राम पंचायत बेठौरा विकास खण्ड पहला (आ0सं0— 14)

ग्राम पंचायत की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कैशबुक व मिड डे—मील योजना से सम्बन्धित कैशबुक को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः तत्सम्बन्धी टिप्पणी न की जा सकी ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कैशबुक/पासबुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते में रु0 56,755=00 तथा मिड डे—मील खाते में रु0 55,651=00 अवशेष रहा जिसका नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम मिश्र समान रूप से उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड— खैराबाद**प्रस्तर 47. ग्राम पंचायत चिलवारा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 17)**

मनरेगा निधि की समीक्षा में पाया गया कि सामग्री पर कुल व्यय का 58.14 प्रतिशत या 458352=00 व्यय किया गया जबकि मजदूरी पर 41.86 व्यय किया गया जबकि मजदूरी पर 60 प्रतिशत व सामग्री पर व्यय 40 प्रतिशत होना चाहिए था।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 48. ग्राम पंचायत चिलवारा विकास खण्ड खैराबाद (आ0सं0— 19)

दिनांक— 16.03.13 को 6 स्ट्रीट लाइट रु0 19500 व दिनांक— 25.04.12 को ज्योति इलेक्ट्रिकल से 5 स्ट्रीट लाइट रु0 15750=00 की क्रय की गयी उक्त खरीद न्यूनतम दर हेतु

कोटेशन नहीं लिये गये तथा उक्त की स्वीकृति विद्युत विभाग से नहीं ली गयी। जो आपत्तिपूर्ण रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 49. ग्राम पंचायत चिलवारा विकास खण्ड खैराबाद (आ0सं0— 20)

लेखा परीक्षा में रू0 64000 की मिट्टी खरीद दर्शित है जब कि नियमानुसार मिट्टी खुदायी व ढुलाई मजदूरों से करायी जानी चाहिए थी जिससे कुछ मजदूरों को लाभ होता। मिट्टी खरीद कर आपत्ति पूर्वक किया गया रायलटी 9 प्रतिशत 5760=00 कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 50. ग्राम पंचायत टिकरिया विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 19)

दिनांक— 24.06.11 को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को रू0 20,000=00 का भुगतान दर्शित है। लेकिन उनके द्वारा तैयार अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं हुए। अतः व्यय अप्रयुक्त है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश चन्द मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 51. ग्राम पंचायत टिकरिया विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 20)

दिनांक— 29.06.11 को सोलर लाइट रू0 35450=00 की क्रय की गयी जिसकी खरीद में न्यूनतम दर हेतु कोटेशन नहीं लिये गये, आपत्तिपूर्ण रहा। उक्त खरीद नेडा विभाग से क्यों नहीं की गयी स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश चन्द मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 52. ग्राम पंचायत टिकरिया विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 21)

दिनांक— 15.12.11 को कुर्सी मेज रू0 15250=00 की क्रय की गयी जिसकी खरीद में कोटेशन नहीं लिये गये तथा उक्त खरीद को डेट स्टॉक रजिस्टर पर अंकित नहीं किया गया।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश चन्द मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 53. ग्राम पंचायत बद्दीखेड़ा विकास खण्ड— गोन्दलामऊ (आ0सं0— 03)

मनरेगा के खाते से प्रशासनिक का कुल व्यय का 5 प्रतिशत होना चाहिए जबकि यह व्यय 15 प्रतिशत से अधिक किया गया आपत्तिपूर्ण रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री सत्यदेव त्रिवेदी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बिरजू समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 54. ग्राम पंचायत बद्दीखेड़ा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 17)

दिनांक— 10.09.12 को 6 स्ट्रीट लाइट रु0 3250 की दर से रु0 19500=00 की व सोलर पैनल रु0 24000=00 का क्रय किया गया, उक्त खरीद, बिना कोटेशन के की गयी। जिससे खरीद न्यूनतम दर पर की गयी अस्पष्ट रहा अतः जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश कुमार शुक्ल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिद्वारी लाल चौधरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 55. ग्राम पंचायात बिनौरा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 03)

मनरेगा से प्रासंगिक व्यय कुल व्यय का 5 प्रतिशत होना चाहिए, जबकि व्यय 8 प्रतिशत किया गया जो आपत्ति पूर्ण रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश कुमार शुक्ल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिद्वारी लाल चौधरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 56. ग्राम पंचायत बिनौरा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 17)

दिनांक— 11.10.12 को सीतापुर सिनेट्री एण्ड पेन्ट स्टोर्स से 25 स्ट्रीट लाइट रु0 81250=00 पर 3250 प्रति से क्रय की गयी उक्त खरीद में न्यूनतम दर हेतु कोटेशन नहीं लिये गये जो कि आपत्तिपूर्ण रहा तथा उक्त को स्टोक पंजिका पर भी दर्ज नहीं किया गया। उक्त स्ट्रीट लाइट लगाने की स्वीकृति विद्युत विभाग से ली गयी अथवा नहीं का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ अतः जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। उल्लेखनीय है कि उक्त खरीद सिनेट्री एण्ड पेन्ट स्टोर्स से की गयी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश कुमार शुक्ल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिद्वारी लाल चौधरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 57. ग्राम पंचायत बिनौरा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 18)

दिनांक— 11.10.12 में सोलर लाइट अक्षय ऊर्जा सेन्टर से रु0 23500=00 का क्रय किया गया उक्त को भी स्टोक रजिस्टर पर दर्ज नहीं किया गया तथा उक्त खरीद में कोटेशन नहीं लिये गये आपत्तिपूर्ण रहा जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश कुमार शुक्ल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिद्वारी लाल चौधरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 58. ग्राम पंचायत बिनौरा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 19)

दिनांक— 04.03.12 को लवी ट्रेडर्स से 28000 की सोलर लाइट क्रय की गयी जिसमें कोटेशन की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी उक्त को स्टोक पंजिका पर भी नहीं अंकित किया गया उक्त सोलर लाइट नेडा विभाग से क्यों नहीं क्रय की गयी कारण स्पष्ट किया जाय जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश कुमार शुक्ल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिद्वारी लाल चौधरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 59. ग्राम पंचायत बिनौरा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 20)

हैण्डपम्प मरम्मत का क्रमांक व स्थान का नाम अंकित नहीं पाया गया जबकि वर्ष में ₹0 36,800=00 का व्यय किया गया अतः उक्त किया गया व्यय अस्पष्ट रहा उक्त में निकली निष्प्रोज्य सामग्री स्टॉक पंजिका में अंकित नहीं किया गया।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश कुमार शुक्ल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिद्वारी लाल चौधरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 60. ग्राम पंचायत कनवाखेड़ा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 17)

वर्ष 2012—13 में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 125780=00 का व्यय किया गया जो कुल व्यय का 17 प्रतिशत है। उक्त हैण्डपम्प मरम्मत में हैण्डपम्प मरम्मत का स्थान या क्रमांक अंकित नहीं पाया गया। अतः किया गया व्यय अस्पष्ट रहा। निकला हुआ निष्प्रोज्य सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। आपत्तिपूर्ण रहा अतः जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 61. ग्राम पंचायत बनेहटा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 03)

मनरेगा में प्रासंगिक व्यय कुल व्यय का 5 प्रतिशत होना चाहिए जोकि 10 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया आपत्तिपूर्ण रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 62. ग्राम पंचायत बनेहटा विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 17)

वर्ष 2012—13 में हैण्डपम्प मरम्मत में ₹0 157904=00 का कुल व्यय किया गया जिसमें ₹0 134904=00 सामग्री पर व 23000 मजदूरी बनवायी पर दिया गया किस हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी उनके स्थान का नाम व क्रमांक अंकित नहीं पाया गया तथा निष्प्रोज्य सामग्री स्टॉक पंजिका पर भी अंकित नहीं की गयी अतः उक्त व्यय अस्पष्ट रहा जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही नल ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है का भी प्रमाण पत्र नहीं पाया गया आपत्तिपूर्ण रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 63. ग्राम पंचायत नरही विकास खण्ड खैराबाद (आ0सं0— 03)

मनरेगा प्रासंगिक व्यय कुल का व्यय 5 प्रतिशत होना चाहिए जोकि 8 प्रतिशत से अधिक रहा आपत्तिपूर्ण रहा।

उत्तरदायित्व का निर्धारण आपत्ति में नहीं है किन्तु स्थापित व्यवस्था के अनुसार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के मतानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 64. ग्राम पंचायत नरही विकास खण्ड खैराबाद (आ0सं0— 17)

छात्रवृत्ति खाते की धनराशि रु0 18340=00 नगद प्रधान के पास चली आ रही है। जिसको 18 प्रतिशत ब्याज सहित अविलम्ब छात्रवृत्ति खातों में जमा करायी जाय।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 65. ग्राम पंचायत नरही विकास खण्ड — खैराबाद (आ0सं0— 18)

वर्ष 2012-13 में चारदरा रु0 3388=00 व 5820=00 के क्रय किये गये जिसको स्टाक रजिस्टर पर अंकित नहीं किया गया आपत्ति पूर्ण रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 66. ग्राम पंचायत नरही विकास खण्ड — खैराबाद (आ0सं0— 19)

लेखा परीक्षा वर्ष में रु0 27500=00 का सौर (सोलर लाइट) हेतु व्यय किया गया उक्त खरीद में न्यूनतम दर हेतु कोटेशन नहीं लिये गये तथा स्टाक रजिस्टर पर भी अंकित नहीं किया गया आपत्तिपूर्ण रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 67. ग्राम पंचायत नरही विकास खण्ड— खैराबाद (आ0सं0— 20)

ले0प0 वर्ष में रु0 85915=00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया उक्त मरम्मत हैण्डपम्प का स्थान व क्रमांक अंकित नहीं पाया गया तथा निकली हुई निष्प्रोज्य सामग्री भी स्टाक बुक पर अंकित नहीं पायी गयी। अतः व्यय अस्पष्ट रहा। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 68. ग्राम पंचायत पूरनपुर विकास खण्ड— कसमन्डा (आ0सं0— 13)

ग्राम पंचायत के राज्यवित्त खाते में 31 मार्च को रु0 5,93760=00 खाते में जमा रहने का कारण ले0प0 में अज्ञात रहा जबकि उक्त धन वित्तीय वर्ष ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय हो जाना चाहिए था ऐसा न कर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को प्रधान/सचिव द्वारा अवरुद्ध किया गया। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री शिव ओम व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुन्तूलाल मौर्या समान रूप से उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड— रामपुर मथुरा

प्रस्तर 69. ग्राम पंचायत आलमपुर विकास खण्ड— रामपुर मथुरा (आ0सं0— 18)

दिनांक— 01.10.2012 को रू0 44980.00 का भुगतान 13 स्ट्रीट लाइट क्रय करने हेतु मै0 वर्मा ट्रेडर्स को किया गया है, जिसके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, उक्त लाइटें कहाँ लगाई गई है, सक्षम अधिकारी का स्थलीय सत्यापन प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध न था जिसने दर्शित भुगतान अस्पष्ट रहा। उक्त विवरण प्रस्तुत कर आगामी लेखा परीक्षा में जांच करायी जाय।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मंजूल कुमार वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 70. ग्राम पंचायत केसरवार विकास खण्ड— रामपुर मथुरा (आ0सं0— 18)

इलाहाबाद बैंक खाता संख्या— 50046983256 से कतिपय तिथियों में रू0 20,000=00 से रू0 40,000=00 तक का नकद आहरण किया गया है जबकि नियमानुसार रू0 5000.00 से अधिक का नकद आहरण नहीं किया जाना चाहिए था। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री मंजूल कुमार वर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राम देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 71. ग्राम पंचायत डफरा विकास खण्ड— रामपुर मथुरा (आ0सं0— 30)

वर्ष 2012—13 में शौचालय निर्माण से सम्बन्धित 85 लाभार्थियों को रू0 2200=00 प्रति लाभार्थी के हिसाब से रू0 187,000=00 का अनुदान वितरण दर्शित किया गया है, परन्तु शौचालय निर्माण के प्राक्लन, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध न थे जिसे लाभार्थियों के शौचालय निर्माण होने की पुष्टि न हो सकी। उक्त की पूर्ति कर शौचालय पूर्ण होने की पुष्टि कराई जाये, अन्यथा की स्थिति में उक्त अनुदान की वसूली प्रधान श्री ब्रजलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुण्यराज से अपेक्षित होगी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम प्रकाश यादव, श्री कर्ण कुमार तिवारी व श्री पुष्प कुमार माथुर व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति देवी एवं श्री बृजलाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 72. ग्राम पंचायत जरावन विकास खण्ड— रामपुर मथुरा (आ0सं0— 01)

निम्न वर्षों में नरेगा खाते से निम्न व्यय किया जाना दर्शित है उक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक अपूर्ण पायी गई पत्रावलियों में माप पुस्तिकायें नहीं पायी गयी विदित हुआ कि आय पुस्तिकायें बनाई ही नहीं गई और बिना एम0बी0 करके सम्बन्धित कार्यों में धनराशि का व्यय किया गया प्रमाणकों को भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् मनरेगा खाते से भारी धनराशि

का गबन ग्राम सभा के पूर्व व वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा व ग्राम प्रधानों द्वारा किया गया है। विभागीय जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	धनराशि	उत्तरदायी प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी	
2009-10	738412.00	श्री विष्णु कुमार	श्री रामप्रताप यादव
2010-11	1020430.00	श्रीमती प्रियंका	श्री महेश यादव
2011-12	890412.00	श्रीमती प्रियंका	श्री महेश यादव
2012-13	758690.00	श्रीमती प्रियंका	श्री महेश यादव
योग :-		3407944.00	

प्रस्तर 73. ग्राम पंचायत जरावन विकास खण्ड— रामपुर मथुरा (आ0सं0— 03)

निम्न तिथियों में बिना प्रमाण के निम्न व्यय दर्शाकर धनराशि का गबन श्री महेश यादव व श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। वसूली की कार्यवाही जांचोपरान्त अपेक्षित है। विषय निम्न है—

दिनांक	धनराशि	विवरण
08.11.12	26000.00	मिट्टी ढुलाई भाड़ा
20.03.13	129000.00	ईटा क्रय
31.03.13	10000.00	ह्यूम पाइप क्रय

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम प्रताप यादव व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विष्णु कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 74. ग्राम पंचायत जरावन विकास खण्ड— रामपुर मथुरा (आ0सं0— 05)

निम्न वर्षों में छात्रवृत्ति का आहरण व वितरण किया जाना दर्शित है। उपरोक्त प्रमाण पत्र न होने के कारण वितरण रहा वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम
2009-10	66720.00	श्री विष्णु कुमार पूर्व प्रधान श्री राम प्रताप यादव पूर्व ग्रा0पं0 अधिकारी
2010-11	106300.00	} श्रीमती प्रियंका वर्तमान प्रधान व श्री महेश यादव वर्तमान सचिव
2011-2012	90000.00	
2012-13	71000.00	

विकास खण्ड— कसमण्डा

प्रस्तर 75. ग्राम पंचायत अंधना विकास खण्ड — कसमण्डा (आ0सं0— 18)

ग्राम पंचायत में राज्यवित्त खाते में वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रु0 62,820.=00 की सामग्री क्रय की गई पुरानी निकली सामग्री को बेचकर नियमानुसार ग्राम पंचायत के खाते में प्राप्त

धनराशि को जमा करनी चाहिए थी जो नहीं की गई और नही उक्त सामग्री स्टॉक रजिस्टर पर अंकित की गई आपत्तिप्रद रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री झब्बूलाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुन्दर लाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 76. ग्राम पंचायत सरौरा कलां विकास खण्ड – कसमण्डा (आ0सं0– 14)

ग्राम पं० के छात्रवृत्ति खाता सं०– 13120100001278 में 31 मार्च 2012 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार बैंक में जमा धन रु० 250,346=00 रहा उक्त ग्राम पंचायत से सम्बन्धित स्कूलों की छात्रवृत्ति वितरण प्रधान/प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है। उक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस कर देनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं की गई आपत्तिप्रद रहा इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजेन्द्र प्रसाद व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 77. ग्राम पंचायत छांजन विकास खण्ड – कसमण्डा (आ0सं0– 14)

मध्यान्ह भोजन के खाता सं०– 11002 में 31 मार्च 2013 को रु० 68,400=00 जमा रहा। मध्यान्ह भोजन का संचालन प्रधान/प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 2012–13 में किया जा रहा है ऐसी दशा में सम्बन्धित धनराशि विभाग को वापस कर देनी चाहिए जो नहीं की गई इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजकुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 78. ग्राम पंचायत मानपारा विकास खण्ड – कसमण्डा (आ0सं0– 13)

ग्राम पंचायत मनरेगा के खातों में 31 मार्च 2013 को बैंक में जमा धन रु० 4,96,849=00 रहा जमा का कारण लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा जबकि उक्त धन वित्तीय वर्ष में ही ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर व्यय हो जाना चाहिए था ऐसा न कर ग्राम के विकास कार्यों को अवरुद्ध किया गया। इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राजकुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयकरन नाथ समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 79. ग्राम पंचायत पूरनपुर विकास खण्ड – कसमण्डा (आ0सं0– 12)

ग्राम पंचायत के मनरेगा के खातों में 31 मार्च को अंकन रु० 1,08,130=00 बैंक में जमा रहा जमा रहने का कारण ले०प० में अज्ञात रहा जबकि उक्त धन 31 मार्च 13 को वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय हो जाना चाहिए था ऐसा न कर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को प्रधान/सचिव द्वारा अवरुद्ध किया गया इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 80. ग्राम पंचायत बिलरिया विकास खण्ड – कसमण्डा (आ0सं0– 15)

ग्राम पंचायत के राज्य वित्त के खातों में 31 मार्च 13 को बैंक में जमा धन रु0 265032=00 रहा इतना धन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक में जमा रहने का कारण लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा जबकि उक्त धन वित्तीय वर्ष में ही ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय हो जाना चाहिए था। ऐसा न कर स्वतः स्पष्ट है प्रधान/ग्रा0पं0अ0 द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को अवरुद्ध किया गया इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री बाबू राम व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 81. ग्राम पंचायत बिलरिया विकास खण्ड – कसमण्डा (आ0सं0– 16)

ग्राम पंचायत के मा0 भोजन के खाता सं0– 13332 में रु0 189713=00 बैंक में 31 मार्च 12 को जमा रहा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मा0 भोजन का संचालन नहीं किया गया वर्ष 2012–13 की ले0प0 में ऐसा ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया। वर्ष 2012–13 में मा0 भोजन का संचालन प्रधान/प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है ऐसी स्थिति में ग्रा0पं0 के खाते में बैंक में जमा धन रु0 189713=00 सम्बन्धित विभाग को वापस कर देना चाहिए था जो नहीं किया गया इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री बाबू राम व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 82. ग्राम पंचायत बिलरिया विकास खण्ड – कसमण्डा (आ0सं0– 17)

ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि 2012–13 में छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया छात्रवृत्ति का वितरण प्रधान/प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है ग्राम पंचायत की ले0प0 में प्रधान द्वारा छात्रवृत्ति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ले0प0 न की जा सकी। ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति के खाता सं0– 5606 में 31 मार्च 13 को बैंक में जमा धन रु0 1,31025=00 रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस कर देना चाहिए था। जो नहीं किया गया इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री बाबू राम व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 83. ग्राम पंचायत कान्हमऊ विकास खण्ड – कसमण्डा (आ0सं0– 20)

ग्राम पंचायत के मनरेगा के खाता सं0– 14106 में 31 मार्च 13 को बैंक में जमा धन रु0 219830=00 रहा इतना अधिक धन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक में जमा रहने का कारण ले0प0 में अज्ञात रहा जबकि उक्त धन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ग्राम पंचायत के विकास

कार्यों पर व्यय हो जाना चाहिए था ऐसा न कर ग्राम पं० अधि०/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का अवरुद्ध किया गया इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री सुनील व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 84. ग्राम पंचायत कसमण्डा विकास खण्ड – कसमण्डा (आ०सं०– 15)

ग्राम पंचायत के राज्यवित्त के खाता से वर्ष 2012–13 में हैण्डपम्प सामग्री रु० 42675=00 की क्रय की गयी पुरानी निकली सामग्री को बेचकर प्राप्त धन राज्यवित्त के खाते में जमा करानी चाहिए थी जो नहीं किया गया और नही पुरानी सामग्री स्टॉक रजिस्टर पर अंकित की गई इस प्रति वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री श्रवण कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 85. ग्राम पंचायत महोतेपुर विकास खण्ड – कसमण्डा (आ०सं०– 12)

ग्राम पंचायत मनरेगा के खाता सं०– 5799 में 31 मार्च 13 को बैंक में जमा धन रु० 327,264=00 रहा उक्त धन किन कारणों से जमा रहा ले०प० में अज्ञात रहा जबकि उक्त धन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय हो जाना चाहिए था। ऐसा न कर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को प्रधान/ग्रा०पं० अधिकारी द्वारा अवरुद्ध किया गया इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री विजय कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामकली समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 86. ग्राम पंचायत महोतेपुर विकास खण्ड – कसमण्डा (आ०सं०– 13)

ग्राम पंचायत के राज्य वित्त के खातों में 31 मार्च 13 को बैंक में जमा धन रु० 520739=00 रहा बैंक में जमा का कारण ले०प० में अज्ञात रहा जबकि उक्त धन वित्तीय वर्ष की सामग्री पर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय हो जाना चाहिए था। ऐसा न कर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को प्रधान/प्रधानाचार्य द्वारा अवरुद्ध किया गया इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री विजय कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामकली समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 87. ग्राम पंचायत ज्योति शाह आलम विकास खण्ड – कसमण्डा (आ०सं०– 19)

राज्यवित्त के खाते से दिनांक– 25.03.2013 को कुर्सी रु० 4200=00 एवं दर रु० 4800=00 का क्रय करना कैशबुक में दर्शाया गया है जिसकी प्रविष्टि डेड स्टॉक रजिस्टर में होनी चाहिए थी जो नहीं की गई डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर अगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री श्रवण कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कौशल कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 88. ग्राम पंचायत जैयतनपुर विकास खण्ड – कसमण्डा (आ0सं0– 15)

ग्राम पंचायत के राज्य वित्त के खातों में 31 मार्च 13 को बैंक में जमा धन रु0 1094,444=00 रहा इतना अधिक धन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक में जमा रहने का कारण ले0प0 में अज्ञात रहा। उक्त धन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय हो जाना चाहिए था ऐसा न कर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को प्रधान/ग्रा0पं0 अधिकारी द्वारा अवरुद्ध किया गया इस प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री विजय कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सनी वर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड—सकरन

प्रस्तर 89. ग्राम पंचायत सिमराकलां विकास खण्ड सकरन (आ0सं0– 17)

निम्न तिथियों में मनरेगा खाते से खेत का समतलीकरण कराया जाना दर्शित है परन्तु संबन्धित पत्रावली में खेत मालिक का न तो डिमाण्ड पत्र पाया गया न ही खेत समतलीकरण होने के बाद का उसका लिखित सहमति पत्र। अतः संबन्धित खेत समतलीकरण को सही नहीं कहा जा सकता।

09-02-10	48000	समतादेवी
28-12-10	48000	श्रीराम पुत्र श्री बचनू
18-10-10	71800	गुलजार पुत्र श्री सामून
29-06-2011	18840	सम्बारी पुत्र श्री कल्लू
29-06-11	28240	रसीद पुत्र श्री हबीब
29-06-11	51000	सुन्दरी पत्नी श्री कल्लू

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री आदित्य गुप्ता व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अली इसरार खॉन समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 90. ग्राम पंचायत सिमराकलां विकास खण्ड सकरन (आ0सं0– 19)

निम्न तिथियों में सोलर लाइट क्रय हेतु व्यय किया जाना दर्शित है। सोलर लाइट क्रय के संबंध में निविदायें नहीं ली गयी। स्थिति गंभीर है। विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

28-04-12	72000	3 सोलर लाइट
03-05-12	72000	3 सोलर लाइट
21-08-12	144000	6 सोलर लाइट
07-12-12	92000	4 सोलर लाइट

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री आदित्य गुप्ता व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अली इसरार खॉन समान रूप से उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड—महमूदाबाद

प्रस्तर 91. ग्राम पंचायत गोधौरा विकास क्षेत्र महमूदाबाद (आ0सं0— 08)

में ग्राम पंचायत द्वारा विभागीय निर्देशों व शासनादेश के अनुरूप निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। जैसे— 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के पीछे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या अधिकतम 7500 प्रशासनिक व्ययों पर व 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों के रखरखाव पर तथा कुल धनराशि का 60 प्रतिशत भाग को मजदूरी पर व अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो कि अनियमित रहा। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है जैसे—

विवरण	श्रमिकों पर	निर्माण सामग्री पर
मनरेगा	47—14 प्रतिशत	52—86 प्रतिशत
ग्राम निधि	18.25 प्रतिशत	81—74 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री संजीव गुप्ता व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामेन्द्र प्रताप सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 92. ग्राम पंचायत उनेरा विकास खण्ड महमूदाबाद (आ0सं0— 09)

में ग्राम पंचायत द्वारा विभागीय निर्देशों व शासनादेशों के अनुरूप निर्धारित मानक में अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। जैसे 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के सीधे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों के रख-रखाव पर तथा कुल धनराशि का 60 प्रतिशत श्रमिकों व 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। जो कि अनियमित रहा। तथा निर्देशों व उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं की गयी है। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री दर
मनरेगा	48.07 प्रतिशत	51—53 प्रतिशत
ग्राम निधि	25.97 प्रतिशत	74.03 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री संजीव गुप्ता व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुनम देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 93. ग्राम पंचायत उस्मानपुर विकास क्षेत्र महमूदाबाद (आ0सं0— 09)

ग्राम पंचायत के द्वारा विभागीय निर्देशों एवं अनुदान उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। जैसे— 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के सीधे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या अधिकतम 7500 प्रशासनिक व्ययों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये कार्यों के रखरखाव पर तथा कुल प्राप्त अनुदान का 60 प्रतिशत श्रमिकों व अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो कि अनियमित रहा। तथा निर्देशों एवं उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं की गयी वांछित कार्यवाही की जानी चाहिए—

विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री पर
मनरेगा	52-61 प्रतिशत	47-39 प्रतिशत
ग्राम निधि एवं तेरहवाँ	19.31 प्रतिशत	86-69 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री संजीव गुप्ता व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री असरफ अली समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 94 ग्राम पंचायत हेलेपारा विकास क्षेत्र महमूदाबाद (आ0सं0- 12)

लेखा परीक्षा वर्ष में बारहवें/तेरहवें वित्त में निम्न विवरण के अनुसार सामग्री की खरीद की गयी है। जो सभी कैश में पर है। जिनमें व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं रहा। जैसे-

विवरण	धनराशि	विवरण	विवरण
बारहवाँ/तेरहवाँ	50550	ईट	कैश में
बारहवाँ/तेरहवा	27900	सीमेन्ट	कोई वाउचर नहीं है
बारहवाँ/तेरहवा	4800	मिट्टी ढुलाई	सादे कागज पर
बारहवाँ/तेरहवा	9000	प्रधान मानदेय	सादे कागज पर
बारहवाँ/तेरहवा	1500	विज्ञापन	कोई वाउचर नहीं
मनरेगा	2.19868	ईट	कैश में
	79572	सीमेन्ट	कैश में
	17636	मिट्टी ढुलाई	सादे कागज पर

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री बृजकिशोर चौधरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती असमों खातून समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 95 ग्राम पंचायत किशनपुर विकास खण्ड महमूदाबाद (आ0सं0- 10)

लेखापरीक्षा वर्ष में मनरेगा/बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत कृय की गयी सामग्री कैशमेमो/बिल/पैड /सादे कागज पर है जो कि भुगतान के लिये मान्य नहीं है। क्योंकि उनपर बिक्री कर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं रहा। वांछित कार्यवाही की जानी चाहिए। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार कश्यप पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।

विवरण	धनराशि	विवरण
1. मनरेगा	179155	ईट-कैशमेमो
	12720	सीमेन्ट-कैशमेमो
	21150	मिट्टी ढुलाई-सादे कागज पर
2. बारहवें/तेरहवें वित्त	503451	ईट-कैशमेमो
		सीमेन्ट-कैशमेमो
		मिट्टी ढुलाई-सादे कागज पर

प्रस्तर 96. ग्राम पंचायत किशनपुर विकास खण्ड महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0- 11)

ग्राम पंचायत द्वारा विभागीय निर्देशों एवं शासनादेशों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। जैसे 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के सीधे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या 7500/- प्रशासनिक व्ययों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये कार्यों के रख-रखाव पर तथा कुल प्राप्त अनुदान का 60 प्रतिशत श्रमिकों व अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। जो कि अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी शिव कुमार कश्यप पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। वांछित कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसे—

विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री पर
मनरेगा	45-98 प्रतिशत	54-02 प्रतिशत
बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त	13-37 प्रतिशत	86-63 प्रतिशत

प्रस्तर 97. ग्राम पंचायत इचौली विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0- 11)

ग्राम पंचायत द्वारा विभागीय निर्देशों व शासनादेशों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है जैसे 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के सीधे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या अधिकतम 7500/- प्रशासनिक व्ययों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों के रख-रखाव पर तथा कुल प्राप्त अनुदान का 60 प्रतिशत श्रमिकों व अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। जो कि अनियमित रहा। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है—

विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री पर
1. मनरेगा	45-80 प्रतिशत	54.20 प्रतिशत
2. बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त	2.19 प्रतिशत	97.81 प्रतिशत

प्रस्तर 98. ग्राम पंचायत लालपुर विकास क्षेत्र महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0- 10)

में लेखा परीक्षा वर्ष में मनरेगा/बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत कुल ली गयी सामग्री की खरीद कैश मेमो/पैड/बिल/सादे कागज पर है जो कि भुगतान के लिये मान्य नहीं है। उन पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है।

1. मनरेगा	292910=00	ईट कैश मेमो/बिलपर
2. बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त	126936=00	ईट कैश मेमो/बिलपर
3. बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त	70386=00	सीमेन्ट कैश मेमो/बिलपर

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री शिवकुमार कश्यप व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 99. ग्राम पंचायत लालपुर विकास क्षेत्र महमूदाबाद (आ0सं0— 11)

में ग्राम पंचायत द्वारा विभागीय/शासनादेशों/उद्देश्यों में निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। जैसे 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के सीधे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या 7500/— प्रशासनिक व्ययों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों पर तथा कुल प्राप्त अनुदान का 60 प्रतिशत श्रमिकों व 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जो कि अनियमित रहा। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधि० शिव कुमार कश्यप पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं—

विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री पर
1. मनरेगा	63.23 प्रतिशत	36—77 प्रतिशत
2. बारहवाँ/तेरहवाँ	18.36 प्रतिशत	81—64 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री शिवकुमार कश्यप व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 100. ग्राम पंचायत रेवान विकास क्षेत्र महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0— 12)

में लेखा परीक्षा वर्ष में बारहवें/तेरहवें वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय की गयी जो कि कैश मेमो पर अंकित है। उस पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है। बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त

150940 ईट	150940	कैश मीमो/बिल
सीमेन्ट	270202	कैश मैमो/बिल
मिट्टी ढुलाई	29000	सादे कागज पर
मनरेगा	31200	कैश मैमो/बिल

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राम देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 101. ग्राम पंचायत कोठिला विकास खण्ड महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0— 12)

बारहवाँ/तेरहवाँ /मनरेगा के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय की गयी है। जोकि कैश मैमो/बिल पर है। जिन पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं अंकित है। जैसे—

1. मनरेगा	ईट	103806	कैश मैमो
	सीमेन्ट	37000	कैश मैमो

2.	बारहवाँ/तेरहवाँ	ईट	179620	कैश मैमो
		सीमेन्ट	58517	कैश मैमो

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री झब्बू लाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 102. —ग्राम पंचायत पहाड़ापुर विकास खण्ड महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0— 12)

लेखा परीक्षा वर्ष में मनरेगा/बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सामग्री की खरीद की गयी जो कि अधिकांश कैश मैमो/बिल/पैड/सादे कागज पर की गयी। जिन पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं अंकित है।

मनरेगा	ईट	1009032	कैश मैमो
	सीमेन्ट	77900	कैश मैमो
बारहवाँ/तेरहवाँ	ईट	220600	कैश मैमो
	सीमेन्ट	25700	कैश मैमो
	मिट्टी ढुलाई	171132	सादे कागज पर
	तालाब में पानी भराई	12000	सादे कागज पर

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राम लली देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 103. ग्राम पंचायत पहाड़ापुर विकास खण्ड महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0— 13)

लेखा परीक्षा वर्ष में बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत निम्न पर व्यय किया गया है। जिसकी प्राप्ति के प्रमाणक पूर्ण नहीं हैं। अतएव पुष्टि नहीं की जा सकी।

स्ट्रीट लाइट	25000=00	मिट्टी ढुलाई	49032=00
		मिट्टी ढुलाई	43225=00
विज्ञापन	1560=00	मिट्टी ढुलाई	10000=00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजाराम वर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 103. (अ) ग्राम पंचायत इनायतपुर विकास खण्ड महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0— 13)

ग्राम पंचायत द्वारा विभागीय/शासनादेशों एवं उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को सीधे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या 7500/— प्रशासनिक व्ययों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों के रख-रखाव तथा कुल अनुदान का 60 प्रतिशत श्रमिकों व 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए परन्तु वहाँ ऐसा नहीं किया गया है। वांछित कार्यवाही की जानी चाहिए जैसे—

विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री पर
मनरेगा	26-78 प्रतिशत	73-22 प्रतिशत
बारहवाँ/तेरहवाँ	29-73 प्रतिशत	70-27 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजाराम वर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 104. ग्राम पंचायत इनायतपुर विकास खण्ड महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0- 13)

मनरेगा/बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय की गयी है। जो कि कैश मैमो/बिल/पैड/सादे कागज पर किया गया है जोकि भुगतान योग्य नहीं है। जैसे—

1. मनरेगा	ईट	137240	कैश मैमो/बिल
	सीमेन्ट	132411	कैश मैमो/बिल
	तार	67500	कैश मैमो/बिल
2. बारहवाँ/तेरहवाँ	स्ट्रीट लाइट	40000	प्रमाणक नहीं है
	ईट	202700	कैश मैमो/बिल
	सीमेन्ट	65250	कैश मैमो/बिल
	मिट्टी ढुलाई	36620	सादे कागज पर

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामलखन वर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 105. ग्राम पंचायत शिवरूखकलां विकास खण्ड महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0- 14)

मनरेगा/बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सामग्री खरीद की गई है। जो कि कैश मैमो/बिल/पैड/सादे कागज पर है जैसे—

1. मनरेगा	ईट	94866	कैश मैमो
	सीमेन्ट	36400	कैश मैमो
	मिट्टी ढुलाई	65225	कैश मैमो
2. बारहवाँ/तेरहवाँ	ईट	248100	कैश मैमो/बिल
	सीमेन्ट	53500	कैश मैमो/बिल
	स्ट्रीट लाइट	40000	कैश मैमो/बिल
	मिट्टी ढुलाई	63000	सादे कागज पर जमा

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम लखन वर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 106. ग्राम पंचायत भुसना विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर में (आ0सं0- 12)

मनरेगा/बारहवाँ /तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय की गयी है। जो कि कैश मैमो/बिल/पैड/सादे कागज पर की गयी है। जो कि मान्य नहीं है। क्योंकि उन पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है—

मनरेगा	ईट	26400	कैश मैमो/बिल
	स्ट्रीट लाइट	32000	प्रमाण पत्र नहीं रहा
	ईट	271240	कैश मैमो/बिल/पैड
	सीमेन्ट	53010	कैश मैमो/बिल/पैड
	मिट्टी ढुलाई	18000	सादे कागज पर

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 107. ग्राम पंचायत बधइन विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0- 10)

लेखा परीक्षा वर्ष में बारहवाँ/तेरहवाँ/मनरेगा के अन्तर्गत अधिकांश सामग्री की खरीद/कैश मैमो/बिल/पैड/सादे कागज पर है जोकि भुगतान के लिए मान्य नहीं हैं। क्योंकि उन पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं अंकित है। जैसे—

बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त	2578932	ईट	कैश मैमो/बिल/पैड
	154215	सीमेन्ट	कैश मैमो/बिल/पैड
मनरेगा	44568	ईट	कैश मैमो/बिल/पैड

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री कदीर अहमद फारुखी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 108. ग्राम पंचायत रमद्वारी विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0- 11)

में मनरेगा बारहवाँ/ तेरहवाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रय की गयी सामग्री कैश मैमो/बिल/पैड/सादे कागज पर रही। जोकि भुगतान हेतु मान्य नहीं है। इस पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है—

20-11-12	मनरेगा	ईट	131825	कैश मैमो/बिल
	बारहवाँ/तेरहवाँ	ईट	16250	कैश मैमो/बिल
		सीमेन्ट	6375	कैश मैमो/बिल
		मिट्टी ढुलाई	12000	कैश मैमो/बिल

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अवधेश अवस्थी व संतोष कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मल्लू खां समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 109. ग्राम पंचायत रमद्वारी विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर में (आ0सं0- 13)

ग्राम पंचायत में वित्त लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 1 से 5 तक में वर्णित व्यवसायों का निर्धारण सामग्री बुक (स्टाक बुक) में नहीं रखा गया है। जैसे 2500 तक बिना कोटेशन 2500 से 150000 तक कोटेशन पर 150000 के ऊपर की खरीद निविदा के आधार पर की जानी चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

2011-12	मनरेगा	ईट	139825
	बारहवाँ/तेरहवाँ	ईट	51300
		ईट	30400
2012-13	मनरेगा	ईट	21735
	बारहवाँ/तेरहवाँ	ईट	48070
		ईट	36637
		सीमेन्ट	49000

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अवधेश अवस्थी व संतोष कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मल्लू खां समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 110. ग्राम पंचायत कलुवापुर विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0- 09)

ग्राम पंचायत विभागीय निर्देशों व शासनादेशों के निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। जैसे 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के सीधे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या अधिकतम 7500/- प्रशासनिक व्ययों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की रख-रखाव में तथा कुल धनराशि का 60 प्रतिशत श्रमिकों व 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया जोकि अनियमित रहा। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री पर
मनरेगा	46-80 प्रतिशत	43-20 प्रतिशत
बारहवाँ/तेरहवाँ	31-72 प्रतिशत	68.28 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री संजीव गुप्ता व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पुष्पलता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 111. ग्राम पंचायत कांसा विकास खण्ड महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0- 12)

विभागीय/शासनादेशों /अनुदान उद्देश्यों में निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। जैसे 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के सीधे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या 7500/- प्रशासनिक व्ययों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों के रख-रखाव पर तथा कुल अनुदान का 60 प्रतिशत श्रमिकों व 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया जोकि अनियमित रहा। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है—

वर्ष	विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री पर
2012-13	मनरेगा	38.81 प्रतिशत	61-19 प्रतिशत
	ग्राम निधि	14-11 प्रतिशत	85-89 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनुपम शर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विक्रम लाल व शैलेन्द्र पाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 112 ग्राम पंचायत कांसा विकास खण्ड महमूदाबाद सीतापुर (आ0सं0- 13)

निम्नांकित वर्षों में मनरेगा के अन्तर्गत निर्धारित मानक में अनुरूप व्यय न कर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये ग्रा0प0 अधि0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहे हैं। वांछित कार्यवाही की जानी चाहिए।

वर्ष	विवरण	वि0 मानक	व्यय	क्रय	धनराशि
2012-13	मनरेगा	60 प्रतिशत	38-81 प्रति0	21.19 प्रति0	171560

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनुपम शर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विक्रम लाल व शैलेन्द्र पाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 113. ग्राम पंचायत कांसा विकास खण्ड महमूदाबाद में (आ0सं0- 15)

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 1 से 5 तक वर्णित व्यवसायों का निर्धारण सामग्री बुक से सम्बद्ध कर नहीं रखा गया। जैसे 20000 तक बिना कोटेशन 25000 से 1 लाख तक कोटेशन पर 1 लाख के ऊपर निविदा के आधार पर की जानी चाहिए थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

वर्ष	विवरण	व्यय	विवरण
2012-13	मनरेगा	126000	ईंट
		147000	ईंट
		31500	ईंट
	ग्राम निधि	71400	ईंट
		30800	ईंट

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनुपम शर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विक्रम लाल व शैलेन्द्र पाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 114. ग्राम पंचायत सुकईपुर विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0- 13)

निम्नांकित वर्षों में मनरेगा के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप व्यय न कर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए ग्रा0प0 अधि0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहे हैं। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है। जैसे—

वर्ष	विवरण	निर्धारित	मानक	व्यय	क्रय	धनराशि
2009—10	मनरेगा	60 प्रतिशत	58.25 प्रतिशत	1—75 प्रतिशत	18583	
2010—11	मनरेगा	60 प्रतिशत	58.05 प्रतिशत	1—95 प्रतिशत	18386	
2011—13	मनरेगा	60 प्रतिशत	43.89 प्रतिशत	16—11प्रतिशत	68297	
						105266.00

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनुपम शर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुड्डी देवी व श्रीमती राम देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 115. ग्राम पंचायत मिश्रिखा विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0- 12)

में विभागीय/शासनादेशों/अनुदान उद्देश्यों में निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया जैसे-22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के सीधे लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या अधिकतम 7500/- प्रशासनिक व्ययों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये कार्यों के रख-रखाव पर तथा कुल प्राप्त अनुदान का 60 प्रतिशत श्रमिकों व अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जोकि अनियमित रहा जिसके लिये ग्रा0पं0अधि0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष	विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री पर
2010-11	मनरेगा	71-74 प्रतिशत	28.26 प्रतिशत
	ग्रा0निधि	12-88 प्रतिशत	87.12 प्रतिशत
2011-12	मनरेगा	61-20 प्रतिशत	38.80 प्रतिशत
	ग्रा0निधि	20-68 प्रतिशत	79.32 प्रतिशत
2012-13	मनरेगा	56-61 प्रतिशत	43.39 प्रतिशत
	ग्रा0निधि	14-67 प्रतिशत	85.233 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री संतोष कुमार व तत्कालीन ग्राम प्रधान राकेश कुमार व भारत प्रसाद समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 116. ग्राम पंचायत हरैया विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0- 12)

विभागीय/शासनादेशों/अनुदान उद्देश्यों में निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया। जैसे- 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को सीधे लाभ कार्यों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये कार्यों के रख-रखाव पर तथा कुल प्राप्त अनुदान का 60 प्रतिशत श्रमिकों व अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया जो कि अनियमित रहा जिसके लिये ग्राम0पं0 अधि0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। वांछित कार्यवाही अपेक्षित है-

वर्ष	विवरण	श्रमिकों पर	सामग्री पर
2012-13	मनरेगा	50.71 प्रतिशत	49-29 प्रतिशत
	ग्रा0 निधि	21.54 प्रतिशत	78-46 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री एस0पी0 सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश व बृजपाल सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 117. ग्राम पंचायत हरैया विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0- 16)

लेखा परीक्षा वर्षों में मिट्टी ढुलाई ट्रैक्टर ट्राली द्वारा करायी गयी है। एवं अनुदान उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है। के विपरीत रहा तथा भुगतान प्रमाणक सादे कागज पर संलग्न नहीं किया। ट्रैक्टर ट्राली का नम्बर अंकित नहीं रहा तथा भुगतान पर कोई रॉयल्टी का भुगतान भी नहीं किया जो अनिवार्य था जैसे-

वर्ष	विवरण	व्यय
2007-08	मनरेगा	86350
	ग्रा0 निधि	11600
2008-09	मनरेगा	288360
	ग्रा0 निधि	10600
2009-10	मनरेगा	548800
	ग्रा0 निधि	4250
2010-11	मनरेगा	151000
	ग्रा0 निधि	17200
2011-12	मनरेगा	15200
	ग्रा0 निधि	-----
2012-13	ग्रा0 निधि	64450

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री एस0पी0 सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश व बृजपाल सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 118. ग्राम पंचायत रसूलाबाद विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0- 15)

जिन वर्षों में जितना अनुदान प्राप्त हुआ था उसे उन्हीं वर्षों में अंकित किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया जोकि अनियमित रहा। साथ ही विकास कार्य प्रमाणित नहीं है। वांछित कार्यवाही की जानी चाहिए-

वर्ष	शेष अनुदान
2012-13	516696

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनुपम शर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी व श्रीमती राम देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 119. ग्राम पंचायत भिठौरा विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0— 16)

लेखा परीक्षा वर्षों में मनरेगा/बारहवाँ/तेरहवाँ वित्त के अन्तर्गत अधिकांश सामग्री की खरीद पैड/कैश मैमो/बिल/सादे कागज पर है मान्य नहीं है साथ ही राजकीय कोषागार को भी क्षति पहुँचाई गई है—

वर्ष—2009—10	सीट	133200	कैश मैमो
	पल्ला	3600	सादे कागज पर
	सीमेन्ट	89900	कैश मैमो

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री सतीश कुमार व संतोष कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम भूषण व विद्यावती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 120. ग्राम पंचायत बनगवाँ विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0— 12)

विभागीय व शासनादेशों एवं अनुदान उद्देश्यों में निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। जैसे 22.51 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के लाभ कार्यों पर 7.5 प्रतिशत या 7500/— प्रशासनिक व्ययों पर 15 प्रतिशत पूर्व में कराये गये कार्यों के रखरखाव पर तथा कुल प्राप्त अनुदान का 60 प्रतिशत श्रमिकों व अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जोकि अनियमित है। वांछित कार्यवाही की जानी चाहिए—

		लेबर	सामग्री
वर्ष 2012—13	मनरेगा	37.69 प्रतिशत	62.31 प्रतिशत
	ग्रा0 निधि	26.64 प्रतिशत	73.36 प्रतिशत

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामचेल्ला समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 121. ग्राम पंचायत बनगवाँ विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0— 18)

निम्न विवरण के अनुसार मिट्टी ढुलाई ट्रैक्टर ट्राली द्वारा भुगतान किया गया है जबकि अनुदान उद्देश्यों के अनुसार श्रमिकों द्वारा किया जाना चाहिए था। भुगतान सादे कागज पर है। ट्रैक्टर ट्राली का नम्बर अंकित नहीं है तथा जहाँ मिट्टी डाली गयी है वहाँ का कोई उल्लेख भी नहीं है। अतएव भुगतान सन्दिग्ध रहा—

वर्ष	विवरण	धनराशि	विवरण
2012—13	मनरेगा	57500	सादे कागज पर
	ग्रा0 निधि	71000	सादे कागज पर

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनिरुद्ध सिंह व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामचेल्ला समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 122 ग्राम पंचायत लोधासा विकास खण्ड महमूदाबाद, सीतापुर (आ0सं0— 19)

में जिन वर्षों में जितना अनुदान प्राप्त हुआ था उन्हें उन्हीं वर्षों में व्यय किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जोकि अनियमित रहा। ग्रा0प0 का विकास कार्य भी प्रभावित रहा वांछित कार्यवाही की जानी चाहिए थी—

2008—09	350363
2009—10	227316
2010—11	558125
2011—12	807497
2012—13	463722

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री अनुपम शर्मा व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेम सागर शर्मा समान रूप से उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड—सिधौली

प्रस्तर 123. ग्राम पंचायत काशीपुर विकास खण्ड सिधौली (आ0सं0— 07)

लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि सामग्री क्रय करते समय फर्म से कोई भी कोटेशन/टेण्डर की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है और न ही बचे हुए सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत में ईटा क्रय किया गया है जोकि सिर्फ एक ही फर्म से किया गया है जिस पर टिन नं0 व वाणिज्य कर नम्बर अंकित नहीं पाया गया।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 124. ग्राम पंचायत पहाड़ापुर विकास खण्ड सिधौली (आ0सं0— 07)

आलोच्य वर्ष में अधिकांश व्यय बाउचरों पर तिथि एवं हस्ताक्षर तथा टिन नं0 व रजिस्ट्रेशन नं0 नहीं पाये गये हैं जिससे स्थिति स्पष्ट न हो सकी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम बालक व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामवती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 125. ग्राम पंचायत दखिनावा विकास खण्ड सिधौली (आ0सं0— 10)

ग्राम पं0 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत रूप पत्र—22 (मास्टर रोल) के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मास्टर रोलों पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा नहीं पाये गये तथा प्रस्ताव सं0 व तिथि भी अप्राप्त रहे इस सम्बन्ध में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि समस्त भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है जिस कारण श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं कराये गये इस ओर श्रमिकों की उपस्थिति हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री राम बालक व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड—मिश्रिख

प्रस्तर 126. ग्राम पंचायत रन्पूर विकास खण्ड मिश्रिख (आ0सं0— 12)

वर्ष 2011—12 में राज्य वित्त/बारहवें वित्त से प्राप्त अनुदान से रु0 65000=00 स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु व्यय किया जाना दर्शित है। सोडियम लाइटें बिना स्टीमेट के लगायी गयी जिन्हें सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं कराया गया जो कि आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रेम प्रकाश चौधरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बबिता शुक्ला समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 127. ग्राम पंचायत रमुआपुर विकास खण्ड मिश्रिख (आ0सं0— 17)

वर्ष 2011—12 में हैन्डपम्प मरम्मत रु0 47500=00 व्यय किया जाना दर्शित हैं। मरम्मत के फलस्वरूप निकली निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टॉक रजि0 बनाकर नहीं रखा गया।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री जे0एल0 दीक्षित व प्रेमप्रकाश चौधरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामदास व चन्दन सिंह व समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 128. ग्राम पंचायत देवगवां विकास खण्ड मिश्रिख (आ0सं0— 14)

वर्ष में हैन्ड पम्प मरम्मत पर रु0 44580=00 व्यय दर्शाये गये हैं लेखा परीक्षा में हैन्ड पम्प मरम्मत की सूची प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे किये गये भुगतानों की पुष्टि न की जा सकी।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रेमप्रकाश चौधरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुड्डी देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड— मछरेहटा

प्रस्तर 129. ग्राम पंचायत बेलन्दापुर विकास खण्ड मछरेहटा (आ0सं0— 17)

निम्न तिथियों में ग्राम निधि एवं तेरहवें वित्त आयोग से ईटा क्रय किया जाना दर्शित है। ईटा क्रय से संबंधित कोटेशन/निविदाएँ चालान बिल स्टॉक पंजिका, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

04.12.2002	60000	13.12.2007	60000
03.03.2003	35000	14.03.2008	150000
18.12.2004	80000	15.11.2009	80000
28.03.2004	65000	01.12.2010	190000
10.03.2005	18000	10.02.2011	180000
18.12.2006	120000	04.03.2012	112000

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री जयदयाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्देश्वरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 130. ग्राम पंचायत बेलन्दापुर विकास खण्ड मछरेहटा (आ0सं0— 18)

निम्न तिथियों में J-R-Y खाते से मस्टरोल के माध्यम से भुगतान किया गया है। मस्टरोल पर एक जैसे अँगूठे का निशान पाये गये एवं मस्टरोल पर ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

10.11.2002	40000	18.03.2003	32000
15.04.2002	96000	19.10.2004	84000
15.08.2002	48000	12.11.2004	104000
14.10.2003	120000	19.03.2005	24000
22.12.2003	160000	28.03.2005	88000

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री जयदयाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्देश्वरी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 131. ग्राम पंचायत पौड़ावर विकास खण्ड मछरेहटा (आ0सं0— 17)

ग्राम निधि खाते से निम्न तिथियों को व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में भुगतान प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे सम्बन्धित व्यय काल्पनिक रहा। अतः रुपया 225000=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामगुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

25.10.2011	65000
18.10.2011	20000
25.10.2011	20000
08.11.2011	25000
24.12.2011	30000
10.02.2012	35000
05.06.2012	30000
	225000

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 132. ग्राम पंचायत कदुआपुर विकास खण्ड मछरेहटा (आ0सं0— 17)

ग्राम निधि खाते से निम्न व्यय किया जाना दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया। अतः धन रुपया 439000=00 (चार लाख उन्तालीस हजार) की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामलली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामगुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
20.04.2012	32500	03.10.2012	65000	06.03.2012	25000
07.05.2012	30000	04.10.2012	25000	21.03.2012	97500
15.06.2012	30000	02.05.2013	30000	30.03.2012	104000

प्रस्तर 133. ग्राम पंचायत कुनहटा लच्छी रामपुर विकास खण्ड मछरेहटा (आ0सं0— 17)

ग्राम निधि (13 वॉ वित्त के अन्तर्गत) खाते से निम्न तिथियों में धन का आहरण किया गया है और फर्जी व्यय दर्शाकर सम्बन्धित धनराशि का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामगुप्ता व ग्राम प्रधान श्री शत्रोहन द्वारा किया गया है। वसूली की जानी अपेक्षित है।

24.04.2012	30000
07.08.2012	30000
24.05.2012	15000
13.07.2012	30000
03.10.2012	42250
03.10.2012	39000
16.10.2012	22000
08.11.2012	25000
09.01.2012	91250
09.01.2012	78000
21.03.2012	149500
07.03.2011	20000
14.06.2011	20000
	592000

प्रस्तर 134. ग्राम पंचायत— गौड़ा विकास खण्ड मछरेहटा (आ0सं0— 17)

विभिन्न वर्षों में नल बनवायी दर्शाकर राजकीय अनुदान का व्यय किया गया है उल्लेखनीय है कि नल बनवायी का कार्य जलनिगम के माध्यम से होता है और भुगतान चेक द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अधिकतर भुगतान प्राइवेट मिस्ट्री को नकद किया गया है जो आपत्तिप्रद रहा।

दिनांक	धनराशि
10.05.2012	20000
05.06.2012	20300
20.07.2012	27000
11.01.2013	30000
05.03.2013	20000

उक्त की विभागीय जाँच की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री सेवक राम व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व आशा राम समान रूप से उत्तरदायी हैं।

विकास खण्ड—परसेण्डी

प्रस्तर 135. ग्राम पंचायत उल्जापुर विकास खण्ड—परसेण्डी (आ0सं0— 11)

दिनांक 04.09.2012 को ग्राम निधि 1 से 60 ट्रली दर 200 के हिसाब से रू0 12000=00 का भुगतान किया गया होता तो मानव दिवस सृजित की गयी होती लेकिन ऐसा न करके कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया है। 9 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया। 17 प्रतिशत किया गया।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रदीप व जे0पी0 शुक्ला तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चुन्नी लाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 136. ग्राम पंचायत उल्जापुर विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 12)

दिनांक 09.07.2011 को जनक ब्रिक फील्ड से रू0 52060=00 10/02 को जनक ब्रिक फील्ड 80000 (1) दिनांक 08.11.2011 को रू0 75062=00 तथा में NAR 14.09.2011 को 222948, दिनांक 13.09.2011 को जनक ब्रिक फील्ड से रू0 83079, दिनांक 11.09.2011 को 22067=00 जनक ब्रिक फील्ड को दिनांक 02.09.2011 को रू0 83079=00 दिनांक 11.07.2011 222948 दिनांक 13.09.2011 को जनक ब्रिक फील्ड से 45239, 49/11 को राहुल ट्रेड से सीमेन्ट आदि रू0 20378=00 का दिनांक 03.12.2012 को 48400 ईटें दिनांक 17.01.2013 को रू0 89345=00 के ईटें दिनांक 17.12.2012 को राहुल ट्रेडर्स से सीमेन्ट आदि का 45338 व दिनांक 29.12.2012 की 96600 के ग्राम पंचायत में ईट क्रय किये गये हैं, क्रय से पूर्व कोई कोटेशन निविदा नहीं प्राप्त किया गया है जो नियमों के विपरीत रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री प्रदीप व जे0पी0 शुक्ला तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चुन्नी लाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 137. ग्राम पंचायत मुसेपुर विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 07)

ग्राम निधि—1 में दिनांक 18.09.2012 को विजय ईट उद्योग से 92643=00 व 18.09.2012 को 79602, दिनांक 01.10.2012 को भारत ईट उद्योग से रू0 88200=00, दिनांक 18.12.2012 को राजा ब्रिक फील्ड से 67200, दिनांक 07.03.2013 को 88000 ईट क्रय किये गये हैं। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन व व्यापार कर की सूचना नहीं प्राप्त की गई है, जो आपत्तिप्रद रहा। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश सिंह भदौरिया तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजू समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 138. ग्राम पंचायत कैमहरा वजीरपुर विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 08)

में मनरेगा में 06.11.2012 को आदर्श ब्रिक फील्ड से रू0 110533=00 व 78155=00 के ईंट तथा दिनांक 03.07. 2012 को रजत ट्रडर्स से 38835 की सीमेन्ट आदि क्रय किये गये। ग्रा0वि0—1 में दिनांक 01.11.2012 को 30000 व दिनांक 08.11.2013 को 29750 की ईंट क्रय किए गए। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/निविदा नहीं लिया गया जो कि आपत्तिप्रद रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री आनन्द तिवारी तत्कालीन ग्राम प्रधान मधुरानी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 139. ग्राम पंचायत कंजा शरीफपुर विकास खण्ड परसेण्डी

में दिनांक 07.05.2012 को ग्रा0नि0 से अलीअहमद बख्श से रू0 50000=00, दिनांक 06.06. 2012 को रू0 50400=00, दिनांक 12.09.2012 को 67200, दिनांक 01.01.2013 को 34900/—, दिनांक 15.05. 2012 को 405222=00 व दिनांक 05.09.2012 को 114372=00 के ईंट क्रय किये गये हैं। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं प्राप्त किए गये, मनमाने ढंग से ईंट क्रय किये गये हैं। वाउचर पर TIN नम्बर भी नहीं पाए गए ईंट अधिक खरीदे गये। जाँचोपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री लाल जी कुशवाहा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इसरार समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 140. ग्राम पंचायत कलाबहादुरपुर विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 09)

में ग्रा0नि0—1 में दिनांक 30.05.2012 को अली अहमद ब्रिक फील्ड से रू0 121800=00 व 39900=00 तथा NAREGA से दिनांक 21.04.2012 को 57540=00 व 44360 के ईंटें क्रय किये गये हैं। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिए गए तथा वाउचर पर TIN नम्बर नहीं अंकित पाए गये जो कि आपत्तिप्रद रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री लाल जी कुशवाहा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिनाम समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 141. ग्राम पंचायत मझिगवा वेलहरी विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 10)

के ग्राम पंचायत में मिट्टी का कार्य (NAR) में ट्राली द्वारा कराया गया है। यदि उक्त मिट्टी का कार्य मजदूरों के द्वारा कराया गया होता तो मानव दिवस सृजित की गई होती लेकिन ऐसा न करके कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया जैसे दिनांक 19.04.2010 को रू0 4860=00, दिनांक 25.05.2010 को रू0 5400=00, दिनांक 20.09.2010 को रू0 41100=00, जाँचोपरान्त उक्त की कार्यवाही अपेक्षित है। 9 प्रतिशत रॉयल्टी जमा नहीं की गई। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री जे0पी0 गुप्ता तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती भानुवती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 142. ग्राम पंचायत कसरैला विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 11)

में ग्राम निधि-1 में रू0 36008 के ह्यूम पाइप (NAR) में दिनांक 19.10.2012 को रू0 29652, 11.02.2012 को रू0 84720, 21.03.2013 को रू0 84720, 21.03.2013 को रू0 63963 तथा 19.10.2012 को रू0 29652 के ईटें क्रय किये गये हैं। सामग्री क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिए गए हैं जोकि आपत्तिप्रद रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी रमेश भदौरिया तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 143. ग्राम पंचायत देना विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 08)

में दिनांक 29.09.2010 को Single Spin Pipe से रू0 7100=00 व 18.08.2011 को रू0 55389=00 के ह्यूम पाइप क्रय किये गये। क्रय से पूर्व ग्रा0प्र0वि0अधि0 द्वारा कोई कोटेशन नहीं लिया गया तथा पाइपों को ग्राम पंचायत में कहाँ लगाया गया ज्ञात न हो सका।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री जे0पी0 शुक्ला तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हनीफ खॉ समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 144. ग्राम पंचायत देना विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 09)

में सामग्री क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं प्राप्त किया गया है जो कि लेखा में आय प्रदत्त रहा 22.05.2010 को धीरज ब्रिक फील्ड से ईटा क्रय 45000=00, 10.08.2010 को 45000=00, 28.11.2011 को 91872=00, 18.04.2012 को 65000=00 04.10.2010 को 114840, 23.10.2010 को 58951=00 आदि। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री जे0पी0 शुक्ला तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हनीफ खॉ समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 145. ग्राम पंचायत इमलिया विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 07)

में दिनांक 17.12.2012 को रू0 20952=00, दि0 07.04.2012 को 26345=00 तथा 03.10.2011 को रू0 22100=00, 16.09.2011 को 21520=00 व 10.01.2012 को सिंह चरन उद्योग से ह्यूम पाइप क्रय किये गये हैं। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया तथा ह्यूम पाइप कहाँपर लगाया गया ज्ञात न हो सका।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश भदौरिया तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गंगाराम समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 146. ग्राम पंचायत इमलिया विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 08)

में दिनांक 15.05.2012 को रू0 15000=00 व 30.01.2013 को रू0 45000=00 के ग्राम पंचायत हेतु सोलर लाइटें क्रय की गई क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया। सोलर लाइट लगवाने का कोई भुगतान नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश भदौरिया तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गंगाराम समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 147. ग्राम पंचायत धौंधी विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 08)

में दिनांक 05.12.2012 को रू0 8280=00, दि0 11.05.2012 को 10720=00 व दि0 10.09.2012 को 57904=00 ग्राम पंचायत हेतु ह्यूम पाइप क्रय किये गये। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं प्राप्त किया गया तथा ह्यूम पाइप पाइपों को ग्राम पंचायत में कहाँ लगाया गया ज्ञात नहीं हो सका।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामनिवास मिश्रा समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 148. ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 08)

मिट्टी ढुलाई का कार्य ट्राली द्वारा कराया गया यदि यह कार्य मजदूरों के द्वारा कराया गया होता तो मानव दिवस सृजित होती लेकिन ऐसा न करके कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया। दि0 02.01.2013 को 83 ट्राली दर 300 के हिसाब से 24900=00, 27.02.2012 को 100 ट्राली दर 300 के हिसाब से 30000=00, दि0 13.04.2012 को 50 ट्राली दर 300 के हिसाब से 15000=00, दि0 20.02.2012 को 60 ट्राली दर 300 के हिसाब से 18000=00 आदि साथ ही 9 प्रतिशत रॉयल्टी भी जमा नहीं की गई।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री रमेश भदौरिया तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री यूसूफ अली समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 149. ग्राम पंचायत फतेहपुर माफी विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 10)

मिट्टी का कार्य ट्राली द्वारा कराया गया है। यदि उक्त मिट्टी का कार्य मजदूरों के द्वारा कराया गया होता तो मानव दिवस सृजित की गई होती लेकिन ऐसा न करके कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया जैसे दि0 14.03.2012 को 14 ट्राली दर 200 के हिसाब से 2800=00, दि0 24.08.2012 को 100 ट्राली दर 330 के हिसाब से 33000=00, दि0 24.08.2012 को 80 ट्राली दर 330 के हिसाब से 26400=00, दि0 17.10.2012 को 75 ट्राली दर 330 के हिसाब से 24750=00 व 09.01.2013 को 75 ट्राली दर 400 के हिसाब से 30000=00 आदि।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री जे0पी0 शुक्ला तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुड्डू सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 150. ग्राम पंचायत जरेली विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 09)

दि0 01.10.2012 को 46 स्ट्रीट लाइट रू0 149500=00 का भुगतान कैशबुक में दर्शित है। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/निविदा नहीं लिया गया स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत में नहीं किया गया स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत में कहाँ लगवाया गया ज्ञात न हो सका।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री दयाराम शर्मा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा व एस0के0गौतम समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 151. ग्राम पंचायत गुजरा विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 08)

दि0 09.07.2011 को रू0 100000=00, दि0 16.07.2012 को रू0 100000=00, दि0 27.07.2012 को रू0 100000=00, दि0 07.08.2012 को रू0 157145=00, दि0 31.08.2012 को रू0 84567=00, दि0 22.01.2013 को रू0 90000=00 की ईंटें क्रय किये गये हैं। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/निविदा प्राप्त नहीं किये गये हैं जोकि आपत्तिप्रद रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री आनन्द तिवारी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सहीदा व सीताराम समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 152. ग्राम पंचायत गुजरा विकास खण्ड परसेण्डी (आ0सं0— 09)

दि0 09.05.2011 को 21828, दि0 21.03.2012 को 65339=00, दि0 10.10.2012 को 10538=00, दि0 29.01.2013 को 10530=00 को Single Spin Pipe से ह्यूम पाइप क्रय किये गये। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/ निविदा प्राप्त नहीं किया गया जोकि आपत्तिप्रद रहा।

उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री आनन्द तिवारी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सहीदा व सीताराम समान रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर 153. ग्राम पंचायत कमौरा बेनीराम विकास खण्ड परसेण्डी

दि0 20.09.2012 को ओम सहिराम का ट्रैक्टर सप्लार्ड से रू0 52200=00 के स्ट्रीट लाइट क्रय किये गये हैं। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/निविदा नहीं लिया गया तथा प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया जोकि आपत्तिप्रद रहा। उपरोक्त के लिये तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी श्री लाल जी कुशवाहा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती समान रूप से उत्तरदायी हैं।

जनपद का नाम— लखीमपुर**मण्डल का नाम—लखनऊ**

क्र० सं०	विकास क्षेत्र	नाम ग्राम पंचायत	प्रस्तर संख्या	आपित्त का विवरण
1	2	3	4	5
	बांकेगंज	डालपुर ग्रन्ट	1	मिट्टी खण्डंजा कार्य (600x2.50) 1500 वर्ग मीटर में नियम के विपरीत अधिक संख्या में ईट का प्रयोग कर तथा श्रमांश पर अधिक धनराशि का उपयोग किया जाना। कुल धनराशि— 119850=00

जनपद का नाम—उन्नाव**मण्डल का नाम—लखनऊ****ग्राम पंचायत 'सलेमपुर'**

- प्रस्तर—1** आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत SBI खाते में दिनांक 01.04.2012 को प्रा० अव० रू० 21044.00 एवं वर्ष में प्राप्त ब्याज दि० 30.06.2012 रू० 452.00 मात्र एवं दि० 19.07.2012 को रू० 20000.00 AG B खाते में ट्रान्सफर सहित वर्षान्त में रू० 1496.00 मात्र शेष रहा। उल्लेखनीय है कि यदि खाते का संचालन भविष्य में नहीं किया जाना है तो नियमानुसार अवशेष धनराशि (खाता अपडेट करने के उपरान्त) संचालित खाते में प्रत्यावर्तित करते हुये खाता अन्तिम रूप से बन्द किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।
- प्रस्तर—2** आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत वाल पेन्टिंग मद पर रू० 12150.00 एवं विज्ञापन मद पर रू० 3000.00 व्यय किया गया है जबकि प्रचार—प्रसार शासन/विभाग अपनेस्तर सेकर रहा हैं तो ग्राम पंचायत स्तर से इस पर व्यय किये जाने का औचित्य नहीं हैं अतः सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही की जाये।

ग्रामपंचायत—कोरारी कलाँ

- प्रस्तर—3** आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत संचालित खाता SBI A/c No.31523953324 में दिनांक 01.04.2012 को प्रारम्भिक शेष रू० 108618/— एवं वर्ष में प्राप्त रू० 1017/— ब्याज सहित कुल रू० 109635/— के सापेक्ष रू० 1,00,000/— आहरण (दि० 06.06.2012 को ए०जी०बी० खाते में ट्रान्सफर) के फलस्वरूप रू० 9635/— (दि० 30.06.2012 तक पास बुक के अनुसार) खाते में होने के फलस्वरूप SBI खाते का औचित्य न होने के कारण खाते में अवशेष धनराशि (खाता अपडेट कराने के उपरान्त दर्शित शेष) नियमानुसार संचालित खाते में हस्तान्तरितकरते हुये खाता अन्तिम रूप से बन्द किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत पेन्टिंग मद पररू0 19250/- एवं विज्ञापन मद पर रू0 1000/- व्यय किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासन विभाग स्तर से प्रचार-प्रसार पूर्व से ही किया जा रहा है। अतः इस प्रति ग्राम पंचायत स्तर से इस मद पर व्यय किये जानेका औचित्य नहीं है। अतः सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही की जायें।

ग्रामा पंचायत-आसीवन तरफ पश्चिम

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत रू0 15000 पेन्टिंग मद पर प्रचार प्रसार हेतु व्यय किया गया है जबकि शासन/विभाग द्वारा इस मद पर पूर्व से व्यय किया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत स्तर से व्यय किये जाने का औचित्य नहीं है अतः सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही की जायें।

ग्राम पंचायत-गलरापुर

प्रस्तर-6 आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत विज्ञापन मद पर रू0 1000 एवं पेन्टिंग मद पररू0 13850.00 व्यय किया गया है जबकि प्रचार-प्रसार मद पर शासन विभाग स्तर से पूर्व से किया जा रहा है। अतः इस प्रति ग्राम पंचायत स्तर से व्यय किये जाने का औचित्य नहीं है अतः सम्बन्धित से वसूली की जाये।

ग्राम पंचायत-टीकरगढ़ी

प्रस्तर-7 वर्ष दौरान मजदूरी सामग्री पर कुल व्यय मात्र 370312.00 रहा जबकि वास्तविक व्यय 404417.00 रू0 है। स्पष्ट है कि व्यय का एक बड़ा भाग 34105.00 रू0 अन्य व्यय (प्रशा0 व अन्य) मद पर व्यय किया गया। जिसकी संबंधित से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बिछिया

प्रस्तर-8 MDM से संबंधित अभिलेखों में से मात्र पासबुक ही प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 19.01.2013 को रू0 75372.00 अवशेष धन प्रदर्शित किया जा रहा है। अवशेष रकम को संबंधित विभागों को वापस किया जाना चाहिये। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

विकास खण्ड - सफीपुर

ग्राम पंचायत - फिरोजपुर कलाँ

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में अचल सम्पत्ति रजि0 करदाताओं की सूची का रजिस्टर, राजकीय ऋण पंजिका, कर की माँग वसूली का रजिस्टर, कर्मचारियों के वेतन के व्यौरोवार बिल की पंजी0, स्टाक बुक, वस्तुओं का रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, वार्षिक आय व्यय, निरीक्षण पंजी0 सृजित सम्पत्तियों का रजिस्टर, जमानत रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, परिवार रजिस्टर आदि अनेक महत्वपूर्ण अभिलेख माँग के उपरान्त लेखा परीक्षक में सुलभ नहीं कराये गये। जिसके कारण राज्य वित्त में 252029.00 एवं मनरेगा में 1198530.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो गम्भीर विषय है। पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—उनवा

प्रस्तर—10 ग्राम पंचायत उनवा के राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी रोजगार योजना में आलोच्य वर्ष 2012—13 में कुल व्यय 7,36,312 के सापेक्ष सामग्री मद में रूपया 273207 का व्यय कराये गये कार्यों के विवरण पत्र में दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में सामग्री पंजिका (भण्डारण पंजि0) सुलभ न कराये जाने के कारण क्रय सामग्री की पुष्टि प्रमाणित न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—11 ग्राम पं0 उनवा के वर्ष 2012—13 में कर दाताओं की सूची/पंजिका, राजकीय ऋण पंजिका, कर की माँग व वसूली रजिस्टर स्टाक बुक, जमानत रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, आदि अनेक महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में माँग के उपरान्त भी अप्राप्त रहे। जिसके कारण कुल व्यय रू0 1853646.00 की पुष्टि न की जा सकी। जो सचिव के कर्तव्य सम्बन्धी नियम सं0 169 की अवमानना का द्योतक है। पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—सेरसा

विकासखण्ड—नवाबगंज

प्रस्तर—12 ग्राम पंचायत सेरसा में हैण्ड पम्प की मरम्मत हेतु रू0 39620 भुगतान किया गया है। किन्तु लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त व्यय कितने हैण्ड पम्प और किन स्थानों पर लगे हेतु किया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित रजिस्टर अनुरक्षित कर नहीं रखा गया। अतः पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—कुसुम्भी

प्रस्तर—13 विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि को पृथक—पृथक विभागवार नहीं रखा गया है। साथ ही वर्ष में छात्रवृत्ति वितरण के पश्चात अवशेष धनराशि को विभागवार अवशेष की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गयी। वर्षान्त में रू0 243169 अवशेष छात्रवृत्ति का अनुपयोगिताकी स्थिति में सम्बन्धित विभाग का वापस किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2012 से छात्रवृत्ति योजना विद्यालय स्तर पर संचालित है। योजना का क्रियान्वयन अभिभावक की कमेटी द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—मलाव

प्रस्तर—14 ग्राम निधि—III छात्रवृत्ति योजना अगस्त 2012 से विद्यालय के स्तर पर कार्यान्वित है। इस योजना में **AGB A/c No.4659** में वर्षान्त में रु0 219853 शेष हैं। जिसे सम्बन्धित विभागोंको वापिस नहीं किया गया। उक्त अवितरित धनराशि को अति शीघ्र स्थानान्तरित किया जाना चाहियें। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—रायपुर खैलामऊ

प्रस्तर—15 आलोच्य वर्ष में वृक्षारोपण हेतु रु0 42500 धनराशि के वृक्ष शतोहन नर्सरी से क्रय किया गया। उक्त वृक्षों का क्रय राजकीय नर्सरी से किया जाना चाहिये था। राजकीय नर्सरी में वृक्षों की अनुपलब्धता की स्थिति में निजी नर्सरी से क्रय किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। राजकीय हित में राजकीय नर्सरी से पौधों का भविष्य में क्रय किया जाना चाहियें। पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत—अहमदपुर कासिमपुर

विकास खण्ड—औरास

प्रस्तर—16 लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त से रु0 26514 की सोलर लाइट क्रय की गयी है। क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। परन्तु क्रय से सम्बन्धित स्वीकृति अप्राप्त रही। स्वीकृति के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—नसीरपुर सामड

प्रस्तर—17 लेखा परीक्षा वर्ष में मनरेगा में रु0—33700 पंचायत मित्र को मानदेय दिया गया है, जिसकी प्राप्ति रसीद सादे कागज पर ली गयी है। नियमानुसार पंजिका तैयार कर चेक सं0 दिनांक धनराशि माह एवं हस्ताक्षर अंकित कराकर भुगतान किया जाना चाहिए। मानदेय पंजिका के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—18 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से रु0 18000 ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान किया गया है, जिसकी प्राप्ति रसीद सादे कागज पर ली गयी है। नियमानुसार पंजिका तैयार कर चेक सं0 दिनांक धनराशि माह एवं हस्ताक्षर उपरान्त भुगतान किया जाये। पंजिका के अभाव में पुर्नभुगतान की संभावना रहेगी। पंजिका के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—19 लेखा परीक्षण वर्ष में राज्य वित्त के अन्तर्गत प्रा0 अवशेष रु0 90388 वर्ष में प्राप्त रु0 630413 कुल रु0 720801 के सापेक्ष रु0 498522 व्यय के पश्चात दिनांक 31.

03.2013 कोरू0 222229 जमा से स्पष्ट है कि शासन से प्राप्त धन का ग्राम पंचायत द्वारा शत प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है। जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—कवरोई

- प्रस्तर—20** लेखा परीक्षा वर्ष में मनरेगा में पंचायत मित्र को रू0 33700 मानदेय दिया गया है जिसकी प्राप्ति रसीद सादे कागज पर ली गयी है। नियमानुसार पंजिका तैयार कर चेक सं, दिनांक, धनराशि, प्राप्ति के हस्ताक्षर कराये जाने के उपरांत भुगतान किया जाना चाहिए। पंजिका के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।
- प्रस्तर—21** लेखा परीक्षा में मनरेग अन्तर्गत लेबर पर कुल रू0—370760 व्यय किया गया है जो कुल व्यय का 48% रहा। जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। नियमानुसार 60% लेबर एवं 40% सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। अतः उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
- प्रस्तर—22** लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त अन्तर्गत रू0—2000 विज्ञापन व्यय किया गया है। जो अनियमित रहा। शासन द्वारा ग्राम पंचायत के प्रचार—प्रसार पर स्वयं काफी व्यय किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन पर व्यय किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक रहा। जिसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से की जाये।
- प्रस्तर—23** लेखा परीक्षा वर्ष में छात्र वृत्ति का वितरण नहीं किया गया है। प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि छात्र वृत्ति का वितरण समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे किया गया जा रहा है। लेखा परीक्षा वर्ष में रू0—924 प्राप्त हुई एवं दिनांक 31.03.2013 को उक्त खाते में रू0—18157.85 बैंक में जमा रहा जिसे अविलम्ब सम्बन्धित विभाग को वापस की जानी चाहिए। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—टिकरा वाव

- प्रस्तर—24** ग्राम पंचायत मनरेगा के अन्तर्गत कुल जाबकार्ड धारक 379 रहे, परन्तु वर्ष में 2609 सृजित मानव दिवस (रोजगार उपलब्ध कराया गया) प्रयुक्त हुए। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक जाब कार्ड धारकों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध नहीं किया गया। जो केन्द्र सरकार की अपेक्षा के विपरीत रहा। उल्लेखनीय है कि मनरेगा खाते में दिनांक 31.03.2013 को रू0—182542 बैंक जमा शेष रहा। जिससे यह परिलक्षित होता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा शासन की नीतियों के अनुरूप धनराशि का

उपयोग नहीं किया गया है। जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 लेखा परीक्षा में मनरेगा के अन्तर्गत लेबर पर रू0-438360.00 व्यय किया गया है, जो कुल व्यय रू0-833068.00 का 52.61% रहा। नियमानुसार लेबर पर 60% सामग्री पर 40% व्यय किया जाना चाहिए। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में मनरेगा के आपरेशनल गाइड लाइन 6.2 के अनुसार मजदूरी पर व्यय नहीं किया गया है। जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त के अन्तर्गत ग्राम प्रधानको 24 माहों का रू0-18000.00 मानदेय दिया गया है, जिसकी प्राप्ति रसीद सादे कागज पर प्राप्त की गयी है। नियमानुसार पंजिका तैयार कर चेक सं0, दिनांक, अवधि, धनराशि एवं हस्ताक्षर उपरांत भुगतान किया जाना चाहिए। मानदेय पंजिका के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

विकास खण्ड-बाँगरमऊ

ग्राम पंचायत माढ़ापुर

प्रस्तर-27 ग्राम निधि-I में प्राप्त रू0 61539.0.00 व प्रारम्भिक अवशेष रू0-1000858.00 के सापेक्ष रू0-586933.00 ही व्यय किया गया है और 31.03.2013 को रू0-1029715.00 अवशेष रहा। उक्त से स्पष्ट है कि शासन से प्राप्त धन का उपयोग शत प्रतिशत नहीं किया गया है, जो गम्भीर आपत्तिजनक है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नेवलापुर

प्रस्तर-28 ग्राम निधि-II (AGB) में रू0-10048.00 विगत वर्षों में यथावत अवशेष दर्शित है। उपभोग न होने की दशा में उक्त धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-दुलौवा

प्रस्तर-29 ग्राम निधि- I (DCB) खाता सं0-910 में पास बुक के अनुसार दिनांक 04.4.11 से रू0-324345.30 अवशेष दर्शित है। तातारीख पास बुक पूर्ण कराकर अवशेष की पुष्टि करायी जाने तथा अवशेष धनराशि ग्राम निधि- I (PNB खाता) में ट्रांसफर किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—करदहाविकास खण्ड—हिलौली

प्रस्तर—30 राज्यवित्त 12वाँ वित्त, 13वाँ वित्त के अन्तर्गत कार्यों को कराये जाने से पूर्व एस्टीमेट तैयार नहीं कराये गये। कार्य पूर्ण होने की स्थिति में तकनीकी जाँच व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसके अभाव में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व भौतिक रूप से पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जिससे धनराशि रु0 899674.00 के व्यय की पुष्टि न की जा सकी। तकनीकी अधिकारी के सहयोग से उपरोक्त कार्यवाही पूर्णकर आवश्यक पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा। पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—संदाना

प्रस्तर—31 मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की माप पुस्तिका (MB) लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुयी, जिसके अभाव में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं भौतिक रूप से किये गये निर्माण की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। अतः धनराशि 2541554.00 की पुष्टि न की जा सकी। माप पुस्तिका अनुरक्षित कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जाये। पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—अहेसा

प्रस्तर—32 आलोच्य वर्ष में मनरेगा एवं राज्य वित्त के कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कार्य पूति प्रमाणपत्र/उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये उक्त प्रमाणपत्र रूप—पत्र 41 नियम 209 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अतः कुल व्यय रु0 2028736.00 की पुष्टि न की जा सकी। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/पुष्टि के अभाव में वसूली अपेक्षित है।

विकास खण्ड — सिकन्दरपुरकर्णग्रामपंचायत—पहाड़पुर सुवस

प्रस्तर—33 ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि खाता (AGB बैंक) संख्या 8276 में 31.3.2013 को रु0—13594.60 शेष विगत वर्षों से यथावत चला आ रहा है, उसे न तो PNB बैंक खाता सं0—127608 में अब तक स्थानान्तरित किया गया एवं न ही विभाग को वापस कर खाता बन्दकिया गया। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—मवइया माफी

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में दिनांक 24.09.2011 को C.N. 165909 द्वारा रू0-8000/- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सिसोदिया एण्ड कं0 को बाबत आडिट फीस भुगतान किया गया है। इस भुगतान की बाबत कौन से अभिलेख ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये गये अपुष्टित रहे। अभिलेखों की पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में रू0-10000/- विज्ञापन हेतु दैनिक समाचार पत्र प्रेस को भुगतान किया गया। विकास कार्य हेतु प्राप्त धनराशि के किस शासनादेश एवं नियमानुसार विज्ञापन पर व्यय किया गया अपुष्टित रहा। प्रबन्ध मदमें व्यय किया जाना नियम प्रतिकूल है। अतः सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—मसवासी

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में प्रधान को रू0-24125/- एवं पंचायत मित्र को रू0-37900/- मानदेय भुगतान कच्ची रसीद के आधार पर किया गया। मानदेय पंजिका के अभाव में यह विदित न हो सका कि किस अवधि के मानदेय का विगत वर्ष में भुगतान किया चुका है तथा कब से शेष है। नियमित भुगतान होने के कारण मानदेय पंजिका निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण सहित तैयार कर लेखा परीक्षा में पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। पंजिका के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गौरी त्रिभानपुर

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा अन्तर्गत वाल पेंटिंग हेतु रू0-12000/-, 24000/-, 19900/-, 19600/- कुल रू0-75500/- एवं राजवित्त अन्तर्गत कुल रू0-50800/- का भुगतान श्री गिरीश कुमार को किया गया। विकास कार्य की धनराशि किस शासनादेश एवं नियमानुसार प्रचार-प्रसार मद में व्यय की गई अपुष्टित रहा। साथ ही कार्य भी प्रमाणित नहीं कराया जा सका। अतः सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

विकास खण्ड—सुमेरपुर

ग्राम पंचायत — गोसाईं खेड़ा

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत गोसाईं खेड़ा वि० क्षेत्र सुमेरपुर में वर्ष 2012-13 में मनरेगा के तहत रू0-32500/- का तसला व फावड़ा क्रय दर्शित है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव

में क्रय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत गोसाईं खेड़ा में मनरेगा से वर्ष 2012-13 में ग्राम रोजगार सेवक श्री अमोल सिंह को माह दिसम्बर 2012 तक रू0-45600/- मानदेय का भुगतान है। इसमें विगत वर्ष का भी मानदेय शामिल है। मानदेय भुगतान पंजीलेखा परीक्षा में न मिलने से ज्ञात न हो सका कि मानदेय किन-किन माहों का भुगतान किया गया है। जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। मानदेय रजिस्टर के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-विहार

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत विहार वि०स० सुमेरपुर में छात्रवृत्ति खाते में रू0-86639/- शेष उहै। यह दिनांक 13.09.2012 से ही शेष दर्शित है। इसके बाद पासबुक प्रविष्टि नहीं है। कोष बही में इस तिथि के बाद आय-व्यय शून्य दर्शित है। पासबुक पूर्ण न होने से आय-व्यय शून्य की पुष्टि न हो सकी। शेष रू0-86639/- अविलम्ब सम्बन्धित विभागों को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-धमनी खेड़ा

विकास खण्ड-बीघापुर

प्रस्तर-41 दिनांक 20.04.2012 को A/c-II 10893 आर्यावर्त ग्रामीण बैंक पास बुक से रू0-54720.00 की धनराशि निर्गत कर श्री काशी प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में 114 छात्रों को वितरित की गयी दर्शित है। वितरित छात्रवृत्ति A/c-II से निर्गत है जबकि छात्रवृत्ति का खाता III (तृतीय) से न देकर A/c-II से कैसे आहरित की गयी। उक्त वितरित छात्रवृत्ति का उपभोग, प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर वितरित छात्रवृत्ति की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली की जायें।

ग्राम पंचायत-बारा हरदो

प्रस्तर-42 कोषबही के अनुसार दिनांक 13.3.2013 को रू0-1,00,000.00 की निर्माण सामग्री सीमेन्ट, सरिया, बालू, मोरंग आदि मेसर्स अशोक ट्रेडर्स से क्रय की गयी तथा रू0-1,20,000.00 की ईट दिनांक 20.02.2013 को मेसर्स भारत ब्रिकफील्ड से क्रय की गयी है। उक्त निर्माण सामग्री का उपभोग माह मार्च 31 तक नहीं किया गया है। अवगत कराया गया है कि यह कार्य माह अप्रैल व मई-2014 में कराये गये जिन्हें आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त क्रय सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—संसाधन

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत द्वारा रू0-9407.00 की धनराशि दिनांक 30.07.2012 को जिला समाज कल्याण विभाग, उन्नाव को वापस करना दर्शित है। लेकिन तत्सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उक्त वापस धन की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि के अभाव में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अलीपुर

प्रस्तर-44 दिनांक 31.03.2013 को रू0-75,000.00 ग्राम प्रधान के पास शेष दर्शित है। यह धनराशि स्ट्रीटलाइट हेतु श्री शैलेन्द्र प्रताप को दिनांक 03.01.2013 को चेक सं0-207722 के माध्यम से किया गया था उक्त धनराशि का स्ट्रीट लाइट हेतु प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। स्ट्रीट लाइट क्रय न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—हाजीपुर तरेहा हसनगंज

विकास खण्ड —

प्रस्तर-45 दिनांक 15.03.2013 को इजीफोटोपोल्टेज (सौर ऊर्जा) रू0-41,800-00 क्रय की गई दर्शित है। उक्त सौर ऊर्जा ग्राम पंचायत की सम्पत्ति है। इसके सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं किया गया है कि सौर ऊर्जा किन किन स्थानों पर लगाए गए हैं तथा इसकी डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं किया गया है जो अपेक्षित है। डेड स्टॉक रजिस्टर में क्रय सामग्री की प्रविष्टि के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गदन खेड़ा

प्रस्तर-46 दिनांक 04.10.2012 में मनरेगा अन्तर्गत रू0-13525.00 फावड़ा व डलिया क्रय की गई दर्शित है परन्तु इस क्रय की डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि अंकित नहीं की गई है प्रविष्टि के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत रू0-10,000.00 कैमरा मरम्मत व फोटोग्राफी करयी गयी दर्शित है परन्तु इसकी डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए। प्रविष्टि के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नेवलगंज

प्रस्तर-48 वर्ष दौरान ग्राम निधि-I. अन्तर्गत रू0-12,500 की डेलिया क्रय की गई तथा रू0-10,000.00 कुर्सी, मेज आदि क्रय की गई दर्शित है परन्तु इसे डेड स्टॉक

रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया। प्रविष्टि के अभाव में सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ऊचगांव

प्रस्तर-49 वर्ष 2012-13 में ग्राम निधि। खाते से ₹0-3000.00 तथा मनरेगा खाते से ₹0-2000.00 इस प्रकार कुल ₹0-5000.00 विज्ञापन मद में व्यय किये यह आपत्तिजनक है राजकीय धन के उपयोगको दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न योजनाओं की जानकारी वालराइटिंग द्वारा ग्राम स्तर तक सीमित रखना उचित है। उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से की जाये।

जनपद का नाम -गोरखपुर

मण्डल का नाम - गोरखपुर

4.3 -ग्राम पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

ग्राम पंचायत-बडगो विकास खण्ड - खोराबार जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं0-01

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में छात्रवृत्ति मद में ₹0 28950.00 रोकड अवशेष नकद था तथा वर्ष के दौरान बैंक से ₹0 72000.00 की निकासी की गयी जिसके सापेक्ष वर्ष में ₹0 71520.00 की वितरण की गयी वर्षान्त ₹0 29430.00 रोकड शेष नकद कैशबुक में हस्तगत दर्शित है जिसे वितरण की आवश्यकता न होने पर विभाग को वापस या बैंक में जमा कराया जाना चाहिये था। परन्तु ऐसा न करके ₹0 29430.00 नकद रोकड शेष अनियमित ढंग से रोककर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार व उत्तरदायी हैं। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री कौशलेन्द्र धर दूबे से रुपये 14715.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव से रुपये 14715.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	29430.00	29430.00

ग्राम पंचायत-झरवा

विकास खण्ड - खोराबार

जनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं0-02

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 ₹0 18985.00 छात्रवृत्ति का धन खाते से आहरित किया गया इसमें से मात्र 10560.00 ही छात्रवृत्ति का धन 22 पिछड़ी जाति के जूनियर हाईस्कूल के छात्रों में वितरित किया गया शेष धन ₹0 8425.00 वर्षान्त तक नकद धन के रूप में हस्तगत रहा। यदि धन वितरण की आवश्यकता नहीं थी तो नकद धन को विभाग को वापस या बैंक में जमा करना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके अनियमित ढंग से नकद धन रोककर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री लोरिक प्रसाद से रुपये 4212.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव से रुपये 4212.50 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	8425.00	8425.00

ग्राम पंचायत—हरसेवकपुर नं० 2 विकास खण्ड — चरगावां

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—03

वर्ष 2011—12 में कनवर्जन कास्ट में व्यय की अपेक्षा 4952.00 रुपये एवं वर्ष 2012—13 में व्यय की अपेक्षा रु० 5458.00 अधिक निकासी खाते से है। अतः कुल रुपये 10410.00 दिनांक 31.03.13 को रोकड अवशेष प्रधानाचार्य / प्रधान के हाथ में हैं। जिसका अंकन किसी भी अभिलेख में नहीं दर्शित है। अतः इस अवशेष धन को प्रधानाचार्य / प्रधान से वसूली की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु प्रधानाध्यापक श्रीमती पूनम राय से रुपये 5205.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अर्जुन निषाद से रुपये 5205.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	10410.00	10410.00

ग्राम पंचायत—रामपुर बघौरा

विकास खण्ड — गगहा

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—04

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नहीं किया गया जबकि धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना था तो उसे बैंक खातों में जमा करा देना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। रु० 17570.00 बैंक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान / सचिव द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। अस्तु उक्त धनराशि व्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र यादव से रुपये 8785.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषिमुनि सिंह से रुपये 8785.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	17570.00	17570.00

ग्राम पंचायत—ठठौली विकास खण्ड — गगहा

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—05

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नहीं किया गया जबकि धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना था तो उसे बैंक खातों में जमा करा देना चाहिये था।परन्तु ऐसा नहीं किया गया। रु० 15269.00 बैंक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिव द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है।अस्तु उक्त धनराशि व्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री गायत्री देवी से रुपये 7634.5 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मारकण्डेय पाण्डेय से रुपये 7634.5 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	15269.00	15269.00

ग्राम पंचायत—लेडुआबारी

विकास खण्ड — बांसगांव

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—06

आलोच्य वर्ष की कोषबही के अनुसार सितम्बर 2012 से दिसम्बर 2012 तक ग्राम पंचायत में कोई कार्य नहीं हुआ है और इस अवधि में ग्राम प्रधान के पास नकद अवशेष रु० 13816.00 रहा है।इस प्रति विभागीय प्रशासनिक विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।वर्ष के अन्त में रु० 16370.00 प्रधान द्वारा अनियमित रूप से अपने पास अवशेष रखा गया है।आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये है।जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राम किशुन से रुपये 8185.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निखिलेश से रुपये 8185.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	16370.00	16370.00

ग्राम पंचायत—सहदोडाड

विकास खण्ड — बांसगांव

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—07

आलोच्य वर्ष में दिनांक 31.03.13 को उक्त मद (तेरहवां वित्त आयोग /राज्य वित्त आयोग) में रु० 33296.00 नकद रोकड अवशेष दर्शित है।ग्राम प्रधान तथा सचिव द्वारा नकद रोकड अवशेष रखकर दुरुपयोग किया गया है।उक्त अवशेष धन अविलम्ब बैंक खाते में जमा कराया जाना ग्राम सभा हित में अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	33296.00	33296.00

ग्राम पंचायत—बेलवा खुर्द विकास खण्ड — पिपराईच जनपद — गोरखपुर
प्रस्तर सं०—08

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नहीं किया गया जबकि धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना था तो उसे बैंक खातों में जमा करा देना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। रु० 91800.00 बैंक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिव द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। अस्तु उक्त धनराशि व्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री शिवलाल गुप्ता से रुपये 45900.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ईस्टदेव शुक्ल से रुपये 45900.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	91800.00	91800.00

ग्राम पंचायत—सिधावल विकास खण्ड — पिपराईच जनपद — गोरखपुर
प्रस्तर सं०—09

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नहीं किया गया जबकि धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना था तो उसे बैंक खातों में जमा करा देना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। रु० 222395.00 बैंक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिव द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। अस्तु उक्त धनराशि व्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री शशिकला देवी से रुपये 111197.5 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सलीमुल्लाह से रुपये 111197.5 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	222395.00	222395.00

ग्राम पंचायत—बनभागलपुर

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—10

लेखा परीक्षा वर्ष 2011—12 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अर्न्तगत कराये गये कार्यो से सम्बन्धित प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष के दौरान कराये गये कार्य पारस साहनी के खेत से कलन्दर मार्ग तक मिटटी कार्य (स्वीकृत धनराशि—रु० 123845.00) में श्रमांश पर रु० 11520.00 व सामग्री पर 96217.80 कुल व्यय रु० 107737.80 रहा। उक्त कार्य पर सामग्री व्यय में दिनांक 29.03.2011 को रु० 74000.00 का भुगतान ईट क्रय हेतु किया गया है। जिस हेतु क्रय सम्बन्धी मानको का पालन नहीं किया गया है। जिसका प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी से रुपये 37000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बालेश्वर यादव से रुपये 37000.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
74000.00	—	74000.00

ग्राम पंचायत—बनभागलपुर

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—11

लेखा परीक्षा वर्ष 2011—12 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अर्न्तगत कराये गये कार्यो से सम्बन्धित प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष के दौरान कराये गये कार्य चन्द्रजोत के घर के सामने से बारात घर तक मिटटी कार्य (स्वीकृत धनराशि—रु० 110560.00) में श्रमांश पर रु० 9060.00 व सामग्री पर 91073.00 कुल व्यय रु० 101033.00 रहा। उक्त कार्य पर सामग्री व्यय में दिनांक 15.10.2011 को रु० 84360.00 का भुगतान ईट क्रय हेतु किया गया है। जिस हेतु क्रय सम्बन्धी मानको का पालन नहीं किया गया है। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी से रुपये 42180.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बालेश्वर यादव से रुपये 42180.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
84360.00	—	84360.00

ग्राम पंचायत—बनभागलपुर

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—12

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में 'ग्राम निधि प्रथम के कैंशबुक के अनुसार किये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर लिया गया। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी से रुपये 138600.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बालेश्वर यादव से रुपये 138600.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है :-

दिनांक / व्यय प्रमाण सं०	फर्मकानाम	धनराशि	कार्यकानाम
28.04.2012 / 02	मालती ब्रिक्स ट्रेडर्स	64500.00	खडन्जा मरम्मत
14.05.2012 / 05	—	20000.00	„
04.07.2012 / 06	मालती ब्रिक्स ट्रेडर्स	42000.00	नाली निर्माण
04.07.2012 / 07	शुभम ट्रेडर्स	22500.00	„
13.07.2012 / 08		20200.00	„
08.09.2012 / 09	मालती ब्रिक्स ट्रेडर्स	56500.00	खडन्जा मरम्मत
08.09.2012 / 10		15000.00	„
16.09.2012 / 11		18000.00	„
04.01.2013 / 12		18500.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
		277200.00	

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
277200.00	—	277200.00

ग्राम पंचायत—बनभागलपुर

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—13

लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त आयोग /तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित कोष बही में दिनांक 19.04.2012 को ग्राम प्रधान को रू० 9000.00 मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष का निर्धारित मानदेय ,विगत वर्ष का बकाया मानदेय व अवशेष मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि न कराये जाने से धन का अपहरण है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी से रुपये 4500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बालेश्वर यादव से रुपये 4500.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
9000.00	—	9000.00

ग्राम पंचायत—बनभागलपुर

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—14

ग्राम पंचायत की वर्ष 2011—12 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के कैशबुक के अनुसार किये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये इस प्रकार प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर लिया गया। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी से रुपये 43660.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बालेश्वर यादव से रुपये 43660.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है :—

दिनांक / व्यय प्रमाणक सं०	फर्मकानाम	धनराशि	कार्य का नाम
04.06.2011 / 01	मालती ब्रिक्स ट्रेडर्स	22200.00	काली स्थान से रेलवे लाईन तक खडन्जा मरम्मत कार्य
13.07.2011 / 06	मालती ब्रिक्स ट्रेडर्स	22200.00	„
24.09.2011 / 07	मालती ब्रिक्स ट्रेडर्स	20350.00	राम आसरे के घर से फुन्नीलाल के मकान तक खडन्जा मरम्मत कार्य
08.11.11	मालती ब्रिक्स ट्रेडर्स	22570.00	करमैनी मार्ग से महंगी हरिजन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य
		87320.00	

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
87320.00	—	87320.00

ग्राम पंचायत—तालबंजरहा

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—15

वर्ष 2012—13 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के कैशबुक के अनुसार विभिन्न मदवार प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सन्तराज से रुपये 67862.5 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से रुपये 67862.5 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्रम०	फर्मकानाम	दिनांक / बाउचर सं०	विवरण	दर	धनराशि
1	के० एन० ट्रेडर्स	12.04.2012 / 01	ईट	4600	25300.00

2	के० एन० ट्रेडर्स	07.05.2012 / 04	ईट	4600	23000.00
3	बालाजी बि० मैटेरियल	15.08.2012 / 09	सीमेन्ट, बालू, मोरंग, गिटटी	—	21225.00
4	के० एन० ट्रेडर्स	26.12.2012 / 14	ईट	4600	27600.00
5	अग्रहरि मशी० एवइलेक्ट्रानिक्स	05.02.2013 / 15	पानी की टंकी की स्था०	—	38600.00
					135725.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
135725.00	—	135725.00

ग्राम पंचायत—तालबंजरहा

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—16

वर्ष 2011—12 में किये गये व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करके धनराशि का अपहरण। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सन्तराज से रुपये 107347.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से रुपये 107347.50 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक / व्यय प्रमाणक सं०	फर्मकानाम	धनराशि	कार्यकानाम
30.05.2011 / 01	—	31920.00	अहिरौली चौराहे पर कूप मरम्मत कार्य
31.05.2011 / 02	—	19965.00	पुलिया रिपेयर
01.06.2011 / 03	—	12920.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
01.06.2011 / 04	—	3295.00	
01.08.2011 / 06	अग्रहरि मशी० एवइलेक्ट्रानिक्स	1850.00	
16.09.2011 / 12	अग्रहरि मशी० एवइलेक्ट्रानिक्स	7460.00	
01.08.2011 / 05	मिटटी	12920.00	
07.09.2011 / 07	के० एन० ट्रेडर्स	3295.00	पिच मार्ग से बन्धे तक खडन्जा मरम्मत कार्य
07.09.2011 / 08	मजदूरी	1850.00	
07.09.2011 / 09	ईटकय	7400.00	मिस्त्री के घरसे आर०सी०सी० रोड तक खडन्जा कार्य
07.09.2011 / 10	मिटटी	3600.00	
16.09.2011 / 11	मजदूरी	3600.00	

21.10.2011 / 13	मे० गान्धी सीमेन्ट एंव बि० मैटेरियल	27460.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
21.10.2011 / 14	के० एन० ट्रेडर्स	11100.00	
14.12.2011 / 15	मजदूरी	9500.00	
14.12.2011 / 16	—	8020.00	पंचायत भवन पेन्टिंग कार्य
14.12.2011 / 17	—	4000.00	
14.12.2011 / 18	के० एन० ट्रेडर्स	14800.00	प्राथमिक विधालय के पास नाली निर्माण कार्य
22.12.2011 / 19	मे० गान्धी सीमेन्ट एंव बि० मैटेरियल	20240.00	
22.12.2011 / 20	मजदूरी	9500.00	

214695.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
214695.00	—	214695.00

ग्राम पंचायत—तालबंजरहा

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—17

वर्ष 2010—11में किये गये व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित व्यय प्रमाणक /मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करके धनराशि का अपहरण। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सन्तराज से रुपये 25700.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से रुपये 25700.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक /व्यय प्रमाणक सं०	फर्म का नाम	धनराशि	कार्य का नाम
10.11.2010 / 08	टाली खरीद	25500.00	कार्य का नाम अंकित नहीं
10.01.2011 / 20	अग्रहरि ब्रदर्स धानी बाजार	25900.00	रामपाल के घर से पूरब गढढे तक नाली
		51400.00	

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
51400.00	—	51400.00

ग्राम पंचायत—तालबंजरहा

विकास खण्ड —कैम्पियरगं जजनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—18

लेखा परीक्षा वर्ष राज्य वित्त आयोग /तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित कोष बही में वर्ष के दौरान रू० 20840.00 हैण्ड पम्प मरम्मत के रूप में भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में वर्ष में मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सन्तराज से रुपये 10420.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से रुपये 10420.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
20840.00	—	20840.00

ग्राम पंचायत—पोवा

विकास खण्ड —कैम्पियरगं जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—19

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के कैशबुक के अनुसार किये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कोष बही में किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी और ना ही किये गये व्यय की पुष्टि में एम० बी० बुक व परिसम्पत्ति रजि० तथा स्टॉक पंजिका प्रस्तुत किया गया जिससे व्यय अपुष्ट रहा। जिस से स्पष्ट है कि निम्नलिखित कार्यो पर व्यय की धनराशि का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती लालमती से रुपये 117018.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से रुपये 117018.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक / व्यय प्रमाण सं०	फर्मकानाम	धनराशि	कार्यकानाम
10.04.2012 / 01	एस०के० इन्टर प्राइजेज बृजमनगंज	39120.00	किस कार्य हेतु कय किया गया, विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया
12.04.2012 / 02	बालाजी बिल्डिंग मैटेरियल	21500.00	पूर्णमासी और किशोर के दरवाजे पर नलकूप मरम्मत कार्य
12.04.2012 / 01	श्रीराम ब्रिक्स फिल्ड	13800.00	
30.05.2012 / 01	मजदूरी भुगतान	8100.00	

12.04.2012 / 04	रविन्द्र पाइप सेन्टर	3500.00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य मेन सडक से हरीराम पाठक के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य
14.08.2012 / 08	रविन्द्र पाइप सेन्टर	9100.00	
30.05.2012 / 05	श्रीराम ब्रिक्स फिल्ड	36800.00	
14.08.2012 / 07	मिस्ट्री	4200.00	
14.09.2012 / 09	मिटटी दुलाई-श्रीसन्तराज	22154.00	
13.12.2012 / 10	मजदूरी भुगतान	10750.00	
17.12.2012 / 11	श्रीराम ब्रिक्स फिल्ड	9200.00	
23.03.2013 / 13	श्रीराम ब्रिक्स फिल्ड	46000.00	पंचायत भवन पेंटिंग कार्य
31.12.2012 / 12	बालाजी बिल्डिंग मैटेरियल	9812.00	

234036.00

योग

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
234036.00	—	234036.00

ग्राम पंचायत—पोवा

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०-20

वर्ष 2011-12 में किये गये व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित व्यय प्रमाणक /मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करके धनराशि का अपहरण। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती लालमती से रुपये 165537.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से रुपये 165537.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

31.05.2011 / 01	अग्रहरी ब्रदर्स धानी बाजार	7400.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
31.05.2011 / 02	मे० गान्धी सीमेन्ट	47560.00	
01.06.2011 / 03	बाबा ट्रेडर्स जिन्दापुर जं० कौडिया	17500.00	
09.06.2011 / 04	मजदूरी भुगतान	15600.00	
14.06.2011 / 05	अग्रहरी ब्रदर्स धानी बाजार	75924.00	अहिरौली में मन्दिर से किशोर के घर तक मिटटी /खडन्जा कार्य
26.06.2011 / 06	मजदूरी भुगतान	25200.00	
27.06.2011 / 07	मिटटी दुलाई-श्री राजाराम	4200.00	
01.08.2011 / 08	अग्रहरी मशीनरी धानी बाजार	8550.00	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य

10.09.2011 / 10	अग्रहरी मशीनरी धानी बाजार	4390.00	
04.02.2012 / 20	अग्रहरी मशीनरी धानी बाजार	7160.00	
11.09.2011 / 11	अग्रहरी ब्रदर्स धानी बाजार	14800.00	कूप मरम्मत कार्य
11.09.2011 / 12	में0 गान्धी सीमेन्ट	17450.00	
12.01.2012 / 18	मजदूरी भुगतान	12360.00	
14.12.2011 / 13	अग्रहरी ब्रदर्स धानी बाजार	10900.00	विन्ध्याचल चौबे के घर के पीछे गढढे तक नाली निर्माण कार्य
14.12.2011 / 14	में0 गान्धी सीमेन्ट	12720.00	
27.12.2011 / 16	मजदूरी भुगतान	12360.00	
31.12.2011 / 17	अग्रहरी ब्रदर्स धानी बाजार	37000.00	जनकी मन्दिर से किशोर के घर तक
		331074.00	

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
331074.00	—	331074.00

ग्राम पंचायत—पोवा

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं0—21

वर्ष 2010—11 में किये गये व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित व्यय प्रमाणक /मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करके धनराशि का अपहरण। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती लालमती से रुपये 101280.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से रुपये 101280.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

10.08.2010 / 01	अग्रहरी ब्रदर्स धानीबाजार	25000.00	कमलेश के घर से कदम्बा के घर तक मि0 /खडन्जा कार्य
19.08.2010 / 02	मजदूरी भुगतान	5000.00	
23.08.2010 / 03	अग्रहरी ब्रदर्स धानीबाजार	18500.00	राधव बिहारी के खेत सेगंगोत्री के खेततक खडन्जा मरम्मत कार्य
25.01.2011 / 07	एस0 के0 इन्टर प्राइजेज महाराजगंज	18230.00	सी0सी0 रोड से विजय के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य
03.02.2011 / 08	मजदूरी भुगतान	14080.00	
01.03.2011 / 09	अग्रहरी ब्रदर्स धानीबाजार	25900.00	
08.03.2011 / 10	अग्रहरी ब्रदर्स धानीबाजार	16650.00	

13.03.2011 / 11	मजदूरी भुगतान	8160.00	कूप मरम्मत कार्य
20.03.2011 / 12	अग्रहरी ब्रदर्स धानीबाजार	26270.00	
21.03.2011 / 14	अग्रहरी ब्रदर्स धानीबाजार	25810.00	
28.03.2011 / 17	मजदूरी भुगतान	7920.00	
20.03.2011 / 13	मजदूरी भुगतान	11040.00	अहिरौली पैची पोखरे के पास सडक कटान भराई कार्य
		202560.00	

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
202560.00	—	202560.00

ग्राम पंचायत—पोवा

विकास खण्ड —कैम्पियरगंज जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—22

लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य विता आयोग /तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित कोष बही में दिनांक 31.03.2012 को ग्राम प्रधान को रू० 16150.00 मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष का निर्धारित मानदेय, विगत वर्ष का बकाया मानदेय व अवशेष मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणक /रजि० के अभाव में धन का अपहरण होना संभव हैं। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती लालमती से रुपये 8075.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाण्डेय से रुपये 8075.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
16150.00	—	16150.00

ग्राम पंचायत—अजीजुल्लाह उ० चकिया

विकास खण्ड —जंगल कौडिया जनपद—गोरखपुर

प्रस्तर सं०—23

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के कैशबुक के अनुसार किये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कोषबही में किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी और ना ही किये गये व्यय की पुष्टि में एम०बी० बुक व परिसम्पत्ति रजि० तथा स्टाक पंजिका प्रस्तुत किया गया जिससे व्यय अपुष्ट रहा। जिससे स्पष्ट है कि निम्नलिखित कार्यो पर व्यय की धनराशि का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री गजानन्द से

रुपये 373475.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 373475.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक /व्यय प्रमाण सं०	फर्म का नाम	धनराशि	कार्य का नाम
12.05.2012 / 01	विजय ब्रिक्स फिल्ड ,दहला	40000.00	काली मां के स्थान के चारो तरफ खडन्जा निर्माण पर व्यय
12.05.2012 / 02	बाबा ट्रेडर्स जिन्दापुर जं० कौडिया	9000.00	
12.05.2012 / 03	मजदूरी भुगतान	5300.00	
20.05.2012 / 04	विजय ब्रिक्स फिल्ड ,दहला	160000.00	बलेल के घर से पिच रोड तक खडन्जा मरम्मत कार्य
20.05.2012 / 05	बाबा ट्रेडर्स जिन्दापुर जं० कौडिया	12000.00	
20.05.2012 / 06	मजदूरी भुगतान	8000.00	
20.06.2012 / 08	बाबा ट्रेडर्स जिन्दापुर जं०कौ०	84000.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
20.10.2012 / 19	बाबा ट्रेडर्स जिन्दापुर जं०कौ०	15000.00	
21.07.2012 / 12	विजय ब्रिक्स फिल्ड ,दहला	120000.00	
21.07.2012 / 13	बाबा ट्रेडर्स जिन्दापुर जं० कौडिया	12000.00	रामनरायन के घर से जमुआड तक खडन्जा कार्य
22.07.2012 / 14	मजदूरी भुगतान	9250.00	
25.08.2012 / 16	पानी की टंकी का क्रय	40000.00	
30.08.2012 / 18	सोलर लाईट क्रय	24800.00	
21.12.2012 / 20	विजय ब्रिक्स फिल्ड ,दहला	100000.00	मोलहू के घर से पोखरा होते हुये अमहवा तक खडन्जा मरम्मत कार्य
21.12.2012 / 20	बाबा ट्रेडर्स जिन्दापुर जं० कौडिया	12000.00	
30.12.2012 / 21	मजदूरी भुगतान	8000.00	
19.03.2013 / 22	विजय ब्रिक्स फिल्ड ,दहला	40000.00	मुन्ना यादव के घर से रामनरायन यादव के खेत तक खडन्जा कार्य पर व्यय
19.03.2013 / 24	दुर्गेश भवन सामग्री	6000.00	
20.03.2013 / 25	मजदूरी भुगतान	5500.00	
20.03.2013 / 27	विजय ब्रिक्स फिल्ड ,दहला	32000.00	मेहदरिया हरिजन बस्ती से चकिया सीवान तक खडन्जा मरम्मत कार्य
20.03.2013 / 28	दुर्गेश भवन सामग्री	3000.00	
20.03.2013 / 29	मजदूरी भुगतान	1100.00	

746950.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
746950.00	—	746950.00

ग्राम पंचायत—अजीजुल्लाह उ० चकिया विकास खण्ड —जंगल कौडिया जनपद—गोरखपुर
प्रस्तर सं०—24

विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०—ए—1—864/दस—08—15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू० 20000/— से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/— से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी किन्तु ग्राम सभा द्वारा कोटेशन व निविदाएं प्राप्त न कर सीधे सामग्री क्रय किया गया है न ही क्रय किये गये सामग्री का कोई राजकीय दर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की पुष्टि न की जा सकी। उदाहरण के लिये मेहदरिया अखाड़ा से प्रेम शंकर के घर तक खडन्जा /मिट्टी कार्य पर दिनांक 20.10.2012 को रू० 66555.00 व दिनांक 22.10.2012 को रू० 56031.00 हयूम पाइप क्रय हेतु भुगतान किया गया है। जिसमें क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री गजानन्द से रुपये 61293.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 61293.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
122586.00	—	122586.00

ग्राम पंचायत—अजीजुल्लाह उ० चकिया विकास खण्ड —जंगल कौडिया जनपद—गोरखपुर
प्रस्तर सं०—25

लेखा परीक्षा वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अर्न्तगत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि स्वीकृत कार्य मेहदरिया अखाड़ा से प्रेम के घर तक खडन्जा /मि० कार्य की स्वीकृत धनराशि /अनुमानित लागत रू० 196775.00 (सामग्री—रू० 143025.00 ,श्रमांश — रू० 53750.00) रहा। जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान श्रमांश मद में रू० 39875.00 तथा सामग्री क्रय में रू० 215276.00 कुल रू० 255151.00 का व्यय किया गया है। जो स्वीकृति /अनुमानित धनराशि से रू० 58376.00 अधिक रहा। इस प्रकार उक्त कार्य पर रू० 58376.00 अधिक व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री गजानन्द से रुपये 29188.00 एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 29188.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	58376.00	58376.00

ग्राम पंचायत-डाढाडीह

विकास खण्ड -जंगल कौडियाजनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं0-26

वर्ष 2012-13 में योजना के अर्न्तगत दिनांक 01.04.2012 को रू0 35150.00 बैंक(खाता सं0 एस0बी0आई0 11529872595) में तथा रू0 124200.00 प्रधान के पास अवशेष दर्शित रहा। वर्ष के दौरान बैंक पास बुक के अनुसार कुल आय रू0 182278.00 के स्थान पर कैश बुक में कुल आय रू0 112278.00 दर्शित किया गया है जो रू0 60000.00 से कम है। इस प्रकार वर्ष के दौरान प्रारम्भिक अवशेष सहित कुल उपलब्ध धन 341608.00 के सापेक्ष रू0 213000.00 की निकासी की गयी है। जबकि प्रधान के पास स्थित रोकड शेष को मिलाते हुये वर्ष के दौरान 267200.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के पश्चात दिनांक 31.03.2013 को ग्राम पंचायत में इस मद में रू0 4408.53 बैंक में तथा रू0 70000.00 प्रधान के पास अवशेष दर्शित हानो चाहिये। किन्तु कैशबुक के अनुसार दिनांक 31.03.13 को रू0 4408.00 बैंक खाते में तथा प्रधान के पास शून्य रोकड शेष दर्शित कर रू0 70000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी से रुपये 35000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 35000.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
70000.00	—	70000.00

ग्राम पंचायत-डाढाडीह

विकास खण्ड -जंगल कौडियाजनपद - गोरखपुर

प्रस्तर सं0-27

वर्ष 2011-12 में ग्राम निधि प्रथम खाते के अर्न्तगत (खाता सं0 एस0बी0आई0 11529872595) दिनांक 01.04.2011 से निम्नलिखित तिथियों में की गयी निकासी के सापेक्ष किये गये व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति, एम0बी0 बुक तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

दिनांक	धनराशि
05.09.11	10000.00
15.12.11	50000.00
26.12.11	75000.00
28.12.11	50000.00
04.01.12	70000.00

31.03.12	10000.00
योग	265000.00

उक्त निकासी रु0 265000.00 के सापेक्ष व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति ,एम0बी0 बुक तथा सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी से रुपये 132500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 132500.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
265000.00	—	265000.00

ग्राम पंचायत—**डाढाडीह**

विकास खण्ड —जंगल कौडियाजनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं0—28

वर्ष 2012—13 में ग्राम निधि प्रथम खाते के अर्न्तगत (खाता सं0 एस0बी0आई0 11529872595) दिनांक 01.04.2012 से निम्नलिखित तिथियों में की गयी निकासी के सापेक्ष किये गये व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति ,एम0बी0 बुक तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

दिनांक	धनराशि
03.04.12	34000.00
27.04.12	10000.00
01.05.12	16000.00
18.08.12	43000.00
11.01.13	70000.00
14.03.13	40000.00
योग	213000.00

उक्त निकासी रु0 213000.00 के सापेक्ष व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति ,एम0बी0 बुक तथा सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी से रुपये 106500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 106500.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
213000.00	—	213000.00

ग्राम पंचायत—डाढाडीह

विकास खण्ड —जंगल कौडियाजनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—29

विशेष सचिव उ० प्र० शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं०—ए—1—864/दस—08—15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू० 20000/— से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000/— से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी किन्तु ग्राम सभा द्वारा कोटेशन व निविदाएं प्राप्त न कर सीधे सामग्री क्रय किया गया है न ही क्रय किये गये सामग्री का कोई राजकीय दर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की पुष्टि न की जा सकी।लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न सामग्रियों के क्रय में उक्त शासनादेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया है।जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी से रुपये 326987.5 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 326987.5 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

फर्म का नाम	सामग्री क्रय	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
राकेश ब्रिक्स फिल्ड जं०कौ०	ईट	30.07.11	208321	187068.0 0
आदित्य ट्रेडिंग कं०	बृक्षारोपण सामग्री	06.09.11	208328	67500.00
राकेश ब्रिक्स फिल्ड जं०कौ०	ईट	30.07.11	841327	251207.0 0
जय गोविन्द ट्रेडर्स	हयुम पाइप	16.02.12	841349	48000.00
जय गोविन्द ट्रेडर्स	हयुम पाइप	16.02.12	841348	45000.00
जय गोविन्द ट्रेडर्स	हयुम पाइप	31.03.12	841357	30000.00
जय गोविन्द ट्रेडर्स	हयुम पाइप	09.08.12	841372	25200.00
				653975.0 0

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	653975.00	653975.00

ग्राम पंचायत—डाढाडीह

विकास खण्ड —जंगल कौडियाजनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—30

लेखा परीक्षा वर्ष 2011—12 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अर्न्तगत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अर्न्तगत कराये गये कार्यों में व्यय की गयी धनराशि स्वीकृत /आगणन/अनुमानित धनराशि से अधिक रही विवरण निम्नवत है:—

कार्य का नाम	स्वीकृत /अनुमानित		वास्तविक व्यय		अन्तर
	श्रमांश	सामग्री	श्रमांश	सामग्री	
1—बेलवा पोखरी का जीर्णोद्धार कार्य	96840.00	12400.00	89040.00	76431.00	56231.00
2—चमरहिया पोखरी का जीर्णोद्धार कार्य	125880.00	7715.00	103200.00	63661.00	33266.00
योग	222720.00	20115.00	192240.00	140092.00	89497.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों में बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये धनराशि का व्ययकर लिया गया है। उपरोक्त कार्यों पर सामग्री अंश में अनुमानित राशि 20115.00 के सापेक्ष 140092.00 व्यय करके रुपये 119977.00 का अधिक व्यय कर लिया गया है। इस प्रकार सामग्री मद में अधिक व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन व तकनीकी सहायक श्री प्रकाश चन्द श्रीवास्तव पूर्णतया उत्तरदायी हैं। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी से रुपये 59988.5 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 59988.5 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
0.00	119977.00	119977.00

ग्राम पंचायत—डाढाडीह

विकास खण्ड —जंगल कौडियाजनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—31

लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अर्न्तगत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अर्न्तगत पूर्ण कराये गये कार्य के सापेक्ष अनुमानित धनराशि श्रमांश मद में रु० 20000.00 तथा सामग्री मद में रु० 200000.00 कुल रु० 220000.00 स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष श्रमांश मद में रु० 000.000 एवं सामग्री मद में रु० 169035.80 व्यय किया गया है। बिना श्रमांश व्यय के सामग्री पर व्यय किया जाना सम्पूर्ण व्यय को संदिग्ध बना देता है। यहां उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य की स्वीकृति कार्यालय पत्रांक 123/01 दिनांक 02.04.2009 को

प्रदान की गयी थी जब कि उक्त कार्यके सापेक्ष भुगतान वर्ष 2012-13 में किया जा रहा है।सामग्री क्रय के सापेक्ष प्रस्तुत व्यय प्रमाणको के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यय प्रमाणक प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होते हैं।उक्त कार्य में रू0 55000.00 का भुगतान केवल तालाब से पानी निकासी हेतु खर्च किया गया है।इस प्रकार सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू0 169035.80 का अपहरण ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव द्वारा कर लिया गया जिसकी वसूली अपेक्षित है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी से रुपये 84517.5 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 84517.5 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
169035.80	—	169035.80

ग्राम पंचायत-रोहुआ

विकास खण्ड -जंगल कौडिया जनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं0-32

लेखा परीक्षा वर्ष राज्य विता आयोग /तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से वर्ष के दौरान दिनांक 04.09.2012 को रू0 3000.00 व दिनांक 31.03.2013 को रू0 4200.00 का नगद भुगतान ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल को किया गया है जिसके सापेक्ष मानदेय रजिस्टर न प्रस्तुत किये जाने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है।जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल से रुपये 3600.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद श्रीवास्तव से रुपये 3600.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
7200.00	—	7200.00

ग्राम पंचायत-रोहुआ

विकास खण्ड -जंगल कौडिया जनपद-गोरखपुर

प्रस्तर सं0-33

लेखा परीक्षा वर्ष मे 'राज्य वित्त आयोग /तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से वर्ष के दौरान निम्न विवरणानुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर धनराशि व्यय की गयी है किन्तु निम्न व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कार्यपूर्ति तथा कार्ययोजना व उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर लिया प्रतीत होता है जिस हेतु ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी जिम्मेदार है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल से रुपये 14920.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद श्रीवास्तव से रुपये 14920.00 बराबर-2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।विवरणनिम्नवत है।

दिनांक /व्यय प्रमाणक सं0	धनराशि

12.04.12 / 01	8000.00
12.04.12 / 02	2000.00
31.12.12 / 11	8500.00
26.01.12 / 13	3000.00
15.02.13 / 14	5340.00
31.03.13 / 15	3000.00

योग 29840.00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
29840.00	—	29840.00

ग्राम पंचायत—रोहुआ

विकास खण्ड —जंगल कौडिया जनपद—गोरखपुर

प्रस्तर सं०—34

लेखा परीक्षा वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अर्न्तगत कराये गये निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित कार्य योजना कार्यपूर्ति व एम०बी० बुक तथा परिसम्पत्ति रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष के दौरान कराये गये कार्यों की प्राविधिक / लेखांकन की दृष्टि से समीक्षा नहीं की जा सकी। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल से रुपये 108773.00. 00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरद श्रीवास्तव से रुपये 108773.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है :—

योजना	कृत कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	वर्ष में व्यय	31 मार्च तक पूर्णता की स्थिति	अभ्युक्ति
मनरेगा	1—रोहुआ में पियारे के खेत से कोली के खेत तक मिट्टी कार्य	62625.00	57240.00	पूर्ण	
		49730.00	45240.00	पूर्ण	
	2—रोहुआ में पण्डित के खेत से हरीलाल के खेत तक मिट्टी कार्य	40080.00	36840.00	पूर्ण	
		176655.00	27600.00	पूर्ण	
	3—राम लगन के खेत से भौराम लसीवान तक मिट्टी कार्य	57250.00	50626.00	पूर्ण	
	4—रोहुआ में लोरिक के खेत से सोड तक मिट्टी कार्य ..				
	5—रोहुआ में छब्बा के खेत से				

सूरज के खेत तक मिट्टी कार्य				
योग		217546.00		

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
217546.00	—	217546.00

ग्राम पंचायत—**बौरडीह**

विकास खण्ड —जंगल कौडिया

जनपद—गोरखपुर

प्रस्तर सं०—35

लेखा परीक्षा वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अर्न्तगत कराये गये निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित कार्य योजना कार्यपूर्ति व एम०बी० बुक तथा परिसम्पत्ति रजि० प्रस्तुत नहीं किया जिससे वर्ष के दौरान कराये गये कार्यों की प्राविधिक/लेखांकन की दृष्टि से समीक्षा नहीं की जा सकी। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री यादवेन्द्र से रुपये 210460.5 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ताजुल आफरीन से रुपये 210460.5 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अभिलेख प्रस्तुत न कर अपहरण विवरण निम्नवत है :—

योजना	कृत कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	वर्ष में व्यय	31 मार्च तक पूर्णता की स्थिति	अभ्युक्ति
मनरेगा	1—हरिजन बस्ती पट्टे की जमीन का उच्चीकरण	122300.00	14000.00	अज्ञात	पत्रावली अप्रस्तुत
	2—रामभजन के घर से रामसेवक के घर तक भुमिगत नाली निर्माण	105600.00	104570.00	अज्ञात	पत्रावली अप्रस्तुत
	3—प्राथमिक विधालय से दक्षिण रामचन्द्र के घर तक मिट्टी कार्य	53160.00	51000.00	अज्ञात	पत्रावली अप्रस्तुत
	4—कोदई के घर से पक्की सडक तक मिट्टी कार्य	52560.00	48840.00	अज्ञात	पत्रावली अप्रस्तुत
	5—गंगाजल के खेत से भागवत के बगीचा तक मि०	30200.00	21375.00	अज्ञात	पत्रावली अप्रस्तुत
	6—बृजानन्द के घर से बन्ज रहा सीवान तक मिट्टी	96800.00	79736.00	अज्ञात	पत्रावली अप्रस्तुत
	7—गोरख के खेत से पावर हाउस तक मिट्टी कार्य	40300.00	33125.00	अज्ञात	पत्रावली अप्रस्तुत
	8—पावर हाउस से मैनाभाग रहोते हुये कच्ची सडक तक मिट्टी कार्य	86400.00	68275.00	अज्ञात	पत्रावली अप्रस्तुत

420921-00

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
420921.00	—	420921.00

ग्राम पंचायत—**भरसी बुजुर्ग** विकास खण्ड — गोला

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—36

ग्राम प्रधान के पास नकद तथा ईट भठटे पर जमा दर्शित कर धन का दुरुपयोग 01.04.2012 से 31.03.2013 तक जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री पारस नाथ मिश्र से रुपये 68973.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राघवचन्द्र से रुपये 68973.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	137946.00	137946.00

ग्राम पंचायत—**खिरकिटा दिगर**

विकास खण्ड — गोला

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—37

दिनांक 01.04.2008 को ग्राम प्रधान के पास पूर्व का नकद अवशेष धन दिनांक 11.05.2010 की तिथि में गलत ढंग से सामग्री मद में व्यय दर्शित कर गम्भीर अनियमितता जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मानमती से रुपये 24.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिशचन्द्र राय से रुपये 24.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
00.00	48.00	48.00

ग्राम पंचायत—**खिरकिटा दिगर**

विकास खण्ड — गोला

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—38

दिनांक 22.08.2009 को रू० 5100.00 व दिनांक 10.08.2009 को रू० 11200.00 प्राथमिक विधालय चक महेशपुर में मिट्टी ढुलाई पर व्यय दर्शित है किन्तु प्रमाणक अप्रस्तुत रहा जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मानमती से रुपये 8150.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिशचन्द्र राय से रुपये 8150.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
16300.00	—	16300.00

ग्राम पंचायत—**टिकरी बुजुर्ग** विकास खण्ड — उरुवा

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—39

लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में राज्य वित्त आयोग /तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित कार्यों में वर्ष के दौरान कुल रू० 358200.00 की निकासी विभिन्न तिथियों में बैंक से (खाता सं० 31661083112) की गयी है। जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान रू० 358197.00 का व्यय किया गया है। व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यपूर्ति, व्यय प्रमाणक व एम०बी० बुक आदि पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान कुल व्यय रू० 358197.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती चोला व ग्राम विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र द्वारा किया गया है। उक्त निकासी की धनराशि रू० 358197.00 की वसूली बराबर बराबर मात्रा में प्रधान व सम्बन्धित सचिव से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती चोला से रुपये 179098.5 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र राय से रुपये 179098.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
358197.00	—	358197.00

ग्राम पंचायत—**मुबारकपुर**

विकास खण्ड — उरुवा

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—40

लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में राज्य वित्त आयोग /तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित कार्यों में वर्ष के दौरान कुल रू० 336000.00 की निकासी विभिन्न तिथियों में बैंक से (खाता सं० 31654075314) की गयी है। जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान रू० 336000.00 का व्यय किया गया है। व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यपूर्ति, व्यय प्रमाणक व एम०बी० बुक आदि पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान कुल व्यय रू० 336000.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती रजिया बेगम व ग्राम विकास अधिकारी श्री गणेश द्वारा किया गया है। उक्त निकासी की धनराशि रू० 336000.00 की वसूली बराबर बराबर मात्रा में प्रधान व सम्बन्धित सचिव से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया बेगम से रुपये 168000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गणेश प्रसाद से रुपये 168000.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
336000.00	—	336000.00

ग्राम पंचायत—देवापार

विकास खण्ड — उरुवा

जनपद — गोरखपुर

प्रस्तर सं०—41

लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 में राज्य वित्त आयोग / तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित कार्यों में वर्ष के दौरान कुल रु० 399500.00 की निकासी विभिन्न तिथियों में बैंक से (खाता सं० 31660314663) की गयी है जिसके सापेक्ष कोषबही, कार्यपूर्ति, व्यय प्रमाणक व एम०बी० बुक आदि पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी रु० 399500.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती पानमती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री चन्द्रभान मौर्या द्वारा कर लिया गया जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती पानमती देवी से रुपये 199750.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्रभान मौर्या से रुपये 199750.00 बराबर—2 मात्रा की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	गम्भीर अनियमितता	योग
399500.00	—	399500.00

संभाग—गोरखपुर

जनपद—महाराजगंज

प्रस्तर सं०**आपत्तियों का विवरण**०
1

विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत चौतरवा में दिनांक 19-01-13 को विभिन्न कार्यों की फोटोग्राफी जिसका विवरण कोष बही में अंकित नहीं है के मद में रु० 1800.00 का व्यय अंकित किया गया है। पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु० 1800.00 का अपहरण किया गया है अस्तु आधा भाग रु० 900.00 श्री प्रदीप दुबे ग्रा० वि० अधि० तथा आधा भाग रु० 900.00 श्री बृज बिहारी प्रधान से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

2

विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत चौतरवा में 2. निम्न विवरण के अनुसार ले० परी में पाया गया की प्रधान श्री बृज बिहारी ने अनुदान को समय से छात्रों में वितरित न कर निजी हित में दुरुपयोग किया है 1

अवधि	धनराशि	अभ्युक्ति	@18%तवानी ब्याज
01-04-11 से 05-06-11	101000.00	वितरण नहीं	3282.50
07-06-11 से 21-07-11	115400.00	बिना वितरण	2538.80
		निकासी रु० 14400.00 की रही	

	है		
22-07-11 से 11-12-11	7340.00	22-07-11 में वितरण रु०	499.12
		108600.00 है	
12-12-11 से 25-12-11	14960.00	12-12-11 में निकासी रु०	97.24
		74820.00 में से वितरण रु०	
		67200.00 है 1 अवशेष वापस बैंक में जमा नहीं	
26-12-11 से 28-02-11	59060.00	26-12-11 में निकासी रु०	1860.40
		44100.00 की है वितरण नहीं किया गया है	
29-02-11 से 31-03-12	74060.00	29-02-12 में पुनः निकासी रु०	1110.90
		15000.00 है वितरण नहीं किया गया है	
01-04-12 से 10-05-12	74060.00	11-05-12 में वितरण रु०	1518.23
		55500.00 है	

उपरोक्त विवरण की धनराशि प्रधान श्री बृज बिहारी से वसूल कर छात्रवृत्ति खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है 1

- 3 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत गोपालपुर साहू में वर्ष 12-13 में 66 अदद शौचालय निर्माण हेतु रु० 297000.00 अनुमानित रहा, परन्तु भुगतान रु० 303000.00 किया गया है। जिसमे से रु० 5250.00 दिनांक 02-04-13 को खाते में वापस जमा हो चुका है फिर भी रु० 750.00 का अधिक भुगतान किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 375.00 श्री अखिलेश द्विवेदी ग्रा० वि० अधि० तथा आधा भाग रु० 375.00 श्री मजीदन प्रधान से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
- 4 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत गोपालपुर साहू में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार श्री दूधनाथ/बंसराज की मजदूरी वापस खाते में (375.00 + 375.00) रु० 750.00 मात्र क्रेडिट है जबकि श्री दूधनाथ को रु० 875.00 का पुनः भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु० 125.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली श्री दूधनाथ से की जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आधा-आधा भाग रु० 62.50 श्री अखिलेश द्विवेदी ग्रा० वि० अधि० तथा रु० 62.50 श्री मजीदन प्रधान से वसूल कर मरेगा खाते में जमा कराया जाना चाहिए।
- 5 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत गोपालपुर साहू में वर्तमान ग्रा० वि० अधि० द्वारा वर्ष 10-11 एवं 11-12 में 01-04-10 से 19-08-11 तक के व्यय प्रमाणक

एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ले० परी० में प्रस्तुत नहीं किया गया । अवगत कराया गया कि श्री किशोर यादव ने चार्ज में नहीं दिया गया है । व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्ययों की पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में निम्न विवरण के अनुसार वसूली की कार्यवाई अपेक्षित है ।

01-04-10 से 19-08-11 तक रु० 157640.00 का आधा भाग रु० 78820.00 श्री किशोर यादव ग्रा० वि० अधि० तथा आधा भाग रु० 78820.00 श्री असगर अली प्रधान से, 01-04-10 से 19-08-11 तक रु० 124200.00 का आधा भाग रु० 62100.00 श्री किशोर यादव ग्रा० वि० अधि० तथा आधा भाग रु० 62100.00 श्री मजीदन प्रधान से, तथा 01-4-10 से 31-3-11 तक रु० 92085.00 का आधा भाग रु० 46042.50 श्री किशोर यादव ग्रा० वि० अधि० तथा आधा भाग रु० 46042.50 श्री मजीदन प्रधान से वसूल किया जाना अपेक्षित है । इस प्रकार श्री किशोर यादव भू० पू० ग्रा० वि० अधि० रु० 186962.50, श्री असगर अली भू० पू० प्रधान से रु० 78820.00 तथा श्री मजीदन वर्तमान प्रधान से रु० 108142.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

- 6 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत बडहरा देवीचरण में निम्न विवरण के अनुसार बैंक से आहरित धनराशि कोषबही में अंकित न कर अपहरण किया गया है 1 जिसकी वसूल प्रधान श्रीमती संवारी देवी तथा ग्रा० पंचा० अधि० श्री किशोर यादव से की जानी अपेक्षित है । दिनांक 22-07-10 को रु० 7000.00, दिनांक 07-04-11 को रु० 7000.00 तथा दिनांक 29-04-11 को रु० 10000.00 कुल रु० 24000.00 का रु० 3500.00 प्रधान श्रीमती संवारी देवी, रु० 8500.00 प्रधान श्री बजरंगी तथा रु० 12000.00 ग्रा० पंचा० अधि० श्री किशोर यादव से वसूल कर खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

- 7 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत बडहरा देवीचरण निम्न विवरण के अनुसार कोषबही में रोकड़ शेष त्रुटिपूर्ण दर्शा कर अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है ।

दिनांक	वास्तविक शेष	कोषबही में	अंतर	उत्तरदायी व्यक्ति
30-06-11	81.00	41.00	40.00 कम	श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० एवं श्री बजरंगी प्रधान
01-04-11	200.00	शून्य	200.00 कम	श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० एवं श्री बजरंगी

				प्रधान
30-09-11	1941.00	1881.00	60.00 कम	श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० एवं श्री बजरंगी प्रधान
31-10-11	2081.00	200.00	1881.00 कम	श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० एवं श्री बजरंगी प्रधान
01-12-11 †		शून्य	466.00 कम	श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० एवं श्री बजरंगी प्रधान

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 11-12 में रोकड़ शेष कम दर्शा कर तथा 30-11-11 का रोकड़ शेष ग्रा० वि० अधि० श्री जाकिर अली को न दे कर (जिस कारण 01-12-11 को अवशेष शून्य दर्शित है) रु० 2647.00 का अपहरण किया गया है। आधा भाग रु० 1323.50 श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० से तथा आधा भाग रु० 1323.50 श्री बजरंगी प्रधान से वसूल कर खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

- 8 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत बडहरा देवीचरण में ले० परि० में वर्ष 10-11 एवं 11-12 में 01-04-11 से 30-11-11 तक के व्ययों की पुष्टि में पासबुक एवं कैशबुक ही प्रस्तुत रहे। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। जिस कारण निम्न व्यय अपहरण की श्रेणी में आते हैं। दिनांक 01-04-10 से 31-10-10 तक रु० 82600.00 श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० तथा श्रीमती संवारी देवी भू० पू० प्रधान द्वारा, दिनांक 01-11-10 से 31-03-11 तक रु० 64400.00 श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० तथा श्री बजरंगी प्रधान द्वारा तथा दिनांक 01-04-11 से 30-11-11 तक रु० 217543.00 श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० तथा श्री बजरंगी प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। अस्तु उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल रु० 364543.00 का रु० 182271.50 श्री किशोर यादव, ग्रा० पंचा० अधि०, रु० 41300.00 श्रीमती संवारी देवी भू० पू० प्रधान, तथा रु० 140971.50 श्री बजरंगी वर्तमान प्रधान से व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने की स्थिति में वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।
- 9 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत महदेवा बुजुर्ग में बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 24-01-13 को चेक सं० 038738 द्वारा बैंक से रु० 38000.00 की धनराशि आहरित है। जिसे कोषबही में अंकित न कर प्रधान श्री घनश्याम चौधरी तथा ग्रा० पंचा० अधि० श्रीमती पुष्पा द्वारा अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 19000.00 प्रधान श्री घनश्याम चौधरी तथा आधा भाग रु० 19000.00 ग्रा० पंचा०

अधि०श्रीमती पुष्पा से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

- 10** विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत महदेवा बुजुर्गमें मजदूरी वापसी से खाते में जमा एवं पुनः भुगतान का अलग से कोई विवरण बना कर नहीं रखा गया है जिस कारण वर्ष में रु० 1250.00 अधिक भुगतान कर दिया गया है । विवरण निम्नवत है
- (क) मुर्तजा अंसारी के खेत से फरेन्दा रोड तक मिट्टी कार्य रु० 19500.00 के advise में सलिमुन्निशा की मजदूरी पुनः खाते में रु० 750.00 क्रेडिट हो गई थी श्रमिक की उपरोक्त कार्य के दूसरे advise में रु० 10750.00 में मजदूरी वापस नहीं है फिर भी 23-11-12 की वापसी मजदूरी का पुनः भुगतान के एडवाइस रु० 7500.00 में सलिमुन्निशा को रु० 1500.00 भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार श्रमिक को रु० 750.00 अधिक भुगतान किया गया है ।

(ख) खलिहान में मिट्टी भराई की advise रु० 38375.00 में चौथी पुत्र बलिराज को रु० 375.00 मात्र का भुगतान अंकित है जो खाता गलत होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। दिनांक 19-07-12 में वापसी जमा के पुनः भुगतान के advise रु० 1625.00 में श्रमिक को रु० 875.00 का भुगतान कर दिया गया है । इस प्रकार श्रमिक चौथी को रु० 500.00 अधिक भुगतान किया गया है ।

क्रमांक (क) एवं (ख) के परिणाम स्वरूप रु० 1250.00 अधिक भुगतान किया गया है । श्रमिकों से वसूली न हो पाने की स्थिति में आधा भाग रु० 625.00 प्रधान श्री घनश्याम चौधरी तथा आधा भाग रु० 625.00 ग्रा० पंचा० अधि०श्रीमती पुष्पा से वसूल किया जाना चाहिए।

- 11** विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत महदेवा बुजुर्गमें लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति वितरण के औचित्य की पुष्टि में अनुमोदित सूची व वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया । अस्तु वर्ष में वितरित धनराशि रु० 48300.00 की पुष्टि न की जा सकी । प्रमाणक के अभाव में व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । वितरण पंजी प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में आधा भाग रु० 24150.00 प्रधान श्री घनश्याम चौधरी तथा आधा भाग रु० 24150.00 ग्रा० पंचा० अधि०श्रीमती पुष्पा से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।

- 12** विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत कैथवलिया सर्वजीत में कोषबही के अनुसार 28-02-13 को मासांत का रोकड़ शेष रु० 27000.00 रहा । प्रस्तुत कोषबही 31-05-13 तक ही पूर्ण पाई गई जिसके अनुसार मार्च एवं अप्रैल 13 का अवशेष रु० 27000.00 ही रहा तथा मई 13 में रु० 24000.00 रहा । इस प्रकार ग्राम प्रधान के पास रोकड़ शेष अधिक रोक कर निजी हित में अनुदान का दुरुपयोग किया गया है । अस्तु रु० 27000.00 पर दो माह एवं रु० 24000.00 पर एक माह का

तवानी ब्याज 1170.00 का आधा भाग रु० 585.00 प्रधान श्री कमलेश तथा आधा भाग रु० 585.00 श्री रामकृष्ण गुप्त ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल कर निधि प्रथम खाता में जमा किया जाना चाहिए।

- 13 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत कैथवलिया सर्वजीतमें लेखा परीक्षा के समय रु० 99100.00 के निम्नलिखित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए।

<u>दिनांक</u>	<u>क्रय सामग्री का विवरण</u>	<u>धनराशि</u>
12-09-12	विज्ञापन व्यय	1500.00
28-01-13	20 सोडियम लाइट मरम्मत	75000.00
29-01-13	विज्ञापन व्यय	1500.00
30-01-13	विज्ञापन व्यय	1500.00
05-02-13	विज्ञापन व्यय	1600.00
11-02-13	4 सोडियम लाइट मरम्मत	18000.00

योग - 99100.00

बिना व्यय प्रमाणक के अंकित व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अस्तु आधा भाग रु० 49550.00 प्रधान श्री कमलेश तथा आधा भाग रु० 49550.00 श्री रामकृष्ण गुप्त ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

- 14 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत गणेशपुर में 1. निम्न व्यय प्रमाणक ले० परी० में प्रस्तुत नहीं किये गए। बिना प्रमाणक व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अस्तु रु० 6500.00 की निम्न विवरण के अनुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है:-

<u>दिनांक</u>	<u>व्यय का विवरण</u>	<u>धनराशि</u>	<u>उत्तरदायित्व व उत्तरदायी व्यक्ति</u>
10-09-12	विज्ञापन	1000.00	500.00 श्री प्रदीप दुबे 500.00 श्रीमती नर्वदा देवी
17-09-12	विज्ञापन	1000.00	500.00 श्री प्रदीप दुबे 500.00 श्रीमती नर्वदा देवी
08-10-12	विज्ञापन	1500.00	750.00 श्री प्रदीप दुबे 750.00 श्रीमती नर्वदा देवी
29-01-13	विज्ञापन	1500.00	750.00 श्री प्रमोद पाण्डेय

		750.00	श्रीमती नर्वदा देवी
01-02-13	विज्ञापन	1500.00	750.00 श्री प्रमोद पाण्डेय
			750.00 श्रीमती नर्वदा देवी

- 15 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० पंचायत गणेशपुरमें निम्न विवरण के अनुसार बैंक से आहर्षि धनराशि रोकड़ बही में अंकित न कर अपहरण किया गया है:-

दिनांक	चेक सं०	धनराशि
24-01-13	039560	1500.00
28-01-13	039558	2000.00
28-01-13	039559	1500.00

अस्तु आधा भाग रु० 2500.00 श्री प्रमोद पाण्डेय ग्रा० वि० अधि० तथा आधा भाग रु० 2500.00 श्रीमती नर्वदा देवी, प्रधान से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

- 16 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० प०उदितपुर में दिनांक 05-09-12 को चेक सं० 534277 द्वारा निकासी रु० 1500.00 तथा चेक सं० 534278 द्वारा रु० 9000.00 की निकासी रोकड़ बही में आय अंकित न कर कुल रु० 10500.00 का अपहरण किया गया है । अस्तु आधा भाग रु० 5250.00 श्रीमती संगीता देवी, प्रधान तथा आधा भाग रु० 5250.00 श्री रामकृष्ण गुप्त ग्रा० पंचा० अधि० से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

- 17 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० प०उदितपुरमें ले० परी० में वर्तमान ग्रा० पंचा० अधि० : गणेश वर्मा द्वारा मात्र रोकड़ बही एवं पासबुक ही प्रस्तुत किया गया ।

जिससे अंकित व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी । व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्ययों की पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में निम्न विवरण के अनुसार बैंक चार्ज (रु० 17.00 + 55.00 = 72.00) को छोड़ कर शेष व्यय की धनराशि रु० 578150.00

की वसूली कराई जानी अपेक्षित है ।

विवरण	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ती व उत्तरदायित्व
01-04-12 से 30-06-12 तक	161509.00	श्री भागवत वरुण रु० 80754.50 तथा श्रीमती संगीता देवी रु० 80754.50

01-07-12 से 416641.00 श्री रामकृष्ण गुप्त रु० 208320.50
 31-03-13 तक 0 तथा श्रीमती संगीता देवी रु० 208320.50

- 18 विकास खंड फरेन्दा के ग्रा० प० उदितपुरमें ले० परी० में 01-04-12 से छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि में सूची तथा वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।

बिना सूची व वितरण पंजी के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अस्तु निम्न विवरण के अनुसार वितरण की पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बंध से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए।

<u>दिनांक</u>	<u>विवरण</u>	<u>धनराशि</u>	<u>उत्तरदायी व्यक्ति</u> <u>व उत्तरदायित्व</u>
03-05-12	प्रा० वि० झगरूपुर एवं गिरधरपुर वितरण 40 छात्र	12000.00	श्री भागवत वरुण 6000.00 तथा श्रीमती संगी देवी रु० 6000.00
13-08-12	अभिनव विद्या मंदिर 226 छात्र	70800.00	श्री रामकृष्ण गुप्त 35400.00 व श्रीमती संगीता देवी रु० 35400.00
21-08-12	अभिनव विद्या मंदिर 260 छात्र	125280.00	श्री रामकृष्ण गुप्त 62640.00 व श्रीमती संगीता देवी रु० 62640.00

- 19 विकास खंड धानी के ग्रा० प० बरगाहपुर में ग्रा० निधि- । में दिनांक 09-04-12 को बैंक खाता सं० 11635223516 से रु० 50000.00 आहरित किया गया परन्तु कोष बही के आय पक्ष में मात्र रु० 5000.00 की ही आय अंकित कर रु० 45000.00 श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० तथा श्रीमती विद्या प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 22500.00 श्री किशोर यादव ग्रा० पंचा० अधि० तथा आधा भाग रु० 22500.00 श्रीमती विद्या प्रधान से वसूल कर बैंक में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम:- कुशीनगर

मण्डल का नाम:-गोरखपुर

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां:-

ग्राम पंचायत:-परसौनीकी वर्ष 2011-12व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- नेबुआनौरंगिया

प्रस्तर संख्या-1:-दिनांक 26.06.2012 को पासबुक के अनुसार रू0 1006685.00 अवशेष था।दिनांक 23.07.12 को रू0 39000.00 की निकासी के बाद 967685.00 के स्थान पर रू0 943205.00 अंकित है। जिसका लेखा न तो कैशबुक में है और न ही पासबुक में है। स्पष्ट है कि दिनांक 26.06.2012 से 23.07.12 के बीच रू0 24480.00 की निकासी की गई है जिसका लेखा

नहीं किया गया है। विभागीयजांचोपरान्त रू0 12240.00 की वसूली तात्कालीन प्रधान से व रू0 12240.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0 अधि0 श्रीरामवृक्ष प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
24480.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:-कोहरगड्डीकी वर्ष 2011-12व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
0.00	20218.00	0.00

विकास खण्ड:- नेबुआनौरंगिया

प्रस्तर संख्या-1:-लेखा परीक्षा में खाद्यान्न स्टॉकरजि 0 प्रस्तुत नहीं किया गया। अवगत कराया गया कि कोटेदार द्वारा प्रधान को 1000 कि0ग्रा0 चावल तथा 640 कि0ग्रा0 गेहूं उपलब्ध कराया गया तथा प्रतिदिन छात्र सं 0 के अनुसार कुल 1637.2 किग्रा0गेहूं व 652.9 कि0ग्रा0 चावल का उपभोग किया गया। प्राप्त खाद्यान्न के सापेक्ष अधिक उपभोग काल्पनिक व अवास्तविक रहा। इस प्रकार (1637.2-1000)=637.2 किग्रा 0 चावल तथा (652.9-640)=12.9 किग्रा0 गेहूं का उपभोग अधिक दिखाकर कुल (637.2+12.9)*0.1=6501 छात्रों का रू0 3.11 प्रति छात्र की दर से कुल रू0 20218.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती मैरूननिशां

व प्रधानाचार्य श्री धर्मे श कुमार द्वारा किया गया है जिसमें से रू0 10109.00 की वसूली प्रधान श्रीमती मैरूननिशां से तथा रू0 10109.00 की वसूली प्रधानाचार्य श्री धर्मे श कुमार से किया जाना अपेक्षित है। खाद्यान्न रजि 0 अप्राप्त रहने से गत वर्ष के अवशेष तथा वर्षान्त में शेष खाद्यान्न तथा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की वास्तविक स्थिति अज्ञात रही।

ग्राम पंचायत:- कोहरगड्डी की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- नेबुआनौरंगिया

प्रस्तर संख्या-2:- लेखा परीक्षा में खाद्यान्न स्टॉक रजि0 प्रस्तुत नहीं किया गया। अवगत कराया गया कि कोटेदार द्वारा प्रधान को 303 कि0ग्रा0 गेहूं तथा 871 कि0ग्रा0 चावल उपलब्ध कराया गया तथा प्रतिदिन छात्र सं 0 के अनुसार कुल 390.45 किग्रा 0 गेहूं व 1056.05 कि0ग्रा0 चावल का उपभोग किया गया। प्राप्त खाद्यान्न के सापेक्ष अधिक उपभोग काल्पनिक व अवास्तविक रहा। इस प्रकार (390.45-303)=87.45 किग्रा 0 गेहूं तथा (1056.05-871)=185.05 किग्रा 0 चावल का उपभोग अधिक दिखाकर कुल $(87.45+185.05)/0.15=1816$ छात्रों का रू0 4.65 प्रति छात्र की दर से कुल रू0 8444.0 का अपहरण प्रधान श्रीमती मैरूननिशां व प्रधानाचार्य मो0याकूब अली द्वारा किया गया है जिसमें से रू0 4222.00 की वसूली प्रधान श्रीमती मैरूननिशां से तथा रू0 4222.00 की वसूली प्रधानाचार्य मो0 याकूब अली से किया जाना अपेक्षित है। खाद्यान्न रजि0 अप्राप्त रहने से गत वर्ष के अवशेष तथा वर्षान्त में शेष खाद्यान्न तथा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की वास्तविक स्थिति अज्ञात रही।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
0.00	8444.00	0.00

ग्राम पंचायत:- कोहरगड्डी की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- नेबुआनौरंगिया

प्रस्तर संख्या-3:- दिनांक 11.10.2011 को चेक सं0 6470 से रू0 2250.00 की निकासी की गई है किन्तु कोषवही में 2250.00 के स्थान पर 2550.00 निकासी दिखाकर 17 ट्राली मिट्टी का भुगतान 150 रू0 प्रति की दर से रू 0 2550.00 का भुगतान दिखाया गया है। इसप्रकार रू0 300 का फर्जी रूप से अधिक भुगतान दिखाया गया है , जिससे रू0 2550.00 का दर्शित

व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है। इसकी विभागीय जांच कर रू 0 1125.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मैरूननिशां तथा रू 0 1125.00 की वसूली ग्रा 0पं0/वि0 अधि0 श्री रामप्रीत प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
0.00	2250.00	0.00

ग्राम पंचायत:- कोहरगड्डी की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- नेबुआनौरंगिया

प्रस्तर संख्या-4:- दिनांक 10.12.11 को रू 0 13000.00 का भुगतान दरी क्रय पर किया गया है। क्रय दरी का लेखांकन स्टॉक रजि0 में नहीं किया गया है। बिना स्टॉक के प्रविष्टि के क्रय सामग्री के वास्तविक क्रय की पुष्टि नहीं होती तथा फर्जी क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया जा सकता है। जिससे क्रय हेतु व्यय की गयी धनराशि को फर्जी क्रय दर्शाकर रू 0 13000.00 का अपहरण किया गया है। अस्तु रू 0 6500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मैरूननिशां तथा रू 0 6500.00 की वसूली ग्रा 0पं0/वि0 अधि0 श्री रामप्रीत प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
13000.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:- कोहरगड्डी की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- नेबुआनौरंगिया

प्रस्तर संख्या- 5:- दिनांक 30.03.2013 को 10 कुं तल लकड़ी क्रय का नगद भुगतान रू 0 10000.00 किया गया है, उक्त भुगतान अलाव जलाने हेतु किया गया है। उल्लेखनीय है कि मार्च के महीने में शीत लहर नहीं पड़ती है अतः स्पष्ट है कि उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत होता है, लेखा परीक्षा में अलाव जला ए जाने की पुष्टि नहीं कराई गई। इस संदर्भ में सचिव द्वारा बताया गया कि लकड़ी दिसंबर में क्रय की गई थी जिसका भुगतान 30.03.2013 को किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लकड़ी क्रय की रसीद 30.03.2013 की है तथा माह दिसंबर में पर्याप्त धन रहते हुए उसी समय भुगतान किया जाना चाहिए था। अस्तु रू 0 5000.00 की

वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मैरूननिशां तथा रू0 5000.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0 अधि0 श्री रामप्रीत प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
0.00	10000.00	0.00

ग्राम पंचायत:- कोहरगड्डी की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- नेबुआनौरंगिया

प्रस्तर संख्या-6:- दिनांक 16.08.2012 को ईद व दशहरा पर नालियों की सफाई हेतु चूना आदि पर रू0 10000.00 का व्यय किया गया है, परन्तु चूना छिड़काव की मजदूरी का भुगतान अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होता है जिससे क्रय सामग्री रू 0 10000.00 का दुरुपयोग किया गया है। अस्तु रू0 5000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मैरूननिशां तथा रू0 5000.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0 अधि0 श्री रामप्रीत प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
0.00	10000.00	0.00

ग्राम पंचायत:- कोहरगड्डी की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- नेबुआनौरंगिया

प्रस्तर संख्या-7:- दिनांक 20.04.12 तथा दिनांक 18.12.11 को क्रमशः रू0 92000.00 तथा रू0 52000.00 का भुगतान 23 अदद सी 0एफ0एल लाइट तथा 13 अदद विद्युत लैम्प हेतु किया गया है। जिसमें निम्न आपत्तियां हैं--

क- सामग्री क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया है।

ख- संलग्न बाउचर में क्रय सामग्री के कम्पनी आदि का विवरण अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि क्रय सामग्री ब्रान्डेड कम्पनी का नहीं रहा जिसपर गारन्टी का लाभ नहीं मिल पाया।

ग- सामग्री सी0एफ0एल लाइट तथा विद्युत लैम्प के ग्राम सभा में लगाये जाने की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखों द्वारा नहीं होती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती मैरूनिशां तथा ग्रा 0पं0/वि0अधि0 श्री रामप्रीत प्रसाद द्वारा ब्रान्डेड कम्पनी का सी0एफ0एल लाइट तथा विद्युत लैम्प क्रय न कर संस्था के धन रू0 144000.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसमें से रू0 72000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मैरूनिशां तथा रू0 72000.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री रामप्रीत प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
0.00	144000.00	0.00

ग्राम पंचायत:- कोहरगड्डी की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- नेबुआनौरंगिया

प्रस्तर संख्या-8:- वर्ष 12-13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 08.03.13 को बा 0सं0 45/बी तथा बा 0सं0 47 द्वारा क्रमशः रू0 60526.00 तथा रू0 40165.00 का भुगतान रामप्रसाद के घर से पोखरा तक नाली निर्माण हेतु ईट, गिट्टी, तथा सीमेंट आदि पर किया गया है, परन्तु उक्त नाली निर्माण पर मजदूरी का भुगतान कोषबही से खारिज नहीं है।

इस प्रकार संस्था के धन रू 0100691.00 का दुरुपयोग मात्र सामग्री पर किया गया है।

अस्तु रू0 50345.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मैरूनिशां तथा रू 0 50345.50 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री रामप्रीत प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है। आप0सं0 2 ख 28

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
0.00	100691.00	0.00

ग्राम पंचायत:- अमवा बुजुर्ग की वर्ष 2009-10 से 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- तमकुही

प्रस्तर संख्या-1:- राज्य वित्त की धनराशि से दिनांक 25-09-2012 को प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा रू0 50000.00 का गरीबों में (200x250) कंबल वितरित किया गया, परन्तु इस हेतु आवश्यक निर्देश/आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो आवश्यक रहा। इस प्रकार उक्त धनराशि से विकास कार्य अवरूद्ध कर धन का दुरुपयोग किया गया, जिसके लिए सचिव (श्री

राम अवध यादव) /प्रधान (श्री सुभाष) उत्तरदायी हैं। जिसमें से रू0 25000.00 का दायित्व प्रधान श्री सुभाष पर तथा रू0 25000.00 का दायित्व सचिव श्री राम अवध यादव पर है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
0.00	50000.00	0.00

ग्राम पंचायत:- नकटहाबसडीला की वर्ष 2004-05 से 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- तमकुही

प्रस्तर संख्या- 1:- राज्य वित्त के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक से निम्नांकित विवरण के अनुसार धनराशि की निकासी करके कैशबुक में दर्शित न कर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए सचिव (श्री राम अवध यादव)/प्रधान (श्री इस्मायल) उत्तरदायी हैं। इसमें से रू0 45000.00 की वसूली प्रधान श्री इस्मायल तथा रू0 45000.00 की वसूली सचिव श्री राम अवध यादव से की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक दिनांक चेक सं0 धनराशि

1.	07.03.2012	004761	5000.00
2.	14.03.2012	004762	70000.00
3.	27.03.2012	004763	5000.00
4.	29.03.2012	004764	5000.00
5.	24.09.2012	014002	5000.00

90000.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
90000.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:-दुदही की वर्ष 2009-10से 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- दुदही

प्रस्तर संख्या-1:- वर्ष 2009-10 के पासबुक की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 12-12-2009 को नरेगा खाता संख्या 3080059481 पू0ग्रा0बैंक दुदही से रू0 22000.00 एवं 29000.00 की दो निकासी हुई है परंतु कोषबही में निकासी दर्ज नहीं है। अभिलेखों को देखने एवं जाँच में प्रकाश में आया है कि उक्त धनराशि के लिए ग्राम पंचायत से कोई भी चेक निर्गत नहीं किया गया है। ग्राम प्रधान, श्री सुनील कुमार गुप्ता एवं ग्रा0पं0 अधिकारी, श्री ध्रुव तिवारी द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा बिना कोई चेक के ही ग्राम पंचायत के खाते को डेबिट कर धन की निकासी कर दिया गया है, अतः उक्त धनराशि के निकासी के लिए तत्कालिक शाखा प्रबंधक एवं कैशियर जिम्मेवार है। अतः उक्त धनराशि को पूर्वांचल ग्रामीण बैंक दुदही से वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कुल धनराशि 22000.00 + 29000.00 = 51000.00 की वसूली पूर्वांचल ग्रामीण बैंक दुदही के तत्कालीन शाखा प्रबंधक व कैशियर से अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
51000.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:-रामपुरबगहाँ की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- रामकोला

प्रस्तर संख्या-1:-दिनांक 19.09.2012 को ग्राम निधि खाता प्रथम के पूर्वांचल ग्रामीण बैंक से रू0 46375.00 की निकासी की गई है जिसका लेखा कोष बही में अंकन न कर निकासी धन का अपहरण ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अशोक सिंह व ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव द्वारा कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि में से रू0 23187.50 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अशोक सिंह व रू0 23187.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
46375.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:-रामपुरबगहाँ की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- रामकोला

प्रस्तर संख्या- 2:-दिनांक 30.08.2012 को ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव को रू0 5000.00 को भुगतान सी.एफ.एल. बल्ब क्रय करने हेतु कोषबही से खारिज है। लेखा परीक्षा में सी.एफ.एल. बल्ब क्रय करने की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही बल्ब का प्रयोग किन-किन स्थानों पर किया गया इसकी सूची भी प्रस्तुत की गई। अतः स्पष्ट है कि श्री विजय कुमार यादव को दिए गए धन का प्रयोग सी.एफ.एल. बल्ब क्रय में न कर ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया है। अतः धनराशि रू0 2500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव वरू0 2500.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
5000.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:-रामपुरबगहाँ की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- रामकोला

1- **प्रस्तर संख्या-3:-**दिनांक 01.10.2012 से 03.10.2012 तक रू0 215700.00 का व्यय राम विलास के घर से लहरी के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य हेतु कोषबही से खारिज किया गया है। लेखा परीक्षा जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बेस तैयार करने हेतु मात्र ईंट की गिट्टी 35 घन मीटर खरीदी गई है। बेस में डालने हेतु सीमेंट व बालू का क्रय नहीं किया गया है। बिना सीमेंट व बालू क्रय किए इंटरलॉकिंग सड़क के दोनों ओर (पटरियों की तरफ) ईंटों की चिनाई करना भी संभव नहीं था। बेस निर्माण में 1:5:10 के अनुपात में सीमेंट बालू तथा ईंट गिट्टी मिलाकर कार्य कराया जाना था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के धन का उपयोग मानक के अनुसार इंटर लॉकिंग कार्य में न कर उसका दुरुपयोग किया गया है। अतः दुरुपयोगित धनराशि में रू0 107850.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव व रू0 107850.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सिंह से किया जाना अपेक्षित है। इंटर लॉकिंग कार्य हेतु क्रय सामग्री तथा व्यय का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	दिनांक	बा0सं0	धनराशि	व्यय का विवरण
				अभ्युक्ति
1-	01.10.2012	51	5000.00	मजदूरी भुगतान (40x125) बेस निर्माण में सीमेंट, बालू

2- 01.10.2012 --- 10000.00 मजदूरी भुगतान (80x125) का प्रयोग नहीं किया गया है

अंतः मजदूरी भी अधिक है।

क्रमांक दिनांक बा0सं0 धनराशि व्यय का विवरण
अभ्युक्ति

3- 03.10.2012 52 72000.00 इंटर लॉकिंग ईट क्रय प्रमाणक अप्राप्त
4- 03.10.2012 53 76200.00 इंटर लॉकिंग ईट क्रय प्रमाणक अप्राप्त
5- 03.10.2012 54 25000.00 इंटर लॉकिंग ईट बिछाने की इस कार्य में बालू बिछाने

मजदूरी (198x2.20 मी0) का कार्य नहीं हुआ है।

6- 03.10.2012 55 36500.00 ईट 16000 नग व ईट गिट्टी ईट चिनाई हेतु सीमेंट, बालू

----- (35 घन मी0x850) नहीं खरीदा गया है।

योग - 215700.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
0.00	215700.00	0.00

ग्राम पंचायत:- रामपुरबगहाँ की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- रामकोला

प्रस्तर संख्या-4:- दिनांक 02.01.2013 व दिनांक 07.01.2013 को क्रमशः रू0 10000.00 तथा रू0 3500.00 का भुगतान जनता इलेक्ट्रिक वर्क्स को किया जाना कोषबही में दर्शित है। भुगतान से संबंधित व्यय प्रमाणक तथा क्रय सामग्री के उपयोग से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रू0 6750.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव तथा रू0 6750.00 की वसूली ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती सुमित्रा त्रिपाठी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
13500.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:-रामपुरबगहाँ की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- रामकोला

प्रस्तर संख्या-5:-दिनांक 10.01.2013 को ₹0 10000.00 का भुगतान हैंडपंप मरम्मत पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में हैंडपंप मरम्मत से संबंधित व्यय प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे विदित होता है कि मात्र कैश-बुक से हैंडपंप मरम्मत व्यय दर्शाकर धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव तथा ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती सुमित्रा त्रिपाठी द्वारा कर लिया गया है। अस्तु ₹0 5000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव तथा अस्तु ₹0 5000.00 की वसूली ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती सुमित्रा त्रिपाठी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
10000.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:-मेला नरहवाँ की वर्ष 2011-12 से 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- दुदही

प्रस्तर संख्या- 1:- वर्ष 2011-12 में दिनांक 04.07.2011 से 27.09.2011 तक रूपया 146503.00 का व्यय पंचायत भवन मरम्मत पर दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा के जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आया है।

क- व्यय के सापेक्ष पंचायत भवन मरम्मत का व्यय आकलन, प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मानक पुस्तिका एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय एवं कार्य अप्रमाणित रहा।

ख- दिनांक 03.05.2011 को पूर्वांचल ग्रामीण बैंक चाफ खाता संख्या 3078078908 से ₹0 3000.00 की निकासी की गई। स्पष्ट है कि गलत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि मात्र कैश-बुक में पंचायत भवन मरम्मत ₹0 146503.00 दर्शाकर धन का अपहरण ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री शरीफ अंसारी तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी द्वारा किया गया है। जिसमें से ₹0 73251.50 की वसूली

ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से तथा रू0 73251.50 की वसूली ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री शरीफ अंसारी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
146503.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:-मेला नरहवाँ की वर्ष 2011-12से 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- दुदही

प्रस्तर संख्या-2:-दिनांक 28.09.2011 को रू0 10000.00 का भुगतान हैंडपंप मरम्मत पर दर्शित है। लेखा परीक्षा में हैंडपंप मरम्मत से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे विदित होता है कि मात्र कैश-बुक में हैंडपंप मरम्मत व्यय दर्शाकर धन का अपहरण ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री शरीफ अंसारी तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी द्वारा कर लिया गया है। इसमें से रू0 5000.00 की वसूली ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री शरीफ अंसारी तथा रू0 5000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
10000.00	0.00	0.00

ग्राम पंचायत:-मेला नरहवाँ की वर्ष 2011-12से 2012-13 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड:- दुदही

प्रस्तर संख्या-3:-दिनांक 25.02.2012 से 29.03.2012 तक निम्नानुसार नोनिया टोली में कूप मरम्मत दर्शाया है। विवरण निम्न है:-

क्रमांक दिनांक प्रमाणक सं0 विवरण धनराशि

1- 25.02.2012 16 नोनिया टोली में कूप मरम्मत ईंट खरीद 9886 ईंट
36400.00

दर 3682.00

2- 25.02.2012 17 नोनिया टोली में कूप मरम्मत सीमेंट 62 बोरी दर 17050.00
रू0 275.00

3- 25.02.2012 18 नोनिया टोली में कूप मरम्मत बालू 8.96 घन मी0
5734.00

दर 640.00

**क्रमोंक दिनाँक प्रमाणक सं० विवरण
धनराशि**

4- 25.02.2012	19 नोनिया टोली में कूप मरम्मत ईट गिट्टी 4.90 घन मी० दर 604.00	2959.00
5- 25.02.2012	20 नोनिया टोली में कूप मरम्मत मजदूरी 72 मजदूर 8640.00	
	दर 120.00 -----	

	योग	- 70783.00

लेखा परीक्षक की जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं:-

- व्यय के सापेक्ष कूप मरम्मत का व्यय आकलन प्रशासनिक स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मापन पुस्तिका एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय एवं कार्य अप्रमाणित रहा।
- कूप मरम्मत कार्य दिनाँक 25.02.2012 से प्रारंभ अंकित है एवं 29.03.2012 को अंतिम प्रमाणक संख्या 20 अंकित है। इस प्रकार प्रमाणक 16 से 20 तक कोषबही में दर्शित है। उक्त किसी भी प्रमाणक में राजमिस्त्री (कुशल कारीगर) का न तो कार्य करने का उल्लेख है और न ही भुगतान दर्शित है। स्पष्ट है व्यय गलत दर्शाया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि मात्र कैश-बुक में रू० 70783.00 का व्यय दर्शाकर धन का अपहरण ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री शरीफ अंसारी तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी द्वारा कर लिया गया है। इसमें से रू० 35391.50 की वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शरीफ अंसारी तथा रू० 35391.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
70783.00	0.00	0.00

(ग्राम पंचायतो से संबन्धित आपत्तियाँ)

मण्डल-बस्ती

जनपद	प्रस्तर संख्या	आपत्ति का विवरण	अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
बस्ती	प्रस्तर-01	विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत मलिकपुरवा के मनरेगा खाते से माह नवम्बर 2011 में कुल रू0 496000.00 का ईट क्रय दर्शित है किन्तु उनके व्यय प्रमाणक, योजनाओं की पत्रावलिया, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर एवं एम0 बी0 रजिस्टर जांच में प्रस्तुत न कर/काल्पनिक व्यय दर्शाकर श्री जर्नादन प्रसाद चौधरी प्रधान एवं श्री शिव प्रसाद चौधरी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्री जर्नादन प्रसाद चौधरी, प्रधान से रू0 248000.00 एवं श्री शिव प्रसाद चौधरी, ग्रा0पं0अ0 से रू0 248000.00 की जानी अपेक्षित है।	496000.00	—	—	496000.00
	प्रस्तर-02	विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत सराय में मनरेगा मटेरियल खाते से धनराशि रू0 516918.00 की निकासी की गयी है किन्तु कोषबही, व्यय प्रमाणक एवं एम0 बी0 रजिस्टर आदि जांच में प्रस्तुत न कर श्री वेद प्रकाश, ग्राम प्रधान तथा श्री दयाशंकर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्री वेद प्रकाश, ग्राम प्रधान से रू0 258459.00 एवं श्री दयाशंकर, ग्रा0पं0अ0से रू0 258459.00 की जानी अपेक्षित है।	516918.00	—	—	516918.00

		है।				
	प्रस्तर-03	विकास खण्ड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत सराय में निधि-। खाते से हैण्डपंप मरम्मत मद में रू0 10500.00 के दर्शित व्ययों के प्रमाणक आदि जांच में प्रस्तुत न कर/काल्पनिक व्यय दर्शाकर श्री वेद प्रकाश, ग्राम प्रधान तथा श्री दयाशंकर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्री वेद प्रकाश, ग्राम प्रधान से रू0 5250.00 एवं श्री दयाशंकर, ग्रा0पं0अ0से रू0 5250.00 की जानी अपेक्षित है।	10500.00	—	—	10500.00
	प्रस्तर-04	विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत कोठिला में निधि-। खाते से रू0 50000.00 की निकासी खाते से कर किन्तु कैशबुक में 5000.00 दर्शाकर रू0 45000.00 का अपहरण श्रीमती किरन देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिलीप वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती किरन देवी, ग्राम प्रधान से रू0 22500.00 एवं श्री दिलीप वर्मा, ग्रा0पं0अ0से रू0 22500.00 की जानी अपेक्षित है।	45000.00	—	—	45000.00
	प्रस्तर-05	विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत कोठिला में निधि-। खाते की कैशबुक में दिनांक 18.12.12 को व्यय पक्ष का योग रू0 5000.00 से अधिक दर्शाकर, नकद रोकड शेष रू0 5000.00 का अपहरण श्रीमती किरन देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री दिलीप वर्मा, ग्राम पंचायत	5000.00	—	—	5000.00

		अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती किरन देवी, ग्राम प्रधान से रू0 2500.00 एवं श्री दिलीप वर्मा, ग्रा0पं0अ0से रू0 2500.00 की जानी अपेक्षित है।				
	प्रस्तर-06	विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत बसडीला के निधि-।खाते से(दिनांक 01.04.12 से 30.11.12 तक) निकासी धनराशि रू0 176500.00 के व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख जांच में प्रस्तुत न कर श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री महेन्द्र यादव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान से रू0 88250.00 एवं श्री महेन्द्र यादव, ग्रा0पं0अ0से रू0 88250.00 की जानी अपेक्षित है।	176500.00	—	—	176500.00
	प्रस्तर-07	विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत बसडीला के निधि-।खाते से(दिनांक 01.12.12 से 31.03.13 तक) निकासी धनराशि रू0 127500.00 के व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख जांच में प्रस्तुत न कर श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान एवं श्रीमती मायावती त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान से रू0 63750.00 एवं श्रीमती मायावती त्रिपाठी, ग्रा0पं0अ0से रू0 63750.00 की जानी अपेक्षित है।	127500.00	—	—	127500.00

		है।				
	प्रस्तर-08	विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत बसडीला के नरेगा खाते से (दिनांक 01.04.12 से 30.11.12 तक) निकासी धनराशि रू0 418987.00 के व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख जांच में प्रस्तुत न कर श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री महेन्द्र यादव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान से रू0 209494.00 एवं श्री महेन्द्र यादव, ग्रा0पं0अ0से रू0 209493.00 की जानी अपेक्षित है।	418987.00	—	—	418987.00
	प्रस्तर-09	विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत बसडीला के नरेगा खाते से (दिनांक 01.12.12 से 31.03.13 तक) निकासी धनराशि रू0 47775.00 के व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख जांच में प्रस्तुत न कर श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान एवं श्रीमती मायावती त्रिपाठी, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान से रू0 23888.00 एवं श्रीमती मायावती त्रिपाठी, ग्रा0पं0अ0से रू0 23887.00 की जानी अपेक्षित है।	47775.00	—	—	47775.00

	प्रस्तर-10	विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत बसडीला के छात्रवृत्ति खाते से (दिनांक 01.04.12 से 30.11.12 तक) निकासी धनराशि रु0 340120.00 की कैशबुक, वितरण रजिस्टर एवं पात्र छात्रों की सूची एवं अन्य अभिलेख जांच में प्रस्तुत न कर श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री महेन्द्र यादव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती प्रेमलता देवी, ग्राम प्रधान से रु0 170060.00 एवं श्री महेन्द्र यादव, ग्रा0पं0अ0से रु0 170060.00 की जानी अपेक्षित है।	340120.00	—	—	340120.00
सिद्धार्थनगर	01	ग्राम पंचायत—एकडेंगवा विकास खण्ड—बॉसी लेखापरीक्षा वर्ष 2010—11 से 2012—2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खाते से शौचालय निर्माण हेतु दिनांक 17.04.2012 को रु 34800.00 एवं दिनांक 22.01.13 को रु 14500.00 (कुल रु 49300.00) नगद निकासी कर 17 लाभार्थियों को वितरण रोकड़ बही में दर्शाया गया है। जबकी यह धन सम्बंधित लाभार्थियों के बैंक खातें A/C चेक के द्वारा ट्रांसफर किया जाना था। नगद वितरण धन की प्राप्ति रशीद भी धन वितरण की पुष्टि में अनुपलब्ध रहा और न	0	49300.00	0	49300.00

		ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि रु 49300.00 का दुरुपयोग ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री राम सूरत उपाध्याय एवं ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से किया जाना अपेक्षित है।				
	02	ग्राम पंचायत—एकडेंगवा विकास खण्ड—बॉसी लेखापरीक्षा वर्ष 2010—11 से 2012—2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012—2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 214800.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शा कर रु 214800.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामसूरत उपाध्याय एवं ग्राम प्रधान श्री प्रदीप द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री राम सूरत	214800.00	0	0	214800.00

		उपाध्याय एवं ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से किया जाना अपेक्षित है।				
	03	ग्राम पंचायत-एकडेंगवा विकास खण्ड-बॉसी लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खातों से रु 47000.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम सूरत उपाध्याय एवं ग्राम प्रधान श्री प्रदीप से किया जाना अपेक्षित है।	47000.00	0	0	47000.00
	04	ग्राम पंचायत-सेखुई विकास खण्ड-बॉसी लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 325530.00 का स्टॉक क़य किया जाना रोकड़ बही में अंकित है।	325530.00	0	0	325530.00

		परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का क्रय दर्शा कर रु 325530.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय राय एवं ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय राय एवं ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।				
	05	ग्राम पंचायत-सेखुई विकास खण्ड-बॉसी, लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु 52500.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत	52500.00	0	0	52500.00

		अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम सूरत उपाध्याय एवं ग्राम प्रधान श्री प्रदीप से किया जाना अपेक्षित है।				
	06	ग्राम पंचायत-सिसवा बुजुर्ग विकास खण्ड-जोगिया, लेखापरीक्षा वर्ष 2007-08 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत पर रु 16120.00 का व्यय किया गया। परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। रोकड़ बही में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन कमेटी का अनुमोदन भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्य के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हैण्ड मरम्मत पर व्यय रोकड़ बही में फर्जी ढंग से दर्शा कर	16120.00	0	0	16120.00

		रु 16120.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया हैं। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कैलाश नाथ सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री बलीभद्रनाथ शुक्ल से किया जाना अपेक्षित है।				
	07	ग्राम पंचायत-कटहना विकास खण्ड-जोगिया, लेखापरीक्षा वर्ष 2007-08 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत पर रु 78399.00 का व्यय किया गया। परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध रहा। रोकड़ बही में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन कमेटी का अनुमोदन भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्य के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हैण्ड मरम्मत पर व्यय रोकड़ बही में फर्जी ढंग से दर्शा कर रु 78399.00 का अपहरण ग्राम	78399.00	0	0	78399.00

		पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया हैं। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कैलास नाथ सिंह एवं श्री ओमप्रकाश पंकज तथा ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र नाथ मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।				
	08	ग्राम पंचायत-पटखौली विकास खण्ड-जोगिया, लेखापरीक्षा वर्ष 2011-12 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2011-2012 से 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत पर रु 7000.00 का व्यय किया गया। परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। रोकड़ बही में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन कमेटी का अनुमोदन भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्य के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हैण्ड मरम्मत पर व्यय रोकड़ बही में फर्जी ढंग से दर्शा कर रु 7000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम	7000.00	0	0	7000.00

		प्रधान द्वारा कर लिया गया हैं। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमला प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्री नारद यादव से किया जाना अपेक्षित है।				
	09	ग्राम पंचायत-पटखौली विकास खण्ड-जोगिया, लेखापरीक्षा वर्ष 2011-12 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से दिनांक 21.05.12 को रु 67800.00 का भुगतान स्ट्रीट लाईट, बल्ब, तार व केबिल क्रय के लिए किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। किन्तु इससे सम्बंधित कोटेशन, व्यय प्रमाणक (वाउचर एवं मस्टर रोल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि रोकड़ बही में फर्जी व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमला प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्री नारद यादव से किया जाना अपेक्षित है।	67800.00	0	0	67800.00
	10	ग्राम पंचायत-ऐचनी विकास खण्ड-खेसरहा, लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2010-2011 में ग्राम निधि प्रथम् रोकड़ बही में दिनांक 14.02.11 को वाउचर संख्या 15 से रु 5000.00 का भुगतान सफाई किट क्रय हेतु	5000.00	0	0	5000.00

		किया गया है।परन्तु उक्त क्रय से सम्बंधित वाउचर एवं मृत स्कंध पंजिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।स्पष्ट है कि रोकड़ बही में फर्जी ढंग से व्यय दर्शा कर धनराशि रु 5000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बिशनु प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री से किया जाना अपेक्षित है।				
	11	ग्राम पंचायत-ऐचनी विकास खण्ड-खेसरहा, लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से दिनांक 01.05.12 को रु 84000.00 का भुगतान स्ट्रीट लाईट क्रय के लिए किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है।किन्तु इससे सम्बंधित कोटेशन,व्यय प्रमाणक(वाउचर)लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।जिससे यह स्पष्ट है कि रोकड़ बही में फर्जी व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बिशनु प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री से किया जाना अपेक्षित है।	84000.00	0	0	84000.00
	12	ग्राम पंचायत-ऐचनी विकास खण्ड-खेसरहा, लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के	10000.00	0	0	10000.00

		दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत पर दिनांक 12.12.2012 को रु 10000.00 का व्यय किया गया। परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध रहा। रोकड़ बही में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन कमेटी का अनुमोदन भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्य के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हैण्ड मरम्मत पर व्यय रोकड़ बही में फर्जी ढंग से दर्शा कर रु 10000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बिशनु प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री से किया जाना अपेक्षित है।				
	13	ग्राम पंचायत-बसखोरिया, विकास खण्ड-खेसरहा, लेखापरीक्षा वर्ष 2007-08 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया	67100.00	0	0	67100.00

		है कि वर्ष 2012-2013 में राज्य वित्त से कुल रु 67100.00 का व्यय कूप मरम्मत एवं हैण्ड पम्प मरम्मत पर किया गया है। परन्तु उपरोक्त कार्य का कोई भी व्यय प्रमाणक (वाउचर/मस्टर रोल) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। रोकड़ बही में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत एवं कूप मरम्मत कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन कमेटी का अनुमोदन भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्य के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हैण्ड मरम्मत/कूप मरम्मत पर व्यय रोकड़ बही में फर्जी ढंग से दर्शा कर रु 67100.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाले प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्री हरिराम से किया जाना अपेक्षित है।				
	14	ग्राम पंचायत-बकैनिहा, विकास खण्ड-खेसरहा, लेखापरीक्षा वर्ष 2007-08 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2011-2012 में मनरेगा रोकड़ बही के आय पक्ष में चेक संख्या 962684 द्वारा	95000.00	0	0	95000.00

		95000.00 का भुगतान मतीउल्लाह ब्रिक फील्ड को दिखाया गया है जबकि रोकड़ बही के व्यय पक्ष में उक्त धनराशि को संतराम के खेत से गड़ढे तक की मजदूरी के भुगतान के रूप में अंकित किया गया है। किन्तु लेखापरीक्षा में मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही साथ आय पक्ष में दर्शित फर्म को किए गए भुगतान का व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। स्टॉक पंजिका एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध रहा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रोकड़ बही में फर्जी ढंग से दर्शा कर रु 95000.00 का ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण कर लिया गया है। हैं। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाले प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती से किया जाना अपेक्षित है।				
	15	ग्राम पंचायत-बकौनिहा विकास खण्ड-खेसरहा, लेखापरीक्षा वर्ष 2007-08 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत पर दिनांक 09.07.2012 को रु 27000.00 एवं दिनांक 12.09.12 को रु 4000.00 (कुल रु 31000.00) का व्यय किया गया। परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य का कोई भी व्यय प्रमाणक	31000.00	0	0	31000.00

		लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। रोकड़ बही में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया गया। ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन कमेटी का अनुमोदन भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्य के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हैण्ड मरम्मत पर व्यय रोकड़ बही में फर्जी ढंग से दर्शा कर रु 31000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाले प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती से किया जाना अपेक्षित है।				
	16	ग्राम पंचायत-छरहटा विकास खण्ड-मिठवल, लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 194800.00 का स्टॉक क़य किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क़य स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक	194800.00	0	0	194800.00

		ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क़य के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फ़र्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क़य दर्शा कर रु 194800.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फूलचन्द एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश तिवारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री फूलचन्द एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश से किया जाना अपेक्षित है।				
	17	ग्राम पंचायत-छरहटा विकास खण्ड-मिठवल, लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु 56425.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री फूलचन्द	56425.00	0	0	56425.00

		एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश से किया जाना अपेक्षित है।				
	18	ग्राम पंचायत-गणेशपुर विकास खण्ड-बढनी लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 से 2012-2013 ग्राम निधि प्रथम् रोकड़ बही में वर्ष 2012-2013 में कुल रु 439000.00 व्यय दर्शित है। जिससे संबंधित एक भी वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धन का प्रयोग ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री राम बचन यादव द्वारा निजी हित में किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम सचिव श्री राम बचन यादव से किया जाना अपेक्षित है।	439000.00	0	0	439000.00
	19	ग्राम पंचायत-गणेशपुर विकास खण्ड-बढनी , लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 से 2012-2013 छात्रवृत्ति रोकड़ बही में दिनांक 16.10.2011 को पी.एन.बी परसा खाता संख्या 2114000100036170 से रु 42000.00 आहरित करके छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय दर्शित किया गया है। उक्त वितरण से सम्बंधित वितरण सूची / वितरण पंजिका लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। वितरण सूची / वितरण पंजिका के अभाव में उक्त का प्रयोग ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम सचिव श्री राम बचन यादव द्वारा निजी हित में किया गया है। है। जिसकी	42000.00	0	0	42000.00

		वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम सचिव श्री राम बचन यादव से किया जाना अपेक्षित है।				
	20	ग्राम पंचायत—महदेवानानकार विकास खण्ड—नौगढ़ लेखापरीक्षा वर्ष —2012—2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012—2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 565948.00 का स्टोक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टोक की पुष्टि में न तो कोटेशन नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टोक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टोक का क्रय दर्शा कर रु 565948.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री बुद्धिसागर द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री बुद्धिसागर से किया जाना अपेक्षित है।	565948.00	0	0	565948.00
	21	ग्राम पंचायत—महदेवानानकार विकास खण्ड—नौगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष —2012—2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया	131045.00	0	0	131045.00

		है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु 131045.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री बुद्धिसागर से किया जाना अपेक्षित है।				
	22	ग्राम पंचायत-चनरगड्डी विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष -2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 188233.00 का स्टाक क़य किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क़य स्टाक की पुष्टि में न तो कोटेशन नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टाक क़य के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से	188233.00	0	0	188233.00

		नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शा कर रु 188233.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती किशलावती देवी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती किशलावती देवी से किया जाना अपेक्षित है।				
	23	ग्राम पंचायत-चनरगड्डी विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष -2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खातों से रु 83160.00 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती	83160.00	0	0	83160.00

		किशलावती देवी से किया जाना अपेक्षित है।				
	24	ग्राम पंचायत-चनरगड्डी विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष -2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत पर दिनांक 15.06.2012 को रु 16000.00 एवं दिनांक 11.02.13 को रु 10000.00(कुल रु 26000.00) का व्यय किया गया।परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।रोकड़ बही में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया गया।ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन कमेटी का अनुमोदन भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्य के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं रहा।उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय रोकड़ बही में फर्जी ढंग से दर्शा कर रु 26000.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास	26000.00	0	0	26000.00

		अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती किशलावती देवी से किया जाना अपेक्षित है।				
	25	ग्राम पंचायत-चनरगड्डी विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष -2012-2013 वर्ष 2012-13 में ग्राम निधि प्रथम् खाते में रु 2426.00 का ब्याज अर्जित किया गया। अर्जित ब्याज वर्ष के अंत में अन्य विभागीय प्राप्ति मद में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ब्याज के धन को खाते में रोक कर /व्यय कर के धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती किशलावती देवी से किया जाना अपेक्षित है।	0	2426.00	0	2426.00
	26	ग्राम पंचायत-चनरगड्डी विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष -2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम निधि प्रथम खाते से शौचालय निर्माण हेतु दिनांक 08.06.2012 को रु 64000.00 एवं दिनांक 15.06.12 को रु 64000.00 (कुल रु 128000.00) नगद निकासी कर 40 लाभार्थियों को(3200/-प्रति लाभार्थी) वितरण रोकड़ बही में दर्शाया गया है।जबकी यह धन सम्बंधित लाभार्थियों के बैंक खातें A/C चेक के द्वारा ट्रांसफर किया जाना था क्योंकि उक्त धन के	128000.00	0	0	128000.00

		नगद भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं थी। नगद वितरण धन की प्राप्ति रशीद भी धन वितरण की पुष्टि में अनुपलब्ध रहा और न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि रु 128000.00 का अपहरण ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती किशलावती देवी से किया जाना अपेक्षित है।				
	27	ग्राम पंचायत—बेलवा विकास खण्ड—नौगढ़, लेखापरीक्षा वर्ष —2003—2004 से 2012—2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012—2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 292212.00 का स्टॉक क़य किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क़य स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क़य के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क़य दर्शा कर रु 292212.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी	292212.00	0	0	292212.00

		श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।				
	28	ग्राम पंचायत-बेलवा विकास खण्ड-नौगढ़, लेखापरीक्षा वर्ष -2003-2004 से 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2011-12 से 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु 165400.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों में मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर रु 165400 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।	165400.00	0	0	165400.00

29	ग्राम पंचायत-पिपरा पाण्डेय विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 299020.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ा बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शा कर रु 299020.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पलता देवी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पलता देवी से किया जाना अपेक्षित है।	299020.00	0	0	299020.00
30	ग्राम पंचायत-पिपरा पाण्डेय विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम खातों से रु 69285.	69285.00	0	0	69285.00

		00 का भुगतान विभिन्न तिथियों में मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर रु 69285.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पलता देवी से किया जाना अपेक्षित है।				
	31	ग्राम पंचायत—पिपरा पाण्डेय विकास खण्ड—नौगढ़ जनपद—सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष — 2012—2013 वर्ष 2012—2013 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम् खातों से लाईट रिपेयर पर रु 5000.0 का व्यय रोकड़ बही में दर्शित है। पर भुगतान से सम्बंधित कोई प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। और न ही लाईट मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मस्टर रोल पर व्यय का अलग—अलग अंकन किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि रोकड़ बही में लाईट मरम्मत पर व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन	5000.00	0	0	5000.00

		का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पलता देवी से किया जाना अपेक्षित है।				
	32	ग्राम पंचायत-सरौता विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 वर्ष 2012-13 में ग्राम निधि प्रथम् खाते में रु 6329.00 का ब्याज अर्जित किया गया। अर्जित ब्याज वर्ष के अंत में अन्य विभागीय प्राप्ति मद में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ब्याज के धन को खाते में रोक कर /व्यय कर के धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजनारायन से किया जाना अपेक्षित है।	0	6329.00	0	6329.00
	33	ग्राम पंचायत-सरौता विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 182300.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी	182300.00	0	0	182300.00

		निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शा कर रु 182300.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजनारायन द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजनारायन से किया जाना अपेक्षित है				
	34	ग्राम पंचायत-सरौता विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खातों से रु 54430.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों में मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर रु 54430.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री	54430.00	0	0	54430.00

		केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजनारायन से किया जाना अपेक्षित है।				
	35	ग्राम पंचायत-सरौता विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष – 2012-2013 वर्ष 2012-2013 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम् खातें से बर्तन खरीद पर रु 5000.0 का व्यय रोकड़ बही में दर्शित है। पर भुगतान से सम्बंधित कोई प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। और न ही ग्राम सभा के नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव ही लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया, जिससे की यह ज्ञात हो सके कि इस हेतु कोई अनुमति ग्राम सभा द्वारा ली गई है या नहीं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि रोकड़ बही में बर्तन खरीद पर व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधि द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजनारायन से किया जाना अपेक्षित है।	10000.00	0	0	10000.00
	36	ग्राम पंचायत-सरौता विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष – 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2103 में ग्राम	6250.00	0	0	6250.00

		प्रधान को मानदेय के रूप में रु 6250.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजनारायन से किया जाना अपेक्षित है।				
	37	ग्राम पंचायत-रेहरा विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 348333.00 का स्टॉक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टि में न तो कोटेशन नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक क्रय के भुगतान की स्वीकृती भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टॉक का क्रय दर्शा कर रु 348333.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजू सिंह द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।	348333.00	0	0	348333.00
	38	ग्राम पंचायत-रेहरा विकास	56775.00	0	0	56775.00

		खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष – 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु 56775.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों में मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर रु 56775.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।				
	39	ग्राम पंचायत-रेहरा विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष – 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से हैण्ड पम्प मरम्मत पर दिनांक 10.10.2012	18500.00	0	0	18500.00

		को रु 8500.00 एवं दिनांक 22.03.13 को रु 10000.00(कुल रु 18500.00) का व्यय किया गया।परन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टर रोल भी लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध रहा।रोकड़ बही में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया गया।ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन कमेटी का अनुमोदन भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा कार्य के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं रहा।उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय रोकड़ बही में फर्जी ढंग से दर्शा कर रु 18500.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।				
	40	ग्राम पंचायत-रेहरा विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 वर्ष 2012-2013 में ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम् खातें से लाईट रिपेयर पर रु 10000.0 का व्यय रोकड़ बही में दर्शित	10000.00	0	0	10000.00

		है।पर भुगतान से सम्बंधित कोई प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।और न ही लाईट मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री एवं मस्टर रोल पर व्यय का अलग-अलग अंकन किया गया है।उपरोक्त से स्पष्ट है कि रोकड़ बही में लाईट मरम्मत पर व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।				
	41	ग्राम पंचायत-रेहरा विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खाते से दिनांक 10.05.12 को रु 73800.00(12 नग स्ट्रीट लाईट)एवं दिनांक 25.05.12 को रु 18450(03 नग स्ट्रीट लाइट) का भुगतान स्ट्रीट लाईट क्य के लिए किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है।किन्तु इससे सम्बंधित कोटेशन,व्यय प्रमाणक(वाउचर)लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।स्ट्रीट लाईट कहा-कहा प्रयोग में लाए गए इसका प्रमाणक सम्बंधित चौराहे के निवासी से पुष्ट करा के लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिससे यह स्पष्ट है कि रोकड़ बही में फर्जी व्यय	92250.00	0	0	92250.00

		दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु 92250(73800+18450) का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।				
	42	ग्राम पंचायत-रेहरा विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 वर्ष 2012-13 में ग्राम निधि प्रथम् खाते में रु 2575.00 का ब्याज अर्जित किया गया। अर्जित ब्याज वर्ष के अंत में अन्य विभागीय प्राप्ति मद में जमा करा दिया जाना चाहिए था परन्तु ब्याज के धन को खाते में रोक कर /व्यय कर के धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजू सिंह किया जाना अपेक्षित है।	0	2575.00	0	2575.00
	43	ग्राम पंचायत-रेहरा विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थनगर, लेखापरीक्षा वर्ष - 2012-2013 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् रोकड़ बही में दिनांक 11.12.2012 को रु 10000.00 का भुगतान आडिट शुल्क के रूप में किया जाना दर्शित है। परन्तु उक्त भुगतान	10000.00	0	0	10000.00

		की पुष्टि में <u>प्रमाणक / ट्रेजरी</u> चालान लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणीत नहीं की जा सकती। स्पष्ट है की रोकड़ बही में आडीट शुल्क के रूप भुगतान दर्शा कर रु 10000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधि द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री केशभान यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजू सिंह किया जाना अपेक्षित हैं।				
	44	ग्राम पंचायत-गंगवा छपिया विकास खण्ड-जोगिया, लेखापरीक्षा वर्ष - 05-06 से 12-13 ग्राम पंचायत गंगवा छपिया की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि रामसरन के घर से राजाराम के घर तक , दयाराम के घर से मुख्य नाली तक एवं निसार अहमद के घर से मुख्य नाली तक का कार्य में कुल रु 84485.00 का व्यय रोकड़ बही में दर्शित है। परन्तु उपरोक्त कार्य से संबंधित सार्वजनिक निर्माण पंजिका , कार्यवाही पंजिका, मस्टर रोल , स्टाक पंजिका , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , व्यय प्रमाणक आदि अनुपलब्ध रहे। जिससे कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि रोकड़ बही में व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत	84485.00	0	0	84485.00

		अधिकारी श्री सनंदन लाल यादव से रु 42242.50 एवं ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम से रु 42242.50 की वसूली अपेक्षित है।				
	45	ग्राम पंचायत-सुकरौली विकास खण्ड-बॉसी, लेखापरीक्षा वर्ष – 11-12 से 12-13 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012-2013 में विभिन्न तिथियों में कुल रुपया 356920.00 का स्टोक क्रय किया जाना रोकड़ बही में अंकित है। परन्तु लेखापरीक्षा में क्रय स्टोक की पुष्टि में न तो कोटेशन नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही उससे सम्बंधित प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टोक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं कराई गई है। धन का भुगतान फर्म को A/C चेक के द्वारा न कर के नगद किया गया है। स्पष्ट है कि स्टोक का क्रय दर्शा कर रु 356920.00 का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजा राय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय राय से रु 178460.00 एवं ग्राम प्रधान प्रेमा रु 178460.00 से किया जाना अपेक्षित है।	356920.00	0	0	356920.00
	46	ग्राम पंचायत-सुकरौली विकास खण्ड-बॉसी लेखापरीक्षा वर्ष – 11-12 से 12-13 ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है	47000.00	0	0	47000.00

		कि वर्ष 2011-11 से 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम् खातें से रु 47000.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों में मजदूरी के रूप में किया जाना रोकड़ बही में दर्शित है। भुगतानित धनराशि की पुष्टि में तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरी पर भुगतान दर्शा कर रु 47000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय राय से रु 23500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा से रु 23500.00 से किया जाना अपेक्षित है।				

जनपद का नाम :-अमरोहा

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत :-जमना खास

विकास खण्ड – अमरोहा

त्यागी ग्राम प्रधान बार बार मांगने के पश्चात् 150600.00 भी वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

योग

1,50,600.00 — —

ग्राम पंचायत जमनाखास के वर्ष 2012-13 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित विवरणानुसार अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया जिसकी वसूली हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-1 वर्ष 2012-13 में अंकन 1,50,600.00 छात्रवृत्ति खाते से आहरण किया गया।

जिसका विवरण न कर धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री संदीप त्यागी व श्री छत्तरपाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया। जिसकी वसूली उक्त दोनों उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-16)

जनपद का नाम :-अमरोहा**मण्डल का नाम :- मुरादाबाद****ग्राम पंचायत :-गालिब बाड़ा****विकास खण्ड - अमरोहा**

महावीर ग्राम प्रधान बैंक खाते से धन आहरण 95000.00

एवं श्री विनोद कर ग्राम पंचायत के धन

कुमार ग्राम पंचायत का अपहरण किया गया।

अधिकारी

योग

95,000.00 — —

ग्राम पंचायत गालिब बाड़ा के वर्ष 2012-13 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित विवरणानुसार अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया जिसकी वसूली हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्टकिया जाता है।

प्रस्तर संख्या-1 निम्नांकित विवरणानुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा ग्राम निधि खाता संख्या 558043 से आहरण कर आहरित धन को कैश बुक में कोषांकित न कर ग्राम पंचायत के धन का आपहरण किया गया। अपहरित धन की वसूली ग्राम प्रधान श्री महावीर व ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार से अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
4.12.12	09617	10,000.00
4.12.12	09616	20,000.00
4.12.12	09615	20000.00
4.12.12	09614	20000.00
9.3.13	19619	25,000.00
योग		95,000.00

जनपद का नाम :-अमरोहा**मण्डल का नाम :- मुरादाबाद****ग्राम पंचायत :-नौगावों तगा****विकास खण्ड - अमरोहा**

ग्राम पंचायत नौगावा तगा के वर्ष 2012-13 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित विवरणानुसार अपहरण कर प्रकरण प्रकाश में आया जिसकी वसूली हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-1 निम्नांकित तिथियों में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा ग्राम निधि खाता संख्या 10133/20898508749 से आहरण किया गया जिसे कैशबुक में कोषांकित न कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया जिसकी श्रीमती सीमा देवी ग्राम प्रधान व श्री वीर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
08.02.2013	017157	15000.00
16.03.2013	017158	36000.00
	योग	51000.00

जनपद का नाम :-अमरोहा

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत :-बीबड़ाकलॉ

विकास खण्ड - अमरोहा

ग्राम प्रधान एवं बैंक खाते से धन का 110000.00
ग्राम पंचायत आहरण करके कैश बुक में
अधिकारी दर्ज न करके आपहरण
किया जाना।

योग 1,10,000.00 — —

ग्राम पंचायत वीवडा कलॉ के वर्ष 2012-13 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित विवरणानुसार अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया जिसकी वसूली हेतु विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-1 वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता सं० 20898516002 से निम्नांकित तिथियों में धन का आहरण किया गया। जिसे जिसे कैशबुक में कोषांकित न कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जगदीश सैनी व ग्राम विकास अधिकारी श्री छत्तरपाल सिंह द्वारा किया गया। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

क्र०सं० | दिनांक चैक संख्या धनराशि

1	13.3.13	013812	30,000.00
2	22.3.13	013814	30,000.00
3	22.3.13	013813	35,000.00
4	25.3.13	013815	15,000.00
योग			1,10,000.00

(आपत्ति संख्या -18)

जनपद का नाम :-अमरोहा

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत :-अल्लीपुर खादर

विकास खण्ड - अमरोहा

आपत्ति का विवरण पत्र

दिनांक 05.12.2011 को मिड डे मील पर व्यय 20,000/- रुपये किया गया है जिसका आहरण जिला सहकारी बैंक हसनपुर के खाता सं0 11173 से किया गया है। जबकि नियमानुसार 12/2010 से भुगतान सम्बन्धित स्कूलों से किया जा रहा है , इस प्रकार पूर्व खाते से 20,000/- रुपये आहरण करके फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत श्री महिपाल द्वारा गबन कर लिया गया है व्यय की पुष्टि में कोई प्रपत्र नहीं पाया जाना इस भुगतान को पूर्णतया: फर्जी दर्शाता है।

जनपद का नाम :- मुरादाबाद

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत - रूपपुर टण्डौला लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13

न्याय पंचायत - भामपुर

विकास खण्ड - ठाकुरद्वारा ,

आपत्ति

प्रस्तर संख्या 1 -दिनांक 19.05.2012 को 2 रिक्शा क्रय 19000.00 व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा व वर्ष 11-12 में 17.02.12 में क्रय कैमरा 7000.00 आलोच्य वर्ष में दर्शाया गया व्यय प्रमाणकों के अभाव में क्रय मृत स्कन्ध की पुष्टि नहीं होती है जिसकी वसूली श्री चन्द्र प्रकाश सचिव, श्री पूरन सिंह प्रधान जी से अपेक्षित है।

जनपद का नाम :- मुरादाबाद

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत - मुडिया जैन

विकास खण्ड – डींगरपुर (कुन्दरकी)

प्रस्तर संख्या 1 –ग्राम पंचायत मुडिया जैन विकास खण्ड कुन्दरकी की वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। जिसमें निम्न प्रकार गम्भीर आपत्तियों प्रकाश में आयी है।

क. वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक (1.08.08 से 31.10.10 तक) की कैश बुक की छायाप्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी (मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी) मूल प्रति पुलिस संरक्षण में है।

ख. छायाप्रति किसी भी विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं है।

ग. 1.4.08 से 31.7.08 तक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

प्रस्तर संख्या 2—ग्राम निधि बचत खाता सं0 2714 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिगनिया से निम्न प्रकार 48 चैको के माध्यम से धनराशि आहरित की गयी। जिसका लेखा कैश बुक में कोषांकित न करके धनराशि का अपहरण किया गया है।

1 से 48 तक चैक

394900.00

क्र०सं	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	निर्गत फर्म/संस्था का नाम
0				
1	14065	07.03.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
2	14066	12.03.09	10000.00	श्री सलीम
3	14067	12.03.09	10000.00	मै० एच०आर० बिक्र वक्र्स
4	14069	17.04.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
5	14101	25.04.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
6	14104	19.05.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
7	14105	22.05.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
8	14110	27.06.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
9	277	28.06.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
10	279	12.08.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
11	280	13.08.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
12	281	19.08.09	3000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह

13	282	25.08.09	15000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
14	283	29.08.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
15	285	15.10.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
16	286	17.10.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
17	289	05.12.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
18	290	08.12.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
19	291	12.12.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
20	292	16.12.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
21	293	20.12.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
22	294	24.12.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
23	296	06.01.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
24	297	08.01.10	20000.00	प्रधान श्री जफर हुसैन
25	298	10.01.10	10000.00	श्री सलीम
26	299	14.01.10	8400.00	श्री नरोत्तम सिंह
27	826	22.01.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
28	827	24.01.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
29	828	26.01.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
30	829	28.01.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
31	830	31.01.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
32	831	02.02.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
33	834	11.03.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
34	833	12.03.10	10000.00	श्री नरोत्तम सिंह
35	835	18.04.10	20000.00	एफ0 आर0 ब्रिक वर्क्स
36	836	19.04.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
37	837	22.04.10	6500.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
38	838	29.04.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
39	839	30.04.10	6000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
40	840	02.05.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
41	26817	21.01.09	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
42	26820	28.01.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
43	14062	12.02.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
44	14064	20.02.09	20000.00	मै0 एच0आर0 बिक्र वर्क्स
45	14102	27.04.09	6000.00	श्री सलीम

46	14109	24.06.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
47	000288	04.12.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
48	000300	19.01.09	20000.00	मै0 एच0आर0 बिक्र वक्स
योग			394900.00	

प्रस्तर संख्या 3—छात्रवृत्ति बचत खाता सं 2713 बैंक ऑफ इण्डिया से निम्न प्रकार 4 चैको के माध्यम से धनराशि आहरित की गयी। जिसका लेखा कैश बुक में कोषांकित न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

1 से 4 तक चैक

क्र०सं	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	निर्गत फर्म/संस्था का नाम
0				
1	8989	08.04.09	45000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
2	8995	15.10.09	16000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
3	8997	04.07.10	5600.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
4	8990	25.04.09	8000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
योग			74600.00	

प्रस्तर संख्या 4—मिड डे मील बचत खाता सं० 4909 बैंक ऑफ इण्डिया से 32 चैको के माध्यम से धनराशि आहरित की गयी जिसका लेखा कैश बुक में कोषांकित न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

1 से 32 तक

146700.00

क्र०सं	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	निर्गत फर्म/संस्था का नाम
0				
1	14083	06.04.09	2000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
2	14087	04.09.09	2000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
3	14089	05.11.09	2000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
4	476	06.11.09	2000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
5	482	01.07.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
6	483	06.07.10	5600.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
7	484	08.07.10	2700.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
8	485	09.07.10	2700.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह

9	486	10.07.10	2700.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
10	487	11.07.10	2600.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
11	488	13.07.10	2700.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
12	489	14.07.10	2700.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
13	490	15.07.10	2600.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
14	491	18.07.10	2800.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
15	492	19.07.10	2700.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
16	493	20.07.10	2800.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
17	494	21.07.1	2600.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
18	495	22.07.10	2800.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
19	496	23.07.10	2700.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
20	497	24.07.10	2800.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
21	498	25.07.10	2600.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
22	499	27.07.10	2800.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
23	500	28.07.10	2800.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
24	14051	04.02.09	2000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
25	14052	10.02.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
26	14054	11.02.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
27	14053	12.02.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
28	14055	13.02.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
29	14056	15.02.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
30	14057	16.02.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
31	14058	17.02.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
32	14059	18.02.09	10000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
योग			146700.00	

प्रस्तर संख्या 5—मनरेगा बचत खाता सं० 5183 बैंक ऑफ इण्डिया से निम्न प्रकार 7 चैको के माध्यम से धनराशि आहरित की गयी। जिसका लेखा केश बुक में कोषांकित न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

1 से 7 तक	95000.00			
क्र०सं	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	निर्गत फर्म/संस्था का नाम
0				
1	738	10.06.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
2	740	30.06.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह

3	741	02.07.10	5000.00	प्रधान श्री नरोत्तम सिंह
4	748	24.07.10	25000.00	श्री गिरीश चन्द्र
5	750	28.07.10	25000.00	मै० एच०आर० बिक्र वक्स
6	1552	30.07.10	20000.00	श्री सलीम
7	26839	08.03.09	10000.00	मै० एच०आर० बिक्र वक्स
		योग	95000.00	

अवगत कराना है कि कैश बुक (अभिलेखों का रख रखाव सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय बहादुर शर्मा का है।) जो कि संयुक्त रूप से जिम्मेदार है परन्तु निम्न बातों का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है।

1. श्री विजय बहादुर शर्मा सचिव/ग्रा०पं०अधि० द्वारा दि० 28.09.10 को थाना अध्यक्ष/थाना हजरत नगर गढी मुरादाबाद में खण्ड विकास अधिकारी, कुन्दरकी के पत्रांक 1438/ग्राम पंचायत/रिपोर्ट दि० 28.09.10 के माध्यम से दि० 29.9.10 को थाना अध्यक्ष हजरत नगर गढी द्वारा श्री नरोत्तम सिंह भूत पूर्व प्रधान के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की गयी।
2. श्री शर्मा द्वारा दि० 21.09.10 को खण्ड विकास अधिकारी, कुन्दरकी को पूर्व प्रधान श्री नरोत्तम सिंह द्वारा फर्जी हस्ताक्षरों से तथा जाली मोहर बनवाकर अं० 530200.00 का (दि० 3/09 से 7/10 तक) धनराशि का अपहरण कर लिये जाने की लिखित शिकायत कर जांच कराने की मांग की गयी।
3. खण्ड विकास अधिकारी कुन्दरकी द्वारा दि० 21.09.10 को श्री शिव कुमार सिंह शुक्रायवाल बी०ओ०पी०आर०डी० कुन्दरकी को जांच सौंपी गयी।
4. बी०ओ०पी०आर०डी० द्वारा दिनांक 10.1.2011 को बैंक अभिलेखों साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर श्री नरोत्तम सिंह ग्राम प्रधान को प्रथम दृष्टया दोषी सिद्ध पाया गया है।
5. खण्ड विकास अधिकारी कुन्दरकी के पत्रांक 2530/जी०सी०/जा०-मुडिया जैन /2010-11 दि० 16.03.11 द्वारा केवल श्री नरोत्तम सिंह पूर्व प्रधान द्वारा सचिव के फर्जी हस्ताक्षरों से तथा जाली मोहर बनवाकर अं० 711200.00 धनराशि का अपहरण करने को दोषी पाये जाने तथा तत्कालीन प्रधान से वसूली करने हेतु संस्तुति जिला पंचायत राज अधिकारी मुरादाबाद को की गयी।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 456/परावि०/शि०जा०/ 2011 दि० 01.06.11 द्वारा केवल श्री नरोत्तम सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान को दोषी मानते हुए अं० 711200.00 जमा करने के आदेश दिये गये हैं।
7. उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधान द्वारा फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर का उपयोग कर धनराशि का अपहरण सिद्ध किया गया है जिससे बैंक आफ इण्डिया कर्मचारी /अधिकारी को संयुक्त दोषी नहीं माना गया है। जबकि बैंक आफ इण्डिया अधिकारी/कर्मचारी की मिली भगत के बिना अपहरण किया जाना सम्भव नहीं है। जिन्हें भी संयुक्त रूप से दोषी पाया जाना चाहिए था।
8. पूर्व प्रधान द्वारा आ तिथि तक धनराशि जमा नहीं की गयी है। जो शीघ्र ही तातारीख ब्याज सहित जमा करायी जाये।

9. कैश बुक पर सचिव श्री विजय बहादुर शर्मा द्वारा अंकित किया गया है कि प्रधान जी छात्रवृत्ति का धन वितरण की पुष्टि में वितरण रजि० शीघ्र ही उपलब्ध कराये। कैश बुक के अनुसार प्रधान जी द्वारा निम्न लिखित तिथियों में छात्रवृत्ति का धन निकाल कर हस्तगत रखा, जिसे ना तो छात्रों को वितरित ही किया गया है और ना ही वापस बैंक में जमा किया गया है। इस प्रकार धन का दुरुपयोग किया गया है। प्रधान श्री नरोत्तम सिंह से हस्तगत रोकड रखने से पंचायत को ब्याज की हानि हुयी। जिसकी वसूली की जाये।

30.09.08 से 30.09.09 तक अं० 67380.00

30.09.09 से 30.04.10 तक अं० 105980.00

30.04.10 से 31.10.10 अं० 138410.00

जनपद का नाम :- मुरादाबाद

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — चन्दनपुर ईशापुर वर्ष— 2007—8 व 2012—13

विकास खण्ड — मूण्डापाण्डे

गम्भीर आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या 1— ग्राम पंचायत चन्दनपुर ईशापुर वर्ष 2007—08 से 2012—13 निम्न तिथियों में निकाली गयी धनराशि को कैश बुक में दर्ज न करके तथा कैश बुक में नकद अवषेश न दिखाकर तथा व्यय न करके तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न जमा करके अपहरण किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

दिनांक	धनराशि	खाता सं०	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद
25.05.07	20000.00	1489	श्रीमती लीलावती (ग्राम प्रधान) सचिव श्री अथर फहीम (वर्तमान)
15.05.07	20000.00	1489	
20.12.08	20000.00	1489	
13.10.09	10000.00	1489	
18.01.2010	26,000	1489	
योग	96000.00		

उक्त धनराशि खाते से निकाल कर विकास कार्यों पर खर्च न करके तथा कैश बुक में अवशेष धनराशि न दर्शा करके अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान तथा सचिव से की जाये।,

जनपद का नाम :- मुरादाबाद

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — मिश्रीपुर
 न्याय पंचायत — मोढी हजरतपुर
 विकास खण्ड — छजलैट

प्रस्तर संख्या 1— कैश बुक में माह जनवरी में आय पक्ष योग सं० 324240.00, व्यय पक्ष योग सं० अ० 107942.00 दर्शित हैं। माह का शेष धन अं० 216298.00 दर्शित है। नियमविरुद्ध कैश अधिक रोककर सचिव द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है, की वसूली अपेक्षित है। (खा०आ०सं० 21)

प्रस्तर संख्या 2—कैश बुक में माह फरवरी में आय पक्ष योग अं० 266298.00 व्यय पक्ष योग अं० 26570.00 दर्शित हैं। माह का शेष धन अं० 239728.00 दर्शित है। नियमविरुद्ध कैश अधिक रोककर सचिव द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है, की वसूली अपेक्षित है। (खा०आ० सं० 22)

प्रस्तर संख्या 3— दिनांक— 31.03.2013 को कैश बुक में अवशेष धन अंकन 99,359=00 दर्शित है नियम विरुद्ध कैश अधिक रोककर रखा गया है। इसकी वसूली एवं जाँच की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या 4—सचिव/द्वारा निम्नलिखित तिथियों में ग्राम तिथि खाते 3038000300454187 से धन का आहरण कर कैश बुक में दर्ज न कर विकास कार्यो पर खर्च न कर धन का अपहरण/गबन किया गया है। वसूली अपेक्षित है, सचिव एवं प्रधान से।

दिनांक	धनराशि	नाम अपहरणकर्ता
09.05.12	10000.00	श्री कैलाश सचिव एवं श्री राजेश प्रधान
09.05.12	10000.00	श्री कैलाश सचिव एवं श्री राजेश प्रधान
07.07.12	10000.00	श्री कैलाश सचिव एवं श्री राजेश प्रधान
16.07.12	20000.00	श्री कैलाश सचिव एवं श्री राजेश प्रधान
18.07.12	20000.00	श्री कैलाश सचिव एवं श्री राजेश प्रधान
24.07.12	10000.00	श्री कैलाश सचिव एवं श्री राजेश प्रधान
योग	80000.00	

जनपद का नाम :- मुरादाबाद **मण्डल का नाम :- मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत — मथाना
 न्याय पंचायत — शेरपुर एत्मादपुर
 विकास खण्ड — छजलैट

प्रस्तर संख्या 1— दि० 25.03.13 को सचिव द्वारा अं० 2000.00 आहरण कर कैश बुक में दर्ज न कर विकास कार्य न कराकर अपहरण कर लिया गया है। सम्बन्धित सचिव/प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

(खाता सं० 31585525691 ग्राम निधी)

प्रस्तर संख्या 2 —निम्नलिखित तिथियों में कैश बुक में दर्शाये गये खर्चों में बाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये फर्जी खर्च दिखाकर धन का अपहरण किया गया है।

दिनांक	मद	धनराशि
10.04.12	नल मरम्मत	2250.00
30.05.12	नल मरम्मत	3275.00
30.06.12	नल मरम्मत	1950.00
31.12.12	नल मरम्मत	2250.00
10.01.13	नल पेंटिंग	2250.00
10.02.13	नल मरम्मत	1860.00
30.03.13	शौचालय पेंटिंग	8750.00
31.03.13	नल मरम्मत	2880.00
	योग	25465.00

सम्बन्धित सचिव/प्रधान से वसूली अपेक्षित है।,

जनपद का नाम :- मुरादाबाद

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — मदनापुर वर्ष 2012-13

विकास खण्ड — मूण्डापाण्डे

गम्भीर आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या 1— ग्राम पंचायत मदनापुर वर्ष 2012-13 निम्न तिथियों में निकाली गयी धनराशि को कैश बुक में दर्ज न करके तथा कैश बुक में नकद अवशेष न दिखाकर तथा व्यय न करके तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न जमा करके अपहरण किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

दिनांक	धनराशि	खाता सं०	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद
13.04.12	2000.00	85932210017968	श्रीमती शहनाज बेगम (ग्राम प्रधान) सचिव श्री वीरेन्द्रराम
16.04.12	9165.00	''	
19.04.12	13765.00	''	
19.04.12	20000.00	''	
19.04.12	12995.00	''	
21.04.12	7680.00		
03.05.12	3000.00		
योग	68605.00		

उक्त धनराशि खाते से निकाल कर विकास कार्यों पर खर्च न करके तथा कैश बुक में अवशेष धनराशि न दर्शा करके अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान तथा सचिव से की जायें।

जनपद का नाम :- मुरादाबाद

मण्डल का नाम :-

मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — धर्तुरा मेघानगला वर्ष 2012-13

विकास खण्ड — मूण्डापाण्डे

गम्भीर आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या 1- ग्राम पंचायत धर्तुरा मेघानगला वर्ष 2012-13 निम्न तिथियों में निकाली गयी धनराशि को कैश बुक में दर्ज न करके तथा कैश बुक में नकद अवशेष न दिखाकर तथा व्यय न करके तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न जमा करके अपहरण किया गया है जो कि निम्न प्रकार है :-

दिनांक	धनराशि	खाता सं०	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद
04.05.12	1930.00	85932210018062	श्रीमती चन्द्रवती (ग्राम प्रधान) सचिव श्री अथर फहीम (वर्तमान)
04.05.12	9800.00	"	
10.05.12	3000.00		
12.05.12	5760.00	"	
23.05.12	13533.00	"	
23.05.12	59270.00	"	
11.06.12	40000.00		
11.06.2012	3000.00		
15.06.12	26175.00		
15.06.12	30000.00	"	
21.06.12	14000.00		
22.06.12	14375.00		
योग	220843.00		

उक्त धनराशि खाते से निकाल कर विकास कार्यों पर खर्च न करके तथा कैश बुक में अवशेष धनराशि न दर्शा करके अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान तथा सचिव से की जायें।

जनपद का नाम :- मुरादाबाद

मण्डल का नाम :-

मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — ईलर रसूलाबाद वर्ष 2013-13

विकास खण्ड — मूण्डापाण्डे

गम्भीर आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या 1— ग्राम पंचायत ईलर रसूलाबाद वर्ष 2012-13 निम्न तिथियों में निकाली गयी धनराशि को कैश बुक में दर्ज न करके तथा कैश बुक नकद अवशेष न दिखाकर तथा व्यय न करके तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न जमा करके अपहरण किया गया है जो निम्न प्रकार है —

दिनांक	धनराशि	खाता सं०	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद
12.04.12	500.00	22118039	श्रीमती सुशीला देवी (ग्राम प्रधान) सचिव श्री ए०के० भारद्वाज
12.04.12	10000.00	"	
12.04.12	40000.00	"	
17.05.12	2500.00	"	
18.05.12	40000.00	"	
योग	93000.00		

उक्त धनराशि खाते से निकाल कर विकास कार्यों पर खर्च न करके तथा कैश बुक में अवशेष धनराशि न दर्शा करके अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान तथा सचिव से की जायें।

जनपद का नाम :-सम्भल

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — वेहटा जय सिंह

विकास खण्ड — बहजोई

प्रस्तर संख्या 1— ग्राम पं० अधिकारी एवं प्रधान द्वारा , निम्नतिथियों में विज्ञापन व्यय तथा अन्य व्यय किये गये हैं। जिसके प्रमाणक अनुपलब्ध रहें। उक्त व्ययों की खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई स्वीकृति भी नहीं ली गई है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

(खा० आ० सं० 22)

दिनांक	धनराशि	विवरण
23.04.12	2840.00	विज्ञापन
02.05.12	3000.00	विज्ञापन
08.02.13	3500.00	विज्ञापन
27.02.2013	3000.00	विज्ञापन
05.11.2012	6000.00	कम्प्यूटर सी०डी०
28.12.2012	30000.00	कुर्सी खरीद
योग	48340.00	

प्रस्तर संख्या 2—निम्नतिथियों में ग्राम प्रधान द्वारा मिट्टी डलवाई भुगतान किया गया है। जिसके प्रमाणक अनुपलब्ध पाये गये। मिट्टी उठान में रायल्टी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :- (खा० आ० सं० 22)

दिनांक	धनराशि
01.11.2012	10500.00
07.12.2012	8500.00
11.01.2013	6500.00
12.02.2013	10800.00
01.03.13	8500.00
योग	44800.00

प्रस्तर संख्या 3—ग्राम प्रधान तथा सचिव द्वारा मनरेगा तथा ग्राम निधि से प्राप्त धन का उपभोग वर्ष में नहीं किया गया है। बल्कि धन को रोके रखा गया है। उक्त धनराशि को विभाग को भी वापिस नहीं किया गया है। जो एक गम्भीर विषयक है।

जनपद का नाम :-सम्भल

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — श्याम सिंह उर्फ भूडी
विकास खण्ड — वनियाखेडा

प्रस्तर संख्या 1— प्रधान व पं० अधिकारी द्वारा निम्न व्यय किये गये हैं जिसकी विभागीय स्वीकृति नहीं ली गई है, ना ही व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ कराये गये अतः व्ययों का औचित्य अस्पष्ट रहा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है

(खा० आ० सं० 23)

दिनांक	धनराशि	विवरण
25.04.2011	1550.00	विज्ञापन
05.05.2011	9250.00	कुर्सी खरीद
18.07.2011	5000.00	सी०डी० भुगतान
20.09.2011	1500.00	विज्ञापन
10.10.2011	1202.00	अमर उजाला
योग	18502.00	

वर्ष 2011-12 में अं० 18502.00 का व्यय का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

जनपद का नाम :-सम्भल

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — खिरनी मोहिउददीनपुर
विकास खण्ड — पवॉसा

प्रस्तर संख्या 1— आलोच्य वर्ष में वितरित की गई छात्रवृत्ति की पुष्टिमें छात्रवृत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा जिसे प्रस्तुत कर कराई जाये। छात्रवृत्ति भुगतान से सम्बन्धित अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। वर्ष के अन्त में अवशेष छात्रवृत्ति संबंधित विभाग को वापस की जानी अपेक्षित है ।

दिनांक	वितरित छात्रवृत्ति की धनराशि	खाता सं०
05.04.2010	51120.00	3846
21.06.2010	8100.00	"
	योग—59220.00	

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम :-सम्भल

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — ठाठी
विकास खण्ड — पवौसा

ग्राम पंचायत ठाठी के वर्ष 2011-12 से 2012-13 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ प्रकाश में आई है जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं—

प्रस्तर संख्या 1— कोष वही एवं बैंक स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार आलोच्य वर्ष में विभिन्न मदों में प्राप्त राजकीय अनुदान एवं सहायता का उपयोग वर्ष के अन्त तक कर लिया जाना चाहिये था अथवा सम्बन्धित विभाग को वापस करना चाहिये था। किन्तु वर्ष के अन्त में अनुदान की धनराशि अनियमित रूप से अवशेष रही। जैसे ग्राम निधि एकाउन्ट नंबर 59355 में 1,93,268.00 रु० । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम :-सम्भल

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — इटायलामाकी
विकास खण्ड — असमौली

आपत्ति का सारांश

प्रस्तर संख्या 1—निम्न तिथियों को छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि में कोई रजिस्टर लेखा परीक्षा दौरान बारबार कहने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त धनराशि की पुष्टिमें छात्रवृत्ति रजिस्टर का ना पाया जाना आहरित धनराशि के भुगतान को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अतः उच्च अधिकारियों का ध्यान इस और आकृष्टकिया जाता है कि उक्त धनराशि की पुष्टिमें रजिस्टर के अप्राप्त रहने के कारण वितरण को संदिग्ध मानते हुए धन अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः निम्न धनराशि की वसूली संबंधित प्रधान एवं सेक्रेट्री से तातारीख वसूली कराई जायें।

दिनांक	धनराशि
06.08.12	43380.00
13.09.12	52200.00
योग	95580.00

जनपद का नाम :-सम्भल

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — राजागालबपुर

विकास खण्ड — असमौली

आपत्ति का सारांश

प्रस्तर संख्या 1—दिनांक 30.06.2011 को मानदेय प्रधान नवम्बर 2010 से जून 2011 रूपया 6000.00 दिया गया है परन्तु दिनांक 30.11.11 को पुनः मानदेय अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2011 तक 7 माह का भुगतान देकर रूपया 2250.00 का अतिरिक्त/पुनः अप्रैल मई, जून 2011 (3) माह का देकर , फर्जी व्यय दर्शाकर उपरोक्त धनराशि का गबन कर लिया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 2—दिनांक 16.11.2012 को चुनाव कार्य में पोलिंग पार्टी का भुगतान रूपया 5000.00 दर्शाया गया है जबकि भोजन की व्यवस्था संबंधित विद्यालयों के मिड डे मील से करायी जाती है। भुगतान फर्जी रूप से किया गया प्रतीत होता है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 3—दिनांक 05.03.2012 को छात्रवृत्ति में रूपया 4200.00 के भुगतान की पुष्टिमें कोई छात्रवृत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता , अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली संबंधित प्रधान एवं सेक्रेट्री से कराई जायें।

जनपद का नाम :-सम्भल

मण्डल का नाम :- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत — गुलसानी

विकास खण्ड — असमौली

आपत्ति का सारांश

प्रस्तर संख्या 1—दिनांक 18.05.2012 को छात्रवृत्ति खाता सं एका0नं0 20391 बैंक ऑफ इण्डिया असमौली से रूपया 500,000/- रूपयो पांच लाख का आहरण करके छात्रवृत्ति का वितरण करना दर्शाया है जिसे कैश बुक में वितरण एक साथ रूपया 5,00,000/- को दर्शाया गया है। पुष्टिमें कोई छात्रवृत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया जिससे कि विवरण को सही नहीं कहा जा सकता , इतनी बड़ी धनराशि को एक साथ आहरण करना व

एक ही तिथि में बांट देना स्थिति को संदेहास्पद बनाती है। अतः लेखा परीक्षा दृष्टि में रुपया 5,00,000/- रुपये को छात्रवृत्ति रजिस्टर के न मिलने की स्थिति में अपहरण माना जाता है उच्च अधिकारियों का ध्यान इस आशय से आकर्षित करना है कि यथा उचित जांच कराकर रजिस्टर की अनुपस्थिति में धनराशि को गबन मानते हुए वसूली सम्बन्धित प्रधान/सैकेट्री से तातारीख कराई जायें।

जनपद का नाम – रामपुर

वि०ख०- मिलक

मण्डल का नाम – मुरादाबाद

ग्राम पंचायत- जिवाई कदीम लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 व 2012-13

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-

प्रस्तर 1. लेखा परीक्षा जाँच में बार बार मॉग किये जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरीश यादव द्वारा ग्राम निधि प्रथम व मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये व्ययों के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये बताया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सखावत खॉ एवं श्री यशपाल सिंह द्वारा उन्हें प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। व्ययों की पुष्टि में प्रमाणको का न होना अपहरण कि श्रेणी में आता है। साथ ही कराये गये कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी जाँच हेतु सुलभ नहीं कराये गये। अतः इस सम्बन्ध में उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सखावत खॉ एवं श्री यशपाल व ग्राम प्रधान श्रीमति सुखविन्दर कौर के विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं काल्पनिक/ अनियमित किये गये व्ययों की दुरुपयोगित धनराशि की प्रति पूर्ति उनसे की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्ययों की धनराशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि		व्यय की गयी कुल धनराशि
	राज्य वित्त/ 13वाँ वित्त आयोग	मनरेगा	
2011-12	327640	684000	1011640
2012-13	1006080	112000	1118080
योग	1333720	796000	2129720

(आ0स0-1)

जनपद का नाम – रामपुर**वि0ख0- मिलक****मण्डल का नाम – मुरादाबाद****ग्राम पंचायत- भवरंका****लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 व 2012-13**

ग्रामपंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-

प्रस्तर-1. लेखा परीक्षा जॉच में बार बार मॉग किये जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जाने आलम द्वारा ग्राम निधी प्रथम व मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये व्ययों के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये बताया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशपाल सिंह द्वारा उन्हें प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। व्ययों की पुष्टि में प्रमाणको का न होना अपहरण कि श्रेणी में आता है। साथ ही कराये गये कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी जॉच हेतु सुलभ नहीं कराये गये। अतः इस सम्बन्ध में उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशपाल व ग्राम प्रधान श्री सर्जीव कुमार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं काल्पनिक/ अनियमित किये गये व्ययों की दुरुपयोगित धनराशि की प्रति पूर्ति उनसे की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्ययों की धनराशि निम्नानुसार है:-
वर्ष व्यय की गयी धनराशि

व्यय की गयी
कुल धनराशि

	राज्य वित्त/ 13वाँ वित्त आयोग	मनरेगा	
2011-12	200690	552000	752690
2012-13	532994	573000	1105994
योग	733684	1125000	1858684

(आ0स0-1)

जनपद का नाम – रामपुर**वि0ख0- मिलक****मण्डल का नाम – मुरादाबाद****ग्राम पंचायत- मेघा नॅगला कदीम****लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 व 2012-13**

ग्रामपंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-

प्रस्तर 1. लेखा परीक्षा जॉच में बार बार मॉग किये जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा ग्राम निधी प्रथम व मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये व्ययों के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये बताया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज द्वारा उन्हें प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। व्ययों की पुष्टि में

प्रमाणको का न होना अपहरण कि श्रेणी में आता है। साथ ही कराये गये कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी जॉच हेतु सुलभ नहीं कराये गये। अतः इस सम्बन्ध में उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज व ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं काल्पनिक/ अनियमित किये गये व्ययों की दुरुपयोगित धनराशि की प्रति पूर्ति उनसे की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्ययों की धनराशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि	व्यय की गयी कुल धनराशि
	राज्य वित्त/ 13वाँ वित्त आयोग	मनरेगा
2011-12	296090	228000
2012-13	270450	186000
योग	566540	414000
(आ0स0-1)		

जनपद का नाम – रामपुर

वि0ख0- मिलक

मण्डल का नाम – मुरादाबाद

ग्राम पंचायत- पैगम्बरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 व 2012-13

ग्रामपंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-

प्रस्तर 1. लेखा परीक्षा जॉच में बार बार माँग किये जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा ग्राम निधी प्रथम व मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये व्ययों के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये बताया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा उन्हें प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। व्ययों की पुष्टि में प्रमाणको का न होना अपहरण कि श्रेणी में आता है। साथ ही कराये गये कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी जॉच हेतु सुलभ नहीं कराये गये। अतः इस सम्बन्ध में उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार व ग्राम प्रधान श्री वसीम खॉ के विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं काल्पनिक/ अनियमित किये गये व्ययों की दुरुपयोगित धनराशि की प्रति पूर्ति उनसे की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्ययों की धनराशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि		व्यय की गयी कुल धनराशि
	राज्य वित्त/ 13वाँ वित्त आयोग	मनरेगा	
2011-12	217092	1301000	1518092

योग	217092	1301000	1518092

(आ0स
0-1)

जनपद का नाम – रामपुर

वि0ख0- मिलक मण्डल का नाम – मुरादाबाद

ग्राम पंचायत- धमौरा

लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 व

2012-13

ग्रामपंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-

प्रस्तर 1. लेखा परीक्षा जॉच में बार बार माँग किये जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शकील अहमद द्वारा ग्राम निधी प्रथम व मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये व्ययों के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये बताया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मदास एवं श्री मनोज कुमार द्वारा उन्हें प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। व्ययों की पुष्टि में प्रमाणको का न होना अपहरण कि श्रेणी में आता है। साथ ही कराये गये कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी जॉच हेतु सुलभ नहीं कराये गये। अतः इस सम्बन्ध में उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मदास एवं श्री मनोज कुमार व ग्राम प्रधान श्री हरिओम गुप्ता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं काल्पनिक/ अनियमित किये गये व्ययों की दुरुपयोगित धनराशि की प्रति पूर्ति उनसे की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्ययों की धनराशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि		व्यय की गयी कुल धनराशि
	राज्य वित्त/ 13वाँ वित्त आयोग	मनरेगा	
2011-12	12000	572000	584000
2012-13	885378	516810	1402188
योग	897378	1088810	1986188

(आ0स0-1)

जनपद का नाम – रामपुर

वि0ख0- मिलक

मण्डल का नाम – मुरादाबाद

ग्राम पंचायत- मिलक मौहम्मद वक्श

लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 व 2012-13

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-

प्रस्तर 1. लेखा परीक्षा जॉच में बार बार मॉग किये जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री शाकिव खॉ द्वारा ग्राम निधी प्रथम व मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये व्ययों के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये बताया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निजामुददीन द्वारा उन्हें प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। व्ययों की पुष्टि में प्रमाणको का न होना अपहरण कि श्रेणी में आता है। साथ ही कराये गये कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी जॉच हेतु सुलभ नहीं कराये गये। अतः इस सम्बन्ध में उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री निजामुददीन एवं ग्राम प्रधान श्री अकबर अली के विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं काल्पनिक/ अनियमित किये गये व्ययों की दुरुपयोगित धनराशि की प्रति पूर्ति उनसे की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्ययों की धनराशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि		व्यय की गयी कुल धनराशि
	राज्य वित्त/ 13वाँ वित्त आयोग	मनरेगा	
2011-12	318640	326000	644640
2012-13	495214	183000	678214
योग	813854	509000	1322854

(आ0 स0-1)

जनपद का नाम – रामपुर

वि०ख०— मिलक

मण्डल का नाम – मुरादाबाद

ग्राम पंचायत— हरदुआ

लेखा परीक्षा वर्ष—2011—12 व 2012—13

ग्रामपंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां—

प्रस्तर 1. लेखा परीक्षा जाँच में बार बार मॉग किये जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असलम हुसैन द्वारा ग्राम निधी प्रथम व मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये व्ययों के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये बताया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशपाल द्वारा उन्हें प्रमाणक एवं सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं। व्ययों की पुष्टि में प्रमाणको का न होना अपहरण कि श्रेणी में आता है। साथ ही कराये गये कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी जाँच हेतु सुलभ नहीं कराये गये। अतः इस सम्बन्ध में उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशपाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमति आराधना के विरुद्ध समुचित कार्यवाही एवं काल्पनिक/ अनियमित किये गये व्ययों की दुरुपयोगित धनराशि की प्रति पूर्ति उनसे की जानी अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्षों में किये गये व्ययों की धनराशि निम्नानुसार है:—

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि		व्यय की गयी कुल धनराशि
	राज्य वित्त/ 13वें वित्त आयोग	मनरेगा	
2011—12	364030	81000	445030
2012—13	399912	159000	558912
योग	763942	240000	1003942

(आ० सं०—1)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— हरेवला

विकास खण्ड:— अफजलगढ़

वर्ष:— 2012—13

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 आलोच्य वर्ष 2012—13 में निम्न विवरणानुसार कैश बुक में व्यय दर्शाये गये। जिनकी जांच व पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिन्हे जांच हेतु उपलब्ध कराया जावे। अन्यथा की स्थिति में धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 32

)

दिनांक	धनराशि	विवरण
24.04.2012	9,000	ग्राम प्रधान को 2011-12 का मानदेय
24.04.2012	24,000	मिट्टी कार्य का भुगतान
24.04.2012	61,000	ईंट क्रय
26.04.2012	3,000	ठेली मरम्मत का भुगतान
30.04.2012	37,200	मिट्टी कार्य का भुगतान
30.04.2012	6,000	पंचायत घर की मरम्मत व पुताई
30.04.2012	200	फोटो स्टेट
30.04.2012	9,600	मस्टर रोल खडन्जा निर्माण
28.02.2013	17,006	इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत
25.03.2013	4,474	सीमेन्ट, सरिया, रेत व बजरी खरीद
	1,71,480	

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- हरेवली

विकास खण्ड:- अफजलगढ

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 माह मई 2012 में बैंक खाते से रु0 50,000 आहरण के विपरीत कैश बुक में रु0 95,790 का व्यय अंकित कर रु0 45,790 अधिक व्यय दर्शाया गया है। जिसका समायोजन माह सितम्बर 2012 में धन आहरण उपरान्त किया गया है। यह स्थिति गम्भीर रूप से आपत्ति जनक पाई गई। जब ग्राम पंचायत के पास धन उपलब्ध ही नहीं था तब व्यय कहां से कर दिया गया। स्पष्ट है कि केवल व्यय दर्शाकर धनराशि का गोल माल किया गया है। अधिक व्यय की राशि किसके द्वारा की गई एवं उसका किसे भुगतान किया गया, स्थिति स्पष्ट नहीं है। जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 31

)

प्रस्तर संख्या-2 आलोच्य वर्ष 2012-13 में निम्न विवरणानुसार कैश बुक में व्यय दर्शाये गये। जिनकी जांच व पुष्टि में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिन्हे जांच हेतु उपलब्ध कराया जावे। अन्यथा की स्थिति में धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 32

)

दिनांक	धनराशि	विवरण
13.07.2012	4,210	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प
28.02.2013	9,307	सीमेन्ट खरीद
28.02.2013	1,961	ठेली मरम्मत
04.03.2013	6,000	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प
	21,478	

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— कहरीपुर जंगल

विकास खण्ड:— अफजलगढ़

वर्ष:— 2010-11 से

2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या-1 माह अप्रैल 2011 में प्रधान द्वारा किया गया अधिक व्यय कैश बुक में ₹0 34,780 दर्शाया गया है। जब धनराशि उपलब्ध ही नहीं थी तो भुगतान व्यय कहां से कर दिये गये। अतः ₹0 34,780 की सीमा तक व्यय संदिग्ध है। इस प्रकार व्यय करने की कोई तर्क व औचित्य नहीं है। यह स्थिति गम्भीर रूप से आपत्ति जनक पाई गई। प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना है। जांचोपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 31)

प्रस्तर संख्या-2 लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में पूर्व प्रधान के कार्यकाल से सम्बन्धित व्यय निम्न विवरणानुसार कैश बुक में दर्शाये गये हैं। परन्तु सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में कोई प्रमाणक जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध कराये जाये अन्यथा की स्थिति में धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 32)

दिनांक	धनराशि	विवरण
10.05.2010	60,000	ईंट खरीद
10.05.2010	10,000	सीमेन्ट खरीद
11.05.2010	10,000	रेत+बजरी खरीद
28.05.2010	12,000	मिटी कार्य पर व्यय
28.05.2010	20,000	मजदूरी पर खर्च
28.05.2010	12,000	हैण्ड पम्प मरम्मत
28.05.2010	5,000	नाली खडन्जा निर्माण पर व्यय
31.07.2010	3,000	ग्राम प्रधान को मानदेय

योग:— 1,32,000

उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- सुआवाला

विकास खण्ड:- अफजलगढ

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 जांच से प्रकाश मे आया कि दिनांक 04.04.2012 को ग्राम पंचायत सुआवाला के खाता संख्या 1171001701208454 से चैक नं0 536734 द्वारा रू0 50,000 की धनराशि श्री अरविन्द कुमार द्वारा आहरित की गई। परन्तु आहरित धनराशि को कैश बुक के आय पक्ष मे न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति श्री अखिलेश कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उक्त दोनो से धनराशि की वसूली सहित समुचित कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 24)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- शेरगढ

विकास खण्ड:- अफजलगढ

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 जांच से प्रकाश मे आया कि आलोच्य वर्ष 2012-13 मे निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत निधि-1 पी0एन0बी0 खाता संख्या 0405552121 से धनराशि आहरित की गई परन्तु कैश बुक मे आमद न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया।

दिनांक	आहरित धनराशि	कैश बुक मे प्राप्त	अन्तर/अपहरण
05.07.2012	30,000	3,000	27,000
14.07.2012	3,000	—	3,000
योग:-			30,000

उपरोक्तानुसार रू0 30,000 का अपहरण किया गया है। जिस प्रति प्रशासक समिति के अध्यक्ष श्री अबुल हसन एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। अतः राशि की वसूली करते हुए विधिक कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 24)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- इनामपुरा

विकास खण्ड:- हल्दौर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 प्रमाणक संख्या 15 दिनांक 26.09.2012 द्वारा सुरेश के घर के पास नल मरम्मत का भुगतान 1,530 किया गया है। प्रमाणक पर दर्शित राशियों का योग 1,450 होता है। अतः रु0 80 अधिक भुगतान किया गया है। इसकी वसूली करते हुए प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (उत्तरदायी) के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 13)

प्रस्तर संख्या-2 निम्न विवरणार्थ दर्शित व्ययों के प्रमाणको के अभाव में भुगतान किया जाना प्रमाणित नहीं है। अतः पुष्टि के अभाव में राशि 1,86,200 जांचोपरान्त प्रधान श्री इकबाल से वसूल किया जाना एवं उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रमाणक संख्या 1 दिनांक 20.04.2012 द्वारा मिट्टी कार्य मजदूरी	12,600
प्रमाणक संख्या 2 दिनांक 20.04.2012 द्वारा ईट व रोडा क्रय	40,220
प्रमाणक संख्या 3 दिनांक 20.04.2012 द्वारा रेत बजरी क्रय	33,409
प्रमाणक संख्या 4 दिनांक 23.04.2012 द्वारा सीमेन्ट क्रय	52,650
प्रमाणक संख्या 5 दिनांक 30.04.2012 द्वारा मस्टर रोल	2,560
प्रमाणक संख्या 6 दिनांक 30.04.2012 द्वारा नलो की मरम्मत	12,081
प्रमाणक संख्या 7 दिनांक 07.05.2012 द्वारा मस्टर रोल	13,360
प्रमाणक संख्या 8 दिनांक 10.05.2012 द्वारा छा0 वितरण	1,200
प्रमाणक संख्या 9 दिनांक 20.05.2012 द्वारा मस्टर रोल	16,120
प्रमाणक संख्या 10 दिनांक 21.05.2012 द्वारा ठेली मरम्मत	<u>2,000</u>

योग:- 1,86,200

उक्त ग्राम सभा में ग्राम पंचायत अधिकारी कौन-कौन कब-कब रहा यह जानकारी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा नहीं दी जा सकी। अतः जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी अप्रैल 2012 एवं मई 2012 में इस ग्राम सभा में रहा है वह इसके प्रति उत्तरदायी है। जांचोपरान्त उसके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

इस आपत्ति के परिपालन में काल्पनिक प्रमाणक तैयार कर प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर संख्या-3 मनरेगा अन्तर्गत कोई खाता तैयार नहीं किया गया है। तथा कैश बुक भी विधिवत नहीं लिखी गयी है। मनरेगा अन्तर्गत समस्त प्रविष्टियां पारित होती हैं। और इस स्थिति में प्रत्येक राशि आय एवं व्यय दोनों पर आती है। परन्तु अनेक प्रविष्टियां एक ही ओर पारित की गई हैं। इस स्थिति में कभी भी किसी भी आर्थिक दुर्घटना की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

आलौच्य वर्ष में ममता ईट उद्योग से 12,600 की ईट क्रय दर्शित का प्रमाणक नहीं था। जांचोपरान्त राशि की वसूली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। आलौच्य वर्ष में कुल 6 कार्य कराये गये इनका व्यय 3,60,346 होता है। तथा वर्ष में रोजगार सेवक का मानदेय 30,600, टी0ए0 का मानदेय 8,000, सेलरी 24,500 तथा ममता ईट उद्योग से ईट क्रय 12,600 दर्शित है। इस प्रकार वर्ष का कुल व्यय 4,36,046 होता है। जबकि बैंक पास बुक अनुसार बैंक से 3,46,321 निकाला गया है। अतः स्पष्ट नहीं है कि किस कार्य का भुगतान 31.03.2013 को किया जाना शेष रहा गया था। और वह कब किया गया। इस स्थिति में भुगतान छूट जाने या दोहरे भुगतान

हो जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रति गहन जांच एवं उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 19)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- कुम्हारपुरा

विकास खण्ड:- हल्दौर

वर्ष:- 2011-12

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ब्लॉक हल्दौर की 58 ग्राम सभाओं की लेखा परीक्षा की गई किसी भी ग्राम सभा में इतनी बड़ी बड़ी राशियां रोका जाना नहीं पाया गया। अनुदान राशियों को इस प्रकार रोककर निजी हित में प्रयोग किया जाना गम्भीर आपत्ति का विषय है। विवरण निम्न प्रकार है।

अप्रैल 2011 के अन्त में	60,440	मई 2011 के अन्त में	1,85,628
जून 2011 के अन्त में	1,23,918	जुलाई 2011 के अन्त में	1,63,654
अगस्त 2011 के अन्त में	1,61,034	सितम्बर 2011 के अन्त में	73,043
अक्टूबर 2011 के अन्त में	14,361	नवम्बर 2011 के अन्त में	1,37,939
दिसम्बर 2011 के अन्त में	1,38,469	जनवरी 2012 के अन्त में	2,07,283
फरवरी 2012 के अन्त में	2,31,193	मार्च 2012 के अन्त में	2,22,193

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि लाखों रु० रोक कर निजी हित में प्रयोग किया गया है। इस प्रति प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना एवं इस प्रथा पर भावी रोक अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 10)

प्रस्तर संख्या-2 ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य प्रधान को बैंक से राशि निकलवा कर उसके द्वारा कार्य कराये जाने पर अभिलेख तैयार किया जाना होता है। उनके द्वारा राशि स्वयं निकालना औचित्यपूर्ण नहीं है। जबकि खाता संख्या 192433 की पास बुक अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषिपाल सिंह को निम्नवत भुगतान किया जाना दर्शित है।

18.05.2011 को	15,000
14.07.2011 से 22.07.2011 तक	2,500 बीस बार
26.07.2011 को	30,000
29.08.2011 को	33,000
12.11.2011 को	25,000
14.11.2011 को	25,000
24.11.2011 को	50,000
28.01.2012 को	75,000

खाता संख्या 213639 की पास बुक सुलभ नहीं थी। अतः यह ज्ञात नहीं हो सकता कि इस खाते से भी इनके द्वारा राशियां निकाली गई थी या नहीं जांच एवं कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

साथ-साथ उक्तानुसार राशियां ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निकाली गई इसकी जांच कर तदानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 14)

प्रस्तर संख्या-3 प्रमाणक संख्या 62 दिनांक 12.11.2011 द्वारा श्री राकेश सिंह पुत्र श्री गंगा राम को सडक किनारे दीवार व मकानों की पुताई का भुगतान 5,000 किया गया है। प्रमाणक पर धन प्राप्ति की पुष्टि में उक्त राकेश सिंह का ह0/अ0नि0 नहीं है। अतः भुगतान की पुष्टि के आभाव में राशि प्रधान से वसूली योग्य है। सडक किनारे मकान व दीवार किसके थे। और उन पर पुताई कराया जाना किस प्रकार ग्राम सभा हित में था। इसकी भी जांच किया जाना अपेक्षित है। जांचोपरान्त वसूली एवं कार्यवाही अपेक्षित है। इस आपत्ति के पालन में प्रमाणक पर काल्पनिक तौर पर ह0 बनाये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(आपत्ति संख्या- 15)

प्रस्तर संख्या-4 प्रमाणक संख्या 66 दिनांक 16.11.2011 द्वारा ज्योति टैण्ट हाउस हल्दौर को 16 बाई 16 का टैण्ट लगाने का किराया 9,000 भुगतान किया गया है। इस प्रति निम्न लेखा परीक्षा आपत्तियां प्रकाश में आई हैं।

1 यह प्रमाणक कैश बुक लेखक ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषिपाल सिंह की हस्त लिपि में प्रतीत होता है। अतः प्रमाणक के काल्पनिक होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता जांच एवं कार्यवाही अपेक्षित है।

2 यह टैण्ट किस उद्देश्य से और कहां लगाया गया था यह स्पष्ट नहीं है। 16 बाई 16 के साईज के टैण्ट का किराया 9,000 कई गुणा अधिक है। अन्य दुकानदारों से दर ज्ञात कर तदानुसार अधिक भुगतान की गई राशि वसूल किया जाना एवं जांचोपरान्त प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 16)

प्रस्तर संख्या-5 निम्न विवरणार्थ दर्शित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक न होने स्थिति में व्यय भुगतान अपुष्ट रहे हैं। पुष्टि के आभाव में राशि प्रधान से वसूली योग्य है। तथा प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

1 वर्ष में विभिन्न तिथियों में छा0 वितरण	2,70,890
2 05.05.2011 को कुडेदान कर	13,500
3 20.06.2011 को स्टेशनरी	2,565
4 09.11.2011 को छा0 वापस	32,350
योग:-	3,19,305

क्रमांक 2 पर दर्शित कूड़ेदान कितने थे तथा इनका प्रयोग कहाँ किया गया स्पष्ट नहीं है।

उक्त में क्रमांक 2 एवं 3 पर दर्शित मदों के काल्पनिक प्रमाणक तैयार कर प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(आपत्ति संख्या— 17)

जनपद:— बिजनौर

ग्राम पंचायत:— लाडनपुर

विकास खण्ड:— हल्दौर

मण्डल:— मुरादाबाद

वर्ष:— 2012-13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर संख्या—1 निम्न विवरणार्थ दर्शित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक न होने के कारण व्ययों के भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। पुष्टि के अभाव में राशि प्रधान से वसूली करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध के विभागीय उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

09.04.2012 को अन्य व्यय	60
18.04.2012 को ईंट क्रय	18,648
18.04.2012 को लेबर भुगतान	8,580
18.04.2012 को नल मरम्मत	12,772
25.04.2012 को बजरी क्रय	42,500
11.09.2012 को रेत क्रय	21,250
11.09.2012 को ठेली क्रय	12,500
18.12.2012 को रोड़ी क्रय	20,857
02.02.2013 को अन्य व्यय	2,493
02.02.2013 को सीमेन्ट क्रय	70,200
02.02.2013 को लेबर भुगतान	57,000
20.03.2013 को नल मरम्मत	3,000

कुल योग:— 2,69,860

इस आपत्ति के परिपालन में काल्पनिक (फर्जी) प्रमाणक तैयार कर प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(आपत्ति संख्या— 10)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— मिठन कुंवर प्रताप

विकास खण्ड:— हल्दौर

वर्ष:— 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या-1 प्रधान द्वारा अकारण नकद राशि निरन्तर रोककर निजी हित में प्रयोग की जाती रही है। इस पर 18 प्रतिशत की दर से निम्नवत 2,585 ब्याज होता है।

1 अप्रैल-12 के अन्त से जून-12 के अन्त तक	37,703 पर	1,131
2 जौलाई-12 के अन्त से सितम्बर-12 के अन्त तक	13,990 पर	419
3 अक्टूबर-12 के अन्त से फरवरी-13 के अन्त तक	17,247 पर	1,035

योग:— 2,585

उक्त राशि 2,585 प्रधान श्री मौ० युनुस से वसूल किया जाना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक कुमार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना तथा इस प्रथा पर भावी रोक लगाया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 08)

प्रस्तर संख्या-2 आलोच्य वर्ष में कैश बुक में निम्नवत व्यय किया जाना दर्शित है।

19.04.2012 को नल मरम्मत	10,200
19.04.2012 को टेली मरम्मत	5,097
30.07.2012 को ईंट क्रय	63,913
30.07.2012 को लेबर भुगतान	15,400
30.07.2012 को सीमेन्ट क्रय	2,800
30.07.2012 को रेत क्रय	1,600
11.10.2012 को कम्प्यूटर व्यय	3,000
15.10.2012 को सीमेन्ट व्यय	600
15.10.2012 को रेत क्रय	170
18.10.2012 को ईंट क्रय	1,093
18.10.2012 को रोडा क्रय	500
28.10.2012 को लेबर भुगतान	5,180
31.10.2012 को सीमेन्ट क्रय	1,500
31.10.2012 को रेत बजरी क्रय	1,700

31.10.2012 को लेबर भुगतान	1,000
19.03.2013 को नल मरम्मत	2,500
28.03.2013 को ईट कय	2,432
28.03.2013 को रोडा कय	3,810
28.03.2013 को सीमेन्ट	9,900
28.03.2013 को रेत कय	2,898
28.03.2013 को बजरी कय	5,040
28.03.2013 को लेबर भुगतान	10,200
31.03.2013 को रोडी कय	56,845
31.03.2013 को रेत कय	49,300
31.03.2013 को लेबर भुगतान	24,000
31.03.2013 को स्टेशनरी कय	<u>2,822</u>

कुल योग:— 2,83,500

उक्त व्ययो मे से किसी भी व्यय के भुगतान की पुष्टि मे प्रमाणक सुलभ नहीं था। अतः भुगतान किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। पुष्टि के आभाव मे राशि 2,83,500 प्रधान श्री मौ० युनुस से वसूल करते हुऐ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक कुमार से स्थिति स्पष्ट कराते हुऐ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 10)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— नंगली छोईया

विकास खण्ड:— हल्दौर

वर्ष:— 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 दिनांक 25.03.2013 को सी०सी० निर्माण का मजदूरी का भुगतान 50,700 किया गया है। इस मस्टर रोल पर 12 मजदूरों द्वारा कार्य किया जाना दर्शित है। जबकि किसी भी मजदूर का अ०नि०/ह० भुगतान प्राप्ति पर पुष्टि मे नहीं पाया गया। अतः भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। पुष्टि के अभाव मे राशि 50,700 जांचोपरान्त वसूली योग्य है। राशि प्रधान से वसूल करते हुऐ ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। इस आपत्ति के परिपालन मे फर्जी तौर पर अ०नि० लगाये जाने या ह० बना दिये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(आपत्ति संख्या— 15)

प्रस्तर संख्या—2 प्रमाणको के अभाव मे व्यय भुगतान अपुष्ट रहे है। पुष्टि के अभाव मे राशि प्रधान से जांचोपरान्त वसूल की जानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक 09.10.2012 को फोटो स्टेट व्यय	1,500
दिनांक 03.12.2012 को ठेली मरम्मत व्यय	4,900
दिनांक 03.12.2012 को नल मरम्मत व्यय	6,385
दिनांक 26.01.2013 को मिष्ठान कय	1,200

दिनांक 25.03.2013 को बजरपुर कय	31,920
दिनांक 25.03.2013 को बजरी कय	63,935
दिनांक 25.03.2013 को सीमेन्ट कय	8,000
दिनांक 25.03.2013 को स्टेशनरी	960
दिनांक 31.03.2013 को मानदेय	9,000

योग:- 1,27,800

इस आपत्ति के परिपालन में काल्पनिक (फर्जी) प्रमाणक तैयार कर प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(आपत्ति संख्या- 16)

प्रस्तर संख्या-3 खाता संख्या 95816 से निम्न विवरणार्थ राशि निकाली गई। 03.12.2012 को 50,000, दिनांक 12.03.2013 को 10,000, दिनांक 25.03.2013 को 1,09,000, दिनांक 25.03.2013 को ही 8,000 इन राशियों की प्राप्ति की प्रविष्टि कैश बुक में आय पक्ष पर नहीं दर्शायी गई जबकि व्यय पक्ष पर इस राशि के व्यय दर्शित है। इस स्थिति में किसी भी समय आर्थिक दुर्घटना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 13)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- ननूपुरा

विकास खण्ड:- हल्दौर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 दिनांक 11.06.2012 को सी0सी0 निर्माण की मजदूरी का भुगतान 12,255 दर्शाया गया है। जबकि मस्टर रोल पर दर्शित राशियों का योग 10,815 होता है। स्पष्ट है कि योग अधिक दर्शाकर भुगतान की गई राशि 10,815 से 1,440 अधिक भुगतान दर्शाकर राशि 1,440 का अपहरण किया गया है। इसकी वसूली प्रधान श्री ब्रह्मपाल सिंह से करते हुए, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ऋषिपाल सिंह के विरुद्ध विभागीय उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 12)

प्रस्तर संख्या-2 निम्न दर्शित व्ययों के भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक न होने की स्थिति में भुगतान अपुष्ट रहे हैं। भुगतानों की पुष्टि के अभाव में जांचोपरान्त राशि 11,800 प्रधान श्री ब्रह्मपाल सिंह से वसूली के साथ साथ श्री ऋषिपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय उचित कार्यवाही अपेक्षित है। इस आपत्ति के परिपालन में काल्पनिक प्रमाणक तैयार कर प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

1 दिनांक 13.09.2012 को गुलशन कम्प्यूटर को भुगतान	3,000
2 दिनांक 14.12.2012 को नल मरम्मत का व्यय	8,800
	11,800

(आपत्ति संख्या-)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- शाहनगर

विकास खण्ड:- हल्दौर

वर्ष:- 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 वर्ष 2011-12 में मजदूरी के केवल चार मस्टर रोल थे। इन पर दर्शित भुगतानित राशियों का कुल योग ₹0 1,31,600 होता है। इनमें से किसी पर भी किसी भी मजदूर का अ0नि0/ह0 धन प्राप्ति की पुष्टि में नहीं किया गया है। अतः भुगतान किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। पुष्टि के अभाव में जांचोपरान्त यह राशि प्रधान श्री इकरामुद्दीन से वसूल किया जाना एवं इस स्थिति में मस्टर रोल स्वीकार कर लेने के निमित्त श्री ऋषिपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही अपेक्षित है। इस आपत्ति के परिपालन में इस मस्टर रोल पर फर्जी रूप से नि0अ0/ह0 कर दिये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया सकता।

(आपत्ति संख्या- 16)

प्रस्तर संख्या-2 माह जुलाई 2012 का व्यय शून्य रहा है। परन्तु दिनांक 05.07.2012 को ₹0 2,000 एवं 21.07.2012 को 45,000 बैंक से निकाला गया है। स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान राशि को बैंक से निकाल कर निजी हित में प्रयोग किया गया है। इस प्रति प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 18)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- सुल्तानपुर आबाद

विकास खण्ड:- हल्दौर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम सभा में दर्शित किसी भी व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नहीं था। अतः दर्शित व्ययों को काल्पनिक कहा जाना गलत नहीं होगा।

कैश बुक में पारित प्रविष्टियों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक माह बैंक से निकाली निकाली गई राशि के सापेक्ष व्यय दर्शाकर उसे मासान्त पर शून्य किया जाना ही ग्राम पंचायत अधिकारी का लक्ष्य रहा है। वर्ष के प्रत्येक मासान्त पर तहवील शून्य रही है।

कैश बुक में पारित मस्टर रोल की प्रविष्टियों के समक्ष लेबर व्यय लिखा गया है। कैश बुक में भी किसी कराये गये कार्य का विवरण नहीं पाया गया। अतः यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि वास्तव में ग्राम सभा में कोई कार्य कराया भी गया है या नहीं।

अब इस प्रतिवेदन के परिपालन में यदि प्रमाणक प्रस्तुत किये जायेंगे तो वे काल्पनिक रूप से तैयार कर प्रस्तुत किये जायेंगे।

अतः स्पष्ट है कि दर्शित व्ययो के भुगतान अपुष्ट है। और भुगतानों की पुष्टि के अभाव में धनराशि प्रधान श्रीमती सविता से तथा श्री दीपक ग्राम पंचायत अधिकारी से जांचोपरान्त वसूल की जानी अपेक्षित है। कैश बुक में दर्शित व्ययो का विवरण निम्नवत है।

01.05.2012 को ईट क्रय	26,220
04.05.2012 को रोड़ी क्रय	7,031
16.05.2012 को सीमेन्ट क्रय	22,950
16.05.2012 को रेत आदि क्रय	14,570
30.05.2012 को लेबर भुगतान	22,540
30.05.2012 को नल मरम्मत	6,689

योग:—1,00,000

11.09.2012 को टेली मरम्मत	7,000
11.09.2012 को मिठाई	3,000
13.09.2012 को नल मरम्मत	10,000

योग:— 20,000

01.11.2012 को नल मरम्मत	2,680
07.11.2012 को ईट क्रय	4,350
07.11.2012 को सीमेन्ट क्रय	4,500
07.11.2012 को लेबर	1,150
07.11.2012 को कम्प्यूटर व्यय (देवेश कम्प्यूटर)	3,000

योग:—15,680

19.01.2013 को रोड़ी क्रय	10,000
19.01.2013 को ईट क्रय (डायमण्ड बिक्री उद्योग)	4,375
19.01.2013 को सीमेन्ट क्रय	21,000
19.01.2013 को रेत क्रय	5,950
19.01.2013 को बजरी क्रय	10,625
19.01.2013 को मिटी भराव	6,000
30.01.2013 को स्टेशनरी क्रय (विजय फोटो स्टेट)	1,550
31.01.2013 को लेबर भुगतान	9,000

योग:— 68,500

25.02.2013 को लेबर भुगतान	15,000

योग:— 15,000

कुल योग:— ₹0 2,19,180

(आपत्ति संख्या— 05)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— ताहरपुर मदद इमाम

विकास खण्ड:— हल्दौर

वर्ष:— 2012—13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर संख्या—1 आलोच्य वर्ष में दर्शित व्ययों में से किसी भी व्यय भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक नहीं था। अतः भुगतान अपुष्ट है। पुष्टि के अभाव में भुगतान दर्शित राशि प्रधान से जांचोपरान्त वसूल करते हुए। ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

25.04.2012 को ईंट क्रय	12,950
25.04.2012 को सीमेन्ट क्रय	4,500
25.04.2012 को रेत क्रय	2,800
30.04.2012 को रोड़ी क्रय	3,075
30.04.2012 को लेबर भुगतान	27,410
30.04.2012 को सीमेन्ट क्रय	6,000
30.04.2012 को रेत क्रय	3,200
30.04.2012 को ईंट क्रय	26,436
10.05.2012 को लेबर भुगतान	5,400
12.09.2012 को रोड़ी क्रय	6,675
12.09.2012 को ईंट क्रय	780
12.09.2012 को सीमेन्ट क्रय	18,000
12.09.2012 को बदरपुर क्रय	6,800
12.09.2012 को बजरी क्रय	9,350
12.09.2012 को लेबर भुगतान	15,000
13.12.2012 को लेबर भुगतान	10,400
14.01.2013 को रोड़ी क्रय	7,200
14.01.2013 को ईंट क्रय	3,319
14.01.2013 को सीमेन्ट क्रय	18,000
14.01.2013 रेत क्रय	5,950
14.01.2013 बजरी क्रय	9,010
24.01.2013 लेबर भुगतान	10,400
02.02.2013 को सीमेन्ट	4,500
02.02.2013 को रेत क्रय	1,700
02.02.2013 को बजरी क्रय	1,700
02.02.2013 को सरिया क्रय	3,500
02.02.2013 को ईंट क्रय	8,750
10.02.2013 को लेबर भुगतान	3,680

15.02.2013 को पंचायत घर पुताई 9,000
31.03.2013 को स्टेशनरी 3,515

योग:—2,49,000

इस आपत्ति के परिपालन में उक्त प्रमाणक काल्पनिक (फर्जी) तौर पर तैयार कर प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(आपत्ति संख्या— 10)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— बसन्तपुर

विकास खण्ड:— जलीलपुर

वर्ष:— 2011—12, 2012—13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न विधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 13,22,365 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समर पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011—12 6,32,560

वर्ष 2012—13 6,89,805

13,22,365

(आपत्ति संख्या— 2 ख)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— बहटौला

विकास खण्ड:— जलीलपुर

वर्ष:— 2011—12, 2012—13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य कम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अनितम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न विधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 8,00,525 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समर पाल तथा ग्राम प्रधान श्री इन्द्र देव से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011-12 5,16,350

वर्ष 2012-13 2,84,175

8,00,525

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद — बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- बैर खेडा

विकास खण्ड:- जलीलपुर वर्ष:- 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य कम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न विधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 5,41,659 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश तथा ग्राम प्रधान श्री राजेश से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011-12 2,54,190

वर्ष 2012-13 2,87,469

5,41,659

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद :- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- चौघेडी

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न विधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 1,83,600 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्णपाल तथा ग्राम प्रधान श्री ब्रिजेश से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- दरबड

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम

पंचायत की विभिन्न विधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 15,02,580 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समर पाल तथा ग्राम प्रधान श्री गजराज से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011-12 7,78,505

वर्ष 2012-13 7,24,075

15,02,580

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- दरबाडा

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2011-12,

2012-13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 9,80,011 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित-2 तथा ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011-12 4,36,596

वर्ष 2012-13 5,43,415

9,80,011

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- कमालपुर

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 4,62,677 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समर पाल तथा ग्राम प्रधान श्री सिफतुल से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011-12 3,13,855

वर्ष 2012-13 1,48,822

4,62,677

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- लतीफपुर चुखेडी

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम

पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 1,66,130 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्णपाल तथा ग्राम प्रधान श्री शिवचरन से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- मसीत

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियाँ निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 4,46,940 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहित तथा ग्राम प्रधान श्री अ० वाहिद से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- महबुल्लापुर

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार

प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 5,54,380 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समर पाल तथा ग्राम प्रधान श्री वजाहत हुसैन से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011-12 1,76,500

वर्ष 2012-13 3,77,880

5,54,380

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- महमूदपुर

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य कम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 3,26,005 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण पाल तथा ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— मिर्जापुर बेला

विकास खण्ड:— जलीलपुर वर्ष:— 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 11,72,602 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण पाल तथा ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।

जिसका वार्षिक विवरण निम्न प्रकार है।

2011-12	रु0 4,81,867
2012-13	रु0 6,90,735
योग:—	रु011,72,602

(आपत्ति संख्या— 2 ख)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— पीपली जट

विकास खण्ड:— जलीलपुर

वर्ष:— 2011-12

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 श्री अमित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल दिनांक 24.08.2011 से 31.03.2012 तक का राज्य वित्त की मद का कार्य विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है।

1— 24.08.2011 से 31.03.2012 तक खाते से आहरित धनराशि :—

रु0 6,61,000

2— उक्त अवधि में किये गये व्यय :—

रु० 1,35,291

3— दिनांक 31.03.2012 को नकद अवशेष :—

रु० 1,25,709

उक्त विवरण के अनुसार 31.03.2012 को रोकड शेष रु० 1,25,709 है। श्री अमित द्वारा उक्त अवधि की जो कैश बुक उपलब्ध करायी गई है। उसमें 31.03.2012 को रोकड शेष रु० 59 दर्शायी गई है। इस प्रकार कैश बुक रोकड रु० 1,25,650 कम दर्शाती है। माह मार्च 2012 का कैश बुक का व्यय पक्ष का योग रु. 1,26,670 के स्थान पर रु० 1,37,100 दर्शाया है। इस प्रकार व्यय पक्ष का योग रु० 10,430 अधिक दर्शाकर रोकड शेष का गबन किया है तथा रु० 1,15,220 फर्जी/अधिक व्यय दर्शाकर गबन किया है।

उक्त के सम्बन्ध में फीडिंग की कैश बुक पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है। फीडिंग की कैश बुक 31.03.2012 को रोकड शेष रु० 1,09,050 दर्शाती है। जबकि दिनांक 01.04.2014 की रोकड शेष शून्य दर्शायी गई है। इस प्रकार फीडिंग की कैश बुक से भी उक्त गबन की पुष्टि होती है। इस प्रकार रोकड शेष रु० 125650 का गबन किया गया है। जिसकी वसूली श्री अमित ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री जहीर ग्राम प्रधान से बराबर— बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या— 25)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— राजपुर परसू

विकास खण्ड:— जलीलपुर **वर्ष:—** 2011—12, 2012—13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 4,98,853 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समर पाल तथा ग्राम प्रधान श्री मदन से बराबर—बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011—12 2,14,853

वर्ष 2012—13 2,84,000

4,98,853

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- रवाना

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 7,96,070 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश तथा ग्राम प्रधान श्री कलवा से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011-12 4,69,565

वर्ष 2012-13 3,26,505

7,96,070

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- सकतलपुर मिलक

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 3,53,195 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समरपाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- शादीपुर

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 2,65,563 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समरपाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती यशोदा से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— सुन्दरा

विकास खण्ड:— जलीलपुर

वर्ष:— 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैंश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 10,14,959 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समर पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सूरज मुखी से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011-12 587754

वर्ष 2012-13 4,27,205

10,14,959

(आपत्ति संख्या— 2 ख)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— ठेठ

विकास खण्ड:— जलीलपुर

वर्ष:— 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम

पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 9,78,426 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री समर पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सोमती से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है। जिसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 2011-12 4,49,196

वर्ष 2012-13 5,29,230

9,78,426

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- थुरैला

विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2012-13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 2,78,206 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 2 ख)

जनपद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- कालाखेडी

विकास खण्ड:- कोतवाली

वर्ष:- 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 निम्नलिखित तिथियों में राज वित्त/तेरहवां वित्त की धनराशि अनावश्यक रूप से विज्ञापन पर व्यय दर्शाकर विकास कार्यों की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

17.04.2011	हिन्दी मासिक पत्रिका पुलिस एक्शन में विज्ञापन	1,100
06.05.2011	पत्रकारिता दिवस	1,100
14.08.2011	नगीन टाईस स्वतन्त्रता दिवस	500
		2,700

प्रकाशित विज्ञापन भी पुष्टि में उपलब्ध नहीं रहे। अतः इस धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 23)

प्रस्तर संख्या-2 राज वित्त/आठवां वित्त की धनराशि विद्यालयों में निम्नानुसार मिष्ठान वितरित कर विकास कार्यों के धन का दुरुपयोग किया गया है।

1	15.08.2011	40 कि०ग्रा० बून्दी दर 80 रु० प्रति	3,200
2	26.01.2012	47.50 कि०ग्रा० बून्दी दर 80 रु० प्रति	3,800
3	15.08.2012	25 कि०ग्रा० बून्दी दर 80 रु० प्रति	2,000
4	26.01.2013	25 कि०ग्रा० बून्दी दर 80 रु० प्रति	2,000
			11,000

अतः इस की वसूली प्रधान श्रीमती नीरज बाला एवं श्री सैनी ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 24)

प्रस्तर संख्या-3 राज्य वित्त/आठवां वित्त की राशि से विद्यालयों हेतु गैस सिलेण्डर क़य कर विकास की राशि की दुरुपयोग किया गया है।

1	21.05.2011	3,900	गैस सिलेण्डर प्रा०वि० काला खेडी
2	21.05.2011	3,900	गैस सिलेण्डर प्रा०वि० गांवडी
3	27.09.2011	3,900	गैस सिलेण्डर पू०मा० वि० काला खेडी
			11,700

गैस सिलेण्डर विद्यालयों में प्राप्त कराने की रसीद, विद्यालयों में पूर्व में गैस सिलेण्डर न होने का प्रमाण पत्र/ मांग पत्र उपलब्ध नहीं है। यह व्यय मध्यान्ह भोजन की मद से किया जाना चाहिये था। सिलेण्डर ग्राम पंचायत की स्टॉक बुक में दर्ज नहीं है। अतः दुरुपयोगित धन प्रधान

श्रीमति नीरज बाला एवं श्री जगराम सिंह सैनी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 25)

प्रस्तर संख्या— 4 दिनांक 10.07.2012 को युवक मंगल दल अध्यक्ष को रु0 2,000 नकद भुगतान वास्ते खेल कूद सामग्री क्रय करने हेतु दिया गया। भुगतान रसीद उपलब्ध नहीं है। इस धनराशि से युवक मंगल दल को खेल कूद का सामान क्रय कर देना था। नकद धन देकर धन का दुरुपयोग किया गया है। सामान क्रय करने की पुष्टि के अभाव में धन के सदुपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। भुगतान देने एवं सामान क्रय की पुष्टि कराई जाये अन्यथा यह धनराशि श्रीमति नीरज बाला प्रधान एवं श्री सैनी ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल की जाये।

(आपत्ति संख्या— 26)

प्रस्तर संख्या—5 दिनांक 01.03.2013 को कैश बूक में रु0 3,375 तालाब नीलामी से आय दर्शायी गयी है। पुष्टि में तालाब नीलामी की कार्यवाही एवं आय किस व्यक्ति से हुई स्पष्ट नहीं हुआ। नीलामी कार्यवाही प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

अतः जांचोपरान्त पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत श्रीमति नीरज बाला प्रधान एवं श्री जगराम सैनी ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 27,400 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 28)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— जसपुर

विकास खण्ड:— नजीबाबाद

वर्ष:— 2012-13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर संख्या—1 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा जांच पर प्रकाश में आया कि दिनांक 10.11.2012 को ग्राम पंचायत जसपुर के खाता संख्या 56,270 से चैक संख्या 6,09,934 द्वारा अंकन 3,110 की धनराशि श्री महावीर द्वारा आहरित की गई। परन्तु आहरित धनराशि को कैश बुक में न दर्शाकर धनराशि की अपहरण किया गया है। जिस प्रति श्री नीरज कुमार शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान पूर्ण से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली संयुक्त रूप से धनराशि की वसूली करते हुए समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 27)

प्रस्तर संख्या—2 लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित व्यय निम्न विवरणानुसार कैश बुक में दर्शाये गये हैं। परन्तु सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में कोई प्रमाणक जांच में प्रस्तुत नहीं किया। अतः सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणक जांच हेतु उपलब्ध कराये जावे। अन्यथा की स्थिति में धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला एवं प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक

प्रमाणक संख्या

धनराशि

व्यय का विवरण

2,19, व 20.04.2012 1,2,3

8,040

नल मरम्मत

01.05.2012	4	1,450	ठेली मरम्मत
02.05.2012	5 व 6	3,930	भागूवाले को भुगतान
02.05.2012	7	15,000	सामग्री पुलिया
09.05.2012	8	2,940	मस्टर रोल
09.05.2012	9	8,400	ईट कय
09.05.2012	10	1,46,120	सीमेन्ट, रेत व बजरी
		185880	

उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 28)

प्रस्तर संख्या— 3 जांच पर प्रकाश में आया कि दिनांक 21.09.2012 को चैक संख्या 609831 का चैक खाता संख्या 56270 से अंकन रु0 20,000 का आशीष ट्रेडर्स को काटा गया और फर्म द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया। किन्तु प्रधान द्वारा इस फर्म से कोई मैटेरियल कय नहीं किया गया। और ना ही उस फर्म से धनराशि की वसूली ही की गई। अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार शर्मा से संयुक्त रूप से करते हुए समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 29)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— रामपुर खास

विकास खण्ड:— नजीबाबाद

वर्ष:— 2012—13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 अलोच्य वर्ष जांच से प्रकाश में आया कि दिनांक 22.09.2012 को ग्राम पंचायत रामपुर खास के खाता संख्या 68188 से चैक संख्या 815453 द्वारा रु. 23,000 की धनराशि श्रीमति सुमन द्वारा आहरित की गई है। परन्तु आहरित धनराशि की कैश बुक के आय पक्ष में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिस प्रति श्री नीरज कुमार शर्मा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली संयुक्त रूप से धनराशि की वसूली सहित समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 28)

प्रस्तर संख्या—2 माह जुलाई 2012 को प्रधान द्वारा किया गया अधिक व्यय कैश बुक में रु0 76,911 दर्शाया गया है। आय से अधिक व्यय दर्शाना अनियमित रहा। अधिक व्यय की राशि कहां से प्राप्त हुई स्पष्ट नहीं। अतः अधिक व्यय का भुगतान दिनांक 21.09.2012 को चैक संख्या 815452 द्वारा अंकन 76,911 की धनराशि सुमन प्रधान द्वारा आहरित की गई है। जो गम्भीर रूप से आपत्ति जनक रही। इस प्रति ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीरज कुमार शर्मा व श्री अजय कुमार शुक्ला एवं प्रधान श्रीमति सुमन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जिस प्रति समुचित कार्यवाही करते हुए अपहरण की धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 29)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— सबलगढ़

विकास खण्ड:— नजीबाबाद

वर्ष:— 2011-12, 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 लेखा परीक्षा जांच पर पाया गया कि दिनांक 30.09.2011 को छात्रवृत्ति मद में अवशेष प्रधान पर नकद रु0 25,5220 थे। जिसे दिनांक 01.10.2011 को प्रारम्भिक अवशेष में नहीं दर्शाया गया है। और धनराशि को गत दिनांक 03.09.2011 को छोड़ दिया गया है। और नहीं धनराशि को खाता संख्या थर्ड 72490 में जमा किया गया और न ही धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापिस की गई है। अतः धनराशि का प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री वेद प्रकाश व श्री अजय कुमार शुक्ला ग्राम पंचायत अधिकारी व जितेन्द्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी (तत्कालीन) से संयुक्त रूप से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—2 आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा जांच पर पाया गया कि दौरान वर्ष खाता संख्या फर्स्ट 56261 से कुल आहरण दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक कुल 7,43,305 किया गया है तथा गत नकद शेष 9,026 था। इस प्रकार कुल धनराशि 7,52,331 विकास हेतु उपलब्ध थी। उक्त के सापेक्ष विकास पर व्यय 7,16,979 व छात्रवृत्ति पर व्यय 27,555 व प्रधान पर नकद अवशेष 7,797 शेष रही।

उक्त समीक्षा पर प्रकाश में आया कि अंकन रु0 27,513 की धनराशि विकास कार्य पर व्यय की जानी थी जिसे छात्रवृत्ति पर व्यय किया गया है। जिससे विकास कार्य प्रभावित रहे। जो गम्भीर रूप से आपत्ति जनक रही। अतः ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला (तत्कालीन) के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—3 दिनांक 07.04.2012 को खाता संख्या थर्ड 72490 से अंकन रु0 41,725 का आहरण छात्रवृत्ति वितरण हेतु किया गया। उक्त धनराशि में से मात्र अंकन रु0 22,950 की छात्रवृत्ति अप्रैल व मई 2012 में वितरित की गई। तथा शेष धनराशि रु. 18,775 रही जिसे विकास पर व्यय किया गया है। जबकि धनराशि को छात्रवृत्ति खाते में या सम्बन्धित विभाग को वापिस की जानी थी। जो नहीं की गई। अतः धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिस प्रति प्रधान श्री वेद प्रकाश व श्री अजय कुमार शुक्ला ग्राम पंचायत अधिकारी (तत्कालीन) के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— भटियाना खुशहालपुर

विकास खण्ड:— नहतौर **वर्ष:—** 2011-12 , 2012-13

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 वर्ष 2013-14 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाते (निधि-1) से धनराशि आहरित किया गया है जिनको कैश बुक में तत्कालीन तिथि में नहीं दर्शाया गया है।

30.03.2013 को श्री राजीव कुमार के द्वारा रु0 50,000

30.03.2013 को श्री महिपाल सिंह के द्वारा रु0 8,000

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0 50,000 स्वयं प्रधान द्वारा व रु0 8,000 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा बैंक से आहरित किया गया है। इस प्रकार कुल रु0 58,000 बैंक खाते से निकालकर तथा कैश बुक में न दर्शाकर प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली प्रधान श्री राजीव कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महिपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 10)

प्रस्तर संख्या—2 दिनांक 19.03.2013 को बैंक खाते (निधि—1) से रु0 8,000 का भुगतान श्री एस0 के0 चौधरी सीमेन्ट स्टोर्स फर्म के नाम किया गया है। परन्तु इस धनराशि को कैश बुक के आय पक्ष में अंकित नहीं किया गया है इस प्रकार बैंक खाते से धनराशि का आहरण कर लिया गया है। परन्तु इसे कैश बुक के आय—व्यय पक्ष में अंकित नहीं किया गया है। सीमेन्ट क्रय से सम्बन्धित विवरण भी व्यय पक्ष में अंकित नहीं है। अतः फर्म को रु0

8,000 देकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इसकी वसूली प्रधान श्री राजीव कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महिपाल से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 11)

जनपद:— बिजनौर

मण्डल:— मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:— मटौरा दरगाह

विकास खण्ड:— नहतौर

वर्ष:— 2010—11 से

2012—13

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:—

प्रस्तर संख्या—1 वर्ष 2010—11 में 4 हैण्ड पम्प की मरम्मत पर रु0 5,150 वर्ष 2011—12 में 7 हैण्ड पम्प की मरम्मत पर रु0 8,913 तथा वर्ष 2012—13 में 6 हैण्ड पम्प की मरम्मत पर कुल रु0 13,770 व्यय किया गया है। उल्लिखित वर्ष में विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत से सम्बन्धित कार्य कराया गया है। परन्तु सम्बन्धित वाउचर्स पर हैण्ड पम्प मरम्मत के स्थल का उल्लेख नहीं है। लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने कारण हैण्ड पम्प के मरम्मत से सम्बन्धित प्रस्ताव की भी जांच नहीं हो सकी। इन तथ्यों के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हैण्ड पम्प मरम्मत के नाम पर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जांचोपरान्त इसकी वसूली प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या— 16)

प्रस्तर संख्या—2 दिनांक 31.03.2011 को प्रधान के पास नकद अवशेष रु0 27,120 अंकित है। परन्तु जनवरी—2011 में कुल व्यय रु0 69,298 के स्थान पर रु0 62,998 अंकित हैं, इस प्रकार जनवरी—2011 का कुल व्यय रु0 6,300 कम अंकित है। जिसके कारण प्रधान के पास अन्तिम नकद अवशेष रु0 27,120 के स्थान पर रु0 20,820 होगा। वर्ष 2011—12 में कोष बही में दिनांक 01.04. 2011 को प्रधान के पास नकद प्रारम्भिक अवशेष शून्य अंकित है। इस प्रकार रु0 20,820 को अगले वर्ष की कोषबही में न दर्शा करके इसका अपहरण कर लिया गया है। अतः इसकी वसूली प्रधान श्री राम सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महिपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 17)

प्रस्तर संख्या-3 वर्ष 2012-13 की कोष बही में दिनांक 05.12.2012 की ठेली मरम्मत पर ₹0 5,000 का व्यय दर्शाया गया है। इससे सम्बन्धित वाउचर्स पर कोई विवरण अंकित नहीं हैं वाउचर्स पर मात्र ठेली मरम्मत अंकित है। जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ठेली मरम्मत हेतु कौन से पुर्जे क्रय किये गये हैं। तथा मरम्मत की मजदूरी किस मिस्त्री को और कितने रुपये दी गयी। इस प्रकार ठेली मरम्मत के नाम पर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 18)

जनपद:- बिजनौर**मण्डल:-** मुरादाबाद**ग्राम पंचायत:-** शेखपुरी चोहड**विकास खण्ड:-** जलीलपुर**वर्ष:-** 2011-12**ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-**

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु दो बार कार्य क्रम लगाया तथा चार बार पत्राचार किया गया। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 11.02.2014 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा खण्ड विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतियां निर्गत की गई किन्तु अभिलेख उपलब्ध ना कराने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 109 (क) तथा आडिट मैनुअल के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान का संयुक्त दायित्व है कि ग्राम पंचायत की विभिन्न निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के समस्त प्रमाणक एवं अभिलेखों को आडिट दल को उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं होने पर व्यय धनराशि को गबन मानते हुए वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान से किये जाने तथा ग्राम पंचायत को आगामी अनुदान राशि अवमुक्त नहीं किये जाने का प्राविधान है। अतः फीडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 2,43,279 प्रमाणको तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के अभाव में अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलावर सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती भाग्यवती से बराबर-बराबर भाग में कर ली जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 25)

जनपद- अम्बेडकरनगर**सम्भाग-फैजाबाद**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में सम्मिलित जनपद अम्बेडकरनगर की 72 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में अग्रलिखित अनियमितताएँ पायी गयीं। (आपत्तियों का संकलन अग्रलिखित वर्गीकृत आपत्तियों के आधार पर किया गया है, कुछ वर्गीकरण अंकित हैं किन्तु उनकी आपत्तियां शून्य हैं।)

1. निर्माण/मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल, माप-पुस्तिका (एम0बी0), कार्यपूति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में

- प्रस्तुत न किये जाने के कारण किया गया भुगतान अनियमित रहा, क्योंकि उपरोक्त के अभाव में कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) में दिये गये प्राविधानानुसार “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी”।
2. कय सामग्री का स्टॉक पंजिका में अंकन न कर धन/सामग्री का अपहरण किया गया।
 3. कय सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन न करके अनियमित कय कर धन का दुरुपयोग किया गया है।
 4. ग्राम निधि की धनराशि का निर्धारित सीमा से अधिक आहरण कर उसे अनियमित ढंग से रोक कर रखा गया तथा उसका उपयोग वर्षांत तक नहीं किया गया।
 5. बैंक से आहरित धनराशि का कैशबुक में अंकन नहीं करके आहरित धनराशि का अपहरण किया गया।
 6. कराये गये कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतानों की पुष्टि स्वरूप भुगतान प्राप्त कर्ता द्वारा प्राप्त रसीद न देने के कारण दर्शित व्यय फर्जी।
 7. अनुदान से प्राप्त धनराशि को अनावश्यक कार्यों में व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया।
 8. प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के कारण प्राप्त अनुदान का लाभ जनता को समय से प्राप्त नहीं हुआ।
 9. ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा ग्राम पंचायत कोषबही में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष दर्शित व्ययों का योग, वास्तविक योग से अधिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया।
 10. पंचायत कर की वसूली कोषबही में न दर्शाकर धन का अपहरण किया गया।
 11. ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप किये गये व्ययों एवं आय की पुष्टि नहीं हो सकी। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) में दिये गये प्राविधानानुसार “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी”। उपरोक्त स्थितियों में व्यय दर्शित सम्पूर्ण धनराशि को गबन माना जाता है।
 12. ग्राम पंचायत द्वारा बैंक लेखा का सुधार करते हुए व्यय पक्ष में बैंक में धनराशि जमा दर्शाते हुए रोकड बही से रोकड खारिज कर अपहरण किया गया।
 13. अपंजीकृत फर्मों से सामग्री कय करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा विक्रेता फर्म से व्यापार कर तथा आय कर की कटौती नियमानुसार न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।
 14. ग्राम पंचायत के कोषबही के आय पक्ष का योग वास्तविक योग से कम दर्शाकर रोकड शेष का अपहरण किया गया।

15. मजदूरी का भुगतान कार्य हेतु सामग्री की अनुपलब्धता के बावजूद भी किया गया ।
16. मनरेगा की गाइड लाइन्स के अनुसार निर्धारित अनुपात श्रम एवं सामग्री (60:40) का उल्लंघन किया गया।
17. ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बैंक से धन आहरित कर मनरेगा की रोकड बही में दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख जांच में प्रस्तुत नहीं किये गये, फलस्वरूप दर्शित व्यय अपहरण है।
18. मनरेगा/नरेगा मद के अन्तर्गत क्रय/उपभोग सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में अंकन नहीं किया गया फलस्वरूप क्रय सामग्री फर्जी है।
19. मनरेगा/नरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का व्यय कम/अधिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया।
20. मनरेगा/नरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक खाते से न कर नकद भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया।
21. अप्रयुक्त अनुदान, वित्तीय सहायता दाता को वापस नहीं किया गया।
22. एम0डी0एम0 योजना के अन्तर्गत कनवर्जन कास्ट का भुगतान बिना प्रमाणक के करना तथा व्यय की पुष्टि में छात्र उपस्थित सूची/विवरण प्रस्तुत न करने के कारण दर्शित व्यय अनियमित रहा। आदि।

अपहरण/अनियमितता में सन्निहित कुल धनराशि—98040072.00

निम्न प्रकरणों में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धीत धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र०	ग्राम पंचायत/ब्लाक	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण व आपत्ति संख्या	सन्निहित धनराशि
1	2	3	4
1	ककरापार/जहंगीरगंज (2006-07 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ-3...) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग-1...) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	1468000.00 422133.00 1890133.00
2	देवरियालाला/जहांगीरगंज (2006-07 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ- 3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग-3..) (आ0सं0 .1....से आ0सं0..2...तक का योग)	1446000.00 303484.00 1749484.00
3	धारूपुर/जहांगीरगंज (2009-10 से	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ- 3...) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय	1534000.00 1196533.00

	2012-13)	प्रमाणक प्रस्तुत न करना।(आ0सं0-ग-1...) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	2730533.00
4	जहांगीरगंज / जहांगीरगंज (2006-07 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-घ -4..5.) 2. ग्राम निधि खाते से वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-ग- 18...) 3. छात्रवृत्ति खाते स वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-ग- 1...) (आ0सं0 .1....से आ0सं0..3...तक का योग)	सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 4038090.00 4774820.00 8812910.00
5	हरदीहा जलाल/जहांगी रगंज (2006-07 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0- घ.4..5) 2. ग्राम निधि खाते से वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-.ग 18..) 3. छात्रवृत्ति खाते स वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण/अभिलेख	सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 1084590.00 343440.00

		प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-..1.) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...3..तक का योग)	1428030.00
6	विशुनपुर वजदहा/जहांगीरगंज (2006-07 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-घ.4..5) 2. ग्राम निधि खाते से वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-.. ग 18..) 3. छात्रवृत्ति खाते से वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-.. घ.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...3...तक का योग)	सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 1417390.00 296506.00 1713896.00
7	श्यामपुर अलरूपुर/जहांगीरगंज (2006-07 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-घ.4..5...) 2. ग्राम निधि खाते से वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के आहरण/व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-..ग.18.)	सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 1036372.00

		(आ0सं0 .1....से आ0सं0...2...तक का योग)	1036372.00
8	इटरौरा ढोलीपुर / जहां गीरगंज (2006-07 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ.3.) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...2...तक का योग)	1118000.00 511479.00 1629479.00
9	मालपुर माधोपुर / जहांगीर गंज (2009-10 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ. 3.) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...2...तक का योग)	2197000.00 947775.00 3144775.00
10	विशुनपुर बनकटा / जहांग ीरगंज (2009-10 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ..3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग..1) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...2...तक का योग)	2238000.00 1577559.00 3815559.00
11	तरौना बांसगांव / जहां गीरगंज (2009-10 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ..3..) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0- ग..1.) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...2...तक का योग)	1584000.00 1465151.00 3049151.00
12	फरीदपुर हठेरिया / जहांग ीरगंज (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ..3...) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग..1.) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...2...तक का योग)	770524.00 233626.00 1004150.00
13	भभौरा / जहांगी रगंज (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ..3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग..1) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...2...तक का योग)	1791000.00 1204606.00 2995606.00
14	बैरी बुजुर्ग / जहांगीर	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ..3..)	2352000.00

	गंज (2012-13)	2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	864583.00 3216583.00
15	कम्हरिया/जहां गीरगंज (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	933000.00 733066.00 1666066.00
16	इटौरीबुजर्ग/ज हांगीरगंज (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ. 3.) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1....से आ0सं0..2...तक का योग)	2240000.00 488513.00 2728513.00
17	जगदीशपुर कादीपुर /जहांगीरगंज (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0- घ.3.) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...2..तक का योग)	1806000.00 487835.00 2293835.00
18	नूरपुरकला/ भियांव(2012-1 3)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-..घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	716000.00 886365.00 1602365.00
19	कन्नूपुर/ जलालपुर (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ. 3.) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-ग.1.) 3. ले0पं0 में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर प्रस्तुत न करना (आ0सं0-ख.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..3...तक का योग)	1848967.00 1822284.00 707180.00 4378431.00
20	ताहापुर /जलालपुर (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना (राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त) (आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1....से आ0सं0..2...तक का योग)	236830.00 512785.00 749615.00
21	सुलतानपुर	1. राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के अन्तर्गत दर्शिता व्यय के	378780.00

	गोइथा / जलालपुर (2012-13)	सापेक्ष व्यय प्रमाणक व अन्य पुष्टिपरक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करके अपहरण करना। (आ0सं0-..10.)	
22	डीहभियांव/ जलालपुर	1. ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) से दर्शिता व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण करना (आ0सं0-..ग.1)	521000.00
23	मछलीगाँव/ जलालपुर (2012-13)	1. आहरित धनराशि को कैशबुक में अंकित न कर कैश अपहरण करना व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-10...)	38875.00
		2. मनरेगा योजनान्तर्गत आहरित धनराशि को व्यय पत्र में विवरण व्यय विवरणहीन दर्शाना व व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-..11..)	73000.00
		3. श्रमांश का धन नकद आहरण कर बोर्ड क्रय करना, दर्शाना व व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-..12.)	3000.00
		4. राज्य वित्त/तेरहवें वित्त योजनान्तर्गत धन को काल्पनिक/फर्जी रूप से सी0 ए0 को देकर, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर।	32000.00
		5. राज्य वित्त/तेरहवें वित्त योजनान्तर्गत व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-..13..)	328794.00
		(आ0सं0 ..1...से आ0सं0...4...तक का योग)	475669.00
24	हाजीपुर/ जलालपुर (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-..घ.3.)	321629.00
		2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-..ग.1.)	475250.00
		(आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	796879.00
25	सैरपुर उमरन/ जलालपुर (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-..घ..3)	499030.00
		2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना (राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त) (आ0सं0-..ग.1.)	555828.00
		(आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	1054858.00
26	बड़ागाँव/ जलालपुर (2012-13)	1. राज्य वित्त/तेरहवें वित्त के अन्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति आदि सूचनाएं प्रस्तुत न करके अपहरण करना। (आ0सं0-11.)	1850476.00
27	भगवानपुर मंझरिया/ रामनगर	1. छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित न कर एवं जमा/वापसी न कर अपहरण किया जाना। (आ0सं0-घ. 2..)	2940.00

	(2007-08 से 2012-13)		
28	न्योरी /रामनगर (2011-12 से 2012-13)	1. छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित न कर एवं जमा/वापसी न कर अपहरण किया जाना। (आ0सं0-घ.2)	25440.00
29	हुसैनपुर खुर्द /रामनगर (2011-12 से 2012-13)	1. छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित न कर एवं जमा/वापसी न कर अपहरण किया जाना। (आ0सं0-ग.1)	41750.00
30	लखमीपुर /रामनगर (2011-12 से 2012-13)	1. मनरेगा से संबंधित अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत कर (आ0सं0-घ.1) 2. ग्रा0नि0 I एवं II से आहरित धनराशि की पुष्टि में कोशबही एवं व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत करके (आ0सं0-ख.2. ग 9) 3. MDM से आहरित धनराशि की पुष्टि में कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत करके (आ0सं0-ग.3) 4. ग्रा0नि0 III से आहरित धनराशि की पुष्टि में कैशबुक, छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर नहीं प्रस्तुत करके (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...4..तक का योग)	1292346.00 889761.00 286066.00 292020.00 2760193.00
31	कबहीं अंजनपुर /रामनगर (2011-12 से 2012-13)	1. मनरेगा से संबंधित अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत कर (आ0सं0-घ.8.) 2. ग्रा0नि0 I से आहरित धनराशि की पुष्टि में कोशबही एवं व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत करके (आ0सं0-ग.9.) 3. ग्रा0नि0 III से आहरित धनराशि की पुष्टि में कैशबुक, छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर नहीं प्रस्तुत करके (आ0सं0-ग.1.) 4. MDM से आहरित धनराशि की पुष्टि में कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत करके (आ0सं0-2 ग.3..)	931615.00 1411311.00 49650.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही

		5. J.R.Y. से आहरित धनराशि की पुष्टि में कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत करके (आ0सं0-2 ग 3.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...5...तक का योग)	सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 2392576.00
32	अन्नापुर / रामनगर (2011-12 से 2012-13)	1. कैशबुक में कम धनराशि प्रविष्टि कर अपहरण करना (आ0सं0-ख.ग.1)	5000.00
33	घाघूपुर / कटेहरी (2011-12 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ 3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ...1..से आ0सं0...2...तक का योग)	140370.00 300869.00 441239.00
34	कोड़रा / कटेहरी (2011-12 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...2...तक का योग)	287150.00 1316345.00 1603495.00
35	यरकी / कटेहरी (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ 3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग..1.) (आ0सं0 ..1....से आ0सं0...2...तक का योग)	575050.00 995900.00 1570950.00
36	रघुनाथपुर / कटेहरी (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ 3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1..) (आ0सं0 ...1..से आ0सं0...2...तक का योग)	519100.00 360399.00 879499.00
37	रानीपुरमोहन / कटेहरी (2011-12 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...2...तक का योग)	626104.00 579215.00 1205319.00
38	तिवारीपुर / कटेहरी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3)	41625.00

	(2011-12 से 2012-13)	2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1..) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	976000.00 1017625.00
39	बैजपुर/कटेहरी (2011-12 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	465420.00 568922.00 1034342.00
40	आदमपुर तिन्दौली/ कटेहरी (2011-12 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	468889.00 1121275.00 1590164.00
41	औरंगनगर/ कटेहरी (2011-12 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	119985.00 1473930.00 1593915.00
42	अनावँ /कटेहरी (2011-12 से 2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	412833.00 524834.00 937667.00
43	करीमनगर/ भियांव	1. मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना (आ0सं0-23...) 2. ग्राम निधि योजनान्तर्गत व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना (आ0सं0-20..) 3. रा0वि0 योजनान्तर्गत व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना (आ0सं0-21..) 4. छात्रवृत्ति व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना (आ0सं0-22.) (आ0सं0 .1....से आ0सं0..4...तक का योग)	51060.00 188000.00 596000.00 208854.00 1043914.00
44	महमदपुर ओदरपुर/	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3)	95360.00

	भियांव (2012-13)	2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	199258.00 294618.00
45	मलिकपुर / टाण्डा (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	243000.00 342000.00 585000.00
46	महुआरी / टाण्डा (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	246000.00 163994.00 409994.00
47	आसोपुर / टाण्डा (2012-13)	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-घ.3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना (आ0सं0-ग.1.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	375000.00 453800.00 828800.00

48	दाउदपुर / अकबरपुर	1. फर्जी ट्राली मिट्टी व्यय दर्शाकर रा0वि0 / 13वें वित्त व्यय का अपहरण (आ0सं0-..3.) 2. आधारहीन / फर्जी व्यय नाला सफाई दर्शाकर रा0वि0 / 13वें वित्त की धनराशि का अपहरण (आ0सं0-..4..) 3. आधारहीन ईट क्रय / म0रो0 व्यय दर्शाकर रा0वि0 / 13वें वित्त के धन का अपहरण (आ0सं0-..5.) 4. अनियमित / आधारहीन हैण्डपम्प लगाने का सन्दर्भ देकर रा0वि0 / 13वें वित्त के धन का अपहरण (आ0सं0-..6.) 5. अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-..7..) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...5...तक का योग)	40000.00 49920.00 218400.00 10000.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 318320.00
49	यहिया	1. आधारहीन / फर्जी ईट क्रय दर्शाकर अपहरण (आ0सं0-..2..) 2. ट्राली द्वारा मिट्टी पटाई दर्शाकर आधारहीन लेखा दर्ज कर	46800.00 31200.00

	कमालपुर / अकबरपुर	अपहरण (आ0सं0-3..) 3. पूर्ण अभिलेख/मनरेगा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-1.2.3.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..3...तक का योग)	सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 78000.00
50	पीरपुर/अ कबरपुर	1. ईट क्रय दर्शाकर रा0वि0 की धनराशि का अपहरण(आ0सं0-3..) 2. वि0मै0 सीमेण्ट/बालू क्रय दर्शाकर रा0वि0 की धनराशि का अपहरण(आ0सं0-4..) 3. छात्रवृत्ति धनराशि को सतत हप्तो रोककर अपहरण, चार्ज न देना(आ0सं0-5.) 4. अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-7.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..4...तक का योग)	290000.00 10700.00 1080.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 301780.00
51	बेलउहा बरियारपुर / अकबरपुर	1. आधारहीन/अपुष्ट/लाइट (फर्जी) क्रय दर्शाकर रा0वि0/13वें वित्त राशि का अपहरण(आ0सं0-2.) 2. आधारहीन/फर्जी पाइप दर्शाकर रा0वि0/13वें वित्त राशि का अपहरण(आ0सं0-3.) 3. आहरण कर कैशबुक में लेखा न दर्शाकर 13वें वित्त राशि का अपहरण(आ0सं0-4.) 4. रा0वि0/म0यो0 के अभिलेख तैयार न करना/विवरण प्रस्तुत न करना(आ0सं0-5.) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..5...तक का योग)	135500.00 79800.00 18550 सन्निहित धनराशिकी सूचना अनुपलब्ध रही 233850.00
52	सुल्हनतारा / अकबरपुर	1. 13वें/रा0वि0 मद से आधारहीन/फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण की स्थिति(आ0सं0-2..) 2. मनरेगा मद के अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-1.2.3.4) 3. अभिलेख तैयार न करना एवं अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-...) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..3...तक का योग)	198330.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही सन्निहित धनराशिकी सूचना अनुपलब्ध रही 198330.00

53	सुलतानपुर तुलसीपुर/ अकबरपुर	1. आधारहीन/फर्जी लाइट क्रय एवं मरम्मत दर्शाकर धनराशि का अपहरण(आ0सं0-5..) 2. गैर अनुमोदित/आधारहीन/अपुष्ट ट्राली मिट्टी पर व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण(आ0सं0-6..) 3. पूर्व वर्षों व 10-11 तक के अभिलेख तैयार न करना एवं अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-3.4.5.6.7.8) (आ0सं0 .1....से आ0सं0..3...तक का योग)	59050.00 12000.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 71050.00
54	सुलतानपुर / अकबरपुर	1. फर्जी ईट क्रय, निर्माण क्रय है0प0 मरम्मत व्यय दर्शाया जाना आधारहीन, अपुष्ट व नकद क्रय की स्थिति के अन्तर्गत अपहरण(आ0सं0-..7.) 2. छात्रवृत्ति की धनराशि निजी हित में रोका गया तथा जमा नहीं किया गया(आ0सं0-..2..) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...2...तक का योग)	69400.00 4500.00 73900.00
55	अमरतल/ अकबरपुर	1. ट्राली मिट्टी में आधारहीन/फर्जी अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया जाना(आ0सं0-..4..) 2. छात्रवृत्ति की राशि हस्तगत रखा जाना तथा सतत निजी हित में रोक कर धनराशि का अपहरण(आ0सं0-5) 3. श्री परशूराम ग्रा0पं0अधि0 द्वारा अपने कार्य अवधि का अभिलेख तैयार न करना एवं अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-6) (आ0सं0 .1....से आ0सं0..3...तक का योग)	34200.00 13440.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 47640.00
56	रुकुनुद्दीन पुर/ अकबरपुर	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना(आ0सं0-घ.3..) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना(आ0सं0-ग..1.) 3. पूर्व अभिलेख 10-11 से 11-12 तैयार न करना व प्रस्तुत न करना एवं अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-घ.3..ग 1)	433000.00 91840.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही

		(आ0सं0 ..1...से आ0सं0..3...तक का योग)	524840.00
57	नैली / अकबरपुर	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना(आ0सं0-ख..घ.) 2. ग्राम निधि प्रथम 13वाँ से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। कैशबुक लेखा शून्य होना(आ0सं0-ग..) 3. पूर्व अभिलेख तैयार न होना। विवरण 4/2010 से 04.10.2010 तक अप्राप्त। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-..4.) (आ0सं0 से आ0सं0.....तक का योग)	273000.00 890529.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 1163529.00
58	बूढ़नपुर / अकबरपुर	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना(आ0सं0-घ.3.) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना(आ0सं0-ग..1) 3. पूर्व अभिलेखों का उपलब्ध न होना, अपुष्ट रहना, अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-5..) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...3...तक का योग)	724315.00 103000.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 827315.00
59	दरगाहशाह रमजान / अकबरपुर	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। (आ0सं0-घ..3.) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। अभि0 प्रस्तुत न होना। तैयार न करके स्थिति व्यय की आधारहीन स्थिति। फलतः अपहरण।(आ0सं0-ग..1) 3. वर्ष 2010-11 के अभिलेख/आंकड़ें न प्रस्तुत करना। अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-..ग 1.) (आ0सं0 .1....से आ0सं0..3...तक का योग)	50000.00 442913.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 492913.00

60	संजरपुर/ अकबरपुर	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना(आ0सं0-घ.3.) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना(आ0सं0-ग.1) 3. पूर्व अभिलेख व चालू वर्ष 12-13 के अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-घ.3. ग 1) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...3..तक का योग)	99000.00 127000.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 226000.00
61	सुबारपुर/ अकबरपुर	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। अभि0 उपलब्ध न होना। अपहरण(आ0सं0-घ .3.) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। अभि0 अनुपालन। 13वाँ वित्त अपहरण वर्ष 2010-11, 2011-12 के आंकड़े। अभि0(आ0सं0-ग.1) 3. अपूर्ण/अप्राप्त/तैयार न करने एवं अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-4.5. 6) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...3..तक का योग)	893000.00 988760.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 1881760.00
62	खानपुर शाह सुलेमपुर/ अकबरपुर	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना(आ0सं0-घ 3) 2. ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण करना(आ0सं0-ग 3) 3. पूर्व अभि0 नदारद/2010-11 से 2012-13 के;अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-4..5.) (आ0सं0 .1....से आ0सं0..3..तक का योग)	358000.00 568000.00 सन्निहित धनराशि की सूचना अनुपलब्ध रही 926000.00
63	कुर्की महमूदपुर/	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना।(आ0सं0-5...)	324000.00

	अकबरपुर	2. आधारहीन/फर्जी ईट क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण(आ0सं0-..6.) 3. आधारहीन/फर्जी ह्यूम पाइप क्रय (आ0सं0-..7..) 4. आधारहीन फर्जी व्यय मृत स्कंध/ स्टाक लेखा रहित/अपुष्ट रखना(आ0सं0-..8..) (आ0सं0 .1....से आ0सं0...4..तक का योग)	58100.00 32170.00 11300.00 425570.00
64	परियार्ये/भीटी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-घ. 3..) 2. ग्राम निधि प्रथम/13वें वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-..ग..1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	1010000.00 964770.00 1974770.00
65	मदार भारी/भीटी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-घ..3) 2. ग्राम निधि प्रथम/13वें वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-..ग..1) (आ0सं0 .1....से आ0सं0..2...तक का योग)	1221000.00 955165.00 2176165.00
66	रनीवा कर्माजीत/भीटी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-घ..3.) 2. ग्राम निधि प्रथम/13वें वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-..ग..1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	1149000.00 653075.00 1802075.00
67	धामापट्टी/भीटी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-घ..3.) 2. ग्राम निधि प्रथम/13वें वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-..ग..1) (आ0सं0 .1....से आ0सं0..2...तक का योग)	815000.00 1189765.00 2004765.00
68	चतुरीपट्टी/भीटी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-घ..3.) 2. ग्राम निधि प्रथम/13वें वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-..ग..1) (आ0सं0 1 से आ0सं0...2..तक का योग)	867000.00 420394.00 1287394.00

69	आमी/भीटी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-घ.3.) 2. ग्राम निधि प्रथम/13वें वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0..2...तक का योग)	545000.00 224450.00 769450.00
70	बीबीपुर सिटकहवा /भीटी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-घ.3.) 2. ग्राम निधि प्रथम/13वें वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...2...तक का योग)	445000.00 698833.00 1143833.00
71	चाचिकपुर /भीटी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-घ.3.) 2. ग्राम निधि प्रथम/13वें वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1....से आ0सं0..2...तक का योग)	382000.00 395050.00 777050.00
72	दुल्लापुर/ भीटी	1. मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-घ.3.) 2. ग्राम निधि प्रथम/13वें वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण(आ0सं0-ग.1) (आ0सं0 ..1...से आ0सं0...2...तक का योग)	816000.00 520185.00 1336185.00

अपहरण/अनियमितता में सन्निहित कुल धनराशि—11081460.00

निम्न प्रकरणों में उत्तरदायी अधिकारियों / कर्मचारियों से सम्बन्धीत धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्रम सं०	ग्राम पंचायत/ब्लाक	आपत्ति का विवरण/आपत्ति संख्या	सन्निहित धनराशि
1	2	3	4

1	सगौरा सैदखानपुर / सिद्धौर	प्रधान द्वारा ग्राम निधि। खाते से धनराशि आहरित कर वर्ष पर्यन्त अपने पास नकद अवशेष के रूप में अनियमित रूप से रोक कर रखा गया धन का दुरुपयोग किया गया। (आ0सं0-2)	5000
2	हाजीपुर श्याम नगर / सिद्धौर	प्रधान द्वारा ग्राम निधि। खाते से धनराशि आहरित कर वर्ष पर्यन्त अपने पास नकद अवशेष के रूप में अनियमित रूप से रोक कर रखा गया वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-2)	20000
3	देवकली / सिद्धौर	प्रधान द्वारा ग्राम निधि। खाते से धनराशि आहरित कर वर्ष पर्यन्त अपने पास नकद अवशेष के रूप में अनियमित रूप से रोक कर रखा गया वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-2)	21500
4	ब्रम्हौरालोदी / सिद्धौर	सामग्री क्रय रसीदों का नकद भुगतान किया जाना दर्शित है जबकि धनराशि बैंक से बाद में आहरित की गयी है। नकद धनराशि के अभाव में दर्शित व्यय संदिग्ध एवं फर्जी वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-2)	116059
5	छतौनी / सिद्धौर	बिना टेण्डर / कोटेशन के ईटों की खरीद एवं उनका नकद भुगतान करना तथा क्रय किये गए सामानों की रसीदों का निर्गमन की तिथि एवं क्रमांक नियमानुसार न होने के आधार पर फर्जी व्यय वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-2)	51280
6	कोपवा / सिद्धौर	क्रय किये गए सामानों की रसीदों का निर्गमन की तिथि एवं क्रमांक नियमानुसार न होने के आधार पर फर्जी व्यय वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-2)	164510
7	बन्दगीनगर / निन्दूरा	1-हैण्डपम्प मरम्मत का अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0सं0-6)	36020
		2-खडण्जा मरम्मत का अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0सं0-7)	80083
		3-तालाब में पानी भराई का अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0सं0-8)	9000
8	रामनगर / त्रिवेदीगंज	(आ0सं0 2 से 4 तक का योग)	125103
		1-राज्य वित्त अनुदान कृत कार्यों में फर्जी प्रमाणक एवं फर्जी मस्टर रोल के अनुसार अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0सं0 17)	487100
		2-निर्माण कार्य में नकद ईट क्रय का फर्जी कैश में वाउचर संलग्न कर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0सं0 18)	147325
		3-निर्माण सामग्री के फर्जी कैशमेंनों के आधार पर ट्रेडर्स को अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0सं0 19)	97615
		4-तेरहवां वित्त के अन्तर्गत कार्य में अवास्तविक व्यय का प्रमाणक / मस्टर रोल तैयार कर धनराशि का अपहरण किया गया। (आ0सं0 20)	40325
		5-ह्यूम पाइप क्रय एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय प्रमाणकों के अनुसार कार्य की पुष्टि के अभाव में धनराशि का दुरुपयोग किया गया। (आ0सं0 21)	214248
		6-मनरेगा कार्य (वर्ष 2012-13) अन्तर्गत, खेत समतलीकरण, श्रमांश का व्यय दर्शित है जो किसान के सन्तुष्टि प्रमाण पत्र के अभाव में एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होने के कारण किया गया व्यय अनियमित रहा। (आ0सं0 22)	29750
9	कांप फतेह	(आ0सं0 17 से 22 तक का योग)	1016363
			23400

10	उल्लापुर/रामनगर	1-ग्राम निधि। में दो भिन्न जगहों पर निर्माण सामग्री खरीद के वाउचरों पर समान बुक नं० एवं समान कैश रसीद क्रय संख्या अंकित है जबकि बिक्रेता सप्लायर एक ही है। वाउचर फर्जी लगाकर धन का अपहरण। (आ०सं० 02)	16765
	बिलखिया/रामनगर	2-ग्राम निधि। में ग्राम पंचायत के विभिन्न जगहों पर खडण्जा मरम्मत पर मानकों से ज्यादा ईंट प्रयुक्त दर्शित कर धन का अपहरण। (आ०सं० 03) 3-मनरेगा खातों से धनराशि आहरित किन्तु न तो मनरेगा की कैशबुक बनायी गयी और न ही कोई वाउचर व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा उपलब्ध रहे। वाउचर विहीन व्यय धन का अपहरण। (आ०सं० 04) (आ०सं० 02 से 04 तक का योग)	283347 323512
11	दुर्जन पुर/सिरौली गौसपुर	1- ग्राम निधि। में सोडियम लाइट की भारी खरीद हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। (आ०सं०-2) 2- ग्राम निधि। में दो भिन्न जगहों पर निर्माण सामग्री खरीद के बिल वाउचरों पर समान बुक नं० एवं समान क्रम संख्या अंकित है। जबकि विक्रेता/सप्लायर एक ही है। फर्जी वाउचर संलग्न कर धन का अपहरण। (आ०सं०-3) 3- ग्राम निधि। में खडण्जा मरम्मत कार्य में मानक से ज्यादा ईंट प्रयुक्त कर धन का अपहरण (आ०सं०-4) (आ०सं० 02 से 04 तक का योग)	217750 51000 7696 276446
		1-ग्राम निधि में शौचालय अनुदान की धनराशि के आहरण के विरुद्ध दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/प्रमाणक एवं लाभार्थियों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। धनराशि का अपहरण किया गया। (आ०सं०-2) 2-नाली निर्माण में अवास्तविक मजदूरी दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। (आ०सं०-3) 3-ह्यूम पाइप क्रय अवास्तविक दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। (आ०सं०-4) (आ०सं० 02 से 04 तक का योग)	24400 7000 18000 49400
12	डमौरा/मसौली		795878
13	चन्दवारा/मसौली	कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ०सं०-2)	966313
14	धरौली/मसौली	कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ०सं०-2)	262419
15	सेमरी/मसौली	ग्राम पंचायत कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ०सं०-2)	113481
16	करन्द/मसौली	ग्राम निधि कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ०सं०-2)	532310
17	बडागाँव/मसौली	ग्राम निधि कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ०सं०-2)	962944

18	सरवां/फतेहपुर	ग्राम निधि कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-2)	10000
19	गोरपुर/बनीकोडर	नियमों के प्रतिकूल मिष्ठान वितरण पर व्यय दर्शित कर अनुदान धनराशि का अपव्यय किया गया है। धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-02)	715780
20	भवनियापुर/बनीकोडर	ग्राम निधि कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-2)	715328
21	चौरी अलादादपुर/बनीकोडर	ग्राम निधि कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-2)	670642
22	धरौली/बनीकोडर	ग्राम निधि कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-2)	1199732
23	मुस्तफाबाद/हैदरगढ़	ग्राम निधि कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-2)	597070
24	केसरूआ/देवाँ	ग्राम निधि कोषबही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। यह प्रमाणक विहीन व्यय है। धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-2)	61375
25	छेदानगर/बंकी	1-मनरेगा में बिना एम0बी0 के निर्माण कार्य पर अवास्तविक भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-2)	130040
		2- ग्राम निधि में बिना वाउचर/प्रमाणक के अवास्तविक भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-03)	191415
		(आ0सं0 02 एवं 03 तक का योग)	25000
26	चचेरूवा/बंकी	1-ग्राम प्रधान को दिये गये अग्रिम के समायोजन बिल न देकर धनराशि का अपहरण किया गया। (आ0सं0-2)	91000
		2-सोडियम लाइट एवं फिटिंग न्यूनतम बाजार दर प्राप्त करने के उद्देश्य से निविदाएँ/कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पुष्टिकृत नहीं रहा, प्रस्तुत प्रमाणक व्युत्क्रम में पाये गये। किया गया भुगतान अनियमित रहा। (आ0सं0-3)	116000
		(आ0सं0 02 एवं 03 तक का योग)	172245
		1-अवास्तविक एवं अहस्ताक्षरित एवं बिना अंगूठा निशानी के तैयार मस्टर रोल के आधार पर अवास्तविक व्यय दर्शित किया गया है जिसकी वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-2)	60000
		2-मरम्मत मद में दर्शित व्यय रु0 60000.00 की पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना, व्यय अनुमान, बजट एवं कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण दर्शित व्यय अनियमित रहा। (आ0सं0-3)	38925

27	मिटौरा लखन/सिद्धौर	3- मिट्टी ढुलाई की व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये अतः दर्शित व्यय अवास्तविक है, जिसकी वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-4) 4- कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। (आ0सं0-5) (आ0सं0 02 एवं 04 तक का योग)	315220 586390
28	जियनपुर/सिद्धौर	1- दो मस्टर रोलों में समान श्रमिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आपत्ति सं0-2) 2- दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं अतः वसूली अपेक्षित है। (आ0सं0-3) (आ0सं0 02 एवं 03 तक का योग)	11375 163260 174635
29	शेषपुर जाहिद अली /सिद्धौर	1-ईट क्रय से पूर्व ही खडण्जा निर्माण/उच्चीकरण पर मजदूरी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-2)	72190
30	कुतरीखुर्द/निन्दूरा	1- व्यय प्रमाणक पर प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। वसूली अपेक्षित है। 2- बिना टेण्डर/कोटेशन के ईंटों की खरीद दर्शायी गयी है, अधिकांश भुगतान नकद किए गए हैं तथा मनमाने दर पर ईट क्रय करना दर्शाया गया है। क्षति पूर्ति अपेक्षित है। (आ0सं03) (आ0सं0 02 एवं 03 तक का योग)	10050 38000 48050
		1- हैण्डपम्प मरम्मत के आधार पर अवास्तविक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली अपेक्षित है। (आ0सं02) 2- खडण्जा मरम्मत कराने हेतु ग्राम समिति का प्रस्ताव एवं उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः किया गया भुगतान अवास्तविक है जिसकी वसूली अपेक्षित है। (आ0सं03) 3- सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना मिट्टी पटाई का कार्य दर्शाकर अनियमित भुगतान किया गया है जिसकी वसूली अपेक्षित है। (आ0सं04) (आ0सं0 02 एवं 03 तक का योग)	14180 158780 8750 181710

अपहरण/अनियमितता में सन्निहित कुल धनराशि-40531378

निम्न प्रकरणों में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धीत धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	ग्राम पंचायत/ब्लाक	आपत्ति का विवरण व आपत्ति संख्या	संनिहित धनराशि
1	2	5	6
1	सेमरा/ हैरिंग्टनगंज	1-मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ०सं०.क-घ3)	968119
		2- ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ०सं०.ख-ग1)	777899
		3-तेरहवाँ वित्त आयोग से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ०सं०.-)	46100
		4- छात्र बृत्ति से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ०सं०.-.)	1811390
		5- एम०डी०एम० से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ०सं०.-.)	72894
		योग	3676402
2	जोहन/ हैरिंग्टनगंज	1-एम०डी०एम० कैश बुक में धनराशि अंकित न कर धन का अपहरण किया गया है। (आ०सं०.5.)	4829
		योग	4829
3	बर्वाँ /अमानीगंज	1- मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ०सं०.3.)	706365
		2- ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ०सं०.1.2	2302739
		योग	3009104
4	अमावासूफी/ अमानीगंज	1-ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ०सं०.1)	880837

		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं03.)	463270
		योग	1344107
5	जयराजपुर/ अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1.)	515210
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.3.)	274720
			789930
6	रापट्टी/ अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0 1.)	1852560
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.3.)	403435
			2255995
7	कंदईकला/ अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1.)	332067
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.3)	414220
			746287
8	पालपुर/ अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0 1.)	1143806
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई	390855

		व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.3)	
			1534661
9	धरौली / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1..)	811606
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.3.)	325220
			1136826
10	ओखा / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1.)	1295787
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं03..)	461940
			1757727
11	विरौलीझाम / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1)	881014
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं03.)	536052
			1417066
12	गहनाग / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1.)	249912

		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.3)	369000
			618912
13	गौहनिया / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0..1.)	400474
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0..3)	413560
			814034
14	डीली सारैया / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1..)	973764
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.3.)	512735
			1486499
15	गद्दौपुर / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1.)	870752
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.3.)	541753
			1412505
16	कोटडीह / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना।	343662

		सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1.)	
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0..1.)	536770
			880432
17	नन्दौली / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1.)	258328
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.3.)	299120
			557448
18	सरौली / अमानीगंज	1— ग्राम निधि प्रथम एवं अन्य खातों से आहरित एवं दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.1.)	264917
		2— मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं03)	584290
			849207
19	बेलगरा / तारुन	1—लेखा परीक्षा वर्ष—2008—09 से 12—13 तक ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग1.)	2899956
			2899956
20	रामपुर प्रताप / तारुन	1— दिनांक—01—11—2009 से 30—09—2010 तक दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग1.)	432408
			432408

21	नेतवारीचतुरपुर / तारुन	1- लेखा परीक्षा वर्ष-2008-09 से 12-13 तक ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग1.)	3504984
			3504984
22	खेमीपुरनिधियाँवा / तारुन	लेखा परीक्षा वर्ष-2010-11 से 12-13 तक ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग1.)	2092604
			2092604
23	परागरीबशाह/ तारुन	लेखा परीक्षा वर्ष-2008-09 से 12-13 तक ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग-1.)	1402336
			1402336
24	पालीअचलपुर/ तारुन	लेखा परीक्षा वर्ष-2012-13 तक ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग-1.)	751214
			751214
25	हुसेनपुर/ तारुन	लेखा परीक्षा वर्ष-2012-13 तक ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग-1.)	478606
			478606
26	नौरोजपुर बघेडी/ मवई	1-निविदा कोटेशन डिलेवरी चालान बिल, उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण	187150

		किया गया है। (आ0सं022क.)	
		2-मस्टररोल प्रस्तुत न किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0कृ22ख.)	146375
		3-मिट्टी पटाइ से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं022ग.)	12334
			345859
27	सुल्तानपुर/मवई	1- लेखा परीक्षा वर्ष-2012-13 तक ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग-1.)	401872
			401872
28	तारुन/तारुन	- लेखा परीक्षा वर्ष-2008-09 से 10-11 तक ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग-1.)	1919674
			1919674
29	थरियाकला/तारुन	1-लेखा परीक्षा वर्ष-2008-09 से 10-11 तक ग्राम निधि प्रथम से दर्शितव्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके अपहरण किया जाना। सन्निहित धनराशि का अपहरण किया गया है। (आ0सं0.2 ख ग-1.)	2009894
			2009894

क्रम सं०	ग्राम पंचायत का नाम	ब्लाक	जिला	आपत्ति का विवरण	धनराशि कुल	अपहरण
1	2	3	4	5	6	7
01	कोदही	फखरपुर	बहराइच	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ० सं० 01)	312276.00	312276.00
				(2) बिना नल मरम्मत कराये ही अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ० सं० 05)	33250.00	33250.00
				योग	345526.00	345526.00
02	बौण्डी	फखरपुर	बहराइच	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ० सं० 01)	677683.00	677683.00
				(2) बिना नल मरम्मत कराये ही अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ० सं० 05)	36438.00	36438.00
				योग	714121.00	714121.00
03	गोलागंज	फखरपुर	बहराइच	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ० सं० 01)	389135.00	389135.00
				(2) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ० सं० 02)	46200.00	46200.00
					11200.00	11200.00

				(3) बिना नल मरम्मत कराये ही अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 05) योग	446535.00	446535.00
04	राजा रेहुआ	फखरपुर	बहराइच	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01) योग	613272.00 613272.00	613272.00 613272.00

जनपद—श्रावस्ती

सम्भाग—देवीपाटन

क्रम सं०	ग्राम पंचायत का नाम	ब्लाक	जिला	आपत्ति का विवरण	धनराशि कुल	अपहरण
1	2	3	4	5	6	7
01	मिश्रौलिया	इकौना	श्रावस्ती	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01) (2) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 02) (3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 07) योग	411830.00 327700.00 32053.00 771583.00	411830.00 327700.00 32053.00 771583.00

02	मझौवा सुमाल	इकौना	श्रावस्ती	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	457508.00	457508.00
				(2) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 02)	76885.00	76885.00
				(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 07)	21400.00	21400.00
				योग	555793.00	555793.00
03	भगवानपुर बनकट	इकौना	श्रावस्ती	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	358569.00	358569.00
				(2) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 02)	89000.00	89000.00
				(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 07)	18644.00	18644.00
				योग	466213.00	466213.00

04	जोरडीह	इकौना	श्रावस्ती	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	553392.00	553392.00
				(2) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 02)	293465.00	293465.00
				(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 07)	16788.00	16788.00
				योग	863645.00	863645.00
05	इटौझा	इकौना	श्रावस्ती	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	322600.00	322600.00
				(2) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 02)	76010.00	76010.00
				(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 07)	28220.00	28220.00
				योग	426830.00	426830.00
06	अकबरपुर	इकौना	श्रावस्ती	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	514100.00	514100.00
				(2) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का	201300.00	201300.00

				भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 02)		
				(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 07)	32750.00	32750.00
				योग	748150.00	748150.00

जनपद का नाम – बौदा

मण्डल का नाम – चित्रकूट धाम मण्डल

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत पपरेन्दा, विकास खण्ड – तिन्दवारी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि इलाहाबाद यू.पी. ग्रामीण बैंक शाखा तिन्दवारी के मनरेगा खाता संख्या 11390100015347 से रुपये 4680.00 बैंक द्वारा अनियमित रूप से आहरण किया गया। चेक संख्या 807292 व 93 ग्राम पंचायत पपरेन्दा को निर्गत ही नहीं है। अतः रुपये 4680.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अमान सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार झा से संयुक्त रूप से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि
30.08.2011	807292	34800.00
30.08.2011	807293	5880.00
	योग	40680.00

प्रस्तर संख्या-2 ग्राम पंचायत गरौती, विकास खण्ड – तिन्दवारी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय गरौती मध्याह्न भोजन, कैश बुक 2012-13 के व्यय पक्ष की जांच में पाया गया कि व्यय प्रमाणक, पुष्टि नहीं करायी गयी है। अन्यथा की स्थिति में प्रमाणक विहीन राशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी व तत्कालीन प्रधानाचार्य संयुक्त रूप से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

माह	व्यय धनराशि
अप्रैल 2012	800.00
मई 2012	500.00
जुलाई 2012	840.00

अगस्त 2012	850.00
सितम्बर 2012	850.00
योग	3840.00

प्रस्तर संख्या-3 ग्राम पंचायत पचनेही, विकास खण्ड – बड़ोखर, बैंक से प्राप्त ब्याज का चिन्हांकन नहीं किया गया है। वर्ष में राज्य वित्त खाता में 29440.00 तथा 444.00 रुपये कुल 29884.00। तथा मनरेगा खाता में रु 10596.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 40480.00 रुपये जिसे शासकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4 ग्राम पंचायत गोयरा मुगली, विकास खण्ड – बड़ोखर, लेखा परीक्षा में पाया गया कि रामाश्रय के घर से छोटा तालाब की तरफ नाला निर्माण जिसकी स्वीकृति लागत 3.86 लाख थी, किन्तु व्यय रुपये 3.90 लाख किया गया। .04 लाख की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई। अतः .04 लाख व्यय अनियमित रहा। जांचोपरान्त उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है

जनपद का नाम –चित्रकूट

मण्डल का नाम – चित्रकूट धाम मण्डल

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत पूरबपताई, विकास खण्ड – मउ, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में हैण्डपंप मरम्मत सामग्री मद में रुपये 143760.00 व्यय में दर्शाया गया था। किन्तु सामग्री क्रय का स्टॉक रजिस्टर – वर्ष में उपभोग व वर्ष के अन्त में अवशेष सामग्री का हिसाब नहीं रखा गया। जांचोपरान्त ग्राम प्रधान श्रीमति ममता सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकिशोर द्विवेदी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 ग्राम पंचायत तुरगवां, विकास खण्ड – मउ, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में मनरेगा अंतर्गत खेत समतलीकरण / मेड़बंधी पर कुल व्यय रुपये 497075.00 दर्शाया गया था। किन्तु पुष्टि कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जांचोपरान्त ग्राम प्रधान श्रीमति शिव कुमारी व ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3 ग्राम पंचायत टिटिहरा, विकास खण्ड – कर्वी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में हैण्डपंप मरम्मत सामग्री मद में रुपये 41100.00 व्यय में दर्शाया गया था। किन्तु सामग्री क्रय का स्टॉक रजिस्टर – वर्ष में उपभोग व वर्ष के अन्त में अवशेष

सामग्री का हिसाब नहीं रखा गया। जांचोपरान्त ग्राम प्रधान श्रीमति राजू यादव व ग्राम पंचायत सचिव श्री रामनारायण सिंह से संयुक्त रूप से बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4 ग्राम पंचायत टिटिहरा, विकास खण्ड – कर्वी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में हैण्डपंप मरम्मत सामग्री मद में रुपये 281872.00 व्यय में दर्शाया गया था। किन्तु सामग्री क्रय का स्टॉक रजिस्टर – वर्ष में उपभोग व वर्ष के अन्त में अवशेष सामग्री का हिसाब नहीं रखा गया। जांचोपरान्त ग्राम प्रधान श्री अच्छेलाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री रामशंकर साहू से संयुक्त रूप से बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 ग्राम पंचायत कन्ठीपुर, विकास खण्ड – कर्वी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में हैण्डपंप मरम्मत सामग्री मद में रुपये 138843.00 व्यय में दर्शाया गया था। किन्तु सामग्री क्रय का स्टॉक रजिस्टर – वर्ष में उपभोग व वर्ष के अन्त में अवशेष सामग्री का हिसाब नहीं रखा गया। जांचोपरान्त ग्राम प्रधान श्रीमति कृष्णा देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री जानकी शरण से संयुक्त रूप से बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6 ग्राम पंचायत अतरौलीमाफी, विकास खण्ड – कर्वी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में विज्ञापन मद में रुपये 9014.00 व्यय में दर्शाया गया था। इस व्यय से संबंधित विभागीय आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार धन का दुरुपयोग किया गया है। जांचोपरान्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6 ग्राम पंचायत सुरवल, विकास खण्ड – पहाड़ी, की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में हैण्डपंप मरम्मत सामग्री मद में रुपये 76945.00 व्यय में दर्शाया गया था। किन्तु सामग्री क्रय का स्टॉक रजिस्टर – वर्ष में उपभोग व वर्ष के अन्त में अवशेष सामग्री का हिसाब नहीं रखा गया। जांचोपरान्त ग्राम प्रधान श्रीमती रानी देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री भूपेन्द्र द्विवेदी से संयुक्त रूप से बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम – ललितपुर

मण्डल-झांसी

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखण्ड	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
				कुल	अपहरण
1	2	3	4	5	6
1	भरतपुरा	जखौरा	आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि खाता संख्या 36836 दिनोंक		

		13-04-2012 को चैक संख्या 770165 से रू0 600.00 तथा दिनांक 12-01-2012 को चैक संख्या 749455 द्वारा रू0 12000.00 की धनराशि बैंक से आहरित की गयी थी जबकि उक्त दोनों धनराशियों कैशबुक में दर्ज नहीं पायी गयी । कैश बुक में उक्त धन रू0 12600.00 दर्ज न करके धन का अपहरण किया गया है जिनकी वसूली श्री हबीब खान तथा प्रधान श्री सोबरन सिंह से की जानी अपेक्षित है । मूल आपत्ति संख्या 22	12600.00	12600.00

जनपद का नाम – हमीरपुर

मंडल का नाम – चित्रकूट धाम बाँदा

ग्राम पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियां

प्रस्तर संख्या -1 ग्राम पंचायत इचौली विकास खण्ड मौदहा में दि0 31/03/2013 को छात्रवृत्ति अवशेष रू 67195.00 दर्शायी जा रही है जबकि छात्रवृत्ति का वितरण अब ग्राम पंचायत में प्रधान एवं प्रधानाचार्य के संयुक्त खाते से होता है अतः धनराशि को वापिस करना अपेक्षित है अन्यथा इस धनराशि का दुरुपयोग होने की सम्भावना अधिक है।

प्रस्तर संख्या -2 ग्राम पंचायत इंदरपुर विकास खण्ड सरीला में वर्ष 11-12 व 12-13 के लेखा परीक्षा में तीन महीने का मानदेय तकनीकी सहायक का रू 8000.00 प्रतिमाह की दर से रू 24000.00 लिया गया है जबकि मानदेय ग्राम पंचायत से न आहरित करके क्षेत्र पंचायत से लिया जाता है। अतः दर्शया गया व्यय अनियमित है व्यय से सम्बंधित कोई भी विभागीय आदेश लेखा परीक्षण में उपलब्ध नहीं कराया था जो अपेक्षित है

जनपद – इलाहाबाद

मण्डल-इलाहाबाद

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित गम्भीर आपत्तियाँ:-

01—ग्राम पंचायत— बरवा,

विकास खण्ड— उरुवा

प्रस्तर— 01—

ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से धन आहरित कर निम्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री खरीद एवं मजदूरी पर अनियमित ढंग व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार रहा।

दिनांक	विवरण	व्यय की गयी धनराशि (रु०)
18.04.12	हैण्डपम्प मजदूरी	6650
28.04.12	हैण्डपम्प सामग्री खरीद	20050
28.05.12	हैण्डपम्प मजदूरी	3080
16.06.12	हैण्डपम्प सामग्री	22000
04.07.12	हैण्डपम्प सामग्री	15000
20.09.12	हैण्डपम्प मजदूरी	10000
09.10.12	हैण्डपम्प सामग्री	20000
दिसम्बर 12	हैण्डपम्प सामग्री	20000
फरवरी 13	हैण्डपम्प मजदूरी	10000
	योग—	126780

उक्त विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी पर रु० 126780.00 व्यय करना दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स एवं मजदूरी का मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा। कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव व दिनांक अर्थात् कार्यवाही पुस्तिका अनुपलब्ध रही। क्रय सामग्री से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन कौन सी सामग्री क्रय की गयी एवं उनका उपयोग कहाँ-कहाँ किस तिथि में किया गया। हैण्डपम्प से पुरानी अर्थात् अप्रयुक्त होने वाले उपकरण का कोई हिसाब नहीं रखा गया है उक्त आपत्तियों के मौजूद रहते यह स्पष्ट है कि उक्त मदों पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन अपहरण किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामग्री क्रय का भुगतान A/c payee चेक द्वारा नहीं किया गया है। अस्तु रु० 126780.00 की वसूली विधिक कार्यवाही द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती

लालती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री कृष्णराज सिंह व श्री अविनाश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-2-

ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से धन आहरित कर विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार निर्माण सामग्री एवं मजदूरी पर अनियमित ढंग से व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

दिनांक	विवरण	व्यय की गयी धनराशि (रु०)
12.05.12	ईंट क्रय 6000	21000
16.05.12	12 बारी सीमेन्ट व बालू	5180
19.05.12	मजदूरी	4000
27.05.12	मजदूरी	7000
09.11.12	प्रा०वि० में मिट्टी भराई	10000
10.11.12	ईंट क्रय	10000
08.01.13	खरंजा मरम्मत मजदूरी	8000
16.01.13	सम्पर्क मार्ग मजदूरी	10000
28.01.13	ईंट खरीद	25000
08.02.13	खरंजा मजदूरी	20000
22.02.13	688 नं० तालाब भराई हेतु भुगतान	5000
22.03.13	खरीद सामग्री	22000
	योग-	147180.00

आपत्ति संख्या 03 में विवरणानुसार निर्माण सामग्री एवं मजदूरी पर 147180.00 व्यय दर्शाया गया है। उक्त विवरणानुसार व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स एवं मजदूरी का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। लेखा परीक्षा में कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव व दिनांक अर्थात् कार्यवाही पुस्तिका

अनुपलब्ध रही। कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 कय सामग्री के सापेक्ष कोटेशन कय समिति की स्वीकृति, सामग्री का स्टाक रजिस्टर आदि अनुपलब्ध रहें। कय सामग्री का भुगतान A/C payee चेक के माध्यम से नहीं किया गया है।

उक्त आपत्तियों के मौजूद रहते व्यय की धनराशि की पुष्टि नहीं होती है। अतः **रु0 147180.00** की वसूली विधिक कार्यवाही द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती लालती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री कृष्णराज सिंह व श्री अविनाश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3-

दिनांक 18.10.12 में प्राथमिक विद्यालय बरवा के शौचालय पेंटिंग पर रु0 14895.00 एवं दिनांक 30.10.12 को पू0मा0 वि0 बरवा शौचालय पेंटिंग पर व्यय रु0 15270.00 हुआ। इस प्रकार कुल रु0 30165.00 का व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन-कौन सी सामग्री कय की गयी एवं उसमें मजदूरी कितनी की गयी। शौचालय को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यय धनराशि काल्पनिक प्रतीत होती है। कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें। ऐसी स्थिति में व्यय की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः **रु0 30165.00** की वसूली विधिक कार्यवाही द्वारा श्रीमती लालती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री कृष्णराज सिंह व श्री अविनाश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4-

ग्राम पंचायत का मनरेगा खाता संख्या- 14946.00 जो बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक शाखा औंता इलाहाबाद में है। वर्ष 2012-13 में खाते से कुल 545685.00 का आहरण किया गया जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा। व्यय प्रमाणक के अभाव में रु0 545685.00 के उपभोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः **रु0 545685.00** की वसूली श्रीमती लालती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री

कृष्णराज सिंह व श्री अविनाश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

02—ग्राम पंचायत— भिदिउरा,

विकास खण्ड— सौराव

प्रस्तर 1—

क्रमांक 01 आपत्ति संख्या 11 वर्ष 2012-13 में अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2012 तक ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के० शेख एवं प्रधान श्रीमती रामा देवी द्वारा संयुक्त रूप से ₹0 260990.00 दो लाख साठ हजार नौ सौ नब्बे बैंक से आहरित किये गये थे किन्तु इसकी न तो कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी और न ही व्यय बाउचर्स विवरण न दिये जाने से धनराशि का अपहरण माना जायेगा। अतः इसे प्रस्तुत किये जाये अन्यथा की दशा में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के० शेख एवं प्रधान श्रीमती रामा देवी से रूपया-260990.00(दो लाख साठ हजार नौ सौ नब्बे) बराबर बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

03—ग्राम पंचायत— गोबरी,

विकास खण्ड— कोरांव

प्रस्तर-1—

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है—

दिनांक	कैशबुक में अंकित प्रमाणक संख्या	विवरण	धनराशि
5.6.12	4	सामग्री है० पम्प मरम्मत 8 नग	13750.00
5.6.12	5	सामग्री है० पम्प मरम्मत 8 नग	2400.00
7.2.13	21	सामग्री है० पम्प मरम्मत 8 नग	3226.00

8.2.13	22	सामग्री है0 पम्प मरम्मत 8 नग	600.00
योग—			19976.00

उपरोक्त में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयीं—

1— मरम्मत कराये गये हैण्डपम्प कहां पर स्थित है का विवरण अंकित नहीं है।

2— सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन नहीं आमंत्रित किये गये हैं। जबकि नियमानुसार कम से कम 3 फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर उत्तम गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर के आधार पर खरीद की जानी चाहिए।

3— मरम्मत के दौरान निकली खराब सामग्री की बिक्री करके बिक्री का धन कैशबुक के आय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है एवं न ही उसे स्टॉक रजि० में स्टॉक के रूप में दर्शाया गया है।

4— जे०इ०आर०एस० या तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र माप पुस्तिका एवं प्रवकलन लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया।

5— प्रमाणक संख्या— 5 में भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। साथ ही कैशबुक में दर्शित प्रमाणक संख्या—2 एवं 22 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में एक भी हैण्डपम्प की मरम्मत नहीं करायी गयी है तथा अवास्तविक व्यय दर्शाकर रू० **19976.00** का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि में रू० 16150.00 श्रीमती अनीता देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री धर्मराज पाण्डेय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रू० 3826.00 श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री सत्यराम यादव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सम्मिलित रूप से वसूली की जानी अपेक्षित रही।

आलोच्य वर्ष में कोटिया में जंगीलाल कुंआ का चबूतरा निर्माण में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है—:

दिनांक	कैशबुक में अंकित प्रमाणक संख्या	विवरण	धनराशि
19.10.12	14	पत्थर 4000 नग दर 5/— प्रति पीस	20000.00
2.11.12	15		9250.00
19.11.12	16	सीमेन्ट 45 बोरी दर 265/— प्रति बोरी बालू 10m ³ दर 525/— प्रति घ0 मी0	17175.00

योग— 46425.00

उपरोक्त में निम्न त्रुटियां प्रकाश में आयीं—:

1— उपरोक्त कार्य में केवल सामग्री क्रय दर्शायी गयी है। किन्तु मजदूरी नहीं दर्शायी गयी है। मजदूरी न दर्शाये जाने से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया है क्योंकि कोई भी कार्य तभी सम्पन्न कराया जा सकता है जब सामग्री एवं मजदूरी दोनों दर्शाये जाय।

2— यदि कार्य नहीं कराया गया है तो स्टाक रजि0 में क्रय सामग्री को स्टाक के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। किन्तु ग्राम पंचायत में स्टाक रजि0 नहीं तैयार किया गया है। अतः स्टाक रजि0 में स्टाक दर्शाए जाने की भी पुष्टि न की जा सकी।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि उक्त कार्य कराया ही नहीं गया है। मात्र सामग्री क्रय करके कैशबुक में व्यय दर्शाकर धन का

अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 46425.00 की ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पं0वि0अ0 श्री सत्यराम यादव से सम्मिलित रूप से वसूली की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर-3-

दिनांक- 22.1.2013 को कैशबुक में ग्राम पंचायत में प्रचार-प्रसार के लिये रू0 1000.00 व्यय दर्शित है। उक्त की पुष्टि पुष्टि प्रमाणक के अभाव में लेखा परीक्षा न की जा सकी, जिससे दर्शित व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः रू0 1000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम पं0वि0अ0 श्री सत्यराम यादव से सम्मिलित रूप से वसूली की जानी चाहिए।

04-ग्राम पंचायत- पीरदल्लू

विकास खण्ड- कौड़िहार

प्रस्तर-1-

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार निम्नलिखित तिथियों में निम्न धनराशि व्यय किया जाना दर्शित है-

दिनांक	कैशबुक के अनुरूप वस्तु का नाम	भुगतान धनराशि	भुगतान का तरीका (मोड)
16.04.12	10 अदद हयूम पाइप	15000.00	प्रधान द्वारा आहरित करके नकद भुगतान किया गया है
15.03.13	— अदद हयूम पाइप	25000.00	प्रधान द्वारा आहरित करके नकद भुगतान

			किया गया है
10.10.12	बीस हजार ईट 3700 /—	74000.00	प्रधान द्वारा आहरित करके नकद भुगतान किया गया है
28.12.12	बीस हजार ईट 3700 /—	74000.00	प्रधान द्वारा आहरित करके नकद भुगतान किया गया है
08.01.13	बीस हजार ईट 4200 /—	84000.00	प्रधान द्वारा आहरित करके नकद भुगतान किया गया है

उपरोक्त भुगतान (व्यय) पर निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं—

1— उपरोक्त भुगतान (व्यय) की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक (कैशमेमो) नहीं है।

02— प्रधान द्वारा व्यय का भुगतान नकद दिया गया है जबकि भुगतान ईट एवं हयूप पाइप के फर्म को एकान्टपेयी चेक से किया जाना चाहिए। अतः भुगतान अनियमित है।

3— क्रय के पूर्व कोटेशन नहीं लिया गया है न ही वस्तु को प्राप्ति के पश्चात स्टॉक रजि० में अंकित किया गया है जिससे क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है।

4— निर्माण समिति एवं जल प्रबन्धन समिति से इसकी अनुमति नहीं ली गयी है न ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (क्रय पत्र 41 पर) ही इसके पूर्ण होने की पुष्टि में रखा गया है उपरोक्त आधार से स्पष्ट होता है कि भुगतान (व्यय) रू०

272000.00 कल्पित रूप से कैशबुक में अंकित किया गया है अतः 272000.00 की वसूली समान रूप से प्रधान श्री पन्नालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अम्बिका मिश्र से जांचोपरान्त आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2-

ग्राम निधि प्रथम कैशबुक में दिनांक 30.04.12 को रू0 44640.00 प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आहरित करके उस तिथि में श्यामकली रामदुलारे जू0हा0 स्कूल में 27840.00 (52 पिछड़े तथा 6 अनुसूचित जाति) तथा रू0 16800.00 (4 अनुसूचित जाति 31 पिछड़े) किया गया है, लेकिन विवरण की पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर एवं अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे छात्रवृत्ति वितरण धनराशि रू0 44640.00 अपुष्ट रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति से सम्बन्धित पासबुक तृतीय लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रू0 44640.00 छात्रवृत्ति वितरण धनराशि काल्पनिक रूप से कैशबुक के व्यय पक्ष में अंकित है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पन्नालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अम्बिका मिश्र से जांचोपरान्त आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत किया जाना अपेक्षित है।

05-ग्राम पंचायत- अमिलिया,

विकास खण्ड-फूलपुर

प्रस्तर- 01-

कैशबुक में दिनांक 25.6.2012 को क0नं0 (5) द्वारा स्ट्रीट लाइट 17 नग क्रय पर रू0 44200.00 व दिनांक बा0नं0 (6) द्वारा स्ट्रीट लाइट 18 नग क्रय पर रू0 46800.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के क्रय हेतु चेक द्वारा भुगतान फर्म को न करके दिनांक 25.6.2012 को प्रधान श्री अशफाक अहमद के नाम वीयरर चेकों द्वारा क्रमशः रू0 44200.00 व रू0 46800.00 का नकद आहरण करके नकद भुगतान दर्शित है। एक ही दिनांक में दो चेकों से नकद आहरण कर स्ट्रीट लाइट खरीदने का कोई औचित्य नहीं है यदि वास्तविक रूप में स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी होती तो

एक ही चेक से फर्म के नाम भुगतान किया जाना तर्कसंगत सुविधाजनक व नियमानुसार होता। स्ट्रीट लाइट लगाने के स्थल का उल्लेख नहीं किया गया तथा पुष्टि हेतु स्टॉक रजिस्टर व परिसम्पत्ति रजि० भी नहीं दिखाया गया। स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट का फर्जी व्यय दर्शाकर ₹0 44200.00 + ₹0 46800.00 अर्थात् कुल ₹0 91000.00 का आहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा किया गया है। अतः ₹0 91000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री अशफाक अहमद व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री मनोज कुमार वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—02 —

कैशबुक में दिनांक 31.5.12 को बा०नं० (1) द्वारा ईट क्रय पर व्यय 40000.00 व दिनांक 5.01.13 को वा०नं० (7) द्वारा ईट क्रय पर व्यय ₹0 48000.00 किया जाना दर्शित है। ईट क्रय हेतु भुगतान चेक द्वारा फर्म को न करके प्रधान श्री अशफाक अहमद के नाम वीयरर चेक द्वारा नकद निकासी कर नकद भुगतान किया जाना दर्शित है जोकि वित्तीय नियमों का उल्लंघन है तथा अनुमन्य नहीं है। ईट के उपभोग की पुष्टि में स्टॉक रजि० व परिसम्पत्ति रजि० भी नहीं दिखाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि नियम विरुद्ध आहरण कर फर्जी ईट क्रय दर्शाकर ₹0 40000.00+₹0 48000.00 अर्थात् ₹0 88000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा किया गया है। अतः ₹0 88000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री अशफाक अहमद व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री मनोज कुमार वर्मा के समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—03—

कैशबुक में दिनांक 13.02.13 को वा०नं० (11) द्वारा ह्यूम पाइप फिटिंग की मजदूरी पर व्यय ₹0 7000.00 किया जाना दर्शित है तथा दिनांक 15.02.13 को वा०नं० 12 द्वारा ह्यूम पाइप खरीद 25 नग पर व्यय ₹0 52500.00 किया जाना दर्शित है। ह्यूमपाइप के उपभोग की पुष्टि में बार—बार मांग के बावजूद स्टॉक रजि० व परिसम्पत्ति रजि० नहीं दिखाया गया। ह्यूम पाइप

लगाने के स्थल का विवरण भी नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप की खरीद व लगवाई दोनों फर्जी है। विभागीय स्थल सत्यापनोपरान्त उक्त मद में दर्शित व्यय धनराशि रु0 7000.00 + रु0 52500.00 अर्थात् रु0 59500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री अशफाक अहमद व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री मनोज कुमार वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—04 —

कैशबुक में दिनांक 10.1.2013 को वा0नं0 (10) द्वारा मजदूरी पर व्यय रु0 14625.00 किया जाना दर्शित है। सम्बन्धित म0टी0 फर्जी तरीके से तैयार कर मजदूरी भुगतान दर्शाया जा रहा है क्योंकि मदों पर कार्य 01.01.13 से 10.01.13 तक किया जाना दर्शित है और इसमें कार्यरत दिखाये श्रमिक राम सजीवन, सीताराम, भागीरथी व रसीद खॉ मनरेगा कार्य जिला परिषद से भोलानाथ यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग में प्रयुक्त म0टी0 क्रमांक 735286 व 735287 में दिनांक 2.01.13 से 8.01.13 तक कार्यरत दर्शाये गये हैं तथा जिनका भुगतान दिनांक 10.01.13 को चेक नं0 598210 द्वारा कर दिया है। इस प्रकार फर्जी म0रो0 तैयार कर रु0 14625.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा कर लिया गया है। अतः रु0 14625.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री अशफाक अहमद व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री मनोज कुमार वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

06—ग्राम पंचायत— रैनी

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

ग्राम निधि खाता प्रथम खाता नं0 07570200021583से वित्तीय नियमों के विरुद्ध विभिन्न तिथियों में धनराशि का ट्रांसफर तहसीलदार नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर व नाम से वीयरर चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया है और फिर उक्त धनराशि से कैशबुक में फर्जी नकद व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0

द्वारा कर लिया गया है क्योंकि नियम विरुद्ध तरीके से जो धनराशि किसी व्यक्ति विशेष के भुगतान हो रही हो अथवा खाते में ट्रांसफर हो रही है उससे टुकड़ों में विभिन्न में प्रधान द्वारा नकद भुगतान किया जाना सम्भव हीनहीं है। इस प्रकार कैशबुक में दर्शित नकद व्यय की काल्पनिकता स्वतः सिद्ध है। विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	भुगतान धनराशि विवरण (A/c 4007570200021583से)
09.04.12	रु0 6000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति की भुगतान वीयरर चेक द्वारा
23.04.12	रु0 20000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति की भुगतान वीयरर चेक द्वारा
24.05.12	रु0 15000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति की भुगतान वीयरर चेक द्वारा
28.05.12	रु0 10000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति की भुगतान वीयरर चेक द्वारा
30.05.12	रु0 3000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति की भुगतान वीयरर चेक द्वारा
02.6.12	रु0 5000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति की भुगतान वीयरर चेक द्वारा
21.6.12	रु0 6000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति की भुगतान वीयरर चेक द्वारा
01.12.12	रु015000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति के बचत खाता 01/25310 में ट्रांसफर
01.01.13	रु025000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति के बचत खाता 01/25310 में ट्रांसफर
24.01.13	रु010000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति के बचत खाता 01/25310 में ट्रांसफर
18.03.13	रु025000.00 तहसीलदार नामक व्यक्ति के बचत खाता 01/25310 में ट्रांसफर
योग	140000.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल रु0 140,000.00 की राजकीय धनराशि का नियम विरुद्ध तरीके से तहसीलदार नामक व्यक्ति को भुगतान कर कैशबुक में विभिन्न प्रकार के फर्जी नकद व्यय (यथा—मजदूरी म0टी0पर, मजदूरी ट्रैक्टर ट्राली द्वारा, ईट अद्धा व अन्य भुगतान) दर्शाकर प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है अतः रु0 140000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती जगवन्ती व

ग्रा०पं०वि०अधि० श्री राम अभिलाष से की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि व्यय की पुष्टि में बिल बाउचर स्टाक रजि०, परि०रजि० आदि नहीं प्रस्तुत किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय इलाहाबाद के पत्रांक

2306/7-पं०/रा०वि०/ते०वि०-लेखा/2012-13

दिनांक 9.12.12 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया है जिसमें वित्तीय नियमों का पालन करते हुए भुगतान करने पर विशेष बल दिया गया है।

प्रस्तर-02 -

कैशबुक में दिनांक 5.10.12 को वा०नं० (14) द्वारा ईट क्रय पर व्यय रू० 18000.00 दिनांक 25.10.12 को बा०नं० (15) द्वारा बाल क्रय पर व्यय रू० 12000.00 व दिनांक 25.10.12 को बा०नं० (16) द्वारा सीमेंट खरीद पर व्यय रू० 14750.00 किया जाना अंकित है। उक्त सम्पूर्ण खरीद नियम विरुद्ध तरीके से नकद आहरण कर की गयी है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक, सही स्टाक रजिस्टर परिसम्पत्ति रजि० भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त दर्शित व्यय धनराशि (रू० 18000.00 + 12000.00 + रू० 14750.00) अर्थात् कुल रू० 44750.00 का कैशबुक में फर्जी अंकन कर प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अपहरण किया गया है। अतः रू० 44750.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती जगवन्ती व ग्रा०पं०वि० अधि० श्री राम अभिलाष से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

07-ग्राम पंचायत- सरवाडीह

विकास खण्ड-फूलपुर

प्रस्तर- 01-

ग्राम निधि खाता नं० 07570100021575 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध धनराशि का नकद आहरण (अधिकांशतः प्रधान के नाम) कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का आहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	ग्राम निधि— A/c No. 07570100021575 से आहरण
16-04-12	28000.00 To Cash
30-4-12	4845.00 To Lalta Prasad
04-5-12	5000.00 Arvind
23-5-12	15000.00 Lalta Prasad
12-06-12	14000.00 " "
18-06-12	14000.00 " "
25-06-12	8140.00 " "
02-07-12	10000.00 " "
09-07-12	22200.00 " "
09-07-2012	10400.00 " "
03-10-12	12000.00 " "
12-10-12	23000.00 " "
18-10-12	12500.00 " "
28-12-12	22000.00 " "
02-01-13	10500.00 " "
07-01-13	21000.00 " "
30-01-13	12000.00 " "
04-02-13	14000.00 " "
14-02-2013	12000.00 " "
23-02-13	16800.00 " "
05-03-13	12200.00 " "
18-03-13	8000.00 Vinod Kumar Mishra
18-03-13	10600.00 Lalta Prasad
Total Rs.	318185.00

उपरोक्तानुसार आहरित धनराशि से कैशबुक में विभिन्न प्रकार के फर्जी व्यय (यथा ईट क्रय, हैण्डपम्प सामग्री क्रय मजदूरी व्यय आदि) दर्शाकर प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अपहरण कर लिया गया है क्योंकि आहरण के सापेक्ष दर्शित व्यय की पुष्टि में बार—बार अपेक्षा के बावजूद बिल बाउचर म०रो० स्टॉक रजि० परिसम्पत्ति रजि० आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। लेखा मैनुअल के पृष्ठ 36 के पैरा 8(क) की व्यवस्था के

अनुसार रू0 318185.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया जाना प्रमाणित होता है। अतः रू0 318185.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री लालता प्रसाद व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अमरेन्द्र कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 02 —

आडिट के दौरान पूछताछ में पता चला कि ग्रा0पं0वि0 अधि0 द्वारा गत वर्षों से स्टाक रजि0 व परि0 रजि0 नहीं बनाया गया है। इससे इस बात की प्रबल सम्भावना है कि राजकीय धनराशि के अपहरण करने के गत वर्षों के कार्यों की पुनरावृत्ति दर्शाकर व्यय समायोजन कर दिया गया हो। उक्त तथ्यों के आलोक में जांच व कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

08—ग्राम पंचायत— पूरनपुर

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

कैशबुक में दिनांक 01.10.12 को ईट क्रय पर व्यय रू0 45000.00 किया जाना दर्शित है व्यय की पुष्टि हेतु बाउचर के साथ-साथ स्टाक रजि0 परिसम्पत्ति रजि0 सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0 बार-बार अपेक्षा के बावजूद नहीं दिया गया। ईट क्रय में वित्तीय नियमानुसार कोटेशन भी नहीं दिया गया है तथा टी0डी0एस0 की कटौती भी नहीं की गयी है। स्पष्ट है कि मनमानीपूर्ण ढंग से फर्जी ईट क्रय दर्शाकर रू0 45000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है अतः रू0 45000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री जय प्रकाश पटेल व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री श्याम लाल यादव से समान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2 —

ग्राम निधि खाता—। खाता नं0 21870100001099 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण ढंग से धन का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है :—

दिनांक	ग्रामनिधि-। से अपहरण
24.4.12	रु0 35000.00 राजेश कुमार
10.5.12	रु0 15000.00 जय प्रकाश पटेल
5.6.12	रु0 26000.00 जय पकाश पटेल
28.09.12	रु0 18000.00 जय प्रकाश पटेल
26.12.12	रु0 15000.00 जय प्रकाश पटेल
11.01.13	रु0 50400.00 जय प्रकाश पटेल
21.01.13	रु0 15000.00 अवधेश कुमार
4.02.13	रु0 10000.00 जय प्रकाश पटेल
14.02.13	रु0 10000.00 जय प्रकाश पटेल
योग रु0	194400.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वित्तीय नियमों के विरुद्ध बड़ी-बड़ी धनराशियों का वीयरर चेक द्वारा आहरण किया गया है तथा उक्त आहरण के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित विभिन्न प्रकार के व्यय को पुष्टि में बिल बाउचर स्टाक रजिस्टर परिसम्पत्ति रजि0 आदि बार-बार मांगने के बावजूद भी नहीं दिखाया गया। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि स्टाक रजि0 व परिसम्पत्ति रजि0 गत वर्षों से बनाया ही नहीं गया है और फलस्वरूप एक ही कार्य का बार-बार भुगतान कर

राजकीय धनराशि के अपहरण की प्रबल सम्भावना है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि रु0 194400.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 194400.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री जय प्रकाश पटेल व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री श्यामलाल यादव से समानरूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

09—ग्राम पंचायत— मेंहदीपुर उर्फ पूरेचन्दा

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

ग्रामनिधि खाता—। A/c No 01/21582 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानी पूर्ण तरीके से राजकीय धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय समायोजन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। शासन के कड़े निर्देशों तथा स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी महोदय व जिला पंचायत राज अधिकारी के कड़े निर्देश के बावजूद भी वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में एक भी भुगतान एकाउन्टपेयी चेक द्वारा फर्म को नहीं किया गया है। बड़ी-बड़ी धनराशि का आहरण वीयरर चेक द्वारा नगद करके कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

दिनांक	ग्रामनिधि—। से आहरित धनराशि का विवरण A/c 01/21582	
22-05-12	30000.00	To Cash
28-05-12	20000.00	Bhanu Pratap
30-5-12	10000.00	Shyam Babu
18-06-12	42000.00	To Cash
20-7-12	50000.00	Bhanu Pratap
01-08-12	30000.00	Bhanu Pratap
30-8-12	50000.00	To Ram Kishor
10-09-12	25000.00	To Cash
18-09-12	15000.00	To cash
24-09-12	25000.00	To Cash
01-10-12	15000.00	To Cash
04-10-12	15000.00	To Cash
26-10-12	25000.00	To cash
05-11-12	60000.00	To Bhanu Pratap
18-12-12	25000.00	To Cash
24-12-12	15000.00	To Cash

24-12-12	22000.00	To Cash
03-01-13	67200.00	To Cash
28-01-13	22000.00	To Cash
18-02-13	15000.00	To Cash
30-03-13	25200.00	To Cash
Toral	6,03,400.00	To Cash

इस प्रकार उपरोक्तानुसार वित्तीय नियमों के विरुद्ध विभिन्न तिथियों में ₹0 603400.00 का मनमानी पूर्ण ढंग से वीयरर चेक द्वारा प्रधान अथवा अपने किसी खास व्यक्ति के नाम से नकद आहरण कर लिया गया है। आहरित धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर ₹0 6,03,400.00 का अपहरण कर लिया गया है क्योंकि व्यय की पुष्टि में बार-बार अपेक्षा के बावजूद बिल-बाउचर म0रो0, स्टॉक रजिस्टर परिसम्पत्ति रजि0 आदि नहीं दिखाया गया। अतः ₹0 6,03,400.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री भानु प्रताप व ग्रा0पं0वि0 अधि0 श्री श्यामलाल यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ नियमानुसार अन्य विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

10—ग्राम पंचायत— फिरोजपुर उर्फ शेशपुर

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

कैशबुक में दिनांक 19.10.12 को ₹0 15000.00 व दिनांक 21.01.13 को ₹0 5000.00 प्रधान द्वारा ग्रामनिधि—। से आहरण दर्शाकर विभिन्न प्रकार के व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त दोनों धनराशि का खाते से नकद आहरण न करके किसी खाते (अज्ञात) में ट्रांसफर हुआ है। इस स्थिति में प्रधान द्वारा नकद व्यय किया जाना सम्भव नहीं है। अतः कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर ₹0 15000+ ₹0 5000.00 अर्थात् कुल ₹0 20,000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0 अधि0 द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। व्यय की पुष्टि में म0टी0 भी नहीं दिखाया गया। अतः ₹0 20000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती खसन्दा व

ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री राम अभिलाष से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02 —

कैशबुक में दिनांक 9.11.12 को विवेक कुमार को रू0 25500.00 का भुगतान स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु दिया जाना दर्शित है। स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु भुगतान फर्म को नहीं किया गया है तथा व्यय की पुष्टि में प्रमाणक स्टाक रजि0 परि0रजि0 नहीं दिखाया गया। कैशबुक स्ट्रीट लाइट लगवाने के स्थल का उल्लेख भी नहीं है स्पष्ट है कि फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 25500.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अतः रू0 25500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती खसन्दा व ग्रा0पं0अधि0 श्री राम अभिलाष से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 03 —

कैशबुक में सीमेंट क्रय ईट क्रय व मिट्टी कार्य पर निम्न फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	वा0नं0	व्यय विवरण	व्यय धनराशि
12.4.12	(4)	24 बोरी सीमेंट क्रय	रू0 12000.00
21.4.12	(5)	तीन हजार ईट क्रय	रू0 10500.00
22.4.12	(6)	खड़ंगा से मजदूरी भुगतान	रू0 3240.00
18.5.12	(11)	खड़ंगा उखड़वाई में मजदूरी	रू0 6360.00
19.5.12	(12)	खड़ंगा मरम्मत हेतु 33 ट्रैक्टर मिट्टी	रू0 11880.00
19.5.12	(13)	सीमेंट क्रय	रू0 4800.00
22.6.12	(15)	खड़ंगा निर्माण में मजदूरी	रू0 10000.00
29.6.12	(16)	ईट क्रय 5 हजार	रू0 18500.00
9.08.12	(17)	खड़ंगा निर्माण हेतु 55 ट्रैक्टर मिट्टी	रू0 19800.00
5.01.13	(29)	4 हजार ईट क्रय	रू0 14800.00

25.03.13	(32)	मिट्टी ढुलाई पंचायत भवन हेतु	रु० 10000.00
		योग	रु० 121880.00

उपरोक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार अपेक्षा के बावजूद बिल बाउचर म०टी० स्टाक रजि० परिसम्पत्ति रजि० आदि नहीं दिखा गया इसमें स्पष्ट होता है कि उक्त दर्शित कुल व्यय धनराशि रु० 121880.00 का अपहरण प्रधान ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर कर लिया गया है। अतः रु० 121880.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती खसन्दा व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री राम अभिलाष से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

11—ग्राम पंचायत— मनापुर उर्फ बगईकला

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

ग्रामनिधि खाता—। A/c No. 07570100022331 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण तरीके से धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। राजकीय धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों व शासकीय निर्देशों के क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय व जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिये दिशा निर्देशों के बावजूद भी सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में एक बार भी एकाउन्टपेयी चेक द्वारा फर्म को भुगतान नहीं किया गया है। प्रायः धनराशि का आहरण व्यक्ति विशेष के नाम वीयरर चेक काटकर नकद किया गया है तथा कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। विवरण निम्नवत है :—

दिनांक	ग्रामनिधि— प्रथम A/c 075100022331 से आहरण

19-7-12	55000.00	Ram Kishor (पंचायत उद्योग फूलपुर परिसर में स्थित दुकान का कर्मचारी)
24-07-12	70000.00	Devesh (प्रधान के पुत्र)
30-07-12	45000.00	To Cash
03-08-12	70000.00	Ram Kishor
06-08-12	40000.00	To Cash
17-08-12	30000.00	To Cash
21-08-12	25000.00	To Cash
27-08-12	25000.00	To Cash
10-09-12	40000.00	Devesh
18-09-12	20000.00	To Cash
21-09-12	15000.00	To Cash
1-10-12	17000.00	To Cash
17-10-12	10000.00	Devesh
22-10-12	50000.00	To Transfer
12-12-12	25200.00	To Cash
16-01-13	33600.00	To Cash
23-01-13	25200.00	To Cash
02-2-13	15200.00	To Cash
12-2-13	10100.00	To Cash
22-02-13	20200.00	To 01/ 23510
28-02-13	15000.00	To 01/23510
06-03-13	15000.00	To 01/ 23510
13-03-13	20000.00	To Cash
Total Rs.	691500.00	

इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से कुल रु0 691500.00 का विभिन्न तिथियों में आहरण कर कैशबुक में विभिन्न प्रकार के फर्जी व्यय दर्शाकर रु0 691500.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा कर लिया गया है क्योंकि व्यय की पुष्टि में बार-बार मांगने के बावजूद बिल-बाउचर म0सं0 स्टॉक रजि0 परि0रजि0 आदि नहीं प्रस्तुत किया गया।

अतः अपहरित धनराशि रु0 6,91,500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती पत्नी देवी व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री श्याम लाल यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ उचित विधिक प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

12—ग्राम पंचायत— लतीफपुर

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

ग्रामनिधि खाता—। A/c No. 07570100021601 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण तरीके से धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। राजकीय धनराशि के खर्च करने के लिए शासन द्वारा दिए दिशा निर्देशों व तत्क्रम में स्थानीय स्तर पर माननीय जिलाधिकारी महोदय व जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिये गये सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय हेतु एक भी भुगतान एकाउन्टपेयी चेक द्वारा फर्म को नहीं किया गया है। धनराशि का आहरण व्यक्ति विशेष के नाम से वीयरर चेक द्वारा नकद कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है :—

दिनांक	ग्रामनिधि— प्रथम A/c 07510002601 से आहरण	
04-05-12	20000.00	Badri Prasad
11-06-12	39000.00	Rajesh
11-06-12	39000.00	Rajesh
11-06-12	26000.00	To Cash
22-06-12	26000.00	To Cash
01-10-12	27500.00	To Cash
18-12-12	25000.00	To Cash
21-12-12	15000.00	To Cash
24-12-12	13000.00	Devesh
29-12-12	18500.00	To Cash
09-01-13	12000.00	To Cash

21-01-13	12400.00	Badri Prasad
24-01-13	12500.00	To Cash
31-01-13	15200.00	To Cash
30-03-13	25200.00	To Cash
Total Rs.	3,26,300.00	

इस प्रकार उपरोक्तानुसार मनमानीपूर्ण तरीके के कुल आहरित धनराशि रु0 3,26,300.00 का कैशबुक में विभिन्न प्रकार के फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है क्योंकि व्यय की पुष्टि में बार-बार अपेक्षा के बावजूद बिल-बाउचर स्टॉक रजि0 परिसम्पत्ति रजि0 आदि नहीं दिखाया गया है अतः रु0 326300.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री बद्री प्रसाद व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री श्यामलाल यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ अन्य विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत- अगरापट्टी

विकास खण्ड-फूलपुर

प्रस्तर- 01-

ग्रामनिधि खाता-। A/c No. 07570100021576 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध धनराशि का आहरण कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरा प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	ग्रामनिधि- प्रथम A/c No. 07570100021576 से आहरण	
07-04-12	5000.00	धीरेन्द्र सिंह (प्रधान)
28-04-12	18000.00	धीरेन्द्र सिंह (प्रधान)
4-05-12	2000.00	अरविन्द कुमार
14-05-12	12500.00	अरविन्द कुमार
31-5-12	7000.00	धीरेन्द्र सिंह
8-06-12	5000.00	धीरेन्द्र सिंह
20-06-12	11600.00	" "
23-06-12	39000.00	दिनेश कुमार पाण्डेय द्वारा नकद

12-07-12	10000.00	धीरेन्द्र सिंह
7-05-12	61500.00	धीरेन्द्र सिंह
1-10-12	20800.00	" "
4-10-12	24000.00	" "
12-10-12	10000.00	" "
20-10-12	10500.00	" "
2-11-12	11000.00	" "
13-12-12	15000.00	" "
28-12-12	17000.00	" "
4-01-13	12250.00	" "
10-01-13	17000.00	" "
18-01-13	12500.00	" "
24-01-13	13000.00	" "
05-02-13	10000.00	" "
18-02-13	10000.00	" "
01-03-13	12600.00	" "
08-03-13	14000.00	" "
23-03-13	12000.00	" "
Total	393250.00	

उपरोक्तानुसार नियम विरुद्ध मनमानी पूर्ण तरीके से नकद निकासी कर कैशबुक में विभिन्न प्रकार के व्यय (यथा ईट क्रय स्ट्रीट लाइट क्रय, ह्यूम पाइप क्रय हैण्ड पम्प सामग्री मजदूरी आदि) किया जाना दर्शित है। सामग्री की खरीद में फर्म को चेक नहीं दिया गया है तथा कोटेशन भी नहीं लिया गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा वित्तीय नियमों के पालन हेतु निर्देश दिया गया जिसका भी संज्ञान नहीं लिया गया। धनराशि के आहरण और प्रदर्शित व्यय से स्पष्ट होता है कि प्रधान व ग्रा०प०वि० अधिकारी के लिए इनकी इच्छा ही सर्वोपरि है नियम-निर्देश व व्यवस्था गौण। उक्त रु० 393250.00 से सम्बन्धित व्यय की पुष्टि में बिल बाउचर स्टॉक रजि० परि० रजि० आदि नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि रु० 393250.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०प०वि०अधि०

द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अतः रू0 393250.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री धीरेन्द्र सिंह व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अमरेन्द्र कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ साथ अन्य विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

14—ग्राम पंचायत— तारडीह

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

दिनांक 8.5.12 को ग्राम निधि—तृतीय A/C nO. 2730 से छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 10500.00 की निकासी कैशबुक में दर्शित है। इस धनराशि की निकासी कर छात्रवृत्ति बांटने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इस खाते की समस्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस करने का आदेश काफी समय पूर्व में ही हो गया था उक्त आहरित धनराशि में रू0 7800.00 का छात्रवृत्ति वितरण कैशबुक में दर्शाया गया है जिसमें किसी प्रकार का विवरण नहीं अंकित है तथा वितरण की पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार फर्जी छात्रवृत्ति वितरण दर्शाकर रू0 7800.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः रू0 7800.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रमाकान्त पाण्डेय व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेषमणि मिश्र से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

उक्त आहरित धनराशि रू0 10500.00 में रू0 7800.00 के फर्जी वितरण दर्शाने के पश्चात् रू0 2700.00 नकद अवशेष बचती है जिसे न तो खाते में जमा किया गया और न ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया। आलोच्य वर्ष के अन्त में 31.3.13 को प्रधान के नकद अवशेष मात्र रू0 1775.00 ही कैशबुक में दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति की धनराशि का अनधिकृत रूप से अन्य मदों में व्यय दर्शा दिया गया है। अतः छात्रवृत्ति की बढ़ी हुई नकद अवशेष धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं की गयी है। रू0 2700.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रमाकान्त पाण्डेय व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेषमणि मिश्र से समान

रूप से की जानी अपेक्षित है तथा नियमानुसार अन्य विधिक व विभागीय कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—02 —

कैशबुक में निम्न विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शित है —

दिनांक	वा0नं0	व्यय का संक्षिप्त प्रकार	व्यय धनराशि
25.5.12	10	14 हजार ईट क्रय	51800.00
28.5.12	11	खड़जा निर्माण में मजदूरी	10200.00
28.5.12	12	ईट क्रय	105000.00
29.5.12	14	मजदूरी भुगतान	29400.00
18.6.12	17	खड़जा निर्माण में मजदूरी	21360.00
10.7.12	20	चार हजार ईट क्रय	14800.00
28.9.12	22	मजदूरी भुगतान नाली निर्माण	7000.00
10.9.12	24	ईट क्रय	3700.00
20.9.12	26	नाली निर्माण में मजदूरी	4000.00
10.10.12	27	ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य	10500.00
15.10.12	28	मिट्टी समतलीकरण मजदूरी	5000.00
22.10.12	29	आठ हजार ईट क्रय	29600.00
31.10.12	30	खड़जा निर्माण मजदूरी	7500.00
3.11.12	31	शौचालय मरम्मत मजदूरी	1125.00
7.11.12	33	चौदह हजार ईट क्रय	56000.00
21.1.13	37	शौचालय मरम्मत मजदूरी	9000.00
29.01.13	40	नाली निर्माण मजदूरी	10000.00
19.02.13	42	ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलाई	18200.00
27.2.13	वा0न0	खड़जा निर्माण में मजदूरी	11250.00
7.3.13	42(त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित)	खड़जा निर्माण मजदूरी	20000.00
20.3.13	43	नाली निर्माण मजदूरी	24000.00

25.03.13	45	8 हजार ईट क्रय	36800.00
30.03.13	47	नाली निर्माण मजदूरी	26250.00
30.03.13	49	3 हजार ईट क्रय	13800.00
		कुल योग रू0	526285.00

उपरोक्त प्रकार से कैशबुक में दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु बार-बार अपेक्षा के बावजूद बिल-बाउचर भी नहीं दिखाया गया। सामग्री क्रय में नियमानुसार कोटेशन व टेण्डर भी नहीं लिया गया तथा पुष्टि हेतु प्रमाणक के साथ-साथ स्टॉक व परिसम्पत्ति रजि० भी नहीं दिया गया। प्रस्तुत बाउचर गार्ड फाइल में कुछ म०रो० संलग्न पाये गये जिसमें श्रमिकों के नाम नहीं अंकित नहीं केवल उपस्थिति अंकित थी। जिससे स्पष्ट होता है कि दर्शित मजदूरी भुगतान की पुष्टि हेतु काल्पनिक म०रो० तैयार करने का असफल प्रयास किया गया। किसी कार्य के सम्बन्ध में स्थान व माप का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि फर्जी/कल्पित कार्यों के आधार पर राजकीय धनराशि का व्यय प्रदर्शित कर राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है। परिसम्पत्ति रजि० न बनाकर गत वर्षों के कार्यों के तुलनात्मक जांच से बचने का प्रयास दृष्टिगत होता है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के पृष्ठ 36 के पैरा 8 (क) की व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त दर्शित कुल व्यय रू० 526285.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि० अधि० द्वारा किया जाना सिद्ध होता है। अतः रू० 526285.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रमाकान्त पाण्डेय व ग्रा०पं०वि० अधि० श्री शेषमणि मिश्र से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

15-ग्राम पंचायत- डेलहा

विकास खण्ड-फूलपुर

प्रस्तर- 01-

वित्तीय नियमों के विरुद्ध ग्रामनिधि खाते के धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है। आहरित धनराशि व कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है -

दिनांक	ग्राम निधि से आहरित धनराशि		दिनांक	कैशबुक में दर्शित व्यय	धनराशि
01.05.12	35000.00	To Cash	4.5.12	21500 ईट क्रय दर 4000	रु0 86000.00
01.05.12	20000.00	To Cash	4.05.12	309.28 घनमीटर मिट्टी	रु0 30000.00
03.05.12	30000.00	Vinod (रोजगार सेवक ग्रा0पं0 सराय अब्दुल मलिक)	18.5.12	स्ट्रीट लाईट पर व्यय	रु0 39000.00
04.5.12	41000.00	Vinod (रोजगार सेवक ग्रा0पं0 सराय अब्दुल मलिक)	29.05.12	खड़जा मरम्मत मजदूरी	रु0 10000.00
18.5.12	39000.00	Rajesh			
योग	165000.00			योग	165000.00

उक्त के अवलोकन के स्पष्ट है कि पूर्ण मनमानी तरीके से वित्तीय नियमों के विरुद्ध धनराशि की नकद निकासी की गयी है व ग्राम पंचायत सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक विनोद कुमार के नाम चेक काटने का कोई नियम व औचित्य नहीं है। रु0 86000.00 की ईट क्रय करने के लिए विभिन्न तिथियों में दूसरों के नाम वीयरर चेक काटने का कोई औचित्य व नियम नहीं है। मजदूरी मिट्टी हेतु विनोद कुमार जो कि दूसरी ग्राम पंचायत का रोजगार सेवक है के न चेक काटने का नियम नहीं है तथा स्ट्रीट लाइट हेतु व राजेश के नाम वीयरर चेक काटने का कोई नियम व औचित्य नहीं है। उक्त समस्त आहरण व व्यय वित्तीय नियमों के विरुद्ध तथा अन्तर्विरोध से युक्त है। समस्त व्यय नकद के रूप में प्रधान द्वारा किया जाना दर्शाया गया है किन्तु दूसरों को भुगतान की स्थिति में धनराशि के प्रधान के पास होने का कोई तर्क संगत

औचित्यपूर्ण नियमसंगत अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है फलस्वरूप उक्त दर्शित व्यय पूर्णतया फर्जी व काल्पनिक समायोजन मात्र है। इस प्रकार उक्त कुल रू० 165000.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अपहरण किया गया है। अतः रू० 165000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रामराम व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री हेमन्त सिंह से बराबर-बराबर समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02 —

कैशबुक में दिनांक 12.04.12 को बा०नं० (1) द्वारा मिट्टी कार्य पर रू० 15000.00 का व्यय किया जाना अंकित है। इसकी पुष्टि में प्रस्तुत म०रो० पूर्णतया फर्जी है क्योंकि गार्ड फाइल में ले वा०नं० (6), (10), (12) व (16) से सम्बन्धित म०रो० में लगे श्रमिकों के व्यय से मिलान करने पर अंगूठे फर्जी लगे हुए पाये गये। कैशबुक में मिट्टी की माप 154.64 घन मी० दर 97/- प्रति घन मी० अंकित है। इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रू० 15000.00 की दर 97/- से भाग कर मात्रा लिख दी गयी है और इसके अनुरूप फर्जी म०रो० तैयार कर लिया गया। म०रा० पर कार्य 4.4.12 से 12.04.12 तक किया जाना दर्शित है। मजदूरी का आकलन शाम 5 बजे के बाद ही होता जबकि चेक पूर्ण ही काट दिया गया। इस प्रकार फर्जी म०रो० तैयार कर फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाकर रू० 15000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि० अधि० द्वारा कर लिया गया है। अतः रू० 15000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रामराज व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री हेमन्त सिंह से बराबर-बराबर समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 —

कैश बुक में दिनांक 12.6.12 को A/c No. 07570100021612 ही आहरण रू० 13000.00 अंकित है। पासबुक/स्टेटमेंट में यह धनराशि राजेश नामक व्यक्ति द्वारा निकाली गयी है। धनराशि निकालने के बाद सम्पूर्ण माह जून और सम्पूर्ण माह जुलाई में

इसका व्यय न करके प्रधान के पास नकद दर्शायी गयी है। राजेश नामक व्यक्ति द्वारा निकाली गयी धनराशि का प्रधान के पास लम्बे समय नकद के रूप में दर्शाने का कोई औचित्य नहीं है। दिनांक 8.8.12 को पुनः रु0 10000.00 का आहरण कर लिया गया जबकि रु0 13000.00 का अवशेष पूर्व में था और सम्पूर्ण अगस्त माह में कोई व्यय नहीं हुआ है। माह अगस्त के अन्त में इस प्रकार प्रधान के पास कुल नकद अवशेष रु0 23000.00 कैशबुक में अंकित है। पुनः दिनांक 5.9.12 को रु0 20000.00 नकद आहरण करके पूर्व के नकद अवशेष को सम्मिलित करते हुए रु0 30000.00 का व्यय ईट क्रय पर व दिनांक 5.9.12 की रु0 13000.00 का व्यय सीमेंट क्रय पर किया जाना कैशबुक में अंकित कर दिया गया है। धनराशि आहरण व व्यय की उक्त प्रक्रिया वित्तीय नियमों के पूर्णतया विरुद्ध होने के साथ-साथ स्वयं में विरोधग्रस्त व तार्किक दृष्टिकोण व व्यावहारिक रूप में भी असंगत व दोषपूर्ण है। राजेश नामक व्यक्ति को चेक दिनांक 18.05.12 को रु0 39000.00 का चेक काटकर स्ट्रीट लाइट क्रय किया जाना पूर्व में दर्शित है। और अब यहाँ राजेश नामक व्यक्ति को रु0 13000.00 का चेक काटकर नकद धनराशि प्रधान के पास लगभग तीन महीने नकद के रूप में दर्शाने के बाद ईट क्रय के रूप दर्शाया जा रहा है। यह न केवल परस्पर विरोधात्मक है बल्कि हास्यास्पद भी है। इस प्रकार मनमानी तरीके से वित्तीय नियमों की उपेक्षा करते हुए आहरित धनराशि के सापेक्ष ईट क्रय पर दर्शित उपरोक्त व्यय रु0 30000.00 व सीमेंट क्रय पर व्यय रु0 13000.00 फर्जी व नियम विरुद्ध है। उक्त कुल धनराशि रु0 30000.00 + रु0 13000.00 अर्थात् कुल रु0 43000.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 43000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रामराज व ग्रा0प0वि0अधि0 श्री मनोज कुमार वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा गत वर्षों के साथ-साथ आलोच्य वर्ष का स्टाक रजि0 परिसम्पत्ति रजि0 सार्व0 निर्माण कार्य रजि0 नहीं

बनाया है और पुराने कार्यों की पुनरावृत्ति दर्शाकर राजकीय धनराशि का निर्वाध रूप से अपहरण किया जा रहा है क्योंकि स्थानीय निगरानी व्यवस्था भी अत्यन्त कमजोर व लचर है। उक्त के आलोक में विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा जांच व कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—04 —

कैशबुक में बाउचर नं० (1) द्वारा दिनांक 17.01.12 मजदूरी भुगतान रू० 15000.00 दिनांक 2.9.12 को.बा.नं. (6) द्वारा मजदूरी भुगतान रू० 10000.00 दिनांक 12.11.12 को बा०नं० (10) द्वारा मजदूरी भुगतान रू० 13000.00, दिनांक 31.12.12 को बा०नं० (12) द्वारा मजदूरी भुगतान रू० 13000.00 व दिनांक 28.01.13 को बा०नं० 16 द्वारा मजदूरी भुगतान रू० 14000.00 किया जाना अंकित है जिससे सम्बन्धित मस्टर रोलों पर लगे श्रमिकों के अंगूठे की तुलनात्मक जांच में सुस्पष्ट रूप से सभी के अंगूठे फर्जी पाये गये। इससे स्पष्ट है कि फर्जी म०रो० तैयार कर फर्जी मजदूरी दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा कर लिया गया है। चूँकि बा०नं० (1) से सम्बन्धित धनराशि रू० 15000.00 व बा०नं० (6) से सम्बन्धित धनराशि रू० 10000.00 की वसूली क्रमशः आपत्ति (4) व आपत्ति क्रमांक (3) पर लिखी जा चुकी है अतः बा०नं० (10), (12) व (16) से सम्बन्धित फर्जी भुगतान क्रमशः रू० 13000.00 रू० 13000.00 व रू० 14000.00 अर्थात् कुल रू० 40000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राम राज व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री मनोज कुमार वर्मा से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—05 —

कैशबुक में दिनांक 22.01.13 को बा०नं० (13) द्वारा ईट क्रय पर व्यय रू० 61000.00 व दिनांक 22.01.13 से बा०नं० (14) द्वारा सीमेंट क्रय पर व्यय रू० 30000.00 व दिनांक 28.01.13 को बा०नं०(15) द्वारा बालू क्रय पर व्यय रू० 20000.00 किया जाना अंकित है। सामग्री क्रय के लिए वित्तीय नियमों के विरुद्ध समस्त धनराशि की नकद निकासी हुई। तीन बार नकद निकासी कर

रु0 61000.00 की ईट क्रय की जानी दर्शित है जबकि इसके लिए कोटेशन लेकर फर्म को चेक काटकर आयकर कटौती भी की जानी चाहिए। अपहरण के उद्देश्य से चेक फर्म को न काटकर नकद निकासी की गयी। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त कुल धनराशि रु0 61000.00+ रु0 30000.00+ रु0 20000.00 अर्थात् कुल रु0 1,11,000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। लेखा परीक्षा में बार-बार अपेक्षा के बावजूद स्टॉक रजि0 व परिसम्पत्ति रजि0 भी नहीं दिखाया गया। अतः उक्त अपहरित धनराशि रु0 1,11,000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रामराज व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री मनोज कुमार वर्मा से बराबर-बराबर रूप से की जानी अपेक्षित है।

16—ग्राम पंचायत— सराय हुसैना

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

कैशबुक में दिनांक 25.06.12 को वा0नं0 (5) द्वारा स्ट्रीट लाइट 17 नग क्रय पर रु0 44200.00 व वा0नं0 (6) द्वारा स्ट्रीट लाइट 18 नग क्रय पर रु0 46800.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त के क्रय हेतु चेक द्वारा भुगतान फर्म को न करके दिनांक 25.6.12 को प्रधान श्री अशफाक अहमद के नाम वीयरर चेकों द्वारा क्रमशः रु0 44200.00 व रु0 46800.00 का नकद आहरण करके नकद भुगतान किया जाना दर्शित है। एक ही दिनांक में दो चेकों से नकद आहरण कर स्ट्रीट लाइट खरीदने का कोई औचित्य नहीं है यदि वास्तविक रूप से स्ट्रीट क्रय की गयी होती तो एक ही चेक से फर्म के नाम भुगतान किया जाना तर्कसंगत सुविधाजनक व नियमानुसार होता है। स्ट्रीट लाइट लगाने के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया तथा पुष्टि हेतु स्टॉक रजि0 व परिसम्पत्ति रजि0 भी नहीं दिखाया गया। स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट का फर्जी व्यय दर्शाकर रु0 44200.00 + रु0 46800.00 अर्थात् कुल रु0 91000.00 आहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0द्वारा

किया गया है। अतः रू0 91000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री अशफाक अहमद व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री मनोज कुमार वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02 —

कैशबुक में दिनांक 31.5.12 की वा0नं0 41 द्वारा ईट क्रय पर व्यय रू0 40000.00 व दिनांक 5.01.13 को वा0नं0 (7) द्वारा ईट क्रय पर व्यय रू0 48000.00 किया जाना दर्शित है। ईट क्रय हेतु भुगतान चेक द्वारा फर्म को न करके प्रधान श्री अशफाक अहमद के नाम वीयरर चेक द्वारा नकद निकासी कर नकद भुगतान किया जाना दर्शित है जोकि वित्तीय नियमों का उल्लंघन है तथा अनुमन्य नहीं है। ईट के उपभोग की पुष्टि में स्टॉक रजि0 व परिसम्पत्ति रजि0 भी नहीं दिखाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि नियम विरुद्ध आहरण कर फर्जी ईट क्रय दर्शाकर रू0 40000.00 + रू0 48000.00 अर्थात् रू0 88000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रू0 88000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री अशफाक अहमद व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री मनोज कुमार वर्मा के समस्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 —

कैशबुक में दिनांक 13.02.13 को वा0नं0 (11) द्वारा ह्यूम पाइप फिटिंग की मजदूरी पर व्यय रू0 7000.00 किया जाना दर्शित है तथा दिनांक 15.02.13 को वा0नं0 12 द्वारा ह्यूम पाइप खरीद 25 नग पर व्यय रू0 52500.00 किया जाना दर्शित है। ह्यूमपाइप के उपभोग की पुष्टि में बार-बार मांग के बावजूद स्टॉक रजि0 व परिसम्पत्ति रजि0 नहीं दिखाया गया। ह्यूम पाइप लगाने के स्थल का विवरण भी नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप की खरीद व लगवाई दोनों फर्जी है। विभागीय स्थल सत्यापनोंपरान्त उक्त मद में दर्शित व्यय धनराशि रू0 7000.00 + रू0 52500.00 व अर्थात् रू0 59500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री अशफाक अहमद व

ग्रा०पं०वि०अधि० श्री मनोज कुमार वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—04 —

कैशबुक में दिनांक 10.1.13 को वा०नं० (10) द्वारा मजदूरी व्यय रू० 14625.00 किया जाना दर्शित है। सम्बन्धित म०रो० फर्जी तरीके से तैयार कर मजदूरी भुगतान दर्शाया जा रहा है क्योंकि मु०रो० पर कार्य 01.01.13 से 10.01.13 तक किया जाना दर्शित है और इसमें कार्यरत दिखाये श्रमिक राम सजीवन, सीताराम, भगीरथी व रसीद खॉ मनरेगा कार्य जिला परिशद से भोलानाथ यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग में प्रयुक्त म०रो० क्रमांक 735286 व 735287 में दिनांक 2.01.13 से 8.01.13 तक कार्यरत दर्शाए गये है तथा जिनका भुगतान दिनांक 10.01.13 को चेक नं० 598210 द्वारा कर दिया है। इस प्रकार फर्जी म०रो० तैयार कर रू० 14625.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा कर दिया है। इस प्रकार फर्जी म०रो० तैयार कर रू० 14625.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा कर लिया गया है। अतः रू० 14625.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री अशफाक अहमद व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री मनोज कुमार वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

17—ग्राम पंचायत— पतुलकी

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

ग्रामनिधि खाता—। A/c No. 21870100008162 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण ढंग से धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है विवरण निम्नवत् है —

दिनांक	खाता—। A/c No. 21870100008162 से आहरण
20-4-12	26000.00 Self
10-5-12	42000.00 To Cash

15-05-12	15600.00	Vijay Bahadur
29-5-12	18500.00	Vijay Bahadur
04-10-12	45000.00	To Anjani Yadav
11-10-12	25000.00	To Anjani Yadav
25-03-13	24000.00	Vijay Bahadur
Total	196100.00	

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल रू० 196100.00 के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार अपेक्षा के बावजूद बिल-बाउचर म०रो० स्टाक रजि० परि०रजि० आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि नियम विरुद्ध तरीके से आहरित धनराशि रू० 196100.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अतः रू० 196100.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री विजय बहादुर व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री श्याम लाल से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय नियमों का पालन करने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि सामग्री क्रय में नियमानुसार कोटेशन टेण्डर लेकर टी०डी०एस० कटौती करते हुए फर्म के नाम एकाउन्टपेयी चेक काटा जाना चाहिए किन्तु प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा धनराशि के अपहरण के उद्देश्य से उक्त निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर ए०डी०ओ० (पं०) द्वारा निगरानी कार्य में की जा रही शिथिलता व उदासीनता के कारण भी वित्तीय नियन्त्रण नहीं स्थापित हो पा रहा है तथा वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग को प्रोत्साहन मिल रहा है। उक्त के आलोक में ए०डी०ओ० (पं०) के विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।?

18—ग्राम पंचायत— गगौर

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

कैशबुक दिनांक 17.01.13 को खाता संख्या 07510100021625 से चेक नं० 52311 से प्रधान को रू० 13900.00 का आहरण दर्शाकर दिनांक 17.1.13 को पाइप क्रय पर व्यय रू० 9700.00 व हैण्डपम्प सामग्री पर मजदूरी सहित व्यय रू० 4200.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय पूर्णतः फर्जी व काल्पनिक दर्शाया गया है क्योंकि दिनांक 17.01.13 को रू० 13900.00 का आहरण ही नहीं हुआ है। विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कैशबुक में फर्जी व काल्पनिक व्यय दर्शाने के लिए प्रधान व ग्रा०पं०अ० के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—02—

कैशबुक (ग्राम निधि— I) में ईट क्रय निम्न विवरणानुसार की जानी दर्शित है।

दिनांक	वा०नं०	ईट क्रय पर व्यय धनराशि
15.05.12	3	रू० 18500.00 (ईट क्रय)
07.07.12	9	रू० 37000.00 (ईट क्रय)
25.07.12	10	रू० 10000.00 (राविश क्रय)
	योग	रू० 65500.00

उक्त व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर नहीं प्रस्तुत किया गया तथा क्रय व उपभोग की पुष्टि में वांछित अन्य अभिलेख यथा स्टॉक रजि० परिसम्पत्ति रजि० सार्व० निर्माण कार्य रजि० भी नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि फर्जी व्यय दर्शाकर रू० 65500.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा किया गया है। अतः रू० 65500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती अनीता देवी व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री शेशमणि मिश्र से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 —

कैशबुक में दिनांक 27.07.2012 को वा0नं0 (11) द्वारा सीमेंट (बालू क्रय पर व्यय) रु0 30600.00 किया जाना दर्शित है। उक्त रु0 30600.00 का नकद आहरण पासबुक में अंकित है जिससे स्पष्ट होता है कि भुगतान वित्तीय नियमों के विरुद्ध हुआ है तथा व्यय की पुष्टि में प्रमाणक तथा स्टॉक व परिसम्पत्ति रजि0 भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि रु0 30600.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा गबन/अपहरण किया गया है। अतः रु0 30600.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेषमणि मिश्र से 16प्रतिशत तातारीख ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि सामग्री का उपभोग भी कैशबुक में कहीं नहीं अंकित है।

प्रस्तर-04 —

कैशबुक (ग्रामनिधि- I) में दिनांक 27.12.13 को वा0नं0 (13) द्वारा वित्तीय नियमों के विरुद्ध सीमेंट/बालू की खरीद पर व्यय रु0 16910.00 प्रधान द्वारा नकद आहरण कर किया जाना दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः लेखा मैनुअल के पृष्ठ 36 के पैरा 8 (क) के अनुसार रु0 16910.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उत्तरदायी प्रधान श्रीमती अनीता व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेषमणि मिश्र से रु0 16910.00 की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है। सामग्री का उपभोग भी कहीं नहीं दर्शित है।

प्रस्तर-05—

कैशबुक में निम्न विवरणानुसार श्रमिकों की मजदूरी भुगतान पर व्यय दर्शित है—

दिनांक	वा0नं0	व्यय विवरण	व्यय धनराशि
5.5.12	(2)	नाली मरम्मत में लगे मजदूरों का भुगतान	रु0 2000.00
15.5.12	—	खड़न्जा मरम्मत में लगे मजदूरों का भुगतान	रु0 4000.00
20.05.12	(5)	खड़न्जा मरम्मत में लगे मजदूरों का भुगतान	रु0 6000.00
30.6.12	(7)	खड़न्जा मरम्मत में लगे मजदूरों का भुगतान	रु0 10000.00
07.07.12	(8)	खड़न्जा मरम्मत में लगे मजदूरों का भुगतान	रु0 10000.00
		योग	य0 32000.00

उक्त मजदूरी भुगतान की पुष्टि में बार—बार अपेक्षा के बावजूद म0रो0 नहीं प्रस्तुत किया गया। कार्य स्थल का उल्लेख व माप का विवरण कैशबुक में नहीं अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाकर उक्त रु0 32000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः रु0 32000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती अनीता व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेषमणि मिश्र से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ—साथ अन्य प्रशासनिक व विभागीय कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—6 —

मनरेगा कैशबुक के आलोच्य वर्ष 2012—13 में दिनांक 17.4.12 को नाली खुदाई लालजी चौरसिया के घर से तालाब तक के कार्य पर श्रमिकों को मजदूरी भुगतान चेक नं0 836696 द्वारा रु0 25720.00 का किया जाना दर्शित है किन्तु सम्बन्धित कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त भुगतान से सम्बन्धित म0रो0 क्रमांक 732741 से 732745 का निर्गमन दिनांक 17.5.12 को किया गया है एवं म0रो0 पर कार्य दिनांक 18.5.12 से 23.5.12 तक व 30.5.12 से 4.06.12 तक किया जाना अंकित है जिसका विवरण निम्नवत् है —

म०रो० क्रमांक	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा म०रो० निर्गत करने की तिथि	म०रो० पर कार्य की तिथि	म०रो०पर मजदूरी की धनराशि
732741	17.05.12	18.5.12 से 23.5.12 तक	6480.00
732742	17.05.12	18.5.12 से 23.5.12 तक	2520.00
732743	17.05.12	24.5.12 से 24.5.12 तक	6240.00
732744	17.5.12	24.5.12 से 29.5.12 तक	6160.00
732745	17.05.12	30.5.12 से 4.06.12 तक	4320.00
		योग रू०	25720.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि म०रो० पर कार्य होने के पूर्व ही फर्जी ढंग से रू० 25720.00 का भुगतान कर दिया गया है जो पूर्णतया फर्जी है और जिसका प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० की पारस्परिक मिली भगत से गबन कर लिया गया है। इस फर्जी भुगतान को छिपाने के लिए प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० तथा रोजगार सेवक द्वारा बैंक को मजदूरी भुगतान सम्बन्धी इनवाइस में दिनांक 17.6.12 अंकित किया गया है जिसकी छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है तथा भुगतान सम्बन्धी चेक की छायाप्रति पत्रावली से हटा दी गयी है। इस कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका में मुद्रित क्रमांक का उल्लेख नहीं है जोकि कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की गम्भीर अनियमितता को प्रदर्शित करता है। इस मापपुस्तिका के पेज (1) पर कार्य की एम०बी० पर **Date of Start, Date of Completion & Date of Measurement** के सम्मुख दिनांक नहीं पड़ी है। जो कि कार्य की एम०बी० प्रक्रिया पर गम्भीर प्रश्न खड़ा करती है। नियमानुसार कार्य से सम्बन्धित म०रो० पर एम०बी० का तथा मापपुस्तिका पर म०रो० का संक्षिप्त उल्लेख होना चाहिए जोकि नहीं हुआ है। कार्य से सम्बन्धित म०रो० पर “हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता” के कालम में अधिकांश श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रायः म०रो० पर एम०आई०एस० फीडिंग के क्रमांक का उल्लेख होता है जिस पर ए०पी०ओ० अथवा सम्बन्धित कर्मचारी के हस्ताक्षर होते हैं किन्तु इस म०रो० पर एम०आई०एस० फीडिंग क्रमांक व हस्ताक्षर का अंकन नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि रू० 25720.00 की

एम0आई0एस0 फीडिंग भी नहीं हुई है। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा के पर्यवेक्षणीय दायित्वों की बड़ी चूक है। यदि रू0 25720.00 की एम0आई0एस0 फीडिंग पायी जाती है तब भी वह अनिवार्यतः फर्जी ढंग से की गयी है क्योंकि धनराशि के भुगतान व कार्य से सम्बन्धित म0रो0 पर अन्तर्विरोध सुस्पष्ट है।

उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में दिनांक 17.4.12 को श्रमिकों को कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व रू0 25720.00 मजदूरी भुगतान के बाद श्रमिकों से कार्य करने हेतु आवेदन पत्र लिया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

जॉब कार्ड धारक का नाम	ग्रा0पं0	जॉब कार्ड संख्या	जिस दिनांक पर कार्य हेतु उपस्थित होने का कहा गया है
1. शिवमूरत	गगौर	4500606900100057	18.5.12
2. जवाहर लाल	गगौर	4500606900100114	18.5.12
3. अमर सिंह	गगौर	4500606900100104	18.5.12
4. मुन्ना लाल	गगौर	4500606900100137	18.5.12
5. जगदीश	गगौर	4500606900100008	18.5.12
6. लालता प्रसाद	गगौर	4500606900100058	18.5.12
7. बनारसी लाल	गगौर	4500606900100028	18.5.12
8. राम गरीब	गगौर	4500606900100012	18.5.12
9. आजाद अली	गगौर	4500606900100281	18.5.12
10. अशोक कुमार	गगौर	4500606900100048	18.5.12

इस प्रकार उक्त तथ्यों से सुस्पष्ट है कि कार्य प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व ही फर्जी मजदूरी भुगतान रू0 25720.00 को करने छिपाने के विभिन्न फर्जी व अविधिक तरीकों को अपनाया गया। अतः रू0 25720.00 की वसूली प्रधान श्रीमती अनीता व ग्रा0पं0वि0अधि0 शेशमणि मिश्र से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त के साथ ही भुगतान प्रक्रिया में यह भाभी रोजगार सेवक टी0ए0, एम0आई0एस0 फीडिंग स्टॉक व

कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा के विरुद्ध भी नियमानुसार प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—07 —

आपत्ति क्रमांक (7) ये सम्बन्धित कार्य नाली खुदाई लालजी चौरसिया के घर से तालाब तक से सम्बन्धित फाइल में मनरेगा धनराशि के भवन का दूसरा गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आया। कैशबुक में उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान दिनांक 15.12.2012 चेक नं० 760582 द्वारा रू० 7130.00 किया जाना दर्शित है। यद्यपि कैशबुक में त्रुटिपूर्ण ढंग से चेक संख्या का उल्लेख 760542 किया गया है। इससे सम्बन्धित म०रो० क्रमांक 734780 जिसका मुद्रण दिनांक 07.12.2012 अंकित है तथा जिस पर कार्य करने की तिथि 7.12.12 से 13.12.13 तक अंकित है, पर कुल मजदूरी का योग रू० 4250.00 अंकित है। इस मूल म०रो० की छायाप्रति में श्रमिकों की मजदूरी का योग फर्जी ढंग से बढ़ाकर रू० 7130.00 करके मजदूरी भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार फर्जी म०रो० के आधार पर रू० 7130.00 का भुगतान प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा किया गया है। अतः रू० 7130.00 की वसूली प्रधान श्रीमती अनीता व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री शेषमणि से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त म०रो० की छायाप्रति पर फर्जी ढंग से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु रोजगार सेवक की सहभागिता, म०रो० की छायाप्रति के आधार पर मूल म०रो० की उपेक्षा करते हुए टी०ए० द्वारा एम०बी० किया जाना तथा फर्जी म०रो० के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा एम०आई०एस० फीडिंग किया जाना सुस्पष्ट रूप से प्रकाश में आया। इस प्रकार मनरेगा से जुड़े सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की मिली भगत से उक्त फर्जी भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की गयी। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार उचित प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—08 —

कच्ची नाली खुदाई नहर से तालाब तक के कार्य पर मजदूरी भुगतान दिनांक 23.01.2013 चेक नं०

760586 द्वारा 16250.00 किया जाना मनरेगा कैशबुक में अंकित है जिसकी वित्तीय स्वीकृति 18.12.12 को कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा द्वारा की गयी है। उक्त कार्य से सम्बन्धित म0रो0 पर कार्य का विवरण निम्नवत् है :—

म0रो0नं0	कार्य की तिथि	म0रो0पर मजदूरी भुगतान
735355	8-1-13 से 11-1-13तक	7250.00
735356	8-1-13 से 11-1-13तक	750.00
735357	15-1-13 से 21-1-13तक	7500.00
735358	15-1-13 से 21-1-13तक	750.00
	योग रू0	16250.00

उक्त कार्य की एम0बी0 दिनांक 26.12.12 को माप-पुस्तिका के पेज 9 से 11 तक में की गयी है। एम0बी0 के अन्त में पेज 11 पर हस्ताक्षर के साथ दिनांक 26.12.12 अंकित है। यद्यपि माप पुस्तिका के प्रारम्भ में पेज (9) पर **Date of Strt, Date of Completion व Date of Measurement** नहीं अंकित है। इस प्रकार सुस्पष्ट है कि कार्य दिनांक 21.1.13 के समाप्त दिखाया जा रहा है तदुपरान्त कुल मजदूरी रू0 16250.00 हो रही है किन्तु म0रो0नं0 कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही दिनांक 26.12.12 को कार्य की एम0बी0 कर दी जा रही है जो कि मनरेगा से जुड़े समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर मनरेगा कार्य में फर्जीवाड़ा कर धनराशि गबन करने का सुस्पष्ट प्रमाण है। अतः फर्जी एम0बी0 के आधार पर किये गये भुगतान रू0 16250.00 की वसूली प्रधान श्रीमती अनीता व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेषमणि मिश्र व तकनीकी सहायक श्री एस0एन0 यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ इसमें संलिप्त रोजगार सेवक एम0आई0एस0 फीडिंग स्टॉक आदि के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-09 —

मनरेगा कैशबुक में दिनांक 18.1.13 को रु0 484.00 का व्यय फोटोस्टेट पर दिनांक 24.1.13 को रु0 3760.00 का व्यय वृक्ष क्रय पर तथा रु0 2200.00 का व्यय फोटो बनवाने हेतु श्री राकेश चौरसिया को देकर किया जाना दर्शित है। मांग के बावजूद भी पुष्टि हेतु प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हुई। अतः उक्त दर्शित कुल व्यय धनराशि रु0 6444.00 की वसूली प्रधान श्रीमती अनीता व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेषमणि मिश्र से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 —

कैशबुक में दर्शित मनरेगा कार्यों की एम0बी0 एक ही मापपुस्तिका पर की गयी है जिसमें क्रमांक का उल्लेख भी नहीं है यह प्रक्रिया अत्यन्त दोषपूर्ण व नियम विरुद्ध है। कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा द्वारा इस विषय का संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 —

मनरेगा कैशबुक में पेज का अंकन नहीं किया गया है। कैशबुक में माह अगस्त 09 से लेकर माह मई 11 तक की अवधि की कैशबुक ही नहीं बनी है। यह आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक 806/संप्रेक्षा/क्षे0पं0 आडिट/2011-12 दिनांक 05.8.2011 के मनरेगा कैशबुक अद्यतन बनाने के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। कैशबुक न बने होने से उक्त अवधि की आहरित सम्पूर्ण धनराशि गबन की श्रेणी में आ रही है। इससे ए0डी0ओ0 (पं0) द्वारा गगौर ग्राम पंचायत की वर्ष 2010-11 की आडिट अनुपालन आख्या के क्रमांक (5) पर अवलोकित यह परिपालन “मनरेगा से सम्बन्धित समस्त अभिलेख पूर्ण है। आगामी वर्ष की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। पूर्णतया असत्य सिद्ध होता है। यह अत्यन्त ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण कार्य है तथा वित्तीय अनियमितता को प्रोत्साहित करने वाला कृत्य है। उच्चाधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते

हुए उक्त सम्पूर्ण प्रकरण पर विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	ग्राम पंचायत	अवधि	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम
01	गगौर	अगस्त 2009 से मार्च 2010 तक मनरेगा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि	294277.00	प्रधान—श्रीमती प्रभावती देवी सचिव— श्री शेष मणि मिश्र
		अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2010 तक	मनरेगा कोषबही में अंकन नहीं पाया गया है और न ही बैंक स्टेटमेंट/पासबुक प्रस्तुत कराई गई	प्रधान—श्रीमती प्रभावती देवी सचिव— श्री शेष मणि मिश्र
		नवम्बर 2010 से मई 2011 तक	मनरेगा कोषबही में अंकन नहीं पाया गया है और न ही बैंक स्टेटमेंट/पासबुक प्रस्तुत कराई गई	प्रधान—श्रीमती प्रभावती देवी सचिव— श्री शेष मणि मिश्र

19—ग्राम पंचायत— अगहुआ

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

ग्राम निधि खाता —III A/c No. 5166 से छात्रवृत्ति की धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी छात्रवृत्ति वितरण दर्शाकर प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अपहरण कर लिया गया है। दिनांक 09.4.12 को उक्त खाते से रु० 47700.00 निकालकर दिनांक 10.4.13 को प्रा०पा० के छात्रों का छात्रवृत्ति वितरण रु०

47700.00 कैशबुक में दर्शाया गया है। पुनः दिनांक 17.08.12 को रू0 15000.00 का आहरण कर कैशबुक में दिनांक 17.8.12 को रू0 15000.00 का छात्रवृत्ति वितरण दर्शाया गया है। उक्त दोनों छात्रवृत्ति वितरण रू0 47700.00 व रू0 15000.00 की पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर बार-बार अपेक्षा के बावजूद नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि छात्रवृत्ति वितरण फर्जी है और इसका प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 47500.00 और रू0 15000.00 अर्थात् कुल रू0 62500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री सलीम खॉ व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री रमाकान्त यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

20—ग्राम पंचायत— खोदायपुर

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

कैशबुक में दिनांक 9.5.12 को स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय रू0 26000.00 व रू0 39000.00 किया जाना दर्शित है। दोनों भुगतान वित्तीय नियमों के विरुद्ध विवेक कुमार को किया जाना दर्शित है। स्ट्रीट लाइट क्रय नियमानुसार फर्म को भुगतान किया जाना चाहिए। एक ही तिथि 9.5.12 को दो चेकों द्वारा विवेक कुमार को भुगतान कर स्ट्रीट लाइट क्रय करने का कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है और क्रय की पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया तथा उपभोग स्थल का विवरण भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट क्रय पर दर्शित व्यय पूर्णतया फर्जी है और विवेक कुमार से मिली भगत कर प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा उपरोक्त धनराशि रू0 26000+रू0 39000 अर्थात् कुल रू0 65000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 65000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती केवलापत्ती व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 02—

ग्राम निधि खाता—। A/c 07570100022329 से दिनांक 25.03.13 को रू0 40000.00 व रू0 27375.00 का ट्रांसफर किसी खाते में हुआ है जिसे कैशबुक में धर्मराज पाल को भुगतान किया जाना अंकित है। उक्त धनराशि से प्रधान द्वारा दिनांक 25.03.2013 को ईट क्रय पर रू0 40,000.00 व दिनांक 25.03.2013 को पट्टी मरम्मत पर मजदूरी भुगतान रू0 27375.00 किया जाना दर्शित है। कैशबुक में दर्शित व्यय पूर्णतया फर्जी है क्योंकि जा धनराशि दूसरों के खाते में ट्रांसफर हो रही है उससे प्रधान द्वारा नगद व्यय किया जाना सम्भव ही नहीं है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 40000.00 + रू0 27375.00 अर्थात् रू0 67375.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती केवलापत्ती व ग्रा0प0वि0अधिकारी श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 03—

कैशबुक में दिनांक 25.03.2013 को पत्थर गली से राम बहादुर के घर के आगे हाइवे तक खड़जा मरम्मत पर व्यय रू0 35125.00 किया जाना दर्शित है। व्यय की पुष्टि में म0रो0 नहीं प्रस्तुत किया गया तथा कार्यस्थल की माप भी नहीं अंकित है। स्पष्ट है कि रू0 35125.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रू0 35125.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती केवला पत्ती व ग्रा0प0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 04—

वित्तीय नियमों के विरुद्ध ग्रामनिधि—। से दिनांक 15.03.13 को रू0 24000.00 का आहरण प्रधान द्वारा किया गया है क्योंकि इस धनराशि से रू0 1650.00 मजदूरी पर व शेष सामग्री पर जिसमें दिनांक 15.3.13 को हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 14530.00, ईट क्रय पर रू0 4200.00, सीमेंट बालू क्रय पर रू0 3620.00 का व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है जिसकी पुष्टि में

कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि नियम विरुद्ध मनमानीपूर्ण ढंग से रू० 24000.00 की निकासी कर और कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रू० 24000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती केवला पत्नी व ग्रा०प०वि०अधि० श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 05—

ग्राम निधि— से नियम विरुद्ध तरीके से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम से धनराशि का आहरण निम्न प्रकार से किया गया है—

दिनांक	आहरित धनराशि
8.11.12	रू० 6000.00 हेमन्त सिंह
12.11.2	रू० 9000.00 हेमन्त सिंह
ग्रा०प०वि०अधि०	
27.11.12	रू० 32000.00 हेमन्त सिंह
योग	रू० 47000.00

उपरोक्त में दिनांक 8.11.12 को ईट क्रय पर व्यय रू० 6000.00 एवं दिनांक 12.11.12 व दिनांक 27.11.12 को क्रमशः रू० 9000.00 व रू० 32000.00 का व्यय नाला खोदाई मजदूरी पर दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि सचिव द्वारा अनाधिकृतरूप से स्वयं के नाम धनराशि आहरित कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त कुल धनराशि रू० 47000.00 का अपहरण ग्रा०प०वि०अधि० व प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अतः रू० 47000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती केवलापत्नी व ग्रा०प०वि०अधि० हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 6-

लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध ग्राम निधि-। की धनराशि का भुगतान कुछ व्यक्तियों (यथा राजेश, धर्मराज, विनोद कुमार, (रोजगार सेवक सराय अब्दुल मलिक) व राज बहादुर) के नाम से किया गया है और फिर उसी धनराशि से विभिन्न मदां पर व्यय कैशबुक में दर्शित है जो कि सम्भव नहीं है विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	खाता-। की आहरित धनराशि	
07.04.12	10000.00	राजेश
10.4.12	1000.00	धर्मराज
26.04.12	6000.00	राजेश
13.06.12	20000.00	धर्मराज पाल
21.6.12	1000.00	राजेश
26.6.12	5000.00	के०एन० सिंह
07.07..12	3000.00	राज बहादुर
12.07.12	26000.00	राजेश कुमार
19.07.12	37000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक सराय अब्दुल मलिक)
6.08.12	24000.00	विजय कुमार
01.10.12	27000.00	राजेश कुमार
योग रू०	160000.00	

उपरोक्त आहरित धनराशि से कैशबुक में विभिन्न मदां (यथा मजदूरी सीमेंट, ह्यूम पाइप ईट आदि) में व्यय प्रधान द्वारा किया जाना दर्शित है जो कि नियमानुसार कदापि सम्भव नहीं है। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त कुल आहरित धनराशि रू० 160000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा किया गया है अतः रू० 160000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रदान श्रीमती केवलापति व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

21—ग्राम पंचायत— बारो

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

कैशबुक में दिनांक 9.5.12 को स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय रू0 39000.00 किया जाना दर्शित है। उक्त की पुष्टि में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। उपभोग स्थल का विवरण भी नहीं अंकित है। उक्त की खरीद हेतु चेक फर्म को न देकर विवेक कुमार नामक व्यक्ति को वीयरर चेक दिया गया है, आयकर व्यापार कर कटौती के नियमों का पालन नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि पूर्ण मनमानी तरीके वित्तीय नियमों के विरुद्ध रू0 39000.00 का आहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा विवेक कुमार से मिली भगत कर किया गया एवं कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 39000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रू0 39000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 02—

उपरोक्त की भांति दिनांक 5.6.12 को स्ट्रीट लाइट पर व्यय रू0 33800.00 किया जाना कैशबुक में अंकित है। इसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया तथा खरीद हेतु चेक भी नियम विरुद्ध तरीके से विवेक कुमार के नाम दिया गया है जो कि वीयरर चेक है। स्पष्ट है कि नियम विरुद्ध भुगतान कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 33800.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रू0 33800.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 03—

ग्राम निधि—। के वित्तीय नियमों के विरुद्ध निम्न प्रकार से राजकीय धनराशि का आहरण हुआ है —

दिनांक	आहरित धनराशि		कैशबुक में दर्शित व्यय का संक्षिप्त उल्लेख
04.04.12	30000.00	राजेन्द्र प्रसाद	मजदूरी व ईट क्रय पर व्यय
16.04.12	20000.00	" "	
26.4.12	20000.00	काशीनाथ	ईट क्रय व हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2.07.12	25000.00	To Cash	ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय
6.8.12	15000.00	To Cash	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
13.8.12	5000.00	राजेन्द्र प्रसाद	प्रशासनिक मद पर व्यय
5.9.12	10000.00	To Cash	मिट्टी कार्य
17.10.12	20000.00	To Cash	मिट्टी कार्य
22.10.12	5500.00	To Cash	
10.11.12	14000.00	To cash	ईट क्रय व खड़ंगा मजदूरी
29.11.12	13000.00	To Cash	
27.12.12	37600.00	To Cash	मिट्टी कार्य व प्रशासनिक मद पर व्यय
07.02.12	30000.00	To Cash	पट्टी मरम्मत
05.02.13	42000.00	To Cash	ईट व्यय व खड़ंगा मजदूरी
23.02.13	18000.00	To Cash	मिट्टी कार्य
23.02.13	10000.00	To Cash	खड़ंगा निर्माण मजदूरी, पंचायत भवन पोताई
14.03.13	39500.00	To Cash	ईट क्रय व मिट्टी खड़ंगा पर व्यय
25.03.13	20000.00	To Cash	
योग रू०	374600.00		

उपरोक्तानुसार पूर्ण मनमानी तरीके बड़ी मात्रा में एक साथ नकद धनराशि निकाल कर सामग्री एवं मजदूरी पर फर्जी व्यय दर्शाया गया है क्योंकि व्यय की पुष्टि प्रमाणकों व अन्य अभिलेखों से नहीं करायी गयी तथा नियमानुसार चेक फार्म को न देकर बार-बार नकद धनराशि निकाली गयी है। इस प्रकार उक्त धनराशि

रु0 374600.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रु0 374600.00 की वसूली प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

22—ग्राम पंचायत— पाली

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

ग्राम निधि—। A/c 0750100022387 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण तरीके से निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा राजकीय धनराशि की निकासी की गयी है। विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	आहरित धनराशि
9.4.12	1600.00 Rajesh
9.4.12	5500.00 Rajesh Kumar
19.4.12	12000.00 To Cash
19.4.12	24500.00 To Cash
30.04.12	13000.00 Ram Ji
30.04.12	14600.00 Rakesh
15.05.12	11000.00 To Cash
15.05.12	15000.00 To Cash
22.05.12	20900.00 To Cash
22.05.12	20500.00 To Cash
29.05.12	1200.00 Gulab Chand
08.06.12	14700.00 To Cash
20.06.12	8000.00 To Cash
26.06.12	10800.00 To Cash
30.06.12	500.00 To Cash

3.09.12	1000.00	To Cash
3.10.12	18200.00	To Cash
11.10.12	28800.00	To Cash
18.10.12	22800.00	To Cash
30.10.12	3100.00	Rajesh Singh
12.11.12	25200.00	To Cash
21.11.12	15000.00	To Cash
22.11.12	4800.00	To 02/175
26.11.12	9000.00	To Cash
15.12.12	37700.00	To Rajesh
28.12.12	31200.00	To Rajesh
31.12.12	1000.00	To Cash
31.12.12	9000.00	To Cash
02.01.13	600.00	To 01/25605
08.01.13	16000.00	Bahadur Int.
24.01.13	1000.00	Raj Kumar
24.01.13	31500.00	To Cash
31.01.13	1000.00	To Cash
06.02.13	25200.00	To Cash
12.02.13	25200.00	To Cash
22.02.13	20000.00	To Cash
25.03.13	20500.00	To Cash
योग रू0	521600.00	

उपरोक्तानुसार पूर्ण मनमानी व वित्तीय नियमों के विरुद्ध नकद धनराशि (अधिकांशतः) की निकासी कर कैशबुक में फर्जी व काल्पनिक समायोजन दर्शाकर प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि के कैशबुक में दर्शित व्यय समायोजन के सापेक्ष बार-बार

मांग के बावजूद बिल—बाउचर भी नहीं प्रस्तुत किया गया। व्यय की पुष्टि में अन्य वॉछित अभिलेख यथा स्टाक रजि० परिसम्पत्ति रजि० कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, व्यय भुतान हेतु सम्बन्धित समितियों की स्वीकृति आदि बार—बार मांगने के बावजूद नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः लेखा मैनुअल के पृष्ठ 36 के पैरा 8(क) के अनुसार रू० 521600.00 का गबन प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा कर दिया गया है। अतः रू० 521600.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राकेश कुमार यादव व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री राजेश कुमार सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ—साथ नियमानुसारअन्य विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त आपत्ति से अनिवार्यतः यह निष्कर्ष भी निगमित होता है कि ए०डी०ओ० (पं०) द्वारा 13वां वित्त व राज्य वित्त का प्रिया साफ्ट्स में फीडिंग भी बिना बिल बाउचर के काल्पनिक आधार पर कराई गई है एवं राजकीय धनराशि के समुचित परीक्षणोपरान्त ए०डी०ओ० (पं०) के विरुद्ध भी नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

23—ग्राम पंचायत— देवनहरी

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

कैशबुक में दिनांक 21.05.12 को श्रीकृष्ण इण्टर कालेज में जूनियर छात्रों को रू० 36240.00 छात्रवृत्ति वितरित किया जाना दर्शित है। इस समयावधि में प्रधान व ग्रा०पं०अधि० के संयुक्त खाते छात्रवृत्ति वितरण पर रोक लगी थी एवं खाते में अवशेष छात्रवृत्ति सम्बन्धित विभाग की वापस किये जाने का निर्देश था। छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजि० नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अनधिकृत व फर्जी छात्रवृत्ति वितरण दर्शाकर प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा रू० 36240.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः उत्तरदायी प्रधान श्रीमती कविता देवी व ग्रा०पं०अधि० श्री गायत्री प्रसाद मिश्र से रू० 36240.00 की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली

के साथ-साथ उचित प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

24—ग्राम पंचायत— हेमापुर

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

मनरेगा फाइलों की जांच में पाया गया कि फर्जी एम0बी0 के आधार पर दिनांक 31.3.13 को रू0 72030.00 की ईट क्रय दर्शाकर रू0 72030.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0प0वि0 अधि0 द्वारा कर दिया गया है।

मनरेगा कार्य उदईपुर नहर पुलिया से पाल बस्ती होते हुए रामगढ़ कोठारी बार्डर तक मिट्टी व खड़जा कार्य से सम्बन्धित फाइल पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य से सम्बन्धित म0रो0 पर खड़जा निर्माण कार्य निम्न प्रकार से हुआ है—

म0रो0 क्रमांक	कार्य की अवधि	म0रो0 पर मजदरी रू0 में
1726	19.7.13 से 25.7.13	5538.00
1727	19.7.13 से 25.7.13	4828.00
1728	19.7.13 से 25.7.13	994.00
1729	26.07.13 से 01.8.13	7952.00
1730	26.07.13 से 01.8.13	8094.00
1731	26.07.13 से 01.8.13	1704.00

स्पष्ट है कि कार्य 19.07.13 से 01.8.13 तक हो रहा है जबकि ईट क्रय दिनांक 31.3.13 को रू0 72030 भुगतान करके हुई है। सम्बन्धित माप-पुस्तिका पर नं0 4894 अंकित है। मापपुस्तिका पर के पृष्ठ (6) पर केवल बाउचर का उल्लेख करते हुए फर्जी माप अंकित है जिसमें ईट की कीमत का उल्लेख है। तिथि का अंकन नहीं है किन्तु मापपुस्तिका के पृष्ठ (7) पर दूसरे कार्य की माप पर तिथि 30.5.13 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि पृष्ठ (6) पर बाउचर को आधार बनाकर जो फर्जी माप हुई है उसकी तिथि 30.5.13 के पूर्व की ही होगी।

इस प्रकार 19.7.13 को कार्य प्रारम्भ होने के काफी पहले ही दिनांक 31.3.13 को ईट क्रय किया

जाना पूर्णतया नियमविरुद्ध मनरेगा गाइड लाइन के विरुद्ध है। इसे सही सिद्ध करने व जांच अधिकारी को भ्रमित करने के लिए फर्जी एम0बी0 का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कार्य प्रारम्भ के पूर्व ही दिनांक 19.6.13 को पन: ईट क्रय पर व्यय रू0 79800.00 किया गया है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व ही बिना कार्य की एम0बी0 कराये ईट क्रय करके ईट संग्रह करने का कोई औचित्य नहीं है।

चूँकि 31.3.13 मेरी आडिट कार्यावधि में है इसलिए फर्जी व नियम विरुद्ध तरीके से दर्शित ईट क्रय पर व्यय धनराशि रू0 72030.00 की वसूली उत्तरदायी ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव व प्रधान श्री प्यारे लाल से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। पत्रावली में निहित अन्य विसंगतियों पर उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित तकनीकी सहायक श्री संतोष कुमार सिंह से गलत व फर्जी एम0बी0 करने के बारे में पूछ-ताछ करने पर बताया गया कि ग्रा0पं0वि0अधि0 प्रधान व मनरेगा कार्य से जुड़े कुछ कर्मचारी व अधिकारी के दबाव में ऐसा करना पड़ा तथा कार्य स्थल को देखे बिना मापपुस्तिका पर लिखाया गया। यह अत्यन्त ही गम्भीर मामला है जिस पर विभागीय जांचोपरान्त समुचित प्रशासनिक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य की उक्त प्रक्रिया पूर्णतया दोषपूर्ण व अविधिक है अतः ग्राम पंचायत में हुए समस्त मनरेगा कार्यों की जांच कुशल तकनीकी टीम से कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर— 02—

कैशबुक ग्राम निधि—। में पक्की सड़क नहर से महादेव पटेल के घर तक मिट्टी कार्य व खडंजा मरम्मत पर निम्न विवरण के अनुसार चेक द्वारा भुगतान हुआ।

चेक नं०	चेक काटने की तिथि	चेक की धनराशि	चेक द्वारा आहरण की तिथि	चेक किसे दिया गया	उद्देश्य कैश बुक में
00012	8.1.13	रु० 42000.00	18.1.13	प्यारे लाल	मजदूरी खड़जा मरम्मत
00011	8.1.13	रु० 48375.00	18.1.13	प्यारे लाल	मजदूरी खड़जा मरम्मत
00009	8.1.13	रु० 48000.00	21.1.13	सं० 01 / 2708	ईट क्रय खड़जा मरम्मत
00010	8.1.13	रु० 48000.00	21.1.13	सं० 01 / 299	ईट क्रय खड़जा मरम्मत
	योग	रु० 186375.00			

उक्त व्यय भुगतान की पुष्टि में एक कोई भी प्रमाणक व म०रो० नहीं प्रस्तुत किया। मजदूरी व ईट की खरीद के लिए एक ही तिथि 8.1.13 को चेक काटा गया है। ईट क्रय 8.1.13 को की जानी दर्शित है। ईट खरीद के समय ही मजदूरी का काल्पनिक आधार पर चेक प्रधान प्यारे लाल के नाम से काट दिया गया। दिनांक 8.01.13 को यदि ईट क्रय हेतु चेक एक ही फर्म को काटा गया होता तो दोनों चेकों में सन्निहित धनराशि एक ही खाते में ट्रांसफर हुआ होता। जबकि यहाँ दो खातों 01/2708 व 01/ 299 में ट्रांसफर हो रहा है। एक ही तिथि से ईट क्रय हेतु दो तरह (फर्मों व व्यक्तियों) का चेक काटने का औचित्य नहीं है। कैशबुक में चेक सं० 00095 दिनांक 22.1.13 रु० 18000.00 द्वारा जो कि खाता सं०. 01/2708 में ट्रांसफर हो रहा है, से ह्यूम पाइप क्रय की जानी दर्शित है, तथा चेक नं० 000016 दिनांक 5.2.13 रु० 3000.00 द्वारा जो कि खाता सं० – 01/2708 में ट्रांसफर हो रहा है से ग्राम पंचायत में नाम लिखवाने पर व्यय किया जाना दर्शित है। उपरोक्त अन्तर्विरोध में ईट क्रय की सत्यता स्वमेव खण्डित होती है। नारा लिखवाने, ईट क्रय व ह्यूम पाइप का चेक एक ही व्यक्ति व फर्म (01/2708 खाता व्यक्ति का है अथवा फर्म का स्पष्ट नहीं है) को काटा जाना औचित्यपूर्ण नहीं है और सामान्य विचार व तर्क की कटौती पर सत्य व नियमानुकूल प्रमाणित नहीं होता है। उक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य समिति की संस्तुति, स्टॉक

रजि० परि० रजि०, सार्व निर्माण कार्य रजि० आदि भी नहीं दिखाया गया है जो कि व्यय की पुष्टि व अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

अतः प्रमाणक व म०रो० न प्रस्तुत करने के साथ-साथ उपरोक्त अन्य विरोधात्मक तथ्यों के आधार पर रू० 186375.00 का प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अपहरण किया जाना सिद्ध होता है। उत्तरदायी प्रधान श्री प्यारे लाल व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव से आहरित धनराशि रू० 186375.00 की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 03 —

कैशबुक में 23.01.13 को ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय रू० 18000.00 किया जाना दर्शित है ह्यूम पाइप हेतु चेक 000015 दिनांक 22.1.13 को क्रय है यह धनराशि दिनांक 23.01.13 को A/c No. 01/2708 में ट्रांसफर ही रही। ह्यूम पाइप का उपभोग कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है इसके लिए कोई प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः फर्जी ह्यूम पाइप क्रय दर्शाकर रू० 18000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा किया गया है। अतः रू० 18000.00 की वसूली प्रधान श्री प्यारे लाल व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 4 —

कैशबुक में भोला के खेत से सुभाष के घर तक मिट्टी कार्य व खडंजा निर्माण पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शाया गया है।

चेक न० तिथि	चेक की धनराशि	किसे दिया गया	चेक आहरण की तिथि	कैशबुक में भुगतान विवरण
000018 / 12.3.13	16000.00	To Cash नाम अज्ञात	13.3.13	ईट क्रय
000019 / 12.3.13	20000.00	To Cash	13.3.13	मजदूरी
000017 / 18.2.13	104000.00	Transfer फर्म का नाम स्पष्ट नहीं	14.3.13	ईट क्रय
	140000.00			

उपरोक्त व्यय की पुष्टि में म०रो० का प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। ईट क्रय में से तरह का मानदण्ड अपनाया गया है, चेक नं० 000018 से वीयरर चेक द्वारा नकद खरीद तथा चेक नं० 000017 द्वारा एकाउन्टपेयी चेक द्वारा खरीद। एकाउन्टपेयी चेक व्यक्ति के नाम है अथवा फर्म के जांच होनी चाहिए। दिनांक 12.3.13 को मजदूरी व ईट क्रय के लिए चेक द्वारा भुगतान किया गया है। ईट क्रय के साथ ही मजदूरी का आकलन करना कल्पना मात्र ही है वास्तविक तथ्य नहीं। लेखा मैनुअल के पृष्ठ 36 के पैरा 8 (क) के अनुसार रू० 140000.00 का प्रधान व ग्रा०प०वि०अधि० द्वारा अपहरण किया गया है। अतः रू० 140000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री प्यारे लाल व ग्रा०प०वि०अधि० श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त की पुष्टि हेतु स्टाक रजि० परि० रजि० सार्व० निर्माण ाकर्य रजि० निर्माण कार्य समिति की संस्तुति के उपरान्त गाम पंचायत की स्वीकृति आदि भी नहीं दिखाया गया।

प्रस्तर — 5 —

कैशबुक में दिनांक 5.10.12 को ह्यूम पाइप क्रय पर रू० 43500.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त का भुगतान वीयरर चेक से किया गया है। क्योंकि पासबुक/ स्टेटमेंट में अन्य धनराशि का नकद आहरण अंकित है। इसकी पुष्टि में प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। उपभोग भी कैशबुक में नहीं दर्शाया गया

है। स्टाक रजि० परि० रजि०, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि० आदि नहीं दिखाया गया। उक्त आधार पर स्पष्ट है कि रू० 43500.00 का फर्जी अनियमित व्यय दर्शाकर रू० 43500.00 का प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः रू० 43500.00 की वसूली प्रधान श्री प्यारे लाल व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव से 16 प्रतिशत तातारीख ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 6 —

कैशबुक में दिनांक 30.5.12 को सी०ए० आडिट शुल्क वर्ष 2004—05 व 2005—06 हेतु रू० 8000.00 व्यय किया जाना दर्शित है। सी०ए० को आडिट हेतु नहीं बल्कि रिकार्ड कीपिंग हेतु अधिकृत किया है यह कार्य काफी पहले किया गया था गत वर्षों की कैशबुक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत की गयी जिससे इस बात की जांच नहीं हो सकी कि इसका भुगतान पूर्व में हुआ था अथवा नहीं। सी०ए० द्वारा तैयार अभिलेखों को भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया जिससे सी०ए० के भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं हुई। विभागीय अधिकारियों द्वारा जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र०स०	ग्राम पंचायत	अवधि	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम
1	ग्राम पंचायत हेमापुर (राज्य वित्त/बारहवॉ वित्त आयोग आडिट नोट के आधार पर सूचित किया जा रहा है।)	2012—13 में 30.05. 2013 को सी०ए० को भुगतान बाबत वर्ष 2004—05 एवं 2005—06	8000.00	प्रधान— श्री प्यारे लाल सचिव— श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव

25—ग्राम पंचायत— चिलौड़ा

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर— 01—

ग्राम निधि—। A/c 07570100021607 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण तरीके से निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्रा०पं०वि०धि० द्वारा राजकीय धनराशि की नकद (अधिकांशतः) निकासी की गयी है। विवरण निम्नवत् है —

दिनांक	आहरित धनराशि	
04.04.12	13200.00	To Cash
04.04.12	6821.00	Samar Baha
07.04.12	6400.00	
09.04.12	13800.00	Jokhu Lal
09.04.12	10100.00	Rajesh
10.04.12	19200.00	To 02/20
12.04.12	21000.00	Jai Hanuman
12.04.12	6000.00	Tribhuwan
12.04.12	1500.00	Kamla
20.04.12	14600.00	To Cash
20.04.12	9000.00	To Cash
23.04.12	6200.00	To Cash
24.04.12	5200.00	Ram Jee Gupta
8.06.12	26000.00	To Cash
14.05.12	20800.00	To Cash
24.05.12	1000.00	To Cash
25.05.12	1500.00	Raj Kumar
29.05.12	4000.00	To Cash
31..05.12	12800.00	To Cash

5.06.12	1500.00	To Cash
5.06.12	22200.00	To Cash
8.06.12	22400.00	To Cash
11.06.12	14800.00	To Cash
11.06.12	11900.00	To Cash
11.06.12	5000.00	To Cash
14.06.12	10235.00	To Cash
15.06.12	21500.00	To Cash
19.06.12	37000.00	Dharmendra
20.06.12	21800.00	To Cash
21.08.12	17500.00	Kamla Shankar
25.06.12	7400.00	To Cash
25.06.12	14800.00	To Cash
26.06.12	18000.00	To cash
26.06.12	2000.00	To cash
29.06.12	18600.00	To Cash
29.06.12	3000.00	To Cash
2.07.12	4150.00	To Cash
2.07.12	7400.00	To Cash
7.07.12	3200.00	To Cash
13.07.12	2000.00	To Cash
4.10.12	28160.00	To Cash
6.10.12	5700.00	To Cash
8.10.12	10400.00	To Cash
9.10.12	3200.00	To Cash
11.10.12	15000.00	To Cash
17.10.12	4500.00	To Cash
31.10.12	24000.00	To Cash

31.10.12	17600.00	To Cash
31.10.12	17200.00	To Cash
6.11.12	8000.00	Rajesh Singh
21.11.12	10000.00	To Cash
22.11.12	3050.00	To 02/175
17.12.12	25600.00	To 01/2707
31.12.12	26500.00	To Cash
3.10.13	4650.00	Alok
15.01.13	31500.00	To Cash
23.01.13	10700.00	To Cash
06.02.13	25200.00	To Cash
7.02.13	6000.00	Jokhu Lal
18.02.13	7125.00	Jokhu Lal
23.02.13	4125.00	Gupta
26.02.13	8400.00	To Ashutosh
04.03.13	15300.00	To Gupta
07.03.13	15500.00	To Yadav
15.03.13	13700.00	To Cash
15.03.13	25200.00	To Cash
18.03.13	10000.00	
18.03.13	33600.00	To 01/2707
कुल योग	875416.00	

उपरोक्तानुसार कुल रु0 875416.00 की वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण निकासी कर कैशबुक में काल्पनिक व्यय समायोजन दर्शाकर प्रधान व ग्रा0पं0वि0धि0 द्वारा अपहरण किया गया है। कैशबुक में दर्शित व्यय के सापेक्ष बिल-बाउचर भी नहीं प्रस्तुत किया गया तथा व्यय की पुष्टि में वांछित अन्य अभिलेख यथा स्टॉक रजि0 परिसम्पत्ति रजि0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र व्यय हेतु सम्बन्धित समितियों की संस्तुति

आदि बार—बार मांगने के बावजूद भी नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः लेखा मैनुअल के पृष्ठ 36 के पैरा 8 (9) के अनुसार रु0 875416.00 का गबन प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रु0 875416.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री जोखू लाल व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार सिंह से 16 प्रतिशत तातारीख ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ—साथ नियमानुसार विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि बिल—बाउचर के बिना उक्त 13वां वित्त राज्य वित्त की धनराशियों का प्रियासाफ्ट में फीडिंग भी काल्पनिक आधार पर ए0डी0ओ0 (पं0) द्वारा कराया गया है। इस प्रकार ए0डी0ओ0 (पं0) द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन नहीं किया गया। इससे ए0डी0ओ0 (पं0) की उक्त धनराशि के गबन में सहभागिता की पुष्टि होती है। उच्चाधिकारियों द्वारा ए0डी0ओ0 (पं0) के विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

26—ग्राम पंचायत— सराय अब्दुल मलिक

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा में राजकीय धनराशि के अपराहण का गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आया। ग्राम निधि A/c No. 0757010015127 की धनराशियों का वित्तीय नियमों के विरुद्ध व्यक्तियों (ग्राम पंचायत सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक श्री विनोद कुमार व कुछ अन्य) के बचत खातों में ट्रांसफर अथवा वीयरर चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया है किन्तु कैशबुक में प्रधान द्वारा टुकड़ों में फर्जी नकद व्यय विभिन्न मदों (यथा हैण्ड पम्प मरम्मत, खड़जा मरम्मत नाली निर्माण व मजदूरी आदि) पर दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया अथवा भुगतान हो रही है उससे प्रधान द्वारा टुकड़ों में नकद व्यय किया जाना सम्भव ही नहीं है। दोनों तथ्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते। कैशबुक में उक्त धनराशि

के सपेक्ष दर्शित व्यय काल्पनिक व फर्जी प्रविष्टि मात्र है,
वास्तविक तथ्य नहीं विवरण निम्नवत् है—

दिनांक—	A/c No.	भुगतान विवरण
	0757010015127	
	ग्राम निधि I से आहरण	
30.04.12	13000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
10.04.12	30000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
20.04.12	24000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
04.05.12	2000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
10.05.12	5000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
06.06.12	26000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
13.6.12	26000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
21.06.12	10000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
10.07.12	11000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
27.07.12	18000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
31.07.12	32000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
18.08.12	5000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
10.09.12	8500.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
15.09.12	13500.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
24.09.12	8500.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
03.10.12	17250.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को

17.10.12	4000.00	भुगतान नकद आहरण विनोद कुमार (रोजगार सेवक) को भुगतान नकद आहरण
19.11.12	7000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
09.11.12	7000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
26.11.12	10000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
10.12.12	7000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
01.01.13	1800.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
11.01.13	30000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
18.01.13	40000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
14.02.13	48000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
13.03.13	38000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
15.03.13	17500.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
23.03.13	15000.00	विनोद कुमार (रोजगार सेवक) के S.B. A/C No. 01/15127 में
21.11.12	40000.000	अज्ञात खाते में, कैशबुक में इसी तिथि में टुकड़ों
24.12.12	48000.00	अज्ञात खाते में, में प्रधान द्वारा मजदूरी, सीमेंट
23.02.12	20000.00	अज्ञात खाते में, पाइप, ईट पर नकद व्यय

योग— 5,83,050.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार रू0 5,83,050.00 का वित्तीय नियमों के विरुद्ध को भुगतान कर कैशबुक में फर्जी/कल्पित नकद व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा पारस्परिक मिली-भगत कर रू0 5,83,050.00 का अपहरण कर लिया गया है। रू0 5,83,050.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती मंजूदेवी व ग्रा0प0वि0अधि0 श्री अजय कुमार राना से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

यहाँ यह भी गम्भीर व उल्लेखनीय तथ्य है **ADO (P)** द्वारा उक्त धनराशियों से सम्बन्धित प्रिया साफ्ट पर फीडिंग किस प्रकार कराई गई है। जबकि उक्त धनराशियों के भुगतान व कैशबुक में दर्शित व्यय में अन्तर्विरोध सुस्पष्ट है तथा कुछ ही समय में सहज रूप से दृष्टिगोचर हो जाता है। सम्पूर्ण आलोच्यन में सतत् रूप से नियम विरुद्ध कार्य का किया जाना इस तथ्य की ओर संकेत कर है कि **ADO (P)** द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सम्यक् निर्वहन नहीं किया गया है इस प्रकार की पुष्टि होती है। विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा **ADO (P)** के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

कैशबुक में दिनांक 04.03.13 को यादव सीमेंट एजेंसी से सीमेंट क्रय हेतु रू0 30,000.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय पूर्णतया फर्जी व नियम विरुद्ध है क्योंकि उक्त रू0 30,000.00 का भुगतान यादव सीमेंट एजेंसी को न करके स्वयं ग्रा0प0वि0अधि0 श्री अजय कुमार राना को किया गया है। सामग्री क्रय सम्बन्धी नियम में ग्रा0प0वि0अधि0 के नाम से चेक काटने की कोई व्यवस्था नहीं है। सत् उत्तरदायी प्रधान श्रीमती मंजू देवी व ग्रा0प0वि0अधि0 श्री अजय कुमार राना से रू0 30,000.00 की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

कैशबुक में दिनांक 11.07.12 को 18 नग स्ट्रीट क्रय पर रू0 46800.00 व दिनांक 16.07.12 को 15 नग स्ट्रीट लाइट पर रू0 39000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। स्ट्रीट लाइट हेतु चेक फर्म को न काटकर अनाधिकृत रूप से विजय कुमार के नाम से काटा गया है। इससे न केवल खरीद सम्बन्धी वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ है अपितु व्यापार कर व आयकर राजस्व की क्षति भी हुई। खरीद की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान ग्रां0पं0वि0अधि0 द्वारा प्रमाणक न होने की बात स्पष्ट रूप से स्वीकार भी की गई। अतः लेखामैनुअल के पृष्ठ 36 के पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त दर्शित व्यय धनराशि गबन मानी जाती है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 (46800.00+39000.00 अर्थात् कुल रू0 85800.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती मंजू देवी व ग्रां0पं0वि0 अधि0 श्री अजय कुमार राना से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। अन्य प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

लेखा परीक्षा में ग्राम निधि की धनराशि से सम्बन्धित गबन का गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आने पर बार-बार अपेक्षा के बावजूद मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख लेखा-परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किए गए जबकि इसके आडिट हेतु प्रधान सचिव उ०प्र० शासन द्वारा संख्या में 201/दस-2011-101 (43) 09 टी०सी० दिनांक फरवरी 4, 2011 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश दिया गया उक्त के क्रम में विभागीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र०स०	ग्राम पंचायत	अवधि	धनराशि	उत्तरदायी वयक्तियों का नाम
1	ग्राम पंचायत सराय अब्दुल मलिक (मनरेगा)	दिनांक— 01.04.2012 से 31.03.2013	273130.00	प्रधान— श्रीमती मंजू देवी सचिव— श्री अजय राणा

27—ग्राम पंचायत— मनेथू

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर—1

ग्रा0पं0वि0अधि0 व प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय नियमों के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से ग्राम निधि A/C No. 07570100022309 की धनराशि का ट्रांसफर सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक श्री विनोद कुमार के बचत खाते में ट्रांसफर कर कैश में फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है क्योंकि जो धनराशि दूसरे (विनोद कुमार) के खाते में ट्रांसफर ही रही है उससे प्रधान द्वारा नकद भुगतान किया जाना सम्भव ही नहीं है। फलस्वरूप कैशबुक में दर्शित व्यय की काल्पनिक स्वतः सिद्ध है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक—	A/c No.	भुगतान विवरण
	07570100022309	
	से आहारित धनराशि	
07.05.12	14000.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0 सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
19.12.12	10000.00	विनोद कुमार के बचत खाता 01/15127 में
17.01.12	12000.00	विनोद कुमार के बचत खाता 01/15127 में
26.02.12	10000.00	विनोद कुमार के बचत खाता 01/15127 में
28.3.13	17470.00	विनोद कुमार के बचत खाता 01/15127 में
	योग— 63470.00	

इस प्रकार उपरोक्तानुसार नियम विरुद्ध तरीके से विनोद कुमार को भुगतान कर प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा पारस्परिक मिलीभगत वास्तविक तथ्यों को छिपाकर फर्जी व्यय दर्शाकर रु0 63470.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री गणेश कुमार व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री आकाश लाल प्रजापति से रु0 63470.00 की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वसूली के साथ-साथ नियमानुसार प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

28—ग्राम पंचायत— बगई खुर्द

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर—1

प्रधान व ग्रा०पं०वि० अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों के विरुद्ध अनधिकृत रूप से ग्राम निधि—I A/C No. 22332 से दिनांक 25.03.13 को रू० 10,000.00 व रू० 16000.00 का भुगतान विष्णुदेव को दिया गया है जो कि उनके खाते में ट्रांसफर हुआ है इस धनराशि से प्रधान द्वारा कैशबुक में दिनांक 25.03.13 को मजदूरी पर फर्जी व्यय दर्शाया जा रहा है क्योंकि जो धनराशि विष्णुदेव यादव के खाते में ट्रांसफर हो रही है उससे प्रधान द्वारा नकद मजदूरी भुगतान सम्भव ही नहीं है। अतः उक्त कुल रू० 26000.00 के दर्शित फर्जी भुगतान की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती विशतारा व ग्रा०पं०वि० अधि० श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हेमन्त सिंह व प्रधान श्रीमती शिवतारा द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय नियमों के विरुद्ध अनधिकृत रूप से विष्णुदेव यादव को भुगतान किया गया है विवरण निम्नवत् है—

दिनांक—	A/c No. 22332	भुगतान विवरण
	खाता I से आहरण	
19.06.12	15000.00	सम्पूर्ण भुगतान विष्णुदेव यादव (प्रधान के
20.07.12	12000.00	
09.08.12	10000.00	

25.08.12	14800.00	पति) को हुआ है।
07.02.13	38000.00	
13.03.13	35000.00	
10.07.12	16000.00	A/c No. 683 A.K.G.B. से विष्णुदेव यादव को हुआ है।
योग रू0 140800.00		

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल रू0 140800.00 का भुगतान नियम विरुद्ध तरीके से विष्णुदेव यादव को हुआ है किंतु कैशबुक में फर्जी ढंग से इस धनराशि से प्रधान द्वारा श्रम व सामग्री क्रय पर नकद व्यय किया जाना दर्शित है। नियमानुसार यह कदापि सम्भव नहीं है अतः रू0 140800.00 कर अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0 श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

कैशबुक में दिनांक 05.06.12 को वा0नं0 (3) द्वारा स्ट्रीट लाइट क्रय पर रू0 52000.00 व दिनांक 05.06.12 को वा0नं0(4) द्वारा स्ट्रीट लाइट क्रय पर रू0 13000.00 किया जाना दर्शित है। स्ट्रीट लाइट हेतु चेक किसी रजिस्टर्ड फर्म को न काटकर अनाधिकृत रूप से विजय कुमार को दिनांक 05.06.12 को चेक नं0 514349 द्वारा रू0 39000.00 व चेक नं0 514350 द्वारा रू0 26000.00 का चेक काटा गया है। स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट की दोनो बार की खरीद, विजय कुमार को भुगतान चेक के बराबर बराबर नहीं है उक्त स्ट्रीट लाइट पर व्यय विजय कुमार को दो बार किए गए भुगतान का काल्पनिक समायोजन मात्र है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्टतः उक्त धनराशि को अनधिकृत व नियम विरुद्ध तरीके से निकाल कर अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 65000.00 की वसूली प्रधान श्रीमती शिवतारा

व ग्रा०पं०वि० अधि० श्री हेमन्त सिंह से समान समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

ग्राम निधि A/C No. 22332 से अनियमित व नियम विरुद्ध तरीके से प्रधान श्रीमती शिवतारा के नाम से आहरण सामग्री क्रय हेतु किया गया है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक—	A/c No. 22332	भुगतान विवरण
		से आहरण
08.05.12	13000.00	श्रीमती शिवलाय (ग्राम प्रधान)
19.06.12	13500.00	श्रीमती शिवलाय (ग्राम प्रधान)
18.09.12	40000.00	श्रीमती शिवलाय (ग्राम प्रधान)
	योग— 66,500.00	

सामग्री (हैण्ड पम्प पर मरम्मत सामान व ईट) क्रय हेतु चेक फर्म को न देकर प्रधान को दिया गया है जो कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध है। पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया, अतः लेखा मैनुअल के पृष्ठ 36 के पैरा 8 (क) के अनुसार उक्त दर्शित कुल व्यय धनराशि रु० 66,500.00 गबन मानी जाती है। उक्त कुल धनराशि रु० 66,500.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती शिवतारा व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री हेमन्त सिंह ने समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

29—ग्राम पंचायत— बीरकाजी

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर-1

कैशबुक में दिनांक 28.04.12 को ग्रामनिधि III A/c 1897 से 7700.00 का आहरण का रु० 7700.00 का छात्रवृत्ति वितरण दर्शाकर प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा आहरण किया गया है। कैशबुक में केवल 'छात्रवृत्ति

वितरित' अंकित है। किस विद्यालय व किन सत्रों को वितरित की गयी है, इसका उल्लेख नहीं है। इस समयावधि में छात्रवृत्ति वितरण का अधिकार ग्रा०पं०वि०अधि० व प्रधान के खाते से समाप्त हो गया और शासन द्वारा प्रधान व प्रधानाध्यापक के संयुक्त वर्ष से कर दिया गया था। इस प्रकार प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अनाधिकृत कार्य कर धनराशि का अपहरण किया गया। छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि में वितरण रजिस्टर व छात्रों की अर्ह सूची भी नहीं प्रस्तुत की गयी। अतः रु० 7700.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती गुन्या परवीन व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री आकाश लाल प्रजापति से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

लेखा परीक्षा में राजकीय धनराशि में अपहरण का गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आया। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय नियमों के विरुद्ध ग्राम निधि A/c No. 07570100021621 की धनराशियों का व्यक्तियों (ग्राम पंचायत सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक श्री विनोद कुमार ग्रा०पं० वीरकाजी के रोजगार सेवक श्री हरिओम तथा अबसार अहमद) के बचत खातों में ट्रांसफर अथवा वीयरर चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया है किन्तु कैशबुक में इस वास्तविक तथ्य को छिपाकर प्रधान को भुगतान दर्शाकर उसके द्वारा टुकड़ों में फर्जी नकद व्यय विभिन्न मदों (यथा—हैण्डपम्प मरम्मत खड़ंजा मरम्मत, नाली निर्माण व मजदूरी आदि) पर दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है क्योंकि जो धनराशि दूसरों के खातों में ट्रांसफर हो रही हैं अथवा भुगतान हो रही है उससे प्रधान द्वारा टुकड़ों में नकद व्यय किया जाना सम्भव नहीं है। दोनों तथ्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते। इस प्रकार कैशबुक में दर्शित व्यय खाते से आहरित धनराशि का काल्पनिक समायोजन मात्र है वास्तविक तथ्य नहीं। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक—	A/c No.	भुगतान विवरण
	07570100021621	
	ग्राम निधि I से आहरण	
19.12.12	12600.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c 01/15127
01.01.13	10000.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c 01/15127
02.01.13	43750.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c 01/15127
08.01.13	25000.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c 01/15127
17.01.13	12000.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c 01/15127
18.01.13	21500.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c 01/15127
19.02.13	11500.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c 01/15127
08.03.13	8000.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c 01/15127
15.03.13	10000.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c

01/15127

23.03.13	7000.00	विनोद कुमार (ग्रा0पं0सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक) के S.B A/c
		01/15127
25.04.12	31000.00	अबसार अहमद
04.05.12	20000.00	अबसार अहमद
12.04.12	2500.00	हरीओम प्रसाद (रोजगार सेवक बीरकाजी)
18.04.12	3500.00	हरीओम प्रसाद (रोजगार सेवक बीरकाजी)
28.05.12	15000.00	हरीओम प्रसाद (रोजगार सेवक बीरकाजी)
26.06.12	1600.00	हरीओम प्रसाद (रोजगार सेवक बीरकाजी)
10.10.10	19500.00	हरीओम प्रसाद (रोजगार सेवक बीरकाजी)

योग रू0 254450.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार रू0 254,450.00 का वित्तीय नियमों के विरुद्ध दूसरों को भुगतान कर कैशबुक में फर्जी ढंग से प्रधान द्वारा नकद व्यय का अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 2,54,450.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती गुन्या परवीन व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री आकाश लाल प्रजापति से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उपरोक्त खाते से भुगतान धनराशि व कैशबुक में दर्शित व्यय में अन्तर्विरोध सुस्पष्ट हेतु कुछ ही क्षण में सहसरूप से दृष्टिगोचर हो जाता है। ऐसी स्थिति में **ADO (P)** द्वारा प्रिया साफ्ट में करायी गयी फीडिंग में अपहरण के तथ्य का उजागर न होना आश्चर्यजनक है। सम्पूर्ण रूप आलोच्य वर्ष में सतत रूप से नियम विरुद्ध कार्य कर धनराशि का आपहरण किया जाना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि **ADO (P)** द्वारा निरीक्षण व पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सम्यक् निर्वहन

नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त राजकीय धनराशि के अपहरण में ADO (P) की अप्रत्यक्ष सहभागिता की पुष्टि होती है विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा ADO (P) के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

कैशबुक में दिनांक 09.11.12 को 4 हजार नग ईट क्रय पर रू0 16000.00 नकद किया जाना दर्शित है। ईट क्रय हेतु नियमानुसार फर्म को चेक द्वारा जाना चाहिए किन्तु इसके विपरीत ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री आकाश लाल द्वारा स्वयं अपने नाम दिनांक 09.09.12 को रू0 10,000.00 का चेक काटा गया है। नियम विरुद्ध नकद भुगतान के साथ रू0 16000.00 के व्यय की पुष्टि में प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः नियमानुसार रू0 16000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती गुन्या परवीन व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री आकाश लाल प्रजापति से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

30—ग्राम पंचायत— जाफरपुर उर्फ बाबूगंज

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर-1

लेखा परीक्षा में राजकीय धनराशि के अपहरण का गम्भीर आपत्तिजनक प्रकाश में आया। प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 की मिली भगत से ग्राम निधि खाता— I A/c 07570100021619 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानी तरीके से राजकीय अनुदान का भुगतान सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक श्री विनोद कुमार के कर दिया गया है और फिर उसी धनराशि से टुकड़ों में नकद व्यय प्रधान द्वारा किया जाना कैशबुक में दर्शाया जा रहा है। यह परस्पर विरोधग्रस्त तथ्य है जो कि साथ सत्य नहीं हो सकते। अतः दर्शित व्यय नितरन्त समायोजन मात्र है वास्तविक व्यय नहीं। विवरण निम्नवत है—

दिनांक—	A/c No.	भुगतान विवरण
	0757010021619	
	ग्राम निधि I से आहरण	
16.04.12	20,000.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के

07.05.12	22,500.00	रोजगार सेवक) विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
13.06.12	45,000.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
03.10.12	36,825.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
12.10.12	25000.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
13.06.12	2000.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)

योग रू0 1,51,325.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल रू0 1,51,325.00 का वास्तविक रूप से नियम विरुद्ध भुगतान विनोद कुमार को प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है और फिर कैशबुक में विभिन्न नहीं है (ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलाई, ईट क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत आदि) फर्जी व्यय दर्शा कर राजकीय अनुदान रू0 1,51,325.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा कर लिया गया है। अतः रू0 1,51,325.00 की वसूली प्रधान श्री रामदास जायसवाल व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अजय कुमार राना से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

कैशबुक में दिनांक 14.05.12 को 12 नग दर 2600/- प्रति नग से विवेक कुमार की नकद भुगतान रू0 39000.00 किया जाना दर्शाया गया है। 12 नग किस वस्तु का है, का स्पष्ट उल्लेख कैशबुक में नहीं है। वस्तु व सामग्री खरीद हेतु नकद भुगतान का नियम नहीं है। नियमानुसार न तो आयकर कटौती की गयी है और न ही फर्म के चेक काटकर पुष्टि हेतु प्रमाणक लिया गया है। इस प्रकार व्यय पूर्णतया असत्य व फर्जी है। अतः रू0 39000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रामदास जायसवाल व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अजय कुमार राना से समान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

कैशबुक में दिनांक 3.4.12 को चेक नं०-8352 से कमलेश द्वारा आहरण रू० 15000.00 व दिनांक 9.4.12 को चेक नं०-8353 से अनिल द्वारा आहरण रू० 35000.00 का किया जाना दर्शित है। इस धनराशि से विभिन्न तिथियों में मजदूरी व ईट क्रम पर भुगतान दर्शाया गया है जो कि पूर्ण तथा फर्जी व नियम विरुद्ध है। कमलेश व अनिल को चेक से भुगतान से प्रधान द्वारा मजदूरी व ईट क्रय दर्शाया जाना न तो नियमानुसार है और न ही तर्क संगत। अतः उक्त रू० 15000.00 व रू० 35000.00 अर्थात् कुल रू० 50,000.00 के सापेक्ष दर्शित नियम विरुद्ध फर्जी व्यय कुल रू० 50,000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रामदास जायसवाल व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री अजय कुमार राना से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

31-ग्राम पंचायत- अतरौरा**विकास खण्ड-फूलपुर****प्रस्तर-1**

ग्राम निधि प्रथम से वित्तीय नियमों के विरुद्ध धनराशि का आहरण कर कुछ व्यक्तिगत कुओं की फर्जी मरम्मत दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। आहरित धनराशि जिसका कूप मरम्मत में फर्जी व्यय दर्शाया गया है, का विवरण निम्नवत् है-

दिनांक-		ग्राम निधि प्रधान से आहरित धनराशि
16.05.2012	—	24775.00 To Cash
22.05.2012	—	9800.00
30.05.2012	—	10500.00
08.06.2012	—	8000.00
20.06.2012	—	16500.00
09.08.2012	—	20750.00
09.08.2012	—	9800.00
14.08.2012	—	14000.00
05.02.2013	—	31150.00 नकद आहरण
09.02.2013	—	16000.00

18.02.2013	—	48000.00	तुलसीराम (ग्राम प्रधान) के कारण आहरण
19.03.2013	—	9800.00	तुलसीराम (ग्राम प्रधान) के कारण आहरण
20.03.2013	—	16375.00	
28.03.2013	—	12600.00	
	योग	248050.00	

इस प्रकार कुल रू0 248050.00 के आहरित धनराशि के सापेक्ष दर्शित क्रय मरम्मत में व्यय की सदुपयोगिता की पुष्टि में बिल बाउचर, स्टॉक रजि0, परिसम्पत्ति रजि0, निर्माण कार्य समिति की रिपोर्ट, आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार रू0 2,48,050.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर कर प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 2,48,050.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री तुलसीराम व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

आलोच्य वर्ष में हयूम पाइप खरीद पर व्यय दिनांक 04.10.12 को रू0 46,100.00 व दिनांक 23.01.13 को रू0 27000.00 किया जाना कैशबुक में दर्शित है। हयूम पाइप खरीद की पुष्टि बिल बाउचर, स्टॉक रजि0, परि0रजि0 नहीं दिखाया गया। स्टॉक रजि0 व परिसम्पत्ति रजि0 बनाया ही नहीं गया है। इस प्रकार अभिलेखों को न बनाकर कार्यों की पुनरावृत्ति दर्शा कर अथवा कल्पित उपभोग स्थल दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः उक्त कुल रू0 46100.00 + रू0 27000.00 अर्थात् कुल रू0 73100.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। अतः अपहरण के उत्तरदायी प्रधान श्री तुलसीराम व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव से कुल रू0 73100.00 की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष दिनांक 22.05.2012 को रू0 39000.00 व दिनांक 24.05.2012 को रू0 26000.00 का व्यय स्ट्रीट लाइट क्रय पर किया जाना दर्शित है। स्ट्रीट लाइट

खरीद में नियमानुसार कोटेशन नहीं लिया गया तथा स्ट्रीट लाइट लगाने के स्थल का विवरण भी नहीं दिया गया है। व्यय की पुष्टि में बिल-वाउचर, स्टॉक में है कि मनमानीपूर्ण ढंग से धनराशि का आहरण कर फर्जी स्ट्रीट लाइट क्रय दर्शाकर रू0 39000.00 रू0 26000.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण के उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्री तुलसीराम व ग्रा0पं0अधि0 श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव से कुल अपहरित धनराशि रू0 65000.00 की वसूली बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

ग्राम निधि प्रथम से निम्न आहरित धनराशि का व्यय सम्पर्क मार्ग व खड़जा मरम्मत में किया जाना कैशबुक में प्रदर्शित है—

दिनांक	आहरित धनराशि ग्राम निधि प्रथम से रू0
12.04.12	15000.00
16.04.12	14000.00
16.05.12	23520.00
13.07.12	10000.00
09.11.12	23000.00
10.11.12	29634.00
01.12.12	26175.00
01.12.12	47875.00
05.12.12	44000.00
23.01.2013	12375.00
14.02.2013	21600.00

योग रू0 267179.00

उपरोक्त कुल धनराशि ₹0 267179.00 के सदुपयोगिता की पुष्टि में बार-बार अपेक्षा के बावजूद भी बिल-वाउचर म0टी0 स्टाक व परिसम्पत्ति रजि0 आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त आहरित धनराशि का फर्जी सम्पर्कमार्ग व खड़जा मरम्मत दर्शाकर प्रधान व ग्रा0पं0वि0 अधि0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि ₹0 267179.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री तुलसीराम व ग्रा0पं0वि0 अधि0 श्री शेखर कुमार श्रीवास्तव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

32—ग्राम पंचायत— चन्दौहाँ

विकास खण्ड—फूलपुर

प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा में यह गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत (चन्दौहाँ) के खाता संख्या 882 में दिनांक 15.05.12 को ₹0 97500.00 व ₹0 75000.00 की धनराशि का ट्रांसफर क्रमशः ग्राम पंचायत चक अफराद के खाता संख्या 6820 व ग्राम पंचायत चमरूपुर उर्फ बन्दौता के खाता संख्या 6823 से ADO (P) के निर्देश पर हुआ है। यह धनराशि शौचालय निर्माण से सम्बन्धित है तथा ग्राम पंचायत चक अफराद व चमरूपुर उर्फ नन्दौता के प्रधान व सम्बन्धित ग्रा0पं0वि0अधि0 की लापरवाही से सदुपयोग में नहीं लायी गयी तथा खाते में अप्रयुक्त अवशेष थी। मौखिक रूप से प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा मालूम हुआ कि ग्राम पंचायत चक अफराद व चमरूपुर उर्फ नन्दौता शौचालय से संतृप्त नहीं है फिर भी इन ग्राम पंचायतों की धनराशि का दूसरी ग्राम पंचायत में ट्रांसफर किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

ग्राम पंचायत चन्दौहा के खाता संख्या—882 से शौचालय की धनराशि की निकासी दिनांक— 24.5.12 को दो बार 75000.00 व 75000.00 के रूप में हुई। पुनः दिनांक 13.07.12 को ₹0 12000.00 की निकासी हुयी है। किन्तु उक्त आहरित धनराशि ₹0 75000.00, ₹0 75000.00 व ₹0 12000.00 के सदुपयोगिता की पुष्टि में कोई बिल बाउचर, स्टाक रजि0 व शौचालय लाभार्थियों की सूची आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त आहरित धनराशि कुल (₹0 750000.00+ ₹0

75000.00+ रू0 12000.00) अर्थात् कुल रू0 162000.00 का शौचालय मद में सदुपयोग न करके अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण के उत्तरदायी प्रधान श्रीमती सुफिया बेगम व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री कमलाशंकर यादव से अपहरित धनराशि रू0 162000.00 की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त शौचालय की धनराशि को नियम विरुद्ध व अनौचित्यपूर्ण तरीके से ट्रांसफर करवाने में विभागीय अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है अतः धनराशि के आहरण में ADO (P) की संलिप्तता स्पष्ट होती है। विभागीय सक्षम उच्चाधिकारियों द्वारा जाँचोपरान्त समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

ग्राम निधि I A/c 07570100021570 से दिनांक 03.01.13 को 67200.00 का ट्रांसफर A/c No. 01/23510 में तथा दिनांक 13.03.13 को 50000.00 का ट्रांसफर A/c No. 01/23510 में हुआ है। उक्त दोनों धनराशि में प्रथम रू0 67200.00 से ईट क्रय व दूसरी धनराशि रू0 50000.00 से स्ट्रीट लाइट क्रय की जानी कैशबुक में दर्शित है। खाता संख्या 01/23510 किस व्यक्ति या फर्म का है। नहीं बताया गया। व्यय की पुष्टि में बिल वाउचर, स्टॉक रजि0 व परिसम्पत्ति रजि0 नहीं दिखाया गया है। स्पष्ट है कि असंगत रूप से नियम विरुद्ध तरीके से फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि रू0 67200.00 व रू0 50000.00 अर्थात् कुल रू0 117200.00 का अपहरण प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। अतः उत्तरदायी प्रधान श्रीमती सुफिया बेगम व ग्रा0पं0अधि0 श्री श्याम लाल यादव से रू0 117200.00 की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

ग्राम निधि I A/c 07570100021570 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध व्यक्ति विशेष के नाम धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर आहरण किया है। विवरण निम्नवत् है।

दिनांक	आहरित धनराशि रू०	विवरण
25.04.12	65000.00	चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव
07.05.12	1,20,000.00	इरफान
14.05.12	17600.00	इरफान
योग रू०	2,026,00.00	

उक्त धनराशि की सदुपयोगिता की पुष्टि में बिल बाउचर स्टाक रजि० परि०रजि० आदि नहीं दिखाया गया। स्पष्टतया रू० 2,02,600.00 अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा कर लिया गया है। अतः उत्तरदायी प्रधान श्रीमती सुफिया बेगम व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री कमलाशंकर यादव से रू० 2,02,600.00 की वसूली बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

कैशबुक में ईट क्रय पर दिनांक 09.10.12 को 42000.00, दिनांक 9.11.12 को रू० 44000.00 दिनांक 24.12.12 को रू० 70,000.00 दिनांक 4.2.13 को रू० 33600.00 व दिनांक 18.2.13 को रू० 33600.00 व्यय किया जाना दर्शित है। किन्तु व्यय की पुष्टि में बिल बाउचर स्टाक व परि०रजि० नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार उक्त कुल धनराशि रू० 223200.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अपहरण किया गया है। अतः उत्तरदायी प्रधान श्रीमी मुफिया बेगम व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री श्याम लाल यादव से रू० 223200.00 की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

33-ग्राम पंचायत — मैलहन

विकास खण्ड — फूलपुर

प्रस्तर-1

ग्राम निधि खाता III A/c 492 से विभिन्न तिथियों में धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी छात्रवृत्ति वितरण दर्शाकर प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अपहरण कर लिया गया है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक	A/C No.	आहरित धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में छात्रवृत्ति वितरण-विवरण	कैशबुक में वितरित दर्शित धनराशि
	492 से आहरण		
01.05.12	106080.00	कन्या विद्यालय में छात्रवृत्ति वितरण	रु0. 106080.00
02.05.12	78000.00	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण 26 बच्चे	रु0. 7800.00
13.05.12	21000.00	छात्रवृत्ति वितरण प्रा0प्रा0 70 बच्चे S.C.	रु0. 21000.00
02.07.12	62400.00	छात्रवृत्ति का वितरण 208 बच्चे B.C.	रु0. 62400.00
02.07.12	11500.00	24 बच्चे जू0हा0 छात्रवृत्ति वितरण	रु0. 11520.00
14.08.12	75000.00	छात्रवृत्ति का वितरण कन्या इण्टर कालेज 260 बच्चे	रु0. 75000.00
योग रु0. 353980.00			योग रु0. 2,83,800.00

उपरोक्त में दिनांक 02.05.12 को खात से आहरित रु0. 78000.00 की धनराशि को कैशबुक में रु0. 7800.00 आहरण दर्शाकर 26 अल्प संख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण रु0. 7800.00 किया जाना दर्शित है। रु0. 7800.00 वितरण भी फर्जी दर्शाया गया है। दिनांक 02.07.12 को छात्रवृत्ति वितरण करने का कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि इस समय विद्यालय के खुलने के समय छात्रों की उपस्थिति भी बहुत कम होती है। उक्त दर्शित छात्रवृत्ति के वितरण की पुष्टि प्राथमिक विद्यालय मैलहन व उच्च प्राथमिक विद्यालय मैलहन के छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर से की गयी जिसमें वितरण की पुष्टि नहीं हुयी। कन्या विद्यालय में दर्शित छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि हेतु वितरण रजि0 नहीं दिखाया गया तथा प्रबन्धक से फोन पर पूँछ-ताँछ की गयी जिससे वितरण फर्जी पाया गया।

इस प्रकार छात्रवृत्ति खाते से कुल आहरित धनराशि रु0 353980.00 का फर्जी वितरण व कैश बुक में अंकन कम (रु0 78000.00 के आहरण की रु0 7800.00 अंकित पर) दर्शाकर 353980.00 अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0 अधिकारी कर लिया गया है। अतः रु0 353980.00 की वसूली ग्रा0पं0 अधि0 श्री कमलाशंकर यादव ग्राम प्रधान श्री उमानन्द बिन्द से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधान व ग्रा०प०वि० अधि० के संयुक्त खाते से शासन द्वारा काफी पहले ही छात्रवृत्ति वितरण पर रोक लगा दी गयी थी और छात्रवृत्ति खातों में अवशेष समस्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस करने का निर्देश दिया गया था। प्रधान व ग्रा०प०वि० अधि० द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि हड़पने के उद्देश्य से इस आदेश का पालन नहीं किया और अनधिकृत रूप से धनराशि का आहरण कर अपहरण किया गया।

34—ग्राम पंचायत — रूदापुर

विकास खण्ड — फूलपुर

प्रस्तर—1

ग्राम निधि खाता A/c No. 07570100022326 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानी तरीके से विभिन्न तिथियों में राजकीय धनराशि का भुगतान दूसरे व्यक्तियों को करके कैशबुक में इस तथ्य को छिपाकर प्रधान को धनराशि भुगतान करना अंकित कर विभिन्न मदों में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक	आहरित रू०.	धनराशि
17.04.12	8000.00	बृजलाल
07.05.12	15000.00	राम नरेश
06.06.12	1500.00	कमलेश
12.06.12	4500.00	कमलेश
13.06.12	2500.00	रमा नरेश
03.08.12	9000.00	राम नरेश
21.12.12	12000.00	To 01/15127 (यह खाता सराय अब्दुल
12.03.13	3000.00	To 01/15127 मलिक के रोजगार सेवक
20.03.13	13000.00	To 01/15127 विनोद कुमार का है।)
योग रू०. 68500.00		

नियम विरुद्ध तरीके से उपरोक्तानुसार दूसरों को भुगतान कर कैशबुक में प्रधान द्वारा विभिन्न में व्यय किया जाना दर्शित है जो कि सम्भव नहीं है। उक्त के सापेक्ष दर्शित व्यय की पुष्टि में बिल—बाउचरव अन्य वांछित

अभिलेख यथा—स्टाक रजि०, परि० रजि०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर रू०. 68500.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०अधि० द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अतः रू०. 68500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती प्रमिला देवी यादव व ग्रा०पं०अधि० श्री आकाश लाल प्रजापति से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

दिनांक 29.05.12 को कैशबुक में रू०. 20800.00 और रू०. 18200.00 का स्ट्रीटलाइट हेतु व्यय दर्शित है। उक्त व्यय हेतु चेक फर्म को नहीं दिया गया है और खाते से रू०. 20800.00 और रू०. 18200.00 का नकद आहरण एक ही तिथि 29.05.12 को किया गया है। व्यय की पुष्टि में न तो प्रमाणक प्रस्तुत किया गया और न ही उपभोग स्थल का विवरण अंकित है। स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध नकद धनराशि की निकासी कर कैशबुक से फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त कुल धनराशि रू०. 20800.00+ रू०. 18200.00 अर्थात् रू०. 39000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०अधि० द्वारा किया गया है। अतः रू०. 39000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती प्रमिला देवी यादव व ग्रा०पं०अधि० श्री आकाश लाल प्रजापति से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—3

ग्राम निधि खाता I से ग्रा०पं०अधि० द्वारा नियम विरुद्ध तरीक से स्वयं अपने नाम से दिनांक 09.11.12 को रू०. 8000.00 दिनांक 12.01.2013 को रू० 7500.00 धनराशि का आहरण किया गया है और कैशबुक में दिनांक 09.11.12 को रू०. 8000.00 का व्यय कूप सफाई व दिनांक 12.01.2013 को रू०. 7500.00 का व्यय सीमेंट क्रय पर दर्शाया गया है। व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया तथा उक्त व्यय हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम चेक काटकर धनराशि निकालने को कोई औचित्य नहीं है। स्पष्ट है कि नियम विरुद्ध धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शा कर रू०. 15500.00 का आहरण किया गया है। अतः 15500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती प्रमिला देवी यादव व

ग्रा०पं०वि०अधि० श्री आकाश लाल प्रजापति से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

35—ग्राम पंचायत — सेहुँआडीह

विकास खण्ड — फूलपुर

प्रस्तर—1

कैशबुक में दिनांक 20.04.12 को जूनियर हाईस्कूल सेहुँआडीह में छात्रवृत्ति वितरण रु०. 46500.00 किया जाना दर्शित है, इसकी पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजि० नहीं प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर से भी इस वितरण की पुष्टि नहीं हुई। इसी प्रकार दिनांक 02.05.12 को रु०. 16080.00 छात्रवृत्ति वितरण पूर्व मा० विद्यालय सेहुँआडीह में किया जाना कैशबुक में दर्शित है। इसकी पुष्टि में भी छात्रवृत्ति वितरण रजि० नहीं प्रस्तुत किया गया। विद्यालय स्तर से भी छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि नहीं हुई। इस प्रकार दिनांक 20.04.12 को रु०. 62580.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राम सिंह व ग्रा०पं०अधि० श्री जटाशंकर दूबे से समान रूप से दी जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ उक्त दोनों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

ग्राम निधि I A/c No. 0757100021599 से दिनांक 12.04.12 को रु० 7000.00 का आहरण मो० हलीमके नाम से हुआ है। कैशबुक में इस धनराशि का कोई व्यय नहीं किया गया है। मो० हलीम के नाम चेक काटने का कोई औचित्य नहीं और यह वित्तीय नियमों के विरुद्ध है। कैशबुक में दिनांक 12.04.12 को रु० 7000.00 की निकासी हुई ही नहीं है। इस प्रकार कैशबुक में दिनांक 12.04.12 को रु० 7000.00 का दर्शित व्यय पूर्णतया फर्जी है।

उपरोक्त में नियम विरुद्ध दिनांक 12.04.12 को रु० 7000.00 चेक हलीम द्वारा आहरित करने व इसके किसी प्रकार के व्यय कैशबुक में न होने के कारण रु० 7000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०अधि० द्वारा किया जाना सिद्ध होता है। अतः रु० 7000.00 की वसूली

उत्तरदायी प्रधान श्री रामसिंह व ग्रा०पं०अधि० श्री जटाशंकर दूबे से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

ग्राम निधि । A/c No. 07570100021599
दिनांक 08.05.12 को रू० 8000.00 का आहरण मो० हलीम के नाम से वित्तीय नियमों के विरुद्ध हुआ है। इस धनराशि का कैशबुक में अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार रू० 8000.00 का अंकन कैशबुक में न करके प्रधान व ग्रा०पं०अधि० द्वारा इसका अपहरण किया गया है। अतः रू० 8000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राम सिंह व ग्रा०पं० अधि० श्री जटाशंकर दूबे से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

ग्राम निधि खाता । A/c No. 2159 से दिनांक 02.06.12 व रू० 15000.00 का नकद आहरण किया गया है जबकि इसे कैशबुक में फर्जी ढंग से दिनांक 30.05.12 को नकद निकासी दर्शाकर दिनांक 30.05.12 को ही मिट्टी कार्य पर रू० 15000.00 का फर्जी भुगतान कैशबुक में दर्शाया गया है। जो धनराशि दिनांक 02.06.12 को आहरित हो रही है उससे दिनांक 30.05.12 को निकासी मानकर दिनांक 30.05.12 को मिट्टी कार्य पर काम किया जाना सम्भव ही नहीं है। यह भुगतान पूर्ण तथा फर्जी है। इसके सापेक्ष कोई म०रो० व प्रमाण भी नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः रू० 15000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रामसिंह व ग्रा०पं०अधि० श्री जटाशंकर दूबे से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

ग्राम निधि । दिनांक 07.06.12 को रू० 52000.00 का अपहरण बी०बी०सिंह द्वारा किया गया है किंतु कैशबुक में इसे दिनांक 30.05.12 को रू० 52000.00 की निकासी व 30.05.12 को रू० 52000.00 का व्यय स्ट्रीट लाइट लगाने पर किया जाना दर्शित है। स्ट्रीट लाइट हेतु बी०बी०सिंह को चेक दिया जाना पूर्णतया नियम विरुद्ध है स्ट्रीट लाइट खरीद की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी नहीं

प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार उक्त व्यय पूर्णतया फर्जी है जिसका अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 द्वारा बी0बी0 सिंह के माध्यम से नकद आहरित कर, कर लिया गया है। अतः रू0 52000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रामसिंह व ग्रा0पं0अधि0 जटाशंकर दूबे से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं

प्रस्तर-6

ग्राम निधि I A/c No. 07570100021599 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण ढंग से निम्नविवरणानुसार धनराशि की नकद निकासी हुई है विवरण निम्न प्रकार से है—

दिनांक	आहरित धनराशि रू0	
20.06.12	42000.00	Ram Singh
23.07.12	22200.00	To Cash
24.08.12	9000.00	To Cash
25.08.12	10000.00	To Cash
28.08.12	22200.00	To Cash
01.10.12	24000.00	To Cash
11.10.12	12000.00	To Cash
19.10.12	40000.00	Ram Singh
19.10.12	20000.00	To Cash
26.10.12	15000.00	To Cash
26.10.12	15000.00	To Cash
24.03.13	10500.00	To Cash

योग रू0. 241900.00

उक्त धनराशि से कैशबुक में ईट क्रय, हयूम पाइप क्रय व मजदूरी व हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री पर व्यय किया जाना दर्शित है। कैशबुक में दर्शित व्यय वित्तीय नियमों के विरुद्ध है क्योंकि सामग्री व सामानों (ईट, हयूम पाइप, हैण्ड पम्प मरम्मत सामान) की खरीद हेतु चेक फर्म को देने का नियम है, नकद व बीयरर चेक को देने का नियम नहीं है। नियम विरुद्ध के साथ-साथ व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक व म0रो0 नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्टतया सम्पूर्ण व्यय फर्जी है। अतः उक्त

कुल धनराशि रू0. 241900.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राम सिंह व ग्रा0पं0अधि0 श्री जटाशंकर दूबे से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

36—ग्राम पंचायत — तिसौरा

विकास खण्ड — फूलपुर

प्रस्तर—1

ग्राम निधि I A/c No. 07570100021614 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण तरीके से निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा राजकीय धनराशि की निकासी हुई जिसमें दो के अतिरिक्त सभी बीयरर चेक से नकद हुयी है। विवरण निम्न प्रकार से हैं—

दिनांक	आहरित धनराशि रू0	
10.04.12	32000.00	बहादुर ईट उद्योग
11.04.12	4000.00	To Cash
13.04.12	22000.00	To Cash
13.04.12	14000.00	To Cash
13.04.12	22400.00	To Cash
09.05.12	11000.00	To Cash
17.05.12	2600.00	Shambhu Dayal
06.06.12	49000.00	Bahadur Eat Udyog
16.06.12	10000.00	To Cash
23.06.12	17000.00	Harish Chandra
10.07.12	22200.00	To Cash
03.08.12	10000.00	To Cash
08.08.12	25000.00	To Cash
09.08.12	17500.00	To Cash
09.08.12	29600.00	To Cash
28.08.12	30000.00	To Cash
28.08.12	59000.00	To Cash
21.09.12	17000.00	To Cash
28.09.12	45000.00	Pankaj
16.10.12	5050.00	Harish Chandra
12.11.12	12000.00	To Cash

17.11.12	4200.00	To Cash
04.12.12	4900.00	To Cash
04.12.12	33600.00	To Cash
26.12.12	10000.00	To Cash
10.01.13	9000.00	To Cash
10.01.13	19000.00	To Cash
23.01.13	10000.00	To Cash
29.01.13	15000.00	To Cash
29.01.13	16000.00	To Cash
29.01.13	22500.00	To Cash
01.02.13	5100.00	To Cash
13.02.13	20000.00	To Cash
28.02.13	10000.00	To Cash
20.03.13	10000.00	To Cash
25.03.13	62000.00	To Cash

योग रू0. 7,07,650.00

उपरोक्तानुसार पूर्ण मनमानी व वित्तीय नियमों के विरुद्ध नकद धनराशि की निकासी कर प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा राजकीय धनराशि का अपहरण/दुरुपयोग किया गया है। गलत तरीके से नियत विरुद्ध निकासी कर कैशबुक में आहरित धनराशि का समायोजन मात्र दर्शाकर राजकीय धनराशि का गबन किया गया है क्योंकि कैशबुक में व्यय समायोजन के विरुद्ध संगत बिल-बाउचर भी नहीं प्रस्तुत किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अन्य अभिलेख यथा-स्टाक रजि0, परिसम्पत्ति रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः लेख मैनुअल के पृष्ठ-36 के पैरा 8 (क) के अनुसार रू0. 7,07,650 का गबन प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रू0. 7,07,650 रू0. की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राम बहादुर व ग्रा0पं0अधि0 श्री चन्द्रभूषण यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना अपेक्षित है।

यहाँ गम्भीर आपत्तिजनक उल्लेखनीय तथ्य है कि ए0डी0ओ0 (पं0) द्वारा 13वां वित्त व राज्य वित्त का प्रिया साफ्ट में फीडिंग भी बिना बिल-बाउचर के ही काल्पनिक आधार पर कराई गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत को प्राप्त राजकीय अनुदान के दुरुपयोग में ए0डी0ओ0 (पं0) की भी सहभागिता है। लेख परीक्षा में उक्त तथ्य पूर्व प्रामाणिक रूप से सुस्पष्ट हुआ तथा तथ्य की सत्यता संदेह रहित है। ग्रा0पं0वि0अधि0 व प्रधान द्वारा यदि बाद में प्रमाणक किया जाता है तो वह फर्जी ही होगा जिसकी पुष्टि सम्बन्धित फर्मों के अभिलेखों से की जा सकेगी उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त तथ्यों के आलोच्य में **ADO(P)** के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

मनरेगा कैशबुक में दिनांक 05.07.10 को कैमरा क्रय पर रू0. 10035.00 व्यय किया जाना दर्शित है। मौखिक पूँछ-ताँछ में ग्रा0पं0अधि0 द्वारा बताया गया कि कैमरा खरीदने के लिए विभागीय अधिकारियों का दबाव था। इसकी उपयोगिता के औचित्य की पुष्टि नहीं हुई। फर्म व स्थानीय अधिकारियों की मिली-भगत से कैमरा क्रय किए जाने की बात स्पष्ट हुई। यह अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उच्चाधिकारियों द्वारा समुचित जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

आलोच्य वर्ष में मनरेगा कैशबुक में रोजगार सेवक को मानदेय भुगतान निम्न प्रकार से दर्शाया गया है—

05.07.10	2500.00
28.02.11	15000.00
14.06.11	15000.00
01.02.12	15000.00
22.05.12	15000.00
26.11.12	15000.00
31.12.12	12900.00
25.03.13	6600.00

उपरोक्त भुगतान की पुष्टि में मानदेय वितरण रजि० नहीं बनाया गया है। उक्त के अभाव में मानदेय वितरण की पुष्टि नहीं की जा सकती। विभागीय अधिकारियों द्वारा मानदेय वितरण रजि० से उक्त की पुष्टि किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

मनरेगा कैशबुक में दिनांक 06.04.12 को रू०. 2000.00 का व्यय स्टेशनरी क्रय पर दर्शित है। यह भुगतान नियम विरुद्ध तरीके से श्री भारत लाल (रोजगार सेवक) को किया गया है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। व्यय पूर्णतया फर्जी है। अतः रू०. 2000.00 वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री रामबहादुर व ग्रा०प०अधि० श्री चन्द्र भूशण यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

मनरेगा कैशबुक में दिनांक 15.09.12 को ईट क्रय पर व्यय रू०. 29600.00 किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य पक्की नाली निर्माण विपिन चन्द्र के कुएं से पक्की सड़क तक" से सम्बन्धित फाइल की जाँच में माप पुस्तिका नं०-4880 पर माप दिनांक 15.09.12 का की जानी दर्शित है जबकि कार्य दिनांक 20.09.12 को समाप्त किया जाना म०रो० पर अंकित है।

इस प्रकार कार्य समाप्त होने से पूर्व कार्य की एम०बी० कर ईट क्रय किया जाना नियम विरुद्ध है। फर्जी एम०बी० के आधार पर रू. 29600.00 की ईट क्रय किया जाना मनरेगा गाइड लाइन के विरुद्ध है। अतः रू०. 29600.00 की वसूली ग्रा०प०अधि० श्री चन्द्र भूशण व ग्राम प्रधान श्री राम बहादुर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। इस कार्य की तकनीकी जाँच कराकर इस पर हुए अन्य सामग्री (सीमेन्ट, बालू) भुगतान की वसूली भी नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

37—ग्राम पंचायत — अरवासीमय बहादुरगढ़

विकास खण्ड — फूलपुर

प्रस्तर—1

ग्राम निधि खाता । से दिनांक 08.05.12 को वित्तीय नियमों के विरुद्धरु प्रधान द्वारा रु0. 56195.00 का नकद आहरण किया गया है। इस धनराशि से कैशबुक में दिनांक 08.05.12 को टाईन ईट उद्योग से ईट क्रय पर व्यय रु0. 23630.00, दिनांक 08.05.12 को शिव शक्ति सीमेंट एजेन्सी से सीमेंट क्रय पर व्यय रु0. 24725.00 व मजदूरी कूप मरम्मत पर व्यय रु0. 7840.00 का किया जाना दर्शित है। स्पष्ट है कि ईट व सीमेंट क्रय नकद आहरित धनराशि से किया जाना दर्शित है जो कि मनमानी पूर्ण व नियम विरुद्ध है एक ही तिथि में ईट क्रय सीमेंट कब व मजदूरी भुगतान (सामग्री उपभोग के उपरान्त) का किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय की पुष्टि में बाउचर व म0रो0 भी नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि उक्त दर्शित व्यय कल्पित समायोजन मात्र है जिसका प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा आहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु0. 56195.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती निर्मला देवी व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अमरेन्द्र कुमार से समान रूप से जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

कैशबुक में दिनांक 17.05.12 को रु0. 20800.00 का व्यय हयूम पाइप खरीद पर किया जाना दर्शित है। हयूम पाइप क्रय हेतु भुगतान फर्म को न करके प्रधान द्वारा नकद धनराशि आहरित कर किया गया है। खरीद में न तो कोटेशन लिया गया है और न ही आयकर कटौती की गयी है। उक्त व्यय की पुष्टि में बिल—बाउचर, स्टॉक रजि0, परिसम्पत्ति रजि0 आदि भी नहीं दिखाया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि रु0. 20800.00 का नियम विरुद्ध मनमानी पूर्ण प्रधान के नाम आहरण करके कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रु0. 20800.00 का आहरण प्रधान व ग्रापं0वि0अधि0 द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अतः रु0. 20800.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती निर्मला देवी व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अमरेन्दु कुमार से समान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

ग्राम निधि खाता । से दिनांक 23.05.12 को रू0. 29420.00 का आहरण निसम विरुद्ध तरीके से फूल सिंह द्वारा किया गया है जिसका चेक नं0-524335 है। मौखिक रूप से ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा बताया गया कि फूल सिंह ईट के सप्लायर हैं। ईट क्रय हेतु भुगतान फर्म को न देकर फूल सिंह को किया गया है जो कि पूर्णतया नियम विरुद्ध है तथा अनुमन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त रू0. 29420.00 की धनराशि से मात्र रू0. 20350.00 की ईट क्रय दर्शित है तथा शेष रू0. 6320.00 की हैण्ड पम्प सामग्री न्यू शिव मशीनरी से एवं पत्र दिनांक 23.05.12 को ही रू0. 2750.00 मजदूरी पर व्यय किया जाना कैशबुक में प्रदर्शित है। ईट सप्लायर फूल सिंह को रू0. 29420.00 का भुगतान कर हैण्ड पम्प सामग्री व मजदूरी पर व्यय दर्शाना न केवल नियम विरुद्ध व परस्पर विरोधात्मक है बल्कि हास्यास्पद होने के साथ काल्पनिक भी है। व्यय की पुष्टि में बिल-बाउचरद्व स्टॉक रजि0, परिसम्पत्ति रजि0, आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि फूल सिंह से मिली भगत कर रू0. 29420.00 का नियम विरुद्ध आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0. 29420.00 की वसूली प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रू0. 29420.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती निर्मला देवी व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अमरेन्द्र कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक व विभागीय कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

ग्राम निधि खाता । से वित्तीय नियमों के विरुद्ध ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा स्वयं अपने नाम से धनराशि का नकद आहरण किया गया है विवरण निम्न है—

दिनांक	आहरित धनराशि रू0.	
25.10.12	12500.00	अमरेन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी)
26.12.12	13000.00	अमरेन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी)
31.12.12	16800.00	अमरेन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी)
08.01.13	21000.00	अमरेन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी)
15.01.13	9800.00	अमरेन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी)
25.03.13	4000.00	अमरेन्द्र कुमार (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी)
योग रू0. 77100.00		

उक्त आहरित धनराशि रु0. 12500.00 से दिनांक 25.10.12 को रु0. 1100.00 का व्यय ईट खरीद पर व रु0. 1400.00 का व्यय मिट्टी ढुलाई पर, दिनांक 26.12.12 को आहरित धनराशि रु0. 13000.00 में रु0. 5000.00 दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, व अमर उजाला को विज्ञापन हेतु व रु0. 8000.00 प्रशासनिक मद में व्यय दर्शाया गया है। दिनांक 31.12.12 को आहरित रु0. 16800.00 का व्यय ईट क्रय पर किया जाना दर्शित है। इसी प्रकार अन्य आहरित धनराशि से ईट खरीद हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री खरी व मजदूरी पर व्यय किया जाना कैशबुक में दर्शित है। उक्त किसी भी व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। समाचार पत्र में विज्ञापन हेतु व्यय शासन द्वारा अनुमन्य नहीं है। सामग्री खरीद में चेक फर्म को न देकर ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा स्वयं अपने नाम चेक काटकर भुगतान लिया गया है और नियम विरुद्ध नकद सामग्री क्रय किया जाना दर्शाया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि उक्त कुल रु0. 67100.00 का वित्तीय नियमों के विरुद्ध आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रु0. 77100.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रु0. 77100.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती निर्मला देवी व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अमरेन्द्र कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

कैशबुक में निम्न विवरणानुसार वित्तीय नियमों के विरुद्ध नकद धनराशि आहरित कर प्रधान द्वारा ईट क्रय किया जाना दर्शित है—

दिनांक	व्यय धनराशि	
13.12.12	21000.00	ईट क्रय (नकद)
21.01.13	25200.00	ईट क्रय (नकद)
29.10.13	28200.00	ईट क्रय (नकद)
05.02.13	8400.00	ईट क्रय (नकद)
30.03.13	12600.00	ईट क्रय (नकद)
योग रु0. 95400.00		

उपरोक्तानुसार नियम विरुद्ध मामानी पूर्ण ढंग से बार-बार नकद भुगतान पर ईट क्रय की जानी कैशबुक में दर्शित है जिसकी पुष्टि में बिल-बाउचर स्टॉक रजि०, परि० रजि० आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि उक्त कुल रू०. 95400.00 का नियम विरुद्ध फर्जी व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अपहरण किया गया है। अतः रू०. 95400.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती निर्मला देवी व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री अमरेन्द्र कुमार की नियम विरुद्ध मनमानीपूर्ण व निरंकुशता पूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति पर अंकुश हेतु प्रशासनिक व विभागीय कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

38—ग्राम पंचायत — बेलवा

विकास खण्ड — फूलपुर

प्रस्तर—1

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि I A/c No. 07570100022388 से व A/c No. 2948 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानी पूर्ण ढंग से प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से चेक काटकर धनराशि का आहरण निम्न विवरणानुसार किया गया है—

दिनांक	A/c No. 07570100022388	
	से आहरण	
10.04.12	16000.00	धर्मेन्द्र कुमार (प्रधान)
16.04.12	14000.00	धर्मेन्द्र कुमार
26.04.12	10250.00	धर्मेन्द्र कुमार
14.05.12	32300.00	धर्मेन्द्र कुमार
17.05.12	33635.00	धर्मेन्द्र कुमार
29.05.12	32640.00	धर्मेन्द्र कुमार
01.06.12	21500.00	धर्मेन्द्र कुमार
19.09.12	9000.00	धर्मेन्द्र कुमार
01.10.12	22200.00	धर्मेन्द्र कुमार
05.10.12	18000.00	धर्मेन्द्र कुमार
17.10.12	22500.00	धर्मेन्द्र कुमार
20.10.12	5000.00	धर्मेन्द्र कुमार
06.11.12	27425.00	धर्मेन्द्र कुमार
09.11.12	2500.00	धर्मेन्द्र कुमार
17.12.12	18500.00	धर्मेन्द्र कुमार

18.12.12	36050.00	धर्मेन्द्र कुमार
08.01.13	12000.00	धर्मेन्द्र कुमार
18.01.13	16000.00	धर्मेन्द्र कुमार
28.01.13	30500.00	धर्मेन्द्र कुमार
08.02.13	30000.00	धर्मेन्द्र कुमार
14.02.13	35000.00	धर्मेन्द्र कुमार
योग रू0. 4, 45, 000.00		

दिनांक	A/c No. 2948 से आहरण	
04.05.12	40652.00	धर्मेन्द्र कुमार (प्रधान)
13.06.12	15000.00	धर्मेन्द्र कुमार (प्रधान)
20.06.12	29600.00	To Tr (कैशबुक में धर्मेन्द्र कुमार)
योग रू0. 85252.00		

इस प्रकार उपरोक्तानुसार दोनों खातों से राजकीय धनराशि का आहरण प्रधान धर्मेन्द्र कुमार के नाम से वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानी पूर्ण ढंग से किया गया है। उक्त आहरण से स्पष्ट होता है कि ग्रा0पं0वि0अधि0 व प्रधान उक्त धनराशि से कैशबुक में विभिन्न प्रकार के व्यय (यथा— ईंट क्रय हयूम पाइप क्रय, स्ट्रीट लाइट, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री, मजदूरी आदि) पर दर्शाया गया है। व्यय की पुष्टि में बार—बार अपेक्षा व मांग के बावजूद बिल—बाउचर म0रो0, स्टॉक रजि0, परि0 रजि0, आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि नियम विरुद्ध पूर्ण मनमानी व निरंकुश तरीके से राजकीय धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त कुल आहरित धनराशि रू0. 445000.00 + रू0. 85252.00 अर्थात् रू0. 549002.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रू0. 530252.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अमरेन्द्र कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। ग्रा0पं0वि0अधि0 की मनमानी पूर्ण कार्यशैली पर अंकुश हेतु नियमानुसार विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

39—ग्राम पंचायत — ढोकरी

विकास खण्ड — फूलपुर

प्रस्तर—1

ग्राम निधि I A/c No. 07570100021579 से वित्तीय नियमों के विरुद्ध ग्राम पंचायत सराय अब्दुल मजिक के रोजगार सेवक विनोद कुमार को दिनांक 04.05.12 को ₹0. 2000.00 व दिनांक 10.05.12 को ₹0. 18000.00 का भुगतान किया गया है। जिसके सापेक्ष कैशबुक में हैण्ड पम्प मरम्मत ईट क्रय व मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है। धनराशि का आहरण विनोद कुमार (जो कि दूसरी ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक हैं) द्वारा किया गया है किन्तु व्यय प्रधान द्वारा कैशबुक में दर्शाया जा रहा है जो कि स्वयं में विरोधग्रस्त तथ्यों से युक्त है तथा एक साथ सत्य नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि उक्त तिथियों में दर्शित कुल व्यय ₹0. 2000.00 + ₹0. 18000.00 अर्थात् ₹0. 20000.00 पूर्णतया फर्जी व काल्पनिक समायोजन मात्र है। अतः ₹0. 20000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राम चन्द्र पटेल व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री अजय कुमार राना से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

दिनांक 09.05.12 को ग्राम निधि—I से ही नियम विरुद्ध तरीके से ₹0 37000.00 का आहरण प्रधान श्री राम चन्द्र पटेल द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध सापेक्ष कैशबुक में ईट क्रय पर व्यय ₹0 17500.00 व मजदूरी पर व्यय किया जाना दर्शित है। व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक व अन्य वांछित अभिलेख यथा स्टोक रजि०, परि० रजि० आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। सामग्री क्रय हेतु नकद धनराशि की निकासी कर कैशबुक में फर्जी व्यय समायोजन दर्शाकर ₹0 37000.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० कर लिया गया है। अतः ₹0 37000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राम चन्द्र पटेल व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री अजय कुमार राना से 16 प्रतिशत तारीख ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

ग्राम निधि I से निम्न विवरणानुसार वित्तीय नियमों के विरुद्ध धनराशि का आहरण किया गया है—

दिनांक	आहरित धनराशि	कैशबुक में संक्षिप्त विवरण
9.10.12	20,000.00	रामचन्द्र—खड़जा मरम्मत व मिट्टी धुलाई
15.10.12	33000.00	ईट क्रय व मजदूरी
10.10.12	22000.00	रामचन्द्र— क्रय व मजदूरी
17.12.12	26000.00	To Cash- ईट क्रय व मजदूरी पर व्यय
24.12.12	19000.00	रामचन्द्र— ईट क्रय व मजदूरी व्यय
04.01.13	48000.00	रामचन्द्र— स्ट्रीट लाइट पर व्यय
05.01.13	16000.00	To Cash- स्ट्रीट लाइट पर व्यय
15.01.13	16000.00	To Cash- स्ट्रीट लाइट पर व्यय
29.01.13	8000.00	रामचन्द्र— हैण्डपम्प मरम्मत
कुल	208000.00	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय हेतु कोई भी फर्म को नहीं काटा गया है प्रायः सभी चेक प्रधान राम चन्द्र के नाम कटा है। स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय दिनांक 04.01.13 को रू0 48000.00, दिनांक 5.01.13 को रू0 16000.00 व दिनांक 15.01.13 को व 16000.00 किया जाना दर्शित है। इतने कम अन्तराल पर बार-बार प्रधान द्वारा नकद स्ट्रीट लाइट, क्रय करने का कोई भी औचित्य नहीं है। उपरोक्त किसी भी व्यय की पुष्टि में बाउचर व अन्य अभिलेख यथा—स्टाक रजि0, परि0 रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि कुछ भी नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए मनमानी पूर्ण ढंग से खाते से धनराशि का आहरण कर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त कुल रू0 208000.00 का आहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रू0 208000.00 की वसूली उत्तर दायी प्रधान श्री रामचन्द्र व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अजय कुमार राना से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

40—ग्राम पंचायत— चक अब्दुलकरीम उर्फ भुलई

विकास खण्ड— फूलपुर

प्रस्तर—1

ग्राम निधि I A/c No. 01/21603 से
वित्तीय नियमों के विरुद्ध मनमानीपूर्ण तरीके से
निम्न विवरणानुसार प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 द्वारा
राजकीय धनराशि की नकद निकासी हुई है।
विवरण निम्न प्रकार से है—

दिनांक	आहरित धनराशि A/c No.	
	0750100021603	
30.04.12	12500.00	Uday Bhan
17.05.12	9000.00	To cash
17.05.12	37000.00	V.B. Yadav
09.06.12	10000.00	To cash
07.07.12	50000.00	V.B. Yadav
17.07.12	2000.00	To cash
07.08.12	40000.00	V.B. Yadav
12.11.12	4000.00	To cash
12.11.12	30900.00	Self
17.11.12	26000.00	To cash
15.12.12	22500.00	To cash
15.12.12	22500.00	To cash
18.12.12	5000.00	To cash
10.01.13	31500.00	To cash
30.01.13	14500.00	To cash
22.02.13	17200.00	To cash
23.03.13	12000.00	To cash
	योग रू0 346600.00	

उपरोक्तानुसार पूर्ण मनमानी व वित्तीय नियमों के विरुद्ध नकद धनराशि की निकासी कर प्रधान व ग्रा०पं०वि० अधि० द्वारा राजनीय धनराशि का अपहरण किया गया है। गलत तरीके से नियम विरुद्ध निकासी कर कैशबुक में आहरित धनराशि का काल्पनिक समायोजन मात्र दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है क्योंकि कैशबुक में व्यय समायोजन के सापेक्ष संगत बिल-वाउचर भी बार बार अपेक्षा के बावजूद भी नहीं प्रस्तुत किया गया। व्यय की पुष्टि में अन्य वांछित अभिलेख यथा— स्टाक राजे, परिसम्पत्ति रजि०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि भी माँग के बावजूद नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः लेखा मैनुअल के पृष्ठ 36 के पैरा 8(क) के अनुसार रू० 346600.00 का गबन प्रधान व ग्रा०पं०अधि० द्वारा किया गया है। अतः रू० 346600.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती चमेली देवी व ग्रा०पं०वि० अधि० श्री राजेश कुमार सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त आग्रस्त से अनिवार्यतः यह निष्कर्ष भी निगमित होता है कि ADO(P) द्वारा 13 वांछित व राज्य वित्त का प्रिया साफ्ट में फीडिंग भी बिना बिल वाउचर के काल्पनिक आधार पर कराई गयी है। उच्चाधिकारियों द्वारा ADO(P) के विरुद्ध भी नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

41—ग्राम पंचायत— एकडला

विकास खण्ड— फूलपुर

प्रस्तर—1

ग्राम निधि । A/c No. 075100022327 से दिनांक 9.4.12 को 2000.00 व दिनांक 18.5.12 को रू० 22500.00 का आहरण विनोद कुमार द्वारा किया गया है। ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा बताया गया कि विनोद कुमार ग्राम पंचायत सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक हैं। प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा विनोद कुमार के नाम चेक देना पूर्णतया नियम विरुद्ध है। इस धनराशि से कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत व मिट्टी भराई पर (रू० 22500.00 की मिट्टी भराई) व्यय कैशबुक में दर्शित है। व्यय पर परस्पर

विरोधग्रस्त तथ्यों से युक्त होने के कारण पूर्णतया फर्जी है। व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि रु0 2000.00+ 22500.00 अर्थात् कुल रु0 24500.00 का प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा अपहरण किया गया है। अतः रु0 24500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार व ग्रा0पं0वि0 अधि श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2

कैश बुक में दिनांक 11.05.2012 को स्ट्रीट पर व्यय रु0 36400.00 किया जाना दर्शित है। स्ट्रीट लाइट हेतु चेक फर्म को न काटकर विवेक कुमार का मय व्यक्ति को दिया गया है जोकि पूर्णतया नियम विरुद्ध है। व्यय की पुष्टि में बिल बाउचर, स्टॉक रजि0 व परि0रजि0 भी नहीं दिखाया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि नियमविरुद्ध चेक काटकर कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रु0 36400.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रु0 36400.00 की वसूली प्रधान श्री राजबहादुर व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3

कैशबुक में दिनांक 17.10.2011 को रु0 26000.00 का व्यय स्ट्रीट लाइट क्रय पर किया जाना दर्शित है व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया, स्ट्रीट लाइट उपभोग स्थल का विवरण नहीं अंकित है, खरीद हेतु चेक को न देकर प्रधान द्वारा नकद धनराशि आहरित किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि व्यय पूर्णतया फर्जी है। प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा संयुक्त रूप से उक्त दर्शित व्यय धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रु0 26000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राजबहादुर व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4

कैशबुक में दिनांक 8.11.12 को रु0 65000.00 का आहरण अंकित है जोकि बहादुर सिंह द्वारा किया गया है।

कैशबुक में दिनांक 8.11.12 को राजबहादुर सिंह का क्रय जगत निर्माण पर रू0 65000.00 का व्यय अंकित है। व्यय की यह प्रक्रिया आपत्तिजनक है। राजबहादुर जोकि स्वयं प्रधान है अपने स्वयं के हित के लिए राजकीय अनुदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्रय जगत निर्माण हेतु राजबहादुर (प्रधान) को नकद धनराशि देने का कोई औचित्य नहीं है। व्यय की पुष्टि हेतु कोई प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार व्यय अनधिकृत होने के साथ-साथ फर्जी भी है। अतः रू0 65000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राजबहादुर व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5

ग्राम निधि I A/c No. 0757010002327 से दिनांक 03.01.2013 को रू0 31500.00 का ट्रांसफर A/c No. 01/17990 में किया गया है किन्तु इस वास्तविक तथ्य को छिपाकर कैशबुक में प्रधान द्वारा आहरण दर्शाकर दिनांक 3.1.13 को ईट क्रय पर व्यय रू0 21000.00 व दिनांक 14.01.13 को मजदूरी पर व्यय रू0 10500.00 किया जाना अंकित किया गया है। जिसकी सत्यता स्वयं खण्डित होती है। इस प्रकार वास्तविक तथ्यों को छिपाकर फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 31500.00 का अपहरण प्रधान व ग्रा0पं0वि0 अधि0 द्वारा किया गया है। अतः रू0 31500.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राजबहादुर व ग्रा0पं0 अधि0 श्री राजबहादुर व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त से रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6

ग्राम निधि खाता से दिनांक 17.01.2013 की रू0 44000.00 का ट्रांसफर शारदा ईट उधोर को दिया गया है। इस धनराशि से कैशबुक में असंगत रूप से निम्न प्रकार व्यय दर्शाया है—

दिनांक	व्यय विवरण	व्यय धनराशि
17.01.13	मस्जिद से पक्की सड़क तक खड़जा मरम्मत खड़जा उखड़वाई	12000.00
25.01.13	ईट शारदा ईट उद्योग 4000X4.2	16800.00
31.01.13	उपरोक्त खड़जा पर मजदूरी	15600.00

उपरोक्त में दिनांक 17.01.13 व 31.01.13 को मजदूरी पर व्यय दर्शित है जोकि शारदा ईट उद्योग खाते में ट्रांसफर होने पर कदापि सम्भव नहीं है नियमानुसार 17.01.13 को शारदा ईट उद्योग को रु0 44000.00 के भुगतान के सापेक्ष ईट क्रय का तथ्यों से परे मनगढ़न्त, कल्पित फर्जी होने के साथ-साथ हास्यास्पद भी है। रु0 44000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रुपया 44000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राजबहादुर व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

ग्राम निधि खाता-। से दिनांक 01.02.13 को 18000.00 व दिनांक 12.02.13 को रु0 55000.00 का नियम विरुद्ध आहरण प्रधान द्वारा किया गया है दिनांक- 01.02.2013 को आहरित धनराशि से दिनांक 1.2.13 को रु0 4000.00 मजदूरी पर, दिनांक 5.2.13 को रु0 4200.00 ईट क्रय पर व दिनांक 12.2.13 को रु0 3800.00 खड़जा पर मजदूरी पर व्यय कैशबुक में दर्शित है। इसी प्रकार दिनांक 12.2.13 को आहरित रु0 55000.00 की धनराशि से दिनांक 12.2.13 को ईट क्रय पर व्यय रु0 25200.00, दिनांक 18.2.13 को खड़जा उखड़वाई पर रु0 9000.00, दिनांक 20.2.13 को खड़जा पर मिट्टी पर व्यय रु0 9000.00, व दिनांक 28.2.13 को खड़जा पर मजदूरी पर व्यय रु0 11800.00 दर्शाकर समायोजन किया गया है। किसी भी व्यय की पुष्टि में कोई भी म0रो0 व प्रमाणक नहीं दिखाया गया। एक साथ व्यय के काफी पूर्व प्रधान द्वारा सामग्री व मजदूरी हेतु बड़ी धनराशि निकालने का कोई औचित्य नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी मात्रा में धनराशि का आहरण कर कैशबुक के काल्पनिक समायोजन मात्र दर्शाकर प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा आपहरण किया गया है। अतः उक्त कुल धनराशि रु0

18000.00 + रू0 55000.00 अर्थात् रू0 73000.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्री राजबहादुर व ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री हेमन्त सिंह से सामान्य रूप से की जानी अपेक्षित है।

42—ग्राम पंचायत— चक अहमद उर्फ कुसेहटा

विकास खण्ड— फूलपुर

प्रस्तर—1

दिनांक 15.6.12 को कैशबुक में ईट, क्रय हेतु रू0 48100.00 का व्यय किया जाना दर्शित है व्यय पूर्णतया नियम विरुद्ध व फर्जी है क्योंकि उक्त रू0 48100.00 का भुगतान फर्म न करके अनिल कुमार व्यक्ति का किया है तथा पुष्टि हेतु प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। सामग्री क्रय सम्बन्धी नियम है व्यक्ति के नाम से चेक करने की व्यवस्था नहीं है। गलती को छिपाने के लिए कैशबुक के व्यय पक्ष में हिन्दू ईट उद्योग को भुगतान दर्शाया गया है। खरीद नियम के उल्लंघन से राजकीय राजस्व व्यापार कर आयकर की क्षति हुई। वित्तीय नियमानुसार रू0 48100.00 का गबन प्रधान व ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा किया गया। अतः रू0 48100.00 की वसूली समान रूप से जानी अपेक्षित है। अन्य विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर—2

लेखा परीक्षा में राजकीय के अपहरण का गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आया। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय नियमों ग्राम निधि A/c No. 01570100021624 की धनराशियों का सराय अब्दुलमलिक के रोजगार सेवक श्री विनोद कुमार के बचत खाते में ट्रांसफर व वीयरर चैक द्वारा कर दिया गया है किन्तु कैशबुक में प्रधान द्वारा टुकड़ों में फर्जी नकद व्यय विभिन्न में दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है क्योंकि जो धनराशि विनोद कुमार के P A/c में ट्रांसफर हो रही है अथवा भुगतान हो रही है उससे प्रधान के टुकड़ों में नकद व्यय किया जाना सम्भव ही नहीं है। दोनों तथ्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते। इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से विनोद कुमार को भुगतान की गयी धनराशि से प्रधान

द्वारा कैशबुक में नकद व्यय दर्शाना उक्त आहरित धनराशि के काल्पनिक समायोजन मात्र है वास्तविक तथ्य नहीं। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक	ग्राम निधि I A/c No.	भुगतान विवरण
	07570100021624	से आहरण
20.04.12	3120.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
07.05.12	2000.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
02.07.12	38600.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
02.07.12	7550.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
26.11.12	26290.00	विनोद कुमार (सराय अब्दुल मलिक के रोजगार सेवक)
28.02.13	4105.00	विनोद कुमार के PA/C No. 01 / 15127 में
19.03.13	22800.00	विनोद कुमार के PA/C No. 01 / 15127 में
19.3.13	6000.00	विनोद कुमार के PA/C No. 01 / 15127 में
22.03.13	46580.00	विनोद कुमार के PA/C No. 01 / 15127 में
18.10.13	44560.00	विनोद कुमार के PA/C No. 01 / 15127 में
योग	201605.00	

किसी खाते में ट्रांसफर है जिससे प्रधान द्वारा रु0 15000.00 मजदूरी भुगतान व रु0 29560.00 की सामग्री नकद क्रय कैशबुक में दर्शित है जो कदापि सम्भव नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार रु0 201605.00 का वित्तीय नियमों के विरुद्ध दूसरों के भुगतान पर कैशबुक में फर्जी/कल्पित नकद व्यय दर्शाकर प्रधान व

ग्रा०पं०वि०ओ० द्वारा पारस्परिक मिली भगत कर रु० 201605.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः रु० 201605.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती प्रेम कुमारी व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री अजय कुमार राना से समान रूप से की जानी अपेक्षित है वसूली के साथ-साथ नियमानुसार प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ADO (P) द्वारा प्रियासाफ्ट फीडिंग व निरीक्षण में उक्त अपहरण के तथ्य को नजरअंदाज किया गया तथा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन किया जाता तो सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में निबोध रूप से राजकीय धनराशि का अपहरण सम्भव न होता। इस प्रकार उक्त राजकीय धनराशि के अपहरण में ADO (P) की सहभागिता की पुष्टि होती है। विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा ADO (P) के विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद—कौशाम्बी

सम्भाग इलाहाबाद

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित गम्भीर आपत्तियाँ—:

ग्राम पंचायत— कठरा,

विकास खण्ड—चायल

प्रस्तर— 01—

वर्ष के दौरान विभिन्न मदों के लिये बैंक से वर्ष के दौरान कुल रु० 387715.00 की धनराशि आहरित की गयी किन्तु कोषबही में आय के जिसके सापेक्ष व्यय दर्शाया गया का योग 314815.00 का ही लेखान किया गया रु० 72900.00 धनराशि का कैश बुक में आय पक्ष में दर्शित की गयी परन्तु रु० 72900.00 का न तो अन्तिम रोकड़ शेष प्रधान के पास नकद दिखाया गया है और न ही किसी प्रकार का समायोजन/व्यय कैश में न दर्शाकर सीधे अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती राजकुमारी सचिव श्री प्रीतम सिंह, ग्रा०वि०अ० जिम्मेदार है। अतः रु० 72900.00 की मय प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं श्री प्रीतम सिंह ग्राम वि० अधि० कठरा से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 2—

कैशबुक में वर्ष के दौरान वर्ष 2012-13 में जो बैंक से प्राप्त एवं उसके सापेक्ष व्यय कुल धनराशि 314725.00 का विवरण विभिन्न मदों में निम्नानुसार दर्शाया गया है।

क्रमांक	कृत कार्य का विवरण	धनराशि	अन्य
01	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	10250.00	
02	खरंजा मरम्मत हेतु ईंट	18500.00	
03	खरंजा मरम्मत हेतु मजदूरी पर व्यय	11375.00	
04	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	12500.00	
05	तलाब में पानी भरवाने हेतु	5000.00	
06	खरंजा मरम्मत हेतु मजदूरी पर व्यय	12600.00	
07	खरंजा मरम्मत हेतु मजदूरी पर व्यय	14220.00	
08	खरंजा मरम्मत हेतु ईंट का क्रय	55500.00	
09	सफाई कार्य हेतु उपकरण पर व्यय	5000.00	
10	खरंजा मरम्मत हेतु मजदूरी पर व्यय	18500.00	
11	पक्का नाला मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	38080.00	
12	पक्का नाला मरम्मत हेतु मजदूरी	15000.00	
13	खरंजा मरम्मत हेतु ईंट का क्रय	25000.00	
14	प्रधान जी का मानदेय	7200.00	
15	नाली मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	28000.00	
16	नाली मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	38000.00	
	योग—	314725	

किन्तु किसी भी व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। जो स्पष्ट करता है कि फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः फर्जी रूप से दर्शित व्यय के आधार पर बिना बाउचर (व्यय प्रमाणक) के कुल रु0 314725.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं सचिव श्री पीतम सिंह सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अतः रु0 314725.00 की वसूली ग्राम

प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं प्रीतम सिंह ग्रा०वि०अ० कठरा सं संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -3

ग्राम निधि तृतीय में वर्ष 2012-13 में कुल रू० 2106.00 प्राप्त हुए हैं। गत वर्ष 31.03.2012 के अवशेष रू० 45176.00 को मिलाते हुए कुल वित्तीय वर्ष में रू० 47282.00 हुआ जिसमें वर्ष 2012-13 में (दिनांक- 01.04.2012 से 31.03.2013 तक) बैंक से कुल 24000.00 ग्राम निधि तृतीय खातों से आहरित की गयी और उक्त धनराशि को कोषबही में आय पक्ष में दर्शित किया गया है। परन्तु कैश बुक में न ही उक्त धनराशि के समायोजन निमित्त कोई व्यय दर्शित किये गये और न ही कोई व्यय प्रमाणक/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जो स्पष्ट करता है कि रू० 24000.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं सचिव श्री प्रीतम सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया गया। अतः रू० 24000.00 का ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं प्रीतम सिंह ग्रा०वि०अ० कठरा से संयुक्त वसूल रूप से किया जाना अपेक्षित है।

02-ग्राम पंचायत- बलीपुर टाटा,

विकास खण्ड-चायल

जनपद- कौशाम्बी

प्रस्तर- 01-

वर्ष 2011-12 में निम्न विवरणानुसार शौचालय लाभार्थियों को बैंक चेक काटकर सीधे धनराशि देना दर्शाया गया है, किन्तु लाभार्थी शौचालय निर्माण में उक्त धनराशि में उपभोग की पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम	चेक संख्या	नाम	धनराशि
01	508177	रामसमुद	2200.00
02	508178	मसुरियादेवी	2200.00
03	508911	बर्जमशा	2200.00
04	508912	तिरभूसा	2200.00
05	508913	चन्द्रकाल	2200.00
06	508914	शिवकली	2200.00

07	508919	पुरवही	2200.00
08	508920	टनारकली	2200.00
09	508921	श्रामराज	2200.00
10	508922	छोटेला	2200.00
11	508924	छेवराज	2200.00
12	508926	रोशनलाल	2200.00
13	508923	बलराज	2200.00
14	508918	सुग्गालाल	2200.00
15	508915	आशादेवी	2200.00
16	508917	कनहीलाल	2200.00
17	508930	सीमा देवी	2200.00
18	509064	राजकली	2200.00
19	509063	रेखा देवी	2200.00
20	508929	नोखे	2200.00
21	509061	चन्दनलाल	2200.00
22	509068	भैरौ	2200.00
23	509078	श्यामलाल	2200.00
24	502070	शौचालय में व्यय	2200.00
25	509083	शहनशाह	2200.00
26	509066	मंगला	2200.00
27	509067	राजकली	2200.00
28	509086	लवकुश	2200.00
29	509065	भोला	2200.00
30	509085	सूनीता	2200.00
31	509088	पन्नलाल	2200.00
32	509090	श्यामलाल	2200.00
33	509087	छेदीलाल	2200.00
34	509099	बंकीलाल	2200.00
35	509097	द्वारिका प्रसाद	2200.00
36	509077	पंथरू	2200.00
37	509098	चन्दीलाल	2200.00
38	509091	रामदास	2200.00
39	509084	शकुंतला	2200.00
40	509108	ननकुल	2200.00
41	509107	चन्द्रमा	2200.00
42	509103	जीते	2200.00
43	508927	दुलारे	2200.00

44	508925	हरीलाल	2200.00
45	509091	सुखलाल	2200.00
46	509095	नीता देवी	2200.00
47	509100	श्यामकली	2200.00
48	509092	सुन्दरलाल	2200.00
49	509076	भारतलाल	2200.00
50	509079	गंशी	2200.00
51	509113	अमरसिंह	1500.00
52	509112	नौखीलाल,	1500.00
53	509111	रामनिवाज	1500.00
54	509069	मंहगी	2200.00
55	509089	बिटेन	2200.00
56	509124	ललितमोघ	1500.00
57	509116	देवेन्द्र कुमार	1500.00
58	509128	शिवभूषण	1500.00
59	509118	भरत सिंह	1500.00
60	509122	रविशंकर	1500.00
61	509129	जवाहरजाल	1500.00
62	509094	दशरथलाल	2200.00
63	509109	शिवकली	2200.00
64	509106	चुबेलाल	2200.00
65	509115	धर्मपाल	1500.00
66	909123	श्यामनारायण	1500.00
67	509126	रामरस	1500.00
68	509127	छेदीलाल	1500.00
69	509119	अतरसिंह	1500.00
70	509130	हरिकेशव	1500.00
71	509125	श्यामबली	1500.00
72	509082	कुन्तीदेवी	2200.00
73	509105	शारदा	2200.00
74	509080	चेतीराम	2200.00
75	509093	अशोक कुमार	2200.00
76	509095	हंस	2200.00
77	509110	गुड्डा	2200.00
78	509071	चौरी देवी	2200.00
79	509074	देवशरण	2200.00
80	509072	फूलकली	2200.00

81	509117	सागरटिप	1500.00
82	509137	प्रमोद कुमार	1500.00
83	509134	गिरीश चन्द्र	1500.00
84	509062	शिव भजन	2200.00
85	502136	विरेन्द्र	1500.00
86	509121	राजतिरपट	1500.00
87	509120	रमेश कुमार	1500.00
88	509096	सुनीता देवी	2200.00
89	509073	सुखलाल	2200.00
90	500701	राममिलन	1500.00
91	500703	बच्चनलाल	1500.00
92	500704	वीरेन्द्र कुमार	1500.00
93	500705	शिव देवी	1500.00
94	500708	शौचालय पर व्यय	1500.00
95	500707	शौचालय पर व्यय	1500.00
96	500711	ज्ञान सिंह	1500.00
97	500702	ननकी	1500.00
98	484142	शौचालय पर व्यय	2200.00
99	484141	शौचालय पर व्यय	2200.00
100	484141	शौचालय पर व्यय	2200.00
101	484157	चन्द्रकली	2200.00

योग— 201200.00

अतः उक्त धनराशि कुल रू0 201200.00 राजकीय अनुदान के उपभोग की पुष्टि नहीं हो पायी और ऐसी स्थिति में समस्त धनराशि दुरुपयोग की गयी की पुष्टि होती है। जिसके लिये सीधे तौर पर ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकली एवं सचिव प्रेम सिंह जिम्मेदार है। अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक जांच एवं कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है—

प्रस्तर— 2—

वर्ष 2012-13 में निम्न विवरणानुसार शौचालय लाभार्थियों को बैंक चेक काटकर सीधे धनराशि देना दर्शाया गया है, किन्तु लाभार्थी शौचालय निर्माण में उक्त धनराशि में उपभोग की पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम	चेक संख्या	नाम सर्वश्री	धनराशि
01	500706	इन्द्रपाल	1500.00
02	500722	दिलीप कुमार	1500.00
03	500723	रामनरेश	1500.00
04	500724	सतीश कुमार	1500.00
05	500721	किशन दत्त	1500.00
06	500728	शौचालय पर व्यय	2200.00
योग—			9700.00

अतः उक्त धनराशि कुल रू0 9700.00 राजकीय अनुदान के उपभोग की पुष्टि नहीं हो पायी और ऐसी स्थिति में समस्त धनराशि दुरुपयोग की गयी की पुष्टि होती है। जिसके लिये सीधे तौर पर ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकली एवं सचिव प्रेम सिंह जिम्मेदार है। अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक जांच एवं कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है—

प्रस्तर— 3—

वर्ष 2011—12 बैंक से कुल रू0 1270810.00 राज्य वित्त/तेरहवां वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी और कैश बुक में आय पक्ष में अंकन किया गया परन्तु कैशबुक में व्यय पक्ष में न ही उक्त धनराशि के समायोजन निमित्त कोई व्यय दर्शित किये गये और न ही कोई व्यय प्रमाणक /व्यय का विवरण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया और न ही कैश बैलेंस के रूप में ही दिखाया गया है जो स्पष्ट करता है कि रू0 1270810.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती शिवकली एवं सचिव प्रेम सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बलीपुर टाटा द्वारा सीधे तौर पर किया गया है। अतः रू0 1270810.00 का प्रधान श्रीमती शिवकली एवं श्री प्रेम सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बलीपुर टाटा से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर— 4—

कैशबुक में वर्ष के दौरान वर्ष 2011—12 में जो बैंक से प्राप्त एवं उसके सापेक्ष व्यय कुल धनराशि 384500.00 का विवरण विभिन्न मदों में निम्नानुसार दर्शाया गया है।

क्रमांक	कृत कार्य का विवरण	धनराशि	अन्य
01	भंवर सिंह के तालाब से बन्द नाली तक खंडजा निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि	252400.00	
02	देवसरन के घर से कौशल्या के घर तक मिट्टी / खंडजा / नाली / पुलिया निर्माण कार्य पर व्यय	132100.00	
	योग—	384500.00	

किन्तु किसी भी व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। जो स्पष्ट करता है कि फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः फर्जी रूप से दर्शित व्यय के आधार पर बिना बाउचर (व्यय प्रमाणक) के कुल ₹0 384500.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये प्रधान श्रीमती शिवकली एवं सचिव श्री प्रेम सिंह सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अतः ₹0 384500.00 का प्रधान श्रीमती शिवकली एवं श्री प्रेम सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बलीपुर टाटा से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर— 5—

कैशबुक में वर्ष के दौरान वर्ष 2012-13 में जो बैंक से प्राप्त एवं उसके सापेक्ष व्यय कुल धनराशि 448446.00 का विवरण विभिन्न मदों में निम्नानुसार दर्शाया गया है।

क्रमांक	कृत कार्य का विवरण	धनराशि	अन्य
01	इंडिया मार्का— द्वितीय हैंडपम्प की मरम्मत कार्य में व्यय धनराशि	20000.00	
02	सुरेश महाजन के घर से इकलाख के घर तक मिट्टी कार्य एवं खरंजा मरम्मत पर व्यय धनराशि	61825.00	
03	इतफाल अहमद के घर से भैयालाल के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि	212711.00	

04	इतफाल अहमद के घर से भैयालाल के घर तक मिट्टी एवं मरम्मत कार्य पर व्यय धनराशि	91825.00	
05	प्रधान का मानदेय जुलाई 2010 से अक्टूबर 2012 तक	21000.00	
06	आडिट फीस	300.00	
07	इंडिया मार्का— द्वितीय हैण्डपम्प की मरम्मत कार्य में व्यय धनराशि	20339.00	
08	इंडिया मार्का— द्वितीय हैण्डपम्प की मरम्मत कार्य में व्यय धनराशि	17946.00	
09	तेलैया तालाब में पशुओं के पानी पीने हेतु प्राइवेट नलकूप से पानी भरवाने हेतु	2500.00	
	योग—	448446.00	

किन्तु किसी भी व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। जो स्पष्ट करता है कि फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः फर्जी रूप से दर्शित व्यय के आधार पर बिना बाउचर (व्यय प्रमाणक) के कुल रु0 448446.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये प्रधान श्रीमती शिवकली एवं सचिव श्री प्रेम सिंह सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अतः रु0 448446.00 का प्रधान श्रीमती शिवकली एवं श्री प्रेम सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत बलीपुर टाटा से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित हैं।

प्रस्तर 6—

वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न मदों के लिये बैंक से वर्ष के दौरान कुल रु0 628546.00 की धनराशि आहरित की गयी किन्तु कोषबही में आय के जिसके सापेक्ष व्यय दर्शाया गया का योग 448446.00 का ही लेखन किया गया है इस प्रकार रु0 180100.00 अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती शिवकली सचिव श्री प्रेम सिंह, ग्रा0वि0अ0 जिम्मेदार है। अतः रु0 180100.00 की प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं श्री प्रेमसिंह ग्रा0 वि0 अ0 बलीपुरटाटा से संयुक्त रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 7—

वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न मदों के लिये बैंक से वर्ष के दौरान कुल रु0 472500.00 की धनराशि आहरित की गयी किन्तु कोषबही में आय के जिसके सापेक्ष व्यय दर्शाया गया का योग 384500.00 का ही लेखन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि रु0 88000.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिये प्रधान श्रीमती शिवकली सचिव श्री प्रेम सिंह, ग्रा0वि0अ0 जिम्मेदार है। अतः रु0 88000.00 की प्रधान श्रीमती शिवकली एवं श्री प्रेमसिंह ग्रा0 वि0 अ0 बलीपुरटाटा से संयुक्त रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 8—

ग्राम निधि तृतीय में वर्ष 2011-12 में कुल रु0 144300.00 प्राप्त हुए हैं। गत वर्ष 31.03.2011 के अवशेष रु0 124297.00 को मिलाते हुए कुल वित्तीय वर्ष में रु0 268597.00 हुआ जिसमें वर्ष 2011-12 में (दिनांक— 01.04.2011 से 31.03.2012 तक) बैंक से कुल 152200.00 ग्राम निधि तृतीय खातों से आहरित की गयी और उक्त धनराशि को कोषबही में आय पक्ष में दर्शित किया गया है। परन्तु कैश बुक न ही उक्त धनराशि के समायोजन निमित्त कोई व्यय दर्शित किये गये और न ही कोई व्यय प्रमाणक/उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जो स्पष्ट करता है कि रु0 152200.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती शिवकली एवं सचिव श्री प्रेमसिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया गया। अतः रु0 152200.00 का ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकली एवं प्रेम सिंह ग्रा0वि0अ0 बलीपुर टाटा सं संयुक्त रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद — प्रतापगढ़ :

मण्डल—इलाहाबाद

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

1—ग्राम पंचायत— हरिहरपुर

विकास खण्ड— मानधाता

प्रस्तर—1

हरिहरपुर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यय की गयी धनराशि कोई प्रमाणक नहीं है। अतः मनरेगा की आहरित धनराशि रु0 232163.00 श्री अरविन्द सिंह ग्रा0वि0अधि0 एवं श्री मु0 दाऊद प्रधान से वसूली जाय।

प्रस्तर-2

हरिहरपुर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम नि० प्रथम से आहरित धनराशि रु० 180040.00 के व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः श्री अरविन्द सिंह ग्रा०वि०अ० एवं श्री दाउद प्रधान से वसूली की जाय।

2-ग्राम पंचायत- शोभीपुर

विकास खण्ड- मानधाता

प्रस्तर-1

शोभीपुर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मनरेगा पर व्यय की गयी धनराशि का कोई प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मनरेगा की आहरित धनराशि रु० 434691.00 श्री मुनेश्वर ग्रा०वि०अ० एवं मेफुल प्रधान से वसूल की जाय।

प्रस्तर-2

शोभीपुर वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा०वि० प्रथम से आहरित धनराशि रु० 394040 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री मुनेश्वर एवं प्रधान श्री मेफुल से वसूली की जाय।

3-ग्राम पंचायत- अकोढ़िया

विकास खण्ड- मानधाता

प्रस्तर-1 अकोढ़िया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा सम्बन्धित व्यय के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः सम्बन्धित धनराशि रु० 358999.27 ग्रा०वि०अ० श्री अरविन्द सिंह एवं प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी से वसूल की जाय।

प्रस्तर-2 अकोढ़िया (वि०ख०मानधाता) की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में ग्रा०वि० प्रथम से आहरित रु० 494657.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। परिणाम स्वरूप भुगतान फर्जी प्रतीत होते हैं। अतः श्री अरविन्द सिंह ग्रा०वि०अ० एवं प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी से वसूली की जाय।

4-ग्राम पंचायत- पहाड़पुर

विकास खण्ड- मानधाता

प्रस्तर-1

पहाड़पुर (वि०ख०-मानधाता) के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किए गये। अतः मनरेगा की आहरित धनराशि रु० 457362.50 ग्रा०वि०अ० श्री इन्द्रकान्त तिवारी एवं प्रधान श्री अजय सिंह से वसूल की जाय।

प्रस्तर-2

पहाड़पुर गजेहड़ा (वि०ख० मानधाता) वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में ग्रा०वि०प्रथम से आहरित धनराशि रु० 283940 के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री इन्द्रकान्त तिवारी एवं प्रधान श्री अजय सिंह से वसूली की जाय ।

5-ग्राम पंचायत- रोहाणा

विकास खण्ड- लालगंज

प्रस्तर-1

रोहाणा (लालगंज) के वर्ष 2012-13 के आडिट के दौरान मनरेगा के व्यय से सम्बन्धित एक भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । अतः मनरेगा की धनराशि रु० 484944.10 श्री फिरोज अहमद ग्रा०वि०अधि० एवं श्री रामकृष्ण तिवारी प्रधान से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

रोहाणा (वि०ख०-लालगंज) वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में ग्रा०नि० प्रथम से आहरित रु० 65829 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः श्री फिरोज अहमद ग्रा०वि०अ० एवं श्री रामकृष्ण तिवारी प्रथम से वसूली की जाय ।

6-ग्राम पंचायत- इटैला

विकास खण्ड- लालगंज

प्रस्तर-1

इटैला (वि०ख०-लालगंज) की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा पर हुए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः मनरेगा की धनराशि रु० 204510.00 ग्रा०वि०अधि० श्री फिरोज अहमद एवं प्रधान श्री छेदीलाल कोरी से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

इटैला (वि०ख०-लालगंज)- वर्ष 2012-13 की ले०प० में ग्रा०निधि प्रथम से आहरित रु० 266973 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः प्रधान श्री छेदी लाल कोरी एवं ग्रा०पं० अधि० श्री फिरोज अहमद से वसूली की जाय ।

7-ग्राम पंचायत- सराय जगत सिंह

विकास खण्ड- लालगंज

प्रस्तर-1

सराय जगत सिंह (वि०ख०-लालगंज) की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा पर हुए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः मनरेगा की धनराशि रु० 481776.98 ग्रा०वि०अधि० श्री विनोद मिश्र एवं प्रधान श्री जीतलाल प्रधान से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

सरायजगत सिंह (वि०ख०-लालगंज)- वर्ष 2012-13 की ले०प० में ग्राम निधि प्रथम से आहरित रू० 535821 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः प्रधान श्री जीतलाल एवं ग्रा०वि०अधि० श्री विनोद मिश्र से वसूली की जाय ।

8-ग्राम पंचायत- भोगापुर

विकास खण्ड- लक्ष्मणपुर

प्रस्तर-1

भोगापुर (वि०ख०-लक्ष्मणपुर) की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा पर हुए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः मनरेगा की धनराशि रू० 257150.70 ग्रा०प०अधि० श्री मनोज श्रीवास्तव एवं प्रधान श्री अब्दुल खालिद से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

भोगापुर (वि०ख०-लक्ष्मणपुर) वर्ष 2012-13 की ले०प० में ग्राम निधि प्रथम से आहरित कुल रू० 417300 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः प्रधान श्री अब्दुल खालिद एवं ग्रा०वि०अ० मनोज श्रीवास्तव से वसूली की जाय ।

9-ग्राम पंचायत- मुल्तानीपुर

विकास खण्ड- लक्ष्मणपुर

प्रस्तर-1

मुल्तानीपुर (वि०ख०-लक्ष्मणपुर) की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा पर हुए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होते हैं। अतः मनरेगा की धनराशि रू० 25375.00 ग्रा०प० वि०अधि० श्री मनोज श्रीवास्तव एवं प्रधान श्री अख्तर से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

मुल्तानीपुर (वि०ख०-लक्ष्मणपुर) वर्ष 2012-13 ले०प० में ग्रा०निधि प्रथम से आहरित कुल रू० 537000 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः प्रधान श्री अख्तर एवं ग्रा०प०अ० मनोज श्रीवास्तव से वसूल की जाय ।

10—ग्राम पंचायत— गाबी महुवावन

विकास खण्ड— लक्ष्मणपुर

प्रस्तर—1

गाबी महुवावन (वि०ख०—लक्ष्मणपुर) की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा पर हुए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होते हैं। अतः मनरेगा की धनराशि रू० 339952.70 ग्रा०वि०अधि० श्री मनोज श्रीवास्तव एवं प्रधान श्री सलीम से वसूल की जाय ।

प्रस्तर—2

गाबी महुवावन (वि०ख०—लक्ष्मणपुर) वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में ग्रा०नि० प्रथम से आहरित रू० 241650 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री मनोज श्रीवास्तव एवं प्रधान श्री सलीम से वसूल की जाय ।

11—ग्राम पंचायत— गहरौली

विकास खण्ड— मंगरौरा

प्रस्तर—1

गहरौली (वि०ख०—मंगरौरा) की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा पर हुए व्यय रू० 58200 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः मनरेगा की धनराशि रू० ग्रा०वि०अधि० श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं प्रधान श्रीमती विमला देवी से वसूल की जाय ।

प्रस्तर—2

गहरौली (वि०ख०—मंगरौरा) वर्ष 2012—13 में ग्राम निधि प्रथम से आहरित रू० 267545 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं प्रधान श्रीमती विमला देवी से वसूली की जाय ।

12—ग्राम पंचायत— हथसारा

विकास खण्ड— मंगरौरा

प्रस्तर—1

हथसारा (वि०ख०—मंगरौरा) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की वर्ष 2012—13 में मनरेगा योजनान्तर्गत पर व्यय रू० 300350.00 के व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अधि० श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं प्रधान श्री गंगाबक्श सिंह से उक्त धनराशि की वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

हथसारा (वि०ख०-मंगरौरा) वर्ष 2012-13 में ग्राम निधि प्रथम से आहरित रू० 248190 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं प्रधान श्री गंगाबक्श सिंह से वसूली की जाय ।

13-ग्राम पंचायत- सरमा

विकास खण्ड- पट्टी

प्रस्तर-1

सरमा (वि०ख०-पट्टी) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय रू० 295890 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होते हैं। अतः श्री रविनाथ मौर्य प्रधान एवं श्री दिनेश कुमार सिंह ग्रा०वि०अ० से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

सरमा (वि०ख०-पट्टी) वर्ष 2012-13 में ग्रा०निधि प्रथम से आहरित रू० 245200 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः प्रधान श्री रविनाथ मौर्य एवं ग्रा०वि०अ० श्री दिनेश कुमार सिंह से वसूली की जाय ।

14-ग्राम पंचायत- रामचन्द्र पट्टी

विकास खण्ड- पट्टी

प्रस्तर-1

रामचन्द्र पट्टी (वि०ख०-पट्टी) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय रू० 214960 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः श्री राम प्रताप सिंह ग्रा०वि०अ० एवं श्री काशीनाथ प्रधान से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

पट्टी रामचन्द्र (वि०ख०-पट्टी) वर्ष 2012-13 में ग्राम निधि प्रथम से आहरित रू० 263857 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री राम प्रताप सिंह एवं प्रधान श्री काशीनाथ से वसूली की जाय ।

15—ग्राम पंचायत— अरैला

विकास खण्ड— पट्टी

प्रस्तर—1

अरैला (वि०ख०—पट्टी) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय रू० 260440 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः श्री राम प्रताप सिंह ग्रा०वि०अधि० एवं श्री शफीक प्रधान से वसूली की जाय ।

प्रस्तर—2

अरैला (वि०ख०—पट्टी) वर्ष 2012—13 में ग्राम निधि प्रथम से आहरित रू० 399552 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्रीराम प्रताप सिंह एवं प्रधान श्री शफीक से वसूली की जाय ।

16—ग्राम पंचायत— अमरपुर

विकास खण्ड— बाबाबेलखरनाथ धाम

प्रस्तर—1

अमरपुर (वि०ख०—बाबाबेलखरनाथ धाम) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय रू० 841420.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः श्री कमलाकांत ग्रा०वि०अधि० एवं श्री कौशल कुमार सिंह प्रधान से वसूली की जाय ।

प्रस्तर—2

अमरपुर (वि०ख०—बाबाबेलखरनाथधाम) वर्ष 2012—13 में ग्रा०नि०प्रथम से आहरित रू० 76983 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री कमलाकांत पाण्डेय एवं प्रधान श्री कौशल कुमार सिंह से वसूली की जाय ।

17—ग्राम पंचायत— कोटियाही

विकास खण्ड— बाबाबेलखरनाथ धाम

प्रस्तर—1

कोटियाही (वि०ख०—बाबाबेलखरनाथधाम) की लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय रू० 745900 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अधि० श्री चन्द्रमणि पाण्डेय एवं प्रधान श्री अभिशेष मिश्र से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

कोठियाही (वि०ख०-बाबाबेलखरनाथधाम) वर्ष 2012-13 में ग्रा०निधि प्रथम से आहरित रु० 427000 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री चन्द्रमणि पाण्डेय एवं प्रधान श्री अभिशेष मिश्र से वसूली की जाय ।

18-ग्राम पंचायत- प्रेमधर पट्टी

विकास खण्ड- बाबाबेलखरनाथ धाम

प्रस्तर-1

प्रेमधर पट्टी (वि०ख०-बाबाबेलखरनाथधाम) की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय रु० 516200 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। परिणाम स्वरूप उक्त व्यय फर्जी है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री चन्द्रमणि पाण्डेय एवं प्रधान श्री राकेश कुमार से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2

प्रेमधर पट्टी (बाबाबेलखरनाथधाम) वर्ष 2012-13 में ग्रा०निधि प्रथम से आहरित रु० 491715 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक नहीं है। परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री चन्द्रमणि पाण्डेय एवं प्रधान श्री राकेश कुमार से वसूली की जाय ।

19-ग्राम पंचायत- ईशनपुर

विकास खण्ड- बाबाबेलखरनाथ धाम

प्रस्तर-1

ईशनपुर (वि०ख०-बाबाबेलखरनाथधाम) की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय रु० 654330 के व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत होते हैं। अतः ग्रा०वि०अ० श्री कमलाकांत पाण्डेय एवं प्रधान श्रीमती आशा देवी से वसूली की जाय ।

प्रस्तर-2 ईशनपुर (वि०ख०-बाबाबेलखरनाथधाम) वर्ष 2012-13 में ग्रा०नि० प्रथम से आहरित रु० 716192 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री कमलाकांत पाण्डेय एवं प्रधान श्रीमती आशा देवी से वसूली की जाय ।

20—ग्राम पंचायत— चन्दापुर

विकास खण्ड— लक्ष्मणपुर

प्रस्तर—1

चन्दापुर (वि०ख०—लक्ष्मणपुर) वर्ष 2012-13 ले०प० में ग्राम निधि प्रथम से आहरित कुल रू० 245520 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणाम स्वरूप व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह एवं ग्रा०वि०अ० श्री मनोज श्रीवास्तव से वसूली की जाय ।

21—ग्राम पंचायत— पिचूरा

विकास खण्ड— लालगंज

प्रस्तर—1

पिचूरा (वि०ख०—लालगंज) वर्ष 2012-13 में रू० 29429 की ह्यूम पाइप क्रय की गयी है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। परिणाम स्वरूप फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री देवतादीन एवं प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से वसूली की जाय ।

22—ग्राम पंचायत— अर्रो

विकास खण्ड— रामपुर संग्रामगढ़

प्रस्तर—1

अर्रो (वि०ख०—रामपुर संग्रामगढ़) वर्ष 2012-13 में व्यक्ति विशेष नाम धन आहरण करके रू० 44200 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री राजेश तिवारी एवं प्रधान श्री शंकर लाल से वसूली की जाय ।

प्रस्तर—2

अर्रो (वि०ख०—रामपुर संग्रामगढ़) वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में नगद धनराशि से वस्तु क्रय करके सरकार से व्यापार करकी रू० 11235 की चोरी की गयी है। अतः ग्रा०वि०अ० श्री राजेश तिवारी एवं प्रधान श्री शंकर लाल से वसूली की जाय ।

23—ग्राम पंचायत— नौढ़िया

विकास खण्ड— रामपुर संग्रामगढ़

प्रस्तर—1

नौढ़िया (वि०ख०—रामपुर संग्रामगढ़) वर्ष 2012-13 में व्यक्ति विशेष के नाम रू० 91500 का चेक निर्गत करके अपहरण कर लिया गया है। अतः प्रधान श्री लालता प्रसाद एवं ग्रा०वि०अ० श्री राजेश तिवारी से वसूली की जाय ।

24—ग्राम पंचायत— नौढ़िया

विकास खण्ड— रामपुर संग्रामगढ़

प्रस्तर—1

मनुहार (वि०ख०—रामपुर संग्रामगढ़) वर्ष 2012-13 में काल्पनिक व्यय दर्शाकर रू० 148000 का अपहरण कर लिया गया है। श्री रामनाथ एवं श्री राजेश तिवारी ग्रा०वि०अ० से वसूली की जाय ।

जनपद—फतेहपुरसम्भाग इलाहाबाद

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित गम्भीर आपत्तियाँ—:

ग्राम पंचायत का नाम	ब्लाक	प्रस्तर संख्या	आपत्तियों का विवरण	धनराशि	
				कुल	अपहरण
कलाना	देवमई	1	1. ग्राम निधि/राज्य वित्त खाता प्रथम की कैश बुक के अनुसार वर्ष 2009—10 में रु0 173573.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु धनराशि की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणकों की गार्ड फाइल लेखा परीक्षा में बार—बार मांग करने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि धनराशि का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। जिसकी प्रधान श्रीमती श्यामकली व ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला से जांचोपरान्त रु0 173573.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या—2	रु0173573.00	रु0173573.00
		2.	2. ग्राम निधि खाता तृतीय छात्रवृत्ति के वर्ष 2009—10 व अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र पास बुक प्रस्तुत की गयी अनुदान जमा व आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत है—	रु0 283940.00	

वर्ष 2009-10

प्राप्त अनुदान (G)		आहरित धनराशि (D)		
दिनांक	धनराशि	दिनांक	चेक नं०	धनराशि
12.09.09	13650.00	15.07.09	759067	29280.00
"	1440.00	17.07.09	759068	13200.00
"	44070.00	"	759069	16800.00
05.10.09	16080.00	27.11.09	759070	34800.00
04.03.10	10170.00	28.11.09	759071	17400.00
"	1080.00	"	759072	23040.00
"	23820.00			
"	2520.00			
Total	112830			134520.00

छात्रवृत्ति वर्ष 2010-11 में विभिन्न तिथियों में रू० 135070.00 अनुदान प्राप्त हुआ एवं रू० 149420.00 आहरित किया गया, आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत है-

दिनांक	चेक सं०	धनराशि (रू.)
22.05.10	0.23	35000.00
24.12.10	759074	88620.00
27.12.10	759075	25800.00
	Total	149420.00

			तत्कालीन प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 2009-10 में ₹0 134520.00 व 2010-11 में ₹0 149420.00 बैंक से आहरित कर लिया गया है किन्तु छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर व कैश बुक प्रस्तुत न किये जाने से उक्त धनराशि दुरुपयोगित की गइ है, अतः ₹0 283940.00 की जांचोपरान्त प्रधान श्रीमती श्यामकली व ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला से वसूली की जानी अपेक्षित है।		
		3	मूल आपत्ति संख्या-3 ग्राम निधि खाता प्रथम में दिनांक 07.08.2010 को व्यक्तिगत 30 शौचालय निर्माण का अवशेष भुगतान ₹0 500.00 प्रति लाभार्थी की दर से ₹0 15000.00 का भुगतान केश बुक में खारिज किया गया है, किन्तु व्यय प्रमाणक व उपभोग कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं लाभार्थी द्वारा धन प्राप्ति रसीद की गार्ड फाइल में संलग्न नहीं पाया गया, अतः स्पष्ट है कि ₹0 15000.00 का अपहरण कर लिया गया है, जांचोपरान्त जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामकली व ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।	₹0 15000.00	₹0 15000.00

किशुनपुर कपिली	देवमई	1	मूल आपत्ति संख्या-4 (1) ग्राम निधि/राज्य वित्त खाता प्रथम की वर्ष 2009-10 की कोशबही व व्यय प्रमाणकों से सम्बन्धित गार्ड फाईल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, बैंक पास बुक से अनुदान जमा एवं आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत है- दिनांक 31.03.2009 को खाते का बैलेन्स रु0 83601.60 था। <table><tr><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>दिनांक</th><th>चेक नं०</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>22.07.09</td><td>5000.00</td><td>18.04.09</td><td>893181</td><td>5000.00</td></tr><tr><td>23.07.09</td><td>24310.00</td><td></td><td>893182</td><td>5000.00</td></tr><tr><td>02.09.09</td><td>0.00</td><td></td><td>893183</td><td>4100.00</td></tr><tr><td>03.10.09</td><td>4000.00</td><td></td><td>893184</td><td>10000.00</td></tr><tr><td>14.10.09</td><td>21837.00</td><td></td><td>893185</td><td>10000.00</td></tr><tr><td>19.11.09</td><td>24757.00</td><td></td><td>893189</td><td>10000.00</td></tr><tr><td>21.03.10</td><td>51611.00</td><td></td><td>893193</td><td>28320.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>131515</td><td></td><td>893186</td><td>22720.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>893187</td><td>27200.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>893188</td><td>23040.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>893190</td><td>12944.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>893191</td><td>17280.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>893192</td><td>12992.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>188596.00</td></tr></table>	दिनांक	धनराशि	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	22.07.09	5000.00	18.04.09	893181	5000.00	23.07.09	24310.00		893182	5000.00	02.09.09	0.00		893183	4100.00	03.10.09	4000.00		893184	10000.00	14.10.09	21837.00		893185	10000.00	19.11.09	24757.00		893189	10000.00	21.03.10	51611.00		893193	28320.00	Total	131515		893186	22720.00				893187	27200.00				893188	23040.00				893190	12944.00				893191	17280.00				893192	12992.00					188596.00	रु0188596.00
दिनांक	धनराशि	दिनांक	चेक नं०	धनराशि																																																																											
22.07.09	5000.00	18.04.09	893181	5000.00																																																																											
23.07.09	24310.00		893182	5000.00																																																																											
02.09.09	0.00		893183	4100.00																																																																											
03.10.09	4000.00		893184	10000.00																																																																											
14.10.09	21837.00		893185	10000.00																																																																											
19.11.09	24757.00		893189	10000.00																																																																											
21.03.10	51611.00		893193	28320.00																																																																											
Total	131515		893186	22720.00																																																																											
			893187	27200.00																																																																											
			893188	23040.00																																																																											
			893190	12944.00																																																																											
			893191	17280.00																																																																											
			893192	12992.00																																																																											
				188596.00																																																																											

			प्रधान/ग्रा0पं0 अधिकारी द्वारा जिला सह0 बैंक लि0 शाखा जहानाबाद खाता सं0 7325 से रू0 188596.00 आहरित कर लिया गया है किन्तु उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः तत्कालीन प्रधान श्रीमती रूपरानी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला से रू0 188596 को दण्ड के साथ जांचोपरान्त वैधानिक कार्यवाही के साथ वसूली की जानी अपेक्षित है।		
		2	मूल आपत्ति संख्या-2 ग्राम निधि खाता तृतीय छात्रवृत्ति के वर्ष 2009-10 व 1.4.10 से अक्टूबर 10 तक की कैशबुक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कोई पंजिका/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई है। बैंक पास बुक से आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत है-	रू0 30657.00	रू0 30657.00

			<table><tr><td>दिनांक</td><td>चेक सं०</td><td>धनराशि (रू.)</td></tr><tr><td>20.11.09</td><td>252292</td><td>10800.00</td></tr><tr><td>14.05.10</td><td>252293</td><td>8250.00</td></tr><tr><td>23.07.10</td><td>253071</td><td>5000.00</td></tr><tr><td>01.09.10</td><td>253072</td><td>3150.00</td></tr><tr><td>01.10.10</td><td>253073</td><td>3457.00</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>30657.00</td></tr></table>	दिनांक	चेक सं०	धनराशि (रू.)	20.11.09	252292	10800.00	14.05.10	252293	8250.00	23.07.10	253071	5000.00	01.09.10	253072	3150.00	01.10.10	253073	3457.00		Total	30657.00		
दिनांक	चेक सं०	धनराशि (रू.)																								
20.11.09	252292	10800.00																								
14.05.10	252293	8250.00																								
23.07.10	253071	5000.00																								
01.09.10	253072	3150.00																								
01.10.10	253073	3457.00																								
	Total	30657.00																								
		अतः स्पष्ट है कि रू० 30657.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती रूपरानी व श्री राकेश चन्द्र शुक्ला से ग्रा०पं० अधिकारी से जांचोपरान्त की जानी अपेक्षित है।																								
	3	मूल आपत्ति सं०-3 (3) ग्राम निधि खाता पंचम मिड डे मील के वर्ष 2009-10 व अक्टूबर 2010 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये अतः जांच न की जा सकी। बैंक पास बुक से आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत है।																								

				चेक सं०	धनराशि (रु.)		
			03.11.09	-	9880.00		
			05.12.09	0556215	3455.00		
			02.02.10	0556216	5885.00		
			11.03.10	0556217	3390.00		
			01.04.10	0556218	3305.00		
			13.05.10	0556219	3300.00		
			04.06.10	0556220	2825.00		
			23.07.10	253071	5000.00		
			01.09.10	253072	3150.00		
			01.10.10	253073	3457.00		
					43647.00		
			आहरित धनराशि रु० 43647.00 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस दुरुपयोगित धनराशि रु० 43647.00 की जांचोपरान्त प्रधान श्रीमती रूपरानी व ग्रा०वि० अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।				

		4	मूल आपत्ति सं० 4 मनरेगा खाते का बैंक ऑफ बडौदा शाखा जहानाबाद खाता सं० 0544 में दिनांक 19.11.09 को बैलेन्स रु० 1005685.00 था, किन्तु आहरण की प्रविष्टि न तो पासबुक में और न ही कैश बुक में है। दिनांक 29.09.10 को बैलेन्स रु० 685325.00 पास बुक में अंकित है इस प्रकार खाते का बैलेन्स रु० 320360.00 से कम कर दिया है अतः बैलेन्स कम करके अनियमितता की गई है। जांचोपरान्त रु० 320360.00 प्रधान श्रीमती रूपरानी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला के प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।	320360.00	—

इशहीनपुर टांडा	देवमई	1	मूल आपत्ति सं० 6 (1) ग्राम निधि/राज्य वित्त खाता प्रथम की कैश बुक व व्यय प्रमाणक (गार्ड फाइल) वर्ष 2009-10 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया किन्तु तत्कालीन प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बैंक पास बुक के अनुसार बी०ओ०बी० शाखा जहानाबाद एकाउन्ट नं० 200940 से रू० 104300.00 आहरित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नवत है— <table><tr><th>दिनांक</th><th>धनराशि (रू.)</th><th>चेक संख्या</th></tr><tr><td>16.04.09</td><td>5000.00</td><td>239969</td></tr><tr><td>21.08.09</td><td>8800.00</td><td>-</td></tr><tr><td>23.02.10</td><td>5000.00</td><td>239974</td></tr><tr><td>23.02.10</td><td>5000.00</td><td>239973</td></tr><tr><td>08.03.10</td><td>10000.00</td><td>189514</td></tr><tr><td>08.03.10</td><td>26400.00</td><td>189512</td></tr><tr><td>10.03.10</td><td>3600.00</td><td>189511</td></tr><tr><td>11.03.10</td><td>10500.00</td><td>189513</td></tr><tr><td>16.03.10</td><td>10000.00</td><td>189514</td></tr><tr><td>22.03.10</td><td>20000.00</td><td>189517</td></tr><tr><td>Total</td><td>104300.00</td><td></td></tr></table> फलतः उक्त धनराशि का तत्कालीन प्रधान व ग्रा०पं०अ० द्वारा अपहृत कर लिया गया प्रतीत होता है। अतः प्रधान श्रीमती सम्पत्ति देवी व ग्रा०वि० अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला से रू० 104300.00 जांचोपरान्त वेधानिक कार्यवाही के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।	दिनांक	धनराशि (रू.)	चेक संख्या	16.04.09	5000.00	239969	21.08.09	8800.00	-	23.02.10	5000.00	239974	23.02.10	5000.00	239973	08.03.10	10000.00	189514	08.03.10	26400.00	189512	10.03.10	3600.00	189511	11.03.10	10500.00	189513	16.03.10	10000.00	189514	22.03.10	20000.00	189517	Total	104300.00		रू० 104300.00	रू० 104300.00
दिनांक	धनराशि (रू.)	चेक संख्या																																							
16.04.09	5000.00	239969																																							
21.08.09	8800.00	-																																							
23.02.10	5000.00	239974																																							
23.02.10	5000.00	239973																																							
08.03.10	10000.00	189514																																							
08.03.10	26400.00	189512																																							
10.03.10	3600.00	189511																																							
11.03.10	10500.00	189513																																							
16.03.10	10000.00	189514																																							
22.03.10	20000.00	189517																																							
Total	104300.00																																								

		2	(2) नरेगा खाते से दिनांक 30.08.2010 को सेंट्रल बैंक शाखा कोडा जहानाबाद खाता सं0 32219 से रू0 84000.00 तालाब खुदाई की मजदूरी का भुगतान किया गया है जिनमें निम्न आपत्तियां हैं—		
			1. तालाब का लोकेशन व नाम अंकित नहीं है। 2. स्टीमेट एवं नक्शा आदि नहीं है। 3. लेखपाल द्वारा तालाब का गाटा नं0/खतौनी आदि भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। 4. एम0आर0 नम्बर 47737 से 47741 तक दिनांक 16.05.2010 से 29.05.2010 तक व 16.06.10—29.06.10 तक 840 मानव दिवस का रू0 100.00 की दर से रू0 84000.00 श्रमांश का भुगतान किया गया है, वर्तमान प्रधान के कथनानुसार इस अवधि में ग्राम पंचायत में पंचायत मित्र/रोजगार सेवक का पद रिक्त था, किन्तु मास्टर रोल में श्री जगमान सिंह पं0 मित्र द्वारा उपस्थित लेने वाले कालम में हस्ताक्षर किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन प्रधान व विशेष रूप में ग्रा0पं0वि0अधि0 द्वारा सुनियोजित ढंग से फर्जी तालाब खुदाई का व्यय दर्शाकर रू0 84000.00 गांव सभा की राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। अतः जांचोपरान्त प्रधान श्रीमती सम्पत्ति देवी व ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश चन्द शुक्ला से वैधानिक कार्यवाही के साथ रू0 84000.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं0—2	रू0 84000.00	—
		3	मूल आपत्ति सं0—4 (3) मनरेगा खाते में निम्नांकित म0 रोलों पर श्रमिकों के खाता सं0 अंकित नहीं और न ही श्रमिकों के भुगतान प्राप्त करने के प्रमाण में अंगूठा निशान/हस्ताक्षर है, किन्तु प्रधान ग्रा0वि0अ0 द्वारा फर्जी भुगतान दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है विवरण निम्नवत है—	8100.00	—

क्र. सं.	म०सं० संख्या	अवधि	धनराशि	कार्य विवरण	श्रमिक का नाम	
1-	9309	15.10.09 - 29.11.09	1100	राम के खेत का समतलीकरण	ओम प्रकाश पुत्र दीनदयाल	
2.	"	"	1400	"	श्यामकली पत्नी मलाई	
3.	9310	"	1400	"	राज कुमार पत्नी भोला	
4.	"	"	1400	"	शिवदेवी पतनी भोला	
5.	9311	"	1400	"	पंचा पुत्र शिवबालक	
6.	"	"	1400	"	हरी प्रसाद पुत्र मोहन	
		Total	8100			

अतः जांचोपरान्त प्रधान श्रीमती सम्पत्ति देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राकेश चन्द्र शुक्ला से ₹0 8100.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

सराय लंगर	देवमई	1	मूल आपत्ति सं०-16 सरदार बल्लभ भाई पटेल जूनियर हाईस्कूल पतारी एम. डी.एम. वर्ष 2009-10, 2011-12 वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 का स्टाक रजिस्टर व मध्याह्न भोजन/कनवर्जन कास्ट व्यय प्रमाण पत्रों की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2009-10 में 19.65 कुन्त गेहूं व 36.78 कुन्तल चावल तथा वर्ष 2011-12 में 12.66 कुन्तल गेहूं तथा 33.57 कुन्तल चावल खराब होने के कारण विद्यालय के प्रबन्धक श्री राज कुमार द्वारा नष्ट दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में विभागीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर उनकी टिप्पणी सहित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि खाद्यान्न वास्तविक रूप में खराब हुआ है। यहां पर भी उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा विद्यालय को मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रति माह उतना ही स्टाक मिलता है जितना आवश्यकता/मांग होती है। इस प्रकार संदर्भित स्टाक योजना के अन्तर्गत उपभोग न करके स्टाक का अपहरण किया गया है विवरण निम्नवत है-	141631.00	141631.00

वर्ष	प्रकार	प्राप्त स्टाक	वर्ष में प्राप्त	योग	M.D. M. के अन्तर्गत प्रयुक्त	खराब होने के कारण नष्ट मात्रा	योग	अवशेष	दर	कुल मूल्य
2009-10	गेहूँ	12.13कु0	11.72	23.85	3.52	19.65	23.17	0.68	1100 प्रति कु0	21615.00
2010-11	''	0.68	14.96	15.64	5.5	—	5.5	10.14	—	—
2011-12	''	10.14	9.96	20.10	7.32	12.66	19.98	0.12	1170 प्रति कु0	14812.00
Total	-	22.95	36.6 4	59.59	16.34	32.31	48. 65	10.94	-	36427.00
2009-10	चावल	22.96	33.0 0	55.96	7.34	36.78	44. 12	11.84	14.00 प्रतिकु0	51492.00
2010-11	''	11.84	29.5 5	41.39	12.84	-	12. 84	28.55	-	-
2011-12	''	28.55	19.9 1	48.46	13.95	33.57	47. 52	0.94	1600.00 प्रतिकु0	53712.00
Total		63.35	82.4 6	145.8 1	34.13	70.35	104 .48	41.33	-	105204.00
								महायोग		141631.00

इस प्रकार मु0 141631.00 स्टाक का अपहरण विद्यालय के प्रबन्धक श्री राम कुमार द्वारा किया गया है जिसकी वसूली विद्यालय के प्रबन्धक श्री राम कुमार से किया जाना आवश्यक है।

जपनद— बुलन्दशहर।

सम्भाग— मेरठ।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वर्ष	विकास खण्ड	ग्राम प्रधान/सचिव	गम्भीर आपत्तियों का सारांश	धनराशि
1	इस्माईलपुर	2010-11	सिकन्दराबाद	श्रीमति कविता देवी ग्राम प्रधान श्री गब्बर सिंह ग्रा०पं०अधि०	1-बिना सेवा प्राप्त किये,बिना टैण्डर, कुटेशन के अन्य पार्टीज को भुगतान कर अपहरण किया।	46000.00
2	शेरपुरमाजरा गंगरौल	2010-11	सिकन्दराबाद	श्री जितेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान श्री रहमान ग्रा०वि०अधि०	1-बिना वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एस्टीमेट के अपहरण किया	397000.00
3	कनकपुर	2010-11	सिकन्दराबाद	श्री मति मनबीरी देवी ग्राम प्रधान श्री रहमान ग्रा०वि०अधि०	1-बिना वाउचर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,स्टीमेट के अपहरण किया।	194000.00
4	बैरपुर बादशाहपुर	2010-11	सिकन्दराबाद	श्री लक्ष्मण ग्राम प्रधान श्री रहमान ग्रा०वि०अधि०	1-बिना वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एस्टीमेट के अपहरण किया।	619060.00
5	भौपुर	2009-10 व 2010-11	ऊर्छा गॉव	श्री हरस्वरूप सिंह ग्राम प्रधान श्री तेजप्रताप सिंह ग्रा०वि०अधि०	1-बैंक से आहरण की प्रविष्टि कैशबुक में न करके अपहरण किया। 2-कोष रजि० में नकद शेष कम दर्शाया। 3-बैंक आहरण एवं नकद शेष व्यय प्रपत्र उपलब्ध न थे। 4 दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में व्यय प्रपत्र उपलब्ध न थे। योग—	3500.00 1000.00 33616.00 162725.00 200841.00
6	जटपुरा मुकीमपुर	2010-11	शिकारपुर	श्री भूदेव गिरी ग्राम प्रधान श्रीमति संगीता ग्रा०वि०अधि०	1-हैण्डपम्प मरम्मत का अधिक भुगतान किया। 2-काल्पनिक व्यय दर्शाकर समायोजन किया। 3-काल्पनिक ईट क्रय दर्शाकर	9981.00 20000.00 42630.00

					अपहरण किया। 4- फर्म को दिये गये चैक अन्य मद में व्यय किया। 5- ग्राम विकास अधिकारी अनियमित आहरण। 6-काल्पनिक बिल- योग-	28250.00 20000.00 4400.00 125261.00
7	असावरी	2010-11	शिकारपुर	श्री रामदेव ग्राम प्रधान श्री अर्जुनसिंह ग्रा0वि0अधि0	1-बैंक से आहरण धन के सापेक्ष कोई प्रपत्र आदि उपलब्ध न करके अपहरण किया।	89750.00
8	रसूलपुर	2010-11	शिकारपुर	श्री मति राजेन्द्री देवी ग्राम प्रधान श्री रामकुमार शर्मा ग्रा0वि0अधि0	1-ग्राम पं0अधि0 द्वारा स्वयं अनियमित आहरण कर व्यय किया। 2-हैण्डपम्प मरम्मत व्यय किया। किन्तु कोष रजि0 में हैण्डपम्प मरम्मत व्यय नहीं दर्शाया। 3-आंचार सहिता लागू होने के बाद कार्य कराया एवं मांप अंकित नहीं। 4-स्थल की माप मिटटी की ऊंचाई व बजट न था। योग-	20000.00 3421.00 14340.00 21420.00 59181.00
9	तैयबपुर	2010-11	शिकारपुर	श्री नीतू सिंह ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह ग्रा0वि0अधि0	1-आहरित धन व्यय की पुष्टि में कोई प्रपत्र नहीं। 2-आहरित धनराशि की पुष्टि में कोई प्रपत्र नहीं। योग-	51352.00 75100.00 126452.00
10			शिकारपुर	श्री किशन लाल ग्राम प्रधान श्री कुलदीप ग्रा0वि0अधि0	1-भट्टे को चैक दिया गया ईट कय नहीं। 2-ईट का अधिक मूल्य की गणना की गयी। 3-मिडडे मिल की राशि का निधि-1 से व्यय किया। 4- फर्म को दिये गये चैकों की राशि अधिक कय दर्शाई है। योग-	60000.00 10028.40 608.00 10000.00 80636.40

जनपद का नाम—गौतमबुद्धनगर।**मण्डल का नाम—मेरठ।**ग्राम पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या—01 ग्राम पंचायत चूहडपुर विकास खण्ड दनकौर जनपद—गौतमबुद्धनगर की वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कोषबही में दिनांक 30.04.2012 को रु0 17,790.00 प्रधान को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। भुगतान की गयी धनराशि किस लिये भुगतान किया गया हैं। स्थिति स्पष्ट न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—02 ग्राम पंचायत चूहडपुर विकास खण्ड दनकौर जनपद—गौतमबुद्धनगर की वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रु0 91,584.00 का ईट क्रय किया जाना दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में क्रय किये जाने की पुष्टि न की जा सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

जनपद का नाम—गाजियाबाद व हापुड**मण्डल का नाम—मेरठ।**ग्राम पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या—01 ग्राम पंचायत पारपा विकास खण्ड धौलाना जनपद—हापुड की वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रु 2,59,260.00 का आहरण किया गया है। उक्त आहरण की पुष्टि लेखा परीक्षा से नहीं करायी गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—02 ग्राम पंचायत पारपा विकास खण्ड धौलाना जनपद—हापुड की वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह जुलाई 2012 में रु0 1,00,000.00 रुपये सत्तार को डिलीवर का भुगतान किया गया है, कि पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—03 ग्राम पंचायत पारपा विकास खण्ड धौलाना जनपद—हापुड की वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु0 50,000.00 हजार से अधिक के एक ही कार्य को बिना विभागीय स्वीकृति के कराये गये हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—04 ग्राम पंचायत बासतपुर विकास खण्ड धौलाना जनपद—हापुड की वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रु0 6,250.00 प्रशासनिक व्यय

के रूप में व्यय किया गया है परन्तु इसकी अनुमति सहायक विकास अधिकारी पंचायत से नहीं ली गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-05 ग्राम पंचायत ककराना विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.04.2012 को रु0 1,00,000.00 आहरण कर रु0 88,560.00 की छात्रवृत्ति वितरण की गयी है। और रु0 11140.00 नकद बैंक में जमा किया गया है। अप्रैल 2012 के पूर्व ग्राम पंचायत से सरकार द्वारा छात्र वृत्ति वितरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी। व्यवस्था समाप्त होने के उपरांत रु0 88,560 का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-06 ग्राम पंचायत करनपुर जट विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रु0 2000.00 का स्टेशनरी पर व रु0 19,240.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 21,240.00 का व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-07 ग्राम पंचायत करनपुर जट विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह जनवरी 2013 में रु0 25,000.00 सफाई कार्य पर व्यय किया गया है। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अप्रस्तुत होने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-08 ग्राम पंचायत शिवाया विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना विभागीय अनुमति के रु0 34,710.00 कुआं की सफाई पर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-09 ग्राम पंचायत कमरुददीन नगर विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह अक्टूबर 2012 में बैंक से रु0 4700.00 का आहरण कर हैण्ड पम्प मरम्मत का कार्य कराया जाना दर्शित था। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना किसी आधार के रोकड बही में अपरलेखन कर रु0 4700 को 14700.00 कर दिया गया। और माह के अंत में रोकड से प्रधान का अधिक व्यय रु0 10000.00 को अपर लेखन करते हुए रु0 20000.00 कर दिया गया है। इस प्रकार रु0 10000.00 का अधिक भुगतान कर राजकीय राजस्व की छति पहुँचाई गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम पंचायत कमरुददीन नगर विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी,द्वारा दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक की ही कोषबही तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी । दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2013 तक की कोषबही तैयार नहीं की गयी है,जबकि उक्त अवधि में कुल रु0 25000.00 आहरित किया गया है। आहरित धनराशि रु0 25000.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रहीं। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 ग्राम पंचायत कमरुददीन नगर विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की वर्ष-2011-12 का अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक कुल रु0 4,18,140.00 बैंक से आहरण किया गया अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण उक्त धनराशि रु0 4,18,140.00 अपुष्ट रही। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 ग्राम पंचायत समाना विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में कुल रु0 6,13,958.00 का विभिन्न मदों में व्यय किया गया है। उक्त धनराशि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रु0 6,13,958.00 का व्यय अपुष्ट रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 ग्राम पंचायत नंगला काशी विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कोषबही में दिनांक 01.07.2012 से प्रवृष्टि अंकित की गयी है, दिनांक 01.04.2012 से 30.06.2012 तक की कोषबही तैयार नहीं किया गया हैं जबकि उक्त अवधि में रु0 1,92,821.00 बैंक से आहरण किया गया है। आहरित धनराशि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आहरित धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 ग्राम पंचायत नंगला काशी विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की वर्ष-2011-12 के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि वर्ष-2011-12 में रु0 4,29,425.00 बैंक से आहरित किया गया है। अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रहीं। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 ग्राम पंचायत कन्दौला विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह जनवरी 2013 में स्ट्रीट लाईट पर रु0 54,000.00 खर्च किया गया है। जिसकी पुष्टि सहायक विकास अधिकारी

पंचायत द्वारा नहीं कराया गया है, और न ही पुष्टि में व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रहीं। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 ग्राम पंचायत कन्दौला विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष-2012-13 में माह मार्च 2013 में रु0 76,220.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। व्यय से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः व्यय की धनराशि अपुष्ट रहीं। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 ग्राम पंचायत आजमपुर विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक कुल रु0 5,64,130.00 बैंक से आहरित किया गया है, परन्तु लेखा परीक्षा में अभिलेख व व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त धनराशि अपुष्ट रही। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 ग्राम पंचायत हिम्मत नगर विकास खण्ड धौलाना जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2012-13 में बैंक से कुल रु0 3,73,557.00 आहरित किया गया है। आहरित धनराशि से संबंधित कोई भी अभिलेख व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आहरित धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 ग्राम पंचायत छतनौरा विकास खण्ड सिम्भवली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.05.2012 को रु0 8000.00 का कैमरा क्रय किया गया है। कैमरा क्रय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की धनराशि अपुष्ट रहीं। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 ग्राम पंचायत जखेडा रहमतपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.04.2012 को रु0 15,000.00 प्रशासनिक व्यय किया गया है व्यय की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 ग्राम पंचायत मधापुर मौजमपुर विकास खण्ड सिम्भवली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.09.2012 को

रु0 27,000.00 का वृक्षारोपण हेतु बृक्ष क्रय किया गया है। और रु0 3000.00 मजदूरी में कुल रु0 30,000.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आहरित धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 ग्राम पंचायत मुरादपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.04.2012 को रु0 10,800.00 का कैमरा क्रय किया गया है। क्रय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 ग्राम पंचायत मुरादपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.2012 को कैशबुक में रु0 5,000.00 का प्रशासनिक व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 ग्राम पंचायत मुरादपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.05.2012 को रु0 28750.00 का वृक्षारोपण हेतु बृक्ष क्रय किया गया है और रु0 9000.00 वृक्षारोपण हेतु मजदूरी में भुगतान किया गया है। कुल रु0 37750.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रमाणक के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 ग्राम पंचायत मुरादपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13.04.2012 को रु0 25,000.00 का लाइट क्रय पर व्यय किया गया है। क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26 ग्राम पंचायत मुरादपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक में दिनांक 13.04.2012 को रु0 12,200.00 का रिक्शा क्रय किया गया है। क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 ग्राम पंचायत टोडरपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2012-13 में विभिन्न योजनाओं में कुल रु0 2,35,000.00 का व्यय किया गया है। व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28 ग्राम पंचायत रतुपुरा विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.04.2012 को रु0 8000/- का कैमरा क्रय किया गया है। क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक के अभाव में पुष्टि न हो सकी। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की जानी चाहिए।

प्रस्तर संख्या-29 ग्राम पंचायत सलौनी विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2012-13 में विभिन्न योजनाओं में कुल रु0 5,77,505.00 का व्यय किया गया है। व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30 ग्राम पंचायत तीगरी विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रु0 15,000.00 कुर्सी, मेज के क्रय पर व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय की धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31 ग्राम पंचायत मोहम्मतदपुर खुडलिया विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2012-13 में विभिन्न योजनाओं में कुल रु0 20,00,150.00 का व्यय किया गया है। व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32 ग्राम पंचायत मोहम्मतदपुर खुडलिया विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रु0 97,130.00 का हैण्ड पम्प पर मरम्मत किया गया है। मरम्मत की व व्यय की पुष्टि न हो सकी। व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 ग्राम पंचायत हिम्मतपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.03.2015 को रु0 15000.00 का चेक सं0 463123 धर्मबृक फिल्ड के नाम निर्गत है। को अन्य व्यय में दर्शाकर का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34 ग्राम पंचायत जखैडा रहमतपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.04.2012 को रु0 15000.00 प्रशासनिक व्यय पर खर्च किया गया है। तथा 5760.00 तसले क्रय पर व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त दोनो धनराशियों के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35 ग्राम पंचायत सिखैडा मुरादाबाद विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.04.2012 को रु0 129480.00 व दिनांक 09.05.2012 को रु0 90000.00 कुल रु0 219480.00 छात्रवृत्ति वितरण कोषबही में अंकित है। परन्तु छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के अभाव में वितरण की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-36 ग्राम पंचायत फतेहपुर मतनौरा विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.06.2012 को रु0 7500.00 का कुर्सी व मेज क्रय किया जाना कोषबही में दर्शित है। जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त धनराशि अपुष्ट रहीं। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-37 ग्राम पंचायत रतुपुरा विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.04.2012 को रु0 8000.00 का कैमरा क्रय किया गया है। व्यय प्रमाणक के अभाव में क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38 ग्राम पंचायत नेकनामपु फुलडी विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.01.2013 को रु0 10000.00 का रिक्सा क्रय किया गया है। व्यय प्रमाणक के अभाव में क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39 ग्राम पंचायत आरिफपुर मडैया विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.10.2012 रु0

80000.00 तथा दिनांक 31.03.2013 को रु0 40000.00 कुल रु0 142728.00 का ईट क्रय दर्शाई गयी है। ईट क्रय व्यय प्रमाणक के अभाव में पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-40 ग्राम पंचायत रझैटी बाकरपुर विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में रु0 7,74,700.00 कोषबही के अनुसार व्यय दर्शित है परन्तु व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41 ग्राम पंचायत सैनी विकास खण्ड सिम्भावली जनपद-हापुड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.06.2012 को कोषबही में रु0 102000.00 कोषागार में जमा दर्शित है। परन्तु जमा बाउचर के अभाव में उक्त धनराशि की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

जनपद का नाम:-मेरठ

मण्डल का नाम:-मेरठ

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर सं०	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्तियों का सारांश
1	भैंसा	मवाना	दि०-22.05.2012 को प्रधान द्वारा कम्प्यूटराइजेशन पर रु0 2700.00 व्यय के प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०-09)
2	पहाड़पुर		आलोच्य वर्ष में रु0 8700.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया। प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०-10)
3	नेडू		दि०- 18.08.2012 को परिवार रजिस्ट्रेशन एवं बाईडिंग पर रु0 14000.00 के भुगतान के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०-09)
4	नेडू		दि०- 24.08.2012 को बिजली मरम्मत पर व्यय रु0 50600.00 के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०-10)
5	नेडू		आलोच्य वर्ष में रु0 461550.00 के इण्टर लॉकिंग टाईल्स के क्रय बिना टण्डर के। प्रधान एवं सचिव द्वारा दुर्विनियोग। उत्तरदायी व्यक्तियों के

		प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-11)
6	गगसौना	दि0- 14.08.2012 को फर्नीचर पर व्यय रू0 5000.00 के सापेक्ष बिल,स्टॉक रजि0, सत्यापन रजि0 अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-09)
7	गगसौना	दि0- 18.08.2012 व 21.08.2012 को स्ट्रीट लाईट पर कुल व्यय 61000.00 के सापेक्ष बिल एवं कोटेशन अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-10)
8	खालिदपुर	दि0-30.06.2012 को प्रधान द्वारा रू0 13200.00 का व्यय पेड़ बेचने हेतु नीलामी एवं विज्ञापन पर दर्शाया गया है तथा पेड़ों की नीलामी से रू0 25000.00 की आय दर्शायी गयी है। विज्ञापन के बिल/धन प्राप्ति की रसीद तथा अन्य विवरण अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-10)
9	गड़ीना	दि0-04.9.2012 को वृक्षों की नीलामी से रू0 120000.00 की आय के सापेक्ष प्रपत्र अनुपलब्ध। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-09)
10	कुण्डा	दि0-27.08.2012 को छात्रवृत्ति खाते से रू0 1200.00 की निकासी कर प्रधान द्वारा अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-10)
11	खेड़की जदीद	आलोच्य वर्ष में बिजली व्यय रू0 64000.00 बिना टण्डर के। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-11)
12	बड़ा गाँव अमरौली	दि0- 28.05.2012 को परिवार रजिस्टर की बान्डिंग पर व्यय रू0 16050.00 का भुगतान। बिल/रसीद अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-13)
13	अकबरपुर सादात	दि0-03.1.2013 को निधि-1 से चैक संख्या 033734 से रू. 5000.00 हजार आहरित। कैश बुक में प्रविष्टि नहीं। प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-12)
14	अटौरा	दि0-21.06.2012 को परिवार रजिस्टर कम्प्यूटराइज कराने में रू. 8,580.00 भुगतान। परन्तु बिल प्रस्तुत नहीं। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

		(मूल आ0 सं0-09)
15	अटौरा	दि0-16.07.2012 को 12 मजदूरों को मिट्टी कार्य हेतु रु. 26262.00 का नकद भुगतान। मस्टर रोल अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-10)
16	साघन	दि0- 26.04.12 को प्रधान द्वारा रु. 7000.00 का डिजिटल कैमरा खरीद हेतु व्यय। बिल अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-09)
17	जघेड़ी	दि0-21.08.2012 को बिजली व्यय 13000.00 के प्रमाणक उपलब्ध नहीं। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-11)
18	बना	वर्ष 2011-12 में रु0 100000.00 का स्ट्रीट लाईट पर व्यय बिना टण्डर के। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-11)
19	मन्दवाड़ी	वर्ष 2011-12 में रु0 135000.00 का भुगतान ग्रामीण विद्युतीकरण पर बिना टण्डर के किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-10)

जनपद का नाम:-मेरठ

मण्डल का नाम:-मेरठ

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर सं0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्तियों का सारांश
1	इकला रसूलपुर	परीक्षित गढ़	आलोच्य वर्ष 2011-12 में छात्रवृत्ति मद में रु0 106000.00 आहरण के सापेक्ष अभिलेख पुष्टि नहीं। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-16)
2	सोना		आलोच्य वर्ष 2011-12 में मनरेगा के अन्तर्गत रु0 28200.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-17)
3	गेसूपुर		वर्ष 2011-12 में मनरेगा मद में रु0 44540.00 के आहरण के सापेक्ष

	दक्षिणी	प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-17)
4	धनपुरा	वर्ष 2011-12 में मनरेगा मद में रू0 4000.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-17)
5	धनपुरा	वर्ष 2011-12 में स्ट्रीट लाईट मद में रू0 17000.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-20)
6	असीलपुर	वर्ष 2011-12 में छात्रवृत्ति मद में व्यय रू0 215500.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-17)
7	खानपुर बांगर	वर्ष 2011-12 में मनरेगा मद में रू0 34125.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-17)
8	तोफापुर	वर्ष 2011-12 में मनरेगा मद में रू0 92790.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-17)
9	ललीयाना	वर्ष 2011-12 में मनरेगा मद में रू0 61843.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-17)
10	तर्वियतपुर	वर्ष 2011-12 में मनरेगा मद में रू0 127405.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। (मूल आ0 सं0-17)
11	भिण्डवाड़ा	वर्ष 2011-12 में मनरेगा मद में रू0 257875.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-17)
12	अगवानपुर	वर्ष 2011-12 में मनरेगा मद में रू0 84798.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-19)

13	पूठी		वर्ष 2011-12 में मनरेगा मद में रू0 319501.00 के आहरण के सापेक्ष प्रमाणक अनुपलब्ध। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-17)

जनपद का नाम:-मेरठ

मण्डल का नाम:-मेरठ

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर सं0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्तियों का सारांश
1	फफूँडा	मेरठ	छात्रवृत्ति अनुदान का रू0 110000.00 के दि0 13.04.2012 व 16.04.2012 के वितरण से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-4)
2	फफूँडा		कोषबही में दि0 31.03.2013 को निधि-1 में प्राप्त ब्याज रू0 2413.73 की प्रविष्टि नहीं कर धन अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-11)
3	कुठला		छात्रवृत्ति मद का रू0 20054.00 के वितरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-5)
4	इटायरा		छात्रवृत्ति मद का रू0 29213.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-8)
5	मोहिउद्दीनपुर		छात्रवृत्ति मद का रू0 124500.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0-4)

6	नरहेड़ा	वृक्षारोपण हेतु मजदूरी के रू0 2750.00 का भुगतान दि0— 30.07.2012 के सापेक्ष प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0—13)
7	ततीना शानी	छात्रवृत्ति मद का रू0 33335.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0—3)
8	चदंसारा	दि0— 08.07.2012 को राज कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर को कम्प्यूटराईजेशन के लिए रू0 8750.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक प्राप्त नहीं। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0—9)
9	चदंसारा	छात्रवृत्ति मद का रू0 81120.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0—10)

जनपद का नाम:—मेरठ

मण्डल का नाम:—मेरठ

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर सं0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्तियों का सारांश
1	औरंगनगर रार्धना	सरधना	दि0— 07.03.2013 को चैक सं0 478650 द्वारा बैंक से निकासी रू0 5000.00 के सापेक्ष दि0—18.11.12 को रू0 4000.00 जमा। उक्त दोनों की प्रविष्टि कैशबुक में अंकित नहीं। अन्तर रू0 1000.00 का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0—17)

जनपद का नाम:—मेरठ
ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

मण्डल का नाम:—मेरठ

प्रस्तर सं०	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्तियों का सारांश
1	जाफराबाद दुर्वेशपुर	सरूरपुर	दि०— 01.04.2012 को प्रधान पर अधिक व्यय रू० 2092.00 दर्शित है, जिसकी पुष्टि हेतु मार्च, 2012 का कोष रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया, जो कि अनियमितता का द्योतक है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ० सं०— 15)

जनपद का नाम:—मेरठ
ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

मण्डल का नाम:—मेरठ

प्रस्तर सं०	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्तियों का सारांश
1	मेदपुर	रजपुरा	दि. 31.08.2012 को वॉल पेंटिंग का भुगतान रू० 3800.00 के प्रमाणक नहीं पाये गये। व्यय की पुष्टि के अभाव में उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०—10)
2	नंगलामल		दि. 02.01.2013 को रिक्शा ठेला मरम्मत भुगतान रू० 2200.00 के प्रमाणक नहीं पाये गये। व्यय की पुष्टि के अभाव में उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०—6)
3	खरदौनी		दि. 09.01.2013 को रू० 15100.00 के फर्नीचर क्रय का कोई प्रमाणक नहीं पाये गये। व्यय की पुष्टि के अभाव में उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०—11)
4	नंगला शेखू		दि. 16.11.2012 को शिव शर्मा आर्ट मुल्ताननगर को रू० 12000.00 के भुगतान का कोई प्रमाणक नहीं पाये गये। व्यय की पुष्टि के अभाव में उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०—9)

जनपद का नाम:—मेरठ

मण्डल का नाम:—मेरठ

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर सं०	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्तियों का सारांश
1	पाँची	खरखौदा	कैशबुक में दि. 01.04.2012 को निधि-3 में प्रा० शेष पासबुक के अनुसार रू० 94000.00 की प्रविष्टि नहीं पायी गई। धन अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित हैं। (मूल आ० सं०-1)
2	आड़		दि.13.06.2012 को ग्राम सभा आड़ के खाते में चैक सं- 53347 के स्थान पर 50343 फीड कर अंकन रू० 3000.00 की धनराशि का अपहरण हुआ है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित हैं। (मूल आ० सं०-9)

जनपद का नाम:—मेरठ

मण्डल का नाम:—मेरठ

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर सं०	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्तियों का सारांश
1	सरसवा	दौराला	दि. 14.03.2013 को प्रमाणक सं०- 53 व 56 द्वारा पूजा इण्टरप्राईजेज को भुगतान कुल रू० 87616.00 के विरुद्ध कोई <u>बिल/प्रमाणक</u> नहीं। अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित हैं। (मूल आ० सं०-16)
2	मवी मीरा जैनपुर		दि. 16.08.012 को ठेला मरम्मत पर व्यय रू० 4365.00 के विरुद्ध प्रमाणक उपलब्ध नहीं। अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित हैं। (मूल आ० सं०-15)
3	सिवाया		दि. 8.04.2012 को प्रमाणक सं.-1 एवं दि. 25.10.2012 को प्रमाणक सं०-22 कुल रू० 29900.00 के भुगतान के प्रमाणक अनुपलब्ध। अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित हैं। (मूल आ० सं०-15)
4	ज्मालपुर जलालपुर		दि. 13.08.2012 को प्रमाणक सं०- 25 द्वारा रू० 32531.00 के नकद भुगतान के प्रमाणक उपलब्ध नहीं। व्यय की पुष्टि के अभाव में उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित हैं। (मूल आ० सं०-15)

5	भराला	दि. 23.01.2013 को प्रमाणक सं०— 49 तथा दि. 4.02.2012 को प्रमाणक सं०— 52 द्वारा ओम कान्स्ट्रक्टर को कुल रू० 130000.00 के प्रमाणक उपलब्ध नहीं। व्यय की पुष्टि के अभाव में उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित हैं। (मूल आ० सं०—17)
6	खेड़ी टप्पा लावड़	दि. 28.03.2013 को प्रमाणक सं०— 16 के द्वारा रू० 20000.00 का भुगतान हरीश ट्रेडिंग को किया गया। प्रमाणक अनुपलब्ध। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित हैं। (मूल आ० सं०— 17)
7	मीठेपुर	दि. 18.06.2012 को प्रमाणक सं०— 14 के द्वारा पंचायत घर की पुताई पर रू० 5200.00 के व्यय का कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है। (मूल आ० सं०—17)

जनपद का नाम :- सहारनपुर

मण्डल का नाम:- सहारनपुर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ :-

क्र०	ग्राम पंचायत का नाम	ले०प० वर्ष	ब्लांक	जिला	आपत्ति का विवरण	धनराशि		उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
						कुल धनराशि	अपहरण I	
1	साखनकलां	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे		3	
					02.04.11 01 मिट्टी कार्य		27900	ग्राम प्रधान श्रीमति ममता
					13.04.11 02 रोड़ी बिछाई		15800	पंचायत सचिव— श्री
					29.04.11 04 सी.सी. डलाई		52400	राज सिंह
					29.04.11 07 77 बैग सिंमेट प्रति 280		18480	
					19.05.11 16 60 बैग सिंमेट प्रति 280		16800	
					05.06.11 22 1500ब्रिक्स प्रति 4000		6000	

					02.07.11 29 32 बैग सिंमेट प्रति 280 08.08.11 36 9000 ब्रिक्स प्रति 4000 02.09.11 44 20000 ब्रिक्स प्रति 3800 21.10.11 52 मिट्टी कार्य 28.11.11 55 21300 ब्रिक्स प्रति 3800 28.11.11 56 मिट्टी कार्य (आपत्ति संख्या— 38)		8960 36000 76000 25920 80940 25800	
					योग	391000		
2	दूधली	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1 31.3.2011 को छात्रवृत्ति का धन शेष रूपया 1440.00 गत कोषवही पर अंकित है। उक्त धन को वर्ष आलोच्य की कोषवही पर न तो वितरित है और न ही खाते में वापिस है। उक्त धन को विकास कार्यों में दर्शाया गया है। अतः उक्त की उत्तरदाई से वसूली अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या— 34)		1440	प्रधान श्री ओमवीर सचिव श्री प्रमोद कुमार
					2 निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे 11.04.11 1 रेत कोरसैण्ड कय 02.05.11 04 70 बैग सिंमेट प्रति दर 285 10.08.11 07 21 बैग सिंमेट प्रति दर 285 10.08.11 09 2000		20485 19950 5985 6000	प्रधान श्री ओमवीर सचिव श्री प्रमोद कुमार

					ब्रिक्स प्रति दर 3000 10.08.11 10 हैण्डपम्प मरम्मत 29.08.11 11 सी0सी0 निर्माण 22.10.11 15 रेत कोरसैण्ड क्य 23.10.11 16 120 बैग सिमेंट प्रति दर 285 31.10.11 20 सी0सी0 निर्माण 23.10.11 17 2750 ब्रिक्स प्रति 3200 (आपत्ति संख्या- 37)		6000 17400 10973 34200 18000 8800	
					योग	149233		
3	भयालाखुर्द	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे 07.04.11 07 73 बैग सीमेंट 07.04.11 02 बजरी क्य 26.04.11 05 सी0सी0डलाई 30.07.11 20 नाली बनाई 27.08.11 21/2 86 बैग सीमेट प्रति दर 280 24.10.11 42 208 बैग सीमेट प्रति दर 280 08.11.11 46 कोरसैण्ड व बजरी क्य 10.12.11 52 139 बैग सीमेन्ट प्रति दर 280 06.12.11 54 12265 ब्रिक्स प्रति दर 4398		18980 12687 26300 21700 22360 58240 23628 38920 53941	प्रधान- श्री केशव राम सचिव- श्री अशोक कुमार शर्मा

					24.01.12 62 चैनर कय		42047	
					24.01.12 63 ईट कय (आपत्ति संख्या— 36)योग	333699	14896	
4	रामपुर निजामपुर	11—12	देवबन्द	सहारनपुर	निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे:—			
					19.05.11 01 6 व्यक्तियों को शौचालय हेतु भुगतान		13200	प्रधान— श्री तनवीर सिंह सचिव— श्री प्रमोद कुमार
					25.05.11 02 2 रेड़ा कय प्रति दर 8500		17000	
					02.08.11 07 50 बैंग सिमेन्ट प्रति दर		14000	
					02.08.11 08 रेत बजरी कय		7320	
					30.08.11 10 नाला सफाई		7000	
					19.09.11 11 40 बैंग सिमेन्ट प्रति दर 280		16250	
					24.10.11 15 सफाई कर्मियों को रेड़े की मरम्मत		4500	
					24.10.11 16 20 बैंग सिमेन्ट, बजरी व रेत कय		8040	
					24.10.11 17 सी0सी0 निर्माण		12600	
					24.10.11 18 20 बैंग सिमेन्ट, रेत व बजरी कय		8040	
					09.01.12 22 25 बैंग सिमेन्ट प्रतिदर 280, रेत व बजरी कय		10260	
					10.02.12 24 नाला सफाई		9000	

					31.03.12 27 प्रधान मानदेय		9000	
					31.03.12 28 पंचायत चपरासी को भुगतान (आपत्ति संख्या- 35)		4800	
					योग	141010		
5	रणसूरा	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. कोषबही पर 31.06. 11 को पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण अधिकारी को वापस रुपया 7680.00 प्रमाणक संख्या-11 से दर्शित है। जबकि माह जून में 31 तारीख नहीं होती। उक्त की उत्तरदाई से वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या- 35)		7680	
					2. निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे:- 30.05.11 06 मिट्टी भराव		10560	प्रधान श्री फारुख सचिव- श्री प्रमोद कुमार
					21.06.11 07 15130 ब्रिक प्रति दर 2798		42334	
					09.07.11 12 मिट्टी कार्य		20640	
					20.08.11 17 मिट्टी कार्य		14160	
					20.08.11 18 26 बैंग सिमेन्ट प्रति दर 270		70200	
					20.08.11 19 4088 ब्रिक प्रति दर 2798		11438	
					27.09.11 23 बजरी व रेत क्रय		39859	
					28.09.11 25 मिट्टी कार्य		14400	

					31.10.11 32 264 बैंग सिमेन्ट प्रति दर 270	71280	
					31.10.11 33 कोरसेंट क्रय	13538	
					15.11.11 34 बजरी क्रय	17607	
					19.11.11 36 सी0सी0 निर्माण	40800	
					20.12.11 39 सी0सी0 निर्माण	21000	
					14.02.12 43 15 कुर्सी व मेंज क्रय	7300	
					29.03.12 44 सी0सी0 निर्माण (आपत्ति संख्या- 37)	19800	
					योग	422596	
6	असदपुर करन्जली	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. 31.10.11 को आय योग 370250 के स्थान पर 320250 कोषांकित है। अन्तर 50000.00 कम आय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। उक्त की उत्तरदायी प्रधान तथा सचिव श्री रूपचन्द से वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या- 36)	50000	
					2. 31.03.12 रोकड़ शेष रुपया 20689.00 के स्थान पर रुपया 689.00 दर्शित हैं। अन्तर रुपया 20000. 00 का अपहरण किया गया है। उक्त की	20,000	प्रधान श्री ओम कुमार सचिव- श्री रूप चन्द्र

					उत्तरदायी से वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या- 37)			
					3. गत वर्ष की छात्रवृत्ति रूपया 38400.00 कोषांकित हैं। उक्त को सचिव श्री रूपचंद द्वारा हस्ताक्षर करके स्वीकार किया गया है। उक्त छात्रवृत्ति का वितरण वर्ष के दौरान नहीं किया गया है उक्त की आपत्ति संख्या 4 व 5 से योग कम दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या- 38)		38400	
					4. निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे :-			
					17.04.11 25 बैग सिमेन्ट प्रति दर 290		15950	
					18.04.11 10200 ईट प्रति दर 3590		36618	
					30.04.11 मिट्टी कार्य		24360	
					09.05.11 85 बैग सिमेन्ट प्रति दर 300		25500	
					18.06.11 58 बैग सिमेन्ट प्रति दर 300		17400	
					29.09.11 60 बैग सिमेन्ट प्रति दर 300		18000	
					13.10.11 मिट्टी कार्य		24240	
					13.10.11 छात्रवृत्ति वितरण		38820	

					23.10.11 130 बैग सिमेन्ट प्रति दर 300		39900	
					23.10.11 बजरी कय		12023	
					05.11.11 3660 ईट प्रतिदर 3400		10455	
					17.11.11 3075 ईट प्रतिदर 3400		26775	
					02.02.12 7875 ईट प्रतिदर 3400		22200	
					03.02.12 74 बैग सिमेन्ट प्रति दर 300 (आपत्ति संख्या- 39)			
					योग	420641		
7	कुरलकी	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. 24.1.12 को शक्ति साईकिल स्टोर को निधि - प्रथम पी0एन0बी थीतकी एकान्ट नं0 2143000400038919 चैक सं0 633116 से रू0 18000 का निर्गत है। उक्त का कोई औचित्य नहीं है। उक्त धनराशि उत्तरदायी से वसूली अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 36)		18000	प्रधान श्रीमति बबीता सचिव-श्री प्रमोद कुमार
					2. निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे:-			
					18.04.11 01 152 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 295		44840	
					26.04.11 03 200 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 295		59000	
					29.04.11 06 208 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 295		61360	

					09.05.11 07 86 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 295		25370	
					13.05.11 08 बजरी कय		45955	
					09.08.11 17 13131 ब्रिक प्रतिदर 3000		39392	
					20.08.11 19 सी0सी0 निर्माण		46680	
					27.09.11 23 शौचालय हेतु भुगतान		40810	
					30.09.11 25 19 व्यक्तियों को शौचालय हेतु भुगतान		35245	
					25.10.11 26 36 व्यक्तियों को शौचालय हेतु भुगतान		66780	
					29.11.11 38 6000 ईट प्रतिदर 4200		25200	
					17.01.12 54 57 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 280		15960	
					30.01.12 62 दो रेड़े कय		18000	
					31.01.12 66 2779 ब्रिक प्रतिदर 4000		16800	
					01.02.12 69		10716	
					31.03.12 76 प्रधान मानदेय (आपत्ति संख्या- 37)		9000	
					योग	579108		
8	केन्दुकी	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे :-			
					15.04.11 02 अमानत वापस अनाम को		15000	
					18.04.11 03 234 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 280		65520	
					28.04.11 04 नाली निर्माण		16800	

प्रधान श्री
लीलू
सचिव-
श्री यशपाल

					06.08.11 17 ईट रोड़ी क्रय		16197	
					18.08.11 19 कोरसैण्ड क्रय		9624	
					13.09.11 24 133 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 280		37240	
					31.10.11 28 कोरसैण्ड क्रय		16129	
					01.11.11 34 120 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 280		35600	
					10.03.11 42 83 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 280 (आपत्ति संख्या- 37)		23240	
					योग	235350		
9	रणखण्डी	11-12	देवबन्द	सहारपुर	1. निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे:-			
					08.04.11 02 84 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		21000	प्रधान श्री आजाद राणा सचिव श्री प्रमोद कुमार
					30.04.11 6ए 12 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		3000	
					16.05.11 10 फोरसैण्ड क्रय		32277	
					23.05.11 16 ईट रोड़ी फेलाई		12000	
					04.06.11 23 बजरी क्रय		30583	
					07.06.11 27 सीमेन्ट रोड़ी बजरपुर क्रय		14880	
					10.06.11 28 सी0सी0 निर्माण		38760	
					24.06.11 30 293 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		73250	
					27.06.11 33 बजरी क्रय		23751	
					30.06.11 36 188 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		47000	

					15.07.11 42 106 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		265000	
					18.07.11 46 102 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		25500	
					19.07.11 49 बजरी क़य		40635	
					25.07.11 50 ईट रोड़ी क़य		21845	
					25.07.11 51 109 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		27250	
					26.07.11 59 फोरसैण्ड क़य		32319	
					27.07.11 55 बजरी क़य		30618	
					31.07.11 56 सी0सी0निर्माण		39720	
					31.07.11 58 126 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		31500	
					03.08.11 60 197 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		49250	
					09.08.11 63 13.6 कुन्तल चैनर प्रतिदर 4800		65250	
					16.08.11 67 13.6 कुन्तल चैनर प्रतिदर 4800		65250	
					31.08.11 73 320 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 250		80000	
					31.08.11 74 फौरसेण्ड क़य		24136	
					19.09.11 85 13000 ईट प्रतिदर 4098		28600	
					30.09.11 86 सी0सी0 निर्माण		24000	
					08.10.11 90 561 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 280		157080	
					08.11.11 128 फोरसेण्ड क़य		59626	

					14.11.11 129 8500 ईट प्रतिदर 4098		34833	
					30.11.11 135 सी0सी0 निर्माण		34800	
					30.11.11 137 10600 ईट प्रतिदर 4098		43438	
					31.12.11 148 16 ट्राली रेत		24000	
					31.12.11 149 380 किग्रा0 गेट प्रतिदर 50		19000	
					31.12.11 151 200 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 280		56000	
					31.03.11 160 फोरसैण्ड कय (आपत्ति संख्या- 38)		33000	
					योग	1609151		
10	चन्द्रपुर कायस्थ	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. वर्ष आलोच्य की कोषवही में निम्न विवरणानुसार दर्शित आहरण कोषांकित न कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। 27.01.12 दानेश चैक सं0 846752 धनराशि 40000 निधि-प्रथम 30.01.12 दानेश चैक सं0 846754 धनराशि 10000 निधि प्रथम 01.02.12 दानेश चैक सं0 846753 धनराशि 20000 निधि प्रथम 26.03.12 सुखड़ चैक सं0 846755 धनराशि 600 निधि प्रथम 70600(एस0बी0आई0 देवबन्द एकाउन्ट नं0		70600	प्रधान श्री सरताज सचिव- श्री रूप चन्द्र

					11019402234) ध्यातव्य है कि उक्त कोषबही को सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा अवलोकित भी किया गया है किन्तु गबन सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं की गयी हैं। उक्त धनराशि के गबन में श्री शर्मा के अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी महोदय का भी हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त धनराशि प्रधान के अलावा पंचायत सचिव रूपचन्द व ए0डी0ओ0 पंचायत अशोक कुमार शर्मा तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से धनराशि का समान रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या- 36) 2. 31.05.11 को रोकड़ शेष रूपया 4080.00 के स्थान पर रूपया 1960.00 दर्शाकर रूपया 2120.00 कम रोकड़ दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। उक्त की उत्तरदाई से वसूली अपेक्षित	2120	

					हैं।(आपत्ति संख्या— 37)			
					3 निम्न व्ययपत्र प्रस्तुत न रहे:—			
					14.04.11 ईट रोड़ी क्रय		5100	
					11.05.11 हैण्डपम्प मरम्मत		4280	
					12.05.11 बजरी क्रय		10080	
					20.06.11 हैण्ड पम्प मरम्मत		3540	
					28.08.11 110 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 290		31900	
					30.08.11 सी0सी0 निर्माण		13160	
					28.09.11 ईट रोड़ी क्रय		6400	
					23.10.11 बजरी क्रय		15100	
					23.10.11 फोरसैण्ड क्रय		7755	
					25.10.11 26 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 290		7540	
					13.12.11 135 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 290		39150	
					20.12.11 सी0सी0 निर्माण		16560	
					31.03.12 प्रधान मानदेय (आपत्ति संख्या— 39)		9250	
					योग	242535		
11	नगलीनूर	11—12	देवबन्द	सहारनपुर	1. 31.03.11 को कोषबही पर रूपया 5820.00 छात्रवृत्ति का शेष धन कोषांकित है जो 31.03.12 तक वितरित नहीं हैं।		5820	

					अधिक व्यय कोषबही पर रूपया 352.00 दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि उक्त छात्रवृत्ति विकास कार्यो में व्यय दर्शायी गयी हैं। उक्त की उत्तरदाई से वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या- 34)			
					2. निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे:-			प्रधान श्रीमति सरिता देवी सचिव-श्री सुरेन्द्र कुमार
					18.05.11 02 10700 ब्रिक प्रतिदर 2800		29960	
					20.05.11 04 कुर्सी, मेज व सेफ क्रय		16500	
					07.07.11. 05 रेड़ा क्रय		8500	
					26.07.11 08 हैडपम्प मरम्मत		8000	
					20.08.11 10 मिट्टी कार्य		10400	
					01.09.11 11 800 ईट प्रतिदर 3000		24000	
					11.10.11 13 500 ब्रिक प्रतिदर 3000		15000	
					30.12.11 24 खड़जा उखड़ाई		14600	
					30.12.11 25 20 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 285		7300	
					12.01.12 26 10000 ब्रिक प्रतिदर 3300		33000	
					28.02.12 29 ईट रोड़ी बजरी क्रय		10496	
					28.02.12 30 सीमेन्ट क्रय (आपत्ति संख्या- 38)		44943	
					योग	228519		

12	तलहेडी खुर्द	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. दिनांक 23.09.11 को श्री पवन कुमार द्वारा एस0बी0आई0 देवबन्द निधि तृतीय एकाउन्ट नं0 11019402176 से रूपया 72300.00 आहरण कर कोषांकित है तथा दिनांक 24.09. 11 को रूपया 57900 वितरीत हैं। अन्तर रूपया 14400 दिनांक 31.03.12 तक वितरीत नहीं हैं। 31.03.12 को नगद रोकड़ शेष प्रधान के पास रूपया 4396. 00 हैं। जिससे स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति की धनराशि विकास कार्यों में दर्शाकर छात्रवृत्ति धन का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी से रूपया 14400 की वसूली अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 34)		14400	प्रधान श्री विश्वास कुमार सचिव- श्री अशोक कुमार शर्मा
					योग		14400	
					2. निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे :- 02.04.11 02 160 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 260 06.04.11 03 सी0सी0 डलाई 11.04.11 13 स्टोन ग्रेड व कोरसेण्ड कय		41600 19400 52032	

					23.04.11 14 370 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 27.07.11 16 सीमेन्ट का शेष भुगतान 20.10.11 28 सी0सी0 डलाई 20.11.11 30 5000 ब्रिक प्रतिदर 4398 31.10.11 35 194 बैग सिमेन्ट प्रतिदर 240 09.11.11 37 श्री चन्द के कोने से राज कुमार के कोने तक खड़जा निर्माण (आपत्ति संख्या— 36)		49000 47200 13600 21990 54230 27500	
					योग		326552	
13	देहरा	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. वर्ष आलोच्य में रूपया 300 अवशेष छात्रवृत्ति का धन सम्बन्धित खाते में वापस जमा नहीं हैं। उक्त की उत्तरदायी से वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या— 34)		300	प्रधान श्री मेवा राम सचिव—श्री राजीव कुमार
					2. निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे:— 02.04.11 01 हैण्डपम्प मरम्मत 27.05.11 05 हैण्डपम्प मरम्मत 27.07.11 07 रजवाहे के घाट पर ईट लगाई 28.07.11 08 1000 ब्रिक प्रतिदर 4000+रोडी 29.09.11 10 मिट्टी		3150 5500 15000 9760 5760	

					कार्य 19.10.11 13 112 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 280 19.10.11 14 कोरसैण्ड क्रय 30.10.11 19 प्राइमरी पाठशाला में एस0सी0 छात्रवृत्ति वितरण 30.10.11 20 प्राइमरी पाठशाला में एस0सी0 छात्रवृत्ति वितरण 13.12.11 32 बजरी क्रय 28.02.12. 40 71 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 280 09.03.12 43 सी0सी0 निर्माण 10.03.12 47 कोरसैण्ड क्रय 27.03.12 52 63 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 280 (आपत्ति संख्या- 35)		31360 16597 12300 18000 14798 19880 9000 12502 17640	
					योग	191547	191547	
14	राजूपुर	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. 30.07.11 को सफाईकर्मों को मानदेय रूपया 10000 का भुगतान किया गया। उक्त की विभागीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हैं। अतः उक्त धन ग्राम पंचायत ने प्रधान श्री नूरइलाही व पंचायत		10000	प्रधान श्री नूर इलाही सचिव-श्री प्रमोद कुमार

					सचिव श्री प्रमोद से समान रूप से जमा कराई जाने अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या – 38)			
					2. निम्न विवरण अनुसार दर्शित भुगतान नियमविरुद्ध हैं क्योंकि उक्त की विभागीय स्वीकृति ऑडिट को प्राप्त नहीं हैं। 18.08.11 प्रमाणक सं0 29 गांव सफाई 21000 (गांव में सफाई कर्मी नियुक्त हैं।) 30.08.11 प्रमाणक सं0 34 पंचायत चपरासी मानदेय 7500 19.12.11 प्रमाणक सं0 61 सफाईकर्मी को रोस्टर बनावाई 12000 31.03.12 प्रमाणक सं0 81 पंचायत चपरासी को मानदेय 10500 25.03.12 प्रमाणक सं0 83 बाजार वाले सफाई कर्मी को मानदेय 20000 (आपत्ति संख्या-39)		71000	
					3. निम्न व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे:- 11.04.11 01 71 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 285 18.04.11 02 हैण्डपम्प मरम्मत 23.04.11 03 सफाई कार्य		20235 20000 14700	

					03.05.11 04 तीन रेहड़े क्य प्रतिदर 8500	25500	
					10.05.11 06 175 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 285 रेत + बजरी	49875	
					10.05.11 07 140 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 285 रेत + बजरी	56342	
					25.06.11 23 बजरी व कोरसैण्ड	46567	
					30.07.11 27 बाजार वाले सफाई कर्मी को मानदेय	10000	
					08.08.11 29 गांव सफाई	21000	
					12.08.11 30 पंचायत घर की सफाई	19875	
					11.08.11 31 280 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 285	79800	
					12.08.11 32 पंचायत घर हेतु सामान क्य	20022	
					30.08.11 34 पंचायत चपरासी सुशील कुमार को मानदेय	7500	
					21.09.11 37 5000 ईट प्रतिदर 3000	15000	
					10.09.11 39 148 बैग सीमेन्ट रेत + बजरी	94534	
					30.09.11 40 सी0सी0 डलाई	22000	
					30.09.11 41 सी0सी0 डलाई	22000	
					30.09.11 42 सी0सी0 डलाई	23000	
					30.09.11 45 हैण्डपम्प	23335	

					मरम्मत 24.10.11 48 शौचालय हेतू भुगतान 10.10.11 / 25.10.11 49 147 बैग सीमेन्ट रेत + कोरसैण्ड 30.10.11 57 160 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 285 10.11.11 58 हैण्डपम्प मरम्मत 19.12.11 61 सफाई कमी को रोस्टर बनवाई 12.01.12 66 81 बैग सीमेन्ट प्रतिदर 285 बजरी व कोरसैण्ड 20.01.12 72 147 बैग सीमेन्ट बजरी व कोरसैण्ड 31.03.12 81 पंचायत चपरासी मानदेय 25.03.12 83 बाजार वाले सफाईकमी को मानेदय 25.03.12 84 3650 ईट दर 3300 (आपत्ति संख्या-40)	38955 7072 45600 20000 12000 52701 59899 10500 20000 12045	
					योग	951057	
15	अम्बेहटाशेख II	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. वर्ष आलोच्य में कुल छात्रवृत्ति आहरण रूपया 246944 में से वितरण के उपरान्त	11200	प्रधान श्री त्रुषि राज त्यागी सचिव- श्री

					रू0 11200 अवशेष हैं। जिसे सम्बन्धित खाते में न तो वापस किया गया है और न ही कैश बुक पर शेष दर्शाया गया है। अतः धनराशि का दुरुपयोग कर विकास कार्यों में दर्शाया दिया गया है जिसकी तातारीख ब्याज सहित उत्तरदायी प्रधान ऋषिराज तथा पंचायत सचिव चन्द्रमुकुट से वसूली अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या- 34)			मुकुट
					2. वित्तीय वर्ष में सी0सी0 डलाई, सीमेन्ट, कोरसैण्ड क्रय, विभाग को वापस छात्रवृत्ति, हैण्डपम्प मरम्मत, चैनल क्रय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या- 36)	894960	883760	
16	जडौदा जट्ट	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट, कोरसैण्ड क्रय, रोडी क्रय, ब्रिक क्रय, मिट्टी कार्य, नाली निर्माण, खडण्जा उखड़ाई, सी0सी0 निर्माण, फर्नीचर क्रय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या- 42)	894960	104462 9	प्रधान श्री राकेश सचिव-यशपाल

17	थीतकी	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट, कोरसैण्ड कय, रोडी कय, ब्रिक कय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या- 35)		304383	प्रधान श्रीमति मोमीना सचिव-जितेन्द्र कुमार
18	गोपाली	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. ग्राम पंचायत में सामग्री कय में तथा मजदूरी भुगतान में पंचायत एक्ट मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए आलम सीमेन्ट स्टोर को तथा ब्रिक्स को निम्न विवरणानुसार चैक निर्गत हैं। 13.04.11 चैक नं० 151563 रू० 40000 20.05.11 चैक नं० 151573 रू० 53480 01.06.11 चैक नं० 151580 रू० 60000 09.06.11 चैक नं० 141306 रू० 36000 01.07.11 चैक नं० 141313 रू० 20000 05.09.11 चैक नं० 141320 रू० 30000 14.10.11 चैक नं० 141334 रू० 40000 01.11.11 चैक नं० 141335 रू० 30000 09.11.11 चैक नं० 141340 रू० 20000 17.01.12 चैक नं० 141345 रू० 40000 आलम सीमेन्ट स्टोर को भुगतान,	144622-00	144622-00	प्रधान श्रीमति नुसरत सचिव-श्री नुसरत

					पी0एन0बी0 थीतकी, निधि-प्रथम एकाउन्ट नं0 2143000400038928 21.05.11 चैक नं0 151574 रू0 7163 हाजि ब्रिक्स को भुगतान। कुल योग:- 386643 कोषबही अनुसार वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार मासिक सामग्री पर भुगतान दर्शित हैं। अप्रैल 11 सामग्री पर भुगतान 33874 मई 11 सामग्री पर भुगतान 63626 जून 11 सामग्री पर भुगतान 136345 जुलाई 11 सामग्री पर भुगतान 27122 अगस्त 11 सामग्री पर भुगतान 98165 अक्टूबर 11 सामग्री पर भुगतान 58700 नवम्बर 11 सामग्री पर भुगतान 40782 जनवरी 12 सामग्री पर भुगतान 72651 कुल योग :- 531265 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्था को कुल रूपया 386643 का चैक दर्शित है तथा कोषबही पर रूपया 531265 इस मद में भुगतान दर्शित है।			

					अन्तर रूपया 144622 अनियमित भुगतान का प्रधान श्री नुसरत तथा पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र प्रसाद से वसूली अपेक्षित हैं। .वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट, कोरसैण्ड कय, रोडी कय, ब्रिक कय, मिट्टी कार्य, नाली निर्माण, खडण्जा उखडाई, सी0सी0 निर्माण, फर्नीचर कय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या— 34)			
19	खजूरी	11—12	देवबन्द	सहारनपुर	1. वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट, सी0सी0 निर्माण कोरसैण्ड कय, बजरी कय, ब्रिक कय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या— 36)	152531—00	152531	प्रधान श्रीमति उषा सचिव—श्री अशोक कुमार शर्मा
20	जखवाला	11—12	देवबन्द	सहारनपुर	1. दिनांक 05.11.11 को रू0 6300 तथा 30.11.11 को रू0 480 योग रू0 6780 छात्रवृत्ति सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया एकाउन्ट नं0 2613 में प्राप्त हैं। उक्त को कैशबुक में व्यय पक्ष में ही दर्शाया गया है। आय पक्ष में प्रविष्टि न करने से	316917	6780	प्रधान श्री गोपी सचिव— श्री अशोक कुमार शर्मा

					रु0 6780 से रोकड़ शेष कम कर अपहरण किया गया है उत्तरदाई से उक्त की वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट, कोरसैण्ड कय, रोडी कय, ब्रिक कय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। आपत्ति संख्या- 34)			
					2. दिनांक 19.10.11 निधि-तृतीय सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया नं0 2613 से रुपया 91800 आहरण कर कोषबही रुपया 85500 वितरित हैं। अन्तर रुपया 6300 सम्बन्धित खाते में वापिस नहीं है तथा माह जनवरी 2012 में रोकड़ शेष कोषबही पर रुपया 37 और फरवरी और मार्च 2012 में रुपया 137 दर्शित है। स्पष्ट है कि रुपया 6300 को विकास कार्यो में दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदाई से वसूली अपेक्षित हैं। वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट, कोरसैण्ड कय, रोडी कय, ब्रिक कय	6300		

					आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या— 35)			
					3. माह अक्टूबर 2011 में कोषबही पर रोकड़ शेष रूपया 1000 कम दर्शित है। उत्तरदाई से वसूली अपेक्षित हैं। वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट, कोरसैण्ड कय, रोडी कय, ब्रिक कय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या— 37)		1000	
					4. वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट कय, सी0सी0 निर्माण, कोरसैण्ड कय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या— 38)	316917	302837	
21	इमलिया	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1.वर्ष आलोच्य में 29. 09.11 की चैक सं0 35986 निधि ग्राम एस0बी0आई0 देवबन्द एकाउन्ट नं0 10473675006 से श्री पोपीन के नाम रु0 54480 छात्रवृत्ति आहरत कर रु0 54180 वितरित हैं। शेष रु0 300 सम्बन्धित खाते में वापस नहीं हैं। उक्त की उत्तरदाई से वसूली अपेक्षित हैं। वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट,		300	प्रधान श्री मनोज पंचायत सचिव—श्री अशोक कुमार शर्मा

					सी0सी0 निर्माण कोरसैण्ड कय, बजरी कय, ब्रिक कय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या- 35)			
					2. पंचायत पत्र वसूली पत्र 10 प्रतिशत रू0 1000 डी0पी0आर0ओ0 को दिया गया न ही वसूली रूप 10000 होती हैं। जो कोषांकित नहीं हैं। उक्त की उत्तरदाई से तातारीख कर सहित वसूली अपेक्षित हैं। वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट, सी0सी0 निर्माण कोरसैण्ड कय, बजरी कय, ब्रिक कय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या- 37)		10000	
					3. वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट कय, कोरसैण्ड कय, सी0सी0 डलाई, ब्रिक्स कय, बजरी कय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। (आपत्ति संख्या- 39)		345837	
					योग		356137	
22	नूनाबाडी	11-12	देवबन्द	सहारनपुर	1. आलोच्य वर्ष में कुल छात्रवृत्ति रू0 205200 छात्रवृत्ति खाते से आहरित है तथा रू0 199800 का वितरण कैश बुक में दर्शाया		5400	प्रधान मौ0 खुसरू सचिव – श्री अशोक कुमार शर्मा

					गया है। अन्तर रूपया 5400 न तो खाते में वापस जमा है और न ही कैशबुक में अवशेष दिखाया है। अतः धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी उत्तरदाई व्यक्ति ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से समान रूप से वसूल अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष में सीमेन्ट क्रय, सी0सी0 निर्माण, कोरसैण्ड क्रय आदि के व्यय पत्र प्रस्तुत न रहे। आपत्ति संख्या- 36)			
					योग	5400		
23	हथौली	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. बैंक के छात्रवृत्ति खाते से धन का आहरण कर छात्रवृत्ति का वितरण दर्शाया जान परन्तु पुष्टी में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर व उपभोग प्रमाण पत्रों का प्रस्तुत न किया जाना		347070	प्रधान श्रीमति विमला(पूर्व प्रधान)प्रेमो देवी वर्तमान प्रधान सचिव- योगेन्द कुमार
					2. कैश बुक में बैंक से धन आहरण की प्राप्ति दर्शाई गई है परन्तु उसके विरुद्ध दर्शित व्ययों की पुष्टी में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।		520500	
					योग	867570		

24	हरिपुर	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. ग्राम निधि 1 की धनराशि का छात्रवृत्ति के वितरण कर धन का दुरुपयोग किया जाना		38530	श्रीमति प्रतिमा वर्तमान प्रधान (श्रीमति तारावती पूर्व प्रधान) सचिव-श्री उपेन्द्र कुमार
					2. कैश बुक में दर्शित व्ययों की पुष्टी में प्रमाणकों का प्रस्तुत न किया जाना।		152250	
					3. कैश बुक में बैंक से धन आहरण की प्राप्ती दर्शाई गई है परन्तु उस के विरुद्ध किये गये व्ययों की पुष्टी में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ग्राम निधि-1		215750	
					4. कैश बुक में एम0डी0एम0 के ग्राम निधि-4 से धन का आहरण कर प्राप्ती दर्शाई गई है परन्तु उसके विरुद्ध किये गये व्ययों की पुष्टी में प्रमाणकों प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।		171900	
					योग	578430		
25	हबीबपुर तपोवन	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. कैशबुक में बैंक से धन आहरण की प्राप्ती दर्शाई गई है परन्तु उसके विरुद्ध किये गये व्ययों की पुष्टी में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।		876600	प्रधान चानूराम पूर्व(वर्तमान प्रधान- श्री मूदा) सचिव- श्री विजय कुमार

					2. बैंक में खाते छात्रावृत्ति से धन का आहरण कर छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना परन्तु पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर व उपयोग प्रमाणक पत्रों का प्रस्तुत न किया जाना।		279410	
					योग	1156010		
26	शाहपुर गाड़ा	10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. बैंक से धन आहरण कर कैश बुक में प्राप्ति दर्शित हुये इस के विरुद्ध दर्शित व्ययो की पुष्टी में प्रमाणको का प्रस्तुत न किया जाना।		263800	प्रधान श्री इखलाक सचिव— श्री यशपाल सिंह
					योग	263800		
27	ननौली	10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. पंजाब नैशनल बैंक में खुले एम0डी0एम0 के खाते संख्या 3118000100183169 से धन का आहरण कर कैश बुक में उसकी प्रविष्टी न कर धन का अपहरण किया जाना।		19900	प्रधान श्री जब्बर सचिव— श्री यशपाल सिंह
					2. कैश बुक में दर्शित व्ययों की पुष्टी में प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना।		137080	
					3. ग्राम निधि-3 से आहरित छात्रवृत्ति के		413420	

					धन का लाभार्थियों को वितरण न किया जाना।			
					योग		570400	
28	रायपुर	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. कैश बुक में दर्शित व्ययों की पुष्टी में प्रमाणकों का प्रस्तुत न किया जाना		104139 5	पूर्व प्रधान श्री मतलूब (वर्तमान प्रधान श्री जयपाल सिंह सचिव— श्री राजेश कुमार
					योग	1041395		
29	अकबरपुर बांस	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. प्रधान द्वारा दोहरा मानदेय का भुगतान प्राप्त कर धन का आहरण किया जाना।		8400	प्रधान श्रीमति कुन्ताओमलत । सचिव— यशपाल सिंह
					2. कैश बुक में दर्शित व्ययों की पुष्टी में प्रमाणकों का प्रस्तुत न किया जाना।		106170	
					3. बैंक से धन का आहरण कर कैश बुक में प्राप्ती दर्शाते हुये इस के विरुद्ध व्ययों का दर्शाया जाना परन्तु पुष्टी में प्रमाणकों का प्रस्तुत न किया जाना।		231100	
					योग	345670		
30	महमूदपुर नगली	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. कैश बुक में दर्शित निम्न व्ययों की पुष्टी में प्रमाणकों का प्रस्तुत न किया जाना		388528	पूर्व प्रधान श्री धर्मपाल सिंह वर्तमान प्रधान श्री मुकेश देवी सचिव— यशपाल
					योग	388528		

31	मलकपुर	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. कैश बुक में खुले छात्रवृत्ति खाते से धन का आहरण कर छात्रवृत्ति का वितरण दर्शाया जाना परन्तु पुष्टी में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर एवं उपभोग प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत न किया जाना।		110550	प्रधान श्रीमति सुलोचना एवं श्रीमति संतोष सचिव श्री योगेन्द्र कुमार
					2. कैश बुक में बैंक से धन आहरण की प्राप्ति दर्शाई गई हैं परन्तु उसके विरुद्ध व्ययों की पुष्टी में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।		327000	
					योग	437550		
32	रुहालका	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. कैश बुक में दर्शित व्ययों की पुष्टी में प्रमाणकों का प्रस्तुत न किया जाना।		513192	पूर्व प्रधान श्री फूल सिंह(श्रीमति सरवरी वर्तमान प्रधान) सचिव – उपेन्द्र कुमार
					योग	513192		
33	टोडरपुर	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1.बैंक से धन का आहरण कर कैश बुक में प्राप्ति दर्शाते हुये उनके विरुद्ध दर्शित व्ययों की पुष्टी में प्रमाणकों का प्रस्तुत न किया जाना।		703600	पूर्व प्रधान श्रीमति जमिला (वर्तमान प्रधान श्री कुशल पाल) सचिव श्री विक्रम सिंह
					2. बैंक के छात्रवृत्ति खाते से धन का		261050	

					आहरण कर छात्रवृत्ति का वितरण दर्शाया जाना परन्तु पुष्ठी में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर व उपभोग प्रमाणक पत्र प्रस्तुत न किया जाना।			
					3. बैंक में खुल एम0डी0एम0 खाते से धन का आहरण कर उसके विरुद्ध व्ययों का दर्शाया जाना परन्तु पुष्ठी में कोई प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना।		74238	
						1038888		
34	मिर्जापुर पौल	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. कैश बुक में दर्शित व्ययों की पुष्ठी में कोई प्रमाणक प्रस्तुत न किया जाना।		421239	पूर्व प्रधान श्रीमति शाजदा-वेश म (वर्तमान प्रधान श्रीमति रउफा बेगम सचिव- यशपाल सिंह
					2. बैंक से आहरित छात्रवृत्ति के धन में से 960 अन्य कार्यों में उपयोग कर धन का दुरुपयोग किया जाना।		960	
					3. बिना किसी विभागीय स्वीकृति के जनरेटर हेतु डीजल का उपयोग दर्शाकर पंचायत को हानि पहुंचाना।		247273	
					4. बैंक से धन का आहरण कर कैश बुक		302576	

					में प्राप्ति दर्शाई गई परन्तु इस के विरुद्ध दर्शित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणकों का प्रस्तुत न किया जाना।			
					योग	972048		
35	शेरपुर पेलो	09-10 व 10-11	सढौली कदीम	सहारनपुर	1. कैश बुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणकों का प्रस्तुत न किया जाना।		355100	पूर्व प्रधान— अहशानुलाह (वर्तमान प्रधान श्री बलसूदन) सचिव— विजय कुमार / यशपाल सिंह
					2. धन का आहरण कर छात्रवृत्ति का वितरण रजिस्टर व उपभोग प्रमाणक पत्र प्रस्तुत न किया जाना।		297860	
					योग	652960		

जनपद— चन्दौलीमण्डल— वाराणसीग्राम पंचायत— बजरडीहाविकास खण्ड— नौगढ़वर्ष— 2012-13

			उत्तदायी व्यक्ति का नाम
प्रस्तर संख्या-1(1)	वर्ष आलोच्य की विभिन्न तिथियों में विभिन्न सामग्रियों मजदूरी एवं स्टेशनरी आदि मदों में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण	395152.00	श्री अवधेश (ग्राम प्रधान), श्री राजनाथ यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)
प्रस्तर संख्या-1(2)	वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यों पर कुल व्यय से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका, कार्यपूर्ति,	252518.00	श्री अवधेश (ग्राम प्रधान),

	पी0सी0आर0, परिसम्पत्ति पंजी, मापन पंजी, इस्टीमेट, बिल बाउचर्स आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता		श्री राजनाथ यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)
प्रस्तर संख्या-1(3)	वर्ष आलोच्य में भारतीय स्टेट बैंक में संचालित खाते से मानक से अधिक धनराशि आहरित कर लिये जाने के फलस्वरूप बैंक द्वारा शुल्क/ब्याज मद में की कटौती के फलस्वरूप संस्था की आर्थिक क्षति	1000.00	श्री अवधेश (ग्राम प्रधान), श्री राजनाथ यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)

उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सोनवार

			उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
प्रस्तर संख्या-1(1)	वर्ष आलोच्य की विभिन्न तिथियों में विभिन्न सामग्रियों के दर्शित क्रय/भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक विहीन दर्शित व्यय कर धनराशि का अपहरण	356749.00	श्री बेगम अफसाना (ग्राम प्रधान), श्री सत्येन्द्र श्रीवास्तव (ग्राम पंचायत अधिकारी)
प्रस्तर संख्या-1(2)	वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यो पर कुल व्यय से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका, कार्यपूर्ति, पी0सी0आर0, परिसम्पत्ति पंजी, मापन पंजी, इस्टीमेट, बिल बाउचर्स आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता	608716.00	श्री बेगम अफसाना (ग्राम प्रधान), श्री सत्येन्द्र श्रीवास्तव (ग्राम पंचायत अधिकारी)

उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- चुप्पेपुर

			उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
प्रस्तर संख्या-1(1)	वर्ष आलोच्य की विभिन्न तिथियों में विभिन्न सामग्रियों मजदूरी आदि मदों में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण	494505.00	श्री मुकुन्द लाल (ग्राम प्रधान), श्री राजनाथ यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)
प्रस्तर संख्या-1(2)	वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यों पर कुल व्यय से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका, कार्यपूर्ति, पी0सी0आर0, परिसम्पत्ति पंजी, मापन पंजी, इस्टीमेट, बिल बाउचर्स आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता	265907.00	श्री मुकुन्द लाल (ग्राम प्रधान), श्री राजनाथ यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी)

उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम-जौनपुर

मण्डल का नाम- वाराणसी

ग्राम-पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर-1	ग्राम पंचायत-पसियाही खुर्द विकास क्षेत्र-रामनगर आहरित धनराशि, कैश बुक में प्रविष्टि न कर अपहरण रु0 83260.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती रानी पटेल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिनन्दन पटेल से वसूली की जायें।
	ग्राम पंचायत हाजी रफीपुर वि0 क्षे0 शाहगंज आय पक्ष का योग कम कर रु0 9000.00 का अपहरण 9000.00 ग्राम प्रधान श्री सुमित्रा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पारसनाथ राम से बराबर-बराबर वसूली की जाये।
प्रस्तर-2	ग्राम पंचायत मुर्की, विकास क्षेत्र-मुफ्तीगंज, (अ) दिनांक 24.05.12 को बैंक से रु0 162300.00 श्री संजय कुमार द्वारा आहरण है जिसे गत वर्ष के कार्य नहर से मस्जिद तक खड्जा निर्माण पर मजदूरी खारिज कर प्रमाण प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया है रु0 162,300.00 ग्राम पंचायत श्रीमती संगीता ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमारसे वसूली की जायें। (ब) दिनांक- 24.05.2012 को बैंक से 9029/- श्री संजय कुमार द्वारा आहरण है कैशबुक में बिना प्रमाणक के नाली निर्माण (सामग्री + मजदूरी) खडजा से शोएव के घर तक धन खारिज किया गया हैं प्रमाणक न होने से धन अपहरित रहा । रु0 9029/- ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से वसूली की जायें।

प्रस्तर-3	ग्राम पंचायत भोगी पट्टी, विकास क्षेत्र-मुफ्तीगंज कैश बुक में हैण्ड पम्प मरम्मत कर मनमाने तौर पर बिना स्थान और चौहद्दी का अंकन किये और बिना उचित प्रमाण पत्र के व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। रु0 80375.00 ग्राम प्रधान श्री हीरालाल ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज बहादुर पाल से वसूली की जाये।
	ग्राम पंचायत रामपुर विकास क्षेत्र-मुफ्तीगंज, दिनांक 31.01.2013 को रु0 3750.00 प्रधान का मानदेय दिया जाना दर्शाकर व्यय किया गया। धन प्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं रु0 3750.00 ग्राम प्रधान श्री जियालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार से वसूली की जाये।
	ग्राम पंचायत पसेवा विकास क्षेत्र-मुफ्तीगंज, बिना स्थान एवं चौहद्दी का नाली निर्माण कर व्यय दर्शाकर धन का अपहरण लिया गया है। रु0 122,000.00 ग्राम प्रधान राज बहादुर ग्राम पंचायत अधिकारी राज आसरे सिंह से वसूली की जाये।
प्रस्तर-4	ग्राम पंचायत भोगीपट्टी विकास क्षेत्र-मुफ्तीगंज निजामुद्दीन के घर से बउली तक नाली मरम्मत कर रु0 1,96,950.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त की पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक नहीं रखा गया है और नहीं स्टीमेट व एम0बी0 प्रस्तुत किया गया। रु0 196,950.00 ग्राम प्रधान श्री हीरालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज बहादुर से वसूली की जाए।
	ग्राम पंचायत रामपुर विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज दिनांक 30.11.12 को पिच रोड से अनुसूचित जाति बस्ती तक खड़जा मरम्मत मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय, दर्शाया गया है मास्टर रोल पर कार्य की तिथि अंकित नहीं है जिससे व्यय अपुष्ट रहा रु0 100725.00 ग्राम प्रधान जियालाल ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार से वसूली की जाए।
	ग्राम पंचायत मुर्की विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज दिनांक 31.03.2013 को प्रधान द्वारा सीमा से अधिक का नकद शेष रखकर वित्तीय अनियमितता की गई रु0 40184.00 ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार से वसूली की जाए।
	ग्राम पंचायत पसेवा विकास क्षेत्र-मुफ्तीगंज, बिना स्थान चौहद्दी व बिना प्रमाणक के हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय विभिन्न तिथियों में दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, रु0 97600.0 ग्राम प्रधान श्री राज बहादुर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम आसरे सिंह से वसूली की जाए।
	ग्राम पंचायत देवकली विकास क्षेत्र-मुफ्तीगंज विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय दर्शाकर तथा मरम्मत स्थल का अंकन न कर धन का अपहरण किया गया है। रु0 73775.00 ग्राम प्रधान श्री कमलेश यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम आसरे सिंह से वसूली की जाए।
प्रस्तर-5	ग्राम पंचायत रामपुर विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज दिनांक 29.10.12 को पटिया ढलाई हेतु मजदूरी का व्यय रु0 7750.00 दर्शित है। मास्टर रोल पर कार्य की तिथि अंकित नहीं है। इस प्रकार कुल व्यय रु0 16695.00 फर्जी

	दर्शाकर अपहरण किया गया है। रु0 16695.00 ग्राम प्रधान श्री जियालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से वसूली की जाए।
	ग्राम पंचायत देवकली विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज बिना प्रमाण पत्र के सी.ए. को रु0 4000.00 व्यय दर्शाकर धन का अपहरण व अनियमितता की कई है। रु0 4000.00 ग्राम प्रधान श्री कमलेश यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम आसरे सिंह से वसूली की जाए।
प्रस्तर-6	ग्राम पंचायत रामपुर विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज दिनांक 31.01.2013 को बैंक पासबुक से रु0 10000.00 आहरण कर कैशबुक में आय की लेखा न कर धन का अपहरण किया गया है। रु0 10,000.00 ग्राम प्रधान श्री जियालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से वसूली की जाए।
प्रस्तर-7	ग्राम पंचायत रसूलपुर ओझनिया विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज दिनांक 01.04.12 से 14.09.12 तक के तक मध्य रु0 30854.00 के आहरण की धनराशि का कोई लेखा-जोखा न रखकर अपहरण किया गया है। रु0 30854.00 ग्राम प्रधान श्री सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित कुमार से वसूली की जाए।
	ग्राम पंचायत रामपुर विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज पिच रोड से भोगीपट्टी से सरहद तक विभिन्न तिथियों में मजदूरी पर व्यय दर्शाकर कैश खारिज किया गया है परन्तु मास्टर रोल पर तिथि अंकित नहीं न होने से व्यय धनराशि फर्जी है रु0 118530.00 ग्राम प्रधान श्री जियालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से वसूली की जाए।
प्रस्तर-8	महिला काम्प्लेक्स की बनवाई पर कुल 118427.50 का नियमविरुद्ध सामग्री कय कर एवं उक्त मैटीरियल से रु0 26500/- मजदूरी (बनवाई) पर कुल 144927.50 अनियमित तरीके से भुगतान कर अनियमितता बरती गयी है उक्त से सम्बन्धित स्टीमेट यम0की0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं रखा गया हैं। ग्राम प्रधान एवं उक्त समय कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से वसूली की जाए।
	ग्राम पंचायत रामपुर विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज दिनांक 31.03.13 को प्रधान द्वारा सीमा से अधिक अन्तिम रोकड़ शेष रु0 38885.00 रोककर धन का दुरुपयोग किया गया है । 38885.00 ग्राम प्रधान श्री जियालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार से वसूली की जाए।
प्रस्तर-9	ग्राम पंचायत रामपुर विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री व्यय पर कुल रु0 16371.00 व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि में हैण्ड पम्प स्थल का अंकन न होने से व्यय फर्जी है। रु0 16371.00 ग्राम प्रधान श्री जियालाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित कुमार से वसूली की जाए।

जनपद— गाजीपुर

सम्भाग का नाम— वाराणसी

आपत्तियाँ

प्रस्तर—1ग्रामसभा—मधुबनविकास खण्ड— मनिहारीजनपद—गाजीपुर

ग्रामसभा मधुबन में वित्तीय वर्ष 10—11 में मनरेगा कोषवही के अनुसार 13—04—10 से 10—09—10 के बीच कुल रु0 706570.50 व्यय करना दर्शित है, व्यय की पुष्टि में क्रय से सम्बन्धित मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल कार्य से सम्बन्धित पत्रावलिया, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र, एम0बी0, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक पंजी आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अपुष्टित व अप्रमाणित होने की स्थिति में यह गम्भीर, वित्तीय अनियमितता का प्रमाण है। विस्तृत विवरण आपत्ति पत्र में अंकित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0—7 मनरेगा

प्रस्तर—1ग्रामसभा—ताड़ीघाटविकास खण्ड— रेवतीपुरजनपद—गाजीपुर

ग्रामसभा ताड़ीघाट में वित्तीय वर्ष 11—12 में मनरेगा अन्तर्गत विभिन्न चेको के माध्यम से 119200.00 बैंक से आहरित (बैंक द्वारा डेविट) परन्तु कैशबुक में आय दर्शित नहीं है, जो गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। विस्तृत विवरण आपत्ति पत्र में अंकित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0—12

प्रस्तर—1ग्रामसभा—असांवविकास खण्ड— रेवतीपुरजनपद—गाजीपुर

ग्रामसभा असांव में वित्तीय वर्ष 08—09 में प्रमाणक सं0 8/28—07—08 द्वारा चार हैण्डपम्पों का अंशदान रु0 12000.00 यू0पी0 इण्डस्ट्रीज पीरनगर गाजीपुर को भुगतान दर्शित है। अंशदान 4 लाभार्थियों से रु0 3000/— की दर से प्राप्त किया गया है। मूल प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। रु0 12000/— आय कैशबुक में दर्शित नहीं है। इस प्रकार रु0 12000— का अपहरण किया

गया है। अंशदान का विवरण आपत्ति पत्र में अंकित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-7

प्रस्तर-1

ग्रामसभा-कंसहरी

विकास खण्ड- मरदह

जनपद-गाजीपुर

ग्रामसभा कंसहरी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में मनरेगा खाता से विभिन्न तिथियों में स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउण्ट के आधार पर रू0 390,214.00 का आहरण किया गया है। इससे सम्बन्धित पत्रावली अभिलेख कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त में फोटोग्राफी स्वीकृत इस्टीमेट, एवं मापन पुस्तिका एडवाइज सत्यापन रिपोर्ट, कोषवही, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-8

प्रस्तर-2

ग्रामसभा-कंसहरी

विकास खण्ड- मरदह

जनपद-गाजीपुर

ग्रामसभा कंसहरी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त/13वाँ वित्त कैशबुक पर दिनांक- 21-01-2013 का प्रमाणक से 17 से 1000 ईट मूल्य 5000/- दर्शित करते हुए कोषवही से खारिज है। क्रय की पुष्टि में सादे कागज पर तैयार प्रमाणक संलग्न है जिस पर ईट भट्ठे का नाम, दिनांक, टिन ने आदि अंकित नहीं है। इस प्रकार धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-15

प्रस्तर-3

ग्रामसभा-कंसहरी

विकास खण्ड- मरदह

जनपद-गाजीपुर

ग्रामसभा कंसहरी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक- 07-02-13 को प्रमाणक सं0-20 द्वारा 2000/- नग ईट रूपया 10,000/- का भुगतान दर्शित करते हुए कैशबुक से खारिज है। क्रय की पुष्टि में सादे कागज पर तैयार प्रमाणक संलग्न है जिस पर ईट भट्ठे का नाम,

दिनांक, टिन में आदि अंकित नहीं है। इस प्रकार धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-16

प्रस्तर-4

ग्रामसभा-कंसहरी

विकास खण्ड- मरदह

जनपद-गाजीपुर

ग्रामसभा कंसहरी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न तिथियों में राज्य वित्त 13वॉ का वित्त कोषवही में फर्जी मस्टररोल लगाकर कोषवही में रु0 42625.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मस्टररोल पर न तो श्रमिकों के नाम व हस्ताक्षर, नाम पता तथा अंगूठे के निशान पाये गये और न ही प्रधान/सचिव व निर्माण कार्य समिति द्वारा ही प्रमाणित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-17

प्रस्तर-1

ग्रामसभा-चिलार

विकास खण्ड- देवकली

जनपद-गाजीपुर

ग्रामसभा चिलार में वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 347505.00 मनरेगा खाते से धन आहरण कर व्यय किया गया है, व्यय की पुष्टि में कैशबुक, बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणक पत्र, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन व कार्य माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। फलतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। विस्तृता विवरण आपत्ति पत्र में अंकित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-2(क),(ख) 15

प्रस्तर-2

ग्रामसभा-चिलार

विकास खण्ड- देवकली

जनपद-गाजीपुर

ग्रामसभा चिलार में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में ग्राम निधि प्रथम खाते से क्रमशः रु0 332840.00, 314000.00, 100000.00 कुल 746840.00 आहरण किया गया है। व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख, बाउचर स्वीकृत आकलन, कार्य माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजी नहीं प्रस्तुत किया गया। फलतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। विस्तृत विवरण आपत्ति पत्र में अंकित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-2(ख),(ग) 11

प्रस्तर-1ग्रामसभा-सिसौड़ाविकास क्षेत्र- करण्डाजनपद-गाजीपुर

ग्रामसभा सिसौड़ा की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कैशबुक से अमर देव पत्र के घर से पीच रोड तक मिट्टी कार्य पर 0 101625.00 श्रमांश तथा रू0 7152.00 ह्यूम पाईप क्रय मद में व्यय दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में एम0बी0, प्रमाणक, मस्टररोल, संस्तुति पत्र कार्य कम्पिलेशन रिपोर्ट, एम0आई0सी0 की प्रति लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। फलतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-21

प्रस्तर-1ग्रामसभा-बहादुरपुरविकास क्षेत्र- मुहम्मदाबादजनपद-गाजीपुर

ग्रामसभा बहादुरपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में नरेगा योजना अन्तर्गत वासुदेव के खेत से छोटे लाल के घर तक सम्पर्क मार्ग पर इस्टीमेट में दर्शित मानक से अधिक मानक (3 लीड अधिक) दर्शित करते हुए एम0बी0 किया गया है इस प्रकार रू0 24696.00का अधिक अनियमितता भुगतान किया गया है। विस्तृत विवरण आपत्ति पत्र में अंकित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-9

प्रस्तर-2ग्रामसभा-बहादुरपुरविकास क्षेत्र- मुहम्मदाबादजनपद-गाजीपुर

ग्रामसभा बहादुरपुर में वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में रू0 310,000.00 का व्यय विभिन्न कार्यों पर दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मापन पुस्तिका सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये गये। फलतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-18

प्रस्तर-1ग्रामसभा—केशवपुरविकास क्षेत्र— मुहम्मदाबादजनपद—गाजीपुर

ग्रामसभा केशवपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में बैंक से आहरित धनराशि दिनांक— 02-09-2011 को चेक सं०— 528790 द्वारा रु० 100000/- का अंकन बैशबुक में नहीं कर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ०सं०-16

प्रस्तर-2ग्रामसभा—केशवपुरविकास क्षेत्र— मुहम्मदाबादजनपद—गाजीपुर

ग्रामसभा केशवपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में रु० 779015.00 विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण सत्यापन रिपोर्ट, मापन पुस्तिका आदि अनुपलब्ध रहा फलतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। विस्तृत विवरण आपत्ति पत्र में अंकित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ०सं०-17

प्रस्तर-3ग्रामसभा—केशवपुरविकास क्षेत्र— मुहम्मदाबादजनपद—गाजीपुर

ग्रामसभा केशवपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु० 939044.00 विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों पर व्यय दर्शित है। व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र मापन पुस्तिका, सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः व्यय अपुष्ट रहा। विस्तृत विवरण आपत्ति पत्र में अंकित है। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।

आ०सं०-19

जनपद का नाम – मीरजापुर

मण्डल का नाम – विन्ध्याचल

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:

प्रस्तर सख्या –1

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	मटिहरा	हलिया	निर्माण मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामाग्री क्रय प्रमाणक मजदूरी भुगतान रोल अन्य अभिलेख जाचें में प्रस्तुत न किया जाना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है	श्री मनीराम—ग्राम प्रधान, श्री रामजी गुप्ता—ग्राम पंचायत अधिकारी	857641.00
2	खुटहॉ	हलिया	निर्माण मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामाग्री क्रय प्रमाणक मजदूरी भुगतान रोल अन्य अभिलेख एव कैष बुक जाचें में प्रस्तुत न किया जाना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री बावन दास—ग्राम प्रधान, विश्वेश सिंह— ग्राम विकास अधिकारी	238246.00
3	भैसोड बलाय पहाड	हलिया	प्रमाणक विहिन व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण	श्री शिव प्रसाद गुप्ता—पूर्व ग्राम प्रधान, श्री विध्यवासिनी—ग्राम विकास अधिकारी	343858.00
4	सिकटा	हलिया	कोश रजिस्टर ,व्यय प्रमाणक एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख का न होना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी	श्री अर्जुन—ग्राम प्रधान, श्री विजय पाल	1131445.00

			अपेक्षित है।	मिश्रा— ग्राम विकास अधिकारी	
5	सहजी	हलिया	फर्जी मस्टर रोल ,व्यय प्रमाणक पर व्यय दर्शित कर अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री लोलारख—ग्राम प्रधान, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव— ग्राम विकास अधिकारी	279164.00
6	वेलाही	हलिया	प्रमाणक विहिन व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती चर्माख्या—ग्राम प्रधान, श्री विजय पाल—ग्राम विकास अधिकारी	571047.00
7	कोटार	हलिया	कोश रजिस्टर ,व्यय प्रमाणक एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख का न होना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री मुरली धर—ग्राम प्रधान, श्री विजय पाल— ग्राम विकास अधिकारी	1142748.00
8	खुटहा मौनस	सीटी	व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती नीलम सिंह—ग्राम प्रधान, श्री शेष नारायण सिंह— ग्राम पंचायत अधिकारी	223850.00
9	मिश्रधाप	कोन	व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्य रजिस्टर आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली	श्री लालमन गुप्ता—ग्राम प्रधान, श्री अक्षैबर यादव/अमेरश	59580.00

			की जानी अपेक्षित है।	— ग्राम पंचायत अधिकारी	
10	भाईपुर कला	जमालपुर	निर्माण मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामाग्री क्रय प्रमाणक मजदूरी भुगतान रोल जाचें में प्रस्तुत न किया जाना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती राजरती देवी—ग्राम प्रधान, श्री अजय मिश्रा व श्री राम नरेश—ग्राम पंचायत अधिकारी	431425.00
11	करेरुआ	कोन	व्यय प्रमाण अप्राप्त रहना। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री बिसुन लाल—ग्राम प्रधान, श्री कालिका प्रसाद / विजय प्रताप— ग्राम पंचायत अधिकारी	54000.00
12	गौरही	नरायणपुर	तलाब निलामी की धनराशि प्रधान द्वारा अपने पास रोक कर व्याज की हानि। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री लल्लू —ग्राम प्रधान, श्री राकेश कुमार सिंह—ग्राम पंचायत अधिकारी	15328.00
			योग		5348332.00

जनपद का नाम — मीरजापुर

मण्डल का नाम — विन्ध्याचल

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर सख्या -2

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	मटिहरा	हलिया	कोष रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख का न होना। उत्तरदायी व्यक्तियों से	श्री मनीराम—ग्राम प्रधान,	792000.00

			वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री रामजी गुप्ता— ग्राम पंचायत अधिकारी	
2	खुटहा	हलिया	आहरित धनराशि कोषवही में न दर्शाकर अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री बावन दास—ग्राम प्रधान, श्री विश्वेश सिंह— ग्राम विकास अधिकारी	283000.00
3	सिकटा	हलिया	प्रमाणक विहिन व्यय एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख का न होना। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री अर्जुन—ग्राम प्रधान, श्री विजय पाल मिश्रा— ग्राम पंचायत अधिकारी	373250.00
4	सहजी	हलिया	आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु कोष रजिस्टर व्यय प्रमाणक का न होना। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री लोलारख— ग्राम प्रधान, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव— ग्राम पंचायत अधिकारी	321976.00
			योग		1770226.00

प्रस्तर सख्या -3

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	सिकटा	हलिया	कोष रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख का न होना।	श्रीमती गुलाब कली—ग्राम	300000.00

			उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	प्रधान, श्री विजय पाल मिश्रा— ग्राम विकास अधिकारी	
2	कोटार	हलिया	प्रमाणक विहिन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री मुरलीधर— ग्राम प्रधान, श्री विजय पाल मिश्रा— ग्राम विकास अधिकारी	443500.00
3	सहजी	हलिया	फर्जीमस्टर रोज व्यय प्रमाणक पर व्यय दर्शित कर धन का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री लोलारख— ग्राम प्रधान, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं शंकर पटेल— ग्राम विकास अधिकारी	410767.00
योग					1154267.00

प्रस्तर सख्या -4

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	सिकटा	हलिया	प्रमाणक विहिन व्यय एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख का न होना। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती गुलाब कली—ग्राम प्रधान, श्री विजय पाल मिश्रा— ग्राम	1890044.00

				विकास अधिकारी, श्री तेज राम सिंह- ग्राम पंचायत अधिकारी	
			योग		1890044.00

प्रस्तर सख्या -5

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	रामापुर	मझवा	बैंक से धन निकाल कर कोष वही में न दर्शित कर धन का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती सीता देवी-ग्राम प्रधान, श्री नामेवर सिंह- ग्राम विकास अधिकारी	20000.00
			योग		20000.00

प्रस्तर सख्या -6

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	रामापुर	मझवाँ	पौध कय पर कोषवही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती सीता देवी-ग्राम प्रधान, श्री राजेन्द्र प्रसाद - ग्राम विकास अधिकारी	7000.00
			योग		7000.00

प्रस्तर सख्या -7

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	रामापुर	मझवाँ	मसान्त के रोकड अवशेष को अगले माह में प्रारम्भिक अवशेष न पकड कर धनराशि का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती सीता देवी-ग्राम प्रधान, श्री राजेन्द्र प्रसाद – ग्राम विकास अधिकारी	20.00
योग					20.00

प्रस्तर सख्या -8

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	रामापुर	मझवाँ	गत वर्ष के अन्तिम नकद अवशेष को आलोच्य वर्ष में न पकड कर धनराशि का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती सीता देवी-ग्राम प्रधान, श्री राजेन्द्र प्रसाद – ग्राम विकास अधिकारी	5.00
योग					5.00

प्रस्तर सख्या -9

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	रामापुर	मझवाँ	हैण्डपम्प सामग्री खरीद पर अवास्तविक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती सीता देवी-ग्राम प्रधान, श्री राजेन्द्र प्रसाद – ग्राम विकास अधिकारी	192400.00
योग					192400.00

प्रस्तर सख्या -10

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	रामपुर	मझवॉ	शौचालय हेतु शासन से प्राप्त धनराशि से अधिक धनराशि व्यय कर धन का दुरुपयोग। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती सीता देवी-ग्राम प्रधान, श्री राजेन्द्र प्रसाद - ग्राम विकास अधिकारी	401490.00
2	मलुआ	पहेहरा कला	पुलिया निर्माण हेतु सामग्री क्रय परन्तु व्यय निर्माण अपुष्टित। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री सत्येन्द्र सिंह ग्राम प्रधान, श्री सुरेन्द्र कुमार - ग्राम पंचायत अधिकारी	45000.00
			योग		446490.00

प्रस्तर सख्या -11

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	रामपुर अतरी	पटेहरा कला	गत वर्ष के शेष (नकद,+वैक)को वर्ष आलोच्य के प्रारम्भिक शेष में न दर्शाकर धन का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती कल्लेश्वरी देवी-ग्राम प्रधान, श्री श्यामाकान्त दुबे - ग्राम पंचायत अधिकारी	833815.00
2	बजहा	मझवॉ	फर्जी रसीद के आधार पर धन का दुरुपयोग उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री योगेन्द्र सिंह यादव-ग्राम प्रधान, श्री विजय बहादुर उपाध्याय - ग्राम पंचायत अधिकारी	189000.00
			योग		1022815.00

प्रस्तर सख्या -12

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	बजहा	मझवाँ	काल्पनिक व्यय दर्शाकर फर्जी मस्टर रोल के आधार पर धन का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री योगेन्द्र सिंह यादव-ग्राम प्रधान, श्री विजय बहादुर उपाध्याय – ग्राम पंचायत अधिकारी	1625.00
			योग		1625.00

प्रस्तर सख्या -13

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	जमुई	पटेहराकला	मानदेय आहरण की पुष्टि में प्रमाणक एवं पंजिका अप्राप्त। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती आशा देवी-ग्राम प्रधान, श्री सुरेन्द्र कुमार – ग्राम पंचायत अधिकारी	21000.00
			योग		21000.00

प्रस्तर सख्या -14

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	भुडकुडा	नरायणपुर	ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से धनराशि आहरित कर प्रधान द्वारा निजी खाते में डालकर धन का अपहरण। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्री चन्द्रमणि सिंह- ग्राम प्रधान, श्री राजाराम उपाध्याय – ग्राम पंचायत अधिकारी	190000.00
			योग		190000.00

प्रस्तर संख्या -15

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	जमुई	पटेहराकला	सबमर्सिबुल वाटर टैंक की स्थापना पर हुये व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती आशा देवी-ग्राम प्रधान, श्री सुरेन्द्र कुमार - ग्राम पंचायत अधिकारी	50000.00
			योग		50000.00

प्रस्तर संख्या -22

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	धनराशि
1	बढौली	सीटी	वर्ष 2011-12 में प्रमाणक विहिन व्यय दर्शाकर व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जानी अपेक्षित है।	श्रीमती श्यामा देवी ग्राम प्रधान, श्री विनोद कुमार - तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी	249425.00
			योग		249425.00

जनपद का नाम - सोनभद्र

मण्डल का नाम- विन्ध्याचल

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ :-

प्रस्तर संख्या -1

--

प्रस्तर संख्या -2

(I) नाम ग्राम पंचायत- बिजवार विकास खण्ड- नगवा
मनरेगा खाते में रु0 1003895.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना

धनराशि रु0 1003895.00

उत्तरदायी व्यक्ति
प्रधान-संगीता देवी
सचिव- राजेश यादव
(अनियमितता)

(II) नाम ग्राम पंचायत- गोटीबौघ विकास खण्ड- नगवा
मनरेगा खाते में रु0 1783556.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना

धनराशि रु0 1783556.00

प्रधान-राम सूरत
सचिव-राजेश यादव
(अनियमितता)

(III) नाम ग्राम पंचायत- दरेंव विकास खण्ड- नगवा
मनरेगा खाते में रु0 936235.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना

धनराशि रु0 936235.00

प्रधान-मंगल
सचिव-राजेश यादव
(अनियमितता)

- (iv) नाम ग्राम पंचायत—पनिकप खुर्द विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 332405.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना
धनराशि रु0 332405.00
प्रधान—रामयाद
सचिव—कमलानाथ
(अनियमितता)
- (v) नाम ग्राम पंचायत—पनिकप कला विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 946889.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना
धनराशि रु0 946889.00
प्रधान—अनूप सिंह
सचिव—राजेश्वर यादव
(अनियमितता)
- (vi) नाम ग्राम पंचायत— बनबहुआर विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 1084664.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना
धनराशि रु0 1084664.00
प्रधान—अंजू यादव
सचिव— राजेश्वर यादव
(अनियमितता)
- (vii) नाम ग्राम पंचायत— कम्हरिया विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 447970.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना
धनराशि रु0 447970.00
प्रधान—देशवन्ती देवी
सचिव—राजेश्वर यादव
(अनियमितता)
- (viii) नाम ग्राम पंचायत— चकरिया विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 1897701.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत
प्रदत्त रोजगार संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण
की पुष्टि न कराया जाना
धनराशि रु0 1897701.00
प्रधान—सुनैना देवी
सचिव—अजय सिंह
(अनियमितता)
- (IX) नाम ग्राम पंचायत— ढोसरा विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 2849010.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना
धनराशि रु0 2849010.00
प्रधान—राज जतन
सचिव—अजय सिंह
(अनियमितता)
- (X) नाम ग्राम पंचायत— चननी विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 1153470.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना
धनराशि रु0 1153470.00
प्रधान—इन्द्रदेव नारायण
सचिव—अजय सिंह
- (XI) नाम ग्राम पंचायत— तेनुआ विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 1261753.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना
धनराशि रु0 1261753.00
प्रधान—श्रीमती गंगी
सचिव—विजय बहादुर
(अनियमितता)
- (XII) नाम ग्राम पंचायत— खोडैला विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 2115050.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना
धनराशि रु0 2115050.00
प्रधान—निर्मला
सचिव—विजय बहादुर
(अनियमितता)
- (XIII) नाम ग्राम पंचायत— देवरी मय देवरा विकास खण्ड— नगवा
मनरेगा खाते मे रु0 3498285.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना
प्रधान—गीता
सचिव—सिद्धनाथ देव पाण्डेय

	धनराशि रु0 3498285.00	(अनियमितता)
(XIV) नाम ग्राम पंचायत— पनौरा	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 2520283.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—नगमा
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—सिद्धनाथ देव पाण्डेय
	धनराशि रु0 2520283.00	(अनियमितता)
(XV) नाम ग्राम पंचायत— पिण्डारी	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 1622984.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—छोटेलाल
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—अजय सिंह
	धनराशि रु0 1622984.00	(अनियमितता)
(XVI) नाम ग्राम पंचायत— पटवघ	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 1354437.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—राम सूरत
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—अरुण कुमार वर्मा
	धनराशि रु0 1354437.00	(अनियमितता)
(XVII) नाम ग्राम पंचायत— पड़री	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 1361357.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—रमाशंकर
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—अरुण कुमार वर्मा
	धनराशि रु0 1361357.00	(अनियमितता)
(XVIII) नाम ग्राम पंचायत— नगांव	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 479589.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—राम लखन यादव
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—गोरखनाथ सिंह
	धनराशि रु0 479589.00	(अनियमितता)
(XIX) नाम ग्राम पंचायत— सुअरसोत खुर्द	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 2505630.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—गीता कुमारी
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—सिद्धनाथ देव पाण्डेय
	धनराशि रु0 2505630.00	(अनियमितता)
(XX) नाम ग्राम पंचायत— चरगड़ा	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 2299120.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—मो0 युसुफ
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—गोरखनाथ सिंह
	धनराशि रु0 2299120.00	(अनियमितता)
(XXI) नाम ग्राम पंचायत— रायपुर	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 527720.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—सुरेन्द्र बहादुर
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—गोरखनाथ सिंह
	धनराशि रु0 527720.00	(अनियमितता)
(XXII) नाम ग्राम पंचायत— केवटम	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 14000355.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—सुरेश
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—अरुण कुमार सिंह
	धनराशि रु0 14000355.00	(अनियमितता)
(XXIII) नाम ग्राम पंचायत— मउकला	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु0 1062893.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—दशरथ
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—अरुण कुमार सिंह

	धनराशि रु 1062893.00	(अनियमितता)
(XXIV) नाम ग्राम पंचायत— मरकुडी	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु 1537821.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—राम कुमार
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—अरुण कुमार सिंह
	धनराशि रु 1537821.00	(अनियमितता)
(XXV) नाम ग्राम पंचायत— चेरुई	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु 1773059.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—लक्ष्मी देवी
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—अरुण कुमार सिंह
	धनराशि रु 1773059.00	(अनियमितता)
(XXVI) नाम ग्राम पंचायत— मकरीबारी	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु 1886422.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—राम मूरत
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—अरुण कुमार सिंह
	धनराशि रु 1886422.00	(अनियमितता)
(XXVII) नाम ग्राम पंचायत— नन्दना	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे रु 701692.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार		प्रधान—बिदुली
संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की पुष्टि न कराया जाना		सचिव—अरुण कुमार सिंह
	धनराशि रु 701692.00	(अनियमितता)
(XXVIII) नाम ग्राम पंचायत— बरहमोरी	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे कोषबही में रु 2627263.00 दर्शित व्यय के अंतर्गत कय सामग्री		प्रधान—राज कुमार
प्रमाणक प्रदत्त रोजगार संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण की		सचिव—अजय सिंह
पुष्टि न कराया जाना		(अनियमितता)
	धनराशि रु 2627263.00	
(XXIX) नाम ग्राम पंचायत— पल्हारी	विकास खण्ड— नगवा	
मनरेगा खाते मे कोषबही में रु 1975338.00 दर्शित व्यय के		प्रधान—प्रभावती
अंतर्गत प्रदत्त रोजगार संबंधी दिवसवार/श्रमिकवार विवरण		सचिव— अजय सिंह
की पुष्टि न कराया जाना		(अपहरण)
	धनराशि रु 1975338.00	
प्रस्तर संख्या —3 (1) नाम ग्राम पंचायत— बजिया	विकास खण्ड— बभनी	
दर्शित प्रशासनिक व्यय रु 2880.00 की पुष्टि मे प्रस्तुत प्रमाणक निर्धारित		प्रधान—राम चन्द्र
प्रारूप पर न होने से दर्शित भुगतान संदिग्ध होना		सचिव—राम लाल/प्रमोद/राजेश
	धनराशि रु 2880.00	(अपहरण)
प्रस्तर संख्या —4 नाम ग्राम पंचायत— सलैयाडीह	विकास खण्ड— दुद्धी	
नाली सफाई मे दर्शित व्यय की पुष्टि मे संबंधित इस्टीमेट, एम, बी, एवं		प्रधान— सरस्वती देवी
कोटेशन उपलब्ध न कराया जाना		सचिव— संजय यादव
	धनराशि रु 012500.00	(अनियमितता)
प्रस्तर संख्या —5 नाम ग्राम पंचायत— गोहड़ा	विकास खण्ड— बभनी	

मनरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के खाते में समय से मजदूरी की घनराशि अन्तरित न कराकर भुगतान में बिलम्ब किया जाना

धनराशि रु0 4320.00

प्रधान— चिंतामणि यादव
सचिव— रामलाला संतोषी
(अनियमितता)

प्रस्तर संख्या -6 नाम ग्राम पंचायत— घघरी

विकास खण्ड— बभनी

कोषबही में टेण्डर प्रकाशन संबंधी व्यय दर्शाकर पुष्टि में निर्धारित प्रारूप पर वांछित प्रमाणक उपलब्ध न कराया जाना
धनराशि रु0 14773.00

प्रधान— फुलेश्वरी सिंह
सचिव— भेरश्याम सिंह/पबन सिंह
(अनियमितता)

प्रस्तर संख्या -7 (I) नाम ग्राम पंचायत— मारकुण्डी

विकास खण्ड— रावर्टसगंज

वर्ष 10-11 के वर्षान्त में खाता संख्या 1925 इलाहाबाद बैंक शाखा गुर्मा में दर्शित जमा घन रु0 37402.00 को वर्ष 11-12 व 12-13 के अभिलेखों में अंकित न कर अपहरण किया जाना

धनराशि रु0 37402.00

प्रधान—रामगति
सचिव—विपिन कुमार सिंह
(अपहरण)

(II) नाम ग्राम पंचायत— कम्हारडीह

विकास खण्ड— रावर्टसगंज

कोषबही में दिनांक 31.03.11 का अंतिम शेष रु0 85585.00 दर्शित है। दिनांक 01.04.12 को कोषबही में प्रारंभिक शेष रु0 73721.00 ही अंकित किया गया है। इस प्रकार रु0 11864.00 कोषबही में आय कम दर्शाकर घन का अपहरण किया गया है।

धनराशि रु0 11864.00

प्रधान—विनोद
सचिव—ब्रजेश सिंह
(अपहरण)

सम्पूर्ण योग धनराशि :- 57630585.00

जनपद का नाम—भदोही

मण्डल का नाम—विन्ध्याचल

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं0 1:-

- 1— ग्राम पंचायत अबरना, विकास खण्ड सुरियावाँ में वर्ष 2012-13 में हयम पाइप लगवाने पर व्यय रु0 28080.00 किया गया है जिससे सम्बन्धित फर्जी प्रमाणक लगाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-3)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्रीमती बलिराजी देवी—प्रधान

श्री दीनानाथ मौर्या— ग्राम पंचायत अधिकारी

- 2— ग्राम पंचायत अबरना, विकास खण्ड सुरियावाँ में वर्ष 2012-13 में खड़न्जा मरम्मत पर व्यय रु0 101825.00 किया गया है जिससे सम्बन्धित फर्जी प्रमाणक लगाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-4)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्रीमती बलिराजी देवी—प्रधान

श्री दीनानाथ मौर्या— ग्राम पंचायत अधिकारी

- 3— ग्राम पंचायत साड़ा, विकास खण्ड सुरियावाँ में वर्ष 2012-13 में हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय रू0 76475.00 दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-3)
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री अरविन्द मौर्या—प्रधान
श्री दीनानाथ मौर्या— ग्राम पंचायत अधिकारी
- 4— ग्राम पंचायत अर्जुनपुर, विकास खण्ड सुरियावाँ में वर्ष 2012-13 में ईट क्रय रू0 50000.00 का किया गया है क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। (आ0सं0-5)
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री लाल चन्द्र यादव—प्रधान
श्री कैलाश नाथ — ग्राम पंचायत अधिकारी
- 5— ग्राम पंचायत बहुता चकडाही, विकास खण्ड सुरियावाँ में वर्ष 2012-13 में ह्यम पाइप पर व्यय रू0 33300.00 किया गया है जिससे सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। (आ0सं0-7)
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्रीमती नन्हकी देवी—प्रधान
श्री ओमकार जी श्रेष्ठ— ग्राम पंचायत अधिकारी

प्रस्तर सं0 2:—

- 1— ग्राम पंचायत बिसौली कृपालपुर, विकास खण्ड अभोली दिनांक 31-03-2013 को कोष बही प्रथम में रू0 3752.00 मनरेगा में रू0 234505.00 अवशेष रहा जो नियमानुसार दिनांक 31-03-2013 तक खर्च हो जाना चाहिए। अवशेष धनराशि को वापस न कर अनियमितता । (आ0सं0-8)
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री गुलाब धर तिवारी—प्रधान
श्री प्रियंका — ग्राम पंचायत अधिकारी

(2)

- 2— ग्राम पंचायत कनकपुर, विकास खण्ड अभोली दिनांक 31-03-2013 को कोष बही प्रथम में रू0 7426.00 एवं मनरेगा खाता में रू0 315415.00 अवशेष रहा जो नियमानुसार दिनांक 31-03-2013 तक खर्च हो जाना चाहिए। अवशेष धनराशि को वापस न कर अनियमितता । (आ0सं0-8)
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री विधि नारायण सिंह—प्रधान
श्री अरुण कुमार— ग्राम पंचायत अधिकारी

- 3— ग्राम पंचायत जगतपुर, विकास खण्ड अभोली दिनांक 31-03-2013 को कोष बही प्रथम में रू0 157087.00 एवं मनरेगा खाता में रू0 11017.00 अवशेष रहा जो नियमानुसार दिनांक 31-03-2013 तक खर्च हो जाना चाहिए। अवशेष धनराशि को वापस न कर अनियमितता । (आ0सं0-8)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री सीता देवी—प्रधान
श्री अरुण कुमार— ग्राम विकास अधिकारी

प्रस्तर सं0 3:—

- 1— ग्राम पंचायत ठेगीपुर, विकास खण्ड औराई वर्ष 2012-13 में भुगतान रू0 124352.00 फर्जी प्रमाणक लगाकर किया गया है। (आ0सं0-2)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री सुरेश कुमार—प्रधान
श्री रवीन्द्र नाथ— ग्राम पंचायत अधिकारी

- 2— ग्राम पंचायत परानापुर, विकास खण्ड औराई वर्ष 2012-13 में व्यय रू0 13395.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। (आ0सं0-3)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्रीमती आरती मिश्रा—प्रधान
श्री रवीन्द्र नाथ — ग्राम पंचायत अधिकारी

- 3— ग्राम पंचायत सारीपुर, विकास खण्ड औराई मार्च 2013 के व्यय पक्ष का योग अधिक करके रोकड़ रूपया 6250.00 का अपहरण। (आ0सं0-4)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री शिव शंकर—प्रधान
श्री रजन यादव— ग्राम विकास अधिकारी

- 4— ग्राम पंचायत चकमसूद, विकास खण्ड औराई में दिनांक 21-04-12 को रू0 5000.00, दिनांक 29-06-12 को रू0 7500.00 दिनांक 02-07-2012 रू0 14000.00 दिनांक 05-07-2012 रू0 3000.00 कुल रूपया 29500.00 बैंक का आहरित किया गया है किन्तु कोष बही में लेखा नहीं किया गया है। (आ0सं0-5)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री इसरार अहमद—प्रधान
श्री पारसनाथ— ग्राम पंचायत अधिकारी

प्रस्तर सं० 4:—

- 1— ग्राम पंचायत गणेशरायपुर, विकास खण्ड ज्ञानपुर वर्ष 2012-13 में बैंक से रुपया 392083.00 आहरित किया गया है जिससे सम्बन्धित कैशबुक अनुपलब्ध रहा। (आ०सं०-3)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री अशोक कुमार—प्रधान
श्री गणेश राय— ग्राम पंचायत अधिकारी

(3)

- 2— ग्राम पंचायत कठौता, विकास खण्ड ज्ञानपुर वर्ष 2012-13 में बैंक से रुपया 304340.00 आहरित किया गया है जिससे सम्बन्धित कैशबुक अनुपलब्ध रहा। (आ०सं०-5)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री धर मिश्रा—प्रधान
श्री राधेश्याम — ग्राम पंचायत अधिकारी

प्रस्तर सं० 5:—

- 1— ग्राम पंचायत कवलापुर, विकास खण्ड डीघ वर्ष 2012-13 में भुगतान रू० 641188.00 का किया गया जिससे सम्बन्धित कोई प्रमाणक सुलभ नहीं हुआ। (आ०सं०-2)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री निवास चतुर्वेदी—प्रधान
श्री गुलाब सरोज — ग्राम पंचायत अधिकारी

प्रस्तर सं० 6:—

- 1— ग्राम पंचायत बरवाँ खास, विकास खण्ड भदोही दिनांक 31-03-2013 को ग्राम निधि प्रथम खाता में रू० 533059.00 एवं मनरेगा खाता में रू० 107475.00 अवशेष दर्शित है। नियमानुसार दिनांक 31-03-2013 तक खर्च हो जाना चाहिए। अवशेष धनराशि को वापस न कर अनियमितता।
- 2— ग्राम पंचायत रैमलपुर, विकास खण्ड भदोही दिनांक 31-03-2013 को ग्राम निधि प्रथम खाता में रू० 10710.00 एवं मनरेगा खाता में रू० 20516.00 अवशेष दर्शित है। नियमानुसार दिनांक 31-03-2013 तक खर्च हो जाना चाहिए। अवशेष धनराशि को वापस न कर अनियमितता।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम— श्री अच्छे लाल मौर्य—प्रधान
श्री पुरेन्दू — ग्राम पंचायत अधिकारी

जनपद— बरेली
बरेली

मण्डल—

क्रम	जनपद	वि०खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प० वर्ष	सा०आ० संख्या	आपत्ति का विवरण
1	बरेली	नवाबगंज	धौरेरा	12—13	02	दिनांक 03.7.12 को नन्हें लाल सागर के नाम 10000.00 का बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक (222779) जारी किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं पाई गई। इस प्रकार 10000.00 का अपहरण सचिव/प्रधान द्वारा किया गया जिसकी वसूली अपेक्षित है।
2					03	दिनांक 04.7.12 को 10000.00 का बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, नवाबगंज का चेक (222775) आहरित किया गया है। यह चेक किसके द्वारा जारी किया गया स्पष्ट नहीं है। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं पाई गई। इस प्रकार 10000.00 का अपहरण सचिव/प्रधान द्वारा किया गया। जिसकी वसूली अपेक्षित है।
3					04	दिनांक 05.7.12 को 15000.00 का बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, नवाबगंज का चेक (222780) हसनी ब्रिक फील्ड के नाम जारी किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं पाई गई। इस प्रकार 15000.00 का अपहरण सचिव/प्रधान द्वारा किया गया। जिसकी वसूली अपेक्षित है।
4	बरेली	नवाबगंज	बिथरी	12—13	10	माह फरवरी '13 में विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि 64735.00 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नवाबगंज (खाता सं—00760100006641) से आहरित किये गये। परन्तु इन आहरित किये गये धनराशियों की प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की गई, और न ही इनके व्यय के रूप में व्यय प्रमाणक पाये गये। अतः उक्त धनराशि 64735.00 का अपहरण ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा किया गया। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्रम	जनपद	वि०खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प० वर्ष	सा०आ० संख्या	आपत्ति का विवरण			
5	बरेली	नवाबगंज	पनुआ	12-13	09	निम्न विवरणानुसार ग्राम निधि (खाता संख्या-000760100006708)बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा,नवाबगंज से धनराशि निकाली गई। परन्तु इसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं पाई गई,और न ही व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया। जांचोपरान्त उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।			
						क्रम	चेक संख्या/दिनांक	निकाली गई धनराशि	जिसके नाम चेक जारी किया गया।
						1	09/7.11.12	10000.00	वीरपाल सिंह
						2	08/8.11.12	3000.00	स्वयं
						3	07,04/9.11.12	10000. ,10000.	दालचन्द
						4	06/20.11.12	10000.00	दालचन्द
						5	21/25.2.13	20000.00	शिव ब्रिक फील्ड
						6	19/23.3.13	12800.00	भारत इन्टरप्राइजेज
							योग-	75800.00	
6	बरेली	नवाबगंज	पीताम्बरपुर	12-13	02	दिनांक 17.5.12 को चेक संख्या-219552 के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवाबगंज,(खाता संख्या 00760100006730) से 3200.00 का चेक हसनी इन्टरप्राइजेज के नाम जारी किया गया,एवं आहरण भी किया गया। उक्त धनराशि की प्रविष्टि कैश बुक में नहीं पाई गई। इस प्रकार 3200.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव/प्रधान से की जानी अपेक्षित है।			

7	बरेली	नवाबगंज	मि०बमनपुरी	12-13	02	दिनांक 17.1.13 को चेक संख्या 21 से 5000.00 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा,नवाबगंज,(खाता संख्या 00760100006681) से श्री नत्थूलाल द्वारा आहरित किया गया। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की गई है। इस प्रकार 5000.00 का अपहरण ग्रा०वि०अधि०/ ग्राम पंचा०अधि०द्वारा किया गया। जिसकी वसूली अपेक्षित है।
8	बरेली	नवाबगंज	मि०बमनपुरी	12-13	03	माह जनवरी'13 के कैश बुक में आय पक्ष का योग 111470.00 होता है। जबकि कैश बुक में 110710.00 अंकित किया गया है। इस प्रकार 760.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधि०/ग्राम पंचायत अधि० से की जानी अपेक्षित है।

क्रम	जनपद	वि०खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प० वर्ष	सा०आ० संख्या	आपत्ति का विवरण		
9	बरेली	मझगवाँ	भूड़ा	11-12, 12-13	24	ग्राम निधि खाते से निम्नानुसार आहरित धनराशि कैश बुक में कोषांकित न कर धन का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली अपेक्षित है।		
						चेक संख्या / दिनांक	धनराशि	
						अज्ञात / 7.4.11	5000.00	
						8.4.11	5000.00	
						13.4.11	15000.00	
						25.5.11	15000.00	
						8.7.11	5000.00	
						25.7.11	1000.00	
						4.8.11	3000.00	
						योग—	49000.00	
10	बरेली	भोजीपुरा	पड़री हल्वा	11-12, 12-13	24	दिनांक 1.10.11 को खाता संख्या 5224201,ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, शाखा एस०आर०एम०मेडिकल स्मारक भोजीपुरा		

						से 5000.00 का आहरण चेक संख्या 398879 द्वारा नकद किया गया है। जिसको कैश बुक में आय पक्ष में दर्शित न कर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मंगल सेन व ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संजय गंगवार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत(प्रस्तर-02)

क्रम	जनपद	वि०खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प०वर्ष	सा०आ० संख्या	आपत्ति का विवरण
11	बरेली	रामनगर	तिगराखानपुर	2012-13	9,ख	श्री तेजराम तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 306600.00ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 5.10.12 से 31.03.13 के मध्य आहरित किया गया है। परन्तु इसके व्यय की पुष्टि में कैशबुक व प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः किया व्यय/आहरित धनराशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विभागीय जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
12	बरेली	आ०जा०बाद	मो०पुर पंथरा	2012-13	05	वर्ष आलोच्य में दिनांक 3.12.12 को द्वारिका के घर से मेन रोड तक के दर्शित नाप(55 3 मी०)में 40.5 ट्राली मिट्टी 400.00 प्रति ट्राली मिट्टी की दर से डालने का 16200.00 का भुगतान किया गया है। लेकिन उक्त नाप के आधार पर गणना करने पर 13 ट्राली मिट्टी ही डाली जानी थी। इस प्रकार 27.5 ट्राली मिट्टी अधिक डाली गई है। जिसके मूल्य 11000.00 की वसूली प्रधान श्रीमती रामश्री एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
13	बरेली	आ०जा०बाद	पंथरी	2012-13	04	वर्ष आलोच्य में दिनांक 24.12.12 को मुख्य खडंजा से नरेश के घर तक के दर्शित नाप (65 3मी०)में 25 ट्राली मिट्टी 400.00प्रति ट्राली की दर से डालने का 10000.00 का भुगतान किया गया है। लेकिन दर्शित नाप के आधार पर गणना करने पर 15 ट्राली मिट्टी ही डाली जानी थी। इस प्रकार 10 ट्राली मिट्टी अधिक डाली गई। जिसके मूल्य 4000.00 की वसूली प्रधान श्री राजीव शर्मा एवं

						तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

क्रम	जनपद	वि०खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प०वर्ष	सा०आ० संख्या	आपत्ति का विवरण
14	बरेली	आ०जा०बाद	इस्लामाबाद	12-13	06	वर्ष आलोच्य में दिनांक 19.1.13 को चेक संख्या 435420 द्वारा 10000.00 का भुगतान पवन को किया जाना बैंक पास बुक में अंकित है। जबकि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही में उक्त भुगतान पवन के नाम नहीं दर्शाया गया है। तथा 5000.00 प्रधान के पास अवशेष धनराशि दर्शित नहीं है। इस प्रकार चेक के सापेक्ष नकद व्यय दर्शा कर अनियमित रूप से लेखा किया गया है। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। अतः 5000.00 की वसूली प्रधान भीमसेन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
15	बरेली	आ०जा०बाद	बीहट	12-13	07	वर्ष आलोच्य में दिनांक 7.12.12 को विभिन्न स्थानों पर 10 राज,350.00 की दर से तथा 30 मजदूर 125.00 की दर से प्रयुक्त कर कुल 167.59 स्क्वायर मी० खडंजा निर्माण करवा कर 7250.00 का भुगतान किया गया है। जबकि मानक के अनुसार उपरोक्त नाप के लिये 3033.00 का ही भुगतान किया जाना था। इस प्रकार 4217.00 का अधिक भुगतान किया गया। जिसकी वसूली जाँचोपरान्त प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
16	बरेली	आ०जा०बाद	बीहट	12-13	09	वर्ष आलोच्य में दिनांक 06.01.13 को 05 राज 350.00 की दर से तथा 15 मजदूर,125.00 की दर से प्रयुक्त कर विभिन्न स्थानों पर कुल 75.60 स्क्वायर मी०खडंजा निर्माण करने का 3625.00 का भुगतान किया गया है। जबकि मानक के अनुसार उपरोक्त माप के लिये 1368.00 का ही भुगतान किया जाना था। इस प्रकार 2257.00 का अधिक भुगतान किया गया। जिसकी वसूली प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

क्रम	जनपद	वि०खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प०वर्ष	सा०आ० संख्या	आपत्ति का विवरण
17	बरेली	मझगवाँ	बझेड़ा	11-12, 12-13	24	माह जनवरी 2012 में पी०एन०बी०खाता संख्या-48124 अलीगंज से दिनांक 05.01.12 को चेक संख्या 467993

						(अस्पष्ट) द्वारा 2000.00 का भुगतान नवाब को किया जाना दर्शित है। कैश बुक के आय/व्यय पक्ष में इन्द्राज न कर दुरुपयोग किया जाना सम्भावित है। जाँचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।																																	
18	बरेली	मझगवाँ	बझेड़ा	11-12, 12-13	25	वर्ष 12-13 की ग्राम निधि प्रथम खाते से निम्न चेकों के सापेक्ष कैश बुक में व्यय अंकित नहीं पाया गया। <table><tr><td>चेक संख्या/दिनांक</td><td>धनराशि</td><td>जिसके पक्ष में जारी</td></tr><tr><td>400001/3.4.12</td><td>9600.00</td><td>सचिन दिक्षीत</td></tr><tr><td>900002/17.4.12</td><td>20000.00</td><td>शान ब्रिक फील्ड</td></tr><tr><td>900003/28.4.12</td><td>20000.00</td><td>शान ब्रिक फील्ड</td></tr><tr><td>900004/8.5.12</td><td>9600.00</td><td>श्री धन सिंह</td></tr><tr><td>900006/10.5.12</td><td>9600.00</td><td>श्री धन सिंह</td></tr><tr><td>900005/14.5.12</td><td>9600.00</td><td>श्री धन सिंह</td></tr><tr><td>900007/8.6.12</td><td>9600.00</td><td>श्री धन सिंह</td></tr><tr><td>900008/9.6.12</td><td>2000.00</td><td>शान ब्रिक फील्ड</td></tr><tr><td>900009/18.6.12</td><td>9600.00</td><td>श्री धन सिंह</td></tr><tr><td>900010/19.6.12</td><td>9600.00</td><td>श्री धन सिंह</td></tr></table> योग— 109200.00 उक्त आहरित धनराशि का लेखांकन कैश बुक में न तो आय पक्ष में और न ही व्यय पक्ष में भुगतान दर्शित है। व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः जाँचोपरान्त श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	जिसके पक्ष में जारी	400001/3.4.12	9600.00	सचिन दिक्षीत	900002/17.4.12	20000.00	शान ब्रिक फील्ड	900003/28.4.12	20000.00	शान ब्रिक फील्ड	900004/8.5.12	9600.00	श्री धन सिंह	900006/10.5.12	9600.00	श्री धन सिंह	900005/14.5.12	9600.00	श्री धन सिंह	900007/8.6.12	9600.00	श्री धन सिंह	900008/9.6.12	2000.00	शान ब्रिक फील्ड	900009/18.6.12	9600.00	श्री धन सिंह	900010/19.6.12	9600.00	श्री धन सिंह
चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	जिसके पक्ष में जारी																																					
400001/3.4.12	9600.00	सचिन दिक्षीत																																					
900002/17.4.12	20000.00	शान ब्रिक फील्ड																																					
900003/28.4.12	20000.00	शान ब्रिक फील्ड																																					
900004/8.5.12	9600.00	श्री धन सिंह																																					
900006/10.5.12	9600.00	श्री धन सिंह																																					
900005/14.5.12	9600.00	श्री धन सिंह																																					
900007/8.6.12	9600.00	श्री धन सिंह																																					
900008/9.6.12	2000.00	शान ब्रिक फील्ड																																					
900009/18.6.12	9600.00	श्री धन सिंह																																					
900010/19.6.12	9600.00	श्री धन सिंह																																					

क्रम	जनपद	वि०खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प०वर्ष	सा०आ० संख्या	आपत्ति का विवरण																																				
19	बरेली	भुता	ककराखुर्द	11-12, 12-13	16	लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नूरी ब्रिक फील्ड से ईंटों का भुगतान निम्न तिथियों में निम्नानुसार किया गया। <table><thead><tr><th>क्रम</th><th>चेक संख्या/दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>चेक जारीकर्ता का नाम</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>876243/28.6.11</td><td>45600.00</td><td>प्रधान/सचिव</td></tr><tr><td>02</td><td>876248/28.6.11</td><td>45600.00</td><td>प्रधान/सचिव</td></tr><tr><td>03</td><td>876245/28.6.11</td><td>45600.00</td><td>प्रधान/सचिव</td></tr><tr><td>04</td><td>881886/06.3.12</td><td>51740.00</td><td>प्रधान/सचिव</td></tr><tr><td>05</td><td>194673/09.7.12</td><td>63074.00</td><td>प्रधान/सचिव</td></tr><tr><td>06</td><td>194684/26.9.12</td><td>17884.00</td><td>प्रधान/सचिव</td></tr><tr><td>07</td><td>194682/26.9.12</td><td>8308.00</td><td>प्रधान/सचिव</td></tr><tr><td>08</td><td>910714/29.1.13</td><td>48600.00</td><td>प्रधान/सचिव</td></tr></tbody></table> योग—326406.00 उक्त धन की ईंटें किन किन तिथियों में कय की गई,का	क्रम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	चेक जारीकर्ता का नाम	01	876243/28.6.11	45600.00	प्रधान/सचिव	02	876248/28.6.11	45600.00	प्रधान/सचिव	03	876245/28.6.11	45600.00	प्रधान/सचिव	04	881886/06.3.12	51740.00	प्रधान/सचिव	05	194673/09.7.12	63074.00	प्रधान/सचिव	06	194684/26.9.12	17884.00	प्रधान/सचिव	07	194682/26.9.12	8308.00	प्रधान/सचिव	08	910714/29.1.13	48600.00	प्रधान/सचिव
क्रम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	चेक जारीकर्ता का नाम																																							
01	876243/28.6.11	45600.00	प्रधान/सचिव																																							
02	876248/28.6.11	45600.00	प्रधान/सचिव																																							
03	876245/28.6.11	45600.00	प्रधान/सचिव																																							
04	881886/06.3.12	51740.00	प्रधान/सचिव																																							
05	194673/09.7.12	63074.00	प्रधान/सचिव																																							
06	194684/26.9.12	17884.00	प्रधान/सचिव																																							
07	194682/26.9.12	8308.00	प्रधान/सचिव																																							
08	910714/29.1.13	48600.00	प्रधान/सचिव																																							

						विवरण कोषबही में अंकित नहीं पाया गया। उक्त धन से क्रय की गई ईंटों के उपयोग सम्बन्धी पत्रावली यथा, स्टॉक पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, आकलन प्रमाण पत्र, आदि लेखा परीक्षा में पुष्टि बावत प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा मैनुअल के अध्याय-7 एवं उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या 12086/दस/96-15(1)36दि0 14.10.98 के अनुसार 2500.00 से 15000.00 तक के क्रय के लिये तीन कुटेशन एवं 15000.00 से अधिक मूल्य की ईंट/निर्माण सामग्री/डेड स्टॉक क्रय करते समय टेण्डर आमंत्रित करना चाहिए था। साथ ही फर्म का पंजीकरण/टिन नं0अवश्य अंकित होना चाहिए। एवं टेण्डर के सम्बन्ध में कोई अभिलेखित साक्ष्य जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि 326406.00 ईंट क्रय किये बिना उसका दुरुपयोग किया गया। विभागीय जाँचोपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0वर्ष	सा0आ0 संख्या	आपत्ति का विवरण																												
20	बरेली	बरेली	ककराखुर्द	11-12 12-13	17	कोष बही की जाँच में पाया गया कि कतिपय तिथियों में प्रधान/सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि का नकद आहरण किया गया। <table><thead><tr><th>क्रम</th><th>चेक संख्या/दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>चेक जारी कर्ता का नाम</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>876242/11.6.11</td><td>20000.00</td><td>श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल</td></tr><tr><td>02</td><td>877110/13.9.11</td><td>20000.00</td><td>श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल</td></tr><tr><td>03</td><td>877113/23.9.11</td><td>15000.00</td><td>श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल</td></tr><tr><td>04</td><td>879460/30.12.11</td><td>10000.00</td><td>श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल</td></tr><tr><td>05</td><td>881896/17.5.12</td><td>5000.00</td><td>श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल</td></tr><tr><td>06</td><td>194665/19.6.12</td><td>5000.00</td><td>श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल</td></tr></tbody></table>	क्रम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	चेक जारी कर्ता का नाम	01	876242/11.6.11	20000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल	02	877110/13.9.11	20000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल	03	877113/23.9.11	15000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल	04	879460/30.12.11	10000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल	05	881896/17.5.12	5000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल	06	194665/19.6.12	5000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल
क्रम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	चेक जारी कर्ता का नाम																															
01	876242/11.6.11	20000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल																															
02	877110/13.9.11	20000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल																															
03	877113/23.9.11	15000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल																															
04	879460/30.12.11	10000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल																															
05	881896/17.5.12	5000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल																															
06	194665/19.6.12	5000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान)/ रामभुपलाल																															

						07	194698 / 8.11.12	5000.00	श्रीमती सीमा सिंह(प्रधान) / रामभुपलाल
						योग-		80000.00	
						उक्त व्यय की गई धनराशि 80000.00 के व्यय प्रमाणक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः आहरित किये गये धन का औचित्य अस्पष्ट रहा। जिससे उक्त धनराशि के दुरुपयोग/गबन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः आहरित राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिये। अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से उक्त राशि की वसूली की जानी चाहिये। जिस हेतु विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।			

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले0प0वर्ष	सा0आ0 संख्या	आपत्ति का विवरण
21	बरेली	भुता	डभोरा गंगापुर	2011-12 2012-13	15	लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि किये गये ईंटों का भुगतान चेक द्वारा निम्नानुसार किया गया है। क्रम चेक सं0/दिनांक धनराशि चेक जारी कर्त्ता का नाम 01 504394 / 12.10.11 40000.00 श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामभुपलाल(सचिव) 02 504686 / 14.11.11 25000.00 श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामभुपलाल(सचिव) 03 504952 / 5.11.11 25000.00 श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामभुपलाल(सचिव) 04 504959 / 25.2.12 10000.00 श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामभुपलाल(सचिव) 05 507071 / 11.7.12 5000.00 श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामभुपलाल(सचिव) 06 507048 / 26.10.12 41600.00 श्री अशर्फीलाल(प्रधान) /

						रामभुपलाल(सचिव) 07 307845 / 24.12.12 32000.00 श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामभुपलाल(सचिव) 08 309141 / 03.2.13 15000.00 श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामभुपलाल(सचिव)
						योग— 193600.00 उक्त धनराशि की ईंटों को किन किन तिथियों में क्रय किया गया, इसका विवरण कोष बही में अंकित नहीं पाया गया। उक्त धन से क्रय की गई ईंटों के उपयोग सम्बन्धी पत्रावली यथा—स्टॉक पंजिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, आकलन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में पुष्टि बावत प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा मैनुअल के अध्याय 7 एवं उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या 1-2086/दस/96-15(1)36 दिनांक 14.10.98 के अनुसार 2500.00 से 15000.00 तक के क्रय के लिये तीन कोटेशन एवं 15000.00 से अधिक मूल्य की ईंट/निर्माण सामग्री/डेड स्टॉक क्रय करते समय टेण्डर आमंत्रित करना चाहिये था। साथ ही फर्म का पंजीकरण/टिन नं0 अवश्य अंकित होना चाहिये था। जिससे कि योजना के निर्देशों का पालन हो सके। परन्तु लेखा परीक्षा में ईंट क्रय, उपयोग एवं टेण्डर के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि 193600.00 का ईंट क्रय किये बिना उसका दुरुपयोग किया गया है। विभागीय जाँचोपरान्त सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प०वर्ष	सा०आ० संख्या	आपत्ति का विवरण																
22	बरेली	भुता	डभोरा गंगापुर	2011-12 2012-13	16	कोष बही की जाँच में पाया गया कि कतिपय तिथियों में प्रधान/सचिव द्वारा निम्नानुसार धन का नकद आहरण किया गया है। <table><thead><tr><th>क्रम</th><th>चेक सं०/दिनांक</th><th>चेक की राशि</th><th>जारीकर्ता का नाम</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>502968/4.4.11</td><td>5000.00</td><td>श्री अशर्फीलाल(प्रधान)/रामाश्रय लाल(सचिव)</td></tr><tr><td>02</td><td>503975/23.7.11</td><td>5000.00</td><td>श्री अशर्फीलाल(प्रधान)/रामाश्रय लाल(सचिव)</td></tr><tr><td>03</td><td>504391/21.4.11</td><td>5000.00</td><td>श्री अशर्फीलाल(प्रधान)/</td></tr></tbody></table>	क्रम	चेक सं०/दिनांक	चेक की राशि	जारीकर्ता का नाम	01	502968/4.4.11	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान)/रामाश्रय लाल(सचिव)	02	503975/23.7.11	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान)/रामाश्रय लाल(सचिव)	03	504391/21.4.11	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान)/
क्रम	चेक सं०/दिनांक	चेक की राशि	जारीकर्ता का नाम																			
01	502968/4.4.11	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान)/रामाश्रय लाल(सचिव)																			
02	503975/23.7.11	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान)/रामाश्रय लाल(सचिव)																			
03	504391/21.4.11	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान)/																			

						04	504400 / 25.10.11	5000.00	रामाश्रय लाल(सचिव) श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामाश्रय लाल(सचिव)
						05	504695 / 9.11.11	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामाश्रय लाल(सचिव)
						06	504689 / 21.11.11	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामाश्रय लाल(सचिव)
						07	505896 / 29.2.12	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामाश्रय लाल(सचिव)
						08	506549 / 6.7.12	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामाश्रय लाल(सचिव)
						09	507850 / 28.1.13	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामाश्रय लाल(सचिव)
						10	509144 / 12.2.13	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामाश्रय लाल(सचिव)
						11	509148 / 23.2.13	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामाश्रय लाल(सचिव)
						12	509423 / 6.3.13	5000.00	श्री अशर्फीलाल(प्रधान) / रामाश्रय लाल(सचिव)
						योग—		60000.00	
						उक्त व्यय की गई धनराशि 60000.00 के व्यय प्रमाणक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः आहरित किये गये धन की उपयोगिता अस्पष्ट रही। जिससे उक्त धन के दुरुपयोग/गबन होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः आहरित धन का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिये। अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से उक्त राशि की वसूली की जानी चाहिये। जिस हेतु विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।			

मण्डल- बरेली
ग्राम पंचायत(प्रस्तर-03)

जनपद- बरेली

क्रम	जनपद	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	ले०प०वर्ष	सा० आ० संख्या	आपत्ति का विवरण																																				
23	बरेली	रामनगर	देवकोला	2012-13	7,ख	वर्ष में ग्राम निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का माप व स्थान को अंकित न कर 98608.00 का भुगतान किया गया है। जो अनियमित रहा। इस प्रति प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेजराम उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। <table><tr><th>क्रम</th><th>दिनांक</th><th>कार्य विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>01-</td><td>30.10.12-</td><td>खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल</td><td>18624.00</td></tr><tr><td>02-</td><td>30.11.12-</td><td>खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल</td><td>17924.00</td></tr><tr><td>03-</td><td>21.01.13-</td><td>खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल</td><td>19628.00</td></tr><tr><td>04-</td><td>15.03.15-</td><td>खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल</td><td>9870.00</td></tr><tr><td>05-</td><td>20.2.13-</td><td>मिट्टी कार्य</td><td>10150.00</td></tr><tr><td>06-</td><td>20.12.12-</td><td>खडंजा,नाली मरम्मत , मजदूरी</td><td>17072.00</td></tr><tr><td>07-</td><td>10.01.13-</td><td>ट्रैक्टर डाली द्वारा मिट्टी कार्य</td><td>5400.00</td></tr><tr><td colspan="3">योग-</td><td>98668.00</td></tr></table>	क्रम	दिनांक	कार्य विवरण	धनराशि	01-	30.10.12-	खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल	18624.00	02-	30.11.12-	खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल	17924.00	03-	21.01.13-	खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल	19628.00	04-	15.03.15-	खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल	9870.00	05-	20.2.13-	मिट्टी कार्य	10150.00	06-	20.12.12-	खडंजा,नाली मरम्मत , मजदूरी	17072.00	07-	10.01.13-	ट्रैक्टर डाली द्वारा मिट्टी कार्य	5400.00	योग-			98668.00
क्रम	दिनांक	कार्य विवरण	धनराशि																																							
01-	30.10.12-	खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल	18624.00																																							
02-	30.11.12-	खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल	17924.00																																							
03-	21.01.13-	खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल	19628.00																																							
04-	15.03.15-	खडंजा मरम्मत व नाली निर्माण मस्टर रोल	9870.00																																							
05-	20.2.13-	मिट्टी कार्य	10150.00																																							
06-	20.12.12-	खडंजा,नाली मरम्मत , मजदूरी	17072.00																																							
07-	10.01.13-	ट्रैक्टर डाली द्वारा मिट्टी कार्य	5400.00																																							
योग-			98668.00																																							

जनपद का नाम-पीलीभीत

मण्डल का नाम-बरेली।

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:-

प्रस्तर संख्या-1 :- पंचायत उद्योग पीलीभीत से रू0 30445.00 का विभिन्न वस्तुएं डैड स्टॉक क्रय किया गया परन्तु उक्त को डैड स्टॉक पंजिका में दर्ज नहीं किया गया।

(ग्राम पंचायत-गजरौला कलां, विकास खण्ड मरौरी)

प्रस्तर संख्या-2 :- वर्ष 2011-2012 में नाली, खडंजा निर्माण, शौचालय निर्माण, पक्का कुआं पर जाल डलवाई का कार्य कराया गया जिसमें ईट, सीमेन्ट, मोरंग, बजरी, रेता आदि सामग्री पर रूपया 357350.00 व्यय किया गया है परन्तु उक्त क्रय की गयी सामग्री की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर तैयार

कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे उपभोग के उपरान्त वर्षान्त/कार्य समाप्ति पर सामग्री की अवशेष मात्रा की स्थिति अज्ञात रही। स्टॉक पंजिका तैयार किया जाना अपेक्षित रहा।

(ग्राम पंचायत इलावास सिमरा वि०खं० विलसण्डा)

प्रस्तर संख्या-3 :- लेखा परीक्षा वर्ष में बी०पी०एल० श्रेणी के व्यक्तिगत लाभार्थियों के शौचालय निर्माण हेतु रू० 2200.00 प्रतिलाभार्थी की दर से दिया जाना दर्शित है। पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन सूची/रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण मद/व्यय अपुष्ट रहा। (30 शौचालय X 2200 = 66000)

(ग्राम पंचायत-पकड़िया मंगली, वि०खं० बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-4 :- मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम ढकिया महद के प्रा०वि० में मिट्टी भराव कार्य का क्षेत्रफल 32 X 27 = 864 वर्गमी०, Work ID No. LD/758 एस्टीमेट 46500.00 MR के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 02.11.2011 समाप्त तिथि 13.11.2011 जबकि MB के अनुसार कार्य प्रारम्भ 06.10.2011 एवं समाप्त तिथि 17.10.2011 दर्ज पायी गयी। लेवर पर 10200.00, सामग्री पर 18540.00 कुल रू० 28740.00 व्यय किया जाना दर्शित है। इस प्रकार MR एवं MB में दर्ज तिथियों में अन्तर होने की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाये एवं वास्तविक कार्य की स्थिति स्पष्ट की जावे। उक्त तिथियों में भिन्नता TA द्वारा उत्पन्न की गयी। MB पर मनमाने ढंग से तिथियां अंकित की है। जांच कर TA के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-पकड़िया मंगली, वि०खं० बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-5 :- लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में चेक संख्या-936745 दिनांक 30.08.2010 के द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेंट श्री संजय तायल एण्ड कम्पनी पीलीभीत को रू० 16000.00 का भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया पुष्टि में अभिलेख अप्राप्त रहे। जिस कारण यह स्पष्ट न हो सका कि किन-किन वर्षों के अभिलेखीकरण का भुगतान किया गया। विभागीय अधिकारी जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत-चन्दपुरा, विकास खण्ड बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-6 :- दिनांक 27.08.2011 को चेक संख्या-522981 के द्वारा रू० 12000.00 का भुगतान संजय तायल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट (CA) आवास विकास कालोनी पीलीभीत को अभिलेखीकरण का भुगतान किया गया है। पुष्टि में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन-किन वर्षों का अभिलेखीकरण कराया गया और न ही अभिलेख उपलब्ध रहे।

(ग्राम पंचायत-भदारा विकास खण्ड बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-7 :- लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में दिनांक 05.07.2011 को रू० 1000.00 व दिनांक 30.11.2011 को रू० 1000.00 कुल विज्ञापन पर 2000.00 व्यय किया जाना दर्शित है। पुष्टि में न

उद्देश्य अंकित रहा और न ही बिल/वाउचर उपलब्ध रहा। जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत—भदारा विकास खण्ड बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या—8 :- लेखा परीक्षा वर्ष में बी०पी०एल० श्रेणी के शौचालय 55 x 2200 कुल रू० 121000.00 व 4 ए०पी०एल० श्रेणी के शौचालय 4 x 1500 कुल 6000.00. इस प्रकार शौचालयों पर कुल 127000.00 व्यय किया गया है। पुष्टि में लाभार्थियों की सूची व सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित सूची आदि अप्राप्त रही। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

(ग्राम पंचायत—परसिया उर्फ परासी, विकास खण्ड बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या—9 :- दिनांक 12.07.2011 को चेक संख्या—51005 के द्वारा रू० 41250.00 की सी०एफ०एल० क्रय किया जाना दर्शित पाया गया। पुष्टि में यह स्पष्ट न हो सका कि सी०एफ०एल० किन खम्बों व स्थान पर लगाई गई एवं डैड स्टॉक व स्टॉक पंजिका भी अप्राप्त रही। (15 x 2750) की पुष्टि अपेक्षित।

(ग्राम पंचायत—परसिया उर्फ परासी, विकास खण्ड बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या—10 :- प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी भराव का कार्य Work ID No.LD/736 इस्टीमेट रू० 194300.00 क्षेत्रफल 81 x 61 = 4941.1 Mtr² कार्य प्रारम्भ 13.11.2011 समाप्त 12.12.2011 TS 132/17.09.2011, MB पृष्ठ संख्या—88—89 के अनुसार लेवर का भुगतान रू० 73820.00 किया जाना दर्शित है। जबकि सामग्री पर व्यय रू० 63900.00 का भुगतान किया गया है। सामग्री की धनराशि की MB नहीं की गयी है। बिना MB के कैसे भुगतान किया गया। कारण स्पष्ट करते हुये MB पूर्ण की जावे।

(ग्राम पंचायत—परसिया उर्फ परासी, विकास खण्ड बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या—11 :- मनरेगा योजना में लेखा परीक्षा में कुल व्यय रू० 1087591.50 हुआ है। जिसमें से रू० 515019.00 सामग्री एवं रू० 53080.00 कनटिनजैसी तथा रू० 519492.00 श्रमांश पर व्यय की पुष्टि हो रही है। जबकि इस व्यय में 60:40 के अनुपात में सामग्री पर रू० 435036.40 एवं श्रमांश पर रू० 652554.90 होना चाहिए था। अतः स्पष्ट है कि रू० 133063.10 का सामग्री अंश में अधिक व्यय किया गया है। जांचोपरांत मनरेगा गाइड लाइन्स एवं अन्य विभागीय आदेशों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत—बेनीपुर, विकास खण्ड—बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-12 :- दिनांक 31.03.2008 को जे0आर0बाई0 योजना बन्द होते समय सम्बन्धित खाते में अवशेष रू0 16390.00 था। जिसे दिनांक 18.03.2013 तक मनरेगा खाते में हस्तान्तरित नहीं किया गया। जांचोपरान्त धनराशि शीघ्र मनरेगा खाते में हस्तान्तरित की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-मसीत, विकास खण्ड बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-13 :- वर्ष 2010-11 में दिनांक 19.08.2010 में रू0 20,000.00 का नकद भुगतान मैसर्स तायल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट को अभिलेखीकरण हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजवन्दन मिश्रा द्वारा किया गया है। जबकि यह चेक के माध्यम से किया जाना था। पुष्टि में अभिलेख एवं बिल अप्राप्त रहने के कारण यह अपुष्ट रहा कि यह भुगतान किस वर्ष के अभिलेखीकरण हेतु था। पुष्टि अपेक्षित।

(ग्राम पंचायत-मसीत, विकास खण्ड बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-14 :- लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 22.03.2012 को रू0 12000.00 का व्यय अभिलेखीकरण पर दर्शित है। यह व्यय किस अवधि हेतु किया गया है की पुष्टि नहीं कराई गयी। भुगतान ग्राम प्रधान द्वारा नकद किया जाना दर्शित है जबकि यह चेक के माध्यम से किया जा सकता था। पुष्टि में अभिलेखों के बुकलेट एवं बिल अप्राप्त रहने से यह भुगतान अपुष्ट रहा।

(ग्राम पंचायत-उगनपुर, विकास खण्ड-अमरिया)

प्रस्तर संख्या-15 :- लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरणानुसार बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तिगत लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु रू0 2200.00 प्रति लाभार्थी की दर से दिया जाना दर्शित है। पुष्टि में ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सत्यापन रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं रहने से यह व्यय अपुष्ट रहे। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	लाभार्थियों की संख्या	श्रेणी	दर प्रति लाभार्थी	धनराशि	चेक संख्या
1	20	बी0पी0एल0	2200.00	44000.00	102058 / 29.08.11
2	20	बी0पी0एल0	—	44000.00	102060 / 05.09.11
3	20	बी0पी0एल0	—	44000.00	730572 / 29.09.11
योग				132000.00	

(ग्राम पंचायत- उगनपुर, विकास खण्ड-अमरिया)

प्रस्तर संख्या-16 :- दिनांक 23.03.2011 एवं 21.03.2011 में व्यय प्रमाणक संख्या-8ए व 8बी के द्वारा विज्ञापन पर रू0 2000.00 प्रत्येक कुल रू0 4000.00 का भुगतान माह अप्रैल 2011 में दर्शाया

गया है। किसी भी ग्राम पंचायत में विज्ञापन पर इतनी धनराशि व्यय किये जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा। भविष्य में इस प्रकार का व्यय न किया जाये इस हेतु ग्राम पंचायत को सचेत किया जाता है।

(ग्राम पंचायत— उगनपुर, विकास खण्ड—अमरिया)

प्रस्तर संख्या—17 :- ग्राम निधि योजना अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यक्तिगत शौचालय हेतु लाभार्थियों को धन वितरित किया गया है। जिसकी पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, लाभार्थियों की सूची सत्यापन रिपोर्ट एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण उक्त कार्य अप्रमाणित रहा। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र० सं०	लाभार्थियों की संख्या	श्रेणी	दर	कुल राशि	चेक संख्या/दिनांक
1	23	बी०पी०एल०	2200/—	50600.00	651448/31.01.12
2	30	बी०पी०एल०	2200/—	66000.00	651449/14.03.12
योग				116600.00	

(ग्राम पंचायत—जटपुरा, विकास खण्ड—अमरिया)

प्रस्तर संख्या—18 :- लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम निधि योजना अन्तर्गत 85 शौचालय हेतु 2200.00 की दर से रू० 187000.00 वितरित किया गया है। पुष्टि में लाभार्थियों की सूची एवं सत्यापन/कार्यपूर्ति अप्राप्त रहे। जिस कारण यह व्यय अपुष्ट रहा। पुष्टि अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत—धनकुना, विकास खण्ड—अमरिया)

प्रस्तर संख्या—19 :- रुपये 12000.00 अभिलेखीकरण पर व्यय दर्शाया गया है। यह व्यय किस अवधि हेतु हुआ है अपुष्ट रहा। अभिलेखों से पुष्टि कराई जानी अपेक्षित।

(ग्राम पंचायत—धनकुना, विकास खण्ड—अमरिया)

प्रस्तर संख्या—20 :- कतिपय समतलीकरण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि पत्रावलियों में लाभार्थियों का प्रार्थना पत्र एवं सम्बन्धित के खेत से सम्बन्धित खतौनी की प्रति उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह व्यय अपुष्ट रहे। उदाहरणार्थ—

- (क) इब्राहीम के खेत का समतलीकरण ID No.-LD/266 - व्यय — 15840.00
- (ख) रियाजुद्दीन के खेत का समतलीकरण ID No.-LD/265 - व्यय — 16320.00
- (ग) भगवान दास के खेत का समतलीकरण ID No.-LD/267 - व्यय — 16200.00
- (घ) रोशन लाल के खेत का समतलीकरण ID No.-LD/261 - व्यय — 46320.00

(ड.) रमेश चन्द्र के खेत का समतलीकरण ID No.-LD/264 - व्यय — 21240.00

(च) चुन्नी लाल के खेत का समतलीकरण ID No.-LD/263 - व्यय — 17520.00

यह उल्लेखनीय है कि अपूर्ण पत्रावलियों पर कैसे आई0डी0 जारी कर एम0आर0 जारी किये गये। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सहायक कार्यक्रम अधिकारी का है। जांचोपरांत उचित कार्यवाही आपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत—धनकुना, विकास खण्ड—अमरिया)

प्रस्तर संख्या—21 :- गांव के पूर्व वाले तालाब की खुदाई कार्य ID No.-WC/359 - इस्तीमेट रू0 315000.00 कार्य प्रा0 तिथि 05.06.11, समाप्त तिथि 04.07.11 क्षेत्रफल 90 X 30 वर्गमी0, इस कार्य पर कुल रू0 236280.00 MR नं0 305318—63 तक, MR 3053040—043 तक रू0 24360.00 कुल व्यय रू0 260640.00 हुआ है। जबकि इस कार्य की MB रू0 242230.19 की गई है। जो वास्तविक व्यय से रू0 18409.81 कम है। यह MB तकनीकी सहायक द्वारा की गई है। जिस पर JE (RES) का अनुमोदन नहीं लिया गया। जिस कारण यह व्यय अपुष्ट रहा।

(ग्राम पंचायत—धनकुना, विकास खण्ड—अमरिया)

प्रस्तर संख्या—22:- लेखराज भूपाल के घर के सामने तालाब र्जीणोद्वार कार्य/स्टीमेट रू0 82600.00, ID No.-03126001126/WC/355 तकनीकी स्वीकृति 45/9 दिनांक 05.09.11, वितीय 25.08.2011 इस कार्य पर कुल रू0 18360.00 व्यय हुआ है। तकनीकी स्वीकृति से पहले वितीय स्वीकृति कैसे दे दी गई। यह मनरेगा नियमों की खुली अवहेलना है। जांच उपरान्त उचित कार्यवाही आपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत—सखौला, विकास खण्ड—अमरिया)

प्रस्तर संख्या—23:- सखौला सम्पर्क मार्ग से महचन्दी सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी कार्य, लम्बाई 1550 मी0, स्टीमेट 395100.00 कार्य ID No. RC/1377 कार्य प्रा0 18.03.2011 समाप्त 28.05.2011 माप पुस्तिका अनुसार कार्य 1350 मी0 पूर्ण दर्शाया गया है। जिस पर कुल रू0 276850.00 व्यय किया गया है जिसमें से रू0 119220.00 वर्ष 2011—12 में शेष गत वर्ष में। स्टीमेट एवं माप पुस्तिका पर स्वीकृति सिर्फ तकनीकी सहायक द्वारा की गयी है। जबकि इसका अनुमोदन JE (RES) से लिया जाना चाहिए था।

(ग्राम पंचायत—सखौला, विकास खण्ड—अमरिया)

प्रस्तर संख्या-24:- अनवार मुन्शी के खेत के पास वाले तालाब में मिट्टी खुदाई कार्य, कार्य की माप 60 x 84 मी०, ID No. 3126001060/WC/246 कार्य प्रा० तिथि 01.04.2011, कार्य समाप्ति तिथि 10.08.2011 स्टीमेट रू० 396600.00। इस कार्य पर मस्टर रोल अनुसार कुल रू० 364800.00 का व्यय किया गया है। इस कार्य में मस्टर रोल जारी करने की तिथि और प्रयुक्त होने की तिथि में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। इससे कार्य की सत्यता संदिग्ध प्रतीत होती है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	मस्टर रोल क्रमांक	जारी करने का दिनांक	प्रयुक्त किये जाने की तिथि
1	3054008 से 014	11.07.2011	26.06.2011 से 30.06.11
2	3054015	11.07.2011	01.07.11 से 10.07.11
3	3271056 से 060	25.08.2011	01.07.11 से 10.07.11
4	3271065 से 070	25.08.11	01.08.11 से 10.08.11

(ग्राम पंचायत—करगैना करगैनी, विकास खण्ड—अमरिया)

प्रस्तर संख्या-25:- मनरेगा खाते की जांच में पाया गया कि चेक संख्या-921606 दिनांक 31.03.2011 के द्वारा रू० 3000.00 प्रति बोर्ड की दर से रू० 42000.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी माप पुस्तिका संख्या 1742 के पृष्ठ संख्या— 27 पर क्रमांक 16 पर 14 वॉर्डों की MB दर्शायी गयी है। परन्तु माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-1 से 26 तक की जांच में पाया गया कि किसी भी कार्य में बोर्ड प्रयुक्त नहीं किये गये हैं। इस प्रकार उक्त MB एवं व्यय फर्जी प्रतीत होता है।

अतः जांच कर उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तकनीकी सहायक श्री पंकज राठौर से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत—दियोहना, विकास खण्ड—बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-26:-चेक संख्या-921605 दिनांक 31.03.2011 के द्वारा रू० 99792.00 का भुगतान ह्यूम पाइप खरीद हेतु दर्शित है जिसकी माप पुस्तिका संख्या 1742 के पृष्ठ संख्या— 27-28 पर क्रम सं०-17 पर रू० 99792 की MB की गयी है। जबकि पृष्ठ संख्या— 01 से 57 तक की पैमाइश पुस्तिका की जांच से स्पष्ट हुआ कि कहीं पर भी पाइपों को पैमाइश पुस्तिका में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि उक्त भुगतान रू० 99792 फर्जी प्रतीत हो रहा है। जांचोपरान्त उक्त धन की वसूली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तकनीकी सहायक श्री पंकज राठौर से की जानी अपेक्षित रही।

(ग्राम पंचायत-दियोहना, विकास खण्ड बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-27 :- ग्राम निधि योजना अन्तर्गत ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 श्रेणी अन्तर्गत क्रमशः 1500 एवं 2200 रुपया प्रति शौचालय की दर से लाभार्थियों को अनुदान दिया गया। जिसकी पुष्टि में प्रस्ताव पंजिका, लाभार्थियों की सूची, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र० सं०	दिनांक	लाभार्थी की श्रेणी	दर प्रति शौचालय	संख्या लाभार्थी	कुल धनराशि (रुपये में)
1	25.08.11	बी0पी0एल0	2200.00	81	178200.00
2	30.08.11	ए0पी0एल0	1500.00	10	15000.00
3	04.10.11	बी0पी0एल0	2200.00	45	99000.00
4	11.10.11	बी0पी0एल0	2200.00	40	88000.00
5	24.10.11	बी0पी0एल0	2200.00	45	99000.00
6	21.11.11	बी0पी0एल0	2200.00	66	145200.00
7	23.11.11	बी0पी0एल0	2200.00	08	17600.00
8	23.11.11	ए0पी0एल0	1500.00	05	7500.00
			योग	300	649500.00

(ग्राम पंचायत दियोहना, विकास खण्ड बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-28 :- मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये तालाब जीर्णोद्धार ID No. WC/212 स्टीमेट 258300.00 कार्य प्रा० तिथि 16.02.11, समाप्त तिथि 07.03.11, तकनीकी सहायक द्वारा कार्य का प्राक्कलन दिनांक 10.02.11 में तैयार किया गया है एवं मॉप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-23 से 26 बुक नं० 1742 पर गणना 09.03.11 में कर कार्य पूर्ण होने की पुष्टि भी की है। परन्तु तकनीकी स्वीकृति JE द्वारा 03.06.2011 में ली गई है। इससे स्पष्ट है कि व्यापक स्तर पर मनमाने ढंग से योजना का संचालन किया जा रहा है। लेखा परीक्षा अनुसार कार्य अपुष्ट/जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग्राम पंचायत दियोहना, विकास खण्ड बरखेड़ा)

ग्राम पंचायत— कोढा खेतल

जनपद—शाहजहाँपुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13

प्रस्तर—1

1— ग्राम निधि की कैशबुक में बैंक जमा व आहरण की जाँच भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 31547225456 के बैंक स्टेटमेंट से करने पर पाया गया कि बैंक स्टेटमेंट में निम्नलिखित तिथियों को आहरित धनराशियों को कैशबुक में अंकित न करके अपहरण किया गया।

क्र०सं०	दिनांक	चैक संख्या	अपहरण की धनराशि
1—	09—04—2012	094128	15000.00
2—	11—04—2012	094127	29176.00
3—	18—04—2012	094129	14600.00
4—	18—04—2012	094131	25000.00
5—	25—04—2012	094132	5600.00
6—	04—05—2012	094133	15000.00
7—	06—06—2012	094136	20900.00

योग—----- -125276.00

अतः अपहरण की धनराशि रु 125276 रु (एक लाख पच्चीस हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की व्याज सहित श्री ग्रीस कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी व श्रीमती विमला देवीग्राम प्रधान से वसूल कर ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— ईश्वरावर्ष 2012—2013

2— ग्राम निधि की कैशबुक में जमा व आहरण की जाँच भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 31547225955 की बैंक पासबुक में निम्नलिखित तिथियों को आहरित की गयी धनराशि रु 49580.00 को कैशबुक में अंकित न करके ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।-----

क्र०सं०	दिनांक	चैक संख्या	अपहरण की धनराशि
1—	05—05—2012	261194	10000.00
2—	08—06—2012	261195	39580.00

योग—-----49580.00

अतः अपहरण की धनराशि रु 49580.00 (उनचास हजार पाँच सौ अस्सी मात्र) की व्याज सहित श्री ग्रीस कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री छेदालाल ग्राम प्रधान से वसूलकर ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— पोसिल वर्ष 2012—2013

3— ग्राम निधि कैशबुक में बैंक जमा व आहरण की जाँच भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 31547225864 के बैंक स्टेट मेन्ट से करने पर पाया गया कि बैंक स्टेटमेन्ट में निम्नलिखित तिथियों को आहरित धनराशियों के कैशबुक में अंकित न करके सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। विवरण—

क्र०सं०	दिनांक	चैक संख्या	अपहरण की धनराशि
1—	12-04-2012	113006	7000.00
2—	13-04-2012	113005	21600.00
3—	03-05-2012	113007	25000.00
योग—			53600.00

अतः अपहरण की धनराशि रु 53600.00 (तिरपन हजार छः सौ मात्र) की व्याज सहित वसूली श्री ग्रीस कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से कराकर ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— पूरायू वर्ष 2006—07 से 2012—13 तक

4— समीक्षा वर्षों में ग्राम निधि प्रथम में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्ययों के व्यय प्रमाणक एवं सामग्री क्रय प्रमाणक मजूदरी के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान मुन्नी देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतिपाल व धमेन्द्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से अपहरण किया है जिसकी वसूली दण्डनीय व्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रतिपाल व धमेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष	धनराशि
2010—2011	262913.00
2011—2012	279591.00
योग—	542504.00

5— ग्राम निधि प्रथम के बैक खातो से वर्ष 2006–2007 में रु 218900.00, 2007–08 में रु 268900.00 एवं 2012–2013 में रु 211922.00 को बैक से आहरित कर कैशबुक में अंकित न करके आहरित धनराशि रु 218900.00, 268900.00 एवं 211922.00 का अपहरण किया गया है जैसा कि बैक खातो से स्पष्ट होता है परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोष वही के आय में बिलकुल नहीं किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही जो अपहरण है। इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतिपाल व धमेन्द्र मिश्रा से अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान मुन्नी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतिपाल व धमेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए

6— समीक्ष्य वर्षों में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री को क्रय किया जाता है। जिनमें कुछ का उपयोग निर्माण कार्य मरम्मत हेतु किया जाता है। जबकि अनेकों क्रय सामग्री दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन में प्रयुक्त होती है नियमों के अन्तर्गत सभी क्रय सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में किया जाना आवश्यक होता है। बिना स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि के क्रय सामग्री के वास्तविक क्रय की पुष्टि नहीं होती है तथा फर्जी क्रय दर्शाकर धनराशि रु 363436.00 का अपहरण किया गया है विवरण निम्न प्रकार है।—

	वर्ष	विवरण	धनराशि
1—	2010–11	मौरंग, बजरी / सीमेन्ट, रेत ईट	19500.00
			188047.00
2—	2011–12	उपरोक्तानुसार	66430.00
			89459.00
योग—			363436.00

इस धनराशि रु 363436.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतिपाल व धर्मेन्द्र मिश्रा से अधिभार की कार्यवाही करते हुए संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

7— ग्राम निधि प्रथम की कोष बही के वर्ष 2010–11 में निर्धारित अभिलेख तैयार किये जाने के सम्बन्ध में चार्टर एकाउन्टेन्ट को रु 8000.00 का भुगतान कोषबही में अंकित किया गया है चार्टर एकाउन्टेन्ट के द्वारा तैयार किये गये निर्धारित लेखे एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं किये गये। जिनके अभाव में भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है। जो गम्भीर आपत्तिजनक है। अतः इसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते ग्राम प्रधान मुन्नी देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रतिपाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत- मिल्कीपुर**वर्ष 2005-06 से 2012-13**

8- समीक्ष्यवर्षों में ग्राम निधि प्रथम में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्ययों के क्रय प्रमाणक एवं सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली व ताहिर कुरैशी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कान्त पाण्डेय व धर्मेन्द्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से अपहरण किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली व ताहिर कुरैशी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डेय व धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

वर्ष	धनराशि
2008-09	1236618.00
2010-11	519346.00
2011-12	702694.00
योग-----2458658.00	

9- ग्राम निधि प्रथम के बैंक खातों से वर्ष 2007-2008 में रु 248774.00 एवं 2012-13 में रु 349780.00 को बैंक से आहरित कर कैशबुक में अंकित न करके आहरित धनराशि रु 248774. एवं 349780.00 का अपहरण किया गया है जैसा कि बैंक खातों से स्पष्ट होता है परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोषवही के आय में बिलकुल नहीं किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही जो अपहरण है। इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली व ताहिर कुरैशी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश कान्त पाण्डेय व धर्मेन्द्र मिश्रा से अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली व ताहिर कुरैशी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डेय व धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

10- समीक्ष्य वर्षों में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री को क्रय किया जाता है जिनमें कुछ का उपयोग निर्माण कार्यों मरम्मत हेतु किया जाता है। जबकि अनेकों क्रय सामग्री दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन में प्रयुक्त होती है। नियमों के अन्तर्गत सभी क्रय सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में किया जाना आवश्यक होता है। बिना स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि के क्रय सामग्री के वास्तविक क्रय की पुष्टि नहीं होती है। तथा फर्जी क्रय दर्शाकर धनराशि रु 1398859.00 का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	विवरण	धनराशि

2008-09	मौरंग, बजरी	208070.00
	सीमेन्ट, रेती	485874.00
2010-11	उपरोक्तानुसार	10800.00
2011-12	-----,,-----	240185.00
	-----,,-----	74696.00
	-----,,-----	379234.00
योग-----		1398859.00

इस धनराशि रु 1398859.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली व ताहिर कुरैशी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री महेशकान्त पाण्डेय व धर्मेन्द्र मिश्रा से अधिभार की कार्यवाही करते हुए संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत- अकबराबाद खैरपुर वर्ष 2011-12 से 2012-13

11- समीक्ष्य वर्षों में ग्राम निधि प्रथम में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के व्यय प्रमाणक क्रय मजदूरी के मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती सुआराम व हुस्नआरा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलकान्त एवं धर्मेन्द्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सुआराम व हुस्नआरा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलकान्त एवं धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है।-----

वर्ष	धनराशि
2011-2012	159526.00
2012-2013	232652.00
योग-----	392178.00

12- समीक्ष्य वर्षों में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री को क्रय किया जाता है। जिनमें कुछ का उपयोग निर्माण कार्यों मरम्मत हेतु किया जाता है। जबकि अन्य क्रय सामग्री दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन में प्रयुक्त होती है नियमों के अन्तर्गत सभी क्रय सामग्री की प्रविष्टि स्टाक पंजिका में किया जाना आवश्यक होता है। बिना स्टाक पंजिका में प्रविष्टि के क्रय सामग्री के वास्तविक क्रय की पुष्टि नहीं होती है तथा फर्जी क्रय दर्शाकर धनराशि रु 218400.00 का अपहरण किया गया है विवरण निम्न प्रकार है।-

वर्ष	विवरण	धनराशि

2011-12	मौरंग ,बजरी, सीमेन्ट रेटा	12870.00
	ईट	78947.00
2012-13	उपरोक्तानुसार	3930.00
	-----,,-----	122653.00
	योग-----	218400.00

इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुआराम व हुस्नआरा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलकान्त व धर्मेन्द्र मिश्रा से जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सुआराम व हुस्नआरा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलकान्त एवं धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत-लालपुर बड़ा गाँव वर्ष 2012-13 तिलहर

13- ग्राम निधि प्रथम के बैंक ऑफ बड़ौदा पासबुक के खाता संख्या 24007 से निम्न दिनांको 20-03-2013 को चैक संख्या 596074 से रु 12000.00, श्री शिशुपाल ने दिनांक 25-03-2013 को चैक संख्या 596075 के द्वारा रु 10000.00 नकद आहरण किया गया। जिसकी लेखा कोषवही में अंकित न करके रु 22000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शिशुपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री शिशुपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत-खुण्डरा वर्ष 2012-13 तिलहर

14- समीक्ष्य वर्ष 2012-2013 में ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता 23995 से 2012-13 में रु 2000.00 बैंक से आहरित कर कैशबुक में अंकित न करके आहरित धनराशि का अपहरण किया गया है।

बथुई अक्का वर्ष 2010-11 से 2012-13 तिलहर

15- समीक्ष्य वर्ष 2011-12 की ग्राम निधि प्रथम की कोषवही को बैंक पासबुक के खाता संख्या 4912 से मिलान करने पर लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि--

दिनांक	धनराशि
04-04-2011	5050.00
08-04-2011	1500.00
15-04-2011	25000.00
20-04-2011	25000.00
28-04-2011	25000.00
20-05-2011	2000.00
26-05-2011	25460.00

30-05-2011	29090.00
योग-----	138100.00

रु 138100.00 का आहरण किया गया जिसका लेखा कैशबुक के आय पक्ष में अंकित न करके रु 138100.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती जगदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती जगदेवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

16- ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या 23986 से

वर्ष	धनराशि
2011-12	318740.00
2012-13	483505.00
योग-----	802245.00

वर्षों में बैंक से आहरित धनराशि रु 802245.00 को कैशबुक में अंकित न करके आहरित धनराशि रु 802245.00 का अपहरण किया गया है। जैसा कि बैंक खाते से स्पष्ट होता है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखाकन कोषबही के आय पक्ष में बिलकुल नहीं किये जाने के कारण आहरित धनराशि रु 802245.00 ग्राम पंचायत के अभिलेखों से बाहर रही है। जिसका अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती जगदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती जगदेवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत- खण्डसार वर्ष 2010-11 से 2012-13 तिलहर

17- ग्राम निधि की कोषबही के वर्ष 2010-11 में दिनांक 30-07-2010 को निर्धारित अभिलेख तैयार किये जाने के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को रु 8000.00 का भुगतान कोषबही में अंकित किया गया है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा तैयार किये गये निर्धारित लेखों एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षाओं में उपलब्ध नहीं किये गये जिसके अभाव में भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे हैं। जो गम्भीर आपत्ति जनक हैं। अतः इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सीमा रानी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

18- ग्राम निधि प्रथम में कोषबही में दिनांक 01-06-2012 को आय पक्ष का प्रारम्भिक अवशेष रु 330.00 तथा माह में निम्नांकित दिनांक 01-06-2012 को रु 5000.00 व 01-06-2012 को रु 8000.00 खाता संख्या 2/83 से दिनांक 03-06-2012 को रु 35000.

00, 05-06-2012 को रु 41200.00 खाता संख्या-1/23992 से दिनांक 06-06-2012 को 80000.00, 23-06-2012 को 7000.00 एवं 26-06-2012 को 5000.00 माह में प्राप्त एवं दिनांक 26-06-2012 को रु 61958.00 रु का आहरण किया गया इस प्रकार आय पक्ष का कुल योग रु 243488.00 होता है। एवं व्यय पक्ष का कुल योग 167618.00 को आय पक्ष से घटाने के पश्चात रु 75870.00 अन्तिम रोकड़ शेष रह जाती है। किन्तु दिनांक 30-06-2012 को अन्तिम रोकड़ शेष 3870.00 थी। कैशबुक में अंकित की गयी है। जो कि रु 72000.00 से कम अन्तिम रोकड़ शेष दर्शाकर रु 72000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलकान्त ने संयुक्त रूप से किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलकान्त से की जानी चाहिए।

19- समीक्ष्य वर्ष 2011-12 की ग्राम निधि प्रथम की कोषवही को बैंक पासबुक खाता संख्या 23992 से मिलान करने पर लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि दिनांक 22-03-2012 को चैक संख्या 561737 के द्वारा नकद रु 22000.00/दिनांक 24-03-2012 को चैक संख्या 561740.00 के द्वारा रु 2000.00 एवं चेक संख्या 573733 के द्वारा रु 12400.00 आहरण किया गया जिसका लेख कैशबुक में आय पक्ष में अंकित न करके रु 36480.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलकान्त ने संयुक्त रूप से किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती रामादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलकान्त से की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत- हाजीपुर वर्ष 2008-2009 से 2012-13 तक तिलहर

20- समीक्ष्य वर्षों में ग्राम निधि प्रथम में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्ययों के व्यय प्रमाणक एवं सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतिपाल ने संयुक्त रूप से अपहरण किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रतिपाल से की जानी चाहिए।

वर्ष 2010-11 धनराशि- 446939.00

योग-----446939.00

21- ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाता संख्या से वर्ष 2011-12 में रु 501167.00 एवं 2012-13 में रु 347620.00 को बैंक से आहरित कर कैशबुक में अंकित न करके आहरित धनराशि रु 501167.00 एवं 347620.00 का अपहरण किया गया है। जैसा बैंक खाते से स्पष्ट होता है। परन्तु आहरित धनराशि का लेखाकन कोषवही के आय में बिलकुल नहीं किये जाने

के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही जो अपहरण है इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

22— समीक्ष्य वर्षों में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री को क्रय किया जाता है। जिनमें कुछ का उपयोग निर्माण कार्यों मरम्मत हेतु किया जाता है। जबकि अन्य क्रय सामग्री दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन में प्रयुक्त होती है नियमों के अन्तर्गत सभी क्रय सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में किया जाना आवश्यक होता है। बिना स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि के क्रय सामग्री के वास्तविक क्रय की पुष्टि नहीं होती है तथा फर्जी क्रय दर्शाकर धनराशि रु 375546.00 का अपहरण किया गया है विवरण निम्न प्रकार है।—

वर्ष	विवरण	धनराशि
2010—11	मोरंग बजरी, सीमेंट रेत	55691.00
	ईट	319855.00
	योग—	375546.00

इस धनराशि रु 375546.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से मय दण्डनीय व्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत— पालियॉपटटी वर्ष 2006—07 से 2012—13 तक तिलहर

23— समीक्ष्य वर्षों में ग्राम निधि प्रथम में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्ययों के व्यय प्रमाणक एवं सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती मधुवती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से अपहरण किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मधुवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप की जानी चाहिए।

वर्ष	धनराशि
2010—2011	273291.00
2011—12	255740.00
योग—	529031.00

24— ग्राम निधि प्रथम के बैंक खातों से वर्ष 2006—2007 में 211186.00, 2007—2008 में रु 397995.00 एवं 2012—13 में रु 345102.00 को आहरित कर कैशबुक में अंकित न करके आहरित धनराशि रु 211186.00, 397995.00 व 345102.00 का अपहरण किया गया है। जैसा

कि बैक खातो से स्पष्ट होता है परन्तु आहरित धनराशि का लेखाकन कोषवही के आय पक्ष में बिलकुल न किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही जो अपहरण है। इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधुवती ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मधुवती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से संयुक्त रूप की जानी चाहिए।

25— समीक्ष्य वर्षों में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री को ख़रिद किया जाता है। जिनमें कुछ का उपयोग निर्माण कार्यो मरम्मत हेतु किया जाता है। जबकि अन्य ख़रिद सामग्री दिन-प्रतिदिन के कार्यो के सम्पादन में प्रयुक्त होती है नियमों के अन्तर्गत सभी ख़रिद सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में किया जाना आवश्यक होता है। बिना स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि के ख़रिद सामग्री के वास्तविक ख़रिद की पुष्टि नहीं होती है तथा फ़र्जी ख़रिद दर्शाकर धनराशि रु 358661.00 का अपहरण किया गया है विवरण निम्न प्रकार है।—

वर्ष	विवरण	धनराशि
2010—11	मौरंग ,बजरी, सीमेन्ट रेत ईट	183180.00
2011—12	उपरोक्तानुसार	14467.00
	-----,,-----	161014.00
	योग-----	358661.00

इस धनराशि रु 358661.00 की वसूली ग्राम प्रधान मधुवती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा से मय दण्डनीय व्याज सहि अधिभार की कार्यवाही करते हुए संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत— नगला पृथ्वी उर्फ नगरिया वर्ष 2010—11 से 2012—13 तक तिलहर

26— ग्राम निधि की कोषवही के वर्ष 2010—11 में दिनांक 05—06—2010 को निर्धारित अभिलेख तैयार किये जाने के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को रु 80000.00 का भुगतान कोषवही में अंकित किया गया है। चाटेड एकाउन्टेन्ट के द्वारा तैयार किये गये निर्धारित लेखों एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षाओं में उपलब्ध नहीं करवाये जिनके अभाव में भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं किये गये। एवं व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त है। जो गम्भीर आपत्ति जनक हैं। अतः इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी कमलकान्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलकान्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

27— ग्राम निधि प्रथम की कोषवही में दिनांक 01—10—2011 का पक्ष का प्रारम्भिक अवशेष रु 2588.00 तथा माह में प्राप्त एवं आहरण रु 202314.00 कुल रु 204902.00 होता है। एवं व्यय पक्ष का कुल योग 184484.00 को आय पक्ष से घटाने के पश्चात रु 20418.00 अन्तिम रोकड़ शेष रहता है। दिनांक 31—10—2011 को अन्तिम रोकड़ शेष 2418.00 ही दर्शाया गया

है। इस प्रकार रु 18000.00 से अन्तिम रोकड़ शेष कम दर्शाकर रु 18000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सीमा रानी ने संयुक्त रूप से किया है। इसकी वसूली दण्डनीय व्याज सहित अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सीमा रानी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

28— समीक्ष्य वर्ष 2012-13 की ग्राम निधि प्रथम में कोषवही में बैंक पासबुक खाता संख्या 24003 से मिलान करने पर लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि दिनांक 19-04-2012 को बैंक के खाता संख्या 24003 से चैक सं० 576141 के द्वारा रु 40000.00 का नकद आहरण किया गया जिसका लेखा कैशबुक के आय पक्ष में रु 4000.00 का ही किया गया जो कि रु 36000.00 से कम का लेखा करके रु 36000.00 व्यय कम दर्शाया गया है। ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलकान्त के द्वारा संयुक्त रूप से रु 36000.00 का अपहरण किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलकान्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

29— समीक्ष्य वर्ष 2012-13 का ग्राम निधि प्रथम का कोषवही के बैंक के पासबुक के खाता संख्या 24003 से मिलान करने पर लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि दिनांक 08-08-2012 को बैंक खाता संख्या 24003 से चैक संख्या 576149 के द्वारा रु 12000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान ज्ञान देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कमलकान्त ने संयुक्त रूप से किया है। जिसकी वसूली अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलकान्त से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

जनपद— आगरा

मण्डल— आगरा

संस्था का नाम— ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का नाम—कौलारी विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

आपत्ति संख्या — 22

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम—श्री सुधीर कुमार शर्मा सचिव, श्री गुलाव सिंह प्रधान

प्रस्तर—1 माह जनवरी 2011 में आय पक्ष का योग 76930.00 तथा व्यय पक्ष का योग 72830.00 आता है जिसे 76565.00 दर्शाया गया है। अन्तर गणना अनुसार रु० 3735.00 का रहा जो बसूली योग्य है।

ग्राम पंचायत का नाम— सुडरई विकास खण्ड शमशाबाद जनपद आगरा

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम श्री मुरारी लाल राठौर सचिव (वर्तमान) एवं प्रधान

आपत्ति संख्या— 19

प्रस्तर 01 दिनांक 23.04.2011 में ग्राम निधि खाता संख्या 20001818.00 में से चैक संख्या— 66054 द्वारा रु० 70,000.00 का आहरण किया गया है जिसके सापेक्ष कैश बुक में मात्र रु० 7000.00 अंकित कर आय पक्ष का योग 134160.00 दर्शित किया गया है। व्यय पक्ष के तीन

व्यय प्रमाणकों का योग 127050.00 दर्शाकर अन्तिम शेष रू0 7110.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार सचिव व प्रधान द्वारा रू0 63,000.00 का स्पष्ट अपहरण किया गया है, जिसकी बसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 17

प्रस्तर 02 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर रू0 1000.00 दिनांक 05.07.2011 को जिला पंचायत राज अधिकारी को भुगतान किया जाना दर्शित पाया गया जबकि लेखा परीक्षा जांच में पंचायत कर की वसूली शून्य रही हैं। नियमानुसार पंचायत कर वसूली का 10 प्रतिशत ही जिला पंचायत राज अधिकारी के पी0एल0ए0 खाते में जमा किया जाना होता है, उक्त का पालन न कर विभागीय नियमों की स्पष्ट अवहेलना की गई। विभागीय जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम – जौनई विकास खण्ड सैंया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या – 03

प्रस्तर 01 वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण सामग्री का क्रय निम्न प्रकार कैश बुक में दर्शाया गया है—

क्रम	मद	दिनांक	मात्रा	दर	मूल्य
1	गिट्टी	02.05.2012	961.53 धनफुट	52.00 / धनफुट	50000.00
2	गिट्टी	26.05.2012	1153.85 धनफुट	65.00 / धनफुट	75000.00
3	गिट्टी	08.03.2013	1000 धनफुट	50.00 / धनफुट	50000.00
4	बालू	01.06.2012	1600 धनफुट	501 / धनफुट	80000.00
5	बालू	08.03.2013	2100 धनफुट	501 / धनफुट	105000.00
6	ईट	01.10.2012	4000 नं0	3.831 / ईट	15320.00
7	ईट	28.12.2012	8000 नं0	3.83 / ईट	30640.00
8	ईट	08.03.2013	3000 नं0	3.83 / ईट	11490.00
9	सीमेंट	08.03.2013	150 वौरी	290 / वौरी	43500.00
				अतिरिक्त मात्रा	10.00
				योग	460960.00

उक्त भवन निर्माण सामग्री क्रय करने में निम्न आपत्तियाँ हैं—

(1) उक्त क्रय मूल्य रू0 460960.00 में मात्र 70000.00 अग्रवाल बिल्डर्स सैंया को चैक के माध्यम से भुगतान किया गया शेष रामवीर के नाम से भुगतान प्राप्त किए गये हैं, जो प्रथम दृष्टया शासन की नीतियों के प्रतिकूल है।

(2) दिनांक 02.05.2012 को गिट्टी क्रय दर 52/- धनफुट व दिनांक 26.05.2012 को 65/- प्रति धनफुट दर्शाया गया है, साथ ही दोनों ही दरे समकालीन वास्तविक दरो से काफी उच्च हैं। अतः अनुदान का विकासात्मक उपयोग नहीं किया गया केवल व्यय हेतु उपभोग किया गया दर्शाता है,

(3) दिनांक 28.12.2012 को रू0 30640.00 वी0के0 कन्ट्रसक्शन से 8000 ईकाई ईट दर 3.83 / ईट दर्शाया गया है इस क्रय हेतु भुगतान रू0 25000.00 दिनांक 21.12.2012 चैक संख्या 21009577 द्वारा रामवीर 28.12.2012 चैक संख्या 21009576 लवली एटरप्राइजेज किया

गया है स्पष्ट है यह क्रय वास्तव में नहीं हुआ बल्कि कैशबुक में क्रयमद में व्यय दर्शाया गया है।

(4) दिनांक 08.03.2013 को 150 बोरी सीमेन्ट रु0 43500.00 क्रय किया गया कैशबुक में दर्शाया गया है उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 3105.38 धनफुट गिट्टी 3700 धनफुट बालू 15000 ईकाई ईट को किसी भी कार्य में 1500 बोरी सीमेन्ट के साथ नहीं लगाया जा सकता है।

(5) उक्त क्रय सामग्री की पुष्टि स्टॉक रजिस्टर द्वारा भी नहीं कराई गई

(6) उक्त क्रय सामग्री का कोई व्यय/वाउचर/बिल लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया।

(7) क्रय सामग्री की खरीद, बैंक से भुगतान सामग्री के उपयोग में कैशबुक में आधार पर विरोध गया है, पूरे वर्ष क्रय सामग्री का उपभोग मार्च में दर्शाया गया है वह भी मात्र कैशबुक में उपभोग की पुष्टि हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्टॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त आपत्तियों के आधार पर रु0 460960.00 की क्रय सामग्री धनराशि के अपहरण के इरादे से मात्र कैशबुक में दर्शाया गई है। अतः रु0 460960.00 की वसूली तत्कालीन सचिव एवं ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या – 04

प्रस्तर 02 वित्तीय वर्ष में विभिन्न तिथियों में मजदूरी मद में कैशबुक में व्यय निम्न प्रकार दर्शाया गया है—

क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
01	01.06. 2012	धर्मवीर के घर से भैरो के घर तक 25 एम0एम0 गिट्टी विछवाई मजदूरी भुगतान	39760.00
02	22.03. 2012	सी0सी0 खंरजा धर्मवीर के घर से भैरो तक खडजा निर्माण मजदूरी भुगतान	24906.00
03	30.03. 2013	चन्द्रबीर के घर से जगदीश के घर तक नाली निर्माण मजदूरी भुगतान	16800.00
04	31.03. 2013	नला निर्माण रतन सिंह के घर से श्यामवीर के घर तक मजदूरी भुगतान	13800.00
		कुल	95266.00

उपरोक्त विवरण में क्रम सं0 1 पर दर्शित कार्य किसी सिविल इंजी0 की विधा के अनुसार सी0सी0 अथवा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता अतः उक्त कार्य दर्शाकर केवल कैशबुक में व्यय दर्शाया गया है, साथ इस कार्य से सम्बन्धित कोई मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इस कार्य के वास्तव होने की पुष्टि तकनीकी एवं सैद्धान्तिक आधार पर नहीं होती।

क्रम सं0 2,3,4 पर दर्शित कार्य केवल कैशबुक में दर्शाया गया है, इनसे सम्बन्धित भी मस्टररोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नहीं पाये गये इनके कार्यों पर दर्शाया गया व्यय वास्तव में हुआ पुष्टि नहीं होती है।

यह भी स्पष्ट करना है, कि कैशबुक में किसी मद में दर्शाया गया व्यय, किसी कार्य विशेष के वास्तव में धरातल पर कार्य सम्पन्न होने की पुष्टि प्रमाण नहीं है, इस हेतु कैशबुक में दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु अनेक पुष्टि प्रमाणों की आवश्यकता होती है, जो प्रस्तुत नहीं किए गये, अतः विभिन्न कार्यों पर व्यय हुए (मजदूरी मद में) रू0 95266.00 की पुष्टि मस्टररोल, कार्य के भौतिक सत्यापन का प्रमाण प्रस्तुत के अभाव में रू0 95266.00 के अपहरण की पुष्टि होती है। अतः रू0 95266.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव देवी सिंह व ग्राम प्रधान रामवीर सिंह से कर ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 05

प्रस्तर 03 दिनांक 21.06.2012 को खाता संख्या 399802010663144 से चैक संख्या 21009573 द्वारा नरेश कुमार को रू0 16155.00 का (भुगतान) आहरण आय पक्ष में दर्शाया गया व्यय पक्ष में उक्त धनराशि को खाते में जमा दर्शाया, जिसकी पुष्टि किसी बैंक स्टेटमेंट से नहीं होती, वल्कि ऐसा मात्र कैशबुक में मासिक आय-व्यय को समायोजित करने हेतु किया गया उक्त आहरण रू0 16155 के सापेक्ष किसी व्यय को नहीं दर्शाया गया स्पष्ट है, कि रू0 16155.00 का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव देवी सिंह से कर ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या — 06

प्रस्तर संख्या 04 दिनांक 10.05.2012 को रामबीर सिंह द्वारा रू0 10,000.00 चैक संख्या—21009564 खाता संख्या— 663144 से आहरण किया गया है लेकिन इसकी प्रविष्टि कैशबुक में नहीं पाई गई। धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री देवी सिंह व ग्राम प्रधान श्री रामबीर सिंह से कर ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 15

प्रस्तर संख्या— 05 दिनांक 20.06.2012 को चैक संख्या 21009568 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा को रू0 2000.00 का भुगतान पी0एल0ए0 खाते में किया गया है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2012—13 में पंचायत कर की वसूली नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में पंचायत कर का भुगतान किस आधार पर किया गया है स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—06 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोककर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनिय- मितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	जौनई	सैया	आगरा	2000	18000	—	—	15	—

ग्राम पंचायत तेहरा विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

प्रस्तर संख्या— 01 वर्ष 2012-13 में भवन निर्माण सामग्री क्रय करने एवं उसके उपभोग करने में गम्भीर अनियमितता दर्शाई गई है। उदाहरण के लिए ईट क्रय एवं उसका उपभोग निम्न प्रकार दर्शाया गया है—

दिनांक	वा. स.	मात्रा नं.	मूल्य	कुल ईट स्टाक	उपभोग ईट सं०	शेष ईट स्टाक	कार्य का नाम जिसमें ईट उपभोग की गई
19.5.12	6	20000	76600	20000	—	20000	—
19.5.12	7	14595	55800	34595	—	34595	—
29.5.12	8	20000	76600	54595	—	54595	—
29.5.12	9	20000	76600	74595	—	74595	—
30.5.12	—	—	—	74595	3895	70700	एल.टाइप नाली निर्माण
16.6.12	14	20000	76600	90700	—	90700	—
16.6.12	15	20000	76600	110700	—	110700	—
28.6.12	—	—	—	110700	31500	79200	खरन्जा निर्माण
30.6.12	—	—	—	79200	3300	75900	खरन्जा निर्माण
7.7.12	19	20000	76600	95900	—	95900	—
27.7.12	—	—	—	95900	4000	91900	एल.टाइप नाली
15.11.12	—	—	—	91900	60575	31325	खरन्जा निर्माण
15.11.12	25	20000	76600	51325	—	51325	—
24.11.12	—	—	—	51325	16625	34700	खरन्जा निर्माण
24.11.12	27	20000	76600	54700	—	54700	—
26.11.12	29	20000	76600	74700	—	74700	—
21.12.12	—	—	—	74700	17600	57100	खरन्जा मरम्मत
24.12.12	—	—	—	—	4725	52375	खरन्जा मरम्मत
10.1.13	—	—	—	—	7500	44875	यू. टाइप नाली

19.1.13	—	—	—	—	3500	41375	यू. टाइप नाली
23.1.13	—	—	—	—	5525	35850	खरन्जा निर्माण
8.2.13	—	—	—	—	1800	34050	एल. टाइप नाली
19.2.13	—	—	—	—	10700	23350	के. सी. टाइप नाली
23.3.13	60	21905	92000	45255	—	45255	—

उपरोक्त विवरण के आधार पर निम्न गम्भीर आपत्तियाँ पाई गई—

(1) क्रय सामग्री एक ही फर्म अग्रवाल वि० मै० सैया से क्रय की गई जबकि बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था ऐसा न कर वर्ष भर एक ही फर्म से सामग्री क्रय की गई, जो गम्भीर आपत्ति जनक है।

(2) दिनांक 19.5.2012 से 29.5.2012 तक 74595 ईट क्रय की गई जबकि उपभोग 30.5.2012 को मात्र 3895 ईटों का नाली निर्माण में किया गया आवश्यकता न होने पर भी सामग्री का क्रय क्यों किया गया।

(3) दिनांक 23.03.2013 को स्टॉक में 23350 ईटों के होते हुए भी 21905 ईटों का क्रय और किया गया, जबकि उक्त तिथि अथवा उसके बाद कोई ऐसा काम प्रारम्भ नहीं किया गया, जिसमें इतनी ईटों की आवश्यकता हो।

(4) वर्षान्त में 45255 ईट शेष है, स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्टॉक के वास्तविक रूप में होने की पुष्टि हो सके।

उपरोक्त आपत्तियों के प्रकाश में स्पष्ट है कि भवन निर्माण सामग्री क्रय प्रक्रिया, उपभोग, शेष स्टॉक में पारदर्शिता नहीं है, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है, साथ ही सुझाव दिया जाता है कि भवन निर्माण सामग्री का क्रय बाजार प्रतिस्पर्धा प्रणाली के आधार पर कार्यों के पूर्व प्राकलन के अनुसार ही किया जाये। साथ ही उक्त क्रय दोषपूर्ण क्रय प्रक्रिया अपनाने हेतु उत्तरदायी सचिव एवं ग्राम प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—5

प्रस्तर संख्या—2 वित्तीय वर्ष 2012—13 के प्रदत्त अभिलेखों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा वर्ष दौरान क्रय भवन निर्माण सामग्री एवं उसका उपभोग निम्न मात्रा अनुसार तैयार किया गया है—

क्र० सं०	सामग्री मद का नाम	वर्ष दौरान क्रय मात्रा	वर्ष दौरान उपभोग	वर्षान्त में शेष(31.03.2013)	
				मात्रा	मूल्य
1	ईट	216500 nos	171245 nos	45255	181239.00

2	बालू/रेता	5109 घनफुट	3264 घनफुट	1845 घनफुट	73800.00
3	पत्थर गिट्टी	5590 घनफुट	4145 घनफुट	1445 घनफुट	57800.00
4	इट गिट्टी	1190 घनफुट	682 घनफुट	508 घनफुट	13208.00
5	सीमेंट	1150 बोरी	897 बोरी	253 बोरी	75900.00
					401947.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार 31.03.2013 को निर्माण सामग्री के विभिन्न मद जो शेष थे, का मूल्य क्रय मूल्य के आधार पर रु0 401947.00 होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के अभिलेखों में उक्त किसी प्रकार की निर्माण सामग्री को शेष नहीं दर्शाया गया है, साथ ही 31.03.2013 को अवशेष स्टॉक की सत्यापित सूची भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु0 401947.00 की शेष निर्माण सामग्री का अपहरण कर लिया गया, जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव, टी0सी0 गुप्ता को उत्तरदायी मानते हुए रु0 401947.00 की वसूली कर ग्राम निधि के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही भवन निर्माण सामग्री क्रय में भारी अनियमितता बरती गयी है। उदाहरण के लिए दिनांक 19.05.2012 से 16.06.2012 के बीच कुल रु0 438800.00 की 114595 ईंटें क्रय की गयी, इसबीच उपभोग मात्र 3895 ईंटों का उपभोग किया गया, स्पष्ट है कि निर्माण सामग्री का क्रय ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के हित में नहीं किया गया, ऐसे नियम विरुद्ध क्रय हेतु ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-3

प्रस्तर सं0-3 वित्तीय वर्ष 2012-13 में कैशबुक के अनुसार छात्रवृत्ति खाते से धनराशि का आहरण व छात्रवृत्ति का वितरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है-

क्रम सं0	छात्रवृत्ति खाते से आहरण		छात्रवृत्ति वितरण		
	दिनांक	धनराशि	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	धनराशि
1	17.04.2012	100000.00	शिवज्योति प0स्कूल, तेहरा	304	91200.00
2	23.04.2012 26.04.2012	50000.00 50000.00	शिवज्योति प0स्कूल, तेहरा	190	57000.00
3	28.04.2012	50000.00	सरस्वती ज्ञान मंदिर तेहरा	230	69000.00
4	02.05.2012	75000.00	सांवलेराम मेमो0 प्रा0पा0 तेहरा	380	114000.00
योग		325000.00		1104	331200.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति खाते से ₹0 325000.00 का आहरण किया गया है, जिसके सापेक्ष विभिन्न विद्यालयों के कुल 1104 छात्र-छात्राओं को ₹0 300.00 प्रति छात्र की दर से कुल ₹0 331200.00 वितरण किया गया, अतः ₹0 6200.00 आहरण से अधिक वितरण किया गया, उक्त अधिक वितरित धनराशि ग्राम निधि-1 के खाते से आहरित कर वितरण दर्शाया गया, जो धन का दुरुपयोग है, जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव टी0सी0गुप्ता से कर ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही इसप्रकार मद से भिन्न उपभोग न करने हेतु कठोर चेतावनी जारी किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-6

प्रस्तर संख्या- 04 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से वसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में बैंक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र0 सं0	नाम ग्राम पंचायत	वि0 खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि0	अनिय मितता	आप0 संख्या	अभ्युक्ति
1	तेहरा	सैया	आगरा	2000	18000	—	—	06	—

ग्राम पंचायत- मुरकिया विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या-15

प्रस्तर संख्या- 01 दिनांक 19.05.2012 को बैंक संख्या 993216 द्वारा ₹0 5000.00 का आहरण किया गया है परन्तु उक्त आहरित धनराशि कैशबुक के आय-व्यय पक्ष में दर्शित नहीं पाई गई। स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिसे ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेम सिंह तथा प्रधान श्री धर्मवीर सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नगला मोहरे विकास खण्ड सैंया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या-11

प्रस्तर संख्या- 01 वित्तीय वर्ष 2012-13 में रोजगार सेवक श्री बंन्टी कुशवाह मानदेय के मद में मनरेगा खाते से निम्न प्रकार भुगतान किया गया है-

क्र० सं०	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
1	02.05.2012	741562	10,000.00
2	04.09.2012	741566	6,000.00
3	10.10.2012	741569	12,000.00
4	09.01.2013	741572	9,900.00
योग-			37,900.00

उक्त मानदेय के भुगतान का कोई शासनादेश/मनरेगा गाइड लाइन लेखा परीक्षा के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया परिणाम स्वरूप किस दर से भुगतान किया जायेगा स्पष्ट नहीं है साथ ही मानदेय रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे वर्ष दौरान वाजिव मानदेय व भुगतान एवं शेष की स्थिति स्पष्ट हो सके।कैशबुक में दर्शित दर 2500/माह से भी 15 माह से अधिक का भुगतान होता है। स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा रू० 7,900.00 अनियमित भुगतान माना जायेगा।

आपत्ति संख्या-12

प्रस्तर संख्या- 02 दिनांक 11.10.2012 को मनरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरों को निम्न प्रकार भुगतान किया गया-

क्र०सं०	नाम श्रमिक	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
1	गौतम शुक्ल	11.10.2012	741570	1800.00
2	धर्मवीर सिंह	11.10.2012	741571	1800.00
योग-				3600.00

मनरेगा कैशबुक में उक्त श्रमिकों का भुगतान एवं सम्बन्धित धनराशि की वापिसी जमा दर्शाया गया है, बैंक से आहरण की पुष्टि होती है लेकिन पुनः जमा की पुष्टि नहीं हो अतः उक्त धनराशि रू० 3600.00 का अपहरण कर लिया जिसकी बसूली सचिव/ग्राम प्रधान से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— जाजऊ विकास खण्ड सैंया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या—5

प्रस्तर संख्या— 01 माह सितम्बर 2012 के अन्त में प्रधान पर नकद शेष रू0 480.80 दर्शाया गया है जबकि प्रधान के पास नकद शेष रू0 482.80 शेष रहता है। अतः रू0 2.00 कम नकद शेष दर्शाया गया है। जिसकी वसूली कर ग्राम निधि प्रथम में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— महादेवा विकास खण्ड सैंया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 3

प्रस्तर संख्या— 01 निम्न तिथियों में वृक्षारोपण व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है—

क्र०सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि	कैशबुक के अनुसार भुगतान	बैंक पास बुक के अनुसार
1	1.5.12	644223	15930	नरेश कुमार वर्ष 11—12	नरेश कुमार
2	17.11.12	647048	15990	नरेश कुमार वर्ष 12—13	केवल कैश भुगतान दर्शाया
			31920.00		

उक्त व्यय हेतु भुगतान कैश प्राप्त किया गया है अर्थात् भुगतान रेखांकित चैक के माध्यम से नहीं किया गया। इस व्यय के सापेक्ष किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया। अतः उक्त व्यय धनराशि के अपहरण के मकसद से दर्शाया गया है। अतः रू0 31920.00 की वसूली दण्डात्मक व्याज के साथ किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 6

प्रस्तर संख्या— 02 वित्तीय वर्ष 2012—13 में दिनांक 29.12.12 को सफाई मद में रू0 8000.00 व्यय दर्शाया गया है जबकि प्रत्येक ग्राम सभा में सफाई कर्मी की तैनाती है सफाई कर्मी की अनुपस्थिति की दशा में भी कोई धनराशि व्यय नहीं की जा सकती अतः उक्त व्यय अपहरण की दृष्टि से दर्शाया गया है जिसकी बसूली ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8

प्रस्तर संख्या— 03 वित्तीय वर्ष 2012—13 में मिष्ठान वितरण दर्शाकर रू0 12300.00 का व्यय किया गया

15.08.2012	4300.00
26.01.2013	8000.00

	12300.00

राज्य वित्त आयोग अथवा अन्य अनुदान ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में उपभोग की जाने हेतु प्रदान की जाती है। इस प्रकार के व्यय धन का दुरुपयोग अथवा अपहरण की श्रेणी में आते हैं। अतः रु० 12300.00 की बसूली ग्राम पंचायत सचिव से कर ग्राम निधि खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— पनौता विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 3

प्रस्तर संख्या— 01 सितम्बर 2012 में मासिक व्यय पक्ष का योग कैशबुक में रु० 34664.00 दर्शाया गया है। जबकि यह योग रु० 34564.00 होता है, इस प्रकार व्यय पक्ष का योग रु० 100 अधिक दर्शाकर मासान्त में नकद अवशेष को प्रभावित किया गया। मासान्त में नकद अवशेष रु० 275.00 दर्शाया गया है जबकि यह अवशेष रु० 375.00 होता है अर्थात् नकद रु० 100.00 कम दर्शाया गया है जिसकी बसूली ग्राम प्रधान से कर ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 8

प्रस्तर संख्या—02 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी०एल०ए० खाते में बैंक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी०एल०ए० खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुवि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	पनौता	सैया	आगरा	1000	9000	—	—	08	—

ग्राम पंचायत— रजपुरा विकास खण्ड सैंया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 6

प्रस्तर संख्या— 01 ग्राम प्रधान श्रीमती विजय भारती को मानदेय भुगतान वर्ष 2012—13 में निम्न विवरण के अनुसार किया गया है —

क्र०सं	दिनांक	चैक सं०	धनराशि	अवधि	लेखा परीक्षा अनुसार भुगतान तिथियो तक अधिकतम भुगतान अवधि
1	01.11.12	21009610	9000.00	12 माह	07 माह
2	19.2.13	21009620	3750.00	5 माह	04 माह

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 01.12.2012 को अधिकतम सात माह का मानदेय रू० 5250.00 भुगतान किया जा सकता है जबकि रू० 9000.00 भुगतान किया गया है अर्थात् रू० 3750.00 अधिक भुगतान किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 19.02.2013 को अधिकतम चार माह का भुगतान रू० 3000.00 किया जा सकता है जबकि इसी अवधि में रू० 3750.00 भुगतान किया गया है अर्थात् रू० 750.00 अधिक भुगतान किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2012—13 में कुल रू० 4500.00 अधिक भुगतान किया गया जिसकी बसूली श्री अनिल कुमार सिंह सचिव तथा श्रीमती विजय भारती सारस से करके ग्राम निधि खाते जमा कराया जाना अपेक्षित है।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि वित्तीय वर्ष 2011—12 में भी प्रधान के मनदेय में निम्न विवरण के रूप में भुगतान प्राप्त कराया गया था—

क्र०सं०	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	अवधि
1	17.10.2011	21007909	8250.00	अज्ञात
2	17.11.2011	21007916	10000.00	अज्ञात

स्पष्ट है कि गत वित्तीय वर्ष 2011—12 में भी रू० 12250.00 अधिक भुगतान प्राप्त कर चुके हैं। इस धनराशि की बसूली उक्त दोनो से कर ग्राम निधि खातों में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— सौरा विकास खण्ड सैंया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 7

प्रस्तर संख्या— 01 वित्तीय वर्ष 2012—13 में मनरेगा अनुदान से ग्राम रोजगार सेवक श्री मुकेश कुमार को मानदेय मद में निम्न प्रकार भुगतान दर्शाया गया है।

दिनांक	धनराशि
27.7.2012	10000.00
9.11.2012	15000.00
6.3.2013	6000.00
योग	31000.00

जबकि मनरेगा की वेबसाइट दर्शित विवरण में इस मद में ₹0 16000.00 व्यय दर्शाया गया है स्पष्ट है कि मानदेय में रोजगार सेवक को ₹0 15000.00 अधिक भुगतान किया गया है, अधिक भुगतान करने अथवा वेबसाइट कम धनराशि फीडिंग का कारण स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त ₹0 15000.00 की बसूली रोजगार सेवक श्री मुकेश कुमार से कर खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-02 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में बैंक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से तक की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	सोरा	सैया	आगरा	1000	9000	—	—	09	—

ग्राम पंचायत- मुखरई विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या- 16

प्रस्तर संख्या-01 वित्तीय वर्ष 2012-13 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत रोजगार सेवक श्रीमती वृजेश कुमारी को ₹0 60400.00 का भुगतान निम्नानुसार किया गया है-

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	
1	28.05.2012	741642	22500.00	इस धनराशि की पुष्टि मनरेगा वेबसाइट से होती है प्रमाण संलग्न है इस धनराशि की पुष्टि मनरेगा वेबसाइट से नहीं होती
2	29.01.2013	741648	37900.00	
			योग- 60400.00	

उक्त भुगतान से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आई

1. क्रम संख्या 1 पर दर्शित धनराशि ₹0 22500.00 की पुष्टि मनरेगा वेबसाइट पर दर्शित वर्ष 2012-13 में खाते के अनुसार होती है लेकिन क्रम संख्या 2 पर दर्शित धनराशि ₹0 37900.

00 की पुष्टि उक्त अभिलेख से नहीं होती है। अतः रू0 37900.00 का भुगतान अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है।

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 में मनरेगा के अन्तर्गत कुल 504 मानक दिवस ग्राम पंचायत की कैशबुक के अनुसार सृजित किये गये हैं जिसके सापेक्ष 60,400.00 का भुगतान किया है। अतः रू0 37,900.00 का भुगतान अनियमित श्रेणी में आता है।
3. अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रतिमाह रू0 2500.00 की दर से भी वित्तीय वर्ष में अधिक भुगतान किया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में अनियमित भुगतान धनराशि रू0 37,900.00 की वसूली ग्राम रोजगार सेवक श्रीमती वृजेश कुमार से कर मनरेगा खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है एवं भुगतान करने हेतु ग्राम पंचायत सचिव पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
- 4.

प्रस्तर संख्या- 05 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से वसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में बैंक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	मुखरई	सैया	आगरा	2000	18000	—	—	05	—

आपत्ति संख्या- 10

प्रस्तर संख्या- 03 वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न सी सी कार्य कराये गये जिन में उपभोग निर्माण सामग्री की मात्रा नियमानुसार उपभोग सामग्री की मात्रा से अधिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है—

उपरोक्त कराये गये कार्यों से सम्बन्धित सार्वजनिक निर्माण कार्यों के रजिस्टर से प्राप्त विवरणों में निम्न आपत्तियाँ पाई गई—

क्रम सं०	कार्य का माप	माप (वर्ग मी०)	सार्वजनिक रजिस्टर में दर्शाये विवरण के अनुसार उपभोग सामग्री मद				कुल मूल्य	लेखा परीक्षा अनुसार				मूल्य	अन्तर
			बालू/रेता	सीमेंट	गिट्टी पत्थर	गिट्टी ईट		बालू/रेता	सीमेंट	गिट्टी पत्थर	गिट्टी ईट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	मेनरोड से लवानिया के घर तक	329.31	629.5 घनफुट	253 बोरी	1310 घनफुट	295 घनफुट	160830	546	114	1092	295	107390	53440
2.	महेश लवानिया के घर से	296.1	404 घनफुट	154 बोरी	795 घनफुट	130 घनफुट	97540	491	102	982	130	92900	4640
3.	नरेश के घर से गंगाराम के घर तक	269.25	500 घनफुट	165 बोरी	840 घनफुट	155 घनफुट	107130	447	93	893	155	85530	21600
4.	गंगाराम के घर से डा केदार सिंह के घर तक	279.25	490 घनफुट	172 बोरी	840 घनफुट	102 घनफुट	107452	462	96	926	102	86972	20480
	योग	1173.91	—	—	—	—	472952	—	—	—	—	372792	100160

- उपरोक्त कार्यों की विस्तृत माप यथा लम्बाई, औसत चौड़ाई, मोटाई नहीं दर्शायी गई क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दर्शाया गया है जो अत्यन्त आपत्ति जनक है अतः सभी कार्यों की यथा सम्भव विस्तृत माप दर्शाया जाना अपेक्षित है
- उपरोक्त कार्यों के स्थलीय निरीक्षण की तिथि नहीं दर्शायी गई जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या के साथ तिथि अंकित किया जाना अपेक्षित है।
- उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सी०सी० रोड का कार्य कराते समय तकनीकी पहलुओं को नजर अन्दाज किया गया वास्तविक रूप से अधिक सामग्री का उपभोग दर्शाकर निर्माण सामग्री के रूप में धनराशि का अपहरण किया गया है निर्माण सामग्री का उपभोग मूल्य रु० 472952.00 दर्शाया गया है जबकि लेखा परीक्षा अनुसार उपभोग तकनीकी आधार पर 1: 4: 8 (सीमेंट : बालू : गिट्टी) के अनुपात व 10 से०मि० सी०सी० की मोटाई मानते हुये गणना की गई जिसके अनुसार निर्माण सामग्री के मदों का मूल्य रु० 372792.00 होता है अतः रु० 100160.00 के मूल्य की निर्माण सामग्री का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री त्रिलोक चन्द्र गुप्ता द्वारा कर लिया गया जिसकी कर ग्राम निधि के खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

4.

ग्राम पंचायत— हिरौडा विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 11

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी०एल०ए० खाते में बैंक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी०एल०ए० खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि

अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	हिरोडा	सैया	आगरा	2000	18000	—	—	11	—

ग्राम पंचायत— नदीम विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 12

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी०एल०ए० खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी०एल०ए० खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	नदीम	सैया	आगरा	2000	18000	—	—	12	—

ग्राम पंचायत— कुकावर विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 14

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी०एल०ए० खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी०एल०ए० खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	कुकावर	सैया	आगरा	2000	18000	—	—	14	—

ग्राम पंचायत— लादूखेडा विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 12

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी०एल०ए० खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी०एल०ए० खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जन पद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	लादूखेडा	सैया	आगरा	2000	18000	—	—	12	—

ग्राम पंचायत— गडसान विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 13

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी०एल०ए० खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी०एल०ए० खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जन पद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	गडसान	सैया	आगरा	2000	18000	—	—	12	—

ग्राम पंचायत— इरादतनगर विकास खण्ड सैया जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 10

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	इरादत नगर	सैया	आगरा	2000	18000	—	—	12	—

ग्राम पंचायत— फूलपुर विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 24

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	फूलपुर	शमसाबाद	आगरा	2000	18000	—	—	24	—

ग्राम पंचायत— करौधना विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 24

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल धनराशि	अपहरण	दुर्वि०	अनियमितता	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	करौधना	शमसाबाद	आगरा	2000	18000	—	—	24	—

ग्राम पंचायत— बिसेरी गोरवा विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 21

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	बि०गोरवा	शमसाबाद	आगरा	1000	9000	21	—

ग्राम पंचायत— इनायतपुर विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 22, 23

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का

10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	इनायतपुर	शमसाबाद	आगरा	2000	18000	22	—
2	इनायतपुर	शमसाबाद	आगरा	1200	10800	23	—

ग्राम पंचायत— धनौला कला विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 21

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से बसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	ध०कला	शमसाबाद	आगरा	2000	18000	21	—

ग्राम पंचायत— पट्टीशेखपुर विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 22

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से वसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया

गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	प०शेखपुर	शमसाबाद	आगरा	1000	9000	22	—

ग्राम पंचायत— एच एन खेंडा विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 18

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से वसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में बैंक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	एचएन खेंडा	शमसाबाद	आगरा	2000	18000	18	—

ग्राम पंचायत— कोलारा कला विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा

आपत्ति संख्या— 20

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से वसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में बैंक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि

अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	को०कला	शमसाबाद	आगरा	2000	18000	20	—

ग्राम पंचायत— मीरपुर विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा आपत्ति संख्या— 20

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से वसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी०एल०ए० खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी०एल०ए० खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल जमा धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	मीरपुर	शमसाबाद	आगरा	1000	9000	20	—

ग्राम पंचायत— रोहई खास विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा आपत्ति संख्या— 17

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से वसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी०एल०ए० खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल वसूली का 10 प्रतिशत पी०एल०ए० खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	रोहई खास	शमसाबाद	आगरा	2000	18000	17	—

ग्राम पंचायत— चितौरा विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा आपत्ति संख्या— 18

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से वसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	चितौरा	शमसाबाद	आगरा	2000	18000	18	—

ग्राम पंचायत— गुबरारी विकास खण्ड शमसाबाद जनपद आगरा आपत्ति संख्या— 20

प्रस्तर संख्या—01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की वसूली को ग्राम पंचायत की कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है पंचायत कर से वसूल की गई धनराशि का 10 प्रतिशत जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा के पी0एल0ए0 खाते में चैक के माध्यम से जमा किया गया है शेष धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में माना गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर की बसूली की गई है तथा कुल बसूली का 10 प्रतिशत पी0एल0ए0 खाते में जमा किया गया है। शेष 90 प्रतिशत अनियमित रूप से ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा रोक कर रखा गया जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः 90 प्रतिशत अवशेष पंचायत कर की बसूली ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम पंचायत	वि० खण्ड	जनपद	कुल धनराशि	अपहरण	आप० संख्या	अभ्युक्ति
1	गुबरारी	शमसाबाद	आगरा	2000	18000	20	—

जनपद फिरोजाबाद मंडल आगरा
संस्था का नाम – ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का नाम जाटऊ विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद
प्रधान श्री मुकेश कुमार सचिव श्री जितेन्द्र सिंह

प्रस्तर 01— बैंक खाता सं० 8439 से चैक सं० 455289 से दि० 13.3.2013 को रू० 5000.00 का आहरण कर कैशबुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

ग्राम पंचायत का नाम खेरालंगर विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद
प्रधान श्रीमती शमीना नाजमी सचिव श्री दिलीप सिंह

प्रस्तर 01— फरवरी 2012 के अंतिम रोकड शेष रू० 13700.00 को आगामी माह मार्च 2012 के प्रारंभ शेष में अंकित न कर रू० 13700.00 का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 12

प्रस्तर 02— वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 258936 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 208467.00 कुल 467403.00 के सापेक्ष दि० 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं० 19893 में रू० 45123.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू० 422280.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

श्री बादाम सिंह, पूर्व प्रधान	रू० 211140.00
श्री महेन्द्र सिंह, ग्रा०पं०अधि०	रू० 105570.00
श्री दिलीप सिंह, ग्रा०पं०अधि०	रू० 105570.00

ग्राम पंचायत का नाम जौंधरी विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 608479 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 399104.00 कुल 1007583.00 के सापेक्ष दि० 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं० 8942/9877 में रू० 206560.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू० 801023.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

तत्कालीन पूर्व प्रधान	रू० 400511.50
श्री दिलीप सिंह, ग्रा०पं०अधि०	रू० 400511.50

ग्राम पंचायत का नाम जसरथपुर विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 530289 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 336138.00 कुल 866427.00 के सापेक्ष दि० 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं० 19876 में रू० 39667.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू० 826760.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

श्री मुन्नालाल यादव पूर्व प्रधान	रू० 413380.00
श्री महेन्द्र कुमार, ग्रा०पं०अधि०	रू० 413380.00

ग्राम पंचायत का नाम जाखई विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 2590576 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 1576055.00 कुल 4166631.00 के सापेक्ष दि0 31.3.12 को ग्रामनिधि खाता सं0 7642 में रु0 201609.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 3965022.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती कांता देवी पूर्व प्रधान	रु0 1678640.75
श्रीमती मुन्नी देवी प्रधान	रु0 607740.50
श्री दिलीप सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 1678640.75

ग्राम पंचायत का नाम खुशालपुर विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 625351 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 387831.00 कुल 1013182.00 के सापेक्ष दि0 31.3.12 को ग्रामनिधि खाता सं0 19894 में रु0 110810.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 902372.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री मेघ सिंह पूर्व प्रधान	रु0 306359.50
श्री जितेन्द्र कुमार प्रधान	रु0 144826.50
श्री दिलीप सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 451186.00

ग्राम पंचायत का नाम गढी हसराम विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 640396 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 402050.00 कुल 1042446.00 के सापेक्ष दि0 31.3.12 को ग्रामनिधि खाता सं0 8935 में रु0 67454.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 974992.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री आशीष कुमार पूर्व प्रधान	रु0 336132.00
श्रीमती रेखा सिंह प्रधान	रु0 151364.00
श्री बाबू सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 487496.00

ग्राम पंचायत का नाम पिपरौली विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 694389 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 482358.00 कुल 1176747.00 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता में रु0 4723.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 1172024.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री अशोक चौहान पूर्व प्रधान	रु0 586012.00
श्री राजपाल चौहान, ग्रा0पं0अधि0	रु0 293006.00
श्री महेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 293006.00

ग्राम पंचायत का नाम बछगौव विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 1886360 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 1155660.00 कुल 3042020.00 के सापेक्ष दि0 31.3.12 को ग्रामनिधि खाता सं0 3277 में रु0 139981.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 2902039.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री मुकेश कुमार वर्तमान प्रधान	रु0 440368.00
श्री शिशुपाल गौतम पूर्व प्रधान	रु0 1451019.00
श्री श्री दिलीप, ग्रा0पं0अधि0	रु0 341082.00
श्री सी.पी. सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 669570.00

ग्राम पंचायत का नाम असन विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 492459 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 327468.00 कुल 819927.00 के सापेक्ष दि0 31.3.12 को ग्रामनिधि खाता सं0 490 में रु0 18984.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 800943.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती सरोज देवी पूर्व प्रधान	रु0 400471.00
श्री श्री दिलीप, ग्रा0पं0अधि0	रु0 117819.00
श्री राजेश श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अधि0	रु0 164834.00
श्री हरीशंकर शर्मा, ग्रा0पं0अधि0	रु0 117819.00

ग्राम पंचायत का नाम पचवान विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 1382535 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 845958.00 कुल 2228493.00 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 19874/1598 में रु0 37282.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 2191211 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती स्वर्णश्री पूर्व प्रधान	रु0 1095605.50
श्री दिलीप, ग्रा0पं0अधि0	रु0 1095606.50

ग्राम पंचायत का नाम गढी रंछोर विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 586069 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 394459.00 कुल 980528.00 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 8693 में रु0 191673.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 788855 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री बृजेश पाल पूर्व प्रधान	रु0 394427.50
श्री दिलीप, ग्रा0पं0अधि0	रु0 394427.50

ग्राम पंचायत का नाम गढी श्रीराम विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 315078 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 221391.00 कुल 536469.00 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 9108 में रु0 124929.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 411540 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

तत्कालीन प्रधान

रु0 205770.00

श्री महेन्द्र कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 205770.00

ग्राम पंचायत का नाम रुधऊ पहाडपुर विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 2037333 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 1179995 कुल 3217328.00 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 64120 में रु0 160476.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 3056852 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती सुमन देवी तौमर पूर्व प्रधान

रु0 1528426.00

श्री महेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रु0 764213.00

श्री बाबू सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रु0 764213.00

ग्राम पंचायत का नाम गढी सिधारी विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 372961 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 250218.00 कुल 623179.00 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 7996 में रु0 4117.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 619062 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री खजान सिंह पूर्व प्रधान

रु0 309531.00

श्री दिलीप, ग्रा0पं0अधि0

रु0 309531.00

ग्राम पंचायत का नाम ओखरा विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 608919 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 356432.00 कुल 965351.00 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं0 8099 में रु0 66354.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 898997 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री अजय सिंह पूर्व प्रधान

रु0 449498.50

श्री योगेन्द्र पाल, ग्रा0पं0अधि0

रु0 449498.50

ग्राम पंचायत का नाम डोरसा मुहम्मदपुर विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 1862739 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 1142502.00 कुल 3005241.00 के सापेक्ष दि0 31.3.12 को ग्रामनिधि खाता सं0 8086 में रु0 155143.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0

2850098 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री रामस्वरूप पूर्व प्रधान

रु0 1001933.00

श्री मेघ सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रु0 1425049.00

श्रीमती प्रकाशवती प्रधान

रु0 423116.00

ग्राम पंचायत का नाम नयाबांस विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006—07 से 2010—11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 311839 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 217896.00 कुल 529735.00 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 9006 में रु0 60229.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 469506 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री किशन लाल(तत्कालीन प्रधान)

रु0 234753.00

श्री महेन्द्र कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 234753.00

ग्राम पंचायत का नाम त्रिलोकपुर विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006—07 से 2009—10 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 243601 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 175651.00 कुल 419252.00 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं0 8928 में रु0 3660.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 415592 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री श्याम सिंह यादव प्रधान

रु0 207796.00

श्री दिलीप कुमार, ग्रा0पं0अधि0

रु0 207796.00

ग्राम पंचायत का नाम दौलतपुर विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006—07 से 2009—10 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 541077 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 367813.00 कुल 908890.00 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं0 8763 में रु0 325694.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 583196 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री रवीन्द्र कुमार प्रधान

रु0 291598.00

श्री महेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0

रु0 291598.00

ग्राम पंचायत का नाम मौहम्मदी विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006—07 से 2010—11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 1123271 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 668563.00 कुल 1791834.00 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 4874 में रु0 238745.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 1553089 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री सूरजपाल सिंह आनंद पूर्व प्रधान	रु0 776544.50
श्री चन्द्रपाल ग्रा0पं0अधि0	रु0 388272.25
श्री दिलीप सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 388272.25

ग्राम पंचायत का नाम नैपई विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 3370506 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 2049476.00 कुल 5419982.00 के सापेक्ष दि0 31.3.12 को ग्रामनिधि खाता सं0 7365 में रु0 55082.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 5364900 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री रामनरेश यादव पूर्व प्रधान	रु0 1878568.00
श्रीमती शीलादेवी प्रधान	रु0 803882.00
श्री हीरालाल ग्रा0पं0अधि0	रु0 589457.50
श्री पीडी माथुर, ग्रा0पं0अधि0	रु0 2092992.50

ग्राम पंचायत का नाम कातिकी विकासखण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 1215762 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 702861.00 कुल 1918623.00 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 63884 में रु0 231479.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 1687144 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री छोटेलाल बाल्मीकि पूर्व प्रधान	रु0 843572.00
श्री महेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 421786.00
श्री राजपाल सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 421786.00

ग्राम पंचायत का नाम बनकट विकासखण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री मुन्नी देवी

सचिव श्री जसवंत सिंह

प्रस्तर 01— बैंक खाता सं0 16180 से चैक सं0 725358 से दि0 08.02.12 को रु0 10000.00 का आहरण कर कैशबुक में प्रविष्टि न करके धन का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 12

ग्राम पंचायत का नाम शिवसिंहपुर विकासखण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री मनीशा यादव

सचिव श्री साबिर अली

प्रस्तर 01— दि0 31.3.11 को अंतिम रोकड शेष रु0 429.00 को दिनांक 01.04.12 को कैश बुक में शून्य अंकित कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 14

ग्राम पंचायत का नाम गढसान विकासखण्ड मदनपुर जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री सुभाष चन्द्र

सचिव श्री उदय प्रताप

प्रस्तर 01— दि० 31.3.11 को अंतिम रोकड शेष रू० 15570.00 को दिनांक 01.04.12 को कैश बुक में रू० 450.00 अंकित कर रू० 15120.00 का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 12

ग्राम पंचायत का नाम कोडरा विकासखण्ड एका जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्रीमती अफसाना

सचिव श्री विनोद यादव

प्रस्तर 01— ग्रामनिधि खाता सं० 0186 से दि० 25.08.12 को चैक सं० 61036 द्वारा रू० 55000 आहरित कर कैश बुक में रू० 50000.00 अंकित कर रू० 5000.00 का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

ग्राम पंचायत का नाम देवा विकासखण्ड एका जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्रीमती सीमादेवी

सचिव श्री रामसेवक यादव

प्रस्तर 01— ग्रामनिधि खाता सं० 2264 बीओआई से चैक सं० 34 द्वारा रू० 27596.00 आहरित कर कैश बुक में कोई प्रविष्टि अंकित न कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

ग्राम पंचायत का नाम भगनेर विकासखण्ड एका जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान

सचिव श्री रामसेवक यादव

प्रस्तर 01— ग्रामनिधि खाता सं० 0181 से चैक सं० 809, 811, 812, 813 द्वारा रू० 45000.00 आहरित कर कैश बुक में कोई प्रविष्टि अंकित न कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

ग्राम पंचायत का नाम एका विकासखण्ड एका जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्रीमती मुन्नीदेवी

सचिव श्री रामसेवक यादव

प्रस्तर 01— ग्रामनिधि खाता सं० 2261 से चैक सं० 351585/29.5.12 द्वारा रू० 50000.00 आहरित कर कैश बुक में कोई प्रविष्टि अंकित न कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

ग्राम पंचायत का नाम नवलपुर विकासखण्ड एका जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री राजेश कुमार

सचिव श्री रामसेवक यादव

प्रस्तर 01— ग्रामनिधि खाता सं० 0184 से द्वारा 20.02.13 को रू० 15000.00 आहरित कर कैश बुक में कोई प्रविष्टि अंकित न कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

ग्राम पंचायत का नाम पिलख्तर फतेह विकासखण्ड एका जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री अजीत सिंह

सचिव श्री अरुण कुमार

प्रस्तर 01— ग्रामनिधि खाता सं० 2218 से द्वारा 31.1.13 को रू० 35000.00 आहरित कर कैश बुक में कोई प्रविष्टि अंकित न कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

ग्राम पंचायत का नाम खेरीएमा विकासखण्ड एका जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री अनिल कुमार

सचिव श्री अरुण कुमार

प्रस्तर 01— ग्रामनिधि खाता सं० 1476 डीसीबी से द्वारा 10.5.12 को रू० 15000.00 आहरित कर कैश बुक में कोई प्रविष्टि अंकित न कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।
आप० सं० 02

ग्राम पंचायत का नाम बढाईपुरा विकासखण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
प्रधान श्री शोभराज **सचिव श्री विनय कुमार**

प्रस्तर 01— ग्रामनिधि खाता सं० 44814 से दि० 1.3.12 को चैक 143922 द्वारा रू० 10500.00 आहरित कर कैश बुक में कोई प्रविष्टि अंकित न कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।
आप० सं० 12

ग्राम पंचायत का नाम मोहम्मदपुर बैरई विकासखण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
प्रधान श्री श्यामरतन **सचिव श्री विनय कुमार**

प्रस्तर 01—ग्रामनिधि खाता सं० 447944 से दि० 22.1.13 को चैक 646284 द्वारा रू० 10500 आहरित कर कैश बुक में कोई प्रविष्टि अंकित न कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।
आप० सं० 12

ग्राम पंचायत का नाम सुजावलपुर विकासखण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
प्रधान श्रीमती निर्मलादेवी **सचिव श्री विनय कुमार**

प्रस्तर 01— दि० 31.03.11 को अंतिम रोकड शेष रू० 42950.00 को दिनांक 01.04.12 को कैश बुक में शून्य अंकित कर रू० 42950.00 का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।
आप० सं० 12

ग्राम पंचायत का नाम वासदेवमई विकासखण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
प्रधान श्री बारेलाल **सचिव श्री राजेन्द्र सिंह**

प्रस्तर 01— प्रधान व सचिव द्वारा वर्ष 2010-11 में ग्रामनिधि (583) से रू० 123500.00, छात्रवृत्ति (539) से रू० 199635.00 तथा एमडीएम(1044) से रू० 14942.00 कुल रू० 338077.00 का आहरण कर व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।
आप० सं० 09

ग्राम पंचायत का नाम जहाँगीरपुर गैलरई विकासखण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद
प्रधान श्रीमती मिथलेश **सचिव श्री ओमेन्द्र सिंह**

प्रस्तर 01— दि० 31.03.13 को अंतिम रोकड शेष रू० 14880.00 को दिनांक 01.04.14 को कैश बुक में शून्य अंकित कर रू० 14880.00 का अपहरण किया गया है। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।
आप० सं० 12

ग्राम पंचायत का नाम गांगई विकासखण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 669935.00 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 398080.00 कुल 1068015.00 के सापेक्ष दि० 31.3.12 को ग्रामनिधि खाता सं० 44775 में रू० 14435.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू०

1053580 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती गंगाश्री पूर्व प्रधान	रु0 152170.00
श्रीमती गुडडीदेवी पूर्व प्रधान	रु0 260426.00
श्री एदल सिंह प्रधान	रु0 106977.00
श्री प्रमेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 273581.00
श्री राजेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0	रु0 260426.00

ग्राम पंचायत का नाम पैगू विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 698130 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 909553 कुल 1607683 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता में रु0 शून्य शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 1607683 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती अंगूरीदेवी प्रधान	रु0 803841.50
श्री नरेश सक्सेना ग्रा0पं0अधि0	रु0 803841.50

ग्राम पंचायत का नाम सूरजपुर रुधैनी विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 162473 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 155228 कुल 317701 के सापेक्ष दि0 31.3.08 को ग्रामनिधि खाता सं0 1529 में रु0 100471.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 217230.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री रामभरोसे प्रधान	रु0 108615.00
श्री संजीव कुमार ग्रा0पं0अधि0	रु0 108615.00

ग्राम पंचायत का नाम सेनावली विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 291823 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 426786 कुल 718609 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं0 19992 में रु0 23620.50 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 694988.50 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री राजवीर सिंह प्रधान	रु0 347494.50
श्री नरेश सक्सेना ग्रा0पं0अधि0	रु0 347494.00

ग्राम पंचायत का नाम कंथरी विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005-06, 06-07 व 2010-11 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 507035 एवं 12वाँ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 390800 कुल 897835 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 1509 में रु0 182629 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 715206.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती अनुसुईया देवी पूर्व प्रधान	रु0 357603.00
श्री निर्मल सिंह ग्रा0पं0अधि0	रु0 178801.50
श्री विनोद यादव ग्रा0पं0अधि0	रु0 178801.50

ग्राम पंचायत का नाम सारख विकासखण्ड अरॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 से 2009—10 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 772614 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 624077 कुल 1396691 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता में रु0 शून्य शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 1396691 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती राजनश्री प्रधान	रु0 698345.50
श्री नरेश सक्सेना ग्रा0पं0अधि0	रु0 698345.50

ग्राम पंचायत का नाम सीगेमई विकासखण्ड अरॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06, 09—10 व 2010—11 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 338563 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 321023 कुल 659586 के सापेक्ष दि0 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता सं0 4152 में रु0 215305 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 444281.00 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री नाथू सिंह प्रधान	रु0 148094.00
श्री अजय कुमार ग्रा0पं0अधि0	रु0 148094.00
श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी ग्रा0पं0अधि0	रु0 148093.00

ग्राम पंचायत का नाम सोथरा विकासखण्ड अरॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह प्रधान

सचिव श्री जमुनादास

प्रस्तर 01— प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह को माह 11/10 तक मानदेय रु0 750.00 प्रतिमाह की दर से रु0 750.00 भुगतान किया गया है, जो अनियमित है। प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 14

प्रस्तर 02— वर्ष 2005—06 से 2009—10 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 516788 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 423609 कुल 940397 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं0 1561 में रु0 77709.50 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 862687.50 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री किशोरी लाल प्रधान	रु0 287562.50
श्री पुष्पेन्द्र सिंह जादौन ग्रा0पं0अधि0	रु0 287562.50
श्री शिवओम वर्मा ग्रा0पं0अधि0	रु0 287562.50

ग्राम पंचायत का नाम धातरी विकासखण्ड अरॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 से 2006—07 तक राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 247180 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 325940 कुल 573120 के सापेक्ष दि0 31.3.07 को ग्रामनिधि खाता सं0 2747 में रु0 350437 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 222683 की पुष्टि में

कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती मीरादेवी पूर्व प्रधान
श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी ग्रा0पं0अधि0

रु0 111341.50
रु0 111341.50

ग्राम पंचायत का नाम सकतपुर विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री मुन्नालाल

सचिव श्री रामसेवक

प्रस्तर 01— प्रधान श्री मुन्ना लाल को माह 9/10 से 11/10 तक मानदेय रु0 750.00 प्रतिमाह की दर से रु0 2250.00 भुगतान किया गया है, जो अनियमित है। प्रधान श्री मुन्नालाल से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 14

ग्राम पंचायत का नाम सकतपुर विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्रीमती राजनश्री

सचिव श्री जमुनादास

प्रस्तर 01— प्रधान श्रीमती राजनश्री को माह 11/10 तक मानदेय रु0 750.00 प्रतिमाह की दर से रु0 750.00 भुगतान किया गया है, जो अनियमित है। प्रधान श्रीमती राजनश्री से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 14

ग्राम पंचायत का नाम करहरा विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्री अरविन्द कुमार

सचिव श्री जमुनादास

प्रस्तर 01— प्रधान श्री अरविन्द कुमार को माह 11/10 तक मानदेय रु0 750.00 प्रतिमाह की दर से रु0 750.00 भुगतान किया गया है, जो अनियमित है। प्रधान श्री अरविन्द कुमार से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 14

प्रस्तर 02— वर्ष 2005-06 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रु0 93391 के सापेक्ष दि0 31.3.06 को ग्रामनिधि खाता सं0 1514 में रु0 88974 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रु0 4417 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती वैजयंती पूर्व प्रधान
श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी ग्रा0पं0अधि0

रु0 2208.50
रु0 2208.50

ग्राम पंचायत का नाम कुढीना विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्रीमती पिकी देवी

सचिव श्री महेशचन्द कठेरिया

प्रस्तर 01— दि0 31.8.11 को रोकड शेष रु0 1495.00 को दि0 01.09.11 को रु0 495.00 अंकित कर रु0 1000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 14

ग्राम पंचायत का नाम सैफपुर विकासखण्ड अरॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्रीमती जलेबश्री

सचिव श्री महेशचन्द कठेरिया

प्रस्तर 01— दि० 31.7.11 को रोकड शेष रू० 2672.00 को दि० 01.08.11 को रू० 1612.00 अंकित कर रू० 1060.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 04

ग्राम पंचायत का नाम ताखा विकासखण्ड अरॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रधान श्रीमती सोमवती

सचिव श्री रामसेवक शर्मा

प्रस्तर 01— दि० 31.3.11 को रोकड शेष रू० 23011.00 को दि० 01.04.11 को रू० 2304.00 अंकित कर रू० 20707.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 14

प्रस्तर 02— वर्ष 2005—06 से 2009—10 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 531453 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 440957.00 कुल 972410 के सापेक्ष दि० 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं० 1481 में रू० 335051.00 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू० 637359 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

श्रीमती सोमवती प्रधान

रू० 318679.50

श्री नरेश सक्सेना ग्रा०पं०अधि०

रू० 318679.50

ग्राम पंचायत का नाम सराय हैवतपुर विकासखण्ड अरॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 से 2009—10 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 355287 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 263177 कुल 618464 के सापेक्ष दि० 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता में रू० 99361 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू० 519103 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

श्री जीत सिंह पूर्वप्रधान

रू० 259551.50

श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी ग्रा०पं०अधि०

रू० 295551.50

ग्राम पंचायत का नाम कारीखेडा विकासखण्ड अरॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 से 2010—11 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 719526 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रू० 520698 कुल 1240224 के सापेक्ष दि० 31.3.11 को ग्रामनिधि खाता में रू० शून्य शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू० 1240224 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप० सं० 02

श्री सुनील शाक्य ग्रा0पं0अधि0	रू0 310056.00
श्री जमुनादास ग्रा0पं0अधि0	रू0 310056.00
श्रीमती सागरमती प्रधान	रू0 310056.00
श्रीमती किशनकली पूर्वप्रधान	रू0 310056.00

ग्राम पंचायत का नाम धरमई विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 से 2009—10 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 263580 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 212766 कुल 476346 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता में रू0 45916 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू0 430430 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री शिवओम वर्मा ग्रा0पं0अधि0	रू0 215215.00
श्री के0पी0 सिंह प्रधान	रू0 215215.00

ग्राम पंचायत का नाम भनुपुरा विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 से 2009—10 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 184468 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 182785 कुल 367253 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं0 1539 में रू0 11581 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू0 355672 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री महेशचन्द्र कठेरिया ग्रा0पं0अधि0	रू0 177836.00
श्री शिवराज सिंह यादव प्रधान	रू0 177836.00

ग्राम पंचायत का नाम खेरिया मुसाहतपुर विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 से 2009—10 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 512880 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 463256 कुल 976136 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं0 1484 में रू0 87325 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू0 888811 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री मुन्नालाल प्रधान	रू0 444405.50
श्री सुनील शाक्य ग्रा0पं0अधि0	रू0 444405.50

ग्राम पंचायत का नाम सरसौली विकासखण्ड अरौव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 से 2009—10 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 288188 एवं 12वॉ वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 271266 कुल 559454 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता सं0 1517 में रू0 17647 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू0 541807 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री श्रीनिवास प्रधान	रू0 270903.50
श्री नरेश सक्सेना ग्रा0पं0अधि0	रू0 270903.50

ग्राम पंचायत का नाम पीथेपुर विकासखण्ड अर्रॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 से 2009—10 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 679496 एवं 12वों वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 603726 कुल 1283222 के सापेक्ष दि0 31.3.10 को ग्रामनिधि खाता में रू0 40554 शेष रहा है। व्यय की गई धनराशि रू0 1242668 की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्रीमती रामवती प्रधान

रू0 621334.00

श्री महेशचन्द्र कठेरिया ग्रा0पं0अधि0

रू0 621334.00

ग्राम पंचायत का नाम कैरावली विकासखण्ड अर्रॉव जनपद फिरोजाबाद

प्रस्तर 01— वर्ष 2005—06 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान रू0 40687 के विरुद्ध किये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। सचिव व प्रधान से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है।

आप0 सं0 02

श्री सोमनाथ प्रधान

रू0 20343.50

श्री राजेन्द्र ग्रा0पं0अधि0

रू0 20343.50

संस्था का नाम — ग्राम पंचायत

जनपद एटा

मंडल आगरा

ग्राम पंचायत का नाम असरौली विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रू0 47000.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 20**

आपत्ति सं0 20 वर्ष 2011—12 में स्टीट लाइट पर रू0 47000 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया गया फलस्वरूप दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम बारथर विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रू0 75000.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 20**

आपत्ति सं0 20 वर्ष 2011—12 में स्टीट लाइट पर रू0 75000 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया गया फलस्वरूप दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम कीलरमऊ विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 38500.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 20**

आपत्ति सं0 20 वर्ष 2011-12 में स्टीट लाइट पर रु0 385000 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया गया फलस्वरूप दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम महुअट विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 33000.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 20**

आपत्ति सं0 20 वर्ष 2011-12 में स्टीट लाइट पर रु0 33000 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया गया फलस्वरूप दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम नेहचलपुर विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 50000.00 उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 20, 22**

आपत्ति सं0 20 वर्ष 2011-12 में स्टीट लाइट पर रु0 22000 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया गया फलस्वरूप दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति सं0 22 वर्ष 10-11 में सी0ए0 को 28000 भुगतान किया गया जबकि सी0ए0 द्वारा तैयार अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप भुगतान की गयी धनराशि पुष्टि नहीं की जा सकी। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम न0 फरीद विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

आपत्ति सं0 23 वर्ष 2011-12 में स्टीट लाइट पर रु0 90850 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया गया फलस्वरूप दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम भटमई विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 19850.00 संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 20, 22**

आपत्ति सं0 20 वर्ष 2011-12 में स्टीट लाइट पर रु0 11850 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया गया फलस्वरूप दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम मिलावली विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 82500.00 संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 19**

आपत्ति सं0 19 वर्ष 2011—12 में स्टीट लाइट पर रु0 82500 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया गया फलस्वरूप दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम जीसुखपुर विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 5000.00 संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 20**

आपत्ति सं0 20 वर्ष 2012—13 में स्टीट लाइट पर रु0 5000 व्यय किया गया किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया गया फलस्वरूप दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम जाटऊअशोकपुर विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 28000.00 संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 17**

ग्राम पंचायत का नाम अर्जुनपुरनौआबाद विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 28000.00 संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 16**

ग्राम पंचायत का नाम कछलाशेरपुर विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 28000.00 संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 15**

ग्राम पंचायत का नाम वरसोडा विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 28000.00 संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 15**

ग्राम पंचायत का नाम सोमरामोर्चा विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 02— वर्ष 2012—13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। रु0 356480.00 संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0 22

ग्राम पंचायत का नाम खुशकरी विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— [निर्माण/मरम्मत](#) कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 28000.00 सम्बधित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 17**

प्रस्तर 02— बैंक से आहरित धनराशि का कैशबुक में अंकन नहीं करके आहरित धनराशि का अपहरण रु0 66000.00 संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 15**

ग्राम पंचायत का नाम बढारी खुर्द विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— [निर्माण/मरम्मत](#) कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 28000.00 सम्बधित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 15**

ग्राम पंचायत का नाम रानामऊ विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— [निर्माण/मरम्मत](#) कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 28000.00 सम्बधित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 15**

ग्राम पंचायत का नाम शेखपुर हुन्डा विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— [निर्माण/मरम्मत](#) कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 28000.00 सम्बधित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 15**

ग्राम पंचायत का नाम घुआई विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— बैंक से आहरित धनराशि का कैशबुक में अंकन नहीं करके आहरित धनराशि का अपहरण रु0 15000.00 सम्बधित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 21**

आपत्ति सं0 21 दिनांक 11.02.13 को रु0 15000 बैंक से निकालकर कैशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई इस प्रकार रु0 15000 का अपहरण किया गया वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम जारई विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। रु0 40280.00 सम्बधित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आप0सं0 16**

ग्राम पंचायत का नाम करसाना विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

आपत्ति सं0 16 वर्ष 2011-12 में डेड स्टॉक के अन्तर्गत रु0 6500 का सामान क्रय किया गया जिसकी प्रविष्टि डेड स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई। डेड स्टॉक बनाकर

सम्बन्धित की प्रवृष्टि की जाए। अन्यथा स्थिति में इसका दुरुपयोग हो सकता है। सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम किशोरपुर विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— अनुदान से प्राप्त धनराशि के अनावश्यक कार्यों में व्यय दर्शाकर दुरुपयोग किया गया रु0 30000.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आप0सं0 15**

ग्राम पंचायत का नाम कलुआटीलपुर विकास खण्ड अलीगंज जनपद एटा

आपत्ति सं0 22 दिनांक 01.04.12 से 30.04.12 तक योग रु0 184607 होता है किन्तु गलत योग लगाकर रु0 174607 दर्शाया गया। अन्तर 10000 रु0 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम नरई विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 433228.00 **आप0सं0 18**

आपत्ति सं0 18 वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। विलम्ब होने का कोई समुचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया। अतः अनुपयुक्त रु0 433228 वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम नौगांव विकास खण्ड अमापुर जनपद एटा

प्रस्तर 01— वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 142528.00 **आप0सं0 14**

आपत्ति सं0 14 वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। विलम्ब होने का कोई समुचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया। अतः अनुपयुक्त रु0 142528 वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम डोगरी विकास खण्ड सिडपुरा जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 28000.00 आपत्ति सं0 17

ग्राम पंचायत का नाम भुजपुरा विकास खण्ड सिडपुरा जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान

रु0 20000.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति सं0 17

ग्राम पंचायत का नाम ठाठी विकास खण्ड सिडपुरा जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान

रु0 4000.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति सं0 18

प्रस्तर 02— वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। रु0 326256.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0सं0 23

आपत्ति सं0 23 वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। विलम्ब होने का कोई समुचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया। अतः अनुपयुक्त रु0 326256 वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम मिजखुरी विकास खण्ड सिडपुरा जनपद एटा

प्रस्तर 01— वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। रु0 926211.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0सं0 20

आपत्ति सं0 20 वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत को विगत वर्षों में प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान का लाभ समय से जन सामान्य को नहीं प्राप्त हुआ। विलम्ब होने का कोई समुचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया। अतः अनुपयुक्त रु0 926211 वित्तीय सहायता दाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम इस्माइलपुर विकास खण्ड सोरों जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 20000.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 17**

ग्राम पंचायत का नाम पचलामा विकास खण्ड सोरों जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 20000.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 17**

ग्राम पंचायत का नाम नौरथा विकास खण्ड सोरों जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 20000.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 15**

ग्राम पंचायत का नाम अगरैया गंगाई विकास खण्ड अलीगंज जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 28000.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 22**

ग्राम पंचायत का नाम ककौडा विकास खण्ड अलीगंज जनपद एटा

प्रस्तर 01— निर्माण/मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान रु0 8000.00 सम्बन्धित के विरुद्ध वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0 20**

संस्था का नाम — ग्राम पंचायत जनपद मैनुपरी मंडल आगरा

ग्राम पंचायत का नाम अब्दुलनवीपुर विकासखण्ड बरनाहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा दौरान दिनांक 21.02.2012 को मै0 बरनाहल बिल्डर्स द्वारा रु0 20000/- का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराने के कारण दर्शित भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि का प्रधान एवं सचिव द्वारा सीधे गोलमाल किया गया है। विभागीय जॉचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **रु0 20000.00 आप0 सं0 02**

ग्राम पंचायत का नाम बिरथुआ विकासखण्ड बरनाहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा मद से मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 30.05.2011 को रुपया 350000/- जिला मुख्यालय को वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी भी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया जिससे उक्त अन्तरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जॉच कराई जाये।

रु0 350000.00 आप0 सं0 12

प्रस्तर 02— प्रमाणक संख्या/दिनांक 13.04.2010 को चार्टर्ड एकाउन्टे मै० यादव एसोसिएट्स कम्पनी को रूपया 12000/- का भुगतान ग्राम पंचायत के प्रारूप 1 से 14 तक के प्रपत्र तैयार करने हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों की जाँच कराई जानी अपेक्षित है परन्तु उक्त अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने से तद्विषयक जाँच नहीं की जा सकी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान की गई धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः भुगतान की गई धनराशि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

रु० 12000.00 आप० सं० 13

ग्राम पंचायत का नाम डालूपुर विकास खण्ड बरनाहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— प्रमाणक संख्या/दिनांक 12.02.2011 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मै० यादव एसोसिएट्स कम्पनी को रूपया 16000/- का भुगतान ग्राम पंचायत के प्रारूप 1 से 14 तक के प्रपत्र तैयार करने हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों की जाँच कराई जानी अपेक्षित है। परन्तु उक्त अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने से तद्विषयक जाँच नहीं की जा सकी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान की गई धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः भुगतान की गई धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

रु० 16000.00 आप० सं० 09

ग्राम पंचायत का नाम नवाटेडा विकासखण्ड बरनाहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा मद से मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 02.08.2010 को रु० 400000/- जिला मुख्यालय को वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी भी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया जिससे उक्त अन्तरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जानी अपेक्षित है।

रु० 400000.00 आप० सं० 13

ग्राम पंचायत का नाम उर्थान विकासखण्ड बरनाहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि खाता प्रथम से मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार रु० 150000/- जिला मुख्यालय को वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी भी प्रकार का आदेश गार्ड में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अन्तरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जानी अपेक्षित है।

रु० 150000.00 आप० सं० 14

ग्राम पंचायत का नाम मदनापुर गपचरिया विकासखण्ड किशनी जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— दिनांक 20.06.2011 को मनरेगा कैशबुक में के0के0जी0बी0 खाता सं0 10049 से रामनगर शाखा से रूपया 400000/- अन्य ग्राम सभा को स्थानान्तरित करना दर्शाया गया। किस गाँव सभा को किस आदेश के तहत स्थानान्तरण किये गये जिसका कोई विवरण कैशबुक में अंकित नहीं है। आगामी लेखा परीक्षा में पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

रू0 400000.00 आप0 सं0 31

ग्राम पंचायत का नाम चिलौसा विकासखण्ड बेबर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— दिनांक 25.09.2011 को कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा के आदेशानुसार खाता सं0 36350 से चैक सं0 19517 से ग्राम पंचायत गरा को रूपया 200000/- देना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त आशय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रमाणक प्रस्तुत कर जाँच नहीं कराई गई। प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है साथ ही आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे।

रू0 200000.00 आप0 सं0 17

प्रस्तर 02— प्रमाणक सं0/दिनांक 19.12.2011 द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं0 23256 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मै0 जी0जे0 निगम एण्ड कम्पनी को रूपया 12000/- का भुगतान ग्राम पंचायत के प्रारूप 1 से 14 तक की प्रपत्र तैयार करने हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों की जाँच कराई जानी अपेक्षित है परन्तु उक्त अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने से तद्विषयक जाँच नहीं की जा सकी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान की गई धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः भुगतान की गई धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

रू0 12000.00 आप0 सं0 13

ग्राम पंचायत का नाम परौखा विकासखण्ड बेबर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वित्तीय वर्ष 2011-12 दौरान ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.06.2011/07.07.2011 में दो रिवाविलिंग चेयर, दो मेज, 50 कुर्सी रू0 49769.75/- की क्रय की गई जिसकी स्वीकृति की पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा दौरान मृतस्कन्द पंजिका प्रस्तुत नहीं करने से ग्राम पंचायत में उक्त स्टॉक के अंकन की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। विगत वर्षों के उपलब्ध स्टॉक यथा कुर्सी-मेज, सेफ, वाल्टी इत्यादि के विषय में भी जानकारी न की जा सकी। मृतस्कन्द पंजिका तैयार कर एवं उसपर विभागीय निर्देशों के आधार पर मूल हरास लगाते हुये जाँच हेतु प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

रू0 49769.75 आप0 सं0 02

प्रस्तर 02— प्रमाणक संख्या/दिनांक 19.12.2011 द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं0 23256 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मै0 जी0जे0 निगम एण्ड कम्पनी को रूपया 12000/- का भुगतान ग्राम पंचायत के प्रारूप 1 से 14 तक की प्रपत्र तैयार करने हेतु भुगतान किया जाना

दर्शित है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों की जाँच कराई जानी अपेक्षित है। परन्तु उक्त अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने से तद्विषयक जाँच नहीं की जा सकी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान की गई धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः भुगतान की गई धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

रु0 12000.00 आप0 सं0 13

ग्राम पंचायत का नाम छाछा विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वित्तीय वर्ष 2011-12 दौरान ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.09.2011 में हरि स्टील उद्योग मैनुपरी से कुर्सी, मेज एवं अलमारी पंचायत घर हेतु रु0 58119/- का भुगतान कर क्रय की गई जिसकी स्वीकृति की पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा दौरान मृतस्कन्द पंजिका प्रस्तुत नहीं करने से ग्राम पंचायत में उक्त स्टॉक के अंकन की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। विगत वर्षों के उपलब्ध स्टॉक यथा कुर्सी, मेज, सेफ, वाल्टी इत्यादि के विषय में भी जानकारी न की जा सकी। मृतस्कन्द पंजिका तैयार कर एवं उस पर विभागीय निर्देशों के आधार पर मूल हरास लगाते हुये जाँच हेतु प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

रु0 58119.00 आप0 सं0 24

प्रस्तर 02— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 दौरान क्रमशः रु0 204530/- एवं रु0 821150/- की ईट सीमेन्ट एवं अन्य निर्माण सामग्री विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 2500/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कुटेशन व 15000 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। लेखा परीक्षा दौरान क्रय की गई सामग्री की दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रु0 1025680.00 आप0 सं0 22

ग्राम पंचायत का नाम रजवाना विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— लेखा परीक्षा वर्ष दौरान प्रमाणक 30.03.2011 एवं -/02.06.2011 का क्रमशः रु0 3200 तथा रु0 3000/- द्वारा तसला एवं फावड़ा क्रय किये गये। मृतस्कन्ध पंजिका प्रस्तुत नहीं करने से ग्राम पंचायत में उपलब्ध स्टॉक यथा कुर्सी-मेज, सेफ, वाल्टी इत्यादि के विषय में जानकारी न की जा सकी। मृतस्कन्ध पंजिका तैयार कर एवं उस पर विभागीय निर्देशों के आधार पर मूल्य हरास लगाते हुये जाँच हेतु प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

रु0 6200.00 आप0 सं0 12

ग्राम पंचायत का नाम अहिरूआ विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.09.2011 में मै0 शर्मा आयरन इण्डस्ट्रीज से चैक सं0 3427 से 10 लकड़ी की कुर्सी, 02 लकड़ी की मेज एवं 02 अलमारी पंचायत घर हेतु रू0 26945/- का भुगतान कर क्रय की गई जिसकी स्वीकृति पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा दौरान मृतस्कन्ध पंजिका प्रस्तुत नहीं करने से ग्राम पंचायत में उक्त स्टॉक के अंकन की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। विगत वर्षों के उपलब्ध स्टॉक तथा कुर्सी-मेज, सेफ, वाल्टी इत्यादि के विषय में भी जानकारी न की जा सकी। मृतस्कन्ध पंजिका तैयार कर एवं उस पर विभागीय निर्देशों के आधार पर मूल्य हरास लगाते हुये जाँच हेतु प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

रू0 26945.00 आप0 सं0 13

ग्राम पंचायत का नाम अलीपुरखेडा विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य दौरान प्रायः रूपया 15000/- से अधिक की निर्माण सामग्री यथा -/10.03.2012 -/20.03.2012 एवं -/28.03.2012 द्वारा रू0 150030/- (रू0 50010 के तीन प्रमाणक) की ईंटे विना किसी टैण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर- 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/- अधिक की सामग्री क्रय के लिए कुटेशन व 15000/- से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। लेखा परीक्षा दौरान क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रू0 150030.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 04

ग्राम पंचायत का नाम हरगनपुर विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम से प्रमाणक सं0 05/20.12.2011 द्वारा रू0 21560/- की सीमेन्ट एवं 15/20.03.2012 द्वारा रू0 131775/- की ईंटे विना किसी टैण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कुटेशन व 15000/- रू0 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। लेखा परीक्षा दौरान क्रय की गई सामग्री की दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राज्य की दर का विवरण भी

प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रु0 153335.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 10

ग्राम पंचायत का नाम अलीपुर पटटी विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम निधि का खाता प्रथम से दिनांक 07.03.2011 से 10.03.2011 को चैक सं0 2051-4 द्वारा रूपया 240000/- की एवं दिनांक 09.05.2011, 01.06.2011, 20.09.2011, 09.10.2011, 12.10.2011 एवं 17.12.2011 को क्रमशः रु0 82500/-, रु0 90750/-, रु0 45000/-, रु0 60000/-, रु0 54000/- एवं रु0 77220/- की ईंटे एवं 11.10.2011 को रु0 25775/- की सीमेन्ट विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-7 प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 2500/- से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कुटेशन व 15000/- से अधिक की सामग्री हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। लेखा परीक्षा दौरान क्रय की गई सामग्री की दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रु0 675245.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 03

ग्राम पंचायत का नाम लहरा विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि खाता प्रथम से दिनांक 20.01.2011 को रु0 46200/- एवं दिनांक 18.12.2011, 22.12.2011 एवं 21.03.2012 को प्रत्येक प्रमाणक द्वारा रु0 35500/- की ईंटे एवं दिनांक 06.06.2010 को रूपया 50000/- की सीमेन्ट तथा मनरेगा खाते से चैक सं0 148500/30.01.2011 द्वारा रु0 148500/- की ईंटे विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 2500/- अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/- से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रु0 280200.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 09

ग्राम पंचायत का नाम जगतपुर विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य दौरान रू0 15000/— से अधिक धनराशि की ईंटे एवं निर्माण सामग्री यथा ग्राम निधि खाता प्रथम से दिनांक 29.11.2008, 08.12.2008, 31.12.2008, 28.01.2010 द्वारा क्रमशः रू0 113750/—, रू0 66250/—, रू0 112500/—, एवं रू0 53600/— की ईंटे दिनांक 15.12.2008, 24.01.2009, 26.12.2010 एवं 03.11.2011 को रू0 127270/—, रू0 104100/—, रू0 68600/— एवं रू0 120000/— की सीमेन्ट एवं दिनांक 23.12.2008 एवं 30.01.2010 को रू0 80640/— एवं रू0 21400/— की सरिया पंचायतघर एवं नाली मतखड़जा विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। मनरेगा खाता से भी दिनांक 22.10.2008, 30.11.2008, 10.05.2010 एवं 31.03.2010 को क्रमशः रू0 55000/—, रू0 55000/—, रू0 73925/— एवं रू0 101500/— तथा दिनांक 05.12.2008, 31.03.2010 एवं 25.10.2010 क्रमशः रू0 60655/—, रू0 55000/— एवं रू0 35750/— का भुगतान कर विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/— अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/— से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रू0 1304940.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 01

ग्राम पंचायत का नाम सूरजपुरखेडा विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 दौरान रू0 122450/— की ईंटे एवं रू0 38125/— की सीमेन्ट एवं वर्ष 2011-12 दौरान रू0 210524/— ईंटे एवं रू0 17930/— की सीमेन्ट क्रय की गई। लेखा परीक्षा दौरान रू0 15000/— से अधिक की धनराशि की ईंट सीमेन्ट आदि विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/— अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/— से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रू0 389029.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 20

ग्राम पंचायत का नाम महावतपुर विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि प्रायः रू0 15000/— से अधिक मूल्य की ईंटे एवं अन्य निर्माण सामग्री विना टेण्डर के क्रय की गई उदाहरण के तौर पर ग्राम निधि खाता प्रथम से प्रमाणक—06/11.11.2011, 09/30.11.2011, 10/30.11.2011, 13/02.01.2012 एवं 18/19.01.2012 द्वारा क्रमशः रू0 51000/—, रू0 51000/—, रू0 93000/—, रू0 45760/—, एवं रू0 36750/— की ईंटे एवं प्रमाणक सं0—8/26.11.2011 एवं 14/02.01.2012 द्वारा क्रमशः रू0 32675/— एवं रू0 22725/— की निर्माण सामग्री विना टेण्डर क्रय की गई। मनरेगा चैक सं0 187568—69, 187572 एवं 293927 द्वारा क्रमशः रू0 67000/— रू0 50250/— रू0 49693/— रू0 35750/— एवं रू0 31700/— की ईंटे एवं निर्माण सामग्री विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय—7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/— अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/— से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रू0 567303.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 01

ग्राम पंचायत का नाम देवगंज विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य दौरान रू0 15000/— से अधिक मूल्य की ईंटे एवं निर्माण सामग्री विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। वर्ष 2011—12 में भी ग्राम पंचायत द्वारा रू0 375995/— की ईंटे रू0 30000/— से साकपिट कवर करने हेतु पत्थर एवं रू0 100000/— का भुगतान कर मै0 अम्बे हार्डवेयर कुरावली से शौचालय निर्माण हेतु सीट, छत, किवाड, मुर्गा, पायप् एवं रू0 132432/— की सीमेन्ट, बालू, सरिया आदि क्रय करने पर भुगतान किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय—7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/— अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/— से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रू0 638427.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 27

ग्राम पंचायत का नाम मरहरी विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं० 13808 एवं 18347 से दिनांक 31.08.2010 को क्रमशः रु० 124000/— एवं रु० 76000/— मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जिला मुख्यालय को वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी भी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अन्तरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे।

रु० 200000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप० सं० 03

प्रस्तर 02— प्रमाणक सं० —/दिनांक 01.02.2011 द्वारा डी०सी०बी० खाता 1705 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को वर्ष 2004-05 से 2008-09 के अभिलेख बनाने हेतु रु० 20000/— का भुगतान ग्राम पंचायत के प्रारूप 01 से 14 तक के प्रपत्र तैयार करने हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों की जाँच कराई जानी अपेक्षित है। परन्तु उक्त अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने से तद्विषयक जाँच नहीं की जा सकी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान की गई धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः भुगतान की गई धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

रु० 20000.00

आप० सं० 08

ग्राम पंचायत का नाम छतुरीबरी विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— प्रमाणक सं० —/दिनांक 15.06.2011 द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं० 3723 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मै० भुरारिया एसोसिएट कानपुर को चैक क्रमांक 001232/15. 06.2011 द्वारा रु० 16000/— का भुगतान ग्राम पंचायत के प्रारूप 01 से 14 तक के प्रपत्र तैयार करने हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। सी०ए० द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों की जाँच कराई जानी अपेक्षित है। परन्तु उक्त अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने से तद्विषयक जाँच नहीं की जा सकी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान की गई धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः भुगतान की गई धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **रु० 16000.00**

आप० सं० 09

ग्राम पंचायत का नाम महोलीखेडा विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा खाता सं० 446 से दिनांक 17.06.2011 रु० 100000/— एवं खाता सं० 464 से दिनांक 21.04.2011 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार रु० 200000/— जिला मुख्यालय को वापस किया गया।

लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी भी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अंतरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जाये।

रु0 300000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 26

ग्राम पंचायत का नाम जगतपुर विकासखण्ड सुल्तानगंज जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा मद से मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 29.06.2010 को रु0 325755/— जिला मुख्यालय को वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी भी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अंतरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे।

रु0 325755.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 08

ग्राम पंचायत का नाम मंछना विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वित्त वर्ष 2011-12 दौरान ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.06.2011/07.07.2011 में रु0 4500/— की कुर्सी, मेज क्रय की गई। जिसकी स्वीकृति पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा दौरान मृतस्कन्ध पंजिका प्रस्तुत नहीं करने से ग्राम पंचायत में उक्त स्टॉक के अंकन की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। विगत वर्षों के उपलब्ध स्टॉक यथा कुर्सी-मेज, सेफ, वाल्टी इत्यादि के विषय में भी जानकारी न की जा सकी। मृतस्कन्ध पंजिका तैयार कर एवं उस पर विभागीय निर्देशों के आधार पर मूल्य हरास लगाते हुये जाँच हेतु प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

रु0 4500.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 18

प्रस्तर 02— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम से प्रमाणक सं0 —/06.04.2011 —/22.11.2011 एवं —/11.01.2011 द्वारा क्रमशः रु0 99000/—, रु0 89950/— एवं रु0 49500/— की तथा मनरेगा से चैक सं0 999 द्वारा रु0 205562/— की ईंटे तथा कृष्णा आयरन स्टोर से रु0 35750/— की सामग्री विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रु0 2500/— अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/— से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता

के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे।

रु0 479762.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 14

ग्राम पंचायत का नाम गदाईपुर विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य में प्रमाणक सं0 —/06.06.2008 —/11.09.2010 एवं —/18.11.2011 द्वारा क्रमशः रु0 5600/— रु0 1478/— एवं रु0 3985/— मृतस्कन्ध क्रय किया गया। क्रय किये गये मृतस्कन्ध की प्रविष्टि की जाँच हेतु मृतस्कन्ध पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे ग्राम पंचायत में उपलब्ध डेड स्टॉक के विषय में भी जानकारी न की जा सकी। मृतस्कन्ध पंजिका तैयार कर एवं उस पर विभागीय निर्देशों के आधार पर मूल्य हरास लगाते हुये जाँच हेतु प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

रु0 11063.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 26

प्रस्तर 02— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06.07.2010 को चैक सं0 343476 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को रु0 399520/— वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी भी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अंतरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे।

रु0 399520.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 21

ग्राम पंचायत का नाम व्योतिकला विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम वर्ष 2010-11 में रु0 108000/— वर्ष 2011-12 में रु0 145000/— की निर्माण सामग्री क्रय करने पर भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा दौरान भट्टा मालिकों एवं सीमेन्ट आदि के क्रय करने हेतु, को दिये गये चैकों का स्पष्ट विवरण कोषवही में नहीं दिया गया एवं न ही उक्त पृथक-पृथक खाता ही तैयार किया गया। क्रय की गई सामग्री पर व्यापार कर एवं आयकर की कटौती नहीं की गई। जिससे राजकीय हानि हुई अतः पंचायत सचिव से अपेक्षा है कि भट्टा मालिकों/क्रय की गई निर्माण सामग्री का विवरण तैयार कर व्यापारकर अधिनियम-1948 की धारा-12सी0 के अन्तर्गत व्यापारकर एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी0 की व्यवस्था के अनुसार आयकर की कटौती कर सम्बन्धित विभागों में जमा कराया जावे।

रु0 253000.00 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0 सं0 08

ग्राम पंचायत का नाम एलाऊ विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य दौरान रू0 15000/— से अधिक की ईंटे एवं निर्माण सामग्री उदाहरण के तौर पर ग्राम निधि खाता प्रथम से दिनांक 07.04.2010 को रू0 83750/—, 03.08.2010 को रू0 49600/—, 19.04.2011 को रू0 93400/— एवं दिनांक 28.04.2011 को रू0 93800/— की ईंटे एवं सीमेन्ट तथा अन्य निर्माण सामग्री इसी प्रकार मनरेगा से दिनांक 14.07.2010, 29.06.2011 एवं 12.08.2011 को क्रमशः रू0 50250/—, रू0 56950/— एवं रू0 60300/— की ईंटे विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/— अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/— से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 488050.00

आप0 सं0 09

ग्राम पंचायत का नाम कुरारी विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य दौरान ग्राम निधि खाता प्रथम से वर्ष 2010-11 दौरान रू0 210000/— एवं वर्ष 2011-12 दौरान रू0 450000/— की ईंटे एवं अन्य निर्माण सामग्री विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/— अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/— से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 660000.00

आप0 सं0 09

ग्राम पंचायत का नाम रतनपुरा बरा विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य दौरान मनरेगा खाता से रू0 384632.25/— ईंटे एवं अन्य निर्माण सामग्री विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/- अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/- से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 384632.25

आप0 सं0 03

ग्राम पंचायत का नाम कुसमाखेडा विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य दौरान रू0 15000/- से अधिक की मूल्य की ईंटे एवं निर्माण सामग्री उदाहरण के तौर मनरेगा खाता से -/20.06.2010 द्वारा रू0 65582.95/- एवं इसी प्रकार दिनां 05.08.2011 में रू0 105000/- की ईंटे चैक सं0 7321 से 23 द्वारा विना किसी टेण्डर के क्रय की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 2500/- अधिक की सामग्री क्रय के कुटेशन व 15000/- से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए थी। क्रय की गई सामग्री के दर के औचित्य की पुष्टि में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित राजकीय दर का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति प्रधान/सचिव विशेष ध्यान रखे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 170582.95

आप0 सं0 03

ग्राम पंचायत का नाम सुगांव विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा की बैंक ऑफ इण्डिया के खाता सं0 4267 से दिनांक 20.08.2010 रू0 200000/- मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जिला मुख्यालय को वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अंतरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 200000.00

आप0 सं0 19

ग्राम पंचायत का नाम चंदरपुर विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01- वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं0 4268 से दिनांक 30.08.2010 एवं 04.09.2010 को क्रमशः रू0 100000/- एवं

100000/- मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जिला मुख्यालय को वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अन्तरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 200000.00

आप0 सं0 15

ग्राम पंचायत का नाम नखतपुर विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता 4360 द्वारा दिनांक 06.09.2010 एवं 13.01.2012 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार रु0 350000/- एवं 100000/- जिला मुख्यालय को वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अन्तरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 450000.00 आप0 सं0 10

ग्राम पंचायत का नाम हथपल्लु विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 14.07.2010 को चैक सं0 54180 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति खाते से रु0 450000/- वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अन्तरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 450000.00 आप0 सं0 19

ग्राम पंचायत का नाम आधार विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 29.07.2011 को चैक सं0 586750 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को शौचालय निर्माण हेतु रु0 482280/- वापस किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अन्तरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 482280.00 आप0 सं0 13

ग्राम पंचायत का नाम दलपुरा विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं० 9382 दिनांक 07.03.2012 को द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार रू० 200000/— (दो प्रविष्टियों द्वारा) खाते से अन्तरण किया गया। लेखा परीक्षा दौरान इस प्रति किसी प्रकार का आदेश गार्ड फाइल में चस्पा नहीं किया गया। जिससे उक्त अन्तरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगामी लेखा परीक्षा दौरान तद्विषयक पत्रावली प्रस्तुत कर जाँच कराई जावे। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू० 200000.00 आप० सं० 24

ग्राम पंचायत का नाम बधिरुआ विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— प्रमाणक सं० —/दिनांक 15.04.2011 द्वारा डी०सी०वी० खाता सं० 334 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को चैक क्रमांक 871/15.04.2011 द्वारा रू० 12000/— का भुगतान ग्राम पंचायत के प्रारूप 01 से 14 तक के प्रपत्र तैयार करने हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। सी०ए० द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों की जाँच कराई जानी अपेक्षित है। परन्तु उक्त अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने से तद्विषयक जाँच नहीं की जा सकी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान की गई धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः भुगतान की गई धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

रू० 12000.00 आप० सं० 14

ग्राम पंचायत का नाम टिकसुरी विकासखण्ड जागीर जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— प्रमाणक सं०/दिनांक 03.08.2010 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चैक सं० 451 द्वारा रू० 16000/— का भुगतान ग्राम पंचायत के प्रारूप 01 से 14 तक के प्रपत्र तैयार करने हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। सी०ए० द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों की जाँच कराई जानी अपेक्षित है। परन्तु उक्त अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने से तद्विषयक जाँच नहीं की जा सकी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान की गई धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः भुगतान की गई धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

रू० 16000.00 आप० सं० 17

ग्राम पंचायत का नाम ग्वारी विकासखण्ड करहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— आलोच्य वर्ष में दिनांक 23.12.2011 में एक फर्श रू० 4284/— का क्रय किया गया है। उक्त फर्श क्रय के प्रमाणक प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। उक्त प्रमाणक पर हस्ताक्षर करके सत्यापित किया जाना अपेक्षित है तथा फर्श क्रय को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू० 4284.00 आप० सं० 07

प्रस्तर 02— आलोच्य वर्ष में दिनांक 25.02.2012 में कुर्सी-मेज, फर्नीचर वाउचर सं0-4 द्वारा रू0 7200/- व्यय दर्शित है। उक्त व्यय ग्राम पंचायत अधिकारी तथा प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित नहीं है जिसके अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त फर्नीचर क्रय को स्टॉक बुक में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 7200.00 आप0 सं0 09

ग्राम पंचायत का नाम ग्वारी विकासखण्ड करहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— आलोच्य वर्ष में सी0ए0 आडिट फीस मद में रू0 4000/- वाउचर नं0 2 दिनांक 23.12.2011 में व्यय दर्शित है। जबकि उक्त व्यय के संदर्भ में आडिट रिपोर्ट लेखा परीक्षा में उपलब्ध न थी। जिसके अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। विना आडिट रिपोर्ट के व्यय किया जाना आपत्तिजनक है। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 4000.00 आप0 सं0 08

ग्राम पंचायत का नाम सौंज विकासखण्ड करहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— दिनांक 20.12.2011 को रूपया 24000/- का भुगतान सी0ए0 संजय राम किशोर एण्ड कम्पनी को आडिट हेतु दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में आडिट रिपोर्ट लेखा परीक्षा में पेश न की गई। अतः उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। आडिट रिपोर्ट (सी0ए0) लेखा परीक्षा में पेश की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 24000.00 आप0 सं0 12

ग्राम पंचायत का नाम भटोहा विकासखण्ड करहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— दिनांक 21.12.2011 को रू0 24000/- सी0ए0 संजय राम किशोर एण्ड कम्पनी को आडिट हेतु दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में आडिट रिपोर्ट लेखा परीक्षा में पेश न की गई। अतः उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। आडिट रिपोर्ट (सी0ए0) लेखा परीक्षा में पेश की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 24000.00 आप0 सं0 09

ग्राम पंचायत का नाम भौती विकासखण्ड करहल जनपद मैनुपरी

प्रस्तर 01— दिनांक 21.12.2011 को रू0 24000/- सी0ए0 संजय राम किशोर एण्ड कम्पनी को आडिट हेतु दर्शित है। परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में आडिट रिपोर्ट लेखा परीक्षा में पेश न की गई। अतः उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। आडिट रिपोर्ट (सी0ए0) लेखा परीक्षा में पेश की जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रू0 24000.00 आप0 सं0 12

संस्था का नाम — ग्राम पंचायत जनपद अलीगढ़ मंडल आगरा

ग्राम पंचायत का नाम किढारा विकासखण्ड जवॉ जनपद अलीगढ़

प्रधान श्रीमती गडडी देवी

सचिव श्री प्रेमपाल सिंह

प्रस्तर 01— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 व 2012—13 में छात्रवृत्ति मद की धनराशि क्रमशः रु0 1960.00 व 55.00 अन्य मद में व्यय कर दिया गया है। जो अनियमित है। अतः छात्रवृत्ति मद के धन को छात्रवृत्ति खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 2015.00 आप0 सं0 26

ग्राम पंचायत का नाम सियाखास विकासखण्ड जवॉ जनपद अलीगढ़

प्रधान श्री भगवती प्रसाद

सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह

प्रस्तर 01— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 में छात्रवृत्ति से रु0 1350.00 अधिक आहरण कर अन्य मद में व्यय कर दिया गया है। जो अनियमित है। अतः छात्रवृत्ति मद का रु0 1350.00 प्रधान/सचिव से वसूल कर छात्रवृत्ति खाते में जमा कराया जाना चाहिये। सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 1350.00 आप0 सं0 29

ग्राम पंचायत का नाम मलिकपुरा विकासखण्ड जवॉ जनपद अलीगढ़

प्रधान श्री राजकुमार

सचिव श्री कलियान सिंह/श्री अजीत सिंह

प्रस्तर 01— लेखा परीक्षा वर्ष 2009—10 में छात्रवृत्ति मद का रु0 1620.00 नल मरम्मत पर (दि0 25.1.10 को छात्रवृत्ति खाते से रु0 5690.00 आहरण कर वितरण रु0 4070.00) व्यय किया गया। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर छात्रवृत्ति खाते में जमा कराया जाना चाहिये। **आप0 सं0 24.2**

प्रस्तर 02— लेखापरीक्षा वर्ष 2010—11 में कोषबही में मई माह के आय पक्ष का योग 137058.00 दर्शित है। जबकि व्ययपक्ष का योग रु0 133558.00 दर्शित है। जबकि लेखा परीक्षा अनुसार व्यय का योग 130708 होना चाहिये। अंतर 2850 छात्रवृत्ति मद का है जिसका आहरण कोषबही में दर्शित है लेकिन व्यय पक्ष में वितरण में दर्शित नहीं है जबकि व्यय के योग में शामिल कर लिया गया है अतः रु0 2850.00 रु0 ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल किया जाना चाहिये।

रु0 2850.00 आप0 सं0 24.3

प्रस्तर 03— दि0 29.10.09 को ग्रीस कुमार से अमानत लेकर पिछले वर्ष 2008—09 की अवशेष छात्रवृत्ति खाते में जमा करना दर्शित है। जबकि अवशेष नगद अवशेष से होनी चाहिये थी।

अमानत लेकर छात्रवृत्ति जमा करना गलत है। अतः उक्त धनराशि वसूल किया जाना अपेक्षित है। **रु0 930.00 आप0 सं0 24.1**

प्रस्तर 04— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 में एमआर 50 के अनुसार दि0 20.3.12 से 25.3.12 तक मलिकपुरा व माधोगढ में शौचालय मरम्मत का कार्य होना दर्शित है तथा एमआर 51 के अनुसार दि0 18.3.12 व 28.3.12 तक शमशेर खों एवं ऋशिपाल तक खंडजा निर्माण होना दर्शित है। दोनो कार्यों पर देवेन्द्र पुत्र श्री सोहन लाल, वीरपाल पुत्र श्री गजाधर (दोनो राजमिस्त्री) दि0 20.3.12 से 24.3.12 तक कार्य करते दर्शित हैं। जो कि संभव नहीं है। जिसकी वसूली 300.00 रु0 प्रति दिन की दर से 10 दिन का रु0 3000.00 प्रधान/सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

रु0 3000.00 आप0 सं0 25

ग्राम पंचायत का नाम रामपुर विकासखण्ड जवों जनपद अलीगढ

श्री मुलायम सिंह प्रधान

श्री प्रेमपाल शर्मा सचिव

प्रस्तर 01— लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 में दि0 22.3.11 को गौरव सीमेन्द एजेंसी एवं 2011—12 में दि0 23.6.11 व 29.6.11 को निम्न सामग्री क्रय दर्शित है लेकिन इसका 31.3.13 तक उपभोग नहीं किया गया है।

22.3.11—550 फुट बदरपुर, 550 फुट रोडी, 49 बोरी सीमेंट रु0 50300.00

23.6.11—4286 ईट रु0 15000.00

29.6.11 —1375 फुट बालू रु0 16500.00

उक्त सामग्री को अनावश्यक रूप से क्रय कर उपभोग न करना राजकीय धन का दुरुपयोग प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

रु0 81800.00 आप0 सं0 29

ग्राम पंचायत का नाम सुनाना विकासखण्ड जवों जनपद अलीगढ

श्री मुलायम सिंह प्रधान

श्री प्रेमपाल शर्मा सचिव

प्रस्तर 01— लेखा परीक्षा वर्ष 2009—10 में एम डी एम मद का रु0 20000 नाली खंडजा एवं हैण्डपम्प पर व्यय कर दिया गया है। उक्त एमडीएम मद की धनराशि को अन्य मद में खर्च करना गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। इसे एमडीएम खाते में जमा किया जाना चाहिये।

रु0 20000.00 आप0 सं0 24.2

प्रस्तर 02— लेखा परीक्षा वर्ष 2009—10 में छात्रवृत्ति खाते की पासबुक (1641) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। कोषबही के अनुसार प्रा0शेष, वर्ष में प्राप्त, वितरण एवं वर्ष के शेष में रु0 15300.00 का अंतर है। जो पासबुक/खाते से निकला है लेकिन कोषबही में प्रविष्टि न कर गबन किया गया प्रतीत होता है। इसकी विभागीय जांच कर वसूली की जानी चाहिये।

रु0 15300.00 आप0 सं0 25.2

ग्राम पंचायत का नाम खेडियादौलरा विकासखण्ड लौधा जनपद अलीगढ़
 श्री नौशे खॉ प्रधान श्री अमर सिंह सचिव

प्रस्तर 01— वित्तीय वर्ष 2012—13 में ग्राम पंचायत के छात्रवृत्ति खाते से दि० 30.4.12 में वितरण हेतु रू० 20100.00 आहरित किये गये हैं लेकिन इस आहरण के सापेक्ष कुल रू० 19000.00 का ही वितरण किया गया है। शेष अंतर रू० 11000.00 को ग्राम पंचायत के अन्य मदों में व्यय किया गया है, जो कि गलत व अनियमित है। मिड डे मील का धन अन्य मदों में व्यय नहीं किया जा सकता है। अतः अनियमित व्यय वसूली योग्य है। इस प्रति स्थिति स्पष्ट कराते हुये आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

रू० 1100.00 आप० सं० 10

ग्राम पंचायत का नाम आसना अजीतपुर विकासखण्ड लौधा जनपद अलीगढ़

श्री ललित कुमार प्रधान श्री उदय सिंह/अमर सिंह सचिव

प्रस्तर 01— वित्तीय वर्ष 2010—11 में ग्राम पंचायत के मिड डे मील खाते से रू० 18100.00 व्यय हेतु आहरित किये गये हैं। लेकिन इस आहरण के सापेक्ष वर्ष में रू० 14821.00 मिडडे मील के मद में व्यय किया गया है। शेष रू० 3279.00 अन्य मदों में व्यय किया गया है। जो अनियमित है। यह अनियमित व्यय वसूली योग्य है।

रू० 3279.00 आप० सं० 11

ग्राम पंचायत का नाम रूस्तमसकतखॉ विकासखण्ड लौधा जनपद अलीगढ़

श्री चन्द्रपाल प्रधान श्री अनिल कुमार दिनकर सचिव

प्रस्तर 01— माह 10/09 में छात्रवृत्ति खाते से आहरित धन रू० 57950 के सोपक्ष रू० 57900 का वितरण दर्शाया गया है। इसप्रकार रू० 50 नकद शेष बचे। इससे पूर्व गत वर्ष से रू० 100 नगद अवशेष चला आ रहा था। कुल 150 रू० अन्य मद में व्यय किया गया, जिसकी वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है।

रू० 150.00 आप० सं० 11

ग्राम पंचायत का नाम कलियानपुर विकासखण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ़

श्री हरपाल सिंह प्रधान श्री छोटेलाल सचिव

प्रस्तर 01— वर्ष 11—12 में छात्रवृत्ति मद का धन रू० 1425.00 अन्य मद में व्यय कर दिये गये हैं। जो आपत्ति जनक है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

रू० 1425.00 आप० सं० 23

ग्राम पंचायत का नाम बलरामपुर विकासखण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ़

श्री ओमप्रकाश प्रधान श्री छोटेलाल सचिव

प्रस्तर 01— वर्ष 12—13 में छात्रवृत्ति मद का धन रू० 290.00 अन्य मद में व्यय कर दिये गये हैं। जो आपत्ति जनक है। जिसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

रू० 290.00 आप० सं० 22

ग्राम पंचायत का नाम जलुपुर सिहोर विकासखण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ़

प्रस्तर 01— छात्रवृत्ति मद का धन रु0 6440.00 अन्य मद में व्यय कर दिये गये हैं। जो आपत्ति जनक है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

रु0 6440.00 आप0 सं0

ग्राम पंचायत का नाम बरहेती विकासखण्ड जवौ जनपद अलीगढ़

प्रस्तर 01— लेखा परीक्षा वर्ष 11-12 में छात्रवृत्ति मद का धन रु0 290.00 अन्य मद में व्यय कर दिये गये हैं। जो आपत्ति जनक है। जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

290.00 आप0 सं0 26

संस्था का नाम — ग्राम पंचायत जनपद हाथरस मंडल आगरा

ग्राम पंचायत का नाम मुबारिक पुर कपसिया विकासखण्ड सिकंदराराऊं जनपद हाथरस

प्रस्तर 01— छात्रवृत्ति मद का धन आहरण कर वितरण न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

रु0 67500.00 आप0 सं0

प्रस्तर 02— बैंक से धन आहरण कर कैशबुक में प्रविष्टि न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सचिव/प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

रु0 5000.00 आप0 सं0

ग्राम पंचायत का नाम कचौरा विकासखण्ड सिकंदराराऊं जनपद हाथरस

प्रस्तर 01— बैंक से धन आहरण कर कैशबुक में प्रविष्टि न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सचिव/प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

रु0 25000.00 आप0 सं0

प्रस्तर 02— सामग्री प्राप्त करने हेतु फर्म को चेक जारी कर भुगतान किया गया है लेकिन सम्बन्धित फर्म से सामग्री प्राप्त न कर अनियमितता की गई है। जिसकी वसूली सचिव/प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

रु0 117500.00 आप0 सं0

जनपद का नाम — कानपुर नगर

मण्डल का नाम — कानपुर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ — शून्य

जनपद—कानपुर देहात

सम्भाग—कानपुर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

प्रस्तर:—1— ग्राम पंचायत सुजगवाँ विकास खण्ड अमरौधा में दिनांक 31.03.13 को गतवर्ष का शिवविक फील्ड के पास रु—38400/ जमा यथावत किया दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष वर्ष 12—13 में न तो स्टाक क्य गया है। और नही घनराशि भट्टे से वापस प्राप्त की गयी है। जिससे उक्तधन के गबन की पूर्ण सम्भावना है। उक्त रु—38400/ की वसूली शिवाग्रिक फील्ड से कर ग्राम पंचायत के खाते मे जमा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे ग्राम प्रधान श्री रामनारायन व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सचान से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर :-2—ग्राम पंचायत महेशपुर विकास खण्ड राजपुर की कोषबही में वर्ष 12—13 में छात्रवृत्ति की नकल अवशेष धनराशि रु—3480—00 वितरण उपरान्त खाते में जमा न कर रोककर रखी गयी है जोकि अनियमित है और धन के गबन की पूर्ण सम्भावना है उक्त रु—3480—00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मेश सिंह व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विश्वनाथ पाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 3:— ग्राम पंचायत खोजारायपुर विकास खण्ड राजपुर की कोषबही में 31—3—13 को छात्रवृत्ति का शेष धन रु—2880/ बैंक में वापस जमा न कर रोककर अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती लौंगश्री व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधीर कटियार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 4:— ग्राम पंचायत राजपुर विकास खण्ड राजपुर की वर्ष 12—13 की कोषबही मे छात्रवृत्ति वितरण उपरान्त शेष रु—27120/ बैंक खाते मे जमा न कर नगद शेष प्रधान के पास दर्शाया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 5:— ग्राम पंचायत सिहुरा विकास खण्ड राजपुर की वर्ष 12—13 की कोषबही मे रु—13600/ छात्रवृत्ति का नगद धन रोककर बैंक मे जमा न कर अनियमितता की गयी है। रु—13600/ की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मन्जू देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुषील चौधरी से कर वापस खाते मे जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 6:— ग्राम पंचायत खोजाफूल विकास खण्ड राजपुर की वर्ष 12—13 मे छात्रवृत्ति का धन रु—6000/ नगद अवशेष दर्शित को बैंक खाते मे जमा न कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनुपम कुषवाहा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धरनरायन से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम

इटावा :

मण्डल का

नाम कानपुर :

ग्राम पंचायत का नाम असफपुर :

विकास

भरथना : नाम का खण्ड

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 :

प्रस्तर संख्या	सन्निहित धनराशि	आपत्ति का विवरण			
.1	160270.00	ग्राम पंचायत – असफपुर मे आलोच्य वर्ष मे निम्न व्यय कैश – बुक मे दर्शाकर रोकड़ खारिज की गई है ।			
		दिनांक	व्यय प्रमाणक सं०	धनराशि	मद विवरण
		13-04-11	1	8000	रंगाई पुताई पर व्यय
		30-04-11	4	6600	गली मे मिट्टी भराई
		29-05-11	6	5630	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		23-06-11	8	3640	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		01-08-11	9	6400	समस्या निदान पट्टिका पर व्यय
		17-08-11	10	5000	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		17-08-11	11	5000	गली मे मिट्टी भराई
		10-09-11	12	12000	स्कूल मे मिट्टी भराई
		11-09-11	13	40000	गली मे मिट्टी भराई
		09-01-12	17	14500	स्कूल मे मिट्टी भराई
		29-02-12	26	14500	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		20-03-12	28	25000	गली मे मिट्टी भराई
		28-03-12	32	14000	गली मे मिट्टी भराई
	योग	160270			

		उक्त व्ययों की पुष्टि मे सफेद कागज पर व्यय प्रमाणक लिखकर गार्ड फाइल मे चस्पा कर दिया गया है जो व्ययों की पुष्टि हेतु पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट है कि उक्त व्यय वास्तव मे नहीं किए गए है। मात्र अनुदान का उपभोग दर्शाने के उद्देश्य से कैश – बुक मे काल्पनिक व्यय दर्शाये गए है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ललता प्रसाद एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज सिंह यादव उत्तरदायी है। अतः उक्त काल्पनिक दर्शित व्यय रुपये 160270.00 में से 80135.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ललता प्रसाद से एवं रु0 80135.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज सिंह यादव से वसूली तिथि तक 18 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-03)

जनपद का नाम इटावा :

मण्डल का नाम कानपुर :

ग्राम पंचायत का नाम समसपुर :

विकास

खण्ड का नाम भरथना :

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 :

प्रस्तर संख्या	सन्निहित धनराशि	आपत्ति का विवरण			
.1	240350.00	ग्राम पंचायत – समसपुर मे आलोच्य वर्ष मे निम्न व्यय कैश – बुक मे दर्शाकर रोकड़ खारिज की गई है।			
		दिनांक	व्यय प्रमाणक सं०	धनराशि	मद विवरण
		30-04-11	2	16780	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		30-04-11	4	10000	गली मे मिट्टी भराई
		22-05-11	7	5000	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		20-06-	17	1878	सात सोखता गड्ढा निर्माण

		11		0	
		28-06-11	19	29310	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		11-07-11	23	8000	नारा लिखवाई
		16-07-11	24	4000	कूड़ा गाड़ी
		23-07-11	26	20000	गली मे मिट्टी भराई
		27-08-11	31	21000	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		30-09-11	39	2010	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		21-10-11	41	24000	गली मे मिट्टी भराई
		27-10-11	42	13450	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		11-11-11	45	4400	तीन कूड़ा गाड़ी कि मरम्मत पर व्यय
		18-11-11	46	10320	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		12-11-11	47	15000	ट्रैक्टर से मिट्टी भराई
		10-12-12	53	14300	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		19-03-12	58	20000	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		18-03-12	62	4000	तीन कूड़ा गाड़ी कि मरम्मत पर व्यय
			योग	240350	

	उक्त व्ययों की पुष्टि मे सफेद कागज पर व्यय प्रमाणक लिखकर गार्ड फाइल मे चस्पा कर दिया गया है जो व्ययों की पुष्टि हेतु पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट है कि उक्त व्यय वास्तव मे नहीं किए गए है। मात्र अनुदान का उपभोग दर्शाने के उद्देश्य से कैश – बुक मे काल्पनिक व्यय दर्शाये गए है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति गुड्डी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज सिंह यादव उत्तरदायी है। अतः उक्त काल्पनिक दर्शित व्यय रुपये 240350.00 में से 120175.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी से एवं रू0 120175.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज सिंह यादव से वसूली तिथि तक 18 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-04)

जनपद का नाम इटावा : मण्डल का नाम कानपुर :
 ग्राम पंचायत का नाम नरैनी मुगलपुर : विकास
 भरथना : नाम का खण्ड
 लेखा परीक्षा वर्ष 2001-02 से 2011-12-

प्रस्तर संख्या	सन्निहित धनराशि	आपत्ति का विवरण			
.1	120606.00	ग्राम पंचायत-मुगलपुर नरैनी में वर्ष 2011-12 में निम्न व्यय कैश बुक में दर्शाये गये किन्तु इन व्ययों की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।			
		दिनांक	व्यय प्रमाणक सं०	धनराशि	मद विवरण
		31-12-11	43	6166	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		31-12-11	44	2200	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय
		31-12-11	45	1700	स्टेशनरी क्रय
		17-01-12	46	15000	सीमेन्ट क्रय
		20-01-12	47	7500	गली में मिट्टी भराई
		25-01-12	48	8000	गली में मिट्टी भराई
		25-01-12	49	540	फोटो स्टेट व्यय
		30-01-	50	9500	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय

		11			
		02-03-12	51	50000	ईट क्रय अव्वल
		21-03-12	52	10500	मस्टर रोल भुगतान सड़क निर्माण
		30-03-12	53	9500	मस्टर रोल भुगतान खड़जा निर्माण
			योग	120606	
		व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आते हैं। अतः अपहरण की कुल राशि 120606.00 में से 60303.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं रू0 60303.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह यादव से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-14)			
2	16200.00	दिनांक- 09.01.2008 को मध्यान्ह भोजन योजना खाते से आहरित धनराशि रू0 18000.00 के सापेक्ष कैश बुक में प्रमाणक सं0 54 द्वारा रू0 1800.00 का व्यय कैश बुक में दर्शाया गया है। शेष रू0 16200.00 का अन्य मदों में व्यय दर्शाकर तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राममूर्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की कुल राशि 16200.00 में से 8100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राममूर्ति देवी एवं रू0 8100.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह यादव से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-15)			

जनपद का नाम औरैया : मण्डल का नाम कानपुर :

ग्राम पंचायत का नाम भैसोल : विकास खण्ड का नाम अछलदा :

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13:

प्रस्तर संख्या	सन्निहित धनराशि	आपत्ति का विवरण			
.1	8498.00	वर्ष 2004-05 में विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-			
		दिनांक	व्यय प्रमाण क सं०	धनराशि	मद विवरण
		18-06-	7	3350.0	अमर उजाला विज्ञापन

		2004		0	
		20-10-2004	14	2025.00	विज्ञापन भुगतान
		04-01-2005	33	1000.00	विज्ञापन भुगतान
		26-01-2005	34	200.00	दैनिक देशधर्म विज्ञापन भुगतान
		26-01-2005	35	1000.00	अमर उजाला
		31-07-2005	48	923.00	कौशल न्यूज एजेंसी
			योग	8498.00	
				0	
		कुल योग रूपया 8498.00 बिना औचित्य के विज्ञापन व्यय पर दर्शाये गये। उक्त व्यय की पुष्टि में न्यूज कटिंग प्रमाणक के साथ ही ग्राम सभा का प्रस्ताव भी अप्राप्त रहा। स्पष्ट है कि ग्राम निधि के धन की दुरुपयोग किया गया। समस्त धनराशि रू0 8498.00 का 50 प्रतिशत की दर से रू0 4249.00 ग्राम प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेई व 50 प्रतिशत रू0 4249.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र पाल से वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या— 02)			
2	30500.00	वर्ष 2004—2005, 2005—06, 2006—07 में पौध खरीद पर व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है—			
		दिनांक	व्यय प्रमाणक सं0	धनराशि	मद विवरण
		05-10-2004	11	10000.00	पौध खरीद भुगतान

		14-11-2005	9 एवं 08	10500.00	पौध खरीद भुगतान																								
		20-07-2006	अंकित नहीं	10000.00	पौध खरीद भुगतान																								
			योग	30500.00																									
		इस प्रकार वर्ष 2004-05 में ग्राम प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेई व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र पाल द्वारा रु0 10000.00 व वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कुल रु0 20500.00 ग्राम प्रधान श्री राजा राम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र पाल द्वारा पौध वितरण पर व्यय किया गया है। पौध वितरण रजिस्टर नहीं बनाया गया है। पौधों की कोटेशन भी नहीं ली गयी है। ग्राम सभा का प्रस्ताव भी नहीं प्रस्तुत किय गया। स्पष्ट है कि ग्राम निधि का दुरुपयोग किया गया। जिसका 50-50 प्रतिशत की दर से रु0 5000.00 ग्राम प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेई से व रु0 10250.00 ग्राम प्रधान श्री राजा राम से व रु0 15250.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र पाल से धन के दुरुपयोग की वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (मूल आपत्ति संख्या- 03)																											
3	78345.00	वर्ष 2004-05 में हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-																											
		<table><thead><tr><th>दिनांक</th><th>व्यय प्रमाणक सं०</th><th>धनराशि</th><th>मद विवरण</th></tr></thead><tbody><tr><td>11-02-2005</td><td>39</td><td>5480.00</td><td>हैंड पंप मरम्मत पर व्यय</td></tr><tr><td>22-02-2005</td><td>40</td><td>2000.00</td><td>हैंड पंप मरम्मत पर व्यय</td></tr><tr><td>21-05-2005</td><td>15</td><td>9750.00</td><td>हैंड पंप मरम्मत पर व्यय</td></tr><tr><td>30-05-2005</td><td>16</td><td>3000.00</td><td>हैंड पंप मरम्मत पर व्यय</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>20230.00</td><td></td></tr></tbody></table>	दिनांक	व्यय प्रमाणक सं०	धनराशि	मद विवरण	11-02-2005	39	5480.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय	22-02-2005	40	2000.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय	21-05-2005	15	9750.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय	30-05-2005	16	3000.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय		योग	20230.00				
दिनांक	व्यय प्रमाणक सं०	धनराशि	मद विवरण																										
11-02-2005	39	5480.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय																										
22-02-2005	40	2000.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय																										
21-05-2005	15	9750.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय																										
30-05-2005	16	3000.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय																										
	योग	20230.00																											

ग्राम प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेई व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र पाल द्वारा रू0 20230.00 हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय किय गया है। इस दुरुपयोग किये गये धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2005-06 में हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दिनांक	व्यय प्रमाणक सं0	धनराशि	मद विवरण
21-01-2006	18	10000.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय
25-04-2006	अंकित नहीं	31221.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय
30-04-2006	अंकित नहीं	1146.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय
07-05-2006	अंकित नहीं	2674.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय
14-05-2006	अंकित नहीं	2674.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय
06-11-2006	अंकित नहीं	1950.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय
22-03-2007	अंकित नहीं	8450.00	हैंड पंप मरम्मत पर व्यय
	योग	58115.00	

ग्राम प्रधान श्री राजाराम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र पाल द्वारा 58115.00 हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। जल प्रबन्धन रजिस्टर नहीं बनाया गया है और न ही अभिलेखों से ज्ञात हो सका कि कहाँ हैंड पम्प लगे और किसकी मरम्मत की गयी। स्पष्ट है कि ग्राम निधि के धन का दुरुपयोग किया गया। समस्त धनराशि रू0 58115.00 का 50 प्रतिशत की दर से रू0 10115.00 ग्राम प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेई से व रू0 29050.50 ग्राम प्रधान

		श्री राजाराम से रू0 39172.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र पाल से धन के दुरुपयोग की वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या – 3)
	117343.0 0	योग

अध्याय-5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नस्ति संग्रह का विवरण

5.1—जिला पंचायत— जिला पंचायतों में मात्र 56 जिला पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित संस्थाओं में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही। मात्र 02 सामान्य प्रतिवेदन तथा 01 विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। जिला पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

5.2—क्षेत्र पंचायत— मात्र 83 क्षेत्र पंचायतों के अभिलेख लेखा परीक्षा दल को प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही, किसी भी क्षेत्र पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

5.3—ग्राम पंचायत— ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं रही, मात्र 51 ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन तथा 57 ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

अध्याय—6

निष्कर्ष व सुझाव

6.1—निष्कर्ष

वाह्य सम्प्रेक्षण के प्रति उदासीनता—

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 819 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012—13 की अवधि के दौरान मात्र 83 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल क्षेत्र पंचायतों का मात्र 10.13 प्रतिशत है। जबकि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किये जाने की व्यवस्था है। किसी क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस क्षेत्र पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाना चाहिये और उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा)

नियमावली 1965 के नियम संख्या- 174 के क्रम में कार्यकारी अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जानी चाहिये। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

इसी प्रकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 51865 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान मात्र 33434 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल ग्राम पंचायतों का मात्र 64.46 प्रतिशत है। ग्राम सभाओं की जनपदवार प्रगति परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है। लेखा परीक्षा न होने का मुख्य कारण ग्राम प्रधान व ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराना है। प्रशासनिक विभागों के निचले स्तर के अधिकारियों (विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर) द्वारा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया। लेखा परीक्षा न कराने वाली ग्राम पंचायतों के विरुद्ध सामयिक व कड़ी कार्यवाही न किए जाने से इस प्रकार की अराजकता को बल मिला। अध्याय-8 के पैरा-3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही ग्राम प्रधान तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करना- त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं की लेखा परीक्षा में अधिकांश संस्थाओं द्वारा निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण समग्र व वास्तविक मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सका जिसका लेखा परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा अधोलिखित विषयों पर स्पष्ट व सारगर्भित विवेचना नहीं की जा सकी।

1. कार्य की पंचायत , तकनीकी, सक्षम स्तर की स्वीकृति।

2. खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष सरकार की योजनाओं में सन्निहित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुयी।
3. इच्छित लाभ लोगों तक पहुँचा है। विशिष्ट कार्यक्रमों/विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं/कार्य में सुधार होने वाली त्रुटि के निवारण हेतु कार्यवाही की गयी है।
4. कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच न करने के फलस्वरूप कपटपूर्ण कार्य, अपहरण आदि सुसाध्य हुआ।
5. अकुशल वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रमों का अकुशल क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्य व कमजोर अनुश्रवण के कारण अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकना।
6. श्रमिकों के भुगतान में विलंब।
7. नियमों व नियमन का अनुपालन न करना।
8. असावधानी/नियंत्रण की कमी/पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय।
9. सतत व व्यापक अनियमितता, धोखे, अपहरण को चिन्हित करना।
10. अनुदान की धनराशि का उपयोग न करना। वापस न करना।
11. अभिलेखों के अंकन व रख रखाव का मूल्यांकन।
12. महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित समस्त 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर नही रखे जा रहे है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में समग्र व वास्तविक मूल्यांकन संभव न हो सका जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित तथ्यों का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

1— परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत थी अथवा नहीं ?

2— किये गये व्यय से वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन किया गया अथवा नहीं ?

- 3— न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया अथवा नहीं ?
- 4— न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता का क्रय किया गया अथवा नहीं ?
- 5— ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूर्ण किया गया अथवा नहीं ?

भौतिक उपलब्धियों का परीक्षण—

परियोजनाओं के भौतिक लक्ष्य के पूर्ण होने व समय से पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति संदिग्ध रही। अधोलिखित तथ्यों के परिणाम स्वरूप का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

- 1— लेखा परीक्षा में तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने।
- 2— परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति (कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र) प्रस्तुत न करने।
- 3— परियोजना में कृत कार्य वास्तविक अथवा अवास्तविक इस तथ्य की पुष्टि का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण।
- 4— लेखा परीक्षा में परियोजनाओं के भौतिक उपलब्धियों को परीक्षण के लिये सक्षम अधिकारियों (यथा जिला पंचायत का कोई पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके रिपोर्ट में इंगित कमियों एवं उसके निराकरण हेतु पंचायत स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं उससे हुये सुधार का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

अनुपालन जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन नगण्य रहा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन कुल लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों का मात्र 01 प्रतिशत से भी कम है। प्राप्त अनुपालन भी अत्यन्त सरसरी तौर पर मात्र औपचारिकता पूर्ति के लिए किये गये। जो लेखा परीक्षा के प्रति अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सम्यक व समुचित अनुपालन की कार्यवाही का न होना लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण उद्देश्य को खंडित कर देता है। अतः इस विषय पर पटल का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

6.2—संस्तुतियां— वर्ष 2012—13 में पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक कठिनाई लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित सभी अभिलेखों का प्रस्तुत न हो पाना रहा, जिससे लेखा परीक्षा की प्रगति एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षार्थ अभिलेखों को प्रस्तुत करने में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। जिसके कारण प्रभावित प्रगति का अवलोकन परिशिष्ट—2 एवं 3 में किया जा सकता है। निर्धारित सभी अभिलेखों को लेखा परीक्षार्थ न प्रस्तुत करने पर कोई प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाही न होने के कारण प्रशासनिक प्रस्तर पर इस कार्य में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए अधोलिखित संस्तुतियां की जाती हैं—

1— लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता के लिये सभी ग्राम पंचायत के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर लेखांकित होने चाहिये और लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिये जिससे लेखा परीक्षा में गहन व परिपूर्ण मूल्यांकन सम्भव हो सके।

2— सभी क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराये जाने के प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।

3— निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न होने की दशा में संस्था के कार्यकारी अधिकारी यथा (क्षेत्र पंचायत की दशा में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम्य विकास अधिकारी) के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

4— लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत कराये जाने के लिये ग्रामा प्रधान/पंचायत सचिव के साथ-साथ जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी/नोडल अधिकारी यथा (मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी) का दायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

5— पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा हेतु विभाग के लिये एक लेखा परीक्षा अधिनियम का निर्माण प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्रतिशीघ्र लागू कराया जाना चाहिए। जिसमें लेखा परीक्षक के समक्ष निर्धारित अवधि में समस्त निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में यथोचित अर्थदण्ड एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधान लागू करा पाने की शक्तियाँ विहित हैं।

6— 13 वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में अनिवार्य महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित सभी 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर रखे जाएँ जिससे पारदर्शिता बनी रहे एवं अनुदान का औचित्य सिद्ध हो।

अनुपालन— पंचायती राज संस्थाओं में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अनुपालन का न होना अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इससे जहाँ लेखा परीक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य खण्डित होता है वहीं विकास कार्यों के लिये भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित अरबों रुपये की धनराशि के उचित उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विधान मण्डल व माननीय सदस्यों की समिति उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये अनुपालन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता के विषय में उचित कार्यवाही करना चाहें।

(अवनीन्द्र दीक्षित)
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी

सहकारी समितियां एवं पंचायतें
लखनऊ ।

प्रारूप-1

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13

प्रारूप 1 जिला पंचायत

वर्ष 2012-13 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या

क्र० सं०	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं०			वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं०			वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं० (3-4)			लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3			4			5			6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	1	—	1	1	—	1	0	—	0	—
2	रायबरेली	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
3	उन्नाव	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
4	हरदोई	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
5	सीतापुर	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—
6	लखीमपुर	1	1	2	1	1	2	0	—	—	—
7	गोरखपुर	1	1	2	0	1	1	1	0	1	अभिलेख अनुपलब्धता
8	देवरिया	1	3	4	0	3	3	1	0	1	अभिलेख अनुपलब्धता
9	महराजगंज	1	4	5	—	—	—	1	4	5	अभिलेख अनुपलब्धता
10	कुशीनगर	01	0	01	01	00	01	00	00	00	—
11	बस्ती	01	07	08	—	01	01	01	06	07	अभिलेख अनुपलब्धता
12	संतकबीर नगर	1	5	6	—	3	3	1	2	3	अभिलेख अनुपलब्धता
13	सिद्धार्थनगर	1	3	4	-	3	3	1	0	1	अभिलेख अनुपलब्धता
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—

15	मुरादाबाद	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—
16	सम्भल	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
17	रामपुर	01	02	03	01	02	03	—	—	—	—
18	बिजनौर	01	07	08	—	03	03	01	04	05	अभिलेख अनुपलब्धता
19	फैजाबाद	01	01	02	0	01	01	01	—	01	—
20	बहराइच	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
21	गोण्डा	1	4	5	1	4	5	—	—	—	—
22	बलरामपुर	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—
23	अमेठी	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
24	श्रावस्ती	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
25	सुल्तानपुर	1	-	1	1	-	1	-	-	-	—
26	बाराबंकी	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
27	अम्बेडकर नगर	01	01	02	01	01	02	—	—	—	—
28	आजमगढ़	01	-	01	01	-	01	-	-	-	—
29	बालिया	1	—	1	1	—	1	—	-	-	—
30	मऊ	1	—	1	1	—	1	—	-	-	—
31	बाँदा	1	0	1	1	0	1	0	0	0	—
32	ललितपुर	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
33	हमीरपुर	01	-	01	1	-	01	-	-	-	—
34	जालौन	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
35	चित्रकूट	1	1	2	0	1	1	1	0	1	अभिलेख अनुपलब्धता

36	महोबा	1	0	1	1	0	1	0	0	0	—
37	झांसी	1	0	1	1	0	1	0	0	0	—
38	प्रतापगढ़	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
39	इलाहाबाद	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
40	कौशाम्बी	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
41	फतेहपुर	01	—	01	1	—	1	—	—	—	—
42	बुलन्दशहर	1	—	1	—	—	—	1	—	1	अभिलेख अनुपलब्धता
43	गौतमबुद्धनगर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
44	गाजियाबाद व हापुड	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
45	मेरठ	01	03	04	01	—	01	—	03	03	—
46	बागपत	1	7	8	—	1	1	1	6	7	अभिलेख अनुपलब्धता
47	मुजफ्फरनगर	02	—	02	01	—	01	01	—	01	—
48	सहारनपुर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
49	वाराणसी	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
50	चन्दौली	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
51	जौनपुर	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
52	गाजीपुर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
53	मीरजापुर	01	02	03	01	02	03	—	—	—	—
54	सोनभद्र	01	01	02	—	01	01	1	—	01	अभिलेख अनुपलब्धता

55	भदोही	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
56	बरेली	01	04	05	01	—	01	—	04	04	—
57	पीलीभीत	01	6	7	—	4	4	1	2	3	अभिलेख अनुपलब्धता
58	बदायूँ	1	5	6	1	—	1	—	5	5	—
59	शाहजहाँपुर	1	11	12	0	1	1	1	10	11	अभिलेख अनुपलब्धता
60	आगरा	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—
61	फिरोजाबाद	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
62	मथुरा	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
63	अलीगढ़	1	1	2	1	—	1	—	1	1	—
64	एटा	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
65	मैनपुरी	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
66	हाथरस	1	1	2	1	—	1	—	1	1	—
67	कानपुर नगर	1	0	1	1	0	1	—	—	—	—
68	औरैया	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—
69	कानपुर देहात	1	0	1	1	0	1	—	—	—	—
70	फरुखाबाद	1	4	5	1	—	1	0	4	4	—
71	कन्नौज	1	7	8	—	7	7	1	—	1	अभिलेख अनुपलब्धता
72	इटवा	1	7	8	—	7	7	1	—	1	अभिलेख अनुपलब्धता
कुल योग		73	105	178	56	53	109	17	52	69	

प्रारूप-1 क्षेत्र पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2012-13

प्रारूप-1											
वर्ष 2012-13 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या											
क्र०सं 0	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की संख्या			वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या			वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की संख्या			लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3			4			5			6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	8	104	112	—	—	—	8	104	112	अभिलेख अनुपलब्धता
2	रायबरेली	15	—	15	—	—	—	15	—	15	अभिलेख अनुपलब्धता
3	उन्नाव	16	54	70	2	3	5	14	51	65	अभिलेख अनुपलब्धता
4	सीतापुर	19	247	266	—	—	—	19	247	266	अभिलेख अनुपलब्धता
5	हरदोई	19	38	57	03	01	04	16	37	53	अभिलेख अनुपलब्धता
6	लखीमपुर खीरी	15	75	90	—	—	—	15	75	90	अभिलेख अनुपलब्धता
7	गोरखपुर	19	228	247	0	0	0	19	228	247	अभिलेख अनुपलब्धता
8	देवरिया	16	290	306	0	0	0	16	290	306	अभिलेख अनुपलब्धता
9	महाराजगंज	12	86	98	1	38	39	11	48	59	अभिलेख अनुपलब्धता
10	कुशीनगर	14	124	138	01	08	09	13	116	129	अभिलेख अनुपलब्धता
11	बस्ती	14	158	172	—	—	—	14	158	172	अभिलेख अनुपलब्धता
12	सिद्धार्थनगर	14	182	196	0	6	6	14	176	90	अभिलेख अनुपलब्धता
13	संतकबीर नगर	9	98	107	-	-	-	9	98	107	अभिलेख

											अनुपलब्धता
14	अमरोहा	6	78	84	—	—	—	6	78	84	अभिलेख अनुपलब्धता
15	मुरादाबाद	8	83	91	—	—	—	8	83	91	अभिलेख अनुपलब्धता
16	सम्भल	8	80	88	—	—	—	8	80	88	अभिलेख अनुपलब्धता
17	रामपुर	06	78	84	—	—	—	06	78	84	अभिलेख अनुपलब्धता
18	बिजनौर	11	117	128	—	—	—	11	117	128	अभिलेख अनुपलब्धता
19	फैजाबाद	11	28	39	07	17	24	04	11	15	अभिलेख अनुपलब्धता
20	बहराइच	14	126	140	—	—	—	14	126	140	अभिलेख अनुपलब्धता
21	गोण्डा	16	205	221	—	—	—	16	205	221	अभिलेख अनुपलब्धता
22	बलरामपुर	9	114	123	—	—	—	9	114	123	अभिलेख अनुपलब्धता
23	अमेठी	16	95	111	7	21	28	9	74	83	अभिलेख अनुपलब्धता
24	श्रावस्ती	05	48	53	—	—	—	05	48	53	अभिलेख अनुपलब्धता
25	सुल्तानपुर	14	8	22	9	2	11	5	6	11	अभिलेख अनुपलब्धता
26	बाराबंकी	15	155	170	01	03	04	14	152	166	अभिलेख अनुपलब्धता
27	अम्बेडकरनगर	09	19	28	06	02	08	03	17	20	अभिलेख अनुपलब्धता
28	आजमगढ़	22	251	273	-	-	-	22	251	273	अभिलेख

											अनुपलब्धता
29	बालिया	17	161	178	-	-	-	17	161	178	अभिलेख अनुपलब्धता
30	मऊ	9	90	99	-	-	-	9	90	99	अभिलेख अनुपलब्धता
31	बाँदा	8	93	101	0	0	0	8	93	101	अभिलेख अनुपलब्धता
32	ललितपुर	6	—	6	6	—	6	—	—	—	—
33	हमीरपुर	07	32	39	-	-	-	07	32	39	अभिलेख अनुपलब्धता
34	जालौन	09	116	125	—	—	—	09	116	125	अभिलेख अनुपलब्धता
35	चित्रकूट	5	68	73	0	0	0	5	68	73	अभिलेख अनुपलब्धता
36	महोबा	4	51	55	1	5	6	3	46	49	अभिलेख अनुपलब्धता
37	झांसी	8	109	117	0	0	0	8	109	117	अभिलेख अनुपलब्धता
38	प्रतापगढ़	17	163	180	01	03	04	16	160	176	अभिलेख अनुपलब्धता
39	इलाहाबाद	20	229	249	1	9	10	19	220	239	अभिलेख अनुपलब्धता
40	कौशाम्बी	8	20	28	1	13	14	7	7	14	अभिलेख अनुपलब्धता
41	फतेहपुर	13	5	18	5	—	5	8	5	13	अभिलेख अनुपलब्धता
42	बुलन्दशहर	16	268	284	—	—	—	16	264	284	अभिलेख अनुपलब्धता
43	गौतमबुद्धनगर	04	14	18	—	—	—	04	14	18	अभिलेख अनुपलब्धता

44	गाजियाबाद व हापुड	08	41	49	---	---	---	08	41	49	अभिलेख अनुपलब्धता
45	मेरठ	11	17	28	0	—	0	11	17	28	अभिलेख अनुपलब्धता
46	बागपत	6	73	79	1	—	1	5	73	78	अभिलेख अनुपलब्धता
47	मुजफ्फरनगर	14	192	206	----	----	---	14	192	206	अभिलेख अनुपलब्धता
48	सहारनपुर	11	33	44	----	----	---	11	33	44	अभिलेख अनुपलब्धता
49	वाराणसी	8	46	54	1	1	2	7	45	52	अभिलेख अनुपलब्धता
50	चन्दौली	9	34	43	1	2	3	8	32	40	अभिलेख अनुपलब्धता
51	जौनपुर	21	33	54	7	8	15	14	25	39	अभिलेख अनुपलब्धता
52	गाजीपुर	16	108	124	01	20	21	15	88	103	अभिलेख अनुपलब्धता
53	मीरजापुर	12	94	106	1	8	9	11	86	97	अभिलेख अनुपलब्धता
54	सोनभद्र	08	43	51	—	01	01	08	42	50	अभिलेख अनुपलब्धता
55	भदोही	6	—	6	5	—	5	1	—	1	अभिलेख अनुपलब्धता
56	पीलीभीत	07	77	84	—	—	—	07	77	84	अभिलेख अनुपलब्धता
57	बदायूँ	15	212	227	—	—	—	15	212	227	अभिलेख अनुपलब्धता
58	बरेली	15	195	210	0	0	0	15	195	210	अभिलेख अनुपलब्धता

59	शाहजहाँपुर	15	51	66	0	0	0	15	51	66	अभिलेख अनुपलब्धता
60	आगरा	15	159	174	4	—	4	11	159	170	अभिलेख अनुपलब्धता
61	फिरोजाबाद	09	121	130	—	—	—	09	121	130	अभिलेख अनुपलब्धता
62	मथुरा	10	160	170	5	1	6	05	159	164	अभिलेख अनुपलब्धता
63	अलीगढ़	12	152	164	1	1	2	11	151	162	अभिलेख अनुपलब्धता
64	मैनपुरी	09	24	33	1	13	14	08	11	19	अभिलेख अनुपलब्धता
65	एटा	15	193	208	—	—	—	15	193	208	अभिलेख अनुपलब्धता
66	हाथरस	07	88	95	—	—	—	07	88	95	अभिलेख अनुपलब्धता
67	कानपुर नगर	10	21	31	3	2	5	7	19	26	अभिलेख अनुपलब्धता
68	औरैया	7	91	98	—	9	9	7	82	89	अभिलेख अनुपलब्धता
69	कानपुर देहात (रमाबाई)	10	10	20	—	—	—	10	10	20	अभिलेख अनुपलब्धता
70	फरुखाबाद	7	86	93	—	—	—	7	86	93	अभिलेख अनुपलब्धता
71	कन्नौज	7	72	79	—	—	—	7	72	79	अभिलेख अनुपलब्धता
72	इटवा	8	104	112	—	—	—	8	104	112	अभिलेख अनुपलब्धता
कुल योग		819	7107	7926	83	197	280	736	6910	7646	

प्रारूप-1 ग्राम पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2012-13

प्रारूप-1					
वर्ष 2012-13 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या					
क्र०	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग	वर्ष में लेखा परीक्षित	वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं	लेखा

सं0		संस्थाओं की संख्या			संस्थाओं की संख्या			की संख्या			परीक्षा न होने का कारण
1	2	3			4			5			6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	463	3715	4178	187	275	462	276	3440	3716	अभिलेख अनुपलब्धता
2	रायबरेली	700	159	859	640	76	716	60	82	142	अभिलेख अनुपलब्धता
3	उन्नाव	954	1230	2184	671	255	926	283	975	1258	अभिलेख अनुपलब्धता
4	हरदोई	1101	977	2078	753	341	1094	348	636	984	अभिलेख अनुपलब्धता
5	सीतापुर	1329	5844	7173	684	927	1611	645	4917	5562	अभिलेख अनुपलब्धता
6	लखीमपुर खीरी	995	593	1588	866	73	939	129	520	649	अभिलेख अनुपलब्धता
7	गोरखपुर	1233	1436	2669	1074	805	1879	159	631	790	अभिलेख अनुपलब्धता
8	देवरिया	1034	2106	3140	589	327	916	445	1779	2224	अभिलेख अनुपलब्धता
9	महाराजगंज	777	492	1269	686	393	1079	91	99	190	अभिलेख अनुपलब्धता
10	कुशीनगर	956	3904	4860	822	1712	2534	134	2192	2326	अभिलेख अनुपलब्धता
11	संतकबीर नगर	648	4249	4897	522	656	1178	126	3189	3315	अभिलेख अनुपलब्धता
12	बस्ती	1047	8503	9550	511	2192	2703	536	6311	6847	अभिलेख अनुपलब्धता
13	सिद्धार्थनगर	999	11715	12714	598	2128	2726	401	9587	9988	अभिलेख अनुपलब्धता

14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	484	2368	2852	390	188	578	94	2180	2274	अभिलेख अनुपलब्धता
15	मुरादाबाद	578	2383	2961	505	212	717	73	2171	2244	अभिलेख अनुपलब्धता
16	सम्भल	555	1960	2515	327	432	759	228	1528	1756	अभिलेख अनुपलब्धता
17	रामपुर	580	1480	2060	60	52	112	520	1428	1948	अभिलेख अनुपलब्धता
18	बिजनौर	959	4819	5778	762	448	1210	197	4371	4568	अभिलेख अनुपलब्धता
19	फैजाबाद	729	1048	1777	729	—	729	—	1048	1048	अभिलेख अनुपलब्धता
20	बहराइच	903	2796	3699	672	114	786	231	2682	2913	अभिलेख अनुपलब्धता
21	गोण्डा	1054	13350	14404	57	71	128	997	13279	14276	अभिलेख अनुपलब्धता
22	बलरामपुर	667	8479	9146	—	—	—	667	8479	9146	अभिलेख अनुपलब्धता
23	अमेठी	725	95	820	692	73	765	33	22	55	अभिलेख अनुपलब्धता
24	श्रावस्ती	334	636	970	319	36	355	15	600	615	अभिलेख अनुपलब्धता
25	सुल्तानपुर	805	182	987	784	162	946	21	20	41	अभिलेख अनुपलब्धता
26	बाराबंकी	1002	4561	5563	879	50	929	123	4511	4634	अभिलेख अनुपलब्धता
27	अम्बेडकरनग र	786	2923	3709	786	554	1340	—	2369	2369	अभिलेख अनुपलब्धता
28	आजमगढ़	1617	11191	12808	975	1102	2077	642	10089	10731	अभिलेख अनुपलब्धता

29	बालिया	835	3644	4479	356	361	717	479	3283	3762	अभिलेख अनुपलब्धता
30	मऊ	598	1587	2185	392	260	652	256	1327	1553	अभिलेख अनुपलब्धता
31	बाँदा	437	1684	2121	157	121	278	280	1563	1843	अभिलेख अनुपलब्धता
32	ललितपुर	340	53	3103	328	28	356	12	25	37	अभिलेख अनुपलब्धता
33	हमीरपुर	314	1055	1369	59	81	140	255	974	1229	अभिलेख अनुपलब्धता
34	जालौन	564	3123	3687	180	108	288	384	3015	3399	अभिलेख अनुपलब्धता
35	चित्रकूट	296	34	330	262	34	296	0	0	0	अभिलेख अनुपलब्धता
36	महोबा	247	2128	2375	33	254	287	214	1874	2088	अभिलेख अनुपलब्धता
37	झाँसी	437	2857	3294	282	132	414	155	2725	2880	अभिलेख अनुपलब्धता
38	प्रतापगढ़	1105	3983	5088	718	176	894	387	3807	4194	अभिलेख अनुपलब्धता
39	इलाहाबाद	1430	935	2365	1384	40	1424	46	895	941	अभिलेख अनुपलब्धता
40	कौशाम्बी	440	121	561	406	2	408	34	119	153	अभिलेख अनुपलब्धता
41	फतेहपुर	788	2576	3364	719	457	1176	69	2119	2188	अभिलेख अनुपलब्धता
42	बुलन्दशहर	889	3443	4332	732	218	950	157	3225	3382	अभिलेख अनुपलब्धता
43	गौतमबुद्धनगर	243	426	669	226	43	269	17	383	400	अभिलेख अनुपलब्धता

	गाजियाबाद व हापुड	408	1192	1600	283	09	292	125	1183	1308	अभिलेख अनुपलब्धता
44	मेरठ	459	339	798	450	—	450	09	339	348	अभिलेख अनुपलब्धता
45	बागपत	237	0	237	231	0	231	0	0	0	अभिलेख अनुपलब्धता
46	मुजफ्फरनगर	687	2079	2766	648	26	674	39	2053	2092	अभिलेख अनुपलब्धता
47	सहारनपुर	766	3320	4086	528	116	644	238	3204	3442	अभिलेख अनुपलब्धता
48	वाराणसी	698	1202	1900	687	28	715	11	1174	1185	अभिलेख अनुपलब्धता
49	चन्दौली	622	574	1196	613	28	641	9	1546	1555	अभिलेख अनुपलब्धता
50	जौनपुर	1514	5135	6649	1276	417	1693	238	4718	4956	अभिलेख अनुपलब्धता
51	गाजीपुर	1050	4110	5161	577	833	1410	473	3277	3750	अभिलेख अनुपलब्धता
52	मीरजापुर	758	1647	2405	739	73	812	19	1574	1593	अभिलेख अनुपलब्धता
53	सोनभद्र	501	1297	1798	381	170	551	120	1127	1247	अभिलेख अनुपलब्धता
54	भदोही	481	1612	2093	390	36	426	91	1576	1667	अभिलेख अनुपलब्धता
55	बरेली	1007	4341	5348	791	378	1169	216	3963	4179	अभिलेख अनुपलब्धता
56	पीलीभीत	599	5169	5768	115	148	263	484	5021	5505	अभिलेख अनुपलब्धता
57	बदायूँ	885	8724	9609	121	171	292	764	8553	9317	अभिलेख अनुपलब्धता

58	शाहजहाँपुर	922	4762	5684	579	718	1297	343	4044	4387	अभिलेख अनुपलब्धता
59	आगरा	637	2510	3147	518	228	746	119	2282	2401	अभिलेख अनुपलब्धता
60	फिरोजाबाद	510	3879	4389	266	1938	2204	244	1941	2185	अभिलेख अनुपलब्धता
61	मथुरा	479	1802	2281	279	259	538	200	1543	1743	अभिलेख अनुपलब्धता
62	अलीगढ़	853	5043	5896	253	353	606	600	4690	5290	अभिलेख अनुपलब्धता
63	मैनपुरी	503	2597	3100	270	644	914	233	1953	2186	अभिलेख अनुपलब्धता
64	एटा	898	9987	10885	147	200	347	751	9787	10538	अभिलेख अनुपलब्धता
65	हाथरस	430	3010	3440	68	181	249	362	2829	3191	अभिलेख अनुपलब्धता
67	कानपुर नगर	557	3916	4473	31	24	55	526	3892	4444	अभिलेख अनुपलब्धता
68	औरैया	441	3589	4030	35	350	385	406	3239	3645	अभिलेख अनुपलब्धता
69	कानपुर देहात	613	1148	1761	395	323	718	218	825	1043	अभिलेख अनुपलब्धता
70	फरुखाबाद	512	5002	5514	—	7	7	512	4995	5507	अभिलेख अनुपलब्धता
71	कन्नौज	441	4247	4688	—	—	—	441	4247	4688	अभिलेख अनुपलब्धता
72	इटवा	420	5106	5526	9	24	33	411	5082	5493	अभिलेख अनुपलब्धता
कुल योग		51865	221052	272917	33434	23660	57094	18431	197392	215823	

प्रारूप-5 जिला पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2012-13

जिला पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

क्र. सं.	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल जिला पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन

										की सं०
1	लखनऊ	1	1	—	1	—	1	—	—	—
2	रायबरेली	1	1	—	1	—	1	—	—	—
3	उन्नाव	1	1	—	1	—	1	—	—	—
4	हरदोई	1	1	—	1	—	1	—	—	—
5	सीतापुर	1	1	—	1	—	1	—	—	—
6	लखीमपुर खीरी	1	1	—	1	—	1	—	—	—
7	वाराणसी	01	01	—	01	—	1	01	—	01
8	चन्दौली	1	1	—	1	—	1	1	—	1
9	जौनपुर	1	1	—	1	—	1	1	—	1
10	गाजीपुर	01	01	—	01	—	01	01	—	1
11	मीरजापुर	01	01	—	01	—	01	01	—	01
12	सोनभद्र	01	—	01	—	—	—	—	—	—
13	भदोही	1	1	—	1	—	1	1	—	1
14	बाँदा	1	1	0	1	0	1	0	0	0
15	ललितपुर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
16	हमीरपुर	01	01	-	01	-	01	-	-	-
17	जालौन	1	1	0	1	0	1	0	0	0
18	चित्रकूट	1	1	0	1	0	1	0	0	0
19	महोबा	1	1	0	1	0	1	0	0	0
20	झाँसी	1	1	0	1	0	1	1	0	1
21	प्रतापगढ़	1	1	-	10	-	10	2	-	2
22	इलाहाबाद	1	1	-	9	-	9	4	-	4
23	कौशाम्बी	1	1	-	5	-	5	5	-	5
24	फतेहपुर	1	1	-	4	-	4	1	-	1
25	बुलन्दशहर	1	—	1	—	—	—	—	—	—
26	गौतमबुद्धनगर	1	1	0	—	—	—	—	—	—
27	गाजियाबाद व हापुड	1	1	—	1	—	1	—	—	—
28	मेरठ	1	1	0	13	—	13	01	—	01
29	बागपत	1	—	1	1	—	1	1	—	1
30	मुजफ्फरनगर	02	01	01	01	—	01	—	—	—
31	सहारनपुर	01	01	—	01	01	—	—	—	—
32	बरेली	01	01	0	01	0	01	01	0	01
33	बदायूँ	01	1	0	09	—	09	01	—	1
34	पीलीभीत	1	0	1	0	0	0	0	0	0
35	शाहजहाँपुर	1	0	1	0	0	0	0	0	0
36	आगरा	1	1	—	1	—	1	—	—	—
37	फिरोजाबाद	1	1	—	1	—	1	1	—	1

38	मथुरा	1	1	---	1	—	1	—	—	—
39	अलीगढ	1	1	---	1	—	1	—	—	—
40	एटा	1	1	---	1	—	1	1	—	1
41	मैनपुरी	1	1	---	1	—	1	1	—	1
42	हाथरस	1	1	---	1	—	1	—	—	—
43	फैजाबाद	01	0	1	01	—	01	—	—	—
44	बाराबंकी	01	1	0	—	—	—	—	—	—
45	सुल्तानपुर	01	01	—	01	—	01	—	—	—
46	अमेठी	01	01	—	01	—	01	—	—	—
47	अम्बेडकरनगर	01	01	—	01	—	01	—	—	—
48	गोण्डा	01	01	—	01	—	01	—	—	—
49	बलरामपुर	01	01	—	01	—	01	—	—	—
50	बहराइच	01	01	—	01	—	01	—	—	—
51	श्रावस्ती	01	01	—	01	—	01	—	—	—
52	गोरखपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0
53	देवरिया	1	0	1	0	0	0	0	0	0
54	कुशीनगर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
55	महाराजगंज	1	0	1	0	0	0	0	0	0
56	बस्ती	1	0	1	0	0	0	0	0	0
57	आजमगढ	1	1	—	12	—	12	6	—	6
58	बालिया	1	1	—	1	1	—	—	—	—
59	मऊ	1	1	—	1	—	1	—	—	—
60	संतकबीर नगर	1	0	1	—	—	—	—	—	—
61	सिद्धार्थनगर	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62	संभल	1	1	0	1	0	1	0	0	0
63	अमरोहा	1	1	0	2	0	2	1	0	1
64	मुरादाबाद	1	1	0	2	0	2	0	0	0
65	बिजनौर	1	0	1	3	0	3	0	0	0
66	रामपुर	1	1	0	3	0	3	3	0	3
67	कानपुर नगर	1	1	—	9	—	9	3	—	3
68	कानुपर देहात	1	1	—	10	—	10	4	—	4
69	इटवा	1	0	1	5	—	5	0	0	0
70	फर्रुखाबाद	1	1	0	4	—	4	—	—	—
71	औरैया	1	1	—	12	—	12	1	—	1
72	कन्नौज	1	—	1	3	—	3	1	—	1
कुल योग		73	57	16	59	2	57	46	0	46

प्रारूप-5 क्षेत्र पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2012-13

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

क्र. सं.	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल क्षेत्र पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं०
1	लखनऊ	8	—	8	—	—	—	—	—	—

2	रायबरेली	15	—	15		—	—	—	—	—
3	उन्नाव	16	2	14	2	—	2	—	—	—
4	हरदोई	19	3	16	3	—	3	—	—	—
5	सीतापुर	19		19		—	—	—	—	—
6	लखीमपुर खीरी	15	—	15	—	—	—	—	—	—
7	वाराणसी	08	01	07	01	—	01	01	—	01
8	चन्दौली	9	1	8	1	—	1	—	—	—
9	जौनपुर	21	7	14	7	—	7	3	—	3
10	गाजीपुर	16	01	15	01	—	01	13	—	13
11	मीरजापुर	12	1	11	1	—	1	1	—	1
12	सोनभद्र	08	—	08	—	—	—	—	—	—
13	भदोही	6	5	1	5	—	5	1	—	1
14	बांदा	8	0	8	0	0	0	0	0	0
15	ललितपुर	6	6	0	6	0	6	0	0	0
16	हमीरपुर	7	0	7	0	0	0	0	0	0
17	जालौन	9	0	9	0	0	0	0	0	0
18	चित्रकूट	5	0	5	0	0	0	0	0	0
19	महोबा	4	1	3	0	0	0	0	0	0
20	झांसी	8	0	8	0	0	0	0	0	0
21	प्रतापगढ़	17	1	16	2	-	2	0	-	0
22	इलाहाबाद	20	1	19	4	-	4	1	-	1
23	कौशाम्बी	8	1	7	5	-	5	5	-	5
24	फतेहपुर	13	5	8	40	-	40	14	-	14
25	बुलन्दशहर	16	—	16	—	—	—	—	—	—
26	गौतमबुद्धनगर	04	—	04	—	—	—	—	—	—
27	गाजियाबाद व हापुड	08	—	08	—	—	—	—	—	—
28	मेरठ	11	0	11	01	—	01	01	—	01
29	बागपत	6	1	5	5	—	5	1	—	1
30	मुजफ्फरनगर	14	—	14	—	—	—	—	—	—
31	सहारनपुर	11	—	11	—	—	—	—	—	—
32	बरेली	15	0	15	0	0	0	0	0	0
33	बदायूँ	15	—	15	0	0	0	0	0	0
34	पीलीभीत	7	0	7	0	0	0	0	0	0
35	शाहजहाँपुर	15	0	15	0	0	0	0	0	0
36	आगरा	15	4	11	4	—	4	—	—	—
37	फिरोजाबाद	09	—	09	—	—	—	—	—	—

38	मथुरा	10	5	05	5	—	5	—	—	—
39	अलीगढ	12	1	11	1	—	1	—	—	—
40	मैनपुरी	09	1	08	1	—	1	1	—	1
41	एटा	15	—	15	—	—	—	—	—	—
42	हाथरस	07	—	07	—	—	—	—	—	—
43	फैजाबाद	11	7	4	7	—	7	05	—	05
44	बाराबंकी	15	01	14	01	—	01	02	—	02
45	सुल्तानपुर	14	9	5	9	—	9	—	—	—
46	अमेठी	16	7	9	7	—	7	—	—	—
47	अम्बेडकरनगर	9	06	03	06	—	06	02	—	02
48	गोण्डा	16	—	16	—	—	—	—	—	—
49	बलरामपुर	9	—	9	—	—	—	—	—	—
50	बहराइच	14	0	14	01	—	01	—	—	—
51	श्रावस्ती	05	—	05	—	—	—	—	—	—
52	गोरखपुर	19	0	19	0	0	0	0	0	0
53	देवरिया	16	0	16	0	0	0	0	0	0
54	कुशीनगर	14	1	13	1	0	1	0	0	0
55	महाराजगंज	12	1	11	1	0	1	0	0	0
56	बस्ती	14	0	14	0	0	0	0	0	0
57	संतकबीर नगर	9	0	9	—	—	—	—	—	—
58	आजमगढ	22	—	22	14	—	14	1	—	1
59	बालिया	17	—	17	—	—	—	—	—	—
60	मऊ	9	0	9	—	—	—	—	—	—
61	सिद्धार्थनगर	14	0	14	0	0	0	0	0	0
62	संभल	8	0	8	0	0	0	0	0	0
63	अमरोहा	6	0	6	0	0	0	0	0	0
64	मुरादाबाद	8	0	8	0	0	0	0	0	0
65	बिजनौर	11	0	11	0	0	0	0	0	0
66	रामपुर	6	0	6	0	0	0	0	0	0
67	कानपुर नगर	10	3	7	12	—	12	3	—	3
68	कानुपर देहात	10	—	10	42	—	42	13	—	13
69	इटवा	8	—	8	—	—	—	—	—	—
70	फर्रुखाबाद	7	—	7	0	—	0	7	—	7
71	औरैया	7	—	7	—	—	—	—	—	—
72	कन्नौज	7	—	7	3	—	3	—	—	—
कुल योग		819	83	736	199	0	199	75	0	75

प्रारूप-5 ग्राम पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2012-13

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

क्र. सं.	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं०
1	लखनऊ	463	187	276	187	—	187	—	—	—
2	रायबरेली	700	640	60	640	—	640	1	—	1
3	उन्नाव	954	671	283	671	—	671	—	—	—

4	हरदोई	1101	753	348	753	—	753	—	—	—
5	सीतापुर	1329	684	645	684	—	684	5	—	5
6	लखीमपुर खीरी	995	866	129	866	—	866	1	—	1
7	वाराणसी	698	687	11	687	—	687	—	—	—
8	चन्दौली	622	613	9	642	—	642	3	—	3
9	जौनपुर	1514	1276	238	1276	—	1276	8	—	8
10	गाजीपुर	1050	577	473	577	—	577	08	—	08
11	मीरजापुर	758	739	19	739	—	739	19	—	19
12	सोनभद्र	501	381	120	381	—	381	8	—	8
13	भदोही	481	390	91	390	—	390	—	—	—
14	बांदा	437	157	280	157	0	157	0	0	0
15	ललितपुर	340	328	12	328	0	328	1	0	1
16	हमीरपुर	314	59	255	59	0	59	-	-	-
17	जालौन	564	180	384	180	0	180	0	0	0
18	चित्रकूट	296	262	34	296	0	296	0	0	0
19	महोबा	247	33	214	33	0	33	0	0	0
20	झांसी	437	282	155	282	0	282	0	0	0
21	प्रतापगढ़	1105	718	387	29445	-	29445	251	-	251
22	इलाहाबाद	1430	1384	46	28950	-	28950	732	-	732
23	कौशाम्बी	440	406	34	11202	-	11202	149	-	149
24	फतेहपुर	788	719	69	15694	-	15694	150	-	150
25	बुलन्दशहर	889	732	157	30402	0	11761	1684	1493	1684
26	गौतमबुद्धनगर	243	226	17	243	---	243	---	---	---
27	गाजियाबाद व हापुड	408	283	125	292	---	292	---	---	---
28	मेरठ	459	450	9	450	—	450	—	—	—
29	बागपत	237	231	6	231	—	231	—	—	—
30	मुजफ्फरनगर	687	648	39	648	-----	648	-----	-----	-----
31	सहारनपुर	766	538	228	538	-----	538	38	38	-----
32	बरेली	1007	791	216	791	0	791	16	0	16
33	बदायूँ	885	121	764	121	—	121	—	—	—
34	पीलीभीत	599	115	484	115	0	115	0	0	0
35	शाहजहाँपुर	922	579	343	579	0	579	16	0	16
36	आगरा	637	518	119	518	—	518	31	—	31
37	फिरोजाबाद	510	266	244	266	—	266	61	—	61

38	मथुरा	479	279	200	279	—	279	—	—	—
39	अलीगढ	853	253	600	253	—	253	12	—	12
40	मैनपुरी	503	270	233	270	—	270	42	—	42
41	एटा	898	147	751	147	—	147	45	—	45
42	हाथरस	430	68	362	68	—	68	02	—	02
43	फैजाबाद	729	729	—	729	—	729	36	07	29
44	बाराबंकी	1002	879	123	879	—	879	30	—	30
45	सुल्तानपुर	805	784	21	784	—	784	—	—	—
46	अमेठी	725	692	33	692	—	692	—	—	—
47	अम्बेडकरनगर	786	786	—	786	—	786	72	—	72
48	गोण्डा	1054	57	997	57	—	57	—	—	—
49	बलरामपुर	667	—	667	—	—	—	—	—	—
50	बहराइच	903	672	231	637	—	637	4	—	4
51	श्रावस्ती	334	319	15	319	—	319	6	—	6
52	गोरखपुर	1233	1074	159	1074	0	1074	21	4	17
53	देवरिया	1034	589	445	589	0	589	0	0	0
54	कुशीनगर	956	822	134	455	0	455	7	0	7
55	महराजगंज	777	686	91	686	0	686	8	0	8
56	बस्ती	1047	511	536	511	0	511	4	0	4
57	संतकबीर नगर	648	522	126	522	—	522	—	—	—
58	आजमगढ	1617	975	642	21585	—	21585	242	—	242
59	बालिया	835	356	479	356	—	356	—	—	—
60	मऊ	598	392	206	392	—	392	—	—	—
61	सिद्धार्थनगर	999	598	401	598	0	598	18	0	18
62	संभल	555	327	228	759	0	759	7	3	4
63	अमरोहा	484	390	94	478	0	478	5	2	3
64	मुरादाबाद	578	505	73	717	0	717	8	3	5
65	बिजनौर	959	762	197	1210	0	1210	41	0	41
66	रामपुर	580	60	520	112	0	112	07	0	07
67	कानपुर नगर	557	31	526	31	—	31	0	—	78
68	कानुपर देहात	613	395	218	395	51	344	06	—	06
69	इटवा	420	9	411	09	—	09	03	—	03
70	फर्रुखाबाद	512	0	512	—	—	—	—	—	—
71	औरैया	441	35	406	35	-	35	02	—	02
72	कन्नौज	441	—	441	-	-	-	—	—	—
कुल योग		51865	33434	18431	165798	51	147947	3791	57	3758

